वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 2018–19

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

एक मिनीरत्न कम्पनी

(कोल इण्डिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कम्पनी)

(CIN: U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, राँची – 834 029, झारखंड

भविष्य निरूपण/उद्देश्य एवं ध्येय

1.1 संकल्पना

खदान से बाजार तक सर्वोत्तम प्रक्रिया के माध्यम से देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने के साथ–साथ पर्यावरण एवं सामाजिक रूप से स्थायी विकास को प्राप्त करते हुए प्राथमिक ऊर्जा क्षेत्र में राष्ट्रीय अग्रणी के रूप में उभरना।

उद्देश्य

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का उद्देश्य है सुरक्षा, संरक्षण और गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए प्रभावकारी ढंग से मितव्ययितापूर्वक सुनियोजित मात्रा में कोयला एवं कोयला उत्पादों का उत्पादन तथा विपणन करना।

1.2 ध्येय

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का मुख्य ध्येय :

1. संसाधनों की उत्पादकता में वृद्धि कर, क्षति को रोक कर, आंतरिक संसाधनों का आशातीत उत्पादन करना तथा प्रतिष्ठान की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में बाहरी संसाधनों को संचालित करना।
2. सुरक्षा के उच्च मानकों को बनाये रखना एवं दुर्घटना रहित कोयला खनन करना ।
3. वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण पर जोर देना।
4. कोयले की भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए नई परियोजना हेतु विस्तृत अन्वेषण करना और योजना बनाना।
5. वर्तमान खदानों का आधुनीकिकरण करना।
6. कोयला खनन की तकनीकी जानकारी और संगठनात्मक सक्षमता तथा कोयला लाभकारिता का विकास करना तथा जहाँ आवश्यक हो वहाँ कोयले की अधिकतम निकासी हेतु वैज्ञानिक गवेषण से संबंधित विकास कार्य और अनुसंधान करना।
7. कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार करना तथा कोयला क्षेत्र के आस–पास समाज और समुदाय के प्रति निगमित उत्तरदायित्व का निर्वहन करना।
8. कार्य संचालन हेतु पर्याप्त मात्रा में कुशल श्रमशक्ति उपलब्ध कराना तथा कौशल बढ़ाने हेतु तकनीकी एवं प्रबंधकीय प्रशिक्षण देना।
9. उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार करना।
10. सी एस आर क्रियाकलाप विशेषकर आस–पास के गाँवों में स्वास्थ्य, सफाई और पेय जल की व्यवस्था में सुधार।

विषय – सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रबन्धन	1
2.	बैंकर्स एवं अंकेक्षक	3
3.	सूचना – वार्षिक आम बैठक	4
4.	संचालनात्मक आँकड़े	8
5.	वित्तीय स्थिति	14
6.	निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन	18
7.	निगमित प्रशासन पर प्रतिवेदन	64
8.	निदेशकगणों का पार्श्वदृश्य	75
9.	सांविधिक अंकेक्षक द्वारा निगमित प्रशासन पर प्रमाण पत्र	79
10.	सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं प्रबंधन का उत्तर	80
11.	कम्पनी अधिनियम, 2013 के धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	86
12.	निदेशक प्रतिवेदन से संबंधित अनुलग्नक	88
13.	प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन	112
14.	स्टैण्डअलोन वित्तीय परिणाम	118
15.	31 मार्च, 2019 को स्टैण्डअलोन तुलन पत्र	121
16.	31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैण्डअलोन लाभ एवं हानि लेखा	123
17.	वर्ष 2018–19 के लिए स्टैण्डअलोन नकद प्रवाह विवरण	125
18	स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण की टिप्पणियाँ (टिप्पणी 1 से 37)	128
19.	स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण (टिप्पणी 38) पर अतिरिक्त टिप्पणी	190
20	स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण पर अंकेक्षक का प्रतिवेदन एवं प्रबंधन का जवाब (परिशिष्ट – 1 सहित)	220
21.	समेकित वित्तीय परिणाम	239
22.	31 मार्च, 2019 को समेकित तुलन पत्र	242
23.	31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि लेखा	244
24.	वर्ष 2018–19 के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण	246
25.	समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणियाँ (टिप्पणी 1 से 37)	249
26.	समेकित वित्तीय विवरण (टिप्पणी 38) पर अतिरिक्त टिप्पणी	307
27.	फॉर्म एओसी – 1	334
28.	समेकित वित्तीय विवरण पर अंकेक्षक का प्रतिवेदन एवं प्रबंधन का जवाब (परिशिष्ट – 1 सहित)	335

निदेशक मण्डल

(05 अगस्त, 2019 के अनुसार)

श्री गोपाल सिंह
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

निदेशकगण

श्री एन. के. अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

श्री वी. के. श्रीवास्तव
निदेशक (तक. / संचा.)

श्री आर. एस. महापात्र
निदेशक (कार्मिक)

श्री भोला सिंह
निदेशक (तक. / परि. एवं यो.)

अंशकालिक निदेशकगण

श्री आशीष उपाध्याय
संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय

श्री आर. पी. श्रीवास्तव
निदशक (कार्मिक एवं औ. सं.), सीआईएल

गैर–अधिकारिक अंशकालिक निदेशकगण

श्री भारत भूषण गोयल
पूर्व अतिरिक्त मुख्य सलाहकार (लागत)

श्री सुभाउ कश्यप
एम.बी.बी.एस.

श्रीमती जाजुला गौरी
अधिवक्ता

श्री शिव अरोड़ा
चार्टड अकाउन्टेन्ट

श्री हरबंस सिंह
पूर्व–महानिदेशक एपेक्स, जीएसआई

स्थायी आमंत्रित

श्री सलिल कुमार झा
सीओएम, पू. म. रे., हाजीपुर

श्री अबुबकर सिद्दिकी पी.
सचिव (खान एवं भूगर्भ), झा. स.

श्री रवि प्रकाश
कम्पनी सचिव

वर्तमान प्रबंधन

05 अगस्त 2019 को

(अर्थात् 63वीं आम वार्षिक बैठक के दिन)

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

श्री गोपाल सिंह

कार्यकारी निदेशकगण

श्री निरंजन कुमार अग्रवाल	:	निदेशक (वित्त)
श्री वी. के. श्रीवास्तव	:	निदेशक (तक./संचा.)
श्री आर. एस. महापात्र	:	निदेशक (कार्मिक)
श्री भोला सिंह	:	निदेशक (तक./परि. एवं यो.)

अंशकालिक निदेशकगण

श्री आशीष उपाध्याय, भा.प्र.से.	:	संयुक्त सचिव कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
श्री आर. पी. श्रीवास्तव	:	निदेशक (का. एवं औ.सं.), सीआईएल

अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशकगण

श्री भारत भूषण गोयल	:	भूतपूर्व अतिरिक्त मुख्य सलाहकार (लागत) डी/ओ एक्सपेण्डिचर
श्री सुभाउ कश्यप	:	एम.बी.बी.एस.
श्रीमती जाजुला गौरी	:	अधिवक्ता
श्री शिव अरोड़ा	:	चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट
श्री हरबंस सिंह	:	भूतपूर्व निदेशक, जेनरल एपेक्स, जी. एस. आई.

स्थायी आमंत्रित गण

श्री सलिल कुमार झा	:	मुख्य संचालन प्रबंधक पूर्व मध्य रेलवे
श्री अबुबकर सिद्दिकी पी	:	सचिव (खान एवं भूगर्भ विभाग) झारखण्ड सरकार, राँची

कम्पनी सचिव

श्री रवि प्रकाश

वर्ष 2018–19 के दौरान प्रबंधन

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

श्री गोपाल सिंह	:	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (01.03.2012 से प्रभावी)

कार्यकारी निदेशकगण

श्री डी. के. घोष	:	निदेशक (वित्त) (06.07.2013 से 30.04.2019 तक)
श्री वी. के. श्रीवास्तव	:	निदेशक (तकनीकी) (15.05.2018 से प्रभावी)
श्री भोला सिंह	:	निदेशक (तकनीकी) (15.01.2019 से)
श्री आर. एस. महापात्र	:	निदेशक (कार्मिक) (08.06.2015 से प्रभावी)
श्री अवध किशोर मिश्रा	:	निदेशक (तकनीकी) (01.10.2016 से 30.11.2018 तक)

अंशकालिक निदेशकगण

श्री आशीष उपाध्याय, भा.प्र.से.	:	संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (05.02.2018 से प्रभावी)
श्री आर. पी. श्रीवास्तव	:	निदेशक, (का. एवं औ. सं.) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता (19.02.2018 से प्रभावी)

अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशकगण

श्री भारत भूषण गोयल	:	भूतपूर्व अतिरिक्त मुख्य सलाहकार (लागत) डी/ओ एक्सपेण्डिचर (14.11.2015 से प्रभावी)
श्री अशोक गुप्ता	:	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (14.11.2015 से 29.01.2019 तक)
श्री सुभाउ कश्यप	:	एमबीबीएस (13.12.2018 से प्रभावी)

स्थायी आमंत्रितगण

श्री एस. के. बर्णवाल	:	सचिव (खान एवं भूगर्भ विभाग) झारखण्ड सरकार, राँची (16.11.2016 से प्रभावी)
श्री सलिल कुमार झा		मुख्य संचालन प्रबंधक पूर्व मध्य रेलवे (24.05.2016 से प्रभावी)

कम्पनी सचिव	:	श्री रवि प्रकाश (13.07.2017 से प्रभावी)

बैंकर्स

इलाहाबाद बैंक
बैंक ऑफ बड़ोदा
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
कॉरपोरेशन बैंक
इंडियन ओवरसीज बैंक
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
सिंडिकेट बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

आन्ध्रा बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
केनरा बैंक
देना बैंक
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
पंजाब नेशनल बैंक
यूको बैंक
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

सांविधिक अंकेक्षक

मेसर्स के. सी. टाक एण्ड कं.
न्यू अनंतपुर
राँची, झारखंड

शाखा अंकेक्षक

मेसर्स वी. रोहतगी एण्ड कं.
प्रथम तल, सर्जना भवन, मेन रोड, राँची, झारखंड

मेसर्स एल. के. सर्राफ एण्ड कं.
राँची – 834001, झारखण्ड

मेसर्स एन. के. डी. एण्ड कं.
राँची – 834001, झारखण्ड

मेसर्स संजय बजोरिया एण्ड एसोसिएट्स
राँची – 834001, झारखण्ड

लागत अंकेक्षक

मेसर्स एस सी मोहन्ती एण्ड एसोसिएट्स
प्लॉट नं. : 370/186/2157
शक्ति भवन, टोयटा शोरूम के बगल में
पटिया, पो. : केआइआइटी, भुवनेश्वर – 751024

शाखा लागत अंकेक्षक

मेसर्स मनी एण्ड कम्पनी
अशोका बिल्डिंग,
111, सादर्न एवन्यू,
कोलकाता – 700029

मेसर्स के. बी. सक्सेना एण्ड एसोसिएट्स
तीसरा तल्ला, शगुन पैलेस सप्रु मार्ग,
हजरतगंज, लखनऊ – 226001

मेसर्स मुसीब एण्ड कम्पनी
नं. 204, गजराज मैंसन,
द्वितीय तल्ला, डायगोनल रोड,
बिस्टुपुर, जमशेदपुर, झारखण्ड

मेसर्स के. जी. गोयल एण्ड एसोसिएट्स
4ए, पॉकेट 2, मिक्स हाउसिंग, न्यू कोण्डली,
मयूर विहार – III, नई दिल्ली – 110096

सचिवीय अंकेक्षक

मेसर्स कान्त सनत एण्ड एसोसिएट्स
प्रथम तल, रघुनन्दन साहु भवन, ड्यूरियन फर्नीचर के बगल में,
अरगोडा–कडरू रोड, अशोक नगर के सामने, राँची – 834002

पंजीकृत कार्यालय

दरभंगा हाउस
राँची 834 029
(झारखण्ड)

सूचना

सं.: सचिव/3(4)/AGM-63/2019/622 दिनांक : 03.08.2019

63वीं वार्षिक आम बैठक

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों की 63वीं आम बैठक दिन सोमवार, 5 अगस्त, 2019 को 11.30 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय दरभंगा हाउस, राँची–834029 में निम्नलिखित व्यवसायों के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगीः

क. सामान्य व्यवसाय :

1. विचारार्थ एवं अंगीकरण हेतु :

   अ. कम्पनी की 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष की अंकेक्षित वित्तीय विवरणी सहित 31 मार्च, 2019 तक अंकेक्षित तुलन–पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु लाभ–हानि लेखा, सभी टिप्पणियों सहित नकदी प्रवाह विवरणी, वित्तीय विवरणी पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ तथा वर्ष 2018–19 के लिए महत्वपूर्ण लेखा–नीतियाँ, सांविधिक अंकेक्षक का प्रतिवेदन तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन तथा निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन।

   ब. कम्पनी की 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष की अंकेक्षित समेकित वित्तीय विवरणी सहित 31 मार्च, 2019 तक अंकेक्षित तुलन–पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु लाभ–हानि लेखा, सभी टिप्पणियों सहित नकदी प्रवाह विवरणी, वित्तीय विवरणी पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ तथा वर्ष 2018–19 के लिए महत्वपूर्ण लेखा–नीतियाँ, सांविधिक अंकेक्षक का प्रतिवेदन तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन तथा निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन।

2. वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु कम्पनी के इक्विटी शेयरों पर दो अंतरिम लाभांशों के किए गए भुगतान को अन्तिम भुगतान के रूप में सुनिश्चित करना।

3. श्री वी. के. श्रीवास्तव (डीआईएन–8155817), पूर्णकालीक निदेशक जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 152 (6) के तहत नियमित आवर्तन द्वारा सेवानिवृत होते हैं, के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना तथा योग्य होने के आधार पर स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं।

4. श्री आर. एस. महापात्र (डीआईएन–07248972), पूर्णकालिक निदेशक जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 152 (6) के तहत नियमित आवर्तन द्वारा सेवानिवृत होते हैं, के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना तथा योग्य होने के आधार पर स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं।

ख. विशेष व्यवसाय :

5. कोयला मंत्रालय के दिनांक 17.11.2018 के आदेशानुसार, स्वतंत्र निदेशक के तौर पर द्वितीय कार्यकाल हेतु श्री भारत भूषण गोयल (डीआईएन : 07254856) की पुनः नियुक्ति की पुष्टि, जो कि 17.11.2018 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश के आने तक, इनमें से जो भी पहले हो।

   विचार किया जाए, और यदि उपयुक्त हो तो, निम्नलिखित प्रस्तावों को विशेष संकल्प के रूप में पारित किया जाएः

   ''संकल्प किया कि कंपनी अधिनियम, 2013 (तत्पश्चात 'अधिनियम' के रूप में निर्दिष्ट) के सेक्शन 149 एवं 152 के प्रावधान एवं अन्य लागू प्रावधान सहित उक्त के अन्तर्गत बनाये गये नियम जिसे अधिनियम की अनुसूची–IV के साथ पढ़ा जाता है एवं सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताओं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के यथोचित प्रावधानों (वैधानिक संसोधन(नों) एवं तत्कालीन अवधि में पुनर्लागू नियम(मों) सहित) के अधीन, स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री भारत भूषण गोयल (डीआईएन 07254856) की नियुक्ति, कोयला मंत्रालय के दिनांक 17.11.2018 के आदेशानुसार, दूसरे कार्यकाल के लिए 17.11.2018 से एक वर्ष की अवधि हेतु या अगले आदेश के आने तक, जो भी पहले हो, का एतद् द्वारा पुष्टि की जाती है।''

   ''आगे संकल्प किया जाए कि सेक्शन 149, 197 के प्रावधान एवं अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों के अन्तर्गत विनिर्मित नियमों के अनुसरण में, श्री भारत भूषण गोयल (डीआईएन 07254856) को बोर्ड या समिति की बैठक में शामिल होने हेतु सीटिंग फीस का भुगतान, सीआईएल द्वारा अनुमोदित एवं निर्धारित सीमा या समय–समय पर सीमा निर्धारण या अनुमोदन के अनुसार किया जाएगा।

6. कोयला मंत्रालय के दिनांक 17.11.2018 के आदेश पर आधारित श्री अशोक गुप्ता (डीआईएन : 03266416) की स्वतंत्र निदेशक के तौर पर पुनः नियुक्ति दूसरे कार्यकाल के लिए, 17.11.2018 से एक साल के लिए या अगले आदेश के आने तक जो भी पहले हो की पुष्टि करें।

   विचार किया जाए, और उपयुक्त माना गया, निम्नलिखित प्रस्तावों को विशेष संकल्प के रूप में पारित की जाएः

''संकल्प किया कि कंपनी अधिनियम, 2013 (तत्पश्चात 'अधिनियम' के रूप में निर्दिष्ट) के सेक्शन 149 एवं 152 के प्रावधान एवं अन्य लागू प्रावधान सहित उक्त के अन्तर्गत बनाये गये नियम जिसे अधिनियम की अनुसूची–IV के साथ पढ़ा जाता है एवं सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताओं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के यथोचित प्रावधानों (वैधानिक संसोधन(नों) एवं तत्कालीन अवधि में पुनर्लागू नियम(मों) सहित) के अधीन, स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री अशोक गुप्ता (डीआईएन 03266416) की नियुक्ति, कोयला मंत्रालय के दिनांक 17.11.2018 के आदेशानुसार, दूसरे कार्यकाल के लिए 17.11.2018 से एक वर्ष की अवधि हेतु या अगले आदेश के आने तक, जो भी पहले हो, का एतद् द्वारा पुष्टि की जाती है।''

''आगे संकल्प किया जाए कि सेक्शन 149, 197 के प्रावधान एवं अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों के अन्तर्गत विनिर्मित नियमों के अनुसरण में, श्री अशोक गुप्ता (डीआईएन 03266416) को बोर्ड या समिति की बैठक में शामिल होने हेतु सीटिंग फीस का भुगतान, सीआईएल द्वारा अनुमोदित एवं निर्धारित सीमा या समय–समय पर सीमा निर्धारण या अनुमोदन के अनुसार किया जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

हस्/–
(रवि प्रकाश)
कम्पनी सचिव

वार्षिक आम बैठक का स्थल : पंजीकृत कार्यालय

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस
राँची 834 029
(झारखंड)
सीआईएन सं. : U10200JH1956GOI000581

टिप्पणी :

1. शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे कम्पनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 101 (1) के प्रावधान के अनुसरण में अल्प अवधि पर बुलाये गये वार्षिक आम बैठक के लिये अपनी सहमति लिखित रूप से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा दें।
2. कोई भी सदस्य, जो आम वार्षिक बैठक में भाग लेने या वोट देने के हकदार हैं, वे अपने बदले में भाग लेने और वोट देने के लिए प्रतिपत्री (प्रॉक्सी) नियुक्त कर सकते हैं तथा प्रतिपत्री का कम्पनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है।
3. निगमित सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम की धारा 113 के अनुसार, अपने प्रतिनिधि को वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत करते हुए बोर्ड संकल्प की विधिवत प्रमाणित प्रति को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर भेजें।
4. जैसा कि उपर वर्णित है, विशेष व्यवसाय के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार प्रासंगिक कथन अनुलग्न किए गए हैं।
5. सूचना में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज एवं अन्य अनिवार्य रजिस्टरों/दस्तावेजों के साथ अनुलग्नक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में 63वें वार्षिक आम बैठक के पूर्व सभी कार्य दिवसों पर व्यवसायिक अवधि के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।
6. कम्पनी अधिनियम, 2013 की सेक्शन 171(बी) एवं 189(4) के प्रावधानों के अनुसरण में, कम्पनी के प्रत्येक वार्षिक आम बैठक के दौरान आवश्यक पंजिका को निरीक्षण हेतु खुला रखा जाता है, जो कि बैठक में भाग लेने का अधिकार रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बैठक के दौरान उपलब्ध रहेगा।

सेवा में,

क. कोल इंडिया लिमिटेड (अध्यक्ष, सीआईएल द्वारा), कोलकाता

ख. श्री अनिल कुमार झा, अध्यक्ष, सीआईएल, कोलकाता

ग. श्री आर. पी. श्रीवास्तव, निदेशक (का. एवं औ. सं.), सीआईएल, कोलकाता

घ. श्री गोपाल सिंह, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, सीसीएल, राँची

ङ.. श्री सुभाउ कश्यप, अध्यक्ष, अंकेक्षण समिति, सीसीएल

च. मेसर्स के. सी. टाक एण्ड कंपनी, राँची, सांविधिक अंकेक्षक

छ. मेसर्स एस. सी. मोहन्ती एण्ड एसोसिएट्स, भुवनेश्वर, प्रधान लागत अंकेक्षक

ज. मेसर्स कान्त सनत एण्ड एसोसिएट्स, राँची, सचिवीय अंकेक्षक

झ. सभी निदेशकगण

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की वार्षिक आम बैठक के लिए नोटिस

कंपनियों के अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) और सेबी के विनियमन 36 (3) के अनुसरण में बयान

(सूचीकरण दायित्व और अस्वीकरण की आवश्यकताएं) विनियम, 2015

स्वतंत्र निदेशकों की पुनः नियुक्ति की पुष्टि से संबंधित – मद सं. 5 और 6

दिनांक 17.11.2018 के पत्र सं. 21/33/2018–बीए (vi) के द्वारा कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने श्री भारत भूषण गोयल (डीआईएन : 07254856) एवं श्री अशोक गुप्ता (डीआईएन : 03266416), की सीसीएल बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनः नियुक्ति 17.11.2018 से 1 वर्ष की अवधि तक या अगले आदेश आने तक जो भी पहले हो पर माननीय राष्ट्रपति जी की स्वीकृति दी है।

अधिनियम के धारा 149(10) एवं (11) के अनुसार, 1 स्वतंत्र निदेशक की पुनर्नियुक्ति के लिए तभी उतीर्ण होंगे जब कम्पनी द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित हो एवं ऐसी नियुक्ति का प्रकटीकरण बोर्ड के रिपोर्ट में हो। उपर्युक्त निदेशकगण अधिनियम के धारा 149 (6) एवं सेबी के विनियम 16 (सूचीबद्ध बाध्यताओं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के स्वतंत्र निदेशक के आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसलिए इन स्वतंत्र निदेशकों की कम्पनी बोर्ड में कोयला मंत्रालय द्वारा पुनर्नियुक्ति पर शेयरधारकों द्वारा एक सामान्य बैठक के पारित विशेष प्रस्ताव एवं बोर्ड के रिपोर्ट में प्रकटीकरण पर पुष्टि की जानी आवश्यक है।

उक्त निदेशकों ने निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए सहमति व्यक्त की है और पुष्टि की है कि उन्हें निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अर्योग्य नहीं ठहराया गया है एवं स्वतंत्रता की घोषणा प्रस्तुत की गई है।

कम्पनी के किसी भी निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों या उनके रिश्तेदारों में से कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक रूप से या अन्यथा, इन प्रस्तावों में, चिंतित या इच्छुक नहीं है। बोर्ड ने शेयरधारकों द्वारा उसकी पुष्टि के लिए पुर्वोक्त पुनः नियुक्तियों का उल्लेख किया है एवं उन्हें विशेष प्रस्तावों के द्वारा आम बैठक में पारित किया गया है।

1. भारत भूषण गोयल (डीआईएन: 07254856)

संक्षिप्त विवरण:

श्री भारत भूषण गोयल, (64 साल) एक भूतपूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो 30 जून, 2015 को अतिरिक्त मुख्य सलाहकार (कॉस्ट), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और इंडियन कॉस्ट अकाउंट्स सर्विस के प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए। इन्होंने कॉमर्स में स्नातक एवं अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि ली है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य और एआईएमए और डीएमए के आजीवन सदस्य हैं। इन्होंने स्ट्रेथक्लिड विश्वविद्यालय, यू. के., इन्टरनेशनल लॉ इंस्टीट्यूट, यूएसए और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, बैंगलोर से विशेष प्रशिक्षण लिया है। इनके पास भारत सरकार और कॉरपोरेट सेक्टर में लगभग 41 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव है। भारत सरकार में इन्होंने विभिन्न मंत्रालय/विभागों में विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया है जिसमें वित्त, कॉरपोरेट अफेयर्स, उद्योग, रसायन एवं खाद्य इत्यादि प्रमुख हैं।

ये कई उच्च स्तरीय राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्था/कमिटी के अध्यक्ष/सदस्य रह चुके हैं और कई कंपनियों, संस्थाओं और स्वायत्त संगठनों के बोर्ड सदस्य रहें जहाँ इन्होंने मूल्यवान योगदान दिया।

इन्होंने विभिन्न समसामायिकी विषयों पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय फोरम पर पेपर/वक्तव्य दिये हैं। ये कई शीर्षस्थ बी–स्कूलों, व्यवसायिक संस्थाओं, अकादमिक संस्थाओं, शोध संस्थाओं और कॉरपोरेट जगत के साथ प्राध्यापक/विशेषज्ञ के रूप में जुड़े रहे हैं।

विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता की प्रकृति : इनके पास पब्लिक पॉलिसी, वित्तीय प्रबंधन, कॉरपोरेट मूल्यांकन, विनिवेश, लागत–लाभ विश्लेषण, व्यवसाय पुनर्गठन, प्रभावी नियामक परिदृश्य, लागत प्रबंधन, उत्पादक मूल्य निर्धारण, जोखिम आधारित अंकेक्षण, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व आदि वृहद क्षेत्रों में व्यवसायिक विशेषज्ञता है।

इनके निदेशकीय/समिति पद निम्नलिखित हैं:

प्रमुख निदेशकीय पद

1. सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
2. रामागुन्डम फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड

समिति अध्यक्षता :

1. सीसीएल बोर्ड की सीएसआर समिति
2. सीसीएल बोर्ड की मानव संसाधन समिति

समिति सदस्यता:

1. सीसीएल बोर्ड की अंकेक्षण समिति
2. सीसीएल बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति

2. अशोक गुप्ता (डीआईएन: 07254856)

संक्षिप्त विवरण:

श्री अशोक गुप्ता (62 साल) ने 1977 में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ऑनर्स के साथ वाणिज्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। श्री गुप्ता ने 1980 में सीए की परीक्षा में राष्ट्रीय मेधा सूची में चौथा स्थान प्राप्त कर सफलता पाई और इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो मेम्बर बने। सीए अशोक गुप्ता के पास कर–निर्धारण, अंकेक्षण, लेखांकन, वित्त, बैंकिंग, कानून शिक्षा तथा रणनीतिक योजना व व्यवसाय प्रबंधन के क्षेत्रों में 35 वर्षों के कार्य का व्यापक अनुभव प्राप्त है। श्री अशोक गुप्ता ने अपने कैरियर की शुरूआत अशोक प्रवीण एण्ड कं. चार्टर्ड अकाउंटेंटस में प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल के रूप में 1981 से की और अब तक जुड़े हैं। ये कई बैंकों एवं बीमा कंपनियों में सांविधिक अंकेक्षक हैं। श्री गुप्ता, इंडियन बैंक के अप्रशासकीय निदेशक एवं सरकारी नामित के तौर पर विजया बैंक में थे। श्री गुप्ता ने विशेष निदेशक (बीआईएफआर नामित) के रूप में सीआईएमएमसीओ लिमिटेड और एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड को अपनी सेवा दी है।

सीसीएल में उनके निदेशक पद निम्नलिखित हैः

श्री अशोक गुप्ता जी ने सीसीएल के गैर आधिकारिक अंशकालिक निदेशक पद से 29.01.2019 को त्याग पत्र दिया। श्री अशोक गुप्ता गैर आधिकारिक अंशकालिक निदेशक के त्याग पत्र को सीसीएल मंडल के 1 एवं 2 फरवरी 2019 को बुलाई गई 469वें मंडल बैठक में रखा गया जहां कि मंडल ने उनके त्याग पत्र को स्वीकृति दे दी। आगे, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 10.04.2019 के पत्र संख्या 21/33/2018–बीए के माध्यम से श्री अशोक गुप्ता जी के सीसीएल मंडल से गैर आधिकारिक अंशकालिक निदेशक पद के त्याग पत्र पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन को सूचित किया जो 29.01.2019 से लागू हुआ।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह./–
(रवि प्रकाश)
कम्पनी सचिव

वार्षिक आम बैठक का स्थल : पंजीकृत कार्यालय

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस
राँची 834 029
(झारखंड)
सीआईएन सं. : U10200JH1956GOI000581

संचालनात्मक आंकड़े

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
1. (क) कच्चे कोयले का उत्पादन (मि. टन)								
भूमिगत	0.315	0.405	0.74	0.85	0.84	0.96	1.02	1.09
खुली खदान	68.407	63.000	66.31	60.47	54.81	49.06	47.04	46.91
योग	68.722	63.405	67.05	61.32	55.65	50.02	48.06	48.00
(ख) ओवर बर्डेन निष्कासन (मिलियन घन मीटर)	100.490	95.622	102.63	106.78	97.38	59.02	63.31	65.68
2. ढुलाई (कच्चा कोयला) (मिलियन टन)								
स्टील	0.00	0.00	0.03	0.34	0.65	0.32	1.07	4.04
बिजली	45.37	42.22	37.24	33.52	33.41	32.10	31.56	33.68
सीमेंट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
उर्वरक	0.09	0.15	0.22	0.24	0.24	0.27	0.64	0.95
अन्य	13.80	15.73	10.83	12.40	10.23	9.00	8.98	9.25
वाशरी को कोल आपूर्ति	9.19	9.41	12.61	13.09	10.81	10.43	10.63	0.00
कोलियरी खपत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
योग	68.45	67.51	60.93	59.59	55.34	52.12	52.89	48.04
3. औसत श्रमशक्ति	39919	41467	42919	44346	45849	47406	49076	51156
4. उत्पादकता :								
(क) प्रति व्यक्ति/प्रति वर्ष औसत (टन)	1721.54	1529.05	1562.25	1382.76	1213.81	1055.14	979.30	938.32
(ख) प्रति मानव पाली उत्पादन (ओएमएस) :								
(i) भूमिगत (टन)	0.214	0.194	0.29	0.32	0.29	0.33	0.33	0.32
(ii) खुली खदान (टन)	9.740	9.372	9.81	8.91	7.56	6.26	6.09	5.79
(iii) समग्र (टन)	8.093	7.195	7.23	6.51	5.46	4.64	4.42	4.19
5. लागत रिपोर्ट के अनुसार सूचना								
(i) प्रति मानव पाली अर्जन (₹)	3794.70	3344.68	2985.56	2651.86	2507.87	2377.57	2174.95	1862.96
(ii) निबल/शुद्ध बिक्री योग्य कोयले के उत्पादन का औसत मूल्य (₹ प्रति टन)	1125.09	1285.33	1048.85	1045.84	1099.43	1079.17	1020.42	1038.67
(iii) निबल/शुद्ध बिक्री योग्य कोयले का उत्पादन का औसत बिक्री मूल्य (₹ प्रति टन)	1497.68	1369.23	1414.25	1490.72	1435.90	1414.86	1423.22	1258.70

वित्तीय स्थिति (स्टैण्डअलोन)

वित्तीय स्थिति

भारतीय लेखा मानक के अनुसार

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	31 मार्च को समाप्त वर्ष विवरण	2019	2018 (पुनर्लिखित)	2017 (पुनर्लिखित)	2016 (पुनर्लिखित)
	परिसंपत्ति				
ए.	गैर–चालू परिसंपत्तियाँ				
	(ए) संपत्ति, उपकरण एवं संयंत्र	2,496.09	2,421.09	2,426.40	2,541.98
	(बी) प्रगतिशील पूँजी कार्य	2,355.18	1,640.62	1,141.23	303.40
	(सी) आस्तियों का मूल्यांकन एवं अन्वेषण	405.43	260.67	237.16	201.14
	(डी) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियाँ	5.74	2.16	3.59	5.25
	(ई) वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
	(i) निवेश	32.00	32.00	32.00	—
	(ii) ऋण	0.66	0.47	0.59	0.92
	(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	1,467.73	1,534.00	723.05	1,533.01
	(एफ) आस्थगित कर परिसंपत्ति (निबल)	1,039.09	1,047.58	771.88	725.03
	(जी) अन्य गैर–चालू परिसंपत्ति	1,123.94	1,679.39	1,269.85	119.38
	कुल गैर–चालू परिसंपत्ति (ए)	**8,925.86**	**8,617.98**	**6,605.75**	**5,430.11**
बी.	चालू परिसंपत्तियाँ				
	(ए) भंडारसूची	1,353.66	1,349.23	2,096.26	1,491.26
	(बी) वित्तीय परिसंपत्ति				
	(i) निवेश	52.56	—	—	—
	(ii) व्यापार प्राप्य	1,095.13	1,121.00	1,673.79	1,359.93
	(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	244.55	161.98	325.07	1,968.58
	(iv) अन्य बैंक शेष	841.51	1,194.23	1,349.08	2,090.19
	(v) ऋण	—	—	—	—
	(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	628.38	537.60	367.89	383.26
	(सी) चालू कर परिसंपत्ति (निबल)	—	—	—	—
	(डी) अन्य चालू परिसंपत्ति	2,575.01	2,093.56	1,525.93	1,258.73
	कुल चालू परिसंपत्ति (बी)	**6,790.80**	**6,457.60**	**7,338.02**	**8,551.95**
	कुल परिसंपत्ति (ए + बी)	**15,716.66**	**15,075.58**	**13,943.77**	**13,982.06**
	इक्विटी और देयता				
ए.	इक्विटी				
	(1) निर्गत, अभिदत्त एवं पेड–अप इक्विटी शेयर पूँजी				
	(2) पूँजी प्रतिदान शेष	940.00	940.00	940.00	940.00
	पुनर्लिखित प्रारंभिक शेष				
	इक्विटी शेयर की वापसी खरीद	—	—	—	—
	जारी बोनस शेयर	—	—	—	—
	अंतिम शेष	—	—	—	—
	(3) पूंजीगत संचय	—	—	—	—
	(4) सामान्य संचय				
	पुनर्लिखित प्रारंभिक शेष	2,068.48	2,029.00	1,958.94	1,863.20
	सामान्य संचय से / को अंतरण	85.22	39.48	70.06	95.74
	इक्विटी शेयर की वापसी खरीद	—	—	—	—
	जारी बोनस शेयर	—	—	—	—
	अंतिम शेष	2,153.70	2,068.48	2,029.00	1,958.94

संचालनात्मक आँकड़े (स्टैण्डअलोन)

वित्तीय स्थिति

भारतीय लेखा मानक के अनुसार (जारी...)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	31 मार्च को समाप्त वर्ष विवरण	2019	2018 (पुनर्लिखित)	2017 (पुनर्लिखित)	2016 (पुनर्लिखित)
	(5) प्रतिधारित उपार्जन				
	पुनर्लिखित प्रारंभिक शेष	653.43	215.71	3,272.50	3,505.07
	समायोजन	—	308.64	—	—
	वर्ष के लिए लाभ	1,704.47	807.78	1,387.11	1,923.38
	विनियोजन :				
	सामान्य संचय से/को अंतरण	(85.22)	(39.48)	(70.06)	(95.74)
	अन्य संचयों में अंतरण	—	—	—	—
	अंतरिम लाभांश	(297.04)	(531.10)	(3,634.04)	(1,711.74)
	अंतिम लाभांश	—	—	—	—
	निगमित लाभांश कर	(61.06)	(108.12)	(739.80)	(348.47)
	वापसी खरीद पर कर	—	—	—	—
	जारी बोनस शेयर	—	—	—	—
	अंतिम शेष	**1,914.58**	**653.43**	**215.71**	**3,272.50**
	(6) अन्य विस्तृत आय				
	पुनर्लिखित प्रारंभिक शेष	154.13	52.39	40.66	—
	परिभााषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (निबल कर)	(19.69)	101.74	11.73	40.66
	अंतिम शेष	**134.44**	**154.13**	**52.39**	**40.66**
	(7) अन्य इक्विटी	**4,202.72**	**2,876.04**	**2,297.10**	**5,272.10**
	(8) कंपनी के इक्विटी धारकों को आरोप्य इक्विटी	**5,142.72**	**3,816.04**	**3,237.10**	**6,212.10**
	(9) गैर नियंत्रित ब्याज	—	—	—	—
	(10) कुल इक्विटी	**5,142.72**	**3,816.04**	**3,237.10**	**6,212.10**
	देयता				
बी.	गैर–चालू देयताएं				
	(ए) वित्तीय देयताएं				
	(i) उधारी	—	—	1,200.00	—
	(ii) व्यापार देयताएं	—	—	—	—
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	70.61	60.09	60.20	49.05
	(बी) प्रावधान	3,411.37	3,324.05	2,305.81	2,344.82
	(सी) आस्थगित कर देयताएं (निबल)	—	—	—	—
	(डी) अन्य गैर–चालू देयताएं	540.84	438.46	183.83	165.43
	कुल गैर–चालू देयताएं (बी)	**4,022.82**	**3,822.60**	**3,749.84**	**2,559.30**
सी.	चालू देयताएं				
	(ए) वित्तीय देयताएं				
	(i) उधारी	—	150.00	1,103.78	929.00
	(ii) व्यापार देयताएं	484.15	487.01	416.34	507.68
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	502.75	367.64	834.99	173.50
	(बी) अन्य चालू देयताएं	4,556.45	4,903.02	2,722.84	2,132.51
	(सी) प्रावधान	1,007.77	1,529.27	1,878.88	1,467.97
	कुल चालू देयताएं (सी)	**6,551.12**	**7,436.94**	**6,956.83**	**5,210.66**
	कुल इक्विटी एवं देयताएं (ए + बी + सी)	**15,716.66**	**15,075.58**	**13,943.77**	**13,982.06**

संचालनात्मक आँकड़े (स्टैण्डअलोन)

आय एवं व्यय का विवरण
भारतीय लेखा मानक के अनुसार

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च को समाप्त वर्ष	2019	2018 (पुनर्लिखित)	2017 (पुनर्लिखित)	2016 (पुनर्लिखित)
ए.	से आय				
1.	सकल विक्रय (कोयला)	16343.92	15,728.80	14,899.71	13,658.81
	घटाव : एक्साइज ड्यूटी एवं अन्य लेवियां	5069.93	4,910.91	4,470.83	3,106.59
2.	निबल विक्रय	11,273.99	10,817.89	10,428.88	10,552.22
3. (i)	कोयला आयात हेतु सुकरीकरण चार्ज	—	—	—	—
(ii)	बालू भराई एवं संरक्षी कार्य हेतु सब्सिडी	—	1.05	1.42	0.49
(iii)	परिवहन और लदाई लागत की वसूली (एक्साइज ड्यूटी का निबल)	562.51	428.62	344.52	280.65
(iv)	निकासी सुकरीकरण चार्ज (लेवियों का निबल)	343.40	102.55	—	—
(v)	सेवाओं से आमदनी (लेवियों का निबल)	—	—	—	—
3.	अन्य संचालन आय (एक्साइज ड्यूटी का निबल)	905.91	532.22	345.94	281.14
4. (i)	निवेश एवं जमा का ब्याज	115.29	264.81	258.78	332.00
(ii)	म्युचुअल फंडों से लाभांश	4.92	10.59	23.25	31.38
(iii)	अन्य गैर–संचालन आय	192.82	233.56	279.44	101.71
4.	अन्य आय	313.03	508.96	561.47	465.09
	कुल (ए)	**12,492.93**	**11,859.07**	**11,336.29**	**11,298.45**
बी.	के लिए प्रदत्त/प्रावधानित				
1. (i)	वेतन, मजदूरी, भत्ता, बोनस आदि	3,755.20	3,754.14	3,442.45	3,133.76
(ii)	पीएफ तथा अन्य फंड में योगदान	699.23	448.80	383.91	376.39
(iii)	ग्रेच्युटी	246.45	1,014.03	161.84	158.84
(iv)	अवकाश नकदीकरण	193.60	66.38	202.39	106.23
(v)	अन्य	234.38	195.20	211.14	234.70
1.	कर्मचारी लाभ व्यय	5,128.86	5,478.55	4,401.73	4,009.92
2.	उपभुक्त सामान की लागत	796.28	715.02	799.50	807.63
3.	तैयार माल भंडार में बदलाव/प्रगतिशील कार्य और व्यापारगत भंडार	(23.44)	512.66	(612.61)	(135.99)
4.	बिजली एवं ईंधन	231.02	277.35	290.92	294.40
5.	सामाजिक निगमित उत्तरदायित्व में व्यय	41.14	37.90	30.29	212.90
6.	मरम्मती	374.57	326.69	205.39	233.38
7.	संविदात्मक व्यय	1,322.13	1,294.38	1,320.99	1,158.07
8.	वित्त लागत				
	छूट का अनवाईनडिंग	69.53	67.21	68.11	64.88
	अन्य वित्त लागत	5.72	103.60	3.77	12.38
9.	मूल्यह्रास/अमूर्तिकरण/क्षति	344.28	351.52	372.63	400.58
10.	स्ट्रिपिंग कार्य समायोजन	347.60	284.51	91.03	(225.83)
11.	प्रावधान एवं राइट ऑफ	93.95	1.73	471.50	280.72
12.	अन्य व्यय	1,069.09	1,020.46	1,521.74	1,082.82
	कुल (बी)	**9,800.73**	**10,471.58**	**8,964.99**	**8,195.86**
13.	कर एवं अपवादात्मक वस्तु के पूर्व लाभ (ए – बी)	**2,692.20**	**1,387.49**	**2,371.30**	**3,102.59**
14.	अपवादात्मक वस्तु	—	—	—	—
15.	कर पूर्व लाभ	**2,692.20**	**1,387.49**	**2,371.30**	**3,102.59**
16.	घटाव : कर व्यय	987.73	579.71	984.19	1,179.21
17.	वर्ष के लिए चालू ऑपरेशनों से लाभ	**1,704.47**	**807.78**	**1,387.11**	**1,923.38**
18.	समाप्त संचालनों से लाभ/(हानि) (कर पश्चात)	—	—	—	—
19.	संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों के लाभ/(हानि) में अंश	—	—	—	—
20.	वर्ष के लिए लाभ	**1,704.47**	**807.78**	**1,387.11**	**1,923.38**
21.	अन्य विस्तृत आय				
	ए. (i) लाभ या हानि हेतु पुनःवर्गीकृत नहीं किए जाने वाली वस्तुएं	(30.27)	155.59	20.05	65.49
	(ii) लाभ या हानि हेतु पुनःवर्गीकृत नहीं किए जाने वाले वस्तुओं पर आय कर	(10.58)	53.85	8.32	24.83
	बी. (i) लाभ या हानि हेतु पुनःवर्गीकृत नहीं किए जाने वाली वस्तुएं	—	—	—	—
	(ii) लाभ या हानि हेतु पुनःवर्गीकृत नहीं किए जाने वाले वस्तुओं पर आय कर	—	—	—	—
22.	**अन्य कुल विस्तृत आय**	**(19.69)**	**101.74**	**11.73**	**40.66**
	वर्ष हेतु कुल विस्तृत आय (लाभ/(हानि) एवं वर्ष के अन्य विस्तृत आय सहित)	**1,684.78**	**909.52**	**1,398.84**	**1,964.04**
23.	आरोप्य लाभ :				
	कंपनी के स्वामी	1,704.47	807.78	1,387.11	1,923.38
	गैर नियंत्रण ब्याज	—	—	—	—
		1,704.47	**807.78**	**1,387.11**	**1,923.38**
24.	अन्य आरोप्य विस्तृत आय				
	कंपनी के स्वामी	(19.69)	101.74	11.73	40.66
	गैर नियंत्रण ब्याज	—	—	—	—
		(19.69)	**101.74**	**11.73**	**40.66**
25.	कुल आरोप्य विस्तृत आय :				
	कंपनी के स्वामी	1,684.78	909.52	1,398.84	1,964.04
	गैर नियंत्रण ब्याज	—	—	—	—
		1,684.78	**909.52**	**1,398.84**	**1,964.04**

संचालनात्मक आँकड़े (स्टैण्डअलोन)

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचना

भारतीय लेखा मानक के अनुसार

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	31 मार्च को समाप्त वर्ष	2019	2018 (पुनर्लिखित)	2017 (पुनर्लिखित)	2016 (पुनर्लिखित)
(ए)	परिसंपत्तियों एवं देयताओं से संबंधित				
(1)	(i) ₹ 1000/- प्रत्येक के इक्विटी शेयरों की संख्या	9400000	9400000	9400000	9400000
	(ii) शेयरधारकों की निधि				
	(ए) इक्विटी शेयर पूंजी	940.00	940.00	940.00	940.00
	(बी) आरक्षित (सामान्य एवं सांविधिक)	2153.70	2068.48	2029.00	1958.94
	(सी) संचित लाभ/हानि	2049.02	807.56	268.10	3313.16
	निबल संपत्ति	**5142.72**	**3816.04**	**3237.10**	**6212.10**
	(डी) पूँजीगत शेष	—	—	—	—
	शेयरधारकों की निधि	**5142.72**	**3816.04**	**3237.10**	**6212.10**
(2)	(i) चालू परिपक्वता सहित दीर्घकालिक उधारी	—	—	1500.00	—
	(ii) चालू परिपक्वता छोड़ सकल उधारी	—	—	1200.00	—
(3)	(i) सकल संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	3960.35	3531.70	3190.10	2940.32
	(ii) संचित मूल्यह्रास/क्षति	1464.26	1110.61	763.70	398.34
	(iii) निबल संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	2496.09	2421.09	2426.40	2541.98
(4)	(i) चालू परिसंपत्ति	6790.80	6457.60	7338.02	8551.95
	(ii) चालू देयताएं	6551.12	7436.94	6956.83	5210.66
	(iii) निबल चालू परिसंपत्तियाँ/कार्यशील पूँजी	**239.68**	**(979.34)**	**381.19**	**3341.29**
(5)	(i) नियोजित पूँजी **(3 (iii) + 4 (iii))**	**2735.77**	**1441.75**	**2807.59**	**5883.27**
	(ii) निबल पूँजीगत डब्ल्यूआईपी एवं विकास अंतर्गत अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति	2766.35	1903.45	1381.98	509.79
	(iii) सीडब्ल्यूआईपी सहित नियोजित पूँजी **(5 (i) + 5 (ii))**	**5502.12**	**3345.20**	**4189.57**	**6393.06**
(6)	(i) व्यापार प्राप्य	1095.13	1121.00	1673.79	1359.93
	(ii) नकद एवं नकद समतुल्य	244.55	161.98	325.07	1968.58
	(iii) अन्य बैंक जमा	841.51	1194.23	1349.08	2090.19
(7)	(i) कोयले का अंत स्टॉक (निबल)	1229.85	1206.37	1925.17	1313.62
	(ii) भंडार एवं कलपुर्जों का अंत स्टॉक (निबल)	119.15	137.92	164.78	172.54
	(iii) अन्य अंत स्टॉक (निबल)	4.66	4.94	6.31	5.10
(बी)	लाभ/हानि संबद्ध				
(1)	(i) सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	3111.73	1909.82	2815.81	3580.43
	(ii) सकल लाभ (पीबीआईटी)	2767.45	1558.30	2443.18	3179.85
	(iii) कर पूर्व लाभ	2692.20	1387.49	2371.30	3102.59
	(iv) वर्ष के लिए कर के पश्चात लाभ	1704.47	807.78	1387.11	1923.38
	(v) निबल लाभ (कर एवं लाभांश पश्चात)	1407.43	276.68	(2246.93)	211.64
	(vi) कुल विस्तृत आय	1684.78	909.52	1398.84	1964.04
(2)	(i) कोयले का सकल विक्रय	16343.92	15728.80	14899.71	13658.81
	(ii) निबल विक्रय	11273.99	10817.89	10428.88	10552.22
	(iii) उत्पादन का विक्रय मूल्य	11297.43	10305.23	11041.49	10688.21
(3)	बेचे गए सामान का मूल्य (निबल विक्रय – पीबीटी)	8581.79	9430.40	8057.58	7449.63
(4)	कुल व्यय	9800.73	10471.58	8964.99	8195.86
	(i) कर्मचारी लाभ व्यय	5128.86	5478.55	4401.73	4009.92
	(ii) उपभुक्त सामान की लागत	796.28	715.02	799.50	807.63
	(iii) बिजली एवं ईंधन	231.02	277.35	290.92	294.40
	(iv) वित्तीय व्यय एवं मूल्यह्रास	419.53	522.33	444.51	477.84
(5)	प्रतिमाह भंडार एवं कलपुर्जों की औसत खपत	66.36	59.59	66.63	67.30
(6)	(i) वर्ष के दौरान नियोजित औसत श्रमशक्ति	40000	41467	42919	44346
	(ii) सीएसआर व्यय	41.14	37.90	30.29	212.90
	(iii) प्रति कर्मचारी सीएसआर व्यय (₹ '000)	10.29	9.14	7.06	48.01
(7)	अभिवृद्धित मूल्य	10270.13	9312.86	9951.07	9586.18
	(i) प्रति कर्मचारी अभिवृद्धित मूल्य (₹ '000)	2567.56	2245.88	2318.60	2161.68

संचालनात्मक आँकड़े (स्टैण्डअलोन)

महत्वपूर्ण वित्तीय सापेक्षिक अनुपात

भारतीय लेखा मानक के अनुसार

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	31 मार्च को समाप्त वर्ष	2019	2018 (पुनर्लिखित)	2017 (पुनर्लिखित)	2016 (पुनर्लिखित)
ए.	लाभकारिता अनुपात				
1.	% के रूप में निबल विक्रय				
	(i) सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	27.60	17.65	27.00	33.93
	(ii) सकल लाभ (पीबीआईटी)	24.55	14.40	23.43	30.13
	(iii) कर पूर्व लाभ	23.88	12.83	22.74	29.40
2.	% के रूप में कुल व्यय				
	(i) कर्मचारी लाभ व्यय	52.33	52.32	49.10	48.93
	(ii) उपभुक्त सामान की लागत	8.12	6.83	8.92	9.85
	(iii) बिजली एवं ईंधन	2.36	2.65	3.25	3.59
3.	% के रूप में निवेशित पूँजी (सीडब्ल्यूआईपी छोड़)				
	(i) सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	113.74	132.47	100.29	60.86
	(ii) सकल लाभ (पीबीआईटी)	101.16	108.08	87.02	54.05
	(iii) कर पूर्व लाभ	98.41	96.24	84.46	52.74
4.	% के रूप निवेशित पूँजी (सीडब्ल्यूआईपी सहित)				
	(i) सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	56.56	57.09	67.21	56.00
	(ii) सकल लाभ (पीबीआईटी)	50.30	46.58	58.32	49.74
	(iii) कर पूर्व लाभ	48.93	41.48	56.60	48.53
5.	कार्यसंचालन अनुपात (निबल विक्रय – पीबीटी / निबल विक्रय)	0.76	0.87	0.77	0.71
बी.	तरलता अनुपात				
	1. चालू अनुपात(चालू परिसंपत्तियाँ / चालू देयताएँ)	1.04	0.87	1.05	1.64
	2. त्वरित अनुपात (त्वरित परिसंपत्तियाँ / चालू देयताएँ)	0.83	0.69	0.75	1.36
सी.	टर्नओवर अनुपात				
	1. पूँजीगत टर्नओवर अनुपात				
	(i) (निबल विक्रय / सीडब्ल्यूआईपी छोड़ निवेशित पूँजी)	4.12	7.50	3.71	1.79
	(ii) (निबल विक्रय / सीडब्ल्यूआईपी सहित निवेशित पूँजी)	2.05	3.23	2.49	1.65
	2. महीनों की संख्या में व्यवसाय प्राप्य (निबल)				
	(i) सकल विक्रय	0.80	0.86	1.35	1.19
	(ii) निबल विक्रय	1.17	1.24	1.93	1.55
	3. निबल विक्रय के अनुपात के रूप में				
	(i) व्यापार प्राप्य	0.10	0.10	0.16	0.13
	(ii) कोयले का भंडार	0.11	0.11	0.18	0.12
	4. कोयले का भंडार				
	(i) माह की संख्या अनुसार उत्पादन मूल्य	1.31	1.40	2.09	1.47
	;पपद्ध माह की संख्या अनुसार बेचे गए सामान का मूल्य	1.72	1.54	2.87	2.12
	(iii) माह की संख्या अनुसार निबल बिक्री	1.31	1.34	2.22	1.49
डी.	संरचनात्मक अनुपात				
	1. दीर्घकालिक ऋण : इक्विटीगत शेयर पूँजी	—	—	1.28	—
	2. दीर्घकालिक ऋण : निबल संपत्ति	—	—	0.37	—
	3. निबल संपत्ति : इक्विटी	5.47	4.06	3.44	6.61
	4. निबल अचल संपत्ति : निबल संपत्ति	0.49	0.63	0.75	0.41
ई.	शेयरधारकों का ब्याज				
	1. शेयर का अंकित मूल्य (₹) (निबल संपत्ति / इक्विटी की संख्या)	5470.98	4059.62	3443.72	6608.62
	2. प्रति शेयर लाभांश (₹)	316.00	565.00	3866.00	1821.00

वित्तीय स्थिति

वर्ष 2012 से 2014 के लिए पुनरीक्षित सूची VI के अनुसार तथा वर्ष 2015 के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 के सूची III के अनुसार

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च को समाप्त वर्ष	2015	2014	2013	2012
(क)	स्वामित्व वाली :				
	सकल अचल सम्पत्ति	5459.57	5116.32	4805.64	4778.18
	घटाव : अवक्षयण एवं क्षति	3705.82	3502.93	3407.82	3290.34
(1)	निबल अचल सम्पत्ति	1753.75	1613.39	1397.82	1487.84
(2)	प्रगतिशील पूँजीगत कार्य	583.38	509.71	321.96	259.15
(3)	आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ	620.47	566.31	579.37	502.51
(4)	गैर–चालू निवेश	0.00	9.43	18.85	28.27
(5)	लम्बी अवधि के ऋण और अग्रिम	111.58	70.75	208.66	171.16
(6)	अन्य गैर–चालू परिसम्पत्तियाँ	810.05	520.05	0.00	0.00
(6)	चालू परिसम्पत्तियाँ				
	(i) (क) कोयला, कोक आदि की भंडार	1178.54	1067.28	1103.23	1379.68
	(ख) भण्डार और स्पेयर की भंडार	166.87	147.18	149.67	146.87
	(ग) अन्य सम्पत्ति सूची	5.73	4.87	5.74	4.95
	(ii) प्राप्य राशियाँ (निवल)	1465.57	1875.72	1533.87	1078.66
	(iii) नकद और नकद के समान	3947.62	2816.37	3560.44	3986.20
	(iv) चालू निवेश	403.79	605.10	109.42	9.42
	(v) कम अवधि के ऋण और अग्रिम	827.17	729.48	577.04	576.65
	(vi) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	526.01	434.77	439.54	370.68
	कूल चालू परिसम्पत्तियाँ (6)	**8521.30**	**7680.77**	**7478.95**	**7553.11**
(7)	घटाव चालू देयताएँ और प्रावधान	4181.50	4250.67	4017.45	4351.98
	व्यापार भुगतान योग्य	108.46	91.32	78.99	74.39
	अन्य चालू देयताएँ	2662.20	2774.77	2362.29	2468.81
	अल्पकालिन के प्रावधान	1410.84	1384.58	1576.17	1808.78
	अल्पकालिन के ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00
	निवल चालू परिसम्पत्तियाँ (6 – 7)	4339.80	3430.10	3461.50	3201.13
	कुल (क)	8219.03	6719.74	5988.16	5650.06
(ख)	देनदारी				
	(1) दीर्घकालीन ऋण	0.00	0.00	69.92	87.54
	(2) अन्य दीर्घकालीन देयताएँ	34.34	32.37	17.09	3.26
	(3) दीर्घकालीन प्रावधान	2372.31	2184.42	1893.07	2121.88
	कुल (ख)	**2406.65**	**2216.79**	**1980.08**	**2212.68**
	निवल मूल्य (क – ख)	**5812.38**	**4502.95**	**4008.08**	**3437.38**
	द्वारा प्रतिनिधित्व				
1	ईक्विटी पूँजी	940.00	940.00	940.00	940.00
2	संचय	1863.20	1589.17	1307.04	1012.96
3	लाभ / हानि (+) / (-) (अतिरिक्त)	3009.18	1973.78	1761.04	1484.42
	निवल मूल्य (1 से 3)	**5812.38**	**4502.95**	**4008.08**	**3437.38**
	लगाई गई पूँजी	**6093.55**	**5043.49**	**4859.32**	**4688.97**

आय तथा व्यय का विवरण

वर्ष 2012 से 2014 के लिए पुनरीक्षित सूची VI के अनुसार तथा वर्ष 2015 के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 के सूची III के अनुसार

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च को समाप्त वर्ष	2015	2014	2013	2012
(ए) से आय					
	सकल बिक्री	11781.43	10493.37	10580.10	9005.34
	घटाव : लेवी (एक्साइज ड्यूटी एवं अन्य लेवी)	2306.44	1937.36	2023.86	1473.22
1	निवल बिक्री	9474.99	8556.01	8556.24	7532.12
2	अन्य आय (ए से डी)	597.54	624.94	681.64	565.28
	(ए) सैंड स्टोइंग और सुरक्षात्मक कार्य की सहायिकी	0.35	1.74	2.01	2.53
	(बी) परिवहन से वसूली और लोडिंग खर्च	252.98	228.56	199.47	203.89
	(सी) बैंक जमा पर ब्याज	251.47	300.47	359.81	293.31
	(डी) अन्य गैर संचालित आय	92.74	94.17	120.35	65.55
	कुल (क)	**10072.53**	**9180.95**	**9237.88**	**8097.40**
(बी) को भुगतान/के लिए प्रावधान					
1	कर्मचारी लाभ खर्च	3897.19	3509.20	3522.47	3492.50
	(ए) वेतन, वेजेज़, भत्ते, बोनस आदि	2777.98	2669.31	2454.02	2244.21
	(बी) पीएफ में अंशदान और अन्य निधि	366.87	340.44	383.30	245.80
	(सी) ग्रेच्युटी	101.53	67.46	177.06	481.61
	(डी) छुट्टी का नकदीकरण	168.36	23.97	102.43	167.69
	(ई) अन्य	482.45	408.02	405.66	353.19
2	स्टॉक में एक्रीशन/डिक्रीशन	(112.07)	36.74	275.71	(86.50)
3	कल्याण खर्च*	0.00	76.73	63.31	24.56
4	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व खर्च	48.87	0.00	0.00	0.00
5	उपभोगित सामग्री का मूल्य	837.64	733.93	625.73	577.27
6	ऊर्जा एवं ईंधन	278.19	266.58	358.82	265.45
7	ठेकेदार (मरम्मत सहित)	1166.96	724.06	669.13	638.37
8	वित्तीय खर्च	1.08	7.98	7.55	3.58
9	मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि	312.55	254.10	235.21	220.80
10	प्रावधान और राइट–ऑफ	170.98	182.66	279.36	183.37
11	ओवर बर्डन हटाने का समायोजन	(44.77)	241.66	(43.53)	188.59
12	अन्य खर्च	742.46	632.71	584.23	659.66
13	पिछली अवधि का समायोजन	33.11	(11.27)	(23.67)	(40.49)
	कुल (बी)	**7332.19**	**6655.08**	**6554.32**	**6127.16**
	वर्ष के लिए लाभ (ए–बी)	**2740.34**	**2525.87**	**2683.56**	**1970.24**
	लाभ पर कर	969.73	854.11	797.95	650.69
	लाभांश (अंतरिम और प्रस्तावित)	354.74	1003.05	1131.37	791.74
	लाभांश पर कर	71.85	173.84	183.54	128.44
	सामान्य रिजर्व को स्थानांतरित	274.03	252.59	268.36	197.02
	सीएसआर के लिए रिजर्व को स्थानांतरित	0.00	27.26	24.00	23.76
	एस डी के लिए रिजर्व को स्थानांतरित	0.00	2.28	1.72	0.00
	बी/एफ पिछले वर्ष से	1973.78	1761.04	1484.42	1305.83
	प्रतिधारण आय में समायोजन**	34.59	-	-	-
	तुलन पत्र पर संचित लाभ/हानि स्थानांतरित	3009.18	1973.78	1761.04	1484.42
	संचित लाभ और हानि (रिजर्व में स्थानांतरित से पहले)	3283.21	2255.91	2055.12	1705.20

* कम्पनी एक्ट 2013 के शिड्युल III के अनुपालन के लिए, सीएसआर खर्चों का वित्तीय विवरण को नोट – 25 में अलग से दिया गया है और कल्याण खर्चों को उनकी प्रकृति–अनुसार नोट – 24 अर्थात् कर्मचारी लाभ खर्च और नोट – 31, अन्य खर्चों में डाला गया है।

2014–15 वित्तीय वर्ष के पहले सीएसआर के खर्चों को कल्याण खर्च के शीर्ष में डाला जाता था।

** 01.04.2014 से प्रभावी कम्पनी अधिनियम 2013 के शिड्युल II के अनुपालन, जो मूल्यह्रास से संबंधित है, वर्ष 2014–15 में प्रतिधारित आय को 34.59 करोड़ कम दर्शाया गया है।

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचना एवं सापेक्षिक अनुपात

वर्ष 2012 से 2014 की पुनरीक्षित सूची VI के अनुसार तथा
वर्ष 2015 के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 के सूची III के अनुसार

(ए) वित्तीय सूचना

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च को समाप्त वर्ष	2015	2014	2013	2012
(ए)	**परिसंपत्ति एवं देयताओं से संबंधित**				
(1)	(i) प्रत्येक 1000/– के इक्विटी शेयर की संख्या	9400000	9400000	9400000	9400000
	(ii) शेयरहोल्डर निधि				
	(क) ईक्विटी	940.00	940.00	940.00	940.00
	(ख) आरक्षित	1863.20	1589.17	1307.04	1012.96
	(ग) जमा हुई लाभ/हानि (+)/(-) (अतिरिक्त)	3009.18	1973.78	1761.04	1484.42
	निवल मूल्य	5812.38	4502.95	4008.08	3437.38
(2)	(क) लम्बी अवधि के ऋण चालू परिपक्वता सम्मिलित	0.00	0.00	86.90	104.32
	(ख) लम्बी अवधि के ऋण चालू परिपक्वता के अलावा	0.00	0.00	69.92	87.54
(3)	लगाई गई पूँजी	6093.55	5043.49	4859.32	4688.97
(4)	(i) निवल स्थाई परिसम्पत्तियाँ	1753.75	1613.39	1397.82	1487.84
	(ii) चालू परिसम्पत्तियाँ	8521.30	7680.77	7478.95	7553.11
	(iii) चालू देयताएँ	4181.50	4250.67	4017.45	4351.98
(5)	(क) व्यापार प्राप्य (निवल)	1465.57	1875.72	1533.87	1078.66
	(ख) नकद और नकद समतुल्य	3947.62	2816.37	3560.44	3986.20
(6)	क्लोजिंग स्टॉक :				
	(क) भण्डार और स्पेयर्स (निवल)	166.87	147.18	149.67	146.87
	(ख) कोयला और कोक आदि (निवल)	1178.54	1067.28	1103.23	1379.68
	(ग) अन्य सामग्री सूची (निवल)	5.73	4.87	5.74	4.95
(7)	भण्डार और स्पेयर्स के औसत स्टॉक (निवल)	157.03	148.43	148.27	145.22
(बी)	**लाभ हानि से संबंधित**				
(1)	(क) सकल मार्जिन	3053.97	2786.55	2924.86	2192.89
	(ख) सकल लाभ	2741.42	2532.45	2689.65	1972.09
	(ग) कर से पहले लाभ	2740.34	2525.87	2683.56	1970.24
	(घ) निवल लाभ (कर के बाद)	1770.61	1671.76	1885.61	1319.55
	(ङ) निवल लाभ (कर और लाभांश के बाद)	1344.02	494.87	570.70	399.37
(2)	(क) सकल बिक्री	11781.43	10493.37	10580.10	9005.34
	(ख) निवल बिक्री (लेवी के बाद)	9474.99	8556.01	8556.24	7532.12
	(ग) उत्पादन का बिक्री मूल्य	9587.06	8519.27	8280.53	7618.62
(3)	बेचे गए सामान का मूल्य (निवल बिक्री – लाभ)	6734.65	6030.14	5872.68	5561.88
(4)	(क) कुल खर्च	7332.19	6655.08	6554.32	6127.16
	(ख) कर्मचारी लाभ खर्च	3897.19	3509.20	3522.47	3492.50
	(ग) उपयोगित सामग्री का मूल्य	837.64	733.93	625.73	577.27
	(घ) ऊर्जा एवं ईंधन	278.19	266.58	358.82	265.45
	(ङ) वित्तीय मूल्य और मूल्य ह्रास	313.63	262.08	242.76	224.38
(5)	भण्डार और स्पेयर्स की औसत उपयोगिता (सकल) प्रति माह	69.80	61.16	52.14	48.11
(6)	(क) वर्ष के दौरान लगाई गई औसत श्रमशक्ति	45849	47406	49076	51156
(7)	(क) मूल्य जुड़ाव	8471.30	7519.02	7296.51	6776.45
	(ख) मूल्य जुड़ाव प्रति कर्मचारी (₹ '000)	1847.67	1586.09	1486.78	1324.66

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचना एवं सापेक्षिक अनुपात

वर्ष 2012 से 2014 की पुनरीक्षित सूची VI के अनुसार तथा वर्ष 2015 के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 के सूची III के अनुसार

(बी) वित्तीय अनुपात/प्रतिशतता

	31 मार्च को समाप्त वर्ष	2015	2014	2013	2012
(ए)	लाभकारिता अनुपात				
(1)	निवल बिक्री के % अनुसार				
	(क) सकल मार्जिन	32.23	32.57	34.18	29.11
	(ख) सकल लाभ	28.93	29.60	31.43	26.18
	(ग) कर से पहले लाभ	28.92	29.52	31.36	26.16
(2)	कुल खर्च के % अनुसार				
	(क) कर्मचारी लाभ खर्च	53.15	52.73	53.74	57.00
	(ख) उपयोगित सामग्री का मूल्य	11.42	11.03	9.55	9.42
	(ग) ऊर्जा एवं ईंधन	3.79	4.01	5.47	4.33
	(घ) ब्याज एवं मूल्यह्रास	4.28	3.92	3.68	3.63
(3)	लगाई गई पूँजी के % अनुसार				
	(क) सकल मार्जिन	50.12	55.25	60.19	46.77
	(ख) सकल लाभ	44.99	50.21	55.35	42.06
	(ग) कर से पहले लाभ	44.97	50.08	55.23	42.02
(4)	संचालन अनुपात (बिक्री–लाभ/बिक्री)	0.71	0.70	0.69	0.74
(ए)	तरलता अनुपात				
	(1) चालू अनुपात (चालू परिसम्पत्तियाँ/चालू देयताएँ)	2.04	1.81	1.86	1.74
	(2) द्रुत प्रभावी अनुपात (द्रुत प्रभावी परिसम्पत्तियाँ/चालू देयताएँ)	1.71	1.52	1.55	1.38
(सी)	कारोबार अनुपात				
	(1) पूँजी टर्नओवर अनुपात (निवल बिक्री/लगाई गई पूँजी)	1.55	1.70	1.76	1.61
	(2) व्यापार प्राप्य, माह की संख्या अनुसार				
	(क) सकल बिक्री	1.49	2.15	1.74	1.44
	(ख) निवल बिक्री	1.86	2.63	2.15	1.72
	(3) निवल बिक्री के अनुपात अनुसार				
	(क) व्यापार प्राप्य	0.15	0.22	0.18	0.14
	(ख) कोयला, कोक, धुला कोयला आदि का स्टॉक	0.12	0.12	0.13	0.18
	(4) भण्डार और स्पेयर्स का स्टॉक				
	(क) औसत स्टॉक/वार्षिक खपत	0.19	0.20	0.24	0.25
	(ख) मासिक खपत की संख्या पर अंतिम स्टॉक	2.39	2.41	2.87	3.05
	(5) कोयला, कोक, धुले कोयले आदि का स्टॉक				
	(क) माह की संख्यानुसार उत्पादन मूल्य	1.48	1.50	1.60	2.17
	(ख) माह की संख्यानुसार बिके माल का मूल्य	2.10	2.12	2.25	2.98
	(ग) निवल बिक्री माह की संख्यानुसार	1.49	1.50	1.55	2.20
(डी)	संरचनात्मक अनुपात				
	(1) ऋण : इक्विटी	0.00	0.00	0.07	0.09
	(2) ऋण : निवल मूल्य	0.00	0.00	0.02	0.03
	(3) निवल मूल्य : इक्विटी	6.18	4.79	4.26	3.66
	(4) निवल स्थाई परिसम्पत्तियाँ : निवल मूल्य	0.30	0.36	0.35	0.43
(ई)	शेयरधारकों का ब्याज				
	(1) शेयर की बुक वैल्यु (₹) (निवल मूल्य/इक्विटी की संख्या)	6183.38	4790.37	4263.91	3656.79
	(2) प्रति शेयर लाभांश (₹)	377.38	1067.07	1203.59	842.28

निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन

सेवा में,

शेयरधारकगण
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

सज्जनों,

निदेशक मण्डल की ओर से दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु अंकेक्षित वित्तीय विवरणी सहित कम्पनी की 63वीं वार्षिक प्रतिवेदन आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। अंकेक्षित वित्तीय विवरणी, सांविधिक अंकेक्षकों का प्रतिवेदन एवं उस पर प्रबंधन का जवाब साथ ही साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अंकेक्षित लेखा पर समीक्षा, इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

1. उत्पादन

वर्ष 2018–19 में, आपकी कम्पनी द्वारा प्राप्त उत्पादन तथा उत्पादकता के आँकड़े और वर्ष 2017–18 के वास्तविक उत्पादन के आँकड़ों का तुलनात्मक विवरण निम्नवत है :

विवरण	2018-19		2017-18	प्रतिशत वृद्धि
	लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक	
उत्पादन				
खुली खदान से (एमटी)	68.200	68.407	63.000	8.582
भूमिगत खदान से (एमटी)	0.500	0.315	0.405	-22.337
कुल (एमटी)	**68.700**	**68.722**	**63.405**	**8.385**
ओबीआर (एमएम³)	**102.000**	**100.490**	**95.622**	**5.090**
धुला कोयला (कोकिंग)	1.281	0.805	1.115	-27.854
धुला कोयला (नॉन – कोकिंग)	6.842	6.631	6.076	9.130
उत्पादकता (ओएमएस–टीई)				
खुली खदान	9.050	9.740	9.372	
भूमिगत खदान	0.320	0.214	0.194	
कुल	**7.550**	**8.091**	**7.195**	

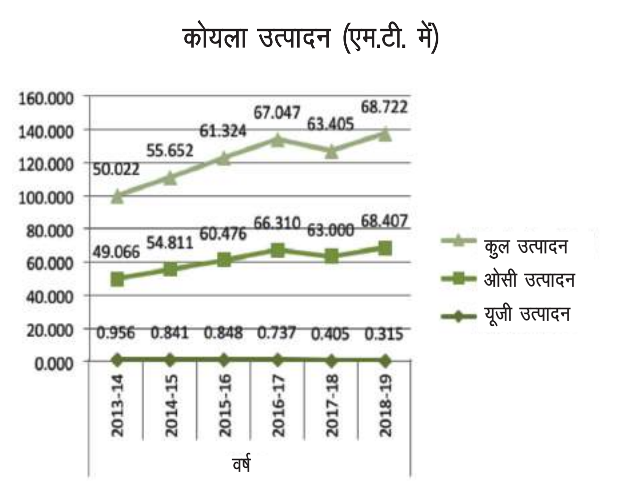

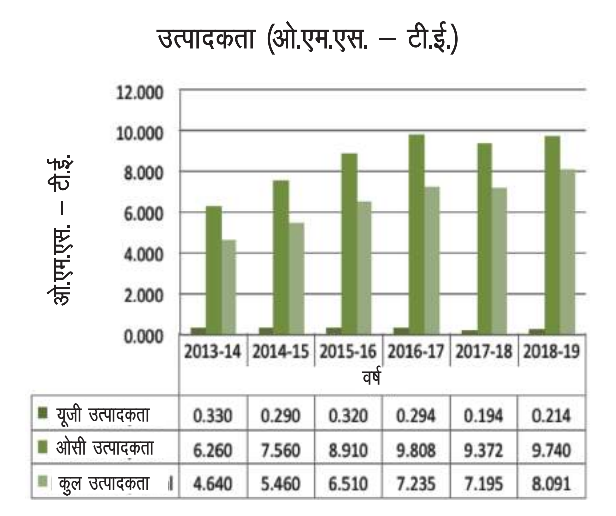

2. उपलब्धियां : वाशरी विभाग

आपकी कंपनी–सीसीएल, कोकिंग सह गैर–कोकिंग कोयला परिष्करण के व्यवसाय में है. कंपनी में कोकिंग कोयले के परिष्करण / बेनीफिशिएशन हेतु चार एवं गैर–कोकिंग कोयले हेतु दो कोयला परिष्करण इकाइयाँ हैं।

❖ वर्ष 2018–19 में सीसीएल के सकल लाभ में वाशरियों का योगदान 253.909 करोड़ रूपये रहा ।

उपलब्धियां : वित्तीय वर्ष 2018–19

❖ वित्तीय वर्ष 2017–18 में, गैर–कोकिंग वॉशरियों में अपरिष्कृत कोयले की खपत 62.83 लाख टन से बढ़कर 67.69 लाख टन हो गई।

❖ वित्तीय वर्ष 2017–18 के सापेक्ष वि.व. 2018–19 में गैर–कोकिंग वॉशरियों में परिष्कृत कोयले का उत्पादन 60.76 लाख टन से बढ़कर 66.31 लाख टन हुआ ।

❖ वित्तीय वर्ष 2018–19 में, गैर–कोकिंग कोल वॉशरियों में परिष्कृत कोयले की उत्पादकता गत वर्ष 96.71% से बढ़कर 97% हो गई।

❖ वित्तीय वर्ष 2017–18 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018–19 में कोकिंग कोल वॉशरियों में परिष्कृत पावर कोयले की उत्पादकता प्रतिशत 39.09% से बढ़कर 45.69% हो गयी ।

❖ कोकिंग कोल वॉशरियों के 8.047 लाख टन उत्पादन के सापेक्ष, स्टील कारखानों को, 8.073 लाख टन परिष्कृत कोयले का प्रेषण किया गया।

❖ वित्तीय वर्ष 2018–19 में, गैर–कोकिंग वॉशरियों ने 66.369 लाख टन उत्पादन के सापेक्ष, विद्युत–संयंत्रों को, 66.311 लाख टन परिष्कृत कोयले का प्रेषण किया है।

❖ वित्तीय वर्ष 2018–19 में, कोकिंग कोल वॉशरियों ने 11.077 लाख टन उत्पादन के सापेक्ष,विद्युत–संयंत्रों को, 11.556 लाख टन परिष्कृत कोयले का प्रेषण किया है।

❖ वित्तीय वर्ष 2018–19 के अप्रैल माह में गैर–कोकिंग वॉशरी के रूप मे करगली कोयला वॉशरी को पुनः आरम्भ किया गया है, जिसमें उत्पादन वर्ष 2016–17 से 2017–18 तक नहीं किया जा रहा था।

कोकिंग कोल वाशरियाँ :

- वित्तीय वर्ष 2017–18 में 11.153 लाख टन के सापेक्ष परिष्कृत मध्यम कोकिंग कोल (WMCC) का उत्पादन वित्तीय वर्ष 2018–19 में 8.047 लाख टन रहा । संभाव्य ग्राहकों द्वारा मांग शून्य होने के कारण अप्रैल, 2018 से जुलाई, 2018 के दौरान परिष्कृत मध्यम कोकिंग कोयले के उत्पादन में कमी दर्ज की गई।
- मूल्य परिवर्तन के कारण वित्तीय वर्ष 2018–19 में कोकिंग कोल वॉशरियों को 122.828 करोड़ रु की हानि हुई।
- विगत वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018–19 में वॉशरीवार उत्पादन और परिष्कृत कोकिंग कोयले का उत्पादन निम्नवत है:

कोयला परिष्करण इकाई	उत्पादन (लाख टन में)		उत्पादन प्रतिशत	
	2018-19	**2017-18**	**2018-19**	**2017-18**
कथारा	0.681	0.451	20.411	12.98
स्वांग	0.885	0.901	23.464	19.47
रजरप्पा	3.314	5.668	38.897	44.295
केदला	3.167	4.133	36.755	39.934
कुल	8.047	11.153	33.192	35.693
कुल	**11.153**	**11.390**	**35.693%**	**34.41%**

गैर–कोकिंग कोयला वॉशरियाँ :

- वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 66.311 लाख टन परिष्कृत गैर–कोकिंग कोयले का उत्पादन किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान गैर–कोकिंग कोल वॉशरियों का लाभ में योगदान **रु 376.737** करोड़ रहा।
- विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2018–19 में वॉशरीवार उत्पादन और परिष्कृत गैर–कोकिंग कोयले का उत्पादन निम्नवत है:

कोयला परिष्करण इकाई	उत्पादन (लाख टन)		उत्पादकता प्रतिशत	
	2018-19	**2017-18**	**2018-19**	**2017-18**
पिपरवार	64.308	59.897	99.413	98.03
गिद्दी	0.881	0.866	50.807	50.0
करगली	**1.122**	**(बंद)**	**88.393**	**(बंद)**
कुल	**66. 311**	**60.763**	**97. 961**	**96.708**

नवीन वॉशरियों की स्थापना से सम्बद्ध उपलब्धियाँ :

1. बिल्ड–ऑन–ऑपरेट अवधारणा पर वॉशरी निर्माण विभाग द्वारा दो(2) कोकिंग–कोल वाशारियों यथा 3.0 मिलियन टन/वर्ष न्यू कथारा, 4.0 मिलियन टन/वर्ष बसंतपुर–तापिन वॉशरी और तीन(3) नॉन–कोकिंग कोल वाशरी/सी.पी.पी यथा 2.0 मिलियन टन/वर्ष कारो कोल–वाशरी, 4.0 मिलियन टन/वर्ष अशोक और 2.0 मिलियन टन/वर्ष कोनार हेतु एनआईटी दस्तावेज तैयार किए गए ।
2. अगस्त,2018 में बिल्ड–ओन–ऑपरेट अवधारणा पर 2 कोकिंग–कोल वाशरी और 3 नॉन–कोकिंग कोल वाशरी/सीपीपी लगाने के लिए निविदाएं प्रकाशित की गईं।
3. दिनांक 05.03.2019 को सी.सी.एल बोर्ड की स्वीकृति के पश्चात 3.0 मिलियन टन/वर्ष न्यू कथारा, 4.0 मिलियन टन/वर्ष बसंतपुर–तापिन कोकिंग–कोल वाशरी और 4.0 मिलियन टन/वर्ष अशोक नॉन–कोकिंग कोल वाशरी/सी.पी.पी हेतु सफल बोलीकर्ताओं को मांग–पत्र (LoI) को जारी किया गया।

3. ऑफ–टेक (उठाव) :

वर्ष 2018–19 में, कच्चे कोयले का कुल ऑफ–टेक (उठाव) 68.446 मिलियन टन रहा . विगत वर्ष की तुलना में माध्यमानुसार उठाव विवरणी निम्नलिखित है :

(आंकडे मिलियन टन में)

माध्यम	2018-19	2017-18	गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि
रेलमार्ग	30.544	32.740	-6.71%
भूमार्ग	28.709	25.362	13.20%
वॉशरी में फीड	9.193	9.408	-2.28%
कोलियरी खपत	0.0003	0.0003	-12.00%
कुल उठाव	**68.446**	**67.5100**	**1.39%**

वित्तीय वर्ष 2018–19 में, भूमार्ग माध्यम से सीसीएल ने कोयला उठाव में 13.2% की वृद्धि दर्ज की है। विगत वर्ष की तुलना में सीसीएल द्वारा उठाव में 1.39% की वृद्धि दर्ज की गई है।

वर्ष 2018–19 के दौरान कुल प्रेषण 68.677 मिलियन टन रहा। वर्ष 2018–19 में कोयले एवं इसके विभिन्न उत्पादों का क्षेत्रवार प्रेषण निम्नलिखित है :

(आंकडे मिलियन टन में)

क्षेत्र	अपरिष्कृत कोयला	परिष्कृत कोयला	परिष्कृत कोयला (ऊर्जा)	परिष्कृत गैर कोकिंग कोयला	स्लरी	रिजेक्टस	कुल
उर्जा	45.372	0.000	0.464	6.543	0.000	0.000	52.379
स्टील (सीपीपी सहित स्टील)	0.004	0.807	0.691	0.098	0.000	0.000	1.600
उर्वरक	0.087	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.087
अन्य*	13.789	0.000	0.000	0.000	0.224	0.597	14.611
कुल	**59.252**	**0.807**	**1.156**	**6.641**	**0.224**	**0.597**	**68.677**

* अन्य के अंतर्गत स्पॉट ई–ऑक्शन, भूतपूर्व नॉन–कोर ग्राहक, स्पंज लोहा, सी.पी.पी. एवं राज्य ऐजेंसियाँ।

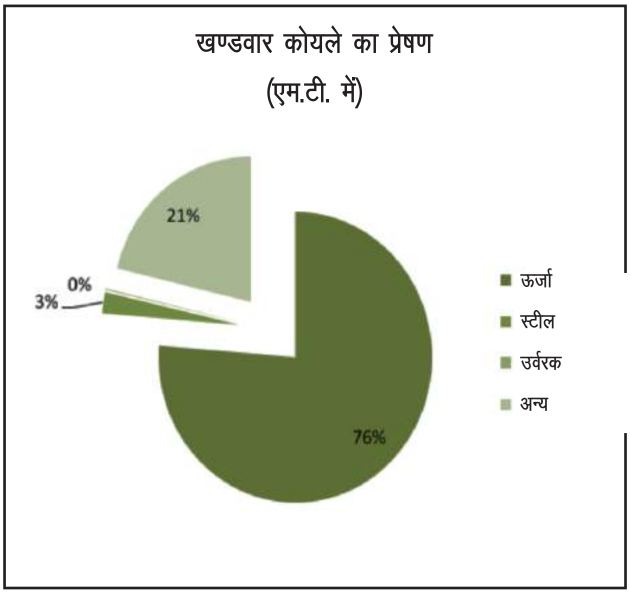

4. कोयला–भंडार :

दिनांक 31.03.2018 को 13.469 मिलियन टन कोयला–भंडार* की तुलना में 31 मार्च 2019 को अपरिष्कृत कोयले का भंडार 13.745 मिलियन टन था ।

(*सभी उत्पादक ईकाइयों, कोयला परिष्करण इकाईयों एवं कोक संयंत्रों में अपरिष्कृत कोयला–भंडार)

5. सकल विक्रय तथा विक्रय–प्राप्ति :

वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी का सकल विक्रय 16,343.92 करोड़ रूपये एवं विक्रय–प्राप्ति 17,870.10 करोड़ रूपये रही (सभी ग्राहकों से प्राप्य अग्रिम राशि सहित)। 31 मार्च 2019 तक कर्जदारों(कुल) की क्षेत्रवार सारणी निम्नवत है :

(आंकड़े करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
उर्जा	1338.09	923.07
इस्पात	800.20	984.48
अन्य	40.33	58.93
कुल	**2178.62**	**1966.48**

6. एचइएमएम की संख्या एवं उपलब्धियां :

31.03.2018 की तुलना में सीसीएल की मशीनीकृत खुली खदानों में 31.03.2019 को एचईएमएम की संख्या निम्नवत है:

एचईएमएम	संख्या (निम्न तिथि तक)	
	31.03.2019	**31.03.2018**
शॉवेल	104	116
डंपर	421	429
डॉजर	164	142
ड्रिल	116	105
कुल	**805**	**792**

एचईएमएम	% उपलब्धता			% उपयोगिता		
	मानक	वास्तविक		मानक	वास्तविक	
		2018-19	2017-18		2018-19	2017-18
शॉवेल	80	75.2	79.9	58	40.9	40.4
डंपर	67	72.9	77.2	50	35.4	36.1
डॉजर	70	73	67.1	45	20.8	21.2
ड्रिल	78	83.3	83.7	40	28.2	28.3

7. प्रणाली धारिता उपयोगिता :

वर्ष 2018–19 में 01.04.18 को आकलित प्रणाली धारिता	खुली खदान से उत्पादन की प्राप्ति(2018–19) (औपबंधिक)			% धारिता उपयोग	
	कोयला (एम.टी.)	ओबीआर (एम.एम.^{3})	कम्पोजिट (एम.एम.^{3})	**2018-19**	**2017-18**
179.15	68.407	100.47	144.036	80.40	78.20

8. कोयला विपणन :

8.1 एएपी के अनुसार मांग पूर्ति

(आंकड़े मिलियन टन में)

क्षेत्र	2018 - 19			2017 - 18			विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि %
	मांग (एएपी)	प्रेषण	% संतुष्टि	मांग (एएपी)	प्रेषण	% संतुष्टि	
	2018-19	**2018-19**	**2018-19**	**2017-18**	**2017-18**	**2017-18**	
स्टील(स्टील सीपीपी सहित)	3.114	1.600	**51%**	3.810	2.027	**53.20%**	**-21.1%**
उर्जा	51.000	52.379	**103%**	45.000	49.589	**110.20**	**5.6%**
उर्वरक	0.350	0.087	**25%**	0.250	0.148	**59.20**	**-41.2%**
अन्य	14.236	14.611	**103%**	21.440	17.080	**79.66**	**-14.5%**
कुल	**68.700**	**68.677**	**100%**	**70.500**	**68.844**	**97.65**	**-0.24%**

8.2 वैगन लोडिंग :

वर्ष 2018–19 एवं 2017–18 में कोलफील्डवार लोडिंग की वस्तुस्थिति निम्न सारणी में दी गयी है :

(आंकड़े रेक/दिन में)

रेलवे क्षेत्र	2018-19	2017-18	गत वर्ष सापेक्ष वृद्धि %
दक्षिणी कर्णपुरा	6.2	7.3	30%
उत्तरी कर्णपुरा	15.2	16.3	–73%
उप–योग कर्णपुरा	**21.4**	**23.6**	**–41%**
झरीया	8.1	6.7	125%
कुल ई.सी. रेलवे	**29.5**	**30.3**	**–4%**
गिरीडीह	0.4	0.6	–33%
कुल पूर्व रेलवे	**0.4**	**0.6**	**–33%**
रांची	0.7	0.7	0%
कुल एस.ई.रेलवे	**0.7**	**0.7**	**0%**
सकल सीसीएल	**30.6**	**31.6**	**–5%**

8.3 कोयले की ई–नीलामी

2018–19 की अवधि के दौरान स्पॉट ई–नीलामी का प्रदर्शन निम्नानुसार है:

अवधि	स्पॉट ई–नीलामी योजना	प्रस्तुत मात्रा (मिलियन टन)	बुक मात्रा (मिलियन टन)	अधिसूचित मूल्य के ऊपर लाभ (लाख में रु)	अधिसूचित मूल्य के ऊपर लाभ %
2018–19	रेलमार्ग	0	0	0	0
	भूमार्ग	7.873	6.436	76085	90
	स्लरी	0.287	0.219	3396	87
	रिजेक्ट्स	0.380	0.380	3312	108
कुल		8.540	7.035	82793	91

2018–19 के दौरान, स्पॉट ई–नीलामी हेतु प्रस्तुत अपरिष्कृत कोयला कुल उत्पादन का लगभग 12.4% रहा।

9. कोयले का चूर्णनः

2018–19 में फीडर ब्रेकरों और कोल हैंडलिंग प्लांट के माध्यम से लगभग 10.3 मि.टन कोयले को चूर्णन किया गया जोकि 2017–18 में लगभग 9.12 मि.टन था। 2017–18 के समान उपस्करों की संख्या होते हुए भी चूर्णन में 11.45% की वृद्धि दर्ज की गई है जिसमे प्रमुख योगदान ढोरी क्षेत्र के तारमी – अमलो साइडिंग और उ.कर्णपुरा क्षेत्र की के.डी.एच परियोजना का है।

10. तुलन–गृहों का प्रदर्शन :

सीसीएल की वर्तमान रोड–वेब्रिजों के स्थानांतरण से परिसंपत्ति का कुशल उपयोग होगा। प्रेषण को गति प्रदान करने हेतु मगध और आम्रपाली जैसी अतिमहत्वपूर्ण परियोजनाओं में रोड–वेब्रिजों की संख्या बढ़ाकर 25 कर दी गई है ।

न्यू बालूमाथ साइडिंग में 02 रेल–वेब्रिजों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे टोरी–शिवपुर मार्ग पर वजनीकरण की आवश्यकताओं की पूर्ती होगी।

04 स्थानों पर नये 120 इन–मोशन रेल–वेब्रिजों की स्थापना की गई हैं – अमलो, तारमी, कुजू न्यू साइडिंग और कथारा(पश्चिम)।

13 इन–मोशन रेल–वेब्रिजों की स्थापना प्रक्रियाधीन है ।

भविष्य में विशाल वाहनों के समायोजन और स्थापन–पश्चात बेहतर सेवाओं के प्रयोजन से रोड–वेब्रिजों के तकनीकी विनिर्देशन को पंचवर्षीय व्यापक रख–रखाव अनुबंध (सीएएमसी) सहित 60 टन (प्लेटफॉर्म आकार 9मी x 4.5 मी) को 100 टन (प्लेटफॉर्म आकार 16 मी x 3.5 मी) में स्तरोन्नत किया गया है ।

स्तरोन्नत खूबियों के साथ 100 टन के 36 रोड–वेब्रिजों का क्रय प्रक्रियागत है।

06 वर्षीय व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सीएएमसी) सह आरडीएसओ का अनुपालन करने वाले 140 टन क्षमता के 14 रेल–वेब्रिजों का क्रय प्रक्रियागत है ।

तुलनगृहों के संचालन में सुधार और ब्रेकडाउन अवधि को कम करने हेतु सीसीएल में रोड एवं रेल–वेब्रिज के संचालन और रखरखाव से सम्बद्ध एक मानक संचालन प्रक्रिया कार्यान्वित की गई है।

10.1 सौर परियोजनाएं :

सीसीएल,मुख्यालय के दरभंगा हाउस परिसर के छह भवनों में 400 केडब्लूपी की क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली का इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग कर ली गयी है जो सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है।

सी.सी.एल ने गांधीनगर अस्पताल की चार इमारतों में कुल क्षमता 220 कि.वाट.पीक के रूफ–टॉप ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को लगाने एवं प्रारंभ करने हेतु कार्य–आदेश निर्गत किया है । सीआरएस,बरकाकाना परिसर की विभिन्न इमारतों में बैटरी बैकअप के साथ रूफ–टॉप ग्रिड से जुड़े 125 कि.वाट.पीक की क्षमता वाले सौर–उर्जा संयंत्र और अधिकारी आवास,कथारा में रूफ–टॉप ग्रिड से जुड़े 50 कि.वाट.पीक की क्षमता वाले सौर–उर्जा संयंत्र का इंस्टालेशन किया जा रहा है.

केंद्रीयकृत निविदाकरण हेतु सीसीएल की आगामी रूफ–टॉप सौर परियोजनाएं – महाप्रबंधक कार्यालय, कुजू क्षेत्र के छत के ऊपर ग्रिड से जुड़े 90 कि.वाट.पीक की क्षमता वाले सौर–ऊर्जा संयंत्र और रजरप्पा टाउनशिप अस्पताल की छत के ऊपर रूफ–टॉप ग्रिड से जुड़ी 250 केडब्लूपी की कुल क्षमता सौर–ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु सी.आई.एल, मुख्यालय को अवगत कराया गया।

रूफ–टॉप सौर परियोजनाओं के अतिरिक्त, सीसीएल ने मेसर्स एनटीपीसी को पी.एम.सी सेवाओं के लिए सी.एच.पी/सी.पी.पी, पिपरवार के आरएलएस के बल्ब क्षेत्र के भीतर 20 एमडब्लूपी सौर–ऊर्जा संयंत्र के लिए कार्य–आदेश जारी किया गया जिसके स्थापना की प्रत्याशा 2019–20 में है।

10.2 चुरी भूमिगत परियोजना का कन्टीनियुअस माइनर प्राद्योगिकी के साथ संचालन प्रारंभ ।

दिनांक 24.03.2019 से इस परियोजना का संचालन प्रारंभ किया गया है। कन्टीनियुअस माइनर प्राद्योगिकी प्रयोग करने वाली यह सीसीएल की प्रथम वृहत भूमिगत परियोजना है। उपकरण आपूर्ति और फेस उपकरण का संचालन नौ वर्षों के लिए किराया–प्रणाली पर उपलब्ध कराया गया है।

इस परियोजना के सफल संचालन हेतु प्रमुख विभागीय इंस्टालेशन निम्नलिखित है :

क) 08 की संख्या में फेस से सतह तक 1000 मिमी बेल्ट कन्वेयर सिस्टम की आपूर्ति एवं स्थापना ।

ख) 33 किलोवाट की नवीन उर्जा आपूर्ति प्रणाली सहित 02 की संख्या में 33 केवी फीडर की ड्राइंग ।

ग) पीवी – 200 के समकक्ष वेंटिलेशन पंखा (ऑपरेशन हेतु 01 एवं स्टैंडबाय के लिए 01) की स्थापना ।

घ) नवीनतम तकनीकी युक्त ट्रैकलेस मैन एंड मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन प्रणाली को अंगीकृत एवं बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैन राईडिंग हेतु दो एफएसवी(फ्री स्टीयरड व्हीकल) एवं मेटेरियल परिवहन हेतु 10टन एमयूवी(मल्टी यूटिलिटी व्हीकल) का क्रय प्रक्रियागत है।

परियोजना पर्यवेक्षण, भूमिगत कोयला परिवहन, भूमिगत पम्पिंग, वेंटिलेशन, विद्युत आपूर्ति आदि की जिम्मेदारी सीसीएल के अधीन है।

10.3 उर्जा–उपभोग में कमी :

2017–18 की तुलना में वर्ष 2018–19 में ऊर्जा की खपत में 3.25% की कमी आई है। 2017–18 के दौरान सी.सी.एल की बिजली खपत 735.27 मिलियन किलोवाट प्रति घंटे थी जबकि 2018–19 में सी.सी.एल द्वारा बिजली की खपत 711.33 मिलियन किलोवाट प्रति घंटे रहीं।

11. उपभोक्ता–संतुष्टिः

सीसीएल का मुख्य ध्येय उपभोक्ता की संतुष्टि है। सभी उपभोक्ताओं को उत्तम गुणवत्ता के 100% चूर्ण कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रभावकारी कदम उठाये गये हैं। सीसीएल कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार (–100 मि.मि.) आकार के कोयले की आपूर्ति कर रहा है।

सीसीएल मुख्यालय एवं इसके प्रत्येक क्षेत्र में सुप्रशिक्षित अधिकारीगण युक्त पूर्ण विकसित गुणवत्ता–प्रबंधन विभाग है । मुख्यालय तथा प्रत्येक क्षेत्र में सैम्पलिंग एवं विश्लेषण हेतु पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सुसज्जित प्रयोगशालाएं मौजूद हैं। विभिन्न प्रयोगशालाओं में जी.सी.वी. के निर्धारण हेतु वर्तमान में 11 स्वचालित बम कैलोरीमीटर प्रयोग में लाये जा रहें हैं। मुख्यालय की केन्द्रीय प्रयोगशाला तथा पिपरवार क्षेत्र की क्षेत्रीय प्रयोगशाला को एन.ए.बी.एल. से मान्यता मिली हुई है । कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) के अन्तर्गत विद्युत गृहों को प्रेषित कोयले की सैम्पलिंग एवं विश्लेषण हेतु सिम्फर को थर्ड पार्टी के रूप में रखा गया है । फॉरवर्ड ऑक्शन (उर्जा), लिंकेज ऑक्शन (गैर–उर्जा) एवं स्पॉट ऑक्शन के तहत डिस्पैच कोयले की सैम्पलिंग एवं विश्लेषण हेतु थर्ड पार्टी एजेंसी के रूप में क्वालिटी काउन्सिल ऑफ इण्डिया को लगाया गया है। उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रभावी निवारण हेतु यहाँ उपयुक्त प्रणाली उपलब्ध है। गुणवत्ता संबंधी सभी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाती है।

12. वर्ष 2018–19 में सीसीएमसी विभाग का प्रदर्शन एवं उपलब्धियां :–

1. वित्त वर्ष 2018–19 में सी.एम.पी.डी.आई.एल के सहयोग से सी.सी.एल की 31 खुली खदानों में विशिष्ट डीजल खपत की बेंचमार्किंग की गई, एवं ईंधन संरक्षण के लागू करने हेतु उनकी अनुशंसा समस्त संबंधित क्षेत्रों में परिचालित किए गए ।

2. सी.सी.एल की परियोजनाओं में डीजल खपत की निरंतर एवं सख्त निगरानी के परिणामस्वरुप कुल डीजल खपत एवं विशिष्ट डीजल खपत में कमी आई है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में एच.ई.एम.एम. में कुल डीजल खपत 51811 किलो लीटर है जबकि वित्त वर्ष 2017–18 में यह 54268 कि.ली. था। इस प्रकार वित्त वर्ष 2017–18 की तुलना में इस वित्त वर्ष 2018–19 में 2457 किलो लीटर डीजल खपत में कमी आई है। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2018–19 में दर्ज की गई विशिष्ट डीजल खपत 1.03 लीटर प्रति क्यूबिक मीटर है, जो कि सी.एम.पी.डी.आइ.एल द्वारा निर्धारित 1.07 लीटर प्रति क्यूबिक मीटर की तुलना में 3.25 प्रतिशत अधिक है ।

3. वित्तीय वर्ष 2018–19 में बिजली की कुल खपत 711.33 मिलियन किलोवाट प्रति घंटे रही, जबकि वित्त वर्ष 2017–18 में यह 735.27 मिलियन किलोवाट प्रति घंटे थी, यह दर्शाता हैं कि वित्त वर्ष 2017–18 की तुलना से वित्त वर्ष 2018–19 में 23.94 मिलियन किलो वाट प्रति घंटे कम बिजली खपत हुई है और इस प्रकार इसमें 3.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई हैं।

4. सी.सी.एल की विभिन्न परियोजनाओं से इंजन एवं ट्रांसमिशन में प्रयुक्त होने वाले 165 तेल नमूनों के परीक्षण हेतु आई.ओ.सी., एच.पी.सी.एल. और बी.पी.सी.एल. को प्रेषित किया जाता है तथा उन रिपोर्टों की आवश्यक कार्यवाई हेतु संबधित परियोजनाओं को अग्रेषित किया जाता है ।

5. प्रयुक्त विभिन्न तेलों के विश्लेषण हेतु तीन पार्टिकल काउंटर इंस्ट्रूमेंट और टीएएन, टीबीएन, नमी की मात्रा निर्धारण करने वाले यंत्र खरीदे गए हैं। एचईएमएम के विभिन्न उप–उपस्करों की समयपूर्व खराबी से रोकथाम एवं लुब्रीकेटिंग तेलों में मिलावट की जांच हेतु सीसीएल में तीन आरआर शॉप उत्तरी तापिन, कथारा और डकरा में लगाने की प्रक्रिया जारी है।

6. वर्ष 2017–18 की वार्षिक ऊर्जा लेखा का संकलन कर नवंबर 2018 में एक पुस्तक प्रकाशित कि गई और समस्त सबंधित को परिचालित किया गया।

7. सी.सी.एल के उरीमारी एवं अशोक परियोजना में डीजल वितरण मशीन के ऑटोमेशन को पूर्ण कर लिया गया है, और द्वितीय चरण में (i) रजरप्पा, (ii) परेज(पूर्व) (iii) तापिन(उत्तरी) (iv) करमा (v) पिपरवार (vi) केडी हेसालॉग एवं (vii) पूरनाडीह परियोजना में डीजल वितरण यंत्र को स्वचालित करने का कार्य प्रगति पर है।

8. सूचना एवं प्रौद्योगिकी पहल के अंर्तगत सी.सी.एल के सभी डीजल वितरण इकाईयों में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली लगाई गई है जो डीजल की प्राप्ति, निर्गम, भंडारण एवं खपत के संदर्भ में मौजूदा मानक संचालन प्रक्रियाओं (एस.ओ.पी) में शामिल हैं। सी.सी.एल की सभी क्षेत्रों में अनुपालन हेतु यह संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) परिचालित की गई हैं।

13. इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार विभाग

'डिजिटल भारत' के युग में, ईएंडटी विभाग किसी संगठनात्मक निकाय के संवेदी प्रत्यंग (आँख,नाक,गले) के समान है। इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार विभाग द्वारा कई क्रांतिकारी परियोजनाएं कार्यान्वित की गयीं हैं । इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से दैनिक सम्प्रेषण सुगम हुआ है जिसके कारण हमारे वृहत प्रसरित क्षेत्र करीब आयें है तथा कोयला प्रेषण एवं परिवहन में पारदर्शिता आई है। कुछ प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैंः–

13.1 सीसीएल कमान क्षेत्रों में आरएफआईडी युक्त सीसीटीवी आधारित वजन नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली और जीपीएस/ जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम :

सुरक्षित खानों की उत्पादकता अधिक होती हैं अतएव सीसीएल ने जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम, सीसीटीवी आधारित वजन नियंत्रण और आर.एफ.आई.डी. निगरानी प्रणाली की सहायता से अपनी खानों को सुरक्षित, उत्पादक और प्रभावकारी बनाने की पहल की है। कोयला मंत्रालय ने जी.पी.एस. (ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम) के माध्यम से सीआईएल के सभी खदानों के भीतर एवं खादानों से रेलवे साइडिंग या वाशरी भेजे जाने वाले समस्त कोयले की निगरानी करने का निर्देश दिया है ।

सी.आई.एल. पर्यावरणानुकूल उत्पादन तकनीक के प्रयोग पर निरंतर जोर दे रहा है, साथ ही साथ कर्मचारियों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और कोयला–उत्पाद की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जा रहा है । सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, मेसर्स ऑरेंज बिजनेस सर्विसेज इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई द्वारा सीसीएल में 36.31 करोड़ की कुल लागत से एकीकृत प्रणाली लगायी गयी हैं। कार्य–आदेश के तहत विभागीय ट्रक, डंपर्स और प्राइवेट टिपर्स की ट्रैकिंग शामिल है, 112 रोड वेब्रिजों में सीसीटीवी के साथ आर.एफ.आई.डी. निगरानी प्रणाली, 52 परियोजना कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण और 11 क्षेत्रीय कार्यालयों में 24´7 नियंत्रण कक्ष जिसकी निगरानी के लिए केंद्रीय नियंत्रण–कक्ष सीसीएल(मुख्यालय), रांची में होगा । परियोजना 5 साल के लिए किराये के आधार पर है। दो चरणों में परियोजना का कार्यान्वयन किया गया है :

प्रथम चरण – उत्तरी कर्णपुरा और पिपरवार क्षेत्र

द्वितीय चरण – अन्य सभी क्षेत्र (अरगडा, बोकारो–करगली, बरका सयाल, ढोरी, हजारीबाग, कथारा, कुजू, रजहरा और रजरप्पा)

आर.एफ.आई.डी आधारित समेकित जी.पी.एस. / जी.पी.आर.एस. आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली जैसे स्वचालित बूम–बैरियर आदि और वेब्रिजों के नियंत्रण / निगरानी के लिए सीसीटीवी निगरानी प्रणाली प्रारंभ की गयीं है। परियोजना का रेंटल फेज 01.06.18 से प्रारंभ हो चुका है. जैसा कि सभी क्षेत्रों में पर्याप्त इन्टरनेट लीज लाइन बैंडविड्थ उपलब्ध है, सीसीएल ने सभी 112 रोड वेब्रिजों के सीसीटीवी कैमरों से सजीव फुटेज प्राप्त करने का प्रबंध किया है जिनकी केन्द्रीयकृत निगरानी सीसीएल,मुख्यालय से की जा रही है। उपर्युक्त 11 क्षेत्रों के अतिरिक्त, मगध–आम्रपाली के सीसीटीवी कैमरों की भी निगरानी सीसीएल, मुख्यालय द्वारा की जा रही है। डैशबोर्ड अलर्ट का विश्लेषण क्षेत्र एवं सीसीएल,मुख्यालय दोनों के स्तर पर किया जाता है एवं उत्पन्न अलेर्टों की संख्या न्यून करने हेतु क्षेत्र स्तर पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट मासिक तौर पर प्राप्त किया जाता है। यह योजना चोरी रोकने तथा संपूर्ण डिस्पैच की परिचालन क्षमता की वृद्धि में सहायक सिद्ध होगी। इस प्रणाली को लागू करने से श्रमिकों और खानों के आसपास काम करने वाले लोगों की सुरक्षा में सुधार करने में सहायता प्राप्त होती है, ट्रक चालकों द्वारा ड्राइविंग नियमों के अनुपालन में सुधार और अनियंत्रित वाहन परिचालन के कारण होने वाली दुर्घटना, ट्रक की गति में नियंत्रण और ओवरलोडिंग से बचाव होता है।

13.2 सीसीएल का वैन / लैन नेटवर्क

केंद्रीकृत इकाइयों एवं रांची स्थित मुख्यालय सहित सीसीएल 12 क्षेत्रों में कार्यरत है। वैन / लैन की कनेक्टिविटी दूरस्थ क्षेत्रों में अवस्थित समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों, परियोजना कार्यालयों, वेब्रिजों (भूमार्ग एवं रेल), क्षेत्रीय स्टोर और केंद्रीकृत इकाइयों में प्रदान की जाती है. सभी इकाइयों, परियोजनाओं, रोड तथा रेल वेब्रिजों और सीसीएल के क्षेत्रीय भंडार से सीसीएल(मुख्यालय) को डेटा ट्रांसफर की सुविधा उपलब्ध है । मेसर्स टेलीकम्यूनिकेशन कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा 5 साल के लिए किराये के आधार पर सीसीएल में वैन लगाया गया । मेसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड एमपीएलएस, वीएसएटी और आईएलएस के लिए बैंडविड्थ की सेवा प्रदान कर रहा है। प्रत्येक कमान क्षेत्र, क्षेत्रीय स्टोर और केंद्रीकृत इकाईयों को ओएफसी या आरएफ लिंक के माध्यम से 2 एमबीपीएस का एमपीएलएस दिया जाता हैं और सीसीएल (मुख्यालय) में 10 एमबीपीएस का एमपीएलएस और 10 एमबीपीएस आईएलएल लिंक है, जिसकी आवश्यकता अब नहीं है । वैन पॉइंट 176 स्थानों पर दिया गया है . क्षेत्रीय कार्यालय के सभी वैन पॉइंट में लैन पोर्ट के न्यूनतम 20 पोर्ट हैं और सभी परियोजना कार्यालयों में लैन के 5 पोर्ट दिये जाते हैं। भविष्य में किसी भी डेटा आधारित नेटवर्क का विकास लैन / वैन प्लेटफॉर्म के संचार नेटवर्क पर ही किया जायेगा ।

यह प्रणाली पहले से ही स्थापित है एवं सितंबर'15 से कार्य कर रही है । यह वास्तविक समय में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, केंद्रीय और क्षेत्रीय स्टोर, परियोजना कार्यालयों, केंद्रीय अस्पताल, माइन रेस्क्यू स्टेशन, सभी क्षेत्रीय मुख्यालय के विभिन्न कार्यालयों के मध्य ऑनलाइन डेटा एक्सचेंज को सुनिश्चित करेगा। सीसीएल में सुरक्षा, दक्षता और चोरी की रोकथाम में इस कनेक्टिविटी का उपयोग जीपीएस / जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम और आरएफआईडी सहित सीसीटीवी आधारित वजन नियंत्रण और निगरानी प्रणाली के साथ किया जाएगा। यह प्रणाली सभी परियोजना कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और सीसीएल, मुख्यालय से वास्तविक समय पर वाहनों की निगरानी प्रदान करती है।

13.3 सेकेंडरी वैन नेटवर्क

सीसीएल के समस्त कमान क्षेत्रों में बेहतर वैन कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए मेसर्स टीसीआईएल की मौजूदा वैन नेटवर्क के अतिरिक्त दिनांक 26.02.2018 को मेसर्स बीएसएनएल को कार्य–आदेश जारी किया गया। कुल 57.09 करोड़ रुपये की लागत के साथ इस नेटवर्क के अंतर्गत 5 साल तक किराये पर 279 लिंक उपलब्ध रहेंगे । सीसीएल मुख्यालय में 100 एमबीपीएस एमपीएलएस–वीपीएन लिंक और एमआरएस, रामगढ़ में स्टैंडबाय सर्वर के लिए 40 एमबीपीएस एमपीएलएस वीपीएन लिंक प्रदान किया गया है। 10 एमबीपीएस एमपीएलएस–वीपीएन लिंक का उपयोग समस्त क्षेत्रीय मुख्यालय, केंद्रीय इकाइयों और क्षेत्रीय स्टोर को सीसीएल मुख्यालय जोड़ने के लिए किया जाएगा। सीसीएल के सम्बद्ध क्षेत्रों एवं विक्रय कार्यालयों, परियोजना अधिकारी कार्यालय, इकाइयों, रोड और रेल वेब्रिज के ऑनलाइन कार्यों हेतु 2 एमबीपीएस लिंक का उपयोग किया जाएगा । इस योजना अंतर्गत 261 लिंकों को सफलतापूर्वक पूर्ण एवं क्रियान्वयन किया गया है ।

13.4 सीसीएल कमान क्षेत्रों में संवेदनशील स्थलों पर सीसीटीवी द्वारा निगरानी :

कोयला मंत्रालय और सीवीओ, सीआईएल के निर्देशानुसार कोयला चोरी की किसी भी संभावना की रोकथाम के लिए सीसीएल के सभी क्षेत्रों में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित की गयी है। सीवीओ,सीआईएल के दिशानिर्देशानुसार प्रत्येक क्षेत्र को सीसीटीवी निगरानी प्रणाली से कवर किया जा रहा है। स्टोर्स, विस्फोटक मैगजीन, प्रवेश–निकास बिंदु, रेल वेब्रिज और अन्य संवेदनशील स्थलों पर सीसीटीवी लगाया जा रहा है।

सीसीएल कमान क्षेत्रों के सभी संवेदनशील स्थलों पर 1423 सीसीटीवी स्थापित किए गए हैं और कार्य कर रहें हैं। सीसीएल कमान क्षेत्रों में सीसीटीवी के माध्यम से रेलवे साइडिंग और कोयला डंप की निगरानी की जा रही है। क्षेत्र के सभी कैंमरो की व्यवस्था / नेटवर्किंग की केन्द्रीयकृत निगरानी क्षेत्रीय मुख्यालय में की जाती है ।

13.5 इंटरनेट लीज लाइनः

सीसीएल द्वारा सीसीएल मुख्यालय और समस्त क्षेत्रों में विभिन्न इन्टरनेट प्रदाताओं के माध्यम से विभिन्न बैंडविड्थ की इंटरनेट लीज लाइन प्रदान की है। सीसीएल मुख्यालय में प्रदत्त इंटरनेट भी वैन / लैन के माध्यम से केंद्रीकृत इकाइयों तथा सभी आवश्यक स्थानों पर दिया गया है। इंटरनेट लीज लाइनों का व्यापक उपयोग वाई–फाई, बॉयोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली, वीटीएस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई–खरीद / ई–निविदा, वेब ब्राउजिंग इत्यादि में किया जाता है ।

सीसीएल,मुख्यालय द्वारा मेसर्स सिफी टेक्नोलॉजी लिमिटेड से ई–निविदा द्वारा 310 एमबीपीएस बैंडविडथ का आईएलएल सर्वोत्तम बाजार मूल्य रु0 9,97,100,00 में खरीदा गया, जबकि इसकी प्राक्कलित राशि रु0 53,00,000.00/– थी । सीसीएल मुख्यालय में मेसर्स सिफी टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा आईएलएल बैंडविड्थ को 30 एमबीपीएस

से 155 एमबीपीएस में स्तरोन्नत किया गया है जिसका प्रयोग लैन के वितरण में किया गया . इसके अलावा मेसर्स ऑरेन्ज बिजनेस सर्विसेज द्वारा प्रदत्त जीपीएस/जीपीआरएस, आरएफआईडी, विडियों कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम एवं बायोमिट्रिक उपस्थिति प्रणाली हेतु आईएलएल बैंडविड्थ को मेसर्स सिफी द्वारा 30 एमबीपीएस से 155 एमबीपीएस में स्तरोन्नत किया गया है। गिरीडीह एवं रजहारा के अतिरिक्त सभी क्षेत्रों में न्यूनतम 10 एमबीपीएस का आईएलएल बैंडविडथ है।

13.6 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली : मुख्यालय एवं क्षेत्र

वर्ष 2017 के नवंबर महीने से सीसीएल के समस्त 12 क्षेत्र, केंद्रीय कर्मशाला, बरकाकाना और सीसीएल,मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली स्थापित एवं परिचालित है। रिकॉर्डिंग सर्वर एवं सेंट्रल स्ट्रीमिंग के साथ मास्टर कंट्रोल यूनिट (एमसीयू) सीसीएल मुख्यालय, रांची में स्थापित है। सभी दूरस्थ स्थानों में 01 वीडियो एंडपॉइंट के साथ एक पब्लिक आईपी, यूपीएस और एक डिस्प्ले यूनिट प्रदान किया गया हैं। यह प्रणाली आईएलएल पर काम करती है, जिसके कारण सीआईएल(कोलकाता) की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के एमसीयू और सार्वजनिक आईपी की किसी भी वीसी सिस्टम से कनेक्ट किया जा सकता है।

विगत वर्ष, समस्त कार्यकारी निदेशकों, सीवीओ कक्ष एवं गिरिडीह क्षेत्र में वीसी प्रणाली के विस्तार हेतु 9 विडियो एंडपॉइंट्स एवं यूपीएस खरीदे गए.

13.7 स्मार्ट–क्लासः

सीसीएल एवं बीसीसीएल की ''मेरे लाल'' और ''मेरी लाडली'' के लिए वीडियो इंटरैक्टिव सुविधा सहित स्मार्ट–क्लास हेतु मेसर्स बीएसएनएल को 2,21,57,477.00 की राशि का कार्य–आदेश दिया गया । सीसीएल एवं बीसीसीएल के 08 स्थानों पर वीडियो इंटरएक्टिव सुविधा सहित स्मार्ट क्लासरूमों को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। सीआईएल, कोलकाता से 09.09.2017 को माननीय रेल एवं कोयला मंत्री श्री पियूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया । प्रथम चरण में, इस प्रणाली का केंद्रीय सर्वर सहित मुख्य स्टूडियो गांधीनगर,रांची में स्थित है जो मेसर्स बीएसएनएल के 20 एमबीपीएस के एमपीएलएस बैंडविड्थ के माध्यम से सीसीएल और बीसीसीएल के 07 स्थानों(धोरी (सीसीएल), बरकाकाना (सीसीएल), डाकरा (सीसीएल), ब्लॉक–2(बीसीसीएल), कतरास(बीसीसीएल), लोदना(बीसीसीएल), कल्याण भवन (बीसीसीएल) से 02 एमबीपीएस एमपीएलएस बैंडविड्थ के माध्यम से जुड़ा हुआ है। परियोजना का द्वितीय चरण जुलाई'19 में पूर्ण कर लिया जायेगा जिसमे उपरोक्त 08 स्थलों पर समान इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित एक अतिरिक्त कमरे की व्यवस्था की जाएगी।

इस स्मार्ट क्लास के द्वारा दूरूस्त क्षेत्रों के छात्रों को इंजीनियरिंग एवं बोर्ड स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी में सहायता मिली है।

14. सुरक्षाः

किसी भी संगठन में संवहनीयता के लिए सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो उद्योग के विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सुरक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों एवं अनिवार्य नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं को शून्य हानि हेतु अंगीकार करना है ।

कंपनी ने वर्ष 2015 और 2016 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त करके सुरक्षा के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है, जिसका विवरण इस प्रकार है :–

वर्ष	खदान के प्रकार	श्रेणी	खदान के नाम	पुरस्कार
2015	खुली खदान परियोजना	एल. आई. एफ. आर. एम.–टा. इप –3	जरंगडीह	उप–विजेता
2015	खुली खदान परियोजना	एल. आई. एफ. आर. ओ.–टाइप –3 ए	आम्रपाली	उप–विजेता
2016	खुली खदान परियोजना	एल. ए. एफ. पी. –टाइप –3	चयनित ढोरी खदान 1 (कल्याणी परियोजना)	उप–विजेता
2016	खुली खदान परियोजना	एल. आई. एफ. आर. ओ. –टाइप –3 बी	जारंगडीह	विजेता

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, विभाग द्वारा कई पहल किये गए जिनका निम्नलिखित हैं:–

14.1 सुरक्षा प्रबंधन योजनाः

खुली खदानों एवं भूमिगत खानों में सम्बद्ध खतरे को देखते हुए डीजीएमएस अधिकारियों,खदान कर्मियों और आईएसओ के सिमटार्स (SIMTARS) के प्रशिक्षित विशेषज्ञों के संगठित प्रयासों से सुरक्षा प्रबंधन योजना तैयार की गई है। सुरक्षा संचालन प्रक्रिया बनाकर संबंधित कर्मियों को वितरित की गई है। आवधिक अंतराल पर इसकी समीक्षा की जाती है। यह एक अविरल प्रक्रिया है।

14.2 सीसीएल सुरक्षा बोर्ड की बैठकः

सीसीएल सुरक्षा बोर्ड की बैठक प्रत्येक माह के द्वितीय शुक्रवार को रोटेशन के आधार पर निदेशक (तक.)(संचा.) की अध्यक्षता में सीसीएल सुरक्षा बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ किसी क्षेत्र विशेष में आयोजित की जाती है। यह बैठक में क्षेत्रीय महाप्रबंधक, सीसीएल मुख्यालय के विभागाध्यक्षगण, ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि और आईएसओ अधिकारियों की उपस्थिति में सम्पन्न होती है । ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि तथा आईएसओ अधिकारीगणों द्वारा निर्धारित बैठक से 15 दिन पूर्व उस क्षेत्र विशेष के प्रत्येक खदान का निरीक्षण किया जाता है । निरीक्षण के आधार पर प्रत्येक खदान की खामियों को दूर करने के लिए खदान प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई संबंधित परियोजना अधिकारी और प्रबंधक द्वारा पॉवरपॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से प्रदर्शित की जाती है।

14.3 क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी के साथ समीक्षा बैठकः

प्रत्येक महीने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा सीसीएल मुख्यालय, रांची में आयोजित बैठक में की जाती है। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता निदेशक(तक./संचा.) या निदेशक(तक./यो. एवं परि.) द्वारा की जाती है एवं इसमें क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी तथा आईएसओ अधिकारीगण शामिल होते हैं ।

14.4 सुरक्षा समिति का सुदृढ़ीकरणः

पिट सुरक्षा समिति की दो बैठकें खदान में आयोजित की जाती हैं और किसी एक बैठक में क्षेत्रीय महाप्रबंधक सम्मिलित होते हैं। त्रिपक्षीय समिति के ट्रेड यूनियन सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाता है। प्रत्येक खदान में, जहां विभागीय और संविदात्मक दोनों का संचालन होता हैं ,खादान की विभागीय बैठक में संविदात्मक श्रमिकों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाता है। अन्य दूसरी बैठक प्राथमिकतः ठेकेदार

की कर्मशाला में आयोजित की जाती है और ठेकेदार के कर्मियों के प्रतिनिधियों की अधिकतम भागीदारी बल दिया जाता है ।

यह सर्वाधिक प्रभावशाली मंच है जहां प्रतिभागी जमीनी स्तर पर अपना बहुमूल्य सुझाव देते हैं।

14.5 आईएसओ का सुदृढ़ीकरणः

दो सिम्तास (SIMTARS) प्रशिक्षित अधिकारियों और एक वरिष्ठ भूवैज्ञानिक के पदस्थापन से आईएसओ को सुदृढ़ किया गया है। ई–8 रैंक अधिकारी की अध्यक्षता में स्ट्रेटा नियंत्रण कोषांग को आईएसओ, सीसीएल मुख्यालय में स्थापित किया गया है, जिनकी सहायता दो वरिष्ठ खनन अधिकारीगण कर रहें है ।

इसके अलावा 10 प्रबंधन प्रशिक्षुओं(भूविज्ञान) को विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया गया है एवं जो दैनिक कार्य हेतु संबंधित क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं।

14.6 सुरक्षा ड्राइवः

आईएसओ द्वारा संचालित विभिन्न सुरक्षा अभियान इस प्रकार हैं:

(क) दिनांक 12.06.2018 से 28.06.2018 तक संविदात्मक श्रमिकों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा अभियान।

(ख) दिनांक 16.05.2018 से 29.05.2018 तक खुली खादानों के मानसून की तैयारी पर सुरक्षा अभियान ।

(ग) दिनांक 22.05.2018 से 26.05.2018 तक भूमिगत खानों में मानसून की तैयारी पर सुरक्षा अभियान।

14.7 सुरक्षा कार्यशालाः

(क) दिनांक 14.05.2018 एवं 15.05.2018 को "विचार मंच", सीसीएल, मुख्यालय, रांची में सुरक्षा प्रबंधन, ट्रैप (ट्रिगर्ड रिसपोंस एक्शन प्लान), परिवहन निगम, खुली खदानों में इल्युमिनेशन, शटडाउन प्रक्रिया, एन. जी. आर., ओ. सी. बी. का चरणबद्ध प्रवर्तन, एच. ई. एम. एम. में सुरक्षा सुविधा तथा स्लोप निगरानी पर कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें सभी क्षेत्रों के महाप्रबंधक, खानों के सभी सुरक्षा अधिकारी, खानों के सभी प्रबंधक, सभी परियोजना अभियंता (ई. एंड एम.)/ (उत्खनन), सभी परियोजना अधिकारी, सभी कोलियरी सर्वेक्षक उपस्थित थे।

(ख) केन्द्रीयकृत सुरक्षा सूचना प्रणाली पर एक दिवसीय कार्यशाला सितम्बर 2018 को विचार मंच, सीसीएल मुख्यालय, रांची में आयोजित की गई जिसमे सभी प्रबंधकों, सभी क्षेत्रीय सुरक्षा और आईएसओ अधिकारियों ने भाग लिया था।

14.8 कृत्रिम पूर्वाभ्यासः

प्रत्येक भूमिगत खदानों को आवधिक अंतराल पर खदान प्रबंधन द्वारा कृत्रिम पूर्वाभ्यास हेतु संचालित किया जाता है, जिसकी निगरानी आईएसओ अधिकारियों द्वारा की जाती है।

हॉलाकि, आईएसओ अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित कृत्रिम पूर्वाभ्यास का आयोजन किया गया था।

(क) दिनांक 05.10.2018 को भुरकुंडा के भूमिगत खदान में ।

(ख) दिनांक 14.12.2018 को सारुबेरा के भूमिगत खदान में ।

यह अविरल प्रक्रिया है।

14.9 केंद्रीकृत सुरक्षा सूचना प्रणाली (CSIS) पोर्टलः

सीएसआईएस पोर्टल को ऑपरेटिव बनाया गया है जहां खदान प्रबंधक द्वारा समस्त रिपोर्ट, आंकड़े और डेटा, सांविधिक श्रमशक्ति, वैधानिक दस्तावेज, प्रशिक्षण, निरीक्षण रिपोर्ट, दुर्घटना/घटनाएं आदि अपलोड किये जाते हैं। इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए आईएसओ अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

14.10 अंतर क्षेत्रीय सुरक्षा लेखाः

अंतर क्षेत्रीय सुरक्षा लेखा सितंबर 2018 के महीने में आयोजित की गई थी । लेखा परीक्षण के दौरान पाए गए खंडन को संबंधित क्षेत्रों के आईएसओ अधिकारियों द्वारा नियमित जांच की जाती है।

14.11 वैधानिक श्रमशक्तिः

सीसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित श्रमशक्ति बजट 2018–19 अनुसार वैधानिक श्रमशक्ति की अपर्याप्तता निम्नवत हैं:

ओवरमैन	–	49
माइनिंग सरदार	–	176
विद्युत पर्यवेक्षक	–	67
इलेक्ट्रीशियन	–	124

वैधानिक श्रमशक्ति की अपर्याप्तता विषयक कृत कार्रवाई प्रतिवेदन :–

(क) माइनिंग सिरदार – माइनिंग सिरदार के चयन हेतु 269 पद विज्ञापित किए गए थे । लिखित परीक्षा के उपरांत परिणाम प्रकाशित कर दिया गया है। पदस्थापन हेतु 241 सफल अभ्यर्थियों का चयन किया गया है ,सत्यापन हेतु प्रमाण–पत्र डीजीएमएस में प्रक्रियाधीन है।

(ख) इलेक्ट्रीशियन – इलेक्ट्रीशियन के चयन हेतु 211 पद विज्ञापित किए गए थे । लिखित परीक्षा के उपरांत परिणाम प्रकाशित कर दिया गया है। पदस्थापन हेतु 88 सफल अभ्यर्थियों का चयन किया गया है । दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। उन्हें 2019 के चुनाव पश्चात पदस्थापित किया जाएगा।

14.12 सुरक्षा प्रदर्शनः

विवरण	अप्रैल 2018– मार्च 2019	अप्रैल 2017– मार्च 2018
संघातक दुर्घटना	7	4
मृत्यु	10	5
गंभीर दुर्घटना	8	5
गंभीर चोट	14	6
मृत्यु दर प्रति मिलियन क्यूबिक मीटर सम्पूर्ण (ओ. बी. कोयला) (भूमिगत खुली खदान परियोजना)	0.06	0.04
मृत्यु दर प्रति 3 लाख मैनशिफ्ट, सम्पूर्ण	0.36	0.17
गंभीर आघात दर प्रति मिलियन क्यूबिक मीटर	0.11	0.04
गंभीर आघात दर प्रति 3 लाख मैनशिफ्ट	0.59	0.21

14.13 वैज्ञानिक अध्ययनः

(क) 5 खुली खदान हेतु पिट स्लोप और डंप स्लोप की स्थिरता के लिए वैज्ञानिक अध्ययन पूरा कर लिया गया है और सीसीएल के कमांड क्षेत्र के अंतर्गत 33 खुली खदान हेतु कार्य आदेश जारी किया गया है।

(ख) 4 भूमिगत खदानों के लिए स्ट्रेटा नियंत्रण और जांच योजना तैयार करने का कार्य आदेश जारी कर लिया गया है।

(ग) 2018–19 के दौरान सीसीएल के 6 भूमिगत खानों से 620 खदान वायु के नमूनों का विश्लेषण किया गया है।

(घ) निम्नलिखित विषयों पर प्रबंधन प्रशिक्षुओं (भूविज्ञान) हेतु संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(i) दिनांक 30.06.2018 को खान–सुरक्षा में भूवैज्ञानिक रिपोर्ट का उपयोग ।

(ii) 05.09.2018 को खुली खादानों के पिट स्लोप और डंप स्लोप की स्थिरता हेतु वैज्ञानिक अध्ययन की अवधारणा।

(iii) दिनांक 27.02.2019 को सीसीएल अंतर्गत विभिन्न खादानों के भूविज्ञान से सम्बद्ध खादान के सुरक्षात्मक पहलू।

14.14 सुरक्षात्मक उपस्करों का क्रय :

(क) कैनवास के 32392 जोड़े खनन जूते क्रय किए गए हैं।

(ख) 11565 पानी की बोतलें खरीदी गई।

(ग) 6000 मि. ब्रेटिस कपड़े की खरीद की गई है।

(घ) 568 जोड़े नी. बूट और 835 जोड़े एंकल बूट खरीदे गए।

(ङ) भूमिगत खदानों में लकड़ियों की आपूर्ति हेतु रु 95,00,200.00 का दर अनुबंध निष्कर्षित किया गया।

(च) 150 एम. टी. टी एम टी बार की आपूर्ति के लिए मेसर्स सेल द्वारा आपूर्ति आदेश जारी किया गया।

15. कार्मिक प्रबंधन तथा औद्योगिक सम्बन्ध

15.1 कार्मिक प्रबंधन

31.03.2018 की वर्तमान श्रमशक्ति–40777 की तुलना में 31.03.2019 को कम्पनी का श्रमशक्ति–39222 था। 31.03.2018 की तुलना में 31.03.2019 का श्रेणीवार श्रमशक्ति निम्न प्रकार है :

श्रेणी	31.03.2019	31.03.2018
अधिकारी	2361	2401
पर्यवेक्षक	3165	3206
अतिकुशल / कुशल	13005	13448
कुशल / अकुशल (टी.आर.)	15524	16078
अर्द्धकुशल / अकुशल(पी.आर.)	1075	1261
लिपिक कर्मचारी	3720	3749
अन्य	372	634
कुल	**39222**	**40777**

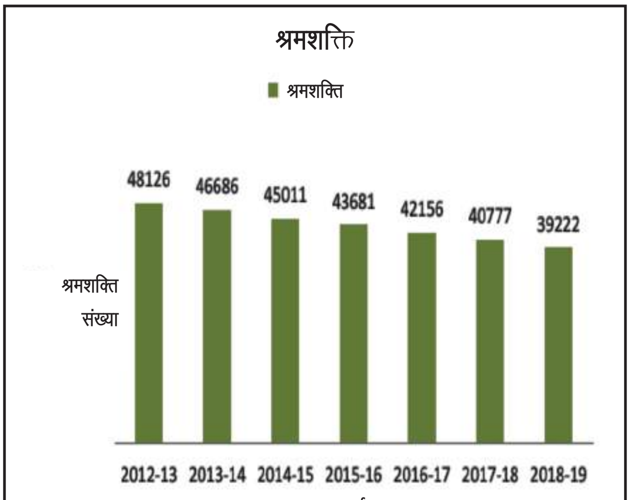

अतः वर्ष 2018–19 के दौरान कम्पनी की कुल श्रमशक्ति में 1555 की कमी दर्ज की गई, संदर्भित वर्ष के दौरान 2267 कर्मचारियों की संख्या घटी, मौजूदा श्रमशक्ति में 712 कर्मचारियों को जोड़ा गया।

कटौती :

मदों के अंतर्गत श्रमशक्ति कटौती	कर्मचारियों की संख्या **(31.03.2019)**
सेवानिवृत्ति / सुपरएनुएशन	1642
वीआरएस (जीएचएस)	0
मृत्यु	362
निष्कासन / बर्खास्तगी	33
इस्तीफा	17
अन्तर–कम्पनी स्थानान्तरण	82
चिकित्सीय अयोग्यता	0
अन्य	131
कुल कटौती	2267

जोड़ :

मदों के अंतर्गत श्रमशक्ति कटौती	कर्मचारियों की संख्या **(31.03.2019)**
9.3.0 के तहत नियुक्ति	402
9.4.0 के तहत नियुक्ति	05
मृत अधिकारियों के आश्रितों की नियुक्ति	03
लैंड लूजर स्कीम के तहत नियुक्ति	73
अन्तर–कम्पनी स्थानान्तरण	68
पुनःस्थापन	04
नयी भर्ती	109
पुरस्कार प्रकरण	00
अन्य	48
कुल जोड़	712

15.2 भर्ती विभाग की प्रमुख उपलब्धियां :

वर्ष 2018–19 में सीसीएल ने राष्ट्र के युवाओं को रोजगार के प्रचुर अवसर प्रदान किए गए तथा राष्ट्र में कोयले की मांग के समुनुरूप भर्ती विभाग द्वारा सांविधिक एवं गैर–सांविधिक श्रमशक्ति की नियुक्ति की गयी ।

मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :–

डिजिटल इंडिया प्लैटफार्म को ध्यान में रखकर, सीसीएल नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता अक्षुण्ण रखने तथा अभ्यर्थियों को सूचित करने हेतु ऑनलाइन नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखी गयी है ।

1. बाह्य भर्ती की प्रक्रिया में पूर्णतया ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते है . सीसीएल की सम्पूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी, किफायती एवं समयबद्ध करने हेतु एसबीआई के ऑनलाइन भुगतान पटल के माध्यम से ई–भुगतान की सुविधा प्रदान की जा रही है .
2. ओएमआर मशीन के द्वारा ओएमआर शीट का पूर्णरूपेण कम्प्यूटरीकृत मूल्यांकन । कंप्यूटरीकृत ओएमआर मूल्यांकन की सुविधाएं कोल इंडिया की अन्य सहायक कंपनियों जैसे ई०सी०एल, बी०सी०सी०एल, डब्ल्यू०सी०एल तथा सी०एम०पी०डी०आई और सीसीएल की विभिन्न विभागीय परीक्षाओं हेतु प्रदान की जाती है।

3. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट में कोल इंडिया प्रबंधन प्रशिक्षुओं की परिवीक्षा समापन परीक्षा के लिए भी ओएमआर मशीन द्वारा पूर्णरूपेण कम्प्यूटरीकृत मूल्यांकन की सुविधा सीसीएल प्रदान करती है।

4. सीसीएल/बीसीसीएल के लाल/लाडली प्रवेश परीक्षा जैसी विशाल परियोजना के लिए भी ओएमआर मशीन द्वारा लगभग 4000 ओएमआर शीट का पूर्णरूपेण कम्प्यूटरीकृत मूल्यांकन सफलतापूर्वक किया गया।

5. वित्त वर्ष 2018–19 में निम्लिखित पदों पर नियुक्ति हेतु 01 आंतरिक अधिसूचना एवं 02 रोजगार सूचनाएं प्रकाशित की गयीं –

आंतरिक अधिसूचनाः

(क) फार्मासिस्ट – 10 पद

(ख) तकनीशियन (पैथोलॉजिकल) – 7 पद

(ग) जू. सेनेटरी इंस्पेक्टर – 3 पद

आंतरिक अधिसूचना के आधार पर विभागीय अभ्यर्थियों के मध्य 3 अभ्यर्थी सफल हुए–

(क) फार्मासिस्ट – 02

(ख) तकनीशियन(पैथोलॉजिकल) – 01

(ग) जू. सेनेटरी इंस्पेक्टर – शून्य

बाह्य अधिसूचना :

(क) माइनिंग सिरदार – 269 पद (एससी/एसटी/ओबीसी के 208 बैकलॉग पदों सहित)

(ख) इलेक्ट्रीशियन(गैर–उत्खनन) – 211(एससी/एसटी/ओबीसी के 166 बैकलॉग पदों सहित)

(ग) फार्मासिस्ट – 08 पद

(घ) तकनीशियन (पैथोलॉजिकल) – 08 पद

(ङ) जू. सेनेटरी इंस्पेक्टर – 3 पद

6. माइनिंग सिरदार पद की 269 रिक्तियों के लिए बाह्य भर्ती तथा एलेक्ट्रिशन (गैर–उत्खनन) की 211 रिक्तियों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। माइनिंग सिरदार के 142 एवं इलेक्ट्रीशियन(गैर–उत्खनन) के 82 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रेषित कर दिया गया हैं।

16. मानव संसाधन विकास विभाग

16.1 2018–19 की उपलब्धियाँ

मानव संसाधन विकास विभाग कंपनी के प्रबंधकीय अधिकारियों, श्रमिको एवं संविदात्मक श्रमिकों, कर्मचारियों और हितधारकों के सैद्धांतिक एवं प्रयोगकीय कौशल के विकास एवं संश्लेषण हेतु प्रयासरत है।

प्रबंधन के प्रयोजनमूलक क्षेत्रों को कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए, यह विभाग, कार्यात्मक अधिकारियों को क्रॉस–फंक्शनल इनपुट प्रदान करता है। अधिकारियों के लिए सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम, प्रबंधन प्रशिक्षुओं एवं नवनियुक्त अधिकारियों हेतु प्रवेशन एवं विषयबोध कार्यक्रम आयोजित करता है।

फ्रंटलाइन पर्यवेक्षकों का कौशल–विकास और गैर–अधिकारियों का कौशल–उन्नयन कार्यक्रम इस विभाग के कुछ केंद्रीय कार्य–क्षेत्र हैं।

भागीदारों के कौशल संवर्द्धन और लाभकारी उपजीविका हेतु कौशल प्रदान करने हेतु यह विभाग प्रतिबद्ध है।

उपरोक्त उद्देश्यों एवं पद्धतियों को दृष्टिगत करते हुए, वर्ष 2018–19 के दौरान इस विभाग की प्रमुख उपलब्धियां निम्नवत है :

सीसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड की वह एकमात्र सहायक कंपनी है जिसे बीटीटीआई, भुरकुंडा के आईटीआई पाठ्यक्रम में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड प्रारंभ करने का सम्मान प्राप्त है। सत्र 2014 –16 में 20 छात्रों का चयन किया गया था, 19 छात्रों को विभिन्न एजेंसियों द्वारा रोजगार हेतु नियुक्ति पत्र दिया गया । सत्र 2015–17 के लिए, 19 छात्रों का चयन कर पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया गया है और सभी को कमिन्स इंडिया प्राइवेट लि. की सहयोगी कंपनी जैकारा टेक्नो द्वारा नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया है। सत्र 2016–18 के लिए ,19 छात्रों का चयन किया गया था । प्रशिक्षण की समाप्ति के पश्चात ये सभी छात्र सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में अपरेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है एवं सत्र 2017–19 मे 21 छात्रों का चयन किया गया है तथा अभी ये छात्र बी०टी०टी०आई, भुरकुंडा मे चतुर्थ–सत्र मे अध्यनरत है। इसके अतिरिक्त सत्र 2018–20 मे 19 छात्र प्रथम–सत्र मे अध्यनरत हैं। इनके अतिरिक्त कंपनी की सीएसआर नीति के अंतर्गत, अजा/अजजा एवं परि. प्र. क्षेत्र के 25 छात्रों के एक बैच को खनन सिरदार प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए भूमिगत खदानों में कोचिंग दी जा रही है।

2016 के अजा/अजजा बैच के वर्तमान 40 छात्रों को खनन सिरदर परीक्षा की अहर्ता को प्राप्त करने के लिए हमारे भूमिगत खदानों में 04 वर्षीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, अब तक उन्होंने 02 वर्षों का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है।

सीसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड की एकमात्र सहायक कंपनी है जो सीआईएल एसएफवीआरएस स्कीम–2015 का चयन करने वालों के 15 बच्चों को आईटीआई के इलेक्ट्रिशियन, फिटर और वेल्डर ट्रेड तथा 39 बच्चों को माइनिंग सिरदारशिप का प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। वर्ष 2018 में उपरोक्त ट्रेड के प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है.

सीसीएल ने राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को गति प्रदान करने हेतु सीईटीआई,बरकाकाना में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों और अन्य के लिए कौशल विकास केंद्र विकसित करने की पहल की है। कंपनी ने कमान क्षेत्र अंतर्गत परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के कौशल–विकास के लिए एक पहल की है,जिससे सीएसआर योजनाओं के अंतर्गत उन्हें रोजगार प्रदान किया जा सके. वर्तमान में प्रशिक्षित किए जाने वाले इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर ट्रेड में प्रशिक्षित किया जा रहा हैं. इसकी अवधि छह महीने की जिसके अंतर्गत सैद्धांतिक एवं केंद्रीय कर्मशाला, बरकाकाना में अंतःकार्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा । प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति के पश्चात खनन क्षेत्र कौशल परिषद्, दिल्ली द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा एवं सफल अभ्यर्थियों को मेसर्स राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र दिया जाएगा. उक्त प्रशिक्षण बहु–कौशल विकास केंद्र, बरकाकाना द्वारा प्रदत्त होगा जो मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण प्रदाता है एवं एससीएमएस/एनएसडीसी, नयी दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त है.

चालू वित्त वर्ष के दौरान, 01/01/2018 को प्रारंभ एवं 30/06/2018 को समाप्त बैच–5 के सभी 49 प्रतिभागियों को सफल घोषित किया गया एवं एनएसडीसी द्वारा प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया । 10/12/2018 को प्रारंभ बैच–6 में 39 प्रतिभागी हैं जो 06/06/2019 को समाप्त होगा।

डंपर, डोजर, शोवेल, ड्रिल, पेलोडर, मोटर ग्रेडर ऑपरेटर जैसे एचइएमएम ऑपरेटरों को विभिन्न बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाता है। नामित कर्मचारियों की प्रारंभिक सैद्धांतिक कक्षाएं सीइटीआई, बरकाकाना में आयोजित की जाती हैं एवं उसके पश्चात अन्तःकार्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है. तत्पश्चात भविष्य में एचइएम संचालन में उनकी उपयुक्तता परखने हेतु परीक्षा आयोजित की जाती है।

परियोजना प्रभावित जन को प्रशिक्षण एवं बेसिक ऑपरेटर कोर्स के अतिरिक्त विभिन्न रिफ्रेशर कोर्स कंपनी के कर्मचारियों के लिए आयोजित किए जाते हैं, जिसमें उन्हें सीईटीआई/सीआरएस, बरकाकाना के प्राध्यापकों सहित ओईएम/ओईएस द्वारा विभिन्न तकनीकी प्रगति/सुरक्षा सुविधाओं की जानकारी प्रदान की जाती है।

- वर्ष 2018–19 के दौरान, मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा कार्यकारी अधिकारियों के प्रबंधकीय कौशल के विकास हेतु एवं गैर–अधिकारियों के कौशल उन्नयन हेतु एमटीसी, रांची, क्षेत्रीय जीवीटीसीयों , बीटीटीआई, भुरकुंडा, सीईटीआई, बरकाकाना, एसटीआई, रांची में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 2018–19 के दौरान 9199 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया । वर्ष 2018–19 में राष्ट्र के विभिन्न इंजीनियरिंगध एमबीए/बीबीए/एमसीए/बीसीए/खनन संस्थानों/कॉलेजों के 2782 छात्रों को अंतःकार्य प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।
- अप्रेंटिस एक्ट के तहत अपरेंटिस प्रशिक्षणः
- वर्ष 2018–19 के दौरान यह सीसीएल एवं कोल इंडिया के मध्य हुए एमओयू के अनुसार सीसीएल की कुल श्रमशक्ति (ठेका कर्मियों सहित) के 2.5% को अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्रदान करने के वचनबद्ध ता थी। मा.सं.वि ने तय समयसीमा के भीतर 2.5% अप्रेंटिस को प्रशिक्षण प्रदान करने के लक्ष्य की प्राप्ति कर ली जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

क्रं सं	कुल श्रमशक्ति (मार्च '19 तक)	कुल अप्रेंटिस	प्रतिशत
1	43,789	एनएटीएस (आईटीआई) – 705 एनएटीएस(डिप्लोमा) – 402 ———————— कुल = 1107	2.5%

- वित्तीय वर्ष 2018–19 में मानव संसाधन विकास विभाग ने प्रशिक्षण और सेमिनार के आयोजन मद हेतु प्रदत बजट राशि रु.11,66,00,000/– में से रु.9,11,30,522/– की राशि खर्च की है।

16.2 भविष्य की गतिविधियां

- सी० सी० एल० की कुल श्रमशक्ति (ठेकाकर्मियों सहित) में विभिन्न ट्रेडों से 5% का अप्रेंटिस प्रशिक्षण।
- विभिन्न जीवीटीसीयों में आधारभूत संरचना का विकास।
- मगध–आम्रपाली एवं राजहरा क्षेत्र में जीवीटीसी की स्थापना।
- मानव संसाधन विकास विभाग, सीसीएल, रांची में आधारभूत संरचना का विकास।
- मा.सं.वि. विभाग,मुख्यालय और बीटीटीआई में प्रशिक्षकों का पदस्थापन।
- खान सुरक्षा से सम्बद्ध इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में प्रशिक्षण।

17. कल्याण विभाग

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड एक मिनीरत्न कंपनी है। सीसीएल ने हमेशा सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखा है, जिसमें उत्पादन और कल्याण दोनों समाहित हैं।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने कल्याणार्थ बहु–आयामी दृष्टिकोण को अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता शामिल है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का लक्ष्य सुरक्षा, संरक्षण एवं गुणवत्ता को सम्यक प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए दक्षतापूर्वक और मितव्ययिता के साथ पर्यावरण के अनुकुल योजनाबद्ध परिमाण में कोयला एवं कोयला–उत्पाद का उत्पादन एवं विपणन करना है।

17.1 मुख्य क्षेत्र

1. **जल आपूर्ति :** राष्ट्रीयकरण के पश्चात जल–आपूर्ति की स्थिति में अत्यंत सुधार हुआ है। फिल्टरित एवं स्वच्छ जल प्रदान करने हेतु ठोस समेकित प्रयास किया जाता है। वर्तमान में , 10 जल प्रशोधन संयंत्र, 78 दाब प्रशोधन संयंत्र , 182 डीप बोर–होल अवस्थित है. इनके अलावा अरगडा–ए, बोकारो–करगली, कथारा और हजारीबाग क्षेत्र में छह (6) की संख्या में जल–प्रशोधन संयंत्र प्रस्तावित है, साथ ही साथ गोविंदपुर चरण –2, कथारा क्षेत्र में एक मल–शोधन संयंत्र का निर्माण किया जाएगा ।

2. **चिकित्सा सुविधाएं:** सीसीएल में 3–स्तरों में चिकित्सीय सेवाएँ प्रदान की जातीं है . प्राथमिक चिकित्सा डिस्पेंसरी के माध्यम से दी जाती है. क्षेत्रीय/केंद्रीय अस्पतालों के द्वारा द्वितीयक और तृतीयक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही है।

यहाँ चार केंद्रीय अस्पताल अवस्थित हैं :

- गांधीनगर अस्पताल,रांची
- केंद्रीय अस्पताल, नई–सराय
- केंद्रीय अस्पताल, धोरी
- केंद्रीय अस्पताल, उत्तरी कर्णपुरा

(क) अवसंरचना :

क्रम सं.	चिकित्सीय अवसंरचना	संख्या
1	अस्पताल	
	• केंद्रीय अस्पताल	04
	• एरिया अस्पताल	05
	• क्षेत्रीय अस्पताल	10
2	बिस्तर	892
3	डिस्पेंसरी	63
4	डॉक्टर	215
5	एम्बुलेंस	80

(ख) केंद्रीय अस्पतालों में मूल्य संवर्धित सेवाएं :

(i) गांधीनगर अस्पताल में मासिक आधार पर कार्डियोलॉजी से सम्बद्ध सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक प्रारंभ किया गया है, जिसमें मैक्स अस्पताल, नई दिल्ली के डॉ राजीव राठी और यशोदा अस्पताल , हैदराबाद के डॉ.पी के कुचलकांति हृदय–रोग(सलाहकार) विशेषज्ञ हैं।

(ii) गांधी नगर अस्पताल में 17 बिस्तरों का क्रिटिकल केयर यूनिट निम्नानुसार हैं :

- क. आई.सी.यू. : 06
- ख. सी.सी.यू. : 05
- ग. डायलिसिस : 03
- घ. रिकवरी : 03

(ग) सीसीएल द्वारा आयोजित मेडिकल कैंपों का विवरण लाभुकों की संख्या सहित (वर्ष 2018–19) :

चिकित्सा शिविरों की संख्या : 645

लाभुकों की संख्या : 101857

3. शिक्षा : सीसीएल में कर्मचारियों पर आश्रित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने पर विशिष्ट महत्व दिया जाता है।

क. वर्ष 2017–18 में निजी प्रबंधन स्कूलों को दिया गया अनुदानः

कम्पनी	राशि (मार्च 2018 तक)
सीसीएलः रांची	डीएवी स्कूल ------ रुपये 20.29 करोड़
	निजी प्रबंधित स्कूल ------ रुपये 1.23 करोड़
	केन्द्रीय विद्यालय ------ रुपये 02.81 करोड़

ख. छात्रवृत्तिः सीसीएल निम्नलिखित योजनाओं के तहत मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देता है, विवरण निम्नानुसार हैं:

सीआईएल छात्रवृत्तिः

क्रम सं.	विवरण	वर्ष	
		2017–18	2018–19
1	व्यय	13.52 लाख रू.	7.65 लाख रू.
2	बच्चों की संख्या	628	343

ग. ट्यूशन शुल्क प्रतिपूर्ति : – एनसीडब्ल्यूए– X के तहत गैर–अधिकारियों के बच्चों के लिए ।

क्रम सं.	विवरण	राशि (लाख में)	
		2017–18	2018–19
1	व्यय	रू. 46.65 करोड़	रू. 53 करोड़
2	बच्चों की संख्या	56	54

4. खेल–कूद और संस्कृति (एक नजर में) : 2018–19 में निम्नलिखित खेल–कूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं :

क्र.सं.	कार्यक्रम	स्थान
1.	अंतर क्षेत्रीय शतरंज एवं कैरम	सीआरएस बरकाकाना
2.	अंतर क्षेत्रीय बैडमिंटन एवं टी. टी.	मुख्यालय, राँची
3.	अंतर क्षेत्रीय फुटबॉल	बी. एण्ड के.
4.	अंतर क्षेत्रीय सांस्कृतिक सम्मेलन	कथारा
5.	अन्तर कबड्डी	कुजू
6.	अंतर क्षेत्रीय वॉलीबॉल	अरगडा
7.	अंतर क्षेत्रीय हॉकी	हजारीबाग
8.	अंतर क्षेत्रीय एथलेटिक मीट	एन.के.
9.	अंतर क्षेत्रीय क्रिकेट	पिपरवार
10.	कोल इंडिया अंतर कंपनी बैडमिंटन	राँची
11.	ग्रीष्मकालीन बैडमिंटन टूर्नामेंट (पु. एवं महिला)	राँची
12.	अंतर विद्यालय आमंत्रण फुटबॉल	राँची
13	सीसीएल कायाकल्प बालिका फुटबॉल	राँची
14.	अंतर ग्राम फुटबॉल	अरगडा
15.	सीसीएल एथलेटिक टीम के लिए कोचिंग कैम्प	बरका सयाल
16.	सीसीएल बैडमिंटन टीम के लिए कोचिंग कैम्प	राँची
17.	सीसीएल टेबल टेनिस टीम के लिए कोचिंग कैम्प	राँची
18.	सीसीएल फुटबॉल टीम के लिए कोचिंग कैम्प	अरगडा
19.	सीसीएल क्रिकेट टीम के लिए कोचिंग कैम्प	राँची
20	सीसीएल वॉलीबॉल टीम के लिए कोचिंग कैम्प	राँची
21.	सीसीएल हॉकी टीम के लिए कोचिंग कैम्प	राँची

7.2 भावी योजनाएं : वर्ष 2019–20

1. अंतर क्षेत्रीय खेल–कूद

क्र.सं.	कार्यक्रम	क्षेत्र
1.	शतरंज एवं कैरम	अरगडा
2.	वॉलीबॉल	रजरप्पा
3.	सांस्कृतिक सम्मेलन	बी. एण्ड के.
4.	फुटबॉल	एन. के.
5.	बैडमिंटन एवं टी.टी.	मुख्यालय, राँची
6.	कबड्डी	हजारीबाग
7.	हॉकी	कुजू
8.	एथलेटिक मीट	बरका–सयाल
9.	क्रिकेट	कथारा
10.	सुपर लीग क्रिकेट	मुख्यालय, राँची

2. अंतर कम्पनी एवं अखिल भारती पब्लिक सेक्टर खेल–कूद :

कोल इण्डिया स्पोर्ट्स कैलेंडर तथा पब्लिक सेक्टर को ओवंटित कार्यक्रम के तहत खेल–कूद का आयोजन किया जाएगा।

3. अभ्यास/कोचिंग शिविर :

1. फुटबॉल
2. वॉलीबॉल
3. क्रिकेट
4. टेबल टेनिस
5. बैडमिंटन
6. एथलेटिक
7. हॉकी
8. कबड्डी
9. सांस्कृतिक
10. शतरंज
11. कैरम

4. कम्पनी खेल–कूद के अलावे :

1. सिमडेगा में अन्तर–ग्राम/पंचायत हॉकी
2. राँची डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन एवं अन्य टूर्नामेंट में सीसीएल क्रिकेट टीम की भागीदारी(कर्मचारी तथा उनके बच्चों सहित)।
3. राँची डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन टूर्नामेंट में सीसीएल फुटबॉल टीम की भागीदारी(कर्मचारी तथा उनके बच्चों सहित)।
4. पुरूषों के लिए कायाकल्प अंतर–विद्यालय फुटबॉल टूर्नामेंट।
5. कायाकल्प महिला फुटबॉल टूर्नामेंट।
6. अंतर–ग्राम फुटबॉल टूर्नामेंट।

18. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व :

मार्च 2019 तक क्षेत्रवार व्यय (रु लाख में) :

क्षेत्र	व्यय (रु लाख में)
स्वच्छता	42.20
स्वास्थ्य	50.98
खेल प्रोत्साहन	530.01
शिक्षा	175.78
अवसंरचनात्मक विकास	76.88
पेयजल	342.95
पर्यावरण एवं सतत विकास	36.79
कौशल विकास	54.91
समाज कल्याण	5.70
विविध	7.42
स्वच्छ विद्यालय अभियान	2589.32
सा.नि.उत्त. उपरी लागत	200.60
सकल	**4113.54**

नोट : वि.वर्ष 2018–19 में रु. 41.14 करोड़ सा.नि.उत्त. व्यय के रूप में किया गया.

18.1 स्वच्छता

(क) स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत व्यवहृत पहल (स्वच्छता पखवाड़ा एवं स्वच्छता ही सेवा–2018) :

1. **स्वच्छता कार्निवल** : 23 जून 2018 को स्कूली छात्रों और आम जनता के मध्य जागरूकता उत्पन्न करने हेतु को एक स्वच्छता कार्निवल का आयोजन किया गया था । उक्त आयोजन में विभिन्न स्कूलों और संस्थानों के 700 से

अधिक छात्रों ने भाग लिया। झारखंड की राज्यपाल महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू स्वच्छ भारत कार्निवल की मुख्य अतिथि थीं एवं गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में श्री रामटहल चौधरी, माननीय संसद सदस्य, रांची और डॉ जीतू चरण राम, विधायक, कांके उपस्थित थे । छात्रों के विभिन्न समूहों ने झाड़ू, डस्टबिन, मोप्स, डस्टर आदि जैसे प्रोप का उपयोग करके अपने नृत्य और विषयगत स्किट के साथ स्वच्छता संदेश पर प्रकाश डाला।

2. **स्वच्छता के रंग :** जनता के मध्य जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दरभंगा हाउस परिसर में एक पेंटिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहाँ रांची के प्रमुखध्उभरते हुए कलाकारों द्वारा 'स्वच्छता' विषय पर लाइव पेंटिंग की गई। इनमे शामिल विषय थे – जल संरक्षण, प्लास्टिक को ना, पर्यावरण संरक्षण, धूम्रपान छोड़ो, बिजली बचाओ, वृक्षारोपण आदि. इसका उद्घाटन रांची के सांसद श्री रामटहल चौधरी ने किया।

3. **कार डस्टबिन का वितरण :** स्थानीय वाहन चालकों को कार डस्टबिन का वितरण किया गया जिसका उपयोग वह वाहन चलाते समय डस्टबिन की तरह करें एवं कचरे को सड़क या पार्किंग स्थल पर न फेकें।

4. **सफाई मित्रों का अभिनन्दन :** परिसर को साफ–सुथरा रखने में सफाई मित्रों के अथक प्रयासों के लिए दरभंगा हाउस परिसर में उनका अभिनन्दन किया गया। कार्यालय परिसर को आरोग्य एवं स्वच्छ रखने के लिए उनकी प्रेरणा को उच्चतम स्तर पर रखने की यह एक कोशिश थी ।

5. **चायवालों, पनवाड़ीयों के मध्य जागरूकता :** दरभंगा हाउस परिसर को 'प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र' बनाने हेतु जागरूकता उत्पन्न करने उद्देश्य से एक अभियान प्रारंभ किया गया जिसमे स्टील के कंटेनर, पेपर कप, टी–शर्ट्स और प्लास्टिक मुक्त दुकान को विज्ञापित करता प्लाकार्ड का वितरण दरभंगा हाउस परिसर के चायवालों के मध्य वितरित किया गया ।

6. सीसीएल दरभंगा हाउस परिसर एवं सन्निकट क्षेत्रों को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाने हेतु सीसीएल सीएसआर की टीम द्वारा एक विशिष्ट अभियान चलाया गया.

7. **स्वच्छता साइक्लोथॉन :** साइकिल की महत्ता और उसे चलाने से होने वाले लाभों के प्रति आम जनता को संवेदनशील बनाने और आरोग्य जीवनशैली एवं हरित पर्यावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रांची में एक स्वच्छता साईक्लोथोन का आयोजन किया गया । इस मुहिम को सफल बनाने के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से लगभग 500 प्रतिभागियों एवं प्रोफेशनलों ने भाग लिया । श्री रामटहल चौधरी, सांसद,रांची, श्री महेश पोद्दार, सांसद,राज्यसभा, डॉ.जीतू चरण राम, विधायक, कांके, विधायक श्री राम कुमार पाहन के साथ अ.प्र.नि, सीसीएल, कार्यकारी निदेशकगण एवं मु.स.अधि.,सीसीएल इस साइक्लोथॉन में सक्रिय रूप से भाग लिया।

8. **स्वच्छता की पाठशाला :** सी.सी.एल कमान क्षेत्र के स्कूली छात्रों के लिए खेलगांव,होटवार में एक शिविर "स्वच्छता की पाठशाला" का आयोजन किया गया, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग, अनाथ छात्र आदि भी सम्मिलित हुए। शिविर का प्राथमिक उद्देश्य दैनिक जीवन में स्वच्छता की आदत को विकसित करना था और साथ ही स्वस्थ जीवन के लिए युवा छात्रों को जागरूक करना था। उक्त शिविर में लगभग 250 छात्रों ने भाग लिया। नैतिक मूल्य, कैरियर परामर्श, आपदा प्रबंधन, सीपीआर अन्य पहलू थे जिसमें छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया।

उपरोक्त के अलावा, वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान कमान क्षेत्र में लगभग 19 शौचालयों का निर्माण/नवीनीकरण किया गया है।

18.2 स्वास्थ्य :

क) **अलिम्को एवं सीसीएल के मध्य समझौता ज्ञापन :** सीसीएल कमान क्षेत्र के आसपास के दिव्यांगजनों के उत्थान के प्रति सीसीएल की प्रतिबद्धता के आलोक में वित्त वर्ष 2018–19 में एक परियोजना प्रारंभ की गई, जिसमे सीसीएल सीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत सीसीएल और अलिम्को के मध्य दिव्यांगजनों की सहायता और उपकरणों के वितरण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया हैं।

ख) वर्ष 2018–19 में सीसीएल द्वारा सावन महोत्सव के दौरान देवगढ़ में **मेगा हेल्थ कैंप** लागाया गया जिससे लगभग 40,000 लोग लाभान्वित हुए ।

ग) वित्तीय वर्ष 2018–19 में ईएनटी, हृदयरोग, रक्तल्पता, दन्तरोग, रक्तदान, मधुमेह, एचआईवी, गुर्दा आदि की जांच के लिए कुल **645 स्वास्थ्य शिविरों** का आयोजन किया गया जिसमे 30000 से अधिक रोगी लाभान्वित हुए ।

घ) **सीएसआर डिस्पेंसरी** का परिचालन जहां कमान क्षेत्र के गांवो के निवासियों को मुफ्त दवाएं वितरित की गईं, कृत्रिम उपकरणों भी वितरित किए गए, जिससे संपूर्ण वर्ष 2018–19 के दौरान 70,500 रोगी लाभान्वित हुए ।

ङ) महिलाओं एवं बच्चो के पोषण की समुचित सुविधा प्रदान करने हेतु हजारीबाग में एक **कुपोषण केंद्र** का नवीनीकरण किया गया।

18.3 खेल–कूद प्रोत्साहन :

सीसीएल सीएसआर कोष और झारखंड सरकार से संयुक्त निवेश से खेल अकादमी को चलने हेतु झारखंड राज्य स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएसपीएस) का गठन गया। खेल अकादमी में 2024 के ओलंपिक खेलों में देश को प्रतिष्ठा दिलाने के उद्देश्य से अब तक, 8–12 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 348 स्पोर्ट्स कैडेट आवासीय सुविधाओं के साथ औपचारिक स्कूली शिक्षा और खेल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। स्पोर्ट्स कैडेट्स को 9 प्रकार के खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है– एथलेटिक्स, कुश्ती, तीरंदाजी, फुटबाल, ताईक्वान्डो, निशानेबाजी, भारोत्तोलन एवं साइकिल चालन .

आज की तारीख तक राष्ट्र एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में खेल अकादमी के कैडेटों नें **154 स्वर्ण, 89 रजत** एवं **77 कांस्य** पदक प्राप्त किए हैं .

नए बैच के 100 स्पोर्ट्स कैडेटों के चयन हेतु जनवरी 2019 से एक वृहत प्रतिभा चयन कार्यक्रम:**'खेल महाकुम्भ'** का आयोजन किया गया जिससे झारखण्ड राज्य के सभी 24 जिलों से युवा प्रतिभाओं का चयन किया जा सके.

वित्त वर्ष 2018–19 में सीएसआर के अंतर्गत खेल अकादमी को चलने में रु. 527.67 लाख का व्यय किया गया है.

अन्य गतिविधियां – जिसमे फुटबॉल मैच, खिलाडियों का प्रशिक्षण और स्पोर्ट्स किट का वितरण आदि सम्मिलित है,उनके विकास मद में कुल 530.31 लाख रुपये का व्यय किया गया ।

18.4 शिक्षा

(क) सीसीएल के लाल एवं लाडली :

इस योजना के अंतर्गत आईआईटी, एनआईटी और अन्य राज्य एवं राष्ट्रस्तरीय प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु विशेषकर झारखंड राज्य में स्थित कमान क्षेत्र के गांवों से 10वीं पास कर चुके मेधावी छात्र और छात्राओं का चयन किया गया एवं विभिन्न इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने के लिए तैयार किया गया ।

चयनित छात्रों को, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों से एक में **'सीसीएल के लाल'** और **'सीसीएल की लाडली'** हॉस्टल में आवासीय सुविधा और भोजन के साथ 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा की निःशुल्क स्कूली शिक्षा दी जाती है। वर्ष 2017–18 में रांची से वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्षाओं के माध्यम से शिक्षण का विस्तार सीसीएल और बीसीसीएल तीन दूरस्थ स्थानों तक किया गया।

12 विद्यार्थिओं (8 छात्र एवं 4 छात्राएं) ने जेईई मुख्य परीक्षा 2019 में सफलता प्राप्त की है एवं 70% से अधिक विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं जिसमें सर्वाधिक प्राप्तांक 92.4% है।

(ख) कायाकल्प पब्लिक स्कूलः

सीसीएल ने सीएसआर के अंतर्गत ''कयाकल्प पब्लिक स्कूल'' की शुरुआत की है, जिसमें समाज के गरीब और कमजोर वर्ग से आने वाले 30 छात्र हैं, जिनके परिजन भिक्षुक, कूड़ा–कचरा बीनने जैसे छोटे–मोटे

कार्य में लगे हुए हैं । इन छात्रों को अध्ययन सामग्री से लेकर यूनिफार्म, किताबें, पौष्टिक नाश्ता और स्कूल में दोपहर के भोजन की पूरी सुविधा दी जाती है । छात्रों को योग और शिष्टाचार सिखाया जाता है और इस प्रकार से ढाला जाता है कि वे आत्म निर्भर, सच्चे और जिम्मेदार नागरिक बन सकें ।

(ग) शिक्षा को समर्थन :

वर्ष 2018–19 में शिक्षा के विकास हेतु सीसीएल के विभिन्न कमान क्षेत्रों में शिक्षा के समर्थन हेतु निर्धन/अभावग्रस्त विद्यार्थियों को गोद लेना,शैक्षणिक संस्थानों के परिसर में आधारभूत संरचना का विकास, स्कूल किट का वितरण आदि किया गया ।

(घ) कानूनी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए राम लखन सिंह यादव स्कूल में एलईडी टीवी का प्रावधान

झारखंड राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण(झालासा) के अनुरोध पर, स्कूल जाने वाले छात्रों हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त कानूनी साक्षरता क्लब को एक एलईडी टीवी दिया गया। इसका उद्देश्य छात्रों को बाल एवं महिला अधिकार जैसे कानूनी पहलुओं पर सीखने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है।

18.5 आधारभूत संरचना

वर्ष 2018–19 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों हेतु सीसीएल कमान एवं सन्निकट क्षेत्रों में आधारभूत संरचनात्मक विकासत्मक गतिविधियों हेतु रु 72.91 लाख व्यय किए गए ।

क्रम सं.	गतिविधि	सं./गतिविधि की इकाई	व्यय(रु. लाख में)
1	सामुदायिक भवन	6 nos.	24.85
2	सड़क	3000 मीटर	24.04
3	सौर लाइट	5 nos	3.97
4	ग्रामीण विकास	2 nos	24.02

18.6 पेयजल

वर्ष 2018–19 के दौरान निम्नलिखित कार्य किए गए और सीसीएल कमान क्षेत्रों के परि.प्र.व्य.(पीएपी), निवासियों, ग्रामीणों आदि के लिए पेयजल की व्यवस्था हेतु 342.95 लाख रु. खर्च किए गए ।

गतिविधियाँ	सं	व्यय (लाख रुपए में)
(ए) चापानलों का अधिष्ठापन	22	20.44
(बी) कूपों का निर्माण	13	36.12
(सी) डीप बोरिंग और सबमर्सिबल पंप	39	183.62
(डी) जल पाइपलाइन वितरण	4	11.68
(ई) पानी के टैंकरों के माध्यम से पानी का वितरण	2	86.32
(एफ) वाटर प्यूरीफायर का अधिष्ठापन	6	4.77

उच्च न्यायालय परिसर में वाटर प्यूरीफायर सह कूलर का प्रावधान

उच्च न्यायलय जाने वाले वादियों और ग्रामीणों को अपनी बारी के लिए पूरे दिन इंतजार करना पड़ता है। उन्हें न्यायालय में पेयजल की सुविधा प्रदान के लिए झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में 6 वाटर प्यूरीफायर–सह–कूलर लगाए गए हैं।

18.7 पर्यावरण और सतत विकास

पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण भी सीएसआर का कार्यक्षेत्र रहा है जिसमे की विभिन्न कार्य किये गए है, जैसेः

क) बो.एवं कर. क्षेत्र में सीसीएल द्वारा सामुदयिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, ''आईडब्लूएसपी (एकीकृत जल आपूर्ति संयंत्र) से एनटीसी कार्यालय तक बहने वाली दामोदर नदी के रिवरसाइड का विकास'' परियोजना कुल 4.09 लाख रुपये पूरी की गयी ।

ख) वित्त वर्ष 2018–19 में 8.94 लाख रुपये के कुल व्यय के साथ 2 चेक बांधों का नवीनीकरण किया गया है।

ग) वित्त वर्ष 2018–19 में 6 तालाबों का नवीनीकरण किया गया है। कुल व्यय 21.98 लाख रुपये

घ) सीसीएल के पिपरवार क्षेत्र में वर्षा जल संचयन किया गया है। कुल व्यय 1.78 लाख रुपये।

18.8 कौशल विकास

ए) भुरकुंडा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान (बीटीटीआई)

2015 से भुरकुंडा में सीसीएल अपने तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान (बीटीआईआई) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति के साथ 04 साल की अवधि के लिए माइनिंग सरदार का प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

सीसीएल कमान क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को भी बीटीआईआई, भुरकुंडा में इलेक्ट्रिकियन ट्रेड कोर्स का दो साल का आईटीआई प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल व्यय : रु. 23.50 लाख

बी) मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर (एमएसडीसी), बरकाकाना

सीसीएल के विभिन्न कमान क्षेत्रों में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) को मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर, बरकाकाना में छमाही इलेक्ट्रिक और वेल्डर ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जा रहा है । अब तक 5 प्रशिक्षु बैचों का नामांकन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल व्ययः रु. 4.67 लाख

सी) अन्य आजीविका उपार्जन प्रशिक्षण

सीसीएल की प्रमुख कौशल विकास परियोजनाओं के अलावा, सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा अन्य लघु अवधि आजीविका उपार्जन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	प्रशिक्षण का नाम	लाभुकों की संख्या	व्यय राशि (रु. लाख में)
1	वाहन मरम्मती प्रशिक्षण	40	0.83
2	ब्यूटीशियन प्रशिक्षण	75	2.55
3	कंप्यूटर प्रशिक्षण	75	1.88
4	खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण	90	2.38
5	मोबाइल मरम्मतीकरण	125	3.78
6	सिलाई प्रशिक्षण	100	12.30
7	माइनिंग सिरदार प्रशिक्षण	63	23.50
8	वेल्डर/इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण	40	4.67
9	विविध	50	3.02
कुल		**658**	**54.91**

19. समाधान योजना

सीसीएल के सभी सेवारत या सेवानिवृत अधिकारियों, कर्मचारियों, ठेकेदारों, उपभोक्ताओं या सीसीएल के संबंधित किसी व्यक्ति के शिकायत निवारण हेतु दिनांक 27.04.2012 को एक शिकायत केन्द्र की स्थापना की गई। शिकायत कर्ता अपनी शिकायत लिखित रूप में, टोलफ्री नं. 18003456501, ऑनलाइन, वाट्सएप सेवा नम्बर 7091093753, ट्विटर, आप का दरबार या कार्यालय में सशरीर उपस्थित हो कर मौखिक रूप में कर सकते है। शिकायत को रजिस्टर में दर्ज कर क्रम संख्या दी जाती है एवं शिकायत को प्रकृति को ध्यान रखते हुए उसके निवारण हेतु एक संभावित तिथि तय कर प्राप्ति रसीद दी जाती है। संबंधित विभागाध्यक्ष को फोन के माध्यम से शिकायत प्राप्ति की सूचना दी जाती है। इसके अन्ततर, संबंधित विभागाध्यक्ष को पत्र में शिकायत संलग्नक के रूप दे कर अनुरोध किया जाता है कि शिकायत का निवारण पत्र में दिये गये समयावधि में ही कर दें। विभागाध्यक्षों द्वारा जबाब नहीं मिलने पर उन्हें फोन द्वारा ओर लिखित में अनुस्मारक भेजा जाता है । विभागाध्यक्षों द्वारा दिया गया जवाब यदि संतोषजनक पाया जाता है तो शिकायत कर्ता को फोन मे माध्यम के साथ–साथ लिखित सूचना भी दी जाती है । अगर विभागाध्यक्ष का जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उस मामले को समीक्षा के लिए पुनः विभागाध्यक्ष के पास भेजा जाता है और यदि जवाब पुनः असंतोष पाया जाता है तो मामला स्थाई समिति के पास पुनरीक्षण के लिए भेज दिया जाता है। मामले के पुनरीक्षण पश्चात, स्थाई समिति एवं महाप्रंधक समाधान उचित अनुशसां साथ निदेशक मंडल के पास मंत्रणा के लिए भेज दिया जाता है।

वर्ष 2018–19 में समाधान सेल की उपलब्धियां

वर्ष 2018–19 में समाधान सेल को कुल 223 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमे से 183 शिकायतों का निवारण किया गया फलस्वरूप उपलब्धि प्रतिशतता 82.06% रही ।

सीसीएल को 2446 (प्रारंभ से) शिकायते प्राप्त हुई जिसमें कुल 2211 का निवारण कर लिया गया है, फलस्वरूप सकल उपलब्धि प्रतिशतता 90.39% रही ।

20. 31.03.2019 तक सामाजिक ओवरहेड सम्पत्ति पर पूँजीगत व्यय

31.03.2019 तक, हमारे कम्पनी द्वारा सामाजिक ओवरहेड संपत्तियों पर खर्च किए गए संचयी राशि रू. 616.14 करोड़ है जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

(रू. करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2018-19	2017-18
(i)	भवन	498.50	429.31
(ii)	संयंत्र एवं मशीनरी	63.17	63.21
(iii)	फर्नीचर एवं साज सज्जा	27.21	22.63
(iv)	वाहन	7.28	7.33
(v)	विकास	19.98	18.48
कुल		**616.14**	**540.96**

21. वित्तीय प्रदर्शन

वर्ष 2017–18 की तुलना में वर्ष 2018–19 के दौरान आपकी कंपनी की वित्तीय परिणाम निम्नांकित है:

(रू. करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2018-19	2017-18 (पुनर्लिखित)
i.	संचालन से राजस्व	12179.90	11550.71
ii.	अन्य आय	313.03	508.96
iii.	सकल राजस्व	12492.93	12059.67
iv.	मूल्य ह्रास, ब्याज का छोड़कर व्यय	9381.20	10149.85
v.	मूल्य ह्रास, ब्याज से पहले लाभ	3111.73	1909.82
vi	मूल्य ह्रास/परिशोधन/हानि	344.28	351.52
vii.	ब्याज	75.25	170.81
viii.	कर से पहले लाभ	2692.20	1387.49
ix.	कर व्यय	987.73	579.71
x.	कर के पहले निबल लाभ	1704.47	807.78
xi.	अन्य व्यापक आय	(30.27)	155.59
xii	अन्य व्यापक आय पर कर	(10.58)	53.85
xiii.	कंपनी के मालिकों के लिए लाभ	1704.47	807.78

आपकी कम्पनी के निदेशकमण्डल ने रू. 297.04 करोड़ के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है (पिछले वर्ष रू. 531.10 करोड़)। 2018–19 में कुल लाभांश रू. 297.04 करोड़ (रू. 1000/– के 9400000 इक्विटी शेयरों पर लाभांश प्रति इक्विटी शेयर रू. 316, पिछले वर्ष रू. 565)।

22. पूंजीगत व्यय

विगत वर्ष रु. 898.86 करोड़ की तुलना में वर्ष 2018–19 में पूंजीगत व्यय रु. 1377.27 करोड़ है। वर्ष 2018–19 के दौरान शीर्ष–वार पूंजीगत व्यय का विवरण निम्नप्रकार है :

(रू. करोड़ में)

क्र. संख्या	व्यय शीर्ष	2018-19	2017-18
i)	भूमि	26.57	64.39
ii)	भवन	108.36	99.67
iii)	संयंत्र एवं मशीनरी	133.69	190.68
iv)	फर्नीचर एवं साज–सज्जा	3.34	2.07
v)	कार्यालय उपकरण	13.68	10.83
vi)	रेलवे साईडिंग'	848.92	467.60
vii)	वाहन	0.12	0.06
viii)	खनन के लिए अन्य बुनियादी संरचना	238.40	63.55
ix)	सॉफ्टवेयर	4.19	0.01
	कुल	**1377.27**	**898.86**

टिप्पणी :

1. पू.म.रे. से प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र के आधार पर रेलवे साइडिंग के अग्रिम पूंजीकरण;समर्थित परिसम्पित्त। टोरी शिवपुर रेलवे लाइनबद्ध पर व्ययित राशि रु. 714.10 करोड़ है।

इस प्रकार आपकी कम्पनी को "कैपेक्स" मानदण्ड में उत्कृष्ट श्रेणी की प्राप्ति हुई। उत्कृष्ट एमओयू लक्ष्य रु. 1100 करोड़ की तुलना में रु. 1377.27 करोड़ की उपलब्धि प्राप्त हुई ।

23. राजकोष में अंशदान

वर्ष 2017–18 की तुलना में 2018–19 के दौरान राज्य/केन्द्रीय राजकोष में अंशदान का विवरण नीचे दिया गया है :

(रू. करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2018-19	2017-18
i)	कायले पर रॉयल्टी	1500.05	1500.54
ii)	एनएमईटी (केन्द्रीय निधि)	27.68	29.92
iii)	डीएमएफ (राज्य निधि)	338.78	424.66
iv)	बिक्री कर/वैट	2.16	94.70
v)	स्टोईंग एक्साइज ड्यूटी	-	30.74
vi)	आय कर	1224.77	966.87
vii)	लाभांश कर	61.06	108.12
viii)	सेवा कर	0.52	81.53
ix)	स्वच्छ उर्जा सेस	-	810.87
x)	कोयले पर सेन्ट्रल एक्साइज	2.55	114.27
xi)	जीएसटी	3319.52	2389.34
xii)	अन्य	34.93	15.41
	कुल	**6512.02**	**6566.97**

24. पूंजीगत संरचना

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी और पेड–अप शेयर पूंजी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ अर्थात् रु.1100.00 करोड़ एवं रु. 940.00 करोड़ क्रमशः। 31 मार्च, 2019 को कम्पनी की निबल संपत्ति रु. 5142.72 करोड़ है जो 31 मार्च, 2018 को रु.3816.04 करोड़ (पुनर्लिखित) थी ।

24.1 ऋण

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कम्पनी रु.150 करोड़ के अल्पकालिक ऋण से मुक्त हुई ।

25. परियोजना कार्यान्वयन की स्थिति

दिनांक 31.03.2019 को, सीसीएल में 117.35 मिलियन टन की स्वीकृत क्षमता के साथ 20 चालू और पूरी हो चुकी 35 खनन परियोजनाएं हैं। सीसीएल की स्वीकृत पूंजी एवं क्षमता क्रमशः 5394.19 करोड़ और 61.35 मिलियन टन है। उत्तरी उरीमारी ओसी (7.5 मिलियन टन/वर्ष) की विस्तार परियोजना (3.0 मिलियन टन/वर्ष) पर विस्तृत चर्चा के उपरांत 14.03.19 सीआइएल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त हुआ. सीसीएल की पूरी हो चुकीं परियोजनाओं की स्वीकृत पूंजी और क्षमता क्रमशः 3094.74 करोड़ और 56.01 मिलियन टन है. टोरी–शिवपुर रेलवे लाइन (डबल लाइन) एक गैर–खनन परियोजना (लम्बाई–44.37 कि.मी.) है जिसकी स्वीकृत पूंजी रु.2399.07 करोड़ है।

25.1 कुल परियोजनाओं का विवरण (वर्तमान + पूर्ण)

परियोजनाएं	संख्या	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रु. में)	स्वीकृत क्षमता (मि. टन प्रतिवर्ष)
रु. 150 करोड़ से उपर	14	6926.22	79.96
रु. 150 करोड़ से 50 करोड़ के मध्य	11	1069.26	21.66
रु. 50 करोड़ से 20 करोड़ के मध्य	2	82.32	1.8
रु. 20 करोड़ से 2 करोड़ के मध्य	28	414.14	13.89
कुल	**55**	**8491.93**	**117.35**

(क) सीसीएल के 20 चालू खनन परियोजनाओं का विवरण

परियोजनाएं	संख्या	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रु. में)	स्वीकृत क्षमता (मि. टन प्रतिवर्ष)
रु. 150 करोड़ से उपर	9	4801.32	50.71
रु. 150 करोड़ से 50 करोड़ के मध्य	4	459.91	7.21
रु. 50 करोड़ से 20 करोड़ के मध्य	1	46.78	0.80
रु. 20 करोड़ से 2 करोड़ के मध्य	6	86.186	2.63
कुल	**20**	**5394.19**	**61.35**

20 चालू परियोजनाओं में से परेज(पूर्व) भूमिगत खदान परियोजना और हुरीलौंग भूमिगत खदान परियोजना वन तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं के कारण प्रारंभ नहीं की जा सकी। कल्याणी ओसीपी सीसीएल की वर्तमान परियोजनाओं में से एक है, और जिसका आरम्भ वन स्वीकृति और पर्यावरणीय स्वीकृति की प्राप्ति के बाद किया जाएगा।

शेष 17 परियोजनाओं में से आम्रपाली ओसीपी नियत समय पर है, और 16 अन्य परियोजनाओं के विलम्ब का कारण निम्नानुसार हैं :

- क. भूमि का सत्यापन।
- ख. वन्यभूमि स्वीकृति और साइट सौंपने संबंधी।
- ग. पर्यावरण स्वीकृति।
- घ. कोयला निष्कासन की समस्या।
- ड. पुनर्वास और स्थानांतरण के मुई।
- च. सुरक्षा कारण।

(ख) सीसीएल की वर्तमान गैर–खनन परियोजनाओं का विवरण

टोरी – शिवपुर रेलवे लाइन डबल लाइन : पूर्व मध्य रेलवे के साथ मिलकर टोरी–शिवपुर नई ब्रॉड–गेज डबल रेलवे लाइन (लंबाई–44.37 कि.मी.) का निर्माण किया गया है जिसकी कुल परियोजना लगत रु. 2399.07 करोड़ है। संपूर्ण प्राक्कलित राशि पू.म.रेलवे को जमा कर दी गई है । मार्च 2019 तक टोरी–शिवपुर रेल लाइन पर पूर्व मध्य रेलवे को रु. 1855.87 करोड़ का खर्च आया. विद्युतिकरण एवं सिग्नल सेवाओं को छोड़कर शिवपुर स्टेशन (44.37 किलोमीटर) तक केवल सिंगल रेलवे लाइन का निर्माण–कार्य पूरा कर लिया गया है । बालूमाथ, बुकरू तथा फूलबसिया स्टेशनों से कोयले का डिस्पैच प्रारंभ कर दिया गया है । डबल रेल लाइन के पूर्ण होने पर सीसीएल की मगध–आम्रपाली ओसीपी जैसी मेगा माइंस से कोयला–निकासी में वृद्धि होगी।

(ग) सीसीएल की 35 पूर्ण/कमीशन परियोजनाओं का विवरण

परियोजनाएं	संख्या	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रु. में)	स्वीकृत क्षमता (मि. टन प्रतिवर्ष)
रु. 150 करोड़ से उपर	5	2124.9	29.25
रु. 150 करोड़ से 50 करोड़ के मध्य	7	609.35	14.45
रु. 50 करोड़ से 20 करोड़ के मध्य	1	35.54	1
रु. 20 करोड़ से 2 करोड़ के मध्य	22	327.9584	11.26
कुल	**35**	**3097.7484**	**56.01**

25.2 वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्वीकृत परियोजनाएँ

क्र. सं.	परियोजना	प्रकार	स्वीकृत क्षमता (मि. टन प्रतिवर्ष)	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रु. में)	स्वीकृति की तिथि
1.	नॉर्थ उरीमारी ओसीपी का ईपीआर	ओसी	7.5/10	1553.06	सीसीएल बोर्ड - 13/14.06.2018 सीआईएल बोर्ड -14.03.19.
2.	पिपरवार फेज–1 भूमिगत	यूजी	0.87/1	325.88 (पूर्ण कालीक) 323.12 (लक्ष्य वर्ष तक)	14.45

वित्तीय वर्ष 2018–19 में चालू किए गए परियोजनाएँ : शून्य

वित्तीय वर्ष 2018–19 में पूर्ण/कमीशन किए गए परियोजनाएँ

क्र. सं.	परियोजना	प्रकार	स्वीकृत क्षमता (मि. टन प्रतिवर्ष)	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रु. में)	स्वीकृति की तिथि
1	कोनार ओसीपी (3.5 मि.ट./वर्ष)	ओसी	3.5	74.53	26/05/2018

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित परियोजनाओं को ''सैद्धांतिक स्वीकृति'' मिली है :

क्र. सं.	परियोजना का नाम	नोमिनल/पिक क्षमता (मि. टन प्रतिवर्ष)	वस्तुस्थिति/टिप्पणी	स्वीकृति की तिथि
1.	कोतरे बसंतपुर पचमो ओसीपी	5/6.25	पहले चरण : सैद्धांतिक स्वीकृति में है	13/06/18 & 14/06/18
2.	तेतरियाखार ओसीरी	2.5/3.4	पहले चरण : सैद्धांतिक स्वीकृति में है	09/10/2018
3.	हिंदेगिर ओसीपज	4/5.4	पहले चरण : सैद्धांतिक स्वीकृति में है	09/10/2018
	कुल	**11.5/15.05**		

उपरोक्त परियोजनाओं हेतु अंतिम अनुमोदन प्रक्रियाधीन है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में हमारी कम्पनी का उत्पादन–स्तर इस प्रकार है :

समूह	2018-19 मि.ट.
मौजूदा खदान एवं पूर्ण परियोजनाएं	42.4743
वर्तमान परियोजनाएं	26.2469
कुल	**68.72**

26. वन एवं पर्यावरण

प्राप्त पर्यावरणीय स्वीकृति : रजहरा ओसीपी (0.5 मिलियन टन/वर्ष में)

पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन जमा किया गया (उल्लंघन मामले)

क्र. सं.	परियोजना के नाम	क्षमता (मि.ट./वर्ष)
1.	कारो एक्सपेंसन ओसीपी एवं इन्टीग्रेटेड वाशरी	11/15
2.	चयनित ढोरी ग्रुप के खान	8.25/11

जारी किया गया टी.ओ.आर. (उल्लंघन मामले)

क्र. सं.	परियोजना के नाम	क्षमता (मि.ट./वर्ष)
1.	कारो एक्सपेंसन ओसीपी एवं इन्टीग्रेटेड वाशरी	11/15
2.	चयनित ढोरी ग्रुप के खान	8.25/11
3.	तारमी ओसीपी	1.0/1.70

फार्म 1 का जमा (उल्लंघन मामले)

क्र. सं.	परियोजना के नाम	क्षमता (मि.ट./वर्ष)
1.	कुजू ओसीपी	1.50
2.	केदला ओसीपी	1.35
3.	केदला यू जी	0.22
4.	गिद्दी ए ओसीपी	1.00
5.	भुरकुंडा कोलियरी	2.05
6.	गिरिडीह–कबरीबाद समूह के खान	1.30
7.	पुंडी ओसीपी	3.00
8.	करगली ओसीपी	0.75

फार्म 1 आवेदन का जमा (इआइए अधिसूचना, 1994 से इआइए अधिसूचना 2006 का नियमितकरण)

क्र. सं.	परियोजना के नाम	क्षमता (मि.ट./वर्ष)
1.	नार्थ उरीमारी ओसीपी	3.00
2.	आम्रपानी ओसीपी	12.00
3.	परेज इस्ट ओसीपी	1.75
4.	रजरप्पा ओसीपी एवं वाशरी	3.00
5.	केदला वाशरी	2.60
6.	कथारा सीपीपी	2 x 10 MW

वाशरियों के लिए फार्म 1 आवेदन का जमा

क्र. सं.	परियोजना के नाम	क्षमता (मि.ट./वर्ष)
1.	बसंतपुर–तापिन कोकिंग कोल वाशरी	4.0
2.	नया कथारा कोकिंग कोल वाशरी	3.0

पर्यावरण स्वीकृति के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं सी. सी. का अनुशंषा : तापिन साउथ ओसीपी (2/2.5 मी.ट./वर्ष)

खान योजना एवं खान बंदीकरण योजना

क्र. सं.	परियोजना के नाम	क्षमता (मि.ट./वर्ष)
1.	तापिन ओसीपी	3.50
2.	तोपा ओसीपी	1.68
3.	आम्रपाली ओसीपी	12.00
4.	नार्थ उरीमारी ओसीपी	3.00
5.	रजरप्पा ओसीपी	3.00
6.	नार्थ उरीमारी ओसीपी	4.20

पर्यावरण निगरानी

सीएमपीडीआई द्वारा नियमित रूप से सीसीएल के सारे खान/वाशरियों की निगरानी की जा रही है। इस वर्ष पीएम 10(आरपीएम) के 5400 नमूने पीएम 2.5 के 5400 नमूने, भारी धातु विश्लेषण : 255 नमूने, प्रवाही निगरानी के 1800 नमूने, सतही जल गुणवत्ता के 500 नमूने, पेयजल गुणवत्ता के 200 नमूने, ध्वनि निगरानी के 4190 नमूने एवं डीइटीपी के 24 नमूनों की निगरानी की गई है।

स्प्रींक्लर सिस्टम : वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए फीडर ब्रेकर एवं क्रशर

रेलवे साइडिंग के नजदीक में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए विंडस्क्रीन

खुली खदानों के भूमि पुनरूद्धार की वस्तुस्थिति

सीएमपीडीआई द्वारा रिमोट सेंसिंग के जरिये खानों की पुनरूद्धार वस्तुस्थिति का निगरानी नियमित रूप से किया जा रहा है। 5 मि.ली. क्यूबिक मी. से ज्यादा का समग्र उत्खनन क्षमता वाले परियोजनाओं का निगरानी प्रति वर्ष किया जाता है। अशोक, पिपरवार, केडी हेसालोंग, परेज ईस्ट एवं रजरप्पा का वर्ष 2018–19 के दौरान निगरानी किया गया। 5 मि.ली. क्यूबिक मी. से कम समग्र उत्खनन क्षमता वाले परियोजनाओं का निगरानी हर 3 साल में किया जाता है। उनमें से तेतरियाखार ओसीपी, डकरा ओसीपी, मगध ओसीपी, आम्रपाली ओसीपी, गिद्दी ए ओसीपी, पुंडी ओसीपी, केदला ओसीपी, जारंगडीह, कथारा ओसीपी, कोनार ओसीपी, कारो ओसीपी एवं कर्मा ओसीपी थे जिनका 2018–19 में निगरानी किया गया।

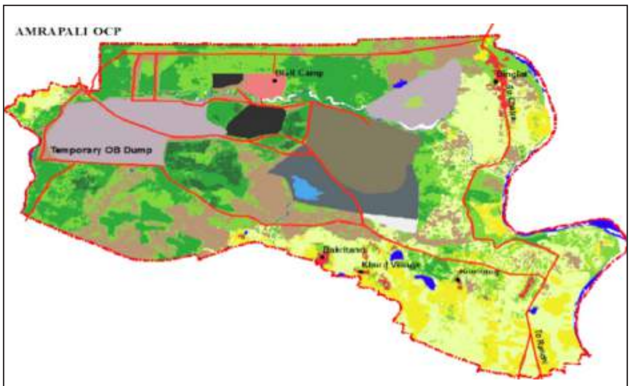

वन भूमि का साइट हैंडओवर – 2 सं. (251.61 हे.)

क्र. सं.	परियोजना के नाम	क्षमता (मि.ट./वर्ष)
1.	तारमी ओसीपी (55.06 हे.)	55.06
2	सारूबेड़ा ओसीपी (196.55 हे.)	196.55

स्टेज – 1 वन मंजूरी . 2 सं. (275.67 हे.)

क्र. सं.	परियोजना के नाम	क्षेत्रफल (हे. में)
1.	कारो ओसीपी	226.67
2	कोनार वाशरी	49.00

कुल भुगतान – 2 प्रस्ताव (रू. 5312036.00)

क्र. सं.	मद	परियोजना	राशि (रू. में)
1.	वर्तमान निबल मूल्य	लइयो यू.जी. (78.59)	1493210.00
2	क्षतिपूरक वनीकरण	केदला ओसीपी (168.50)	3818826.00

वन मंजूरी निवेदन (ऑनलाइन) – 17 सं. (2220.76 हे.)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (हे. में)
1.	आरा चमातू रोड	1.56
2	मसीलोंग से चतरा–खलारी रोड	10.72
3	देवलगडा से कुरलोंगा रोड	3.65
4	आरा से फुलबसिया रोड	9.91
5	होन्हे से सराधु रोड	13.70
6	होन्हे से कोइद रोड	1.04
7	बलकुदरा ओसीपी	131.50
8	नार्थ उरीमारी रेलवे साइडिंग	11.11
9	आम्रपाली रेलवे साइडिंग	107.06
10	परेज ईस्ट ओसीपी रिनिवल	43.52
11	परेज ईस्ट ओसीपी	101.00
12	सेलेक्टेड ढोरी ओसीपी	7.45
13	तारमी ओसीपी	147.35
14	तापिन साउथ ओसीपी वे–ब्रिज से चरही मालगोदाम रोड	3.88
15	कोतरे बसंतपुर पचमो ओसीपी	633.19
16	कोतरे बसंतपुर पचमो ओसीपी	372.98
17	भुरकुंडा कोलियरी	621.14

वन मंजूरी निवेदन (ऑनलाइन) – 17 सं. (2220.76 हे.)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (हे. में)
1.	अरगडा ओसीपी (190.32 हे.)	190.32
2	डीआरडी ओसीपी (373.18 हे.)	373.18
3	तारमी ओसीपी (140.75 हे.)	140.75
4	तारमी ओसीपी (6.60 हे.)	6.60
5	केदला ओसीपी (168.50 हे.)	168.50
6	आम्रपाली ओसीपी (432.59 हे.)	432.59
7	मगध ओसीपी (277.24 हे.)	277.24
8	आरा से फुलबसिया रोड (2.22 हे.)	2.22
9	देवलगडा से कुरलोंगा रोड (3.65 हे.)	3.65
10	होन्हे से सराधु रोड (13.70 हे.)	13.70
11	मगध रेलवे साइडिंग (30.9 हे.)	30.90
12	मसीलोंग से चतरा खलारी रोड (6 हे.)	6.00

जीएमके जेजे हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र : 7 (648.91 हे.)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (हे. में)
1.	डीआरडी ओसीपी	338.64
2	केदला ओसीपी	56.04
3	आम्रपाली ओसीपी	96.15
4	मगध ओसीपी	152.94
5	देवलगडा से कुरलोंगा रोड	0.19
6	होन्हे से सराधु रोड	0.31
7	मसीलोंग से चतरा खलारी रोड	4.64

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में भेजे हुए प्रस्ताव की संख्या : 6 (996.17 हे.)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (हे. में)
1.	कारो ओसीपी	226.67
2	रजरप्पा ओसीपी	277.15
3	कारो ओसीपी का कोयला प्रेषण कन्वेयर	7.50
4	पुरनाडीह ओसीपी	323.49
5	केडीएच ओसीपी	126.72
6	उरीमारी ओसीपी	34.64

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं सीसी में एफएसी बैठक की संख्या : 4 (560.32 हे.)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (हे. में)
1.	कारो ओसीपी	226.67
2	रजरप्पा ओसीपी	277.15
3	कोनार वाशरी	49.00
4	कारो ओसीपी का कोयला प्रेषण कन्वेयर	7.50

वनीकरण :

सीसीएल के खानों में 54.3 हे. क्षेत्रफल में वर्ष 2018–19 के दौरान 1.35 लाख पौधे लगाए गए। यह रोपण राज्य वन विभाग के द्वारा दिया गया। 1992 से (मॉनसून 2018) तक तकरीबन 8400000 पौधों का रोपण किया गया है।

कम्पनीवार आईएमएस (इन्टीग्रेटेड प्रबंधन प्रणाली) प्रमाणीकरण

नवंबर 2018 के दौरान पूरे सेन्ट्रल कोलफील्ड लिमिटेड को आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015, ओएचएसएएस 18001:2007 से सम्मानित किया गया।

27. भू–अधिग्रहण की स्थिति :

27.1 भू–अधिग्रहण की स्थिति :

वर्ष 2018–19 के दौरान सीबीए (ए एवं डी) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत भू–अधिग्रहण हेतु निम्नलिखित प्रस्तावों में अग्रेत्तर प्रगति हुई है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)	अधिग्रहण के लिए अधिसूचना
1.	तोपा–पिंडरा विस्तार परियोजना	780.67	धारा 4 (1) पूर्ण, राजपत्र अधिसूचना दिनांक 20/21.07.2018 एस.ओ.संख्या 1066
2	जीवनधारा खुली खदान	93.98	धारा 4 (1) पूर्ण, राजपत्र अधिसूचना दिनांक 02/04.08.2018 एस.ओ.संख्या 1136
3	आम्रपाली विस्तार परियोजना	305.13	धारा 4 (1) पूर्ण, राजपत्र अधिसूचना दिनांक 10.10.2018 एस.ओ. संख्या – 1468
4	पिछरी ओ.सी.पी -II	78.9	धारा 9 (1) पूर्ण, राजपत्र अधिसूचना दिनांक 10.10.2018 एस.ओ. संख्या 1469
5	कोनार ओ.सी.पी	9.09	धारा 11 (1) पूर्ण, राजपत्र अधिसूचना दिनांक 04.04.2018 एस.ओ. संख्या 1484
6	चैनपुर ओ.सी.पी.	58.41	धारा 11 (1) पूर्ण, राजपत्र अधिसूचना दिनांक 10/14.04.2018 एस.ओ. संख्या 566

बायोलॉजिकल रिक्लामेशन

धारा 4 (1) के अंतर्गत 1179.78 एकड़, धारा–9 (1) के अंतर्गत 78.9 एकड़ और धारा 11 (1) के अंतर्गत 67.50 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई जिसकी उपलब्धि स्वरूप उत्कृष्ट रेटिंग की प्राप्ति हुई ।

27.2 प्रतिपूर्ति भुगतान :

संदर्भित वर्ष के दौरान, सीबीए(ए एवं डी) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत, विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित 19 भुगतान शिविरों में भूमि और वृक्ष हेतु रुपये 676.92 लाख की राशि निर्गत की गई , आवास प्रतिपूर्ति, पुनर्वास लाभ एवं पुनर्वास स्थल के विकास हेतु 1252.90 रुपये संवितरित की गये । भूमि एवं आवास प्रतिपूर्ति के मद में अदालतों के निर्देश के अंतर्गत 544.4 रु. का संवितरण किया गया।

भूमि, आवास एवं वृक्ष प्रतिपूर्ति के मद में (पुनर्वास लाभ सहित) सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि रुपये 3640.01 में से रु. 1498.91 लाख मगध, उत्तरी उरीमारी, बोकारो एवं करगली, पिपरवार (बिजैन) और पुरनाडीह परियोजनाओं में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वास लाभ हेतु दिया गया ।

27.3 रोजगार :

वर्ष 2018–19 के दौरान 100 लैंड लूजरों या उनके नामितियों को कम्पनी के विभिन्न क्षेत्रों/इकाइयों में रोजगार प्रदान किया गया ।

27.4. पुनर्वासः

वर्ष 2018–19 के दौरान, विभिन्न परियोजनाओं में कुल 216 परिवारों का पुनर्वास किया गया, जिनका विवरण निम्लिखित है

(i) बिजैन (पिपरवार) : 150 प.प्र.प. (PAFs)

(ii) उत्तरी उरीमारी (बरका–सायल) : 25 प.प्र.प. (PAFs)

(iii) तोपा (कुजू) : 28 प.प्र.प. (PAFs)

(iv) पुरनाडीह (उ.कर्णपुरा) : 12 प.प्र.प. (PAFs)

विशिष्ट उपलब्धियां :

1. ग्रामीणों, प्रबंधन और जिला प्रशासन की एक त्रिपक्षीय बैठक आहूत की गई जिसमे RFCTLARR अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अंतर्गत लाभार्थी भूस्वामियों और प्रबंधन के मध्य भूमि के स्वीकृत मूल्य एवं भूमि प्रतिपूर्ति और रोजगार के मुद्दों का सौहार्दपूर्ण समाधान किया गया ।
2. जिला प्रशासन,लातेहार के साथ मिलकर फूलबासिया से बुकरू रेलवे साइडिंग तक सड़क निर्माण ।
3. जिला प्रशासन के सहयोग से बुकरू से जेहलीटांड़ तक रेलवे लाइन के सामानांतर सड़क का निर्माण।

28. रेलवे साइडिंग

संक्षिप्त प्रदर्शन रिपोर्ट निम्नवत है :

28.1 निर्माण के तहत नई साइडिंग

(क) पिपरवार साइडिंग	मेसर्स राइट्स लिमिटेड को पिपरवार रेलवे साइडिंग के शेष कार्य को पूरा करने का काम जमा अवधि के आधार पर 90.61 करोड़ रुपये (लगभग) की लागत पर सौंपा गया था। परियोजना लागत को बाद में संशोधित कर दिया गया है जो 141.00 करोड़ रूपये (लगभग) है। गठन कार्य 30.5 किमी की पूरी लंबाई मे पूरा हो गया है और सरफेस लाईन/मेन लाईन को जोड़ने का ट्रैक कार्य पूरा हो चुका है और जुलाई 2017 से कोयले का प्रेषण शुरू हुआ है। इस रेल लाइन के लूप लाइन के ट्रैक लिंक का कार्य, विद्युतीकरण, सिग्नलिंग और दूरसंचार का कार्य मेसर्स राइट्स द्वारा प्रगति पर है। मेसर्स राइट्स ने शेष कार्यों के पूरा होने के लिए जून 2019 तक और समय विस्तार का अनुरोध किया है। मैक्लुस्कीगंज रेलवे स्टेशन के जंक्शन बिंदु पर पू. म. रेलवे द्वारा जमा कार्य के रूप में 1.683 किमी के लिए ट्रैक लिंकिंग किया गया है। मेन लाइन और लूप लाइन में आरओआर पुल से संबंधित कार्य पूरा होने के करीब है।
(ख) टोरी–शिवपुर और शिवपुर–कथौटिया नई बीजी रेलवे लाइन का निर्माण वर्तमान स्थिति : (1) टोरी–शिवपुर नई बीजी डबल रेल लाइन ह्टोरी–बिराटोली और बिराटोली–महुवामिलन रेल लाइन कनेक्टिविटी। (प्राक्कलित लागत – रूपये 2399.07 करोड़ रूपये)	एमओईएफ द्वारा अप्रैल 2011 में संशोधित अलाइन्मेंट को स्टेज –1 वानिकी मंजूरी दी गई थी। उसके बाद एमओईएफ द्वारा, टोरी–शिवपुर खंड के संशोधित अलाइन्मेंट के लिए चरण –2 वानिकी मंजूरी 19.06.2013 को दी गई थी। मार्च 2018 में बालूमाथ स्टेशन (19.3 किलोमीटर की लंबाई) तक टोरी की एकल रेल लाइन का उद्घाटन किया गया और बालूमाथ से कोयला प्रेषण शुरू हुआ। तदनुसार बुकरू एवं फुलबसिया साइडिंग से इस रेल लाइन पर कोल ट्रैफिक गतिविधि चालू की गई है। टोरी से शिवपुर तक सिंगल रेल लाइन का सिविल कार्य पूरा कर लिया गया है एवं इस लाइन का रेल लाइन डबलिंग कार्य तथा ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य एवं सिग्नलिंग एवं टेलीकम्युनिकेशन कार्य प्रगति पर है। रेलवे द्वारा टोरी–शिवपुर नई रेल लाइन पर मार्च '19 तक 1855.87 करोड़ रू. का कुल व्यय किया गया है।
(2) शिवपुर–कथौटिया (शिवपुर–हजारीबाग के संशोधित अलाइन्मेंट) (अनुमानित लागत – 1799.64 करोड़ रूपये)	शिवपुर–कथौटिया नई बीजी रेल लाइन का काम अब सीसीएल, ईरकॉन और झारखंड सरकार की नवगठित संयुक्त उद्यम कंपनी यानि "झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड" (जेसीआरएल) की ओर से मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा की जा रही है। ईसी रेलवे ने मेसर्स इरकॉन द्वारा प्रस्तुत डीपीआर (संसोधित परियोजना लागत – 1799.64 करोड़ रूपये) पर अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा रेलवे द्वारा इन्फ्लेटेड माइलेज @ 60% पर स्वीकृति प्रदान की है। दिसम्बर 2018 में पू.म.रे. एवं जे.सी. आर.एल. के मध्य कन्सेशन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। वन्य स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है एवं स्तर–1 की स्वीकृति प्रतिक्षित है। अन्य भूमि के अधिग्रहण हेतु आवश्यक कदम उठाये गये हैं। अंतिम बंदीकरण प्रक्रियाधीन है।
(ग) कुजू रेलवे साइडिंग	लो लेवल प्लेटफॉर्म के साथ कुजू रेलवे साइडिंग को पूर्व मध्य रेलवे द्वारा सीसीएल के लिए 8.22 करोड़ रूपये की लागत से जमा अवधि के आधार पर शुरू किया गया है। साइडिंग का उद्घाटन किया गया है और कोयले का प्रेषण चल रहा है।

(घ) सौंदा बी रेलवे साइडिंग	2.84 करोड़ के लागत पर जमा अवधि के तहत ई. सी. रेलवे के द्वारा एक अतिरिक्त लोडिंग लाइन तथा लो लेवल वार्फ दीवार का निर्माण कार्य लिया गया है। निर्माण कार्य जल्द चालू होने वाला है।
(ड.) पिपराडीह रेलवे साइडिंग का निर्माण	यह कार्य पूर्व मध्य रेलवे, धनबाद डिवीजन द्वारा जमा अवधि के आधार पर किया जा रहा है। ईसी रेलवे अलाइन्मेंट में बदलाव के कारण लागत 8.88 करोड़ रूपये से 22 करोड़ (लगभग) संशोधित की गई है। सीसीएल ने लागत में वृद्धि के लिए विस्तृत औचित्य प्रस्तुत करने के लिए ईसी रेलवे से अनुरोध किया है।
(च) उत्तर उरीमारी रेलवे साइडिंग का निर्माण	सीसीएल ने मई 2017 में मेसर्स राईट्स को उत्तरी उरीमारी साइडिंग के निर्माण के लिए 222.32 करोड़ (लगभग) कार्य सौंपा है। मेसर्स राइटर्स द्वारा कार्य शुरू किया गया है। दामोदर नदी पर बड़े पुल एवं अन्य छोटे पुलों का निर्माण प्रगति पर है।
(छ) पिपरवार – मैक्लुस्किगंज रेल लाइन अलाइन्मेंट के सीएच.17.000 और 18.000 के मध्य दो वार्फवाल के निर्माण हेतु एफएसआर एवं डीपीआर बनाना	यह काम मेसर्स राईट्स लिमिटेड को सौंपा गया है। डीपीआर को पू.म. रेलवे की मंजूरी मिल गई है। मेसर्स राइट्स द्वारा प्रस्तुत डीपीआर के आधार पर संशोधित लागत 99.80 करोड़ रूपये (मेसर्स राइट्स शुल्क और सेवा कर सहित) है – जिसमें चेनेज के 10 किमी और 11 किलोमीटर के बीच कोइलारा में क्रॉसिंग स्टेशन का प्रावधान शामिल है का कार्य प्रगति पर है।
(ज) मगध रेलवे साइडिंग का निर्माण	391.01 करोड़ रूपये (मेसर्स राइट्स शुल्क और सेवा कर सहित) की लागत से मेसर्स राइट्स को कार्य दिया गया है। रेलवे भूमि के कुछ भाग एवं अन्य भागों में निर्माण कार्य प्रगति पर है।
(झ) आम्रपाली रेलवे साइडिंग का निर्माण	413.48 करोड़ रूपये (मेसर्स राईट्स के शुल्क और सेवा कर सहित) की लागत से मेसर्स राईट्स को कार्य दिया गया है। रेलवे भूमि के हिस्से में निर्माण कार्य प्रगति पर है।
(ञ) कोनार रेलवे साइडिंग	46.8 करोड़ रू. की लागत से जमा अवधि के तहत पूर्वी मध्य रेलवे के साथ लो लेवल वार्फ दीवार सहित कोनार रेलवे साइडिंग का निर्माण जारंगडीह रेलवे स्टेशन से बोकारो थर्मल विद्युत स्टेशन किया जा रहा है। निर्माण कार्य अभी प्रगतिशील है।

28.2 मौजूदा रेलवे साइडिंग का नवीनीकरण

करगली (पश्चिम) साइडिंग का नवीनीकरण मेसर्स राइट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है।

पूर्व मध्य रेलवे, धनबाद डिवीजन द्वारा जमा अवधि के आधार पर रेल पटरियों और स्लीपरों का नवीनीकरण पूरा गया है : (i) ढोरी–I साइडिंग, (ii) ढोरी–II साइडिंग, (iii) तारमी साइडिंग, (iv) जारंगडीह–I साइडिंग, (v) जारंगडीह–II साइडिंग, (vi) एन आर और सारूबेरा (चरण–I), (vii) एन आर और सारूबेरा (चरण–II), (viii) न्यू सेलेक्टेड ढोरी साइडिंग, (ix) डकरा साइडिंग, (x) बचरा साइडिंग, (xi) सौंदा – बी साइडिंग।

29. भूगर्भीय सेवाएँ :

29.1 ड्रिलिंग

वित्तीय वर्ष 2018–19 में, लक्ष्य 63100 मीटर की तुलना में कुल 52965.5 मी./प्रति माह की ड्रिलिंग तोपा और लपंगा स्थित दो बेस स्टेशनों में कार्यरत चार ड्रिलों के माध्यम से की गई जिससे 1103.45 मी./ड्रिल की उत्पादकता प्राप्त हुई। इसमें खनन सेवाओं हेतु ब्लास्ट होल की ड्रिलिंग, जल निकासन हेतु अधिक व्यास वाले बोरहोल, पेयजल हेतु ट्यूबवेल एवं अन्वेषण कार्य के लिए नॉन– कोकिंग बोरहोल सम्मिलित हैं।

29.2 परियोजना दस्तावेजीकरण और सम्बद्ध कार्य

(I) भूविज्ञान संबंधी

वर्ष 2018–19 के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप पूर्ण हुए ᐤ अधिकांश कार्य उत्पादन समर्थन खनन सेवा और भविष्य की खनन गतिविधियों से संबंधित हैं :

1. हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और विभागीय कंप्यूटर केंद्र के डाटा की देख–रेख।
2. चालू ब्लॉकों की स्थानिक योजनाओं के संबंध में महाप्रबंधक(गवेषण), क्षे.सं.–III के साथ परस्पर विचार–विमर्श जहां सीसीएल कमान क्षेत्रों में सीआईएल के ब्लॉकों का विभागीय एवं आउटसोर्सिंग माध्यम से गवेषण कार्य चल रहा है, खा.यो.प्रति. में भूगर्भीय सूचना एवं लंबित कोल कोर।
3. विभागीय सह आउटसोर्सिंग माध्यम से सीसीएल के कमान क्षेत्रों में प्रायोजित भूवैज्ञानिक गवेषण का क्षे.सं.–III सीएमपीडीआई, रांची द्वारा पर्यवेक्षण।
4. दिनांक 01.04.18 तक सीसीएल के कमान क्षेत्रों में कोयला भंडार का संकलन। सीसीएल के कमान क्षेत्रों में कुल 44837.98 मि.टन का कोयला भंडार है। दिनांक 01.04.17 तक भारत में कोयले का सकल भंडार 319020.33 मि.टन था।
5. विभागीय सह आउटसोर्सिंग माध्यम से सीसीएल कमान क्षेत्र के सीआईएल ब्लॉकों में सीएमपीडीआई के बिलों की प्रसंस्करण।

आउटसोर्सिंग प्रस्ताव

1. 1 वर्ष के अवधि के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से मगध ओसीपी के 3.799 मि.क्यू.मी. ओबी (0.799 मि.क्यू.मी. के पुनः प्रबंधन सहित) और मगध ओसीपी के मासीलॉन्ग पैच से 0.734 मि.टन कोयले का निष्कर्षण एवं 0.799 मि.क्यू.मी. ओबी को मगध ओसीपी (20.00 मी. टन./वर्ष) की पीआर सीमा के बाहर 120 मी. थ्रोफॉल्ट के नीचे डंप करना और शेष 3.00 मि.क्यू.मी. के ओबी को कोयला धारित क्षेत्र में डंप करना, जिसकी भविष्य में पुनः प्रबंधन की आवश्यकता होगी।
2. मगध ओसीपी में मेसर्स सैनिक एवं एलाइड सर्विसेज लिमिटेड को दिए गए पैच में 1.062 मि.क्यू.मी. ओबी की डंपिंग हेतु आउटसोर्सिंग प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।
3. 1 वर्ष की अवधि हेतु बो. एवं कर. क्षेत्र के कारो ओसीपी में ओबी निष्कासन हेतु (17.11 ला.क्यू.मी.) और कोयला निष्कासन हेतु (41.99 ला.क्यू.मी.) एचईएमएम मशीन किराए पर लेने के प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।
4. 2 साल की अवधि के लिए एकेके, ओसीपी (कोनार विस्तार), बो. एवं कर. क्षेत्र के कोनार भाग में (6.28 मि.क्यू.मी.) ओबी के निष्कासन हेतु आउटसोर्सिंग प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

5. 8 महीने की अवधि हेतु बो. एवं कर. क्षेत्र के एकेके, ओसीपी (कोनार विस्तार) के प्रस्तावित खासमहल भाग में 7.10 ला. टन कोयले के निष्कासन एवं जारंगडीह साइडिंग चरण–।। और चरण–।। में परिवहन एवं ओबी(7.60 ला.क्यू.मी.) के निष्कासन हेतु एचईएमएम और अन्य संबद्ध उपकरण किराये पर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

6. उत्तरी तापिन ओसीपी में आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से 5 वर्षों की अवधि हेतु 234.78 ला.क्यू.मी. ओबी और 85.91 ला.टन कोयले के निष्कासन के प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

7. उत्तरी उरीमारी ओसीपी, बरका–सयाल क्षेत्र में 8 वर्षों हेतु मेसर्स बीजीआर को दिए गए आउटसोर्सिंग पैच में ओबी निस्तारण एवं कोयला निष्कर्षण हेतु पुनर्नियोजित उत्पादन कार्यक्रम के प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

8. 2 वर्ष की अवधि के लिए एकेके, ओसीपी (कोनार विस्तार), बो. एवं कर. क्षेत्र के कोनार भाग में (5.06 मि.टन) कोयला निष्कर्षण के आउटसोर्सिंग के प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

9. 8 महीने की अवधि हेतु बो. एवं कर. क्षेत्र के एकेके, ओसीपी (कोनार विस्तार) के प्रस्तावित खासमहल भाग में 7.10 ला. टन कोयले के निष्कासन एवं जारंगडीह साइडिंग चरण–। और चरण–।। में परिवहन एवं ओबी(7.60 ला.क्यू.मी.) के निष्कासन हेतु एचईएमएम और अन्य संबद्ध उपकरण किराये पर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

10. 2 साल की अवधि में आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से उरीमारी ओसी के गंधौनिया पैच पर 14.37 ला.क्यू.मी. को निस्तारण के प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

11. कुजू क्षेत्र के करमा ओसीपी में आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से 8 वर्ष की अवधि हेतु 69.797 ला.क्यू.मी. ओबी (7.1 ला.क्यू.मी. को पुनः प्रबंधन सहित) निस्तारण एवं 46. 148 ला.टन कोयले के निष्कासन के प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

12. रजहरा क्षेत्र के तेतरियाखार ओसीपी में 09 माह की अवधि हेतु 11.00 ला.टन कोयले को संयुक्त सीम II + III से निकाल कर सरफेस स्टॉकयार्ड तक परिवहन हेतु एचईएमएम को किराये पर लेने के प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

13. 03 वर्ष की अवधि हेतु हजारीबाग क्षेत्र के दक्षिणी तापिन परियोजना में 24.80 ला.टन कोयले का निष्कासन एवं 55.80 ला.क्यू.मी. ओबी निष्कासन और परिवहन के प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

14. अरगडा क्षेत्र की गिद्दी–ए खुली खदान परियोजना(0. 60मि.टन/वर्ष) के संदर्भ में 29.21 ला.क्यू.मी. ओबी (0.70 ला.क्यू.मी. के पुनः प्रबंधन सहित) के निष्कासन एवं 12.96 ला.टन कोयले के निष्कासन एवं निर्दिष्ट स्थानों तक 03 वर्षों की अवधि तक परिवहन हेतु एवं स्वीकृत परियोजना के विचलन में 29.21 ला.क्यू.मी. ओबी को कोयला धारित क्षेत्र में डंप करने (जिसकी भविष्य में पुनः प्रबंधन की आवश्यकता होगी) हेतु किराये पर। एचइएमएम लेने की सैधांतिक स्वीकृति के प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन

15. 05 वर्षों की अवधि हेतु पिपरवार क्षेत्र के अशोक ओसीपी में ओबी (263.30 ला.क्यू.मी.) हटाने एवं कोयले (251.53 ला.टन) के निष्कासन एवं परिवहन प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

16. कथारा क्षेत्र के कथारा ओसीपी में कथारा सीम एवं करगली सीम के मध्य भाग में 49.50 ला.क्यू.मी ठोस ओबी (भूमि अवरोध के कारण कमी के बराबर की मात्रा) को हटाने के लिए पूर्ववत निविदा नियमों एवं शर्तों के अनुसार मेसर्स बीकेबी ट्रांसपोर्ट प्रा. लि. के पूर्व अनुमोदित आउटसोर्सिंग पैच के विस्तार में लम्बवत पैच एनेक्सेशन(समामेलन) प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

17. 05 वर्षों की अवधि के लिए राजहरा क्षेत्र की तेतरीयाखार ओसी परियोजना में कोयले(80.00 ला. टन) के निष्कासन और निर्दिष्ट गंतव्य तक परिवहन हेतु और ओबी (38.00 ला.क्यू.मी) को हटाने के लिए एचईएमएम किराये पर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

(।।) कैपटिव खान ब्लॉक पर :

1. कैपटिव खान ब्लॉक पर विभिन्न प्राधिकारियों के प्रश्नों के उत्तर दिए गए।

(।।।) अन्यः

1. वर्ष 2019– 20 में विभागीय एवं आउटसोर्सिंग माध्यमों से सीएमपीडीआई द्वारा सीआईएल के कोल ब्लॉक के गवेषण कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया।
2. विभाग के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संसदीय प्रश्नों का उत्तर दिया गया।

29.3 हाइड्रोजियोलॉजी और टेस्ट होल :

1. सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल की आवश्यकता पूरी करने हेतु गहरे ट्यूबवेल बोरवेल्स एवं कोयला और ओबी को सिद्ध करने हेतु कुल 63 की संख्या में टेस्ट होल ड्रिल किए गए।

29.4 विशिष्ट सेवाएं और कंप्यूटरीकरण कार्य

भूविज्ञान विभाग ने आईआईटी खड़गपुर, बीआईटी मेसरा, सीएमपीडीआई, एमईसीएल और जादवपुर विश्वविद्यालय के सहयोग से एसकेसीएफ और डब्ल्यूबीसीएफ के जीआईएस आधारित इंटरएक्टिव जिओ खनन मॉडल पर सीआईएल के शोध एवं विकास द्वारा वित्त पोषित दो प्रमुख परियोजनाएं पूरी की है।

अंतिम रिपोर्ट में विभिन्न एजेंसियों के समस्त परिणामों के निष्कर्ष सम्मिलित हैं।

बोरहोल और मानचित्र का डेटा, प्रसंस्कृत नतीजों और दस्तावेजों सहित सभी बुनियादी डेटा को विभाग रखता है।

कोयला भंडार

दिनांक 01.04.2018 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अभीकलित एवं संकलित डेटा के अनुसार सीसीएल के अधिकार क्षेत्र में सिद्ध, सूचित एवं अनुमानित श्रेणियों में कुल 44837.98 मिलियन टन कोयला (1200 मीटर की गहराई तक) अवस्थित है। कोयला भंडार का विवरण निम्नलिखित हैः–

(आंकड़े मि.टन में)

कोयले का प्रकार	प्रमाणित	सूचित	अनुमानित	कुल
कोकिंग	8109.75	9448.77	1692.92	19251.44
नॉन–कोकिंग	16088.94	6658.53	2839.07	25586.54
कुल	24198.69	16107.30	4531.89	44837.98

30. सीसीएल में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

सीसीएल अपने हितधारकों की संतुष्टि के लिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से पारदर्शिता एवं संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग का प्रयास कर रहा है। इसके लिए वर्ष 2018–19 में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण पहल किये गये हैं :

1. सीआईएल की ईआरपी परियोजना (एसएपी) के प्रस्तावित कार्यान्वयन पर अन्य अनुषंगियों के साथ सीसीएल काम कर रही है।
2. कोल इंडिया लिमिटेड के केन्द्रीय सर्विस प्रदाता के सौजन्य से कोयले का ई–ऑक्शन, वस्तु एवं सेवा का ई–क्रय के साथ–साथ एवं ई–विक्रय तथा जेम (जीईएम) पोर्टल की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अलावा सीआईएल के वेन्डर्स एवं कर्मचारियों को ई–भुगतान तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से व्यापार में शिकायतों के निवारण हेतु ई–फाइलिंग की सुविधा दी गई है।
3. आधार पर आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को सीसीएल तथा उसके कमांड एरिया में प्रभावकारी नियंत्रण के लिए शुरू किया गया है।
4. सीसीएल में कोलनेट (ईआरपी का एक प्रकार सॉफ्टवेयर) में वित्त, वेतन, विक्रय, पीआईएस, सामग्री, एवं उत्पादन मॉड्यूल सफलतापूर्वक परिचालन में है।
5. सीसीएल मुख्यालय में एन.आई.सी., के सहयोग से ई–ऑफिस सॉफ्टवेयर प्रारंभ की है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सीसीएल के व्यापार प्रक्रिया प्रबंधन में गुणात्मक सुधार, उत्पादन, उत्पादकता में वृद्धि एवं इलेक्ट्रॉनिक फाइल सिस्टम के माध्यम से पारदर्शिता लाना है।
6. व्यवसायिक प्रक्रिया के उत्पादकता एवं निपुणता में सुधार के लिए वैन (WAN) के माध्यम से सीसीएल के केन्द्रीय सर्वर से कार्यान्वित किया जा रहा है।
7. सीसीएल के सभी अधिकारियों के लिए सीआईएल द्वारा जारी किए गए कॉरपोरेट ईमेल मैसेज सिस्टम को सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए लागू किया गया है।
8. विभिन्न प्रकार के आंतरिक रूप से विकसित वेब/मोबाइल अनुप्रयोग जैसे – कर्मचारियों से आमंत्रित परिवर्तनात्मक सुझाव के लिए क्राउड सोर्सिंग, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एसएमएस अलर्ट के साथ सीपीआरएमएसई, सेवा प्रदाता/विक्रेता आदि के लिए बिल ट्रेकिंग अनुप्रयोग स्थापित किया गया है।
9. सीसीएल के सभी अधिकारियों का प्रदर्शन मूल्यांकन, सतर्कता सूचना एवं वार्षिक संपत्ति विवरण सीआईएल द्वारा प्रबंधित केन्द्रीयकृत वेब प्रणाली के द्वारा की जाती है।
10. कोलनेट के विभिन्न मॉड्यूलों में जीएसटी को सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

31. सुरक्षा प्रबंधन

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का सुरक्षा विभाग एक 24x7 कार्यकारी विभाग है जो अवैध खनन, कोयला चोरी जैसे अवैध कार्यों की रोकथाम के लिए "खान प्रहरी" राज्य एवं सिविल प्राधिकारियों के साथ मिलकर आवश्यक निषेधात्मक कदम लेता है। विगत वर्ष यानी 2018–19 में सुरक्षा विभाग का उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। विभाग ने विभिन्न खानों/परियोजनाओं एवं ईकाइयों के चौबीसों घंटे निगरानी हेतु एक अति वृहत तंत्र विकसित किया है। अद्यतन सूचनओं को संकलित कर प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआइएस) के रूप में जमा कर दिया जाता है।

सुरक्षा विभाग ने वर्ष 2018–19 में अधिकतम छापेमारी की है जिसमें 13 क्षेत्रों में कुल 652 छापेमारी की एवं 435.51 मिट्रिक टन से ज्यादा कोयला बरामद किया है, जिसका अनुमानित मूल्य 9,47,106.00 (नौ लाख सैतालिस हजार एक सौ छः रूपये) है। सफल छापेमारी अनैतिक कार्यों की प्रभावी रोकथाम की कसौटी है। सीसीएल के लीज्डहोल्ड क्षेत्रों में अवैध कोयला खनन की सूचना प्राप्त होने पर, विभाग नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाकर संबंधित जिला टास्क फोर्स की सहायता से उपद्रवियों को कब्जे में ले लिया जाता है। अवैध खनन की रोकथाम के लिए कई रैट होलों का ध्वंस किया गया है।

इसके अतिरिक्त सुरक्षा विभाग द्वारा कोयला खानों के समीप अतिरिक्त चेक पोस्ट का निर्माण, रेलवे साइडिंग के पास कंटीली तारों का घेरा, रात्रि पेट्रोलिंग गस्ती दल एवं कॉंटा घरों के पास सीसीटीवी कैमरा स्थापित किया गया है जो कि 24x7 घंटों की रिकॉर्डिंग करती है। जी.पी.एस. एवं आर.एफ.आई.डी. प्रणाली व्यवस्थित की गयी है। विभाग द्वारा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की कारगर सेवा ली जा रही है जो विभाग को और शक्तिशाली कर रहा है जो सभी तरह के आधुनिक गैजेट, क्यूआरटी गाड़ियाँ, रात्रि में देख पाने वाले ग्लास उपकरण एवं आधुनिक हथियारों से लैस हैं।

उपरोक्त के अलावे, 129 अतिरिक्त कैट–1/9.4.3., 9.4.0. के अधीन, भू–विस्थापितों को वर्ष 2018–19 में सिक्युरिटी ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, गाँधीनगर राँची में प्रशिक्षित कर सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में वाच एण्ड वार्ड ड्यूटी में लगाया गया है।

सुरक्षा विभाग के द्वारा कम्पनी की सम्पत्ति एवं उपकरणों की देख–भाल के लिए एवं सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त–दुरुस्त करने के मद्दे नजर, सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था क्षेत्रीय खदानों तथा आवासीय कॉलोनी में की गयी है जिससे कि असामाजिक तत्वों पर निगरानी 24x7 रखी जा सके। इसके लिए विभाग द्वारा प्रभावी निगरानी एवं नियंत्रण हेतु सीसीएल दरभंगा हाउस परिसर में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित की गई है।

32. राजभाषा कार्यान्वयन प्रतिवेदन : 2018–19

झारखंड की राजधानी रांची में स्थित कोल इंडिया की अनुषंगी कम्पनी – सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड 'क' क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ लगभग 90 प्रतिशत कार्मिक हिन्दी के कार्यसाधक ज्ञान से युक्त हैं। भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु आपकी कम्पनी का राजभाषा विभाग सदैव तत्परता से कार्य करता है। गृह–मंत्रालय या कोयला–मंत्रालय से आए निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जाता है। वर्ष पर्यंत सभी के सहयोग से समयबद्ध कार्यशालाएं और तिमाही बैठकें आयोजित की गयीं ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक/निदेशक (कार्मिक) की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें क्रमशः दिनांक–08.02.18, 21.07.18,26.10.2018 एवं 18.03.2018 को आयोजित की गयीं। इन बैठकों में कंपनी के क्षेत्रों/विभागों के विभागाध्यक्षों/प्रतिनिधियों एवं राजभाषा नोडल अधिकारियों ने भाग लिया ।

मुख्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन हेतु एक दस सदस्यीय उप–समिति बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता महाप्रबंधक(का./रा.भा.) करतीं है। मंत्रालय के निर्देशानुसार प्रति तिमाही एक कार्यशाला आयोजित करना अनिवार्य है । इस वर्ष मानव संसाधन विकास विभाग, सीसीएल के सहयोग से राजभाषा विभाग द्वारा मुख्यालय में क्रमशः दिनांक 25.06.2018, 26.06.2018, 18.09.2018, 27.12.2018, 28.12.2018 को कुल पांच कार्यशालाएं आयोजित की गई जिसमें एक कार्यशाला कम्पनी में नव–पदस्थापित प्रबंधन प्रशिक्षुओं हेतु आयोजित की गयी।

सीसीएल के समस्त क्षेत्रों एवं केन्द्रीय कर्मशाला, बरकाकाना में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का पुर्नगठन किया गया है । क्षेत्रीय महाप्रबंधक की अध्यक्षता में प्रति तिमाही राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया जाता है। प्रति तिमाही क्षेत्रों में कार्यशाला का आयोजन भी किया जाता है।

दिनांक 08.06.2018 को श्री डी.जे.नायक, महाप्रबंधक (का. एवं औ.सं./राजभाषा), कोल इंडिया की अध्यक्षता में सीसीएल के समस्त क्षेत्रों/मुख्यालय के विभागाध्यक्षों एवं राजभाषा नोडल अधिकारियों के साथ एक निरीक्षण बैठक सीसीएल मुख्यालय में आयोजित हुई। बैठक में सीसीएल द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समीक्षा एवं सराहना की गयी एवं राजभाषा नीति के शत–प्रतिशत क्रियान्वयन हेतु महाप्रबंधक (का.एवं औ.सं./राजभाषा),कोल इंडिया द्वारा विभिन्न सुझाव एवं आदेश दिये गये जिसका अनुपालन किया जा रहा है।

दिनांक 04.09.2018 से 07.09.2018 तक विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ राजभाषा माह मनाया गया। 14 सितम्बर,2018 को अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, सीसीएल की अध्यक्षता में राजभाषा दिवस सह पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया । शहर के एक वरिष्ठ साहित्यकार को सम्मानित किया गया । सभी विजयी प्रतिभागियों को मंत्रालय के निर्देशानुसार तय की गई राशि का नगद पुरस्कार दिया गया । मुख्यालय के तीन विभागों एवं तीन क्षेत्रों को वर्ष पर्यन्त राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य के लिए शील्ड प्रदान किया गया । एक क्षेत्र को राजभाषा में श्रेष्ठ कार्य हेतु विशेष राजभाषा शील्ड से सम्मानित किया गया । प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों को प्रोत्साहित करने हेतु 95 कर्मियों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया।

वर्ष 2018–19 कोयला मंत्रालय, गृहमंत्रालय की एक बैठक दिल्ली में आयोजित हुई। इस बैठक में कम्पनी के निदेशक (कार्मिक), महाप्रबंधक (कार्मिक/राजभाषा) एवं राजभाषा विभाग के अधिकारी शामिल हुए । राजभाषा कार्यान्वयन हेतु सफल प्रयासों के लिए सीसीएल की सराहना हुई ।

राजभाषा विभाग की पहल से 'मानक प्रारूप संकलन' सीसीएल प्रेस के सहयोग से प्रकाशित किया गया था जिसमें नियमित कार्योपयोगी पत्र/नोटशीट/टिप्पणियों का संकलन है एवं इसे सभी विभागों एवं क्षेत्रों में वितरित किया गया । इसी प्रकार सभी विभागों के उपयोग में आनेवाले कठिन अंग्रेजी शब्दों का हिन्दी में सरलीकरण एवं अनुवाद कर एक'कार्यालय सहायिका' पुस्तिका बनाई गई है जिससे हिन्दी में कार्य करना सुगम हो पाये। साथ ही इसे सीसीएल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है।

समय–समय पर सीसीएल के सभी क्षेत्रों, केन्द्रीय इकाइयों एवं मुख्यालय के विभागों का निरीक्षण किया जाता है और राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए उचित सलाह दी जाती है। कार्यान्वयन की प्रतिपुष्टि भी की जाती है ।

सीसीएल, मुख्यालय में इ–ऑफिस के लागू होने से राजभाषा कार्यान्वयन में अपेक्षित प्रगतिहोगी। इस वर्ष आठ अनुवादकों के पद सृजित किये गये थे । उनका चयन प्रक्रियागत है। दिनकर पुस्तकालय हेतु हिन्दी पुस्तकों का क्रय प्रक्रियागत है ।

राजभाषा विभाग, सीसीएल द्वारा मंत्रालयों के निर्देशों के शत–प्रतिशत अनुपालन का प्रयास रहता है जिससे फलस्वरूप कम्पनी में राजभाषा कार्यान्वयन प्रगति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

33. सतर्कता विभाग

33.1 सतर्कता विभाग, सीसीएल का प्रदर्शन

(क) प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या एवं कृत कार्रवाई :

शिकायतें	वर्ष 2018–19
अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक प्राप्त शिकायतों की संख्या	405
बेनामी / छद्मनामी / दायर मामलों की संख्या	92
1अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि में परीक्षण/सत्यापन हेतु लिए गए शिकायतों की संख्या	175
विभागाध्यक्ष /महाप्रबंधक को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित शिकायतों की संख्या	138

(ख) नियमित परीक्षण के मामले (नि.परि. मामले):

परीक्षण	वर्ष 2018–19
1 अप्रैल, 2018 तक लंबित मामलें	14
1अप्रैल, 2018 से 31 मार्च 2019 तक परीक्षण हेतु लिए गए मामले	06
1 अप्रैल,2018 से 31 मार्च,2019 तक परीक्षण पूर्ण मामलों की संख्या	17
31 मार्च,2019 तक लंबित मामलें	03

(ग) अनुशासनात्मक कार्रवाई (आरडीए मामले) हेतु मामलों की संख्या :

अनुशासनात्मक कार्रवाई (आरडीए) केमामलों की संख्या	वर्ष 2018–19	
	मामले	व्यक्तियों की संख्या
बड़े	15	40
छोटे	03	08

(घ) विभागीय जांच :

पूर्ण किए गए विभागीय जांच की संख्या	वर्ष 2018–19	
	मामले	व्यक्तियों की संख्या
	20	28

(ङ) वैसे मामलों की संख्या जिनमें जुर्माना लगाया गया :

वैसे मामलों की संख्या जिनमें जुर्माना लगाया गया	वर्ष 2018–19	
	मामले	व्यक्तियों की संख्या
बड़े	18	32
छोटे	13	21

(च) वर्ष 2018–19 के दौरान औचक निरीक्षण:

वर्ष	संपन्न औचक निरीक्षण	नियमित जांच में परिवर्तित
वर्ष 2018–19 (1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019)	11	02

(छ) गहन परीक्षण के मामले (ग.तक.परी.मामले) :

वर्ष	संपन्न ग. तक.परी.	नियमित जांच में परिवर्तित
वर्ष 2018–19 (1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019)	03	00

(ज) अधिकारियों के संपत्ति विवरणी की संवीक्षा : :

वर्ष (2019–19)	संपन्न संवीक्षाओं की संख्या
(1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019)	438

(झ) सहमति सूची/ओडीआई सूची प्रत्येक वर्ष तैयार की जा रही है ।

(ञ) परीक्षण के दौरान प्रचलित प्रणाली में दृष्टिगत अनियमितताओं एवं सीसीएल सतर्कता विभाग द्वारा किए गए औचकनिरीक्षणके आधार पर प्रणालीगत सुधार हेतु सक्षम प्राधिकारी को निवारक उपायों की सिफारिश की जाती है।

33.2 भ्रष्टाचार के अवसरों को न्यून करने हेतु निम्न प्रणालीगत सुधारों की अनुशंसा की गई ।

1. निगरानी हेतु आईटी सुविधाओं के कार्यान्वयन के मानक संचालन प्रक्रिया (मा.सं.प्र.) का निर्माण

ए) उपायों/पहल का संक्षिप्त विवरण : –

व्यवहृत उपाय : ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) आधारित व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम (वीटीएस) और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) आधारित वेट कंट्रोल सिस्टम जैसी निगरानी के लिए आईटी सुविधाओं के कार्यान्वयन के लिए मा.सं.प्र. ।

संचालन परिमिति : सीआइएलकी अन्य सहायक कंपनियों के साथ–साथ सीसीएल में वृहत पैमाने मेंलागू किया गया.

बी) पृष्ठभूमि :–

(i) कोल इंडिया लिमिटेड में कोयला चोरी, अवैध उत्खनन, ट्रकों और वैगनों की ओवरलोडिंग, कोयला भण्डार की ओवररिपोर्टिंग और अंडररिपोर्टिंग आदि के कारण राजस्व का नुकसान कोल इंडिया प्रबंधन के लिए प्रारंभ से ही एक गंभीर समस्या बनी रही है । विगत वर्षों में हुई प्रौद्योगिकीय प्रगति के कारण वीटीएस, सीसीटीवी निगरानी और आरएफआईडी सहित कम्प्यूटरीकृत वजनीकरण जैसी आईटी सुविधाओं को इस प्रकार होने वाले राजस्व–हानि की रोकथाम हेतु लगाया गया था। पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रणालीगत सुधार लाने के उद्देश्य से ये कदम उत्कृष्ट थे ।

(ii) कोल इंडिया और उसकी अनुषंगी कंपनियों में विभिन्न स्तरों पर कोयला चोरी एवं अन्य संवर्गी मुद्दों की रोकथाम हेतु उठाये गए कदमों के प्रभाव की समीक्षा मेंयह दृष्टिगत हुआ कि आरंभिक दौर में प्रत्याशित वांछित परिणाम नहीं आए थे। कोल इंडिया लिमिटेड की सभी सहायक कंपनियों का यही व्यावहारिक परिदृश्य था ।

(iii) सभी अनुषंगी कंपनियों में निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु इन आईटी सुधारों के व्यापक ऑडिट में प्राप्त परिणाम अति उत्साहजनक नहीं थे और इनके कार्यान्वयन में व्यावहारिक मुद्दे दृष्टिगत हुए हैं । यह देखागया कि मा.सं.प्र.(एसओपी) में विभिन्न अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियों को एकरूप एवं स्पष्टतः परिभाषित नहीं किया गया था,अतःइन सुधारात्मक उपायों में लागू करने में क्षेत्र स्तरीय अधिकारियों की गंभीर अनिच्छा थी। यह भी देखा गया कि इसके कार्यान्वयन और रख–रखाव हेतु जिम्मेवार अधिकारियों की समीक्षा नहीं की गई । लैन/वैन कनेक्टिविटी, इंटरनेट उपलब्धता, आरएफआईडी बूम बैरियर को नुकसान, जीपीएस उपकरणों से छेड़छाड़ और चोरी तथा इसी प्रकार के अन्य ढेरों मुद्दे थे, जिन्होंने इन उपायों के कार्यान्वयन को अपर्याप्त बना दिया था।

सी) कार्यान्वयन :

(i) हालांकि 2012 से प्रारंभ हुई इन आईटी उपायों की अवधारणा उत्कृष्ट थीलेकिन इनके संचालन एवं रखरखाव का तंत्र विकसित नहीं किया गया था जिसके कारण इन आईटी उपायों के कार्यान्वयन में गंभीर अवरोध उत्पन्न हुआ । एक मा.सं.प्र.(एसओपी) की आवश्यकता सभी ने महसूस हुई परन्तु कोई अग्रेत्तर करवाई नहीं की गयी जिसके कारण इन को लागू नहीं किया जा सका ।

(ii) सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों में इन आईटी सुविधाओं की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए एक समान मा.सं.प्र. (एसओपी) विकसित करने हेतु नई दिल्ली में 9.01.18 को समीक्षा बैठक के दौरानसीवीओ, सीसीएल ने कोयला मंत्रालय समक्ष मामला रखा था । तदनुसार, अन्य सहायक कंपनियों

के मुख्य सतर्कता अधिकारियों से सहयोग लिया गया एवं मा.सं.प्र. (एसओपी) की तैयारी जनवरी'18 में शुरू हुई ।

(iii) मा.सं.प्र.(एसओपी) तैयार करते समय, यह आवश्यकता महसूस की गयी कि इस मा.सं.प्र. (एसओपी) को दीर्घकालिक रूप से प्रभावी बनाने हेतु प्रत्येक गतिविधि / उप–गतिविधियों के लिए स्पष्ट जिम्मेदारी आवश्यक है। तदनुसार, एसओपी के व्यापक दायरे में एक जिम्मेदारी मैट्रिक्स का प्रारूप भी तैयार किया गया है , जो विभिन्न स्तरों पर इन पहलों की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए विभिन्न अधिकारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है ताकि प्रभावशीलता और स्थायित्व सुनिश्चित की जा सके।

(iv) सीआईएल की प्रत्येक सहायक कंपनियों में एकरूपता लाने हेतु सतर्कता विभाग, सीसीएल द्वारा मा.सं.प्र. (एसओपी) बनाया गया और दिनांक 05.02.2018 को सीईएल के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

(v) मा.सं.प्र. (एसओपी) को अंतिम रूप प्रदानकरने के उपरांत, सभी क्षेत्रों में इसे व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। तत्पश्चात विभिन्न समन्वय बैठकोंमें इसकी जानकारी दी गई। स्वीकृत मा.सं.प्र. (एसओपी) के कार्यान्वयन हेतु मुख्यालय सहित क्षेत्रों के नियंत्रण कक्षों का भी नियमित निरीक्षण भी किया गया।

डी) प्रभाव और लाभ :

(i) उपर्युक्त एसओपी, कंपनियों में व्याप्त विभिन्न विभागों की भूमिका में अस्पष्टता / संदेह दूर करने में मदद करता है। उक्त एसओपी में, गतिविधियों को उप–गतिविधियोंमें विभाजित कर एवं व्यक्तिगत जवाबदेहियों को स्पष्ट रूप विनिर्दिष्ट किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अस्पष्टता दूर की जा सके एवं इस एसओपी को दीर्घकालिक रूप से प्रभावी बनाया जा सके। इससे यह सुनिश्चित होगा कि इन आईटी उपायों का कार्यान्वयन मु.स.अ. द्वारा संचालित होता नहीं बल्कि यह एक व्यक्तिनिरपेक्ष स्वतंत्र एवं अभिन्न प्रक्रिया है।

(ii) यथोचित स्तर तक अलर्ट में कमी। 27.01.18 को, कुल 9146 अलर्ट उत्पन्न हुए। इतनी बड़ी संख्या में अलर्टोंकी निगरानी व्यावहारिक तौर अपर संभव नहीं थी । हालांकि, मा.सं.प्र. (एसओपी) लागू होने के पश्चात यथोचित स्तर तक अलर्ट कम हुए हैं। मुख्यालय में नियंत्रण कक्ष के निरीक्षण के दौरान, देखा गया कि सीसीएल के सभी 12 क्षेत्रों में अलर्टों की संख्या 200 के आसपास थीं । क्षेत्रों को सलाह दी जाती है की ऐसे अलर्टों पर प्रतिबंधात्मक और दंडात्मक कार्रवाई करें ।

(iii) अतः, एसओपी के माध्यम से वांछित परिणाम की प्राप्ति में सहायता मिल रही हैजिस प्रकार इस की परिकल्पना कर इसे प्रारंभ किया गया था । इसलिए हालांकि इन उपायों को बहुत पहले ही शुरू कर दिया गया था लेकिन वास्तविक प्रभावशीलता और स्थिरता इस एसओपी द्वारा प्राप्त हुई ।

(iv) आवधिक अंतराल पर कोयला उत्पादन, परिवहन एवं पारदर्शिता तथा जवाबदेही लाने के विभिन्न पहलुओं पर इसके प्रभावों का अध्ययन किया जा रहा है।

ई) प्रतिकृति क्षमता

अन्य सहायक कंपनियों में पहले हीउक्त एसओपी को लागू किया जा चुका है ।

2. रेलवे को अंडर–लोडिंग शुल्क भुगतान के एवज में अनावश्यक व्यय की पहचान एवं एनआईटी में यथोचित परिवर्तन का सुझाव।

ए) उपाय / पहल का संक्षिप्त विवरणः –

व्यवहृत उपाय : रेलवे को अंडर–लोडिंग शुल्क के भुगतान के एवज में रु .50 से 200 करोड़ / वर्ष के अनावश्यक व्यय की पहचान और एनआईटी में परिवर्तन का उपाय सुझाया गया ।

संचालन परिमिति : प्रबंधन द्वारा एनआईटी में परिवर्तन को स्वीकार कर लिया गया है और इसे सीसीएल में वृहत पैमाने पर शुरू किया जाएगा।

बी) पृष्ठभूमि :–

(i) एफएसए के साथ–साथअन्य ई–नीलामी उपभोक्ताओं को सीसीएल अपने क्षेत्रों में अवस्थित 30 रेलवे साइडिंगों से रेलद्वारा को कोयले की आपूर्ति कर रहा है।

(ii) इन साइडिंगों पर रेलवे वैगनों कोअनुबंधित पे–लोड द्वारा लोड किया जाता है। वैगन लोडिंग हेतु अनुबंध अधिकांशतः सीएमसी विभाग, सीसीएल (मुख्यालय) द्वारा रिवर्स नीलामी के साथ ई–टेंडरिंग के माध्यम से दिया जाता है ।

(iii) वैगन लोडिंग कीव्यवस्था संविदात्मक होने के कारण रेलवे रेकों की अक्सर ओवरलोडिंग और अंडर–लोडिंग हो जाती है। रेलवे द्वारा दंडात्मक ओवर–लोडिंग (पीओएल) और अंडर–लोडिंग नियम सामयिक रूप से विभिन्न प्रकार के वैगनों एवं विभिन्न मार्गों के लिए अधिसूचित किया जाताहै। उपभोक्ता समझौतों के अनुसार, किसी खेप में रेलवे द्वारा लगाए गए ओवरलोडिंग जुर्माना क्रेता (उपभोक्ता) द्वारा देय होगा। अतः, वैगनों की ओवरलोडिंग के मामलों में, रेलवे को पीओएल शुल्क का भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जाता है ।

(iv) हालांकि, वैगनअंडर लोडिंग के मामलों में आईडल फ्रेट क्रेडिट की अनुमति कोल बिल में है / या उसमे समायोजित की जाती है। वैगन में लोड कोयले का वास्तविक दर्ज वजन के अनुसार लागू माल भाड़ा और लागू माल ढुलाई के बीच के अंतर के रूप में आईडल फ्रेट की प्रतिपूर्ति की जाती है। इसी प्रकार, रेलवे द्वारा सामयिक रूप से अधिसूचित (वैगनवार या मार्गवार) निकृंत(स्टेनसाईलड) वहन क्षमता या टेयर वजन पर आधृत वास्तविक वहन क्षमता या अनुमत वहन क्षमता से कम अंडर लोडिंग के आईडल फ्रेट का भुगतान विक्रेता / सीसीएल द्वारा वहन किया जाता है।

(v) कुछ साइडिंगों पर उपलब्ध आंकड़ों का गहन विश्लेषण किया गया था। यह दृष्टिगत हुआ कि कुजू न्यू साइडिंग ने 2017–18 में लगभग/ रु 144 /टन अंडर–लोडिंग चार्ज का भुगतान किया है । इसी प्रकार, एनआर साइडिंग ने अंडर–लोडिंग चार्ज के रूप में वर्ष 2016–17 के लिए रु. 75/टन एवं 2017–18 के लिए / रु 61/टन का भुगतान किया है । संपरीक्षित लेखा अनुसार, संपूर्ण सीसीएल में, अंडर लोडिंग के मद में निम्लिखित व्यय किया गया :

(रु करोड़ में)

वर्ष	अंडर–लोडिंग शुल्क
2015–16	144.52
2016–17	142.16
2017–18	199.57

(vi) ओवरलोडिंग शुल्क उपभोक्ताओं द्वारा वहन किया जाता है, लेकिन रेलवे पटरियों को नुकसान पहुंचाने के अलावा, रेकों की लगातार ओवरलोडिंग न सिर्फ उपभोक्ताओं को अधिक मात्रा में कोयला परिवहन अपितु उन्हें कम समयावधि एवं कम कोयले के रेकों में अनुबंधित कोयले की मात्रा के परिवहन की सुविधा प्रदान करता है।

सी) कार्यान्वयन :

(i) अध्ययन के दौरान यह बात सामने आई कि हालांकि वैगन की लोडिंग अनुबंध के माध्यम से की जाती है, ओवरलोडिंग और अंडर–लोडिंग का चार्ज क्रमशः क्रेता और विक्रेता/सीसीएल द्वारा वहन किया जाता है। इस प्रकार इन दोनों स्थिति ठेकेदार के लिए लाभप्रद है, जबकि दोष पूर्णरूपेण उसी का है।

(ii) रेकों में वैगन लोडिंग का कार्य करने वाले ठेकेदार की ओवरलोडिंग और अंडरलोडिंग के मद में प्रतिपूर्ति का कोई प्रावधान वैगन लोडिंग की एनआईटी में नहीं है। अतः, वैगन लोडिंग ठेकेदारों से कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जा रही है।

(iii) इस मामले को दिनांक 1.08.18 एक नोट के माध्यम से अ.प्र.नि.,सीसीएल के ध्यान में लाया गया है जिसमे दोषी ठेकेदारों से अंडर–लोडिंग शुल्क की प्रतिपूर्ती प्रावधान का समावेश करने का सुझाव दिय गया है ।

(iv) उपर्युक्त विषय–वस्तु पर सीसीएल (मुख्यालय) में निम्नलिखित मदों में अतरिक्त निगरानी का भी सुझाव दिया गया था :

(क) अंडर–लोडिंग शुल्क की साइडिंग–वार जानकारी न तो विक्रय एवं विपणन विभाग द्वारा रखी जाती है और न ही वित्त विभाग,मुख्यालय में उपलब्ध है ।

(ख) ओवरलोडिंग और अंडर–लोडिंग की सूचनाएं वित्त विभाग, मुख्यालय द्वारा अलग से ना रखी जाती है ना ही सूचित की जातीं हैं ।

(ग) सीसीएल को अंडर–लोडिंग चार्ज के मद में विगत 3 वित्त वर्षों में अनुमानतः 500 करोड़ रु का बड़ा नुकसान हुआ है ।

(घ) प्रभाव और लाभ :

(i) कंपनी को प्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों करोड़ रुपयों की बचत हुई जिससे राजस्व और लाभकारिता में सुधार हुआ।

(ii) चूंकि रेक की अपर्याप्त उपलब्धता हैं, इसलिए उपरोक्त उपाय से राष्ट्रीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग होगा। अंडर–लोडिंग घटनाओं की रोकथाम से उतने ही उपलब्ध रेकों से प्रेषण क्षमता में वृद्धि आएगी ।

(iii) ओवरलोडिंग की रोकथाम से रेलवे लाइनों को नुकसान कम होगा जिससे रेलवे की रख–रखाव लागत में कमी आएगी।

(iv) उपभोक्ताओं को ओवरलोडिंग शुल्क का न देना पड़े तो इससे उपभोक्ताओं के मध्य सद्भावना का प्रसार होगा एवं कंपनी के ब्रांड में अभिवृद्धि होगी ।

(ड.) प्रतिकृति क्षमताः

ओवरलोडिंग और अंडर–लोडिंग की घटनाओं को सीआईएल की अन्य सहायक कंपनियों में खारिज नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, 2017–18 में रेलवे द्वारा प्रेषित 1.16 बिलियन टन माल भाड़े में से कोयले का योगदान लगभग 50% है।

3. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की एक परियोजना में कोयला परिवहन में लोडिंग और अनलोडिंग सिरों पर भार के अंतर के संबंध में जुर्माने का अध्ययन।

(क) उपाय/पहल का संक्षिप्त विवरणः

- सीसीएल को वित्तीय नुकसान देने वाली मौजूदा प्रणाली जिसमे परिवहन ठेकेदार(रों) की प्रतिभूति राशि में से जुर्माना राशि की कटौती की जा रही थी, उसे बदलकर सभी परियोजनाओं में मासिक बिल से जुर्माना राशि की कटौती की जा रही है और इससे परिचालन दक्षता में सुधार हुआ है ।
- परिचालन परिमिति : संपूर्ण कंपनी में वृहत पैमाने में लागू किया गया.

(ख) पृष्ठभूमिः

(i) कोयला परिवहन में लोडिंग और प्राप्ति के सिरों पर में जुर्माना राशि की कटौती में हुई अनियमितताओं का विषयक का अध्ययन किया गया ।

(ii) परिवहन अनुबंध विशिष्ट नियम एवं शर्त की धारा 18.0 में स्पष्टतः उल्लेख है : "अगर ट्रक का

वजन लोड करने के छोर एवं अनलोड के छोर के दोनो के सिरो पर होता है, तो दोनो सिरों पर वजन के आंकड़ों का मिलान प्रत्येक ठेकेदार के साथ होगा एवं अगर अनलोडिंग छोर पर अगर कोयला कम है, तो जितना कोयला कम है उसके वर्तमान मूल्य की दोगुणी राशि, सभी रायल्टी, उपकर, संबद्ध ठेकेदार की प्रतिभूति राशि से काट ली जाएगा या जो विशेष रूप से आदेश/समझौते में उल्लेखित हो ।

(iii) अध्ययन में आगे पता चला है कि प्रतिभूति राशि से मासिक आधार पर जुर्माने की कटौती (अनलोडिंग सिरे में प्राप्त की गई मात्रा हेतु) व्यावहारिक रूप से संभव नहीं थी क्योंकि ठेकेदार द्वारा बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति राशि जमा की गयी थी । इसलिए मासिक जुर्माने की गणना परियोजना अधिकारियों द्वारा की गई , लेकिन जुर्माना राशि मासिक आधार पर नहीं काटी जा सकती थी। ऐसे मामलों में जहां ये अनुबंध तीन, पांच या आठ वर्ष के लिए होते हैं, यह अनुबंध की समाप्ति के पश्चात ही किया जा सकता है।

(iv) उपर्युक्त विषय के मामले में, कोयला परिवहन अनुबंध की पूरी अवधि के लिए लोड एवं प्राप्ति सिरों पर 6512.765 टन के वजन में अंतर (कमी) था। इसलिए लोडिंग और प्राप्ति सिरों पर 6512.765 टन का वजन में अंतर (कमी) हेतु आउटसोर्सिंग ठेकेदार पर जुर्माना लगाया जाना था। ठेकेदार की प्रतिभूति राशि से वसूली के लिए रु. 2,66,92,201.00 की गणना की गई। जुर्माने की यह राशि प्रतिभूति राशि से तब तक नहीं काटी जा सकती, जब तक ठेकेदार अपना अंतिम बिल जमा नहीं करता । ठेकेदार के अंतिम बिल जमा करने के पश्चात, जुर्माने की उपरोक्त राशि अर्थात रु.2,66,92,201.00, ठेकेदार की प्रतिभूति राशि से काट ली गई ।

(ग) समस्या/सतर्कता जोखिम का समाधान :

(i) चूंकि दंड प्रक्रिया अवधि के अंत में जुर्माने का समायोजन किया जा रहा था , इसलिए कोयले की मात्रा के मासिक सामंजस्य में हेरफेर की संभावना थी ।

(ii) कंपनी की जुर्माना राशि पूरे अनुबंध अवधि के लिए अवरुद्ध हो गई थी, जोकि कंपनी के लिए हानि थी।

(iii) पिछली पद्धति में, कुछ मामलों में जुर्माना राशि ठेकेदार की प्रतिभूति राशि से अधिक थी, अतः उन मामलों में पूरी जुर्माना राशि की कटौती मुश्किल थी, लेकिन जुर्माने की मासिक कटौती से इस समस्या का समाधान हो गया।

(घ) कार्यान्वयन :

(i) सतर्कता विभाग की पहल पर, सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. के सक्षम प्राधिकारी से एक दिशानिर्देश जारी किया गया है कि सीसीएल की सभी परियोजनाओं में ठेकेदारों की प्रतिभूति राशि की जगह ठेकेदारों के मासिक ए/सी बिलों से जुर्माने की कटौती (परिवहन संविदा की धारा 18.0 के अनुसार) की जाएगी । वर्तमान में इसे सभी क्षेत्रों के साथ साथ पूरी कम्पनी में लागू कर दिया गया है ।

(ii) सभी सम्बद्ध परियोजना अधिकारियों को उपरोक्त दिशानिर्देशों के विषय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ड.) प्रभाव और लाभ :

ठेकेदारों के मासिक ए/सी बिलों से जुर्माना कटौती के नए दिशानिर्देशों को अंगीकार करने से कंपनी को निम्लिखित लाभ होंगे :

- कंपनी के राजस्व में वृद्धि क्योंकि जुर्माना की राशि कंपनी के खाते में मासिक आधार पर आएगी।
- लोडिंग एंड और अनलोडिंग सिरों के मध्य कोयले की चोरी में कमी।
- लोडिंग और अनलोडिंग सिरों के मध्य परिवहन में कोयले की मात्रा में वृद्धि क्योंकि ठेकेदार दोनों सिरों के मध्य होने वाले अंतर से बचना चाहेगा।
- उपभोक्ताओं को कोयले के प्रेषण में वृद्धि ।

(च) प्रतिकृति क्षमता

अतः सतर्कता विभाग की पहल पर, सीसीएल की सभी परियोजनाओं में ठेकेदार के ए/सी बिलों से मासिक परिवहन हेतु परिवहन अनुबंध के अनुसार दंड में कटौती के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रणालीगत सुधार के लिए एक दिशानिर्देश जारी किया गया है। यह दिशानिर्देश कंपनी के समस्त क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है ताकि कंपनी राजस्व में बचत हो सके और अनंतर किसी भी कानूनी समस्या से बचा जा सके।

4. सिविल में समान कार्य को परिभाषित करना सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में विभाग का ई–टेंडर

(क) उपाय/पहल का संक्षिप्त विवरणः

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में इस व्यवहृत उपाय के अंतर्गत ई–निविदा प्रकिया को अधिक पारदर्शी बनाने हेतु विभिन्न सिविल कार्यों में "समान कार्य" मानदंड को अधिक

विस्तृत बनाया गया है। यह सम्पूर्ण सीसीएल के सिविल विभाग में पूर्व से ही लागू है ।

(ख) पृष्ठभूमि :

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 2.00 लाख रुपये से ऊपर के अनुमानित मूल्य के विभिन्न प्रकार के सिविल कार्यों के लिए ई–टेंडरिंग की पद्धति अपनायी है। इसके लिए, बोली लगाने वाले को उसी प्रकार के समान कार्यों का कार्य–अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो उसके द्वारा पहले कहीं और सफलतापूर्वक संपन्न किया गया हो। प्रमाण–पत्रों के आधार पर, विभाग यह विश्लेषण करता है कि क्या इसे समान कार्य के रूप में माना जा सकता है या नहीं।

यहाँ निविदत्त कार्यों से सम्बद्ध किसी प्रकार का कोई स्पष्ट मानक दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं था कि किस प्रकार के कार्य को समान कार्य के रूप में माना जाए। क्षेत्र/मुख्यालय कि प्रत्येक निविदा–इकाईयों ने समान कार्य को अपनी आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया। कंपनी में समान कार्य की परिभाषा में कोई स्पष्टता / समानता नहीं थी।

इसके कारण एनआईटी में उद्धृत समान कार्य नियमों अनुसार बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण–पत्र की उपयुक्तता के विषय में निविदा समिति स्तर पर व्यक्तिनिष्ठ व्याख्याएं दी गईं। अक्सर , इससे बोली कर्ताओं में असंतोष व्याप्त हुआ क्योंकि उनकी निविदाओं को इस कारण से खारिज कर गया कि उनके द्वारा प्रस्तुत कार्य–अनुभव प्रमाण–पत्र को निविदत्त कार्य के समान कार्य के रूप में माना नहीं जा सकता। पक्षपात की संभावना अधिक थी। कई बार इसके कारण सतर्कता संबंधी शिकायतें भी प्राप्त हुईं।

(ग) कार्यान्वयनः

इसलिए, एनआईटी में ''समान कार्य'' की परिभाषा में स्पष्ट धारा को शामिल करने की आवश्यकता महसूस हुई ताकि भावी बोलीकर्ता प्रारंभ में ही निविदा हेतु अपनी उपयुक्तता तय कर सकें।

तदनुसार, सतर्कता विभाग द्वारा एक आतंरिक विस्तृत अध्ययन किया गया एवं निविदा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने हेतु ''समान कार्य की परिभाषा'' पर सुस्पष्ट दिशानिर्देश बनाने हेतु निदेशक (तक.),परियोजना और योजना, सीसीएल को प्रणालीगत सुधार का सुझाव दिया गया। विभिन्न फील्ड इंजीनियरों और निविदा अधिकारियों के साथ कई बैठकों एवं प्रबोधन के पश्चात समान मानक दिशानिर्देश तैयार किया गया, जिसे पूरे सीसीएल में कार्यान्वयन हेतु महाप्रबंधक (सिविल),सीसीएल, मुख्यालय द्वारा जारी किया गया ।

अतः सांस्थानिक/आतंरिक मानव तकनीकी संसाधन के उपयोग से, एक नए निवारक सतर्कता उपाय का विकास किया गया जिससे सीसीएल की ई–टेंडरिंग पद्धति को और अधिक पारदर्शी होगी।

(घ) प्रभाव और लाभय

इस परिपत्र में कार्य को सोलह श्रेणियों में विभक्त कर स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि किसी विशेष प्रकार के कार्य हेतु समान कार्य के अंतर्गत किस काम को लिया जा सकता है। इसमें डब्ल्यूबीएम/ बिटुमिनस/कंक्रीट रोड का काम, औद्योगिक शेड सहित भवन निर्माण का काम, भवन निर्माण कार्यों का रखरखाव और नवीनीकरण, जल–आपूर्ति/आंतरिक और बाह्य स्वच्छता संबंधी कार्य जिनमें स्थैतिक धूल–शमन प्रणाली, डीप बोरवेल/ट्यूबवेल, मलजल (सीवेज) उपचार संयंत्र का निर्माण/नवीनीकरण/जल उपचार संयंत्र, भूजल जलाशय के निर्माण, आरसीसी ओवरहेड टैंक, पुलों के निर्माण/नवीकरण, पुलिया/चहारदीवारी/नाली/प्रतिधारण भित्ति (रिटेनिंग वाल)/पंप फाउंडेशन आदि, मिट्टी का तटबंध का निर्माण/नाला डायवर्सन/खुदाई के मुख्य कार्य, भवनों का रख–रखाव, बागवानी एवं आंतरिक विद्युतीकरण कार्य।

यह उन अनावश्यक विवादों से बचने में सहायक सिद्ध हुआ जो निविदा के अंत समय में देरी का कारण बनते है। निविदा को अंतिम स्वरुप देने में लागत में वृद्धि एवं श्रमदिन दोनों की बचत में सहायक सिद्ध हो रही है।

समान कार्य मानदंड के चयन की मौजूदा प्रणाली अनुचित थी और तदनुसार इस धारा को बोलीकर्ताओं को सुस्पष्ट करने के लिए पुनः डिजाइन किया गया है। इस नए प्रावधान ने एनआईटी क्लॉज को स्पष्ट करने में बहुत योगदान दिया है और निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में पारदर्शिता लाई है।

निविदा की धारा अस्पष्ट होने से सतर्कता विभाग को कई शिकायतें प्राप्त हो रहीं थी । निविदा के प्रावधान में स्पष्टता आने से सिविल विभाग की निविदाओं से सम्बद्ध सतर्कता संबंधी शिकायतों में कमी आई है ।

इससे कंपनी की छवि पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा जो वर्तमान की प्रतिस्पर्धी व्यापारिक दुनिया में पर व्यापक प्रभाव डालती है। कम विवादों का आशय है कि निविदा प्रक्रिया में तेजी और समय एवं पैसों दोनों की बचत।

(ड.) प्रतिकृति क्षमताः

हालांकि यह नई प्रक्रिया, सिविल विभाग में लागू की गई है, लेकिन सीसीएल में वि.एवं यां. विभाग, खनन विभाग आदि जैसी अन्य टेंडर हैंडलिंग विभागों में उपयुक्तता अनुसार आंशिक संशोधनों के साथ बहुत उपयोगी हो सकती है । टेंडर प्रक्रिया पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

5. संविदात्मक टिपरों द्वारा कोयले के परिवहन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का गठन

(क) उपाय/पहल का संक्षिप्त विवरण : –

व्यवहृत उपाय : संविदा टिप्परों द्वारा कोयले के परिवहन के लिए मा.सं.प्र. (एसओपी)

प्रारम्भ एवं पूर्ण :

सीसीएल द्वारा दिसंबर 18 में आरम्भ और फरवरी 19 में पूर्ण

ऑपरेशन परिमिति :

सीसीएल में वृहत पैमाने पर प्रारंभ किया गया {पत्रांक जीएम(सीएमसी)/एसओपी/2019/230 दिनांक 04.02.19}

(ख) पृष्ठभूमि :–

उपरोक्त कारणों से एसओपी के गठन और कार्यान्वयन की आवश्यकता थी :

(i) कोयला परिवहन में गैर–अधिकृत ट्रकों/टिपरों का प्रयोग ।

(ii) बहु प्रवेश/निकास द्वार वाले खदानों में से ट्रकों / टिपरों की अप्रतिबंधित प्रविष्टि/नकास।

(iii) कोयला स्टॉक/बेड स्टॉक पर लोड किए जा रहे वाहनों का समुचित पर्यवेक्षण न होना.

(iv) कोयला परिवहन में लगे वाहनों के पास नकली/जाली चालान एवं अन्य दस्तावेज का होना.

(v) कोयला परिवहन में उपयोग किये जा रहे वाहनों का समुचित वजन न करना और/या सिर्फ एक सिरे पर वजन

(vi) परिवहन के दौरान/चोरी/उठाईगीरी

(vii) अनुचित रुकावट के रूप में ठेकेदारों को अनावृत्त रियायत .

कंपनी के राजस्व की हानि में उपरोक्त कारण एक गंभीर समस्या बनी रही है। आईटी सुविधाओं जैसे वीटीएस, सीसीटीवी की निगरानी और आरएफआईडी के साथ कम्प्यूटरीकृत वजन के कार्यान्वयन के बाद, उपर्युक्त विषय के एसओपी का कार्यान्वयन और द्वारा अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही हेतु महसूस किया गया ।

उपर्युक्त विषय की एसओपी में, स्रोत(खान) से गंतव्य (साइडिंग/वाशरी) तक परिवहन गतिविधियों की संपूर्ण श्रृंखला में विभिन्न अधिकारियों और गैर–अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित किया गया है।

(ग) कार्यान्वयन : –

(i) सीसीएल (मुख्यालय) में दिनांक 14.12.18 को समीक्षा बैठक के दौरान उपर्युक्त मामले को सीवीओ, सीसीएल ने विभागाध्यक्षों एवं महाप्रबंधक/क्षेत्रीय महाप्रबंधक के समक्ष रखा . सीवीओ, सीसीएल ने प्रत्येक विशिष्ट गतिविधि हेतु जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की एसओपी तैयार करने के महत्व पर जोर दिया।

(ii) विषयक एसओपी निर्माण करते समय, यह महसूस किया गया कि इस एसओपी को दीर्घकाल तक प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक गतिविधि/उप गतिविधि हेतु एक सुस्पष्ट जिम्मेदारी तय करना आवश्यक है । तदनुसार, एक मसौदा एसओपी भी तैयार किया गया है ताकि विभिन्न स्तरों पर विभिन्न अधिकारियों और गैर–अधिकारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सके जिससे प्रभावशीलता और स्थायित्व सुनिश्चित किया जा सके।

(iii) एसओपी को सम्बद्ध विभाग के साथ विचार–विमर्श के पश्चात सीसीएल सतर्कता विभाग द्वारा तैयार किया गया और 26.12.18 बोर्ड में स्वीकृत किया गया ।

(iv) एसओपी को मूर्त रूप देने के पश्चात, उपर्युक्त को सभी क्षेत्रों को पत्र क्रमांक GM (CMC) / SOP / 2019/230 दिनांकित 04.02.2019 के माध्यम से वृहत रूप से परिचालित किया गया।

(घ) प्रभाव एवं लाभः

(i) उपर्युक्त मा.सं.प्र. से कंपनी में कार्यरत विभिन्न अधिकारियों की भूमिका में व्याप्त अस्पष्टताओं को दूर करने में सहायता मिली है। उक्त मा.सं.प्र. में, गतिविधि को उप–गतिविधियों में विभाजित करना और स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को तय करना, किसी प्रकार अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए किया गया है ताकि लंबे समय तक इस मा.सं.प्र. को प्रभावी बनाया जा सके।

(ii) मा.सं.प्र. कार्यान्वयन के आरंभिक चरण में है। इससे निश्चित रूप से परिवहन नेटवर्क में गैर–अधिकृत वाहनों के उन्मूलन में सहायता होगी, खदान परिसर में वाहनों की लोडिंग और निकास बिन्दुओं की उचित निगरानी सुनिश्चित होगी, दोनों सिरों पर कोयले के वजन में भिन्नता की से सम्बद्ध जीटीसी खंड 18 की जुर्माना वसूली का कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा जिससे अंततः कोयला चोरी की रोकथाम में सहायता मिलेगी ।

(iii) कोयला उत्पादन, परिवहन, पारदर्शिता लाने और जवाबदेही के विभिन्न पहलुओं पर इसके संपूर्ण प्रभाव का समय–समय पर आवधिक अध्ययन किया जा रहा है।

(ड.) प्रतिकृति क्षमता :

उपरोक्त मा.सं.प्र. में परिवहन के दौरान कोयला चोरी समाप्त करने की क्षमता है।

6. सीसीएल कमान क्षेत्र में ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं के बिलों की स्वीकृति/प्रसंस्करणरु/पारित/भुगतान के लिए मानक संचालन प्रविधि (मा.सं.प्र) का निर्माण

(क) उपाय/पहल का संक्षिप्त विवरणः –

सीवीसी ने दिनांक 03.05.2018 को परिपत्र संख्या 02/04/18 जारी कर निर्देश दिया कि विगत तीन वर्षों में ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं को बिलों के भुगतान में अकारण विलम्ब का विश्लेषण करें। कारणों के विश्लेषण में मुख्यतः यह पाया गया कि विभिन्न प्रणालीगत

मुद्दे जैसे मल्टी डिपार्टमेंट प्रोसेसिंग, विभागीय असमन्वय एवं मा.सं.प्र. के रूप में प्रविधि और क्रमविकास को वर्णित करने वाले मानक दिशानिर्देश की अनुपस्थिति ने भुगतान में हुए विलम्ब की जिम्मेदारियों को तय करना अत्यंत दुरूह बना दिया था ।

सभी प्रमुख मुद्दों पर चर्चा एवं समाधान हेतु मा.सं.प्र. के रूप में प्रत्येक प्रविधि एवं क्रमविकास हेतु नौ मुख्य विभागों की एक अंतर विभागीय समिति का गठन किया गया जिसमे व्यक्तिगत जवाबदेही भी तय की जानी थी एवं विलम्बित मामलों में विशिष्ट जिम्मेदारी तय कर मा.सं.प्र. में दिखायी जानी थी ।

(ख) पृष्ठभूमि : –

(i) यह पाया गया कि भण्डार–गृह, पुर्जों, पीओएल, विस्फोटक/संविदा/सेवा प्रदाता आदि के बिलों के प्रसंस्करण के समस्त मामलों में बिल के स्रोत से ही ठोस एवं पारदर्शी बिल ट्रैकिंग सिस्टम को लागू किया जाना चाहिए यानि कि निष्पादन विभाग/जहां सामग्री प्राप्त की जाए/जहाँ कार्य निष्पादित हो से लेकर वित्त विभाग द्वारा अंतिम भुगतान के बिंदु तक। इससे प्रणाली तीव्र, पारदर्शी बन पाएगी साथ ही अवरोध/विलंब दृष्टिगत हो पाएगा ।

(ii) सभी निविदा दस्तावेजों/अनुबंधों/पीओ में भुगतान हेतु समयावधि (दिनों की संख्या) निर्धारित की जानी चाहिए (स्पष्ट और स्वीकार्य बिल जमा करने की तारीख से), जिसके भीतर भुगतान रिलीज किया जायेगा। भुगतान जारी करने हेतु समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को पदनामित किया जाना चाहिए।

(iii) ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिल पर ठेकेदारो/आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं से किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण, अनुबंध में प्रदत्त एक निर्दिष्ट समय सीमा (दिनों की संख्या) के भीतर मांगी जानी चाहिए। विशेष परिस्थिती में, ये स्पष्टीकरण एक बार में मांगे जाने चाहिए। इसी प्रकार, ठेकेदार को निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर वांछित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए ।

(iv) बिल के किसी संभाग पर संगठन और ठेकेदार के बीच मध्य असहमति के मामलों में, इस प्रकार के संभाग को बाकी संभागों से अलग किया जा सकता है। सहमत और स्वीकार्य संभाग के विरुद्ध भुगतान को निर्धारित प्रविधि के अनुसार प्रसंस्कृत किया जा सकता है, जबकि विवादित भाग को अनुबंध के प्रावधान के अनुसार निपटाया जा सकता है जैसे सुलह, विवाद समाधान, मध्यस्थता आदि।

(v) फीफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) प्रणाली प्रचलित नहीं है और विलंबित मामलों की निगरानी, समीक्षा/हस्तक्षेप हेतु उच्चस्तरीय प्रबंधन को सचेत करने के लिए ऑनलाइन बिल ट्रैकिंग सिस्टम मौजूद नहीं थी ।

(ग) कार्यान्वयनः–

(i) मानक संचालन प्रविधि को स्वीकृति दी गई है और यह ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं को ससमय भुगतान सुनिश्चित करेगा। इसकी निगरानी विभिन्न स्तरों पर यथोचित जवाबदेही के साथ की जा सकती है। यह ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं को भुगतान में होने वाले विलम्ब को नियंत्रित करने में मदद करेगा।

(ii) संबंधित विभागों के साथ विस्तृत विचार–विमर्श के पश्चात एवं सभी विभागों प्रदत्त जानकारी के आधार पर, समिति ने इस एसओपी को अंतिम रूप दिया है, जिसमे निश्चित समयावधि के भीतर बिलों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए समयसीमा और जिम्मेदारी तय है।

(iii) चूंकि बिलों के भुगतान की प्रक्रिया में कुछ अंतर हैं, एसओपी के दो भाग हैं–भाग एः जहां का भुगतान प्राधिकरण मुख्यालय है और भाग बीः जहां का भुगतान प्राधिकरण सम्बद्ध क्षेत्र है। नए मा.सं.प्र. में सभी बिलों को उचित विवरण के साथ कुछ अपवादों को छोड़कर, फीफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) प्रणाली से भुगतान सुनिश्चित किया गया है। इसका अर्थ है कि जो बिल पहले प्राप्त किए गए हैं, उन्हें सामान्य परिस्थितियों में पहले प्रसंस्कृत किया जाएगा।

(iv) ऑनलाइन बिल ट्रैकिंग सिस्टम के साथ यह विलंबित मामलों की निगरानी, उच्च स्तरीय प्रबंधन को समीक्षा/हस्तक्षेप हेतु को अलर्ट भी करता है.

(घ) प्रभाव और लाभः–

(i) 19.01.2019 की 5 वीं बैठक में कार्यकारी निदेशक मंडल द्वारा मानक संचालन प्रविधि को स्वीकृति दी गई है और सीसीएल कमान क्षेत्रों में भी इसकी सूचना दे दी गई है।

(ii) अब ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं को विभिन्न स्तरों पर उचित जवाबदेही के साथ समय पर भुगतान की निगरानी की जा सकती है । इस प्रणाली में शामिल व्यक्तिगत कर्मचारियों की जिम्मेदारी इस मा.सं.प्र. में तय की जा सकती है।

7. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में कार्यान्वयन हेतु सिविल इंजीनियरिंग विभाग के मानक संचालन प्रविधि (मा.सं.प्र.) का निरूपण

(क) उपाय/पहल का संक्षिप्त विवरणः–

सीसीएल के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में दैनिक कार्यकलापों हेतु कालानुक्रमिक क्रम में मानक संचालन प्रक्रिया कार्यान्वित करने हेतु अपनाया गया । इसकी पहल दिसंबर 2018 के मध्य में शुरू की गई और फरवरी के मध्य, 2019 (कुल – 2 महीने) में पूरी हुई। यह सिविल विभाग,सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों और समस्त मुख्यालय में पहले से ही कार्यान्वित है ।

(ख) पृष्ठभूमि :–

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में, सिविल इंजीनियरिंग से सम्बद्ध विभिन्न कार्य अनुबंध के आधार पर किया जाता है।

वास्तविक आवश्यकता, कार्य–स्थल सर्वेक्षण, ड्राइंग आदि के आधार पर अपेक्षित कार्य हेतु प्रस्ताव/प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। जाँच पश्चात, इसे संबंधित अभियंता द्वारा अनुमोदन हेतु प्रसंस्कृत किया जाता है । विभिन्न स्तरों पर प्रस्ताव की स्क्रूटिनी की जाती है और अंततः स्वीकृत शक्तिओं के प्रत्यायोजन (डीओपी) अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के पश्चात वित्तीय सहमति प्रदान की जाती है। इसके पश्चात संस्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

तत्पश्चात्, निविदा जारी की जाती हैं, प्रस्ताव प्राप्त कर जांच की जाती हैं एवं निविदा समिति की सिफारिशों को अनुमोदन को प्रसंस्कृत किया जाता है। उचित स्क्रूटिनी के पश्चात, इसे पुनः डीओपी के अनुसार अनुमोदन एवं वित्तीय सहमति प्रदान की जाती है और कार्यादेश जारी किया जाता है तथा औपचारिक समझौता किया जाता है। फिर अनुबंध की मानक शर्तों के अनुसार कार्य निष्पादित किया जाता है, बिलों का भुगतान किया जाता है और फिर प्रतिभूति राशि जारी करने के बाद अनुबंध समाप्त कर दिया जाता है।

यह देखा गया कि कई बार बिना किसी यथोचित कार्यादेश के ही 'अग्रिम कार्य' के रूप में कार्य निष्पादन किया गया। इसके अलावा उच्चतर मूल्य के कार्यों को कमतर मूल्य के कार्यों में विभाजित किया जाता है ताकि कनीय अधिकारी की डीओपी के अंतर्गत लाया जा सके या ई–निविदा की प्रक्रिया से बचा जा सके। इसे 'काम का विभाजन' कहा जा सकता है। प्राक्कलन/टीसीआर को आधिकारिक डाक से भेजा नहीं जाता है और कभी–कभार पूर्णरूपेण जाँच /स्क्रूटिनी नहीं की जाती है। कुछ अन्य निष्पादन संबंधी अनियमितताएं जैसे समझौते के निष्पादन में विलम्ब, समय विस्तार, बिल भुगतान, विचलित प्राक्कलन/संशोधित प्राक्कलन आदि भी दृष्टिगत हुए । इन मुद्दों पर सतर्कता विभाग को शिकायतें प्राप्त हुईं ।

उपरोक्त सभी अनियमितताओं हेतु लिखित रूप में कहीं भी स्पष्ट रूप से परिभाषित कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कि अनियमितता के लिए प्रथम दृष्टया जिम्मेदार कौन होगा ?

(ग) कार्यान्वयनः–

अतः, प्रत्येक चरण/गतिविधि हेतु स्पष्ट चरणों के अनुपालन के साथ सुपरिभाषित विस्तृत जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता थी। यह सभी संबंधित व्यक्तियों को नियमों और विनियमों के महत्व को स्पष्टतः समझने में सहायक होगा।

उचित सुधारात्मक उपायों के संबंध में सिविल विभाग के अधिकारियों से बात की गई । मुख्यालय/क्षेत्र इंजीनियरों के साथ बैठकों की श्रृंखला में और बैठक विभिन्न एक मानक संचालन प्रविधि (मा.सं.प्र.) तैयार किया गया था, जिसमें उचित जोर जैसा कि ऊपर उल्लेख विभिन्न अनियमितताओं को नियंत्रित करने के लिए कदम पर दिया गया था। इसके अलावा, प्रत्येक गतिविधि के लिए टेंडरिंग और निष्पादन को बंद करने के आकलन से लेकर, बेहतर प्रशासन के लिए विशिष्ट जिम्मेदारी तय की गई थी।

इस मा.सं.प्र. को जीएम/2019/1958, दिनांक 7 फरवरी 2019 को महाप्रबंधक (सिविल) – 1, सीसीएल,मुख्यालय द्वारा पूरे सीसीएल में कार्यान्वयन हेतु जारी किया गया था।

अतः, मौजूदा आतंरिक मानव तकनीकी संसाधन के उपयोग से, एक नया निवारक सतर्कता उपाय विकसित किया गया जिससे सीसीएल के सिविल अनुबंधात्मक कार्य अधिक प्रभावीशाली एवं जवाबदेह बन पाएंगे ।

(घ) प्रभाव और लाभ :–

यह मा.सं.प्र. फील्ड इंजीनियरों के साथ–साथ सिविल विभाग में संविदात्मक कार्यों की प्रक्रिया के विषय में अन्य संबंधित अधिकारियों के मध्य इस विषय को सुस्पष्टता करने में सहायता कर रहा है। गतिविधि अनुसार जिम्मेदारियों का वितरण सभी संबंधितों के मध्य कार्य के प्रति अधिक जिम्मेदारीपूर्ण दृष्टिकोण विकसित कर रहा है। इसका निर्माण मौजूदा प्रक्रियाओं को व्यवस्थित रूप से पुनर्परिभाषित करके किया गया है।

अग्रिम कार्य निष्पादन, कार्य विभाजन, निविदा प्रविधि में अनियमितता और कार्य निष्पादन आदि की मौजूदा प्रणाली के कारण कई सतर्कता संबंधी शिकायतें प्राप्त हुईं । नए मा.सं.प्र. में जिम्मेदारी संवितरण के साथ सुस्पष्टता से सतर्कता संबंधी शिकायतों के कम होने की संभावना है।

इससे कंपनी की समग्र छवि पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा । पारदर्शी प्रणाली, निष्पक्ष लेनदेन, व्यवस्थित कामकाज और जिम्मेदारीपूर्ण दृष्टिकोण से कंपनी की छवि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ।

(च) प्रतिकृति क्षमता :–

हालांकि,सिविल विभाग में यह नवीन प्रविधि लागू की गई है, लेकिन अन्य विभागों में भी यह बहु उपयोगी साबित हो सकती है।

8. सीसीएल की डीजल वितरण इकाइयों (डीडीयू) में डीजल की प्राप्ति, निर्गम, भंडारण और खपत से सम्बद्ध मानक संचालन प्रविधि (मा.सं.प्र.) का निर्माण।

(क) उपाय/पहल का संक्षिप्त विवरणः–

व्यवहृत उपाय :

सीसीएल की डीजल वितरण इकाइयों में डीजल की प्राप्ति, निर्गम, भंडारण और खपत से सम्बद्ध मा.सं.प्र. ।

आरम्भ एवं पूर्ण :

दिसम्बर '18 में प्रारंभ एवं जनवरी '19 में पूर्ण ।

संचालन परिमिति :

सीसीएल की सभी डीजल वितरण इकाइयों में प्रारंभ।

(ख) पृष्ठभूमिः

(i) सीसीएल में डीजल की वार्षिक खपत के आंकड़े लगभग रु.350 करोड़ तक पहुँच रहे थे। यह कंपनी के वार्षिक लाभ के परिपेक्ष्य में बड़ी राशि है। कंपनी ने समय–समय पर डीजल प्राप्ति, निर्गम, भंडारण और खपत को नियंत्रित करने हेतु उपाय और पहल किए हैं। परन्तु, फिर भी डीजल वितरण इकाइयों से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त होती हैं जैसे निस्तारण, डीजल चोरी, डीजल का कम निस्तारण, अनधिकृत वाहनों को डीजल प्रदान करना आदि।

(ii) सीसीएल की डीजल वितरण इकाइयों में अनियमितता को रोकने में इन पहलों की समीक्षा के दौरान, इन पहलों का प्रत्याशित प्रभाव का नहीं पाया गया ।

(iii) यह भी देखा गया कि विभिन्न अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्टतः परिभाषित करने हेतु समान मा.सं.प्र. का निर्माण नहीं किया गया था।

(ग) कार्यान्वयन :

(i) हालाँकि,सीसीएल की डीजल वितरण इकाइयों में प्रविधिओं को सुव्यवस्थित करने की गंभीर पहल निदे(तक/संचा), सीसीएल द्वारा वर्ष 2004 और 2010 में 24 बिन्दुओं के प्रविधि पत्र के साथ प्रारंभ की गयी थी, परन्तु व्यक्तिगत भूमिका और जिम्मेदारी के विषय में अस्पष्टता इन पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन में एक गंभीर अड़चन है। अतः सुस्पष्ट एवं परिभाषित भूमिका और जिम्मेदारियों के साथ एक मा.सं.प्र. की आवश्यकता महसूस की गई।

(ii) इस मामले को सीवीओ, सीसीएल द्वारा दिनांक 14.12.18 को सीसीएल, मुख्यालय, रांची में आयोजित विभागाध्यक्षों/महाप्रबंधकों की समन्वय बैठक में उठाया गया था, जिसमें मुख्यालय में महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं हेतु एक समान मा.सं.प्र. के निर्माण हेतु आयोजित किया गया था एवं डीडीयू भी उनमें से एक था। । तदनुसार, मा.सं.प्र. के निर्माण की तैयारी दिसंबर 18 में शुरू हुई थी। मुख्यालय, सीसीएल के साथ–साथ फील्ड डिपो अधिकारियों और फील्ड डीडीयू के कर्मचारियों एवं दो सम्बद्ध विभागों – उत्खनन और केंद्रीयकृत स्थिति निगरानी विभाग (सीसीएमसी) से इनपुट मांगे गए थे।

(iii) तदनुसार, मा.सं.प्र. की प्रभावशीलता और स्थिरता को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न स्तरों के अधिकारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए तैयार किया गया है ।

(iv) सीसीएल के सभी क्षेत्रों में सामान रूप से लागू करने हेतु, निदे(तक/संचा),सीसीएल के अनुमोदन से एक मा.सं.प्र. का निर्माण किया गया.

(v) इसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु फील्ड डीडीयू का नियमित निरीक्षण किया जाता है।

(घ) प्रभाव और लाभ :

(i) उपरोक्त मा.सं.प्र. डीडीयू में विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका पर अस्पष्टता को दूर करने में सहायता करता है। उक्त मा.सं.प्र. में, उप गतिविधियों में गतिविधि में विभाजित करना और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को तय करना किसी भी प्रकार की अस्पष्टता को दूर करने के लिए किया गया है ताकि दीर्घकाल तक इस मा.सं.प्र. को प्रभावी बनाया जा सके।

(ii) एसओपी कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरण में है। डीडीयू के साथ जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की स्पष्ट परिभाषित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ, डीडीयू की दो प्रमुख गतिविधियां – डीजल टैंकर के निस्तारण और उपस्कर में डीजल डालने की की सीसीटीवी निगरानी से कंपनी के स्तर पर डीजल की प्राप्ति, निर्गम, भंडारण और खपत में काफी सुधार होगा।

(iii) पारदर्शिता और जवाबदेही लाने हेतु इसके संपूर्ण प्रभाव के आवधिक अध्ययन की योजना बनाई गई है और आवश्यकतानुसार सुधारात्मक उपायों को शामिल किया जाएगा।

(ड.) संभावित प्रतिकृति क्षमताः

उपरोक्त मा.सं.प्र. सीसीएल में कार्यान्वित की जा रही है।

9. सीसीएल कमान क्षेत्र के अंतर्गत रेल और सड़क धर्म–काँटों का नियोजन, संचालन एवं रखरखाव के कार्यान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (मा. सं. प्र.) का निर्माण :

(क) उपाय/पहल के संक्षिप्त विवरणः–

अपनाए गए उपायः

सीसीएल के कमांड रेल तथा सड़क मार्ग के धर्म–काँटों के नियोजन, संचालन और रखरखाव हेतु क्षेत्रों में मानक संचालन प्रक्रिया आरम्भ की गई।

यह कार्य कब शुरू और पूरा किया गया ?

इसे अक्टूबर 2018 में वि. एवं यां विभाग, सीसीएल द्वारा शुरू किया गया और फरवरी 2019 में पूरा हुआ।

ऑपरेशन के पैमानेः

सीसीएल भर में इसे वृहत पैमाने पर लागू किया गया

(ख) पृष्ठभूमिः–

(i) सीसीएल कमांड क्षेत्र के अंतर्गत रेल और सड़क मार्ग के धर्म–काँटों का अनुचित नियोजन, संचालन और रखरखाव के कारण सीसीएल को राजस्व का नुकसान प्रारंभ से ही हो रहा है, और सीसीएल प्रबंधन के लिए यह एक गंभीर समस्या बनी हुई है। हाल के दिनों में,

प्रौद्योगीकीय की प्रगति का साथ, वीटीएस, सीसीटीवी निगरानी और आरएफआईडी के साथ कम्पूटरीकृत संबंधित आईटी पहलुओं के तहत राजस्व की हानि को रोकने का प्रयास किया जा रहा है।

(ii) यह भी देखा गया की सीसीएल कमांड क्षेत्र के तहत सड़क पुलों के लिए एक– समान का मानक संचालन प्रक्रिया, विभिन्न अधिकारियों और गैर– अधिकारियों की भूमिका एवं जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए नहीं दिया गया।

(ग) कार्यान्वयन :

(i) सीसीएल कमान क्षेत्रों के अंतर्गत सभी धर्म–काँटों के मध्य एकरूपता लाने हेतु रेल और रोड धर्म–काँटो के संचालन,योजना के विषय में सीसीएल में कोई मा.सं.प्र. नहीं थी।

(ii) सीवीओ, सीवीएल द्वारा, वि. एवं यां विभाग,सीसीएल के साथ संपूर्ण सीसीएल में धर्म–काँटों की योजना, संचालन और रखरखाव से सम्बद्ध में एकरूप एसओपी विकसित करने के लिए चर्चा की गयी। तदनुसार, एसओपी निर्माण की तैयारी अक्टूबर '2018 में शुरू हुई।

(iii) एसओपी निर्माण के समय, यह भी आवश्यकता महसूस की गयी कि लंबे समय तक इस एसओपी को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक गतिविधि/उप–गतिविधि हेतु एक स्पष्ट जिम्मेदारी तय करना आवश्यक है। तदनुसार, एसओपी के व्यापक दायरे के अंतर्गत एक जिम्मेदारी मैट्रिक्स का प्रारूप बनाया गया है जिसमे धर्म–कांटों की योजना, संचालन और रखरखाव हेतु विभिन्न स्तरों पर विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्टतः परिभाषित करते हुए तैयार किया गया है ताकि प्रभावशीलता और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

(iv) इस मा.सं.प्र. का सूत्रपात वि. एवं यां. विभाग द्वारा किया गया एवं सक्षम अनुमोदन द्वारा बनायी गयी समिति के द्वारा इसका निर्माण किया गया जिसमे निम्नलिखित सदस्य थे।

(v) विभागाध्यक्ष (वे.ब्रि.), विभागाध्यक्ष (वीटीएस/आरएफआईडी), महाप्रबंधक (वि.एवं यां),महाप्रबंधक (विप. एवं विक्र.), महाप्रबंधक (प्रणाली), महाप्रबंधक (ई एवं टी), सीसीएल जिसे 04/02/2019 को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से गठित किया गया ताकि संपूर्ण सीसीएल के कमान क्षेत्रों के समस्त धर्म–काँटों में संचालन में एकरूपता आ पाए।

(vi) मा.सं.प्र.को अंतिम रूप देने के बाद, सीसीएल के सभी क्षेत्रों में 13/02/2019 को व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। इसके पश्चात विभिन्न समन्वय बैठकों के दौरान इस मामले की जानकारी दी गई।

(घ) प्रभाव और लाभ :

(i) उपरोक्त एसओपी कंपनी के विभिन्न कार्यक्षेत्रों की भूमिका में व्याप्त अस्पष्टता को दूर करने में सहायता करता है। उक्त एसओपी में,किसी भी प्रकार की अस्पष्टता को दूर करने हेतु गतिविधि को उप–गतिविधियों में विभाजित किया गया है एवं स्पष्टतः व्यक्तिगत जिम्मेदारियां तय की गयी हैं ताकि इस एसओपी को लंबे समय तक प्रभावी बनाया जा सके।

(ii) इस प्रकार, एसओपी उन वांछित परिणामों की प्राप्ति करने में सहायक सिद्ध हो रहा है जिनकी परिकल्पना प्रारंभ में की गई थी।

(iii) धर्म–काँटों में व्याप्त अनियमितताओं के विभिन्न पहलुओं पर इसके संपूर्ण प्रभाव और आवधिक अंतराल में पारदर्शिता और जवाबदेही का अध्ययन किया जा रहा है।

(ड.) प्रतिकृति क्षमता

उपरोक्त मा.सं.प्र.को पहले ही 13/02/2019 से सीसीएल कमान क्षेत्र में पेश किया जा चुका है ।

12. सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन :

केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुपालन में 29.10.2018 से 03.11.2018 तक सीसीएल की सभी इकाइयों, क्षेत्रों और मुख्यालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह –2018 को अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। वस्तुतः, यह जागरूकता अभियान सीसीएल विजिलेंस विभाग द्वारा दुर्गा पूजा (15 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक) के दौरान विभिन्न पूजा पंडालों में सामूहिक प्रतिज्ञा के साथ प्रारंभ किया गया , सतर्कता जागरूकता सप्ताह –2018 के दौरान खेल अकादमी (जेएसएसपीएस),खेलगांव,रांची में खेल गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता अभियान, विभिन्न स्कूलों में आयोजित कार्यक्रमों के साथ इन गतिविधियों का समापन हुआ।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2018 का अनुपालन सीसीएल (मुख्यालय), रांची के साथ–साथ सीसीएल के सभी क्षेत्रों और परियोजनाओं/इकाइयों में सभी कर्मचारियों द्वारा सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा के साथ शुरू हुआ। दिनांक 29.10.2018 को सीसीएल (मुख्यालय) में सीवीओ, सीसीएल, निदेशक (वित्त), सीसीएल, निदेशक (कार्मिक), सीसीएल, और निदेशक (तकनीकी / पीपी), सीसीएल द्वारा सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई । भारत के माननीय राष्ट्रपति, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति और माननीय केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदेश को सीसीएल के मु.सतर्क.अधि. और कार्यकारी निदेशकों द्वारा भी पढ़ा गया।

वस्तुतः , सभी कर्मचारियों एवं अन्य हितधारकों को सामूहिक रूप से भ्रष्टाचार निरोध एवं भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2018 से बहुत पहले से ही सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा दिलाना शुरू कर दिया गया था। यह गतिविधि केवल मुख्यालय और क्षेत्र की इकाइयों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि मंदिर, पूजा पंडालों, पंचायतों, विद्यालयों, महाविद्यालय आदि जैसे कई अन्य स्थानों पर इसका आयोजन किया गया।

ई–प्रतिज्ञा हेतु कर्मचारियों के साथ–साथ ग्राहकों, ठेकेदारों, नागरिकों आदि को प्रेरित करने और प्रभावित करने के लिए सभी प्रयास किए गए। इस प्रयोजन के लिए, सीसीएल की वेबसाइट

एक हाइपरलिंक www.cvc.nic.in "सत्यनिष्ठा–प्रतिज्ञा" को पर सक्रिय किया गया एवं सीसीएल, मुख्यालय में ई–प्रतिज्ञा लेने के लिए 5 ई–प्रतिज्ञा बूथ अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रमिकों, नागरिकों, क्रेता, ठेकेदार, संविदा कर्मियों आदि की सुविधा हेतु स्थापित किया गया॰ ज्यादातर कर्मचारी पहले से ही वीएडब्ल्यू–2017 के दौरान प्रतिज्ञा ले चुके थे, हालांकि, इस वर्ष भी अधिकारियों, गैर–अधिकारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, नागरिकों आदि समेत 4000 से अधिक लोगों को ई– प्रतिज्ञा दिलाई गई।

दिनांक 29.10.18 को मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीसीएल एवं सीसीएल के कार्यकारी निदेशकों ने सीसीएल मुख्यालय में सतर्कता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रथ (वाहन) के चारों ओर भ्रष्टाचार निरोधक एवं जागरूकता नारे, तस्वीरें एवं संदेश आदि छपे हैं एवं रांची के समस्त आवासीय क्षेत्रों में रथ ने परिभ्रमण किया। इसे सीसीएल में अवस्थित 12 क्षेत्रों के 8 जिलों में (रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, चतरा, लातेहार, पलामू) में दुहराया गया जिसने 2600 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र की यात्रा की।

(क) मुख्यालय और क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक का आयोजन

दिनांक 30.10.2018 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान, सीसीएल के कर्मचारियों द्वारा एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया जिसका नारा भ्रष्टाचार मिटाओ– नया भारत बनाओ था, जिसमें भारत के नव–निर्माण हेतु आवश्यक सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, ईमानदारी जैसे नैतिक मूल्य संदेश भी शामिल है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह–18 के दौरान इसी टीम ने अलग–अलग दिनों में सीसीएल के 06 जिलों (रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, चतरा) में स्थित 09 विभिन्न क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया।

(ख) सतर्कता जागरूकता मार्च

रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद, भ्रष्टाचार के अस्तित्व, कारण और खतरे के बारे में सार्वजनिक जागरूकता हेतु सीसीएल मुख्यालय, रांची में एक सतर्कता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में लगभग 500 प्रतिभागी थे, जिन्होंने उत्तेजक नारे लगाएं। मार्च को सीवीओ, सीसीएल श्री ए. के. श्रीवास्तव द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सीसीएल के सीवीओ के साथ सीसीएल के कार्यकारी निदेशकों ने इस मार्च में भाग लिया। उपरोक्त अभियान को सीसीएल के सभी 12 क्षेत्रों में भी दोहराया गया है। इसके अलावा कई प्रभात फेरियों का आयोजन सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न स्कूलों से छात्रों को शामिल करते हुए किया गया।

(ग) सीसीएल मुख्यालय रांची और रांची के विभिन्न विद्यालयों/संस्थानों में आयोजित कार्यक्रमः–

दिनांक 29.10.18 की दोपहर में, एक निबंध प्रतियोगिता 'भ्रष्टाचार मिटाओ– एक नया भारत बनाओ' और सतर्कता से संबंधित मुद्दों पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता सीसीएल मुख्यालय के अधिकारियों के बीच आयोजित की गइ। 30.10.18 को कर्मचारियों के बीच स्लोगन और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इनके आयोजन का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार के विरुद्ध कर्मचारियों में भावना को मजबूत करना और इस खतरे के विरुद्ध लड़ाई में उनके समर्थन प्राप्त करना था।

विद्यालय और महाविद्यालय के छात्रों के बीच भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्रों तक पहुंचने और उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। मुख्य उद्देश्य उनके कोमल मन में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना और अमल था क्योंकि वे देश के भविष्य के मानव पूंजी है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान रांची के 4 विद्यालयों और 3 महाविद्यालयों में वाद– विवाद, वक्तृता, भाषण, चित्रकला, पोस्टर मेकिंग, रंगोली, हंसी, निबंध लेखन प्रतियोगिता, नारा लेखन आदि का आयोजन किया गया।

निबंध लेखन और पेंटिंग प्रतियोगिता भी दिनांक 03.11. 2018 को सीसीएल के लाल तथा सीसीएल की लाडली के बीच आयोजित किया गया (सीएसआर पहल के तहत सीसीएल द्वारा परियोजना प्रभावित व्यक्ति के बच्चों को आईआईटी और अन्य राष्ट्रीय स्तर के इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु मुफ्त भोजन, आवास और कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई)। 29 अक्टूबर 2018 को पूर्वाहन 11:00 बजे सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन भी प्रतिज्ञा समारोह के साथ शुरू हुआ। क्षेत्र के महाप्रबंधक, इकाइ/क्षेत्र के सबसे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रतिज्ञा को दिलाई गयी। सभी इकाइयों/कार्यालयों/क्षेत्रों के विशिष्ट स्थानों पर विचार– उत्तेजक नारे वाले बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए। सीसीएल के सभी क्षेत्रों में सतर्कता जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया।

क्षेत्र स्तर के 52 विद्यालयों में स्कूली बच्चों के मन में अच्छे मूल्यों और नैतिकता को विकसित करने के लिए, वाद– विवाद/भाषण/पेंटिंग/पोस्टर मेकिंग, स्क्रिप्ट निबंध लेखन प्रतियोगिता, आदि का आयोजन किया गया। विद्यालयों में इंटीग्रिटी क्लब का भी गठन किया गया।

(घ) पेशेवर कलाकारों द्वारा ओपन एयर पेंटिंग कार्यशालाः–

भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव के प्रचलन हेतु कुछ परिवर्तनात्मक उपायों को भी अपनाया गया। उनमें से एक खुली चित्रकला कार्यशाला थी, जिसे दिनांक 02.11. 2018 को सीसीएल मुख्यालय, रांची में विषय वीएडब्ल्यू के साथ आयोजित किया गया। उसका समापन दिनांक 03.11. 2018 को हुआ। उपर्युक्त कार्यशाला में 18 पेशेवर कलाकारों ने भाग लिया और विभिन्न रंगों में नए भारत का चित्रण करके अपनी रचनात्मकता को प्रदर्शित किया।

(ङ.) सीसीएल मुख्यालय और विभिन्न क्षेत्रों में सेमिनार/कार्यशालाएं :

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान सीसीएल सतर्कता द्वारा निम्नलिखित कार्यशाला और सेमिनार किया गया :

सीसीएल मुख्यालय, रांची में सामग्री प्रबंधन विभाग, अनुबंध निगरानी सेल और सिविल विभाग के सहयोग से संगोष्ठी/कार्यशालाएं–सह– विक्रेता बैठक का आयोजन किया गया जिसमें 190 कर्मचारियों के अलावा 60 आपूर्तिकर्ताओं, विक्रेताओं, ठेकेदारों आदि ने भाग लिया।

विक्रेताओं, ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं को उनके सामने आने वाली समस्याओं का उजागर करने के साथ–साथ अपने सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित किया जा सके और कंपनी की समग्र दक्षता में सुधार किया जा सके।

सीसीएल सतर्कता के अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित विषय पर सीसीएल के समस्त क्षेत्रों में 3 कार्यशालाएं की गयीं :–

(i) अनुशासन की अवधारणा, सीडीए नियम 1978 और प्रमाणित स्थाई आदेश और उनका कार्यान्वयन।

(ii) घरेलू जांच प्रक्रियाएं एवं दंड और अपील लागू करना।

(iii) ऑनलाइन के माध्यम से वार्षिक सम्पति की फाइलिंग।

(iv) सिविल, वि एवं यां., संविदात्मक और अन्य मामलों में देखी गई सामान्य अनियमितताएं।

उपरोक्त कार्यशालाओं में जीवंत परस्पर संवादात्मक सत्र के साथ समाप्त हुई और प्रतिभागियों/विक्रेताओं/ठेकेदारों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का समुचित उत्तर दिया गया।

उपरोक्त के अलावा, 4 कार्यशाला/सम्मेलन/संवेदीकरण कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों द्वारा सीसीएल सतर्कता के मार्गदर्शन में किया गया।

(च) सतर्कता पत्रिका "जागृति" का प्रकाशन :

सतर्कता जागरूकता सप्ताह– 2018 के अवसर पर, सीसीएल सतर्कता ने "जागृति" – एक जागरूकता पत्रिका प्रकाशित की। सीसीएल सतर्कता के आंतरिक संसाधनों को जुटाकर इस पत्रिका में सीसीएल कोट्स, आदि के कुछ सीवीसी सर्कुलर, केस रणनीति, लेखा को संकलित करने का सीसीएल के कर्मचारियों का यह अनूठा प्रयास था। जागृति का प्रकाशन सीसीएल के कर्मचारियों के बीच आम तौर पर देखी गई खामियों और विसंगतियों पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किया गया था, ताकि उनकी पुनरावृत्ति को रोका जा सके ।

(छ) खेलगांव रांची में मिनी मैराथन और 100 मीटर/200 मीटर/400 मीटर का रेसः

27 अक्टूबर 2018 को, आउटरीच गतिविधियों के अंतर्गत, एक जागरूकता मिनी– मैराथन और 100 मीटर/200/400 मीटर का दौड़ खेल अकादमी, खेलगांव में आयोजितकी गयी, जिसमें झारखंड राज्य स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसायटी (जेएसएसपीएस) के लगभग 300 कैडेटों ने भाग लिया ।

(ज) जागरूकता ग्राम सभाः

सीसीएल के 11 क्षेत्रों और 01 स्वतंत्र इकाई में 26 जागरूकता सभाओं का आयोजन किया गया । सभाओं में मुखिया, सरपंच, ग्रामीणों, छात्रों, आदि ने भाग लिया। भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव पर जागरूकता उत्पन्न करने हेतु जागरूकता सभाओं के दौरान, ग्रामीणों को सामूहिक– प्रतिज्ञा दिलाई गई।

(झ) सीयूजी मोबाइल और सोशल मीडिया (ट्विटर) में संदेश के माध्यम से जागरूकताः

सीसीएल सतर्कता ने सप्ताह के दौरान जागरूकता फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और सीसीएल के अधिकारियों को अधिक संवेदनशील बनाने के लिए कुछ अभिनव तरीके अपनाए।

(i) इस दिशा में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान प्रत्येक दिन अधिकारियों के सीयूजी मोबाइल पर प्रेरणादायक संदेश भेजे गए ।

(ii) विषयों के साथ–साथ प्रमुख घटनाओं की तस्वीरें भी सीसीएल के अधिकारिक ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपलोड किया गया । आयोग द्वारा कई ट्वीट को फिर से री–ट्वीट किया गया ।

(iii) वीएडब्ल्यू–2018 के दौरान आकाशवाणी, दूरदर्शन और स्थानीय एफएम चौनलों पर प्रेरणादायक संदेश प्रसारित किए गए ।

34. सूचना का अधिकार की स्थिति

आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत, वर्ष 2018–19 के दौरान निपटाएं गए आवेदन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1.	प्राप्त आवेदनों की संख्या	:	451
2.	निपटाएं गए आवेदनों की संख्या	:	441
3.	प्रक्रिया के तहत आवेदनों की संख्या	:	शून्य
4.	आरटीआई अधिनियिम 2005 के अनुच्छेद 6(3) के तहत स्थानांतरित किए गए आवेदनों की संख्या	:	148
5	खारिज आवेदनों की संख्या	:	शून्य
6.	सीसीएल के किसी भी अधिकारी का सीआईसी द्वारा प्रदत्त कोई दण्ड	:	नहीं

35. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के अन्तर्गत सूचना

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत सीसीएल में आन्तरिक शिकायत समिति काम कर रही है। सीसीएल के वेबसाइट के महिला सशक्तिकरण पोर्टल पर समिति के संवैधानिक आदेश को अपलोड कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के धारा 22 के संदर्भ में संबंधित सूचना निम्नलिखित है :

प्राप्त शिकायतों की संख्या	कार्रवाई किए गए मामलों की संख्या	कार्रवाई की गई
शून्य	शून्य	–

36. निगमित प्रशासन

आपकी कंपनी, सीसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी है जिसका यह मत है कि निष्पक्ष, नैतिक और पारदर्शी प्रशासन प्रणालियों की समृद्ध विरासत पर महान कंपनियों की नीव डाली जा सकती है जिनमें से कई प्रणालियाँ ईमानदारी, नैतिकता, प्रोफेशनल आचार एवं अन्य सुशासन पद्धतियों के सर्वोत्तम मानदंडों का कंपनी द्वारा अंगीकरण के पूर्व विद्यमान थे। कोल इंडिया लिमिटेड (एक महारत्न कंपनी) की अनुषंगी के रूप में यह कंपनी निगमित प्रशासन प्रणाली की सर्वोत्कृष्ट प्रणालियों एवं मानकों का अनुपालन एवं संव्यवहार करती है। हितधारकों, शेयरधारकों, प्रबंधन, कर्मचारीगण, ग्राहकों, विक्रेता, नियामक प्राधिकारियों एवं व्यापक रूप से समुदायों के अंतर्संबंधों का प्रभावी प्रबंधन निगमित प्रशासन का मुख्य ध्येय है। आपकी कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि इन संबंधों को निष्पक्षता, पारदर्शिता और उत्तरदेयता की सहायता से सुदृढ़

किया जा सकता है। आपकी कंपनी विश्वसनीय वित्तीय जानकारी, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, सशक्तिकरण एवं वैधानिक अनुपालन को प्राथमिक महत्व देती है।

निगमित प्रशासन प्रतिवेदन अनुलग्नक– I में संलग्न है। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु अंकेक्षकों द्वारा आपकी कंपनी की निगमित प्रशासन प्रावधानों के अनुपालन संबंधी प्रमाणन अनुलग्नक– I I में संलग्न है।

सेबी(इन्साइडर ट्रेडिंग की रोकथाम)विनियमन,1992 एवं संशोधन (2008) की धारा 12(1) के अनुसार मु.म.प्र. (वित्त)/कंपनी सचिव,सीआईएल के कार्यालय–आदेश संख्या सीआईएलः IX (डी):04007:2010:1856, दिनांक : 30.11/ 01.12.2010 के अनुसरण में इन्साइडर ट्रेडिंग आचार संहिता से सम्बद्ध निर्गत परिपत्र का संवितरण समस्त निदेशकगण, मुख्य सतर्कता अधिकारी, समस्त कार्यकारी निदेशकगण, समस्त मुख्य महाप्रबंधकों एवं महाप्रबंधकों और कंपनी के नामित विभागों में कार्यरत अधिकारीगणों के मध्य किया गया।

निगमित प्रशासन की एम ओ यू उपलब्धि

क्र. सं.	मानदंड	उत्कृष्ट रेटिंग के लिए एमओयू 2018–19 का लक्ष्य	एमओयू 2018 – 19 का वास्तविक उपलब्धि
1.	डीपीई द्वारा जारी निगमित प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुपालन के आधार पर ग्रेडिंग	85 और ऊपर	90.11

37. शेयरधारकों की निरीक्षण के लिए मुख्यालय में वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा की उपलब्धता

सीसीएल की वार्षिक लेखा और संबंधित विस्तृत जानकारियां नियंत्रक कंपनी एवं सहायक कंपनियों के शेयरधारकों द्वारा किसी भी समय मांगे जाने की स्थिति में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है । सीसीएल के मुख्यालय में वार्षिक लेखा किसी भी शेयरधारक द्वारा निरीक्षण के लिए रखा गया है।

अतएव निगमित मामलों के मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी 8 फरवरी 2011 के सामान्य परिपत्र संख्या 2/ 2011 के अनुपालन में तथा उत्तरवर्ती पत्र संख्या सी आई एल :एक्स आई (डी) : 04032/2011:2255 दिनांक :08 मार्च 2011 के अनुपालन में, सीआईएल के शेयरधारकों को जानकारी देने के लिए उनकी मांग पर सीसीएल के लेखा को रांची (मुख्यालय) में उपलब्ध कराया गया है।

38. निदेशक मंडल

संदर्भाधीन वर्ष के दौरान निदेशकीय बोर्ड की 15(पंद्रह) बैठकों का आयोजन किया गया। दिनांक 07 .08.2018 को आयोजित 62वीं वार्षिक आम बैठक के दिन आपकी कंपनी में निम्नलिखित निदेशकगण थेः

1. श्री गोपाल सिंह, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
2. श्री आशीष उपाध्याय, भा.प्र.से., संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,
3. श्री आर.पी.श्रीवास्तव, निदेशक (का. एवं औ.सं.), सीआईएल, कोलकाता
4. श्री डी.के.घोष, निदेशक (वित्त),सीसीएल
5. श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (कार्मिक), ,सीसीएल
6. श्री ए. के. मिश्रा, निदेशक तक. (संचालन),सीसीएल
7. श्री वी.के.श्रीवास्तव, निदेशक तक. (परियोजना एवं योजना)

अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशकगणः

1. श्री अशोक गुप्ता, सीए
2. श्री भरत भूषण गोयल, पूर्व अतिरिक्त मुख्य सलाहकार (लागत), व्यय विभाग

स्थाई आमंत्रितः

1. श्री सलील कुमार झा, सी.ओ.एम, पूर्व मध्य रेलवे
2. श्री सुनील कुमार वर्णवाल, सचिव, खान एवं भूगर्भ विभाग, झारखंड सरकार

दिनांक 30.11.2018 को श्री ए.के.मिश्रा, निदेशक(तक./संचालन) की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप श्री भोला सिंह ने दिनांकः15.01.2018 को निदेशक(तक./परि.–यो.) के पद पर योगदान किया, श्री वी.के श्रीवास्तव ने निदेशक(तक./यो./परि.) के पद का परित्याग कर दिनांकः18.01.2019 को निदेशक(तक./संचालन) के पद पर योगदान दिया।

दिनांक 13.12.2018 को श्री सुभाऊ कश्यप सीसीएल बोर्ड के अप्रशासकीय अंशकालीन निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। दिनांक 29.01. 2019 को अप्रशासकीय अंशकालीन निदेशक – श्री अशोक गुप्ता द्वारा पद से इस्तीफ़ा देने के पश्चात श्री भोला सिंह 15.01.2019 को निदेशक (तक./परि.–यो.) के पद पर नियुक्त किये गए।

दिनांक 30.11.18 को श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त) की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप श्री नागनाथ ठाकुर ने 03.05.2019 को निदेशक (वित्त) का पदभार ग्रहण किया। इसके पश्चात श्री एन.एन.ठाकुर ने 18.07.2019 को अपने पद का परित्याग कर दिया और श्री निरंजन कुमार अग्रवाल ने 18.07.2019 को पदभार ग्रहण किया।

तदनुसार,आपकी कंपनी की 63वीं वार्षिक आम बैठक के दिन निम्नलिखित निदेशकगण हैः

1. श्री गोपाल सिंह अ.प्र.नि.सी.सी.एल.
2. श्री आशीष उपाध्याय, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली
3. श्री निरंजन कुमार अग्रवाल, निदेशक(वित्त),सी.सी.एल.
4. श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक(कार्मिक),सी.सी.एल.
5. श्री वी. के. श्रीवास्तव, निदेशक (तक./संचा.),सी.सी.एल.
6. श्री भोला सिंह, निदेशक (तक./परि.एवं यो.),सी.सी.एल.
7. श्री आर .पी. श्रीवास्तव, निदेशक(का.–औ.सं),सी.आइ.एल.

अप्रशासकीय अंशकालीन निदेशकगण

1. श्री सुभाऊ कश्यप, एमबीबीएस
2. श्री भरत भूषण गोयल,पूर्व अतिरिक्त मुख्य सलाहकार (लागत), व्यय विभाग

स्थाई आमंत्रित

1. श्री सलील कुमार झा, सी.ओ.एम, पूर्व मध्य रेलवे
2. श्री अबुबकर सिद्दिकी पी., सचिव, खान एवं भूगर्भ विभाग, झारखंड सरकार
3. श्रीमती जाजुला गौरी, अधिवक्ता
4. श्री शिव अरोडा, सी.ए.
5. श्री हरबंस सिंह, पूर्व एपेक्स महानिदेशक, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया

39. निदेशकों का उत्तरदायित्व वक्तव्य :

कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 134(5) के अनुसरण में, निदेशकों के उत्तरदायित्व वक्तव्य के संबंध में, एतदद्वारा द्वारा पुष्टि की जाती हैः

1. यह की, 31 मार्च,2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वित्तीय विवरणी के निर्माण में नियंत्रक कंपनी–सीआईएल द्वारा अनुमोदित एकसामान लेखांकन नीति का अनुपालन किया गया है। उपर्युक्त एकसामान लेखांकन नीति का निर्माण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम,2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के अनुरूप तैयार किया गया है।
2. निम्नलिखित के अलावा, वित्तीय विवरणी का निर्माण ऐतिहासिक लागत के आधार पर किया गया है–
   - कुछ वित्तीय परिसंपत्ति देयताओं को उचित मूल्य पर मापा गया है।
   - परिभाषित लाभ योजना– योजना परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा गया है।
   - लागत पर भंडार सूची या एनआरवी में जो कम हो।
3. यह कि, निदेशकों द्वारा वैसी लेखा नीतियों का चयन कर निर्णय व प्राक्कलन किया गया जो उचित एवं विवेकपूर्ण माने गए ताकि संदर्भाधीन वर्ष हेतु लाभ एवं हानि का तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर में कंपनी की वस्तुस्थिति के विषय में सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण ज्ञात किया जा सके ।
4. यह कि, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप कंपनी के लेखा आंकड़ों का समुचित एवं उपयुक्त निर्वहन ताकि धोखाघड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के साथ उनकी रोकथाम की जा सके ।
5. यह कि, निदेशकों ने 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु ''कार्यशील संस्था'' के आधार पर वित्तीय विवरणी का निर्माण किया है।
6. यह कि, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली समुचित है एवं पूर्णरूपेण प्रभावकारी प्रकार्य से संचालित की जा रही है।
7. यह कि, समस्त लागू विनियमों के अनुपालन के लिए यह प्रणाली विकसित की गई है और यह प्रणाली समुचित एवं प्रभावी रूप से काम कर रही थी ।

40. कंपनी के अंकेक्षक

सांविधिक अंकेक्षक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत वर्ष 2018–19 के लिए आपकी कम्पनी की लेखा–रिपोर्ट के अंकेक्षण कार्य हेतु भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निम्नलिखित चार्टर्ड अकाउन्टन्ट्स फर्मों की नियुक्ति की गई है :

(क) सांविधिक अंकेक्षक

मेसर्स के. सी. टाक एण्ड कम्पनी
न्यू अनंतपुर, राँची, झारखंड

शाखा अंकेक्षक

1. **मेसर्स वी. रोहतगी एण्ड कम्पनी**
   प्रथम तल्ला, सर्जना बिल्डिंग,
   मेन रोड़, राँची, झारखंड
2. **मेसर्स एन. के. डी. एण्ड कम्पनी**
   दूसरा तल्ला, राधागौरी, गौशाला चौक,
   नार्थ मार्केट रोड़, अपर बाजार,
   राँची, झारखंड
3. **मेसर्स एल. के. सराफ एण्ड कम्पनी**
   दूसरा तल्ला, चौहान मेंसन, लालजी हिरजी रोड़,
   राँची, झारखंड
4. **मेसर्स संजय बजोरिया एण्ड एसोसिएट्स**
   4, कुंजलाल स्ट्रीट, अपर बाजार

(ख) मूल्य अंकेक्षक :

कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार निदेशक मंडल की बोर्ड ने 430वीं बोर्ड बैठक मद क्रमांक 4(6) दिनांक 28.09.2016 द्वारा मूल्य अंकेक्षण वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 हेतु निम्नलिखित मूल्य अंकेक्षक फर्मों को नियुक्त किया।

मेसर्स एस. सी. मोहन्ती एण्ड एसोसिएट्स
प्लॉट नं. – 370/1861/2157 शक्ति भवन
टोयोटा शोरूम के बगल में, पाटिया
पो. – के. आई. आई. टी., भुवनेश्वर – 751 024
ओड़िसा।

शाखा मूल्य अंकेक्षक

1. **मनी एण्ड कम्पनी**
   अशोका भवन, 111 साउदर्न एवेन्यु
   कोलकाता – 700 029
2. **मुसीब एण्ड कम्पनी**
   नं. – 204, गजराज मेन्सन, द्वितीय तल्ला,
   डायगोनल रोड़, बिष्टुपुर, जमशेदपुर, झारखंड
3. **के. बी. सक्सेना एण्ड एसोसिएट्स**
   तृतीय तल्ला, सगुन पैलेस, सप्रु मार्ग
   हजरतगंज, लखनऊ – 226 001
4. **के. जी. गोयल एण्ड एसोसिएट्स**
   4 ए, पॉकेट 2, मिक्स हाउसिंग, न्यू कोंडली,
   मयूर विहार–111, नई दिल्ली – 110 096

(ग) सचिवीय अंकेक्षक :

कम्पनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 204 के अनुसार निदेशक मंडल

बोर्ड द्वारा 474वीं बोर्ड बैठक के मद क्रमांक 3(5) दिनांक 29.06.2019 द्वारा वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 सचिवीय अंकेक्षण के लिए हेतु निम्नलिखित कम्पनी सचिव फर्म को नियुक्त किया।

सचिवीय अंकेक्षक :

मेसर्स कान्त सनत एण्ड एसोसिएट्स
प्रथम तल्ला, रघुनन्दन साहु भवन,
डयूरियन फर्नीचर के बगल में,
अरगोडा–कडरू रोड, अशोक नगर के सामने,
राँची – 834002

41. बोर्ड कमिटी

(क) निदेशकों के अंकेक्षण समिति

श्री आशीष उपाध्याय, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, का नियुक्ति 05.02.2018 के परिणामस्वरूप और श्री रामप्रकाश श्रीवास्तव, निदेशक (का. एवं औ. सं.) सीआईएल को सीसीएल का अंशकालिक निदेशक 19.02.2018 को, सीसीएल बोर्ड ने दिनांक 23.04.2018 को आयोजित 458वां बैठक में निम्नलिखित निदेशकगणों के साथ साथ अंकेक्षण समिति पुनर्गर्ठित की गई।

1.	श्री अशोक गुप्ता, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	–	अध्यक्ष
2.	श्री भारत भूषण गोयल, अप्रशासकीय अंषकालिक निदेषक, सीसीएल	–	सदस्य
3.	श्री आर. पी. श्रीवास्तव, निदेशक (का. एवं औ. सं.), सीआईएल	–	सदस्य
4.	श्री डी. के. घोष, निदेषक (वित्त), सीसीएल	–	सदस्य

आगे श्री ए. के. मिश्रा, निदेशक (तक./संचा.) का सेवानिवृत्ति 30.11. 2018 को, श्री सुभाउ कश्यप की नियुक्ति अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में 13.12.2018 को, और श्री अशोक गुप्ता, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक दिनांक 29.01.2019 को त्यागपत्र देने के पश्चात सीसीएल बोर्ड ने दिनांक 28.02.2019 को आयोजित 470वां बैठक में निम्नलिखित निदेशकगणों के साथ साथ अंकेक्षण–समिति पुनर्गर्ठित की गई।

1.	श्री सुभाउ कश्यप, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	–	अध्यक्ष
2.	श्री आशीष उपाध्याय, संयुक्त सचिव, एमओसी	–	सदस्य
3.	श्री बी. बी. गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	–	सदस्य
4.	श्री आर. पी. श्रीवास्तव, निदेशक (का./औ. सं.), सीआईएल	–	स्थायी आमंत्रित
5.	श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त), सीसीएल	–	स्थायी आमंत्रित

अंकेक्षण समिति की बैठक के कोरम में, या तो 2 सदस्य होंगे या अंकेक्षण समिति के एक तिहाई में से सदस्य जो भी अधिक हो, लेकिन कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति अनिवार्य है। सीसीएल बोर्ड ने अपने 411वें बैठक में 04.11.2014 को अंकेक्षण समिति के संदर्भ में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177(4) के प्रावधान की शर्त्तों को मंजूरी दी।

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान अंकेक्षण समिति की 14(चौदह) बैठकों का आयोजन दिनांक 03.04.2018, 23.04.2019, 25.05.2018, 13.07.2018, 26.07.2018, .1.08.2018, 17.09.2018, 02.11. 2018, 15.11.2018, 13.12.2018, 27.12.2018, 01.02.2019, 27.02.2019 एवं 27.03.2019 को किया गया। कम्पनी सचिव अंकेक्षण समिति के भी सचिव हैं।

अंकेक्षण समिति की बैठक में वर्ष 2018–19 के दौरान सदस्यों की उपस्थिति का विवरण **अनुलग्नक–1** में दिया गया है ।

(ख) निदेशकों की उच्चाधिकार–उप समिति

श्री आर. पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय की दिनांक 09.08. 2017 के त्यागपत्र के बाद, श्री सी. के. डे, निदेशक(वित्त), सीआईएल के 19.02.2018 पर पदभार छोड़ने एवं श्री सुबीर चन्द्रा, निदेशक (तक./ संचा.), सीसीएल के 31.03.2018 को सेवानिवृति के बाद सीसीएल बोर्ड ने दिनांक 23.04.2018 को हुए अपनी 458वीं बैठक में निम्नलिखित निदेशकगणों के साथ निदेशकों के उच्चाधिकार उप–समिति का पुनर्गठन किया;

1.	श्री गोपाल सिंह	–	अध्यक्ष
2.	श्री आशीष उपाध्याय, संयुक्त सचिव, एमओसी	–	सदस्य
3.	श्री बी. बी. गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	–	सदस्य
4.	श्री अशोक गुप्ता, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	–	सदस्य
5.	श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त), सीसीएल	–	सदस्य
6.	श्री ए. के. मिश्रा, निदेशक (तक./परि. एवं यो.), सीसीएल	–	सदस्य

आगे श्री वी. के. श्रीवास्तव की नियुक्ति निदेशक (तक.) सीसीएल के रूप में, 15.05.2018 को हुआ और श्री ए. के. मिश्रा, निदेशक (तक./संचा.) का सेवानिवृति 30.11.2018 को, सीसीएल बोर्ड ने अपने 467वें बैठक दिनांक 13.12.2018 को आयोजित की उसमें निम्नलिखित निदेशकगण ों के साथ उच्चाधिकार उप–समिति पुनर्गर्ठित की गई।

1.	श्री गोपाल सिंह, सीएमडी, सीसीएल	–	अध्यक्ष
2.	श्री आशीष उपाध्याय, संयुक्त सचिव, एमओसी	–	सदस्य
3.	श्री बी. बी. गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	–	सदस्य
4.	श्री अशोक गुप्ता, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	–	सदस्य
5.	श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त), सीसीएल	–	सदस्य
6.	श्री वी, के. श्रीवास्तव, निदेशक (तक./परि. एवं यो.), सीसीएल	–	सदस्य

श्री सुभाउ कश्यप की नियुक्ति अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में 13.12.2018 को, श्री भोला सिंह की नियुक्ति दिनांक 15.01. 2019 को निदेशक (तक.) सीसीएल के रूप में, और श्री अशोक गुप्ता, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक दिनांक 29.01.2019 को त्यागपत्र देने के पश्चात सीसीएल बोर्ड ने दिनांक 28.02.2019 को आयोजित 470वां बैठक में निम्नलिखित निदेशकगणों के साथ साथ उच्चाधिकार उप–समिति पुनर्गर्ठित की गई।

1. श्री गोपाल सिंह, सीएमडी, सीसीएल – अध्यक्ष
2. श्री आशीष उपाध्याय, संयुक्त सचिव, एमओसी – सदस्य
3. श्री बी. बी. गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक – सदस्य
4. श्री सुभाउ कश्यप, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक – सदस्य
5. श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त), सीसीएल – सदस्य
6. श्री वी, के. श्रीवास्तव, निदेशक (तक./परि. एवं यो.), सीसीएल – सदस्य
6. श्री भोला सिंह, निदेशक (तक./परि. एवं यो.), सीसीएल – सदस्य

दिनांक 31मार्च को समाप्त वर्ष के दौरान उच्चाधिकार उप–समिति की आठ बैठक दिनांक 26.05.2018, 13.07.2018, 17.09.2018, 09.10.2018, 02.11.2018, 16.11.2018, 13.12.2018 एवं 01.02.2019 को आयोजित की गई।

वर्ष 2018–19 के दौरान आयोजित निदेशकों की उच्चाधिकार समिति में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण **अनुलग्नक–1** में दिया गया है।

(ग) सतत विकास/निगमित सामाजिक दायित्व समिति

लोक उपक्रम विभाग, भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञापन सं. डीपीई ओ. एम. सं. 3(9)/2010–डीपीई(एमओयू) दिनांक 23 सितम्बर, 2011 को सरकारी लोक उपक्रमों के सतत विकास हेतु मार्गदर्शिका जारी की :

मार्गदर्शिका के अनुसार प्रभावी क्रियान्वयन हेतु :

- सतत विकास हेतु योजना तैयार किया जाना आवश्यक है।
- संपोषित विकास के मूल्यांकन हेतु स्वतंत्र बाहरी एजेंसी/विशेषज्ञ/सलाहकार की नियुक्ति की जाए।
- संपोषित विकास योजना के अनुमोदन और उसके निष्पादन की देख–रेख हेतु बोर्ड स्तरीय पदनामित समिति गठित की जाए।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के सेक्सन 135 के अन्तर्गत निगमित उत्तरदायित्व और सतत विकास समिति मे कम से कम 3 निदेशक होना आवश्यक हैं – जिनमें से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होंगे।

श्री आशीष उपाध्याय, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, का नियुक्ति 05.02.2018 के परिणामस्वरूप और श्री रामप्रकाश श्रीवास्तव, निदेशक (का. एवं औ. सं.) सीआईएल को सीसीएल का अंशकालिक निदेशक 19.02.2018, श्री सुबीर चन्द्रा, निदेशक (तक./संचा.) का सेवानिवृत्ति 31.03.2018 के पश्चात, सीसीएल बोर्ड ने अपने 458वीं बैठक दिनांक 23.04.2018 को आयोजित की, उसमें निम्नलिखित निदेशकगणों के साथ संपोषित विकास/निगमित सामाजिक दायित्व समिति पुनर्गठित की गईः

1. श्री भारत भूषण गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल – अध्यक्ष
2. श्री अशोक गुप्ता, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल – सदस्य
3. श्री आर. पी. श्रीवास्तव, निदेशक (का./औ. सं.), सीआईएल – सदस्य
4. श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त), सीसीएल – सदस्य
5. श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (कार्मिक), सीसीएल – सदस्य

श्री सुभाउ कश्यप की नियुक्ति अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में 13.12.2018 को, श्री भोला सिंह की नियुक्ति दिनांक 15.01. 2019 को निदेशक (तक.) सीसीएल के रूप में, और श्री अशोक गुप्ता, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक दिनांक 15.01.2019 को त्यागपत्र देने के पश्चात सीसीएल बोर्ड ने दिनांक 28.02.2019 को आयोजित 470वां बैठक में निम्नलिखित निदेशकगणों के साथ साथ संपोषित विकास/निगमित सामाजिक दायित्व समिति पुनर्गठित की गईः

1. श्री भारत भूषण गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल – अध्यक्ष
2. श्री सुभाउ कश्यप, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक – सदस्य
3. श्री आर. पी. श्रीवास्तव, निदेशक (का./औ. सं.), सीआईएल – सदस्य
4. श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त), सीसीएल – सदस्य
5. श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक(कार्मिक), सीसीएल – सदस्य

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संपोषित विकास/निगमित सामाजिक दायित्व समिति की 12(बारह) बैठकों का आयोजन दिनांक 03.04.2018, 25.05.2018, 13.07.2018, 01.08.2018, 17.09.2018, 09.10.2018, 02.11.2018, 15.11.2018, 12.12.2018, 01.02.2019, 27.02.2019 एवं 27.03.2019 को किया गया।

संपोषित विकास/निगमित सामाजिक दायित्व समिति की बैठक में वर्ष 2018–19 के दौरान सदस्यों की उपस्थिति का विवरण **अनुलग्नक–1** में दिया गया है।

(घ) जोखिम प्रबंधन समिति

श्री सुबीर चन्द्रा, निदेशक (तक./संचा.) के दिनांक 31.03.2018 को सेवानिवृति के पश्चात सीसीएल बोर्ड ने अपनी 458वीं बैठक दिनांक 23.04.2018 को आयोजित की जिसमें पुनर्गठित जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित निदेशकगण हैंः

1. श्री भारत भूषण गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल – अध्यक्ष
2. श्री अशोक गुप्ता, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल – सदस्य
3. श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (कार्मिक), सीसीएल – सदस्य

4. श्री ए. के. मिश्रा,
निदेशक (तक./परि. एवं यो.), सीसीएल – सदस्य

5. श्री जितेन्द्र तिवारी, महाप्रबंधक (कॉरडीनेशन),
मुख्य जोखिम अधिकारी – सदस्य

श्री वी. के. श्रीवास्तव की नियुक्ति निदेशक (तक.) सीसीएल के रूप में, 15.05.2018 को हुआ और श्री ए. के. मिश्रा, निदेशक (तक./संचा.) का सेवानिवृति 30.11.2018 को, सीसीएल बोर्ड ने अपने 467वें बैठक दिनांक 13.12.2018 को आयोजित की उसमें निम्नलिखित निदेशकगणों के साथ जोखिम प्रबंधन समिति को पुनर्गर्ठित की गई।

1. श्री भारत भूषण गोयल,
अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल – अध्यक्ष

2. श्री अशोक गुप्ता,
अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल – सदस्य

3. श्री आर. एस. महापात्र,
निदेशक (कार्मिक), सीसीएल – सदस्य

4. श्री वी. के. श्रीवास्तव,
निदेशक (तक.), सीसीएल – सदस्य

3. श्री आर. एस. महापात्र,
निदेशक (कार्मिक), सीसीएल – सदस्य

5. श्री जितेन्द्र तिवारी,
महाप्रबंधक (गुणवत्ता प्रबंधन), सीसीएल – सदस्य

श्री सुभाउ कश्यप की नियुक्ति अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में 13.12.2018 को, श्री भोला सिंह की नियुक्ति दिनांक 15.01.2019 को निदेशक (तक.) सीसीएल के रूप में, और श्री अशोक गुप्ता, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक दिनांक 29.01.2019 को त्यागपत्र देने के पश्चात सीसीएल बोर्ड ने दिनांक 28.02.2019 को आयोजित 470वां बैठक में निम्नलिखित निदेशकगणों के साथ साथ जोखिम प्रबंधन समिति पुनर्गर्ठित की गई।

1. श्री सुभाउ कश्यप,
अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक – अध्यक्ष

2. श्री भारत भूषण गोयल,
अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल – सदस्य

3. श्री आर. एस. महापात्र,
निदेशक (कार्मिक), सीसीएल – सदस्य

4. श्री वी. के. श्रीवास्तव,
निदेशक (तक.), सीसीएल – सदस्य

5. श्री भोला प्रसाद,
निदेशक (संचा/परि. एवं यो.), सीसीएल – सदस्य

6. श्री जितेन्द्र तिवारी,
महाप्रबंधक (गुणवत्ता प्रबंधन), सीसीएल – सदस्य

दिनांक 31मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की चार बैठक दिनांक 23.04.2018, 13.04.2018, 27.02.2019 एवं 06.03.2019 को आयोजित की गई।

वर्ष 2018–19 के दौरान आयोजित निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण अनुलग्नक–1 में दिया गया है :

(ड.) मानव संसाधन समिति

सीसीएल बोर्ड ने 23.04.2018 को रखी गई 458वीं बैठक में मानव संसाधन समिति का गठन निम्नलिखित रूप से किया :

1. श्री भारत भूषण गोयल,
अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल – अध्यक्ष

2. श्री अशोक गुप्ता,
अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल – सदस्य

3. श्री आर. पी. श्रीवास्तव,
निदेशक (का./औ. सं.), सीआईएल – सदस्य

4. श्री आर. एस. महापात्र,
निदेशक (कार्मिक), सीसीएल – सदस्य

5. श्री ए. के. मिश्रा,
निदेशक (तक./परि. एवं यो.), सीसीएल – सदस्य

आगे, श्री वी. के. श्रीवास्तव की नियुक्ति निदेशक (तक.) सीसीएल के रूप में, 15.05.2018 को हुआ और श्री ए. के. मिश्रा, निदेशक (तक./संचा.) का सेवानिवृति 30.11.2018 को, सीसीएल बोर्ड ने अपने 467वें बैठक दिनांक 13.12.2018 को आयोजित की उसमें निम्नलिखित निदेशकगणों के साथ मानव संसाधन समिति को पुनर्गर्ठित की गई।

1. श्री भारत भूषण गोयल,
अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल – अध्यक्ष

2. श्री अशोक गुप्ता,
अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल – सदस्य

3. श्री आर. पी. श्रीवास्तव,
निदेशक (का./औ. सं.), सीआईएल – सदस्य

4. श्री आर. एस. महापात्र,
निदेशक (कार्मिक), सीसीएल – सदस्य

5. श्री वी. के. श्रीवास्तव,
निदेशक (तक.), सीसीएल – सदस्य

आगे, श्री सुभाउ कश्यप की नियुक्ति अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में 13.12.2018 को, श्री भोला सिंह की नियुक्ति दिनांक 15.01.2019 को निदेशक (तक.) सीसीएल के रूप में, और श्री अशोक गुप्ता, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक दिनांक 29.01.2019 को त्यागपत्र देने के पश्चात सीसीएल बोर्ड ने दिनांक 28.02.2019 को आयोजित 470वां बैठक में निम्नलिखित निदेशकगणों के साथ साथ मानव संसाधन समिति पुनर्गर्ठित की गई।

1. श्री भारत भूषण गोयल,
अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल – अध्यक्ष

2. श्री सुभाउ कश्यप,
अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक – सदस्य

3. श्री आर. पी. श्रीवास्तव,
निदेशक (का./औ. सं.), सीआईएल – सदस्य

4. श्री आर. एस. महापात्र,
निदेशक (कार्मिक), सीसीएल – सदस्य

5. श्री भोला सिंह,
निदेशक (संचा/परि. एवं यो.), सीसीएल – सदस्य

दिनांक 31मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान मानव संसाधन समिति की पांच बैठक दिनांक 13.07.2018, 17.09.2018, 15.11.2018, 12.12.2018 एवं 27.12.2018 को आयोजित की गई।

वर्ष 2018–19 के दौरान आयोजित निदेशकों की मानव संसाधन समिति में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण **अनुलग्नक–1** में दिया गया है ।

42. धन्यवाद ज्ञापन

आपके निदेशकगण, कंपनी के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आपकी कंपनी को दिये गये बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं स्वैच्छिक समर्थन के लिए भारत सरकार, विशेषकर कोयला मंत्रालय और कोल इण्डिया लिमिटेड के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। आपके निदेशकगण, आपकी कंपनी की बहुमूल्य सहयोग एवं सहायता देने के लिए झारखण्ड सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों को भी धन्यवाद देते हैं। आपके निदेशकगण, हार्दिक सहयोग एवं कर्तव्यनिष्ठा के लिए कामगारों, कर्मचारियों और अधिकारियों को भी धन्यवाद देते हैं।

आपके निदेशकगण को पूर्ण विश्वास है कि सभी रैंक के कर्मचारी आने वाले वर्षों में कंपनी के प्रदर्शन में सुधार के लिए कड़ी मेहनत का प्रयास करेंगे। आपके निदेशकों ने वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रदान सहायता और मार्गदर्शन, कर अंकेक्षकों, नियंत्रक एवं भारत सरकार के महालेखा परीक्षक और बिहार एवं झारखण्ड सरकार के निबंधक के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं।

43. परिशिष्ट

आपके विचारार्थ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जा रहे हैं :

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अनुसरण में निदेशकमण्डल के प्रतिवेदन में दिया जा रहा परिशिष्ट :

   ए. पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के विवरण जो वर्ष या कुछ समय के लिए यदि नियोजित किए जाएं तो 1,02,00,000/– प्रति वर्ष / 8,50,000/– प्रति माह या अधिक प्राप्त करते हैं।

   बी. ऊर्जा संरक्षण के बारे में जानकारी।

   सी. कम्पनी के अनुसंधान और विकास गतिविधियों के विवरण।

   डी. विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय का विवरण।

   ई. सीएसआर गतिविधियों के अतिरिक्त प्रकटीकरण।

   एफ. संबंधित पार्टियों और कंपनी के बीच अनुबंध/व्यवस्था के विवरण के प्रकटीकरण।

   जी. अनुषंगी, सहयोगी तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों के प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति पर प्रतिवेदन।

   एच. स्वतंत्र निदेशकगणों की घोषणा।

2. 31 मार्च 2019 का समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की 143 (6)(बी) के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक और महालेखाकार परीक्षक की टिप्पणियाँ।

4. भारत के महालेखा परीक्षक और नियंत्रक द्वारा 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कम्पनी के लेखा की समीक्षा।

5. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 की धारा 12(1) के तहत दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार वार्षिक रिटर्न का उद्धरण।

6. कम्पनी अधिनियम, 2013 खण्ड 134 (2) और 134(3) के तहत निदेशक की रिपोर्ट में परिशिष्ट में वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और प्रबंधन का उत्तर दर्शाया गया है।

बोर्ड के लिए एवं बोर्ड की ओर से

ह./–

(गोपाल सिंह)

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

अनुलग्नक – I

निगमित प्रशासन पर रिपोर्ट

1. दर्शन

सीसीएल प्रबंधन, उत्कृष्ट निगमित प्रशासन एवं अपने प्रबन्धकीय उत्तरदायित्वों के लिए हर पल प्रयत्नशील है।

सीसीएल का निगमित प्रशासन मुख्यतः निम्नलिखित मुख्य सिद्धांतों पर आधारित हैः

1. अपने उत्तरदायित्वों एवं कर्त्तव्यों के वहन में प्रतिबद्ध, दक्ष, समुचित संरचना एवं आकार के निदेशक मंडल का गठन।
2. यह सुनिश्चित करना कि बोर्ड तथा इसकी समितियों को समयबद्ध सूचना मिले ताकि वे प्रभावकारी ढंग से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकें।
3. कम्पनी की वित्तीय रिपोर्ट की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना तथा स्वतंत्र जाँच कराना।
4. जोखिम प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण की ठोस पद्धति अपनाना।
5. कम्पनी से संबंधित वास्तविक सूचना शेयरधारकों के समक्ष समय पर संतुलित रूप से प्रकाशित करना।
6. पारदर्शिता और प्रतिबद्धता।
7. सभी लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन।
8. अपने सभी हितधारकों, कर्मचारियों, उपभोक्ताओं, अंशधारकों और निवेशकों के साथ निष्पक्ष एवं समान व्यवहार करना।

निगमित–नागरिक के रूप में आपकी कम्पनी निगमित प्रशासन के उच्चतम मानदंडों के पालन में विश्वास करती है। सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सीसीएल समस्त भारतीय नागरिकों को सभी वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु संभव सहायता प्रदान करता है।

यह मात्र अनुपालन एवं नियंत्रण – संतुलन बनाने का विषय नहीं है अपितु, अवसरों को वास्तविकता में बदलने के दृष्टिकोण के साथ कम्पनी के उद्देश्यों को बेहतर निष्पादन की दिशा में सतत् प्रक्रिया है। कम्पनी के इन प्रयासों में राष्ट्रीय मांग, शेयरधारकों के लाभ एवं कर्मचारियों के विकास के साथ इसकी गतिविधियों को पंक्तिबद्ध करना तथा विभिन्न संसाधनों का लाभ लेना शामिल है जिससे कि जोखिमों को कम करने के फलस्वरूप शेयरधारकों को प्रसन्न किया जा सके। कम्पनी के मुख्य उद्देश्यों में विवेक एवं चेतना की निगमित संस्कृति का सृजन एवं पालन, पारदर्शिता, स्पष्टता, जिम्मेदारी, औचित्य, हिस्सेदारी, संपोषित मूल्य सृजन, नैतिक आचरण तथा क्षमता का विकसित करना एवं उन अवसरों को पहचानना है जो मूल्य सृजन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, जिससे एक बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले संगठन का निर्माण हो।

2. निदेशक मंडल

आपकी कम्पनी के निदेशक मंडल में दिनांक 31.03.2019 तक 9 निदेशक शामिल थे जिसमें 5 कार्यकारी निदेशक (अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित) 2 अंशकालिक प्रशासकीय निदेशक, 2 अंशकालिक अप्रशासकीय निदेशक तथा 2 स्थाई आमंत्रित सदस्य शामिल थे।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की कुल 15 बैठकें हुई यथा 03.04.2018, 23.04.2018, 26.05.2018, 13/14.07.2018, 02.08.2018, 16.08.2018, 18.09.2018, 09.10.2018, 02.11.2018, 16.11.2018, 13.12,2018, 27.12.2018, 02.02.2019, 27/28.02.2019 एवं 27/28.03.2019। इस प्रकार निदेशक मंडल की इन बैठकों के बीच समय का अंतराल 2 माह से अधिक नहीं था।

निदेशक मंडल के गठन, निदेशक मंडल की बैठक, आम बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति, अन्य कम्पनियों में निदेशकों के पद तथा अन्य समितियों में उनकी सदस्यता इत्यादि का निम्नानुसार विवरण दिया जा रहा है :

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	श्रेणी	बोर्ड की बैठक (कमिटी की बैठकों का विवरण)		अन्य निदेशकीय पदों की संख्या
			कार्यकाल में	उपस्थिति	
1.	श्री गोपाल सिंह, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक $	कार्यकारी निदेशक	15	15	बीसीसीएल
2.	श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त)	कार्यकारी निदेशक	15	15	शून्य
3.	श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (कार्मिक)	कार्यकारी निदेशक	15	15	शून्य
4.	श्री ए. के. मिश्र, निदेशक (तक./संचा.)	कार्यकारी निदेशक	10	08	जेसीआरएल
5.	श्री आशीष उपाध्याय, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार	अप्रशासनिक अंशकालिक निदेशक	15	13	एसईसीएल
6.	श्री अशोक गुप्ता, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार	अप्रशासनिक अंशकालिक निदेशक	12	08	शून्य
7.	श्री भारत भूषण गोयल, अप्रशासनिक अंशकालिक निदेशक	अप्रशासनिक अंशकालिक निदेशक	15	15	रामागुनडम फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल लिमिटेड
8.	श्री आर. पी. श्रीवास्तव, निदेशक (कार्मिक/ओ–सं.) सीआईएल	अंशकालिक निदेशक	15	13	(i) सीआईएल, (ii) डब्ल्यूसीएल
9.	श्री वी. के. श्रीवास्तव, निदेशक (तक./यो./परि.)	कार्यकारी निदेशक	13	13	जेसीआरएल
10.	सुभाउ कश्यप, अप्रशासनिक अंशकालिक निदेशक##	अप्रशासनिक अंशकालिक निदेशक	04	03	शून्य
11.	श्री भोला सिंह, निदेशक (तक./यो./परि.)@	कार्यकारी निदेशक	03	02	शून्य

$ श्री गोपाल सिंह, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, सीसीएल ने दिनांक 19.10.2018 से अप्रनि बीसीसीएल का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया और उन्हें दिनांक 01.09.2017 से अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सीआईएल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

* श्री ए. के. मिश्र, निदेशक (तक./संचा.) ने दिनांक 30.11.2018 की प्रभावी तिथि को सेवानिवृत्त हुए।

** श्री अशोक गुप्ता, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, अप्रशासनिक अंशकालिक निदेशक दिनांक 29.01.2019 को सीसीएल बोर्ड के निदेशक पद से त्याग पत्र दिया।

श्री वी. के. श्रीवास्तव, दिनांक 15.05.2018 से सीसीएल बोर्ड के निदेशक (तक./यो./परि.) नियुक्त किए गए।

श्री सुभाउ कश्यप, दिनांक 13.12.2018 से सीसीएल बोर्ड के अप्रशासनिक अंशकालिक निदेशक नियुक्त किए गए।

@ श्री भोला सिंह, दिनांक 15.01.2019 से सीसीएल बोर्ड के निदेशक (तक..) नियुक्त किए गए।

वर्ष 2018–19 के दौरान अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक एवं निदेशकों के पारिश्रमिक की अनुसूची

क. कार्यकारी निदेशकगण

नाम	अन्य निदेशकों के साथ संबंध	अन्य निदेशकों के साथ व्यवसायिक संबंध	वर्ष 2018–19 के लिए पारिश्रमिक (₹)										
			वेतन एवं भत्ते	पीआरपी	परक्विजिट	आ. भ.	अवकाश नकदीकरण	एसीएम पीएफ अंशदाइ	चिकित्सा व्यय	एनपीएस का अंशदान	एलटीसी (एच)	ग्रेच्यूटी	कुल
श्री गोपाल सिंह	शून्य	अ. प्र. नि.	4887970.45	2199776.64	554104.19	0.00	407006.40	408303.00	0.00	1549591.00	0.00	0.00	10006751.68
श्री डी. के. घोष	शून्य	निदेशक (वित्त)	4458283.15	530064.00	448592.89	0.00	879654.00	410692.00	44302.17	1453366.00	0.00	0.00	8224954.21
श्री सुबीर चन्द्रा, सेवानिवृत्ति 31.03.2018 को	शून्य	निदेशक (तक./संचा.)	1003381.95	518400.00	0.00	0.00	1247410.34	72350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2841542.29
श्री आर. एस. महापात्र	शून्य	निदेशक (कार्मिक)	4284235.90	518400.00	400134.00	0.00	175512.00	394326.00	1350.00	1041484.00	0.00	0.00	6815441.90
श्री ए. के. मिश्र सेवानिवृत्ति 30.11.2018 को	शून्य	निदेशक (तक./यो. एवं परि./संचा.)	3155319.85	349660.82	0.00	0.00	1990330.40	216139.00	62529.00	0.00	0.00	2000000.00	7773979.07
श्री वी. के. श्रीवास्तव 15.05.2018 को प्रभार	शून्य	निदेशक (तक./यो. एवं परि./संचा.)	4125338.80	181899.60	296269.11	0.00	0.00	334098.00	14056.11	1444526.00	0.00	0.00	6396187.62
श्री भोला सिंह 15.01.2019 को प्रभार	शून्य	निदेशक (तक./यो. एवं परि.)	582869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635790.00
कुल योग			**22497399.10**	**4298201.06**	**1699100.19**	**0.00**	**4699913.14**	**1888829.00**	**122237.28**	**5488967.00**	**0.00**	**2000000.00**	**42694646.77¡**

सेवा संविदा

कम्पनी के समस्त निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। पूर्णकालीन निदशकों को नियुक्ति के संबंध में नियम एवं शर्तों का निर्धारण कम्पनी की अन्तर्नियमावली के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

ख. अंशकालीन निदेशक :

कम्पनी द्वारा किसी भी अंशकालीन निदेशक को किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है।

ग. अप्रशासकीय अंशकालीन निदेशक :

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम			कुल रकम (रू.)
1.	स्वतंत्र निदेशक	श्री भारत भूषण गोयल (नियुक्ति की तिथि 14.11.2015)	श्री अशोक गुप्ता (नियुक्ति की तिथि 14.11.2015)	श्री शुभउ कश्यप (नियुक्ति की तिथि 14.11.2015))	
	बोर्ड समिति की बैठक में भाग लेने हेतु फीस	12,60,000.00	6,40,000.00	1,60,000.00	20,60,000.00
	कुल (1)	**12,60,000.00**	**6,40,000.00**	**1,60,000.00**	**20,60,000.00**

3. बोर्ड समिति

(i) निदेशकों की उच्चाधिकार–उप समिति

श्री आर. पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय की दिनांक 09.08.2017 के त्यागपत्र के बाद, श्री सी. के. डे, निदेशक(वित्त), सीआईएल के 19.02.2018 पर पदभार छोड़ने एवं श्री सुबीर चन्द्रा, निदेशक (तक./संचा.), सीसीएल के 31.03.2018 को सेवानिवृति के बाद सीसीएल बोर्ड ने दिनांक 23.04.2018 को हुए अपनी 458वीं बैठक में निम्नलिखित निदेशकगणों के साथ निदेशकों के उच्चाधिकार उप–समिति का पुनर्गठन किया;

1. श्री गोपाल सिंह, अप्रनि, सीसीएल – अध्यक्ष
2. श्री आशीष उपाध्याय, संयुक्त सचिव, एमओसी – सदस्य
3. श्री बी. बी. गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक – सदस्य
4. श्री अशोक गुप्ता, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक – सदस्य
5. श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त), सीसीएल – सदस्य
6. श्री ए. के. मिश्रा, निदेशक (तक./परि. एवं यो.), सीसीएल – सदस्य

आगे श्री वी. के. श्रीवास्तव की नियुक्ति निदेशक (तक.) सीसीएल के रूप में, 15.05.2018 को हुआ और श्री ए. के. मिश्रा, निदेशक (तक./संचा.) का सेवानिवृति 30.11.2018 को, सीसीएल बोर्ड ने अपने 467वें बैठक दिनांक 13.12.2018 को आयोजित की उसमें निम्नलिखित निदेशकगणों के साथ उच्चाधिकार उप–समिति पुनर्गर्ठित की गई।

1. श्री गोपाल सिंह, अप्रनि, सीसीएल – अध्यक्ष
2. श्री आशीष उपाध्याय, संयुक्त सचिव, एमओसी – सदस्य
3. श्री बी. बी. गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक – सदस्य
4. श्री अशोक गुप्ता, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक – सदस्य
5. श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त), सीसीएल – सदस्य
6. श्री वी, के. श्रीवास्तव, निदेशक (तक./परि. एवं यो.), सीसीएल – सदस्य

श्री सुभाउ कश्यप की नियुक्ति अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में 13.12.2018 को, श्री भोला सिंह की नियुक्ति दिनांक 15.01.2019 को निदेशक (तक.) सीसीएल के रूप में, और श्री अशोक गुप्ता, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक दिनांक 29.01.2019 को त्यागपत्र देने के पश्चात सीसीएल बोर्ड ने दिनांक 28.02.2019 को आयोजित 470वां बैठक में निम्नलिखित निदेशकगणों के साथ साथ उच्चाधिकार उप–समिति पुनर्गर्ठित की गई।

1. श्री गोपाल सिंह, सीएमडी, सीसीएल – अध्यक्ष
2. श्री आशीष उपाध्याय, संयुक्त सचिव, एमओसी – सदस्य
3. श्री बी. बी. गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक – सदस्य
4. श्री सुभाउ कश्यप, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक – सदस्य
5. श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त), सीसीएल – सदस्य
6. श्री वी, के. श्रीवास्तव, निदेशक (तक./परि. एवं यो.), सीसीएल – सदस्य
7. श्री भोला सिंह, निदेशक (तक./परि. एवं यो.), सीसीएल – सदस्य

दिनांक 31मार्च को समाप्त वर्ष के दौरान उच्चाधिकार उप–समिति की आठ बैठक दिनांक 26.05.2018, 13.07.2018, 17.09.2018, 09.10.2018, 02.11.2018, 16.11.2018, 13.12.2018 एवं 01.02.2019 को आयोजित की गई।

वर्ष 2018–19 के दौरान आयोजित निदेशकों की उच्चाधिकार समिति में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

नाम	उच्चाधिकार समिति		टिप्पणी
	हुई बैठक	उपस्थिति	
श्री गोपाल सिंह, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, सीसीएल	08	08	अध्यक्ष
श्री आशीष उपाध्याय, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय	08	08	सदस्य
श्री अशोक गुप्ता, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	07	03	सदस्य
श्री भारत भूषण गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	08	08	सदस्य
श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त), सीसीएल	08	08	सदस्य
श्री ए. के. मिश्रा, निदेशक (तक./यो. एवं परि.) सीसीएल	06	05	सदस्य

(ii) निदेशकों के अंकेक्षण समिति

श्री आशीष उपाध्याय, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, का नियुक्ति 05.02.2018 के परिणामस्वरूप और श्री रामप्रकाश श्रीवास्तव, निदेशक (का. एवं औ. सं.) सीआईएल को सीसीएल का अंशकालिक निदेशक 19.02.2018 को, सीसीएल बोर्ड ने दिनांक 23.04.2018 को आयोजित 458वां बैठक में निम्नलिखित निदेशकगणों के साथ साथ अंकेक्षण समिति पुनर्गर्ठित की गई।

1. श्री अशोक गुप्ता, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक – अध्यक्ष
2. श्री भारत भूषण गोयल, अप्रशासकीय अंषकालिक निदेषक, सीसीएल – सदस्य
3. श्री आर. पी. श्रीवास्तव, निदेशक (का. एवं औ. सं.), सीआईएल – सदस्य
4. श्री डी. के. घोष, निदेषक (वित्त), सीसीएल – सदस्य

आगे श्री ए. के. मिश्रा, निदेशक (तक./संचा.) का सेवानिवृत्ति 30.11.2018 को, श्री सुभाउ कश्यप की नियुक्ति अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में 13.12.2018 को, और श्री अशोक गुप्ता, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक दिनांक 29.01.2019 को त्यागपत्र देने के पश्चात सीसीएल

बोर्ड ने दिनांक 28.02.2019 को आयोजित 470वां बैठक में निम्नलिखित निदेशकगणों के साथ साथ अंकेक्षण–समिति पुनर्गठित की गई।

1.	श्री सुभाउ कश्यप, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	–	अध्यक्ष
2.	श्री आशीष उपाध्याय, संयुक्त सचिव, एमओसी	–	सदस्य
3.	श्री बी. बी. गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	–	सदस्य
4.	श्री आर. पी. श्रीवास्तव, निदेशक (का./औ. सं.), सीआईएल	–	स्थायी आमंत्रित
5.	श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त), सीसीएल	–	स्थायी आमंत्रित

अंकेक्षण समिति की बैठक के कोरम में, या तो 2 सदस्य होंगे या अंकेक्षण समिति के एक तिहाई में से सदस्य जो भी अधिक हो, लेकिन कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति अनिवार्य है। सीसीएल बोर्ड ने अपने 411वें बैठक में 04.11.2014 को अंकेक्षण समिति के संदर्भ में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177(4) के प्रावधान की शर्तों को मंजूरी दी।

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान अंकेक्षण समिति की 14(चौदह) बैठकों का आयोजन दिनांक 03.04.2018, 23.04.2018, 25.05.2018, 13.07.2018, 26.07.2018, .1.08.2018, 17.09.2018, 02.11.2018, 15.11.2018, 13.12.2018, 27.12.2018, 01.02.2019, 27.02.2019 एवं 27.03.2019 को किया गया। कम्पनी सचिव अंकेक्षण समिति के भी सचिव हैं।

अंकेक्षण समिति की बैठक में वर्ष 2018–19 के दौरान सदस्यों की उपस्थिति का विवरण :

नाम	अंकेक्षक समिति		टिप्पणी
	हुई बैठक	उपस्थिति	
श्री अशोक गुप्ता, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	11	08	अध्यक्ष
श्री भारत भूषण गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	14	14	सदस्य
श्री ए. के. मिश्रा, निदेशक (तक./यो./परि.)	02	02	सदस्य
श्री डी. के. घोष, निदेषक (वित्त), सीसीएल	14	14	सदस्य
श्री आर. पी. श्रीवास्तव, निदेशक (का./औ. सं.), सीआईएल	12	11	सदस्य
श्री सुभाउ कश्यप, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	01	01	सदस्य
श्री आशीष उपाध्याय, संयुक्त सचिव, एमओसी	01	0	सदस्य

अंकेक्षण समिति का कार्य क्षेत्र

परस्पर कार्य की सूची निम्नवत है –

- **समय–समय पर अंकेक्षकों के साथ चर्चा करना**
  - आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता एवं अनुपालन
  - अंकेक्षकों के पर्यवेक्षण सहित अंकेक्षण का दायरा
  - बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा करें।
- **निम्नलिखित कार्य करने के लिए :**
  - सही, पर्याप्त और विश्वसनीय वित्तीय विवरण यह सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण
  - प्रबंधन के साथ बोर्ड में अनुमोदन पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा, विशेषकर इसे निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में सम्मिलित की जाने वाली बातें, यदि कोई लेखा विधिनीति में परिवर्तन हो, लेखा संबंधी महत्वपूर्ण प्रविष्टियाँ, किये गये महत्वपूर्ण समायोजन एवं अभियोग्यता का प्रस्तुतीकरण संबंधित पार्टी के लेन–देन, अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रारूप में।

(iii) सतत विकास/निगमित सामाजिक दायित्व समिति

लोक उपक्रम विभाग, भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञापन सं. डीपीई ओ. एम. सं. 3(9)/2010–डीपीई(एमओयू) दिनांक 23 सितम्बर, 2011 को सरकारी लोक उपक्रमों के सतत विकास हेतु मार्गदर्शिका जारी की :

मार्गदर्शिका के अनुसार प्रभावी क्रियान्वयन हेतु :

- सतत विकास हेतु योजना तैयार किया जाना आवश्यक है।
- संपोषित विकास के मूल्यांकन हेतु स्वतंत्र बाहरी एजेंसी/विशेषज्ञ/सलाहकार की नियुक्ति की जाए।
- संपोषित विकास योजना के अनुमोदन और उसके निष्पादन की देख–रेख हेतु बोर्ड स्तरीय पदनामित समिति गठित की जाए।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 135 के अन्तर्गत निगमित उत्तरदायित्व और सतत विकास समिति मे कम से कम 3 निदेशक होना आवश्यक हैं – जिनमें से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होंगे।

श्री आशीष उपाध्याय, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, का नियुक्ति 05.02.2018 के परिणामस्वरूप और श्री रामप्रकाश श्रीवास्तव, निदेशक (का. एवं औ. सं.) सीआईएल को सीसीएल का अंशकालिक निदेशक 19.02.2018, श्री सुबीर चन्द्रा, निदेशक (तक./संचा.) के सेवानिवृत्ति 31.03.2018 के पश्चात, सीसीएल बोर्ड ने अपने 458वीं बैठक दिनांक 23.04.2018 को आयोजित की, उसमें निम्नलिखित निदेशकगणों के साथ **संपोषित विकास/निगमित सामाजिक दायित्व समिति** पुनर्गठित की गईः

1.	श्री भारत भूषण गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल	–	अध्यक्ष
2.	श्री अशोक गुप्ता, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल	–	सदस्य
3.	श्री आर. पी. श्रीवास्तव, निदेशक (का./औ. सं.), सीआईएल	–	सदस्य
4.	श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त), सीसीएल	–	सदस्य
5.	श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (कार्मिक), सीसीएल	–	सदस्य

श्री सुभाउ कश्यप की नियुक्ति अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में 13.12.2018 को, श्री भोला सिंह की नियुक्ति दिनांक 15.01.2019 को निदेशक (तक.) सीसीएल के रूप में, और श्री अशोक गुप्ता, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक दिनांक 15.01.2019 को त्यागपत्र देने के पश्चात सीसीएल बोर्ड ने दिनांक 28.02.2019 को आयोजित 470वां बैठक में निम्नलिखित निदेशकगणों के साथ साथ **संपोषित विकास/निगमित सामाजिक दायित्व समिति** पुनर्गठित की गईः

1.	श्री भारत भूषण गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल	–	अध्यक्ष
2.	श्री सुभाउ कश्यप, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	–	सदस्य
3.	श्री आर. पी. श्रीवास्तव, निदेशक (का./औ. सं.), सीआईएल	–	सदस्य
4.	श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त), सीसीएल	–	सदस्य
5.	श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक(कार्मिक), सीसीएल	–	सदस्य

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संपोषित विकास/निगमित सामाजिक दायित्व समिति की 12(बारह) बैठकों का आयोजन दिनांक 03.04.2018, 25.05.2018, 13.07.2018, 01.08.2018, 17.09.2018, 09.10.2018, 02.11.2018, 15.11.2018, 12.12.2018, 01.02.2019, 27.02.2019 एवं 27.03.2019 को किया गया।

संपोषित विकास/निगमित सामाजिक दायित्व समिति की बैठक में वर्ष 2018–19 के दौरान सदस्यों की उपस्थिति का विवरण :

नाम	सतत विकास एवं निगमित सामाजिक दायित्व समिति		टिप्पणी
	हुई बैठक	उपस्थिति	
श्री भारत भूषण गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल	12	12	अध्यक्ष
श्री अशोक गुप्ता, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल	09	05	सदस्य
श्री आर. पी. श्रीवास्तव, निदेशक (का./औ. सं.), सीआईएल	11	10	सदस्य
श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक(कार्मिक), सीसीएल	12	12	सदस्य
श्री सुभाउ कश्यप, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	01	01	सदस्य
श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त), सीसीएल	12	12	सदस्य

(iv) जोखिम प्रबंधन समिति

श्री सुबीर चन्द्रा, निदेशक (तक./संचा.) के दिनांक 31.03.2018 को सेवानिवृति के पश्चात सीसीएल बोर्ड ने अपनी 458वीं बैठक दिनांक 23.04.2018 को आयोजित की जिसमें पुनर्गठित **जोखिम प्रबंधन समिति** में निम्नलिखित निदेशकगण हैं:

1.	श्री भारत भूषण गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल	–	अध्यक्ष
2.	श्री अशोक गुप्ता, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल	–	सदस्य
3.	श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (कार्मिक), सीसीएल	–	सदस्य
4.	श्री ए. के. मिश्रा, निदेशक (तक./परि. एवं यो.), सीसीएल	–	सदस्य
5.	श्री जितेन्द्र तिवारी, महाप्रबंधक (कॉरडीनेशन), मुख्य जोखिम अधिकारी	–	सदस्य

श्री वी. के. श्रीवास्तव की नियुक्ति निदेशक (तक.) सीसीएल के रूप में, 15.05.2018 को हुआ और श्री ए. के. मिश्रा, निदेशक (तक./संचा.) का सेवानिवृति 30.11.2018 को, सीसीएल बोर्ड ने अपने 467वें बैठक दिनांक 13.12.2018 को आयोजित की उसमें निम्नलिखित निदेशकगणों के साथ **जोखिम प्रबंधन समिति** को पुनर्गर्ठित की गई।

1.	श्री भारत भूषण गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल	–	अध्यक्ष
2.	श्री अशोक गुप्ता, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल	–	सदस्य
3.	श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (कार्मिक), सीसीएल	–	सदस्य
4.	श्री वी. के. श्रीवास्तव, निदेशक (तक.), सीसीएल	–	सदस्य
3.	श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (कार्मिक), सीसीएल	–	सदस्य
5.	श्री जितेन्द्र तिवारी, महाप्रबंधक (गुणवत्ता प्रबंधन), सीसीएल	–	सदस्य

श्री सुभाउ कश्यप की नियुक्ति अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में 13.12.2018 को, श्री भोला सिंह की नियुक्ति दिनांक 15.01.2019 को निदेशक (तक.) सीसीएल के रूप में, और श्री अशोक गुप्ता, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक दिनांक 29.01.2019 को त्यागपत्र देने के पश्चात सीसीएल बोर्ड ने दिनांक 28.02.2019 को आयोजित 470वां बैठक में निम्नलिखित निदेशकगणों के साथ साथ **जोखिम प्रबंधन समिति** पुनर्गर्ठित की गई।

1.	श्री सुभाउ कश्यप, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	–	अध्यक्ष
2.	श्री भारत भूषण गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल	–	सदस्य
3.	श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (कार्मिक), सीसीएल	–	सदस्य
4.	श्री वी. के. श्रीवास्तव, निदेशक (तक.), सीसीएल	–	सदस्य
5.	श्री भोला प्रसाद, निदेशक (संचा/परि. एवं यो.), सीसीएल	–	सदस्य
6.	श्री जितेन्द्र तिवारी, महाप्रबंधक (गुणवत्ता प्रबंधन), सीसीएल	–	सदस्य

दिनांक 31मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की चार बैठक दिनांक 23.04.2018, 13.04.2018, 27.02.2019 एवं 06.03.2019 को आयोजित की गई।

वर्ष 2018–19 के दौरान आयोजित निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

नाम	जोखिम प्रबंधन समिति		टिप्पणी
	हुई बैठक	उपस्थिति	
श्री भारत भूषण गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल	03	03	अध्यक्ष
श्री अशोक गुप्ता, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल	02	02	सदस्य
श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (कार्मिक), सीसीएल	02	02	सदस्य
श्री ए. के. मिश्रा, निदेशक (तक./परि. एवं यो.), सीसीएल	02	02	सदस्य
श्री वी. के. श्रीवास्तव, निदेशक (तक./संचा.), सीसीएल	01	01	सदस्य

(V) मानव संसाधन समिति

सीसीएल बोर्ड ने 23.04.2018 को रखी गई 458वीं बैठक में **मानव संसाधन समिति** का गठन निम्नलिखित रूप से किया :

1.	श्री भारत भूषण गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल	–	अध्यक्ष
2.	श्री अशोक गुप्ता, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल	–	सदस्य
3.	श्री आर. पी. श्रीवास्तव, निदेशक (का./औ. सं.), सीआईएल	–	सदस्य
4.	श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (कार्मिक), सीसीएल	–	सदस्य
5.	श्री ए. के. मिश्रा, निदेशक (तक./परि. एवं यो.), सीसीएल	–	सदस्य

आगे, श्री वी. के. श्रीवास्तव की नियुक्ति निदेशक (तक.) सीसीएल के रूप में, 15.05.2018 को हुआ और श्री ए. के. मिश्रा, निदेशक (तक./संचा.) का सेवानिवृति 30.11.2018 को, सीसीएल बोर्ड ने अपने 467वें बैठक दिनांक 13.12.2018 को आयोजित की उसमें निम्नलिखित निदेशकगणों के साथ **मानव संसाधन समिति** को पुनर्गर्ठित की गई।

1.	श्री भारत भूषण गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल	–	अध्यक्ष
2.	श्री अशोक गुप्ता, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल	–	सदस्य
3.	श्री आर. पी. श्रीवास्तव, निदेशक (का./औ. सं.), सीआईएल	–	सदस्य
4.	श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (कार्मिक), सीसीएल	–	सदस्य
5.	श्री वी. के. श्रीवास्तव, निदेशक (तक.), सीसीएल	–	सदस्य

आगे, श्री सुभाउ कश्यप की नियुक्ति अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में 13.12.2018 को, श्री भोला सिंह की नियुक्ति दिनांक 15.01. 2019 को निदेशक (तक.) सीसीएल के रूप में, और श्री अशोक गुप्ता, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक दिनांक 29.01.2019 को त्यागपत्र देने के पश्चात सीसीएल बोर्ड ने दिनांक 28.02.2019 को आयोजित 470वां बैठक में निम्नलिखित निदेशकगणों के साथ साथ मानव संसाधन समिति पुनर्गर्ठित की गई।

1.	श्री भारत भूषण गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल	–	अध्यक्ष
2.	श्री सुभाउ कश्यप, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	–	सदस्य
3.	श्री आर. पी. श्रीवास्तव, निदेशक (का./औ. सं.), सीआईएल	–	सदस्य
4.	श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (कार्मिक), सीसीएल	–	सदस्य
5.	श्री भोला प्रसाद, निदेशक (संचा/परि. एवं यो.), सीसीएल	–	सदस्य

दिनांक 31मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान मानव संसाधन समिति की पांच बैठक दिनांक 13.07.2018, 17.09.2018, 15.11.2018, 12.12.2018 एवं 27.12.2018 को आयोजित की गई।

वर्ष 2018–19 के दौरान आयोजित निदेशकों की मानव संसाधन समिति में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

नाम	मानव संसाधन समिति		टिप्पणी
	हुई बैठक	उपस्थिति	
श्री भारत भूषण गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल	05	05	अध्यक्ष
श्री अशोक गुप्ता, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल	05	02	सदस्य
श्री आर. पी. श्रीवास्तव, निदेशक (का./औ. सं.), सीआईएल	05	05	सदस्य
श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (कार्मिक), सीसीएल	05	05	सदस्य
श्री ए. के. मिश्रा, निदेशक (तक./परि. एवं यो.), सीसीएल	03	03	सदस्य

सांविधिक अंकेक्षक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत वर्ष 2018–19 के लिए आपकी कम्पनी की लेखा–रिपोर्ट के अंकेक्षण कार्य हेतु भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निम्नलिखित चार्टर्ड अकाउन्टन्ट्स फर्मों की नियुक्ति की गई है :

(क) सांविधिक अंकेक्षक

मेसर्स के. सी. टाक एण्ड कम्पनी
न्यू अनंतपुर, राँची, झारखंड

शाखा अंकेक्षक

1. **मेसर्स वी. रोहतगी एण्ड कम्पनी**
   प्रथम तल्ला, सर्जना बिल्डिंग,
   मेन रोड़, राँची, झारखंड

2. **मेसर्स एन. के. डी. एण्ड कम्पनी**
   दूसरा तल्ला, राधागौरी, गौशाला चौक,
   नार्थ मार्केट रोड़, अपर बाजार,
   राँची, झारखंड

3. **मेसर्स एल. के. सराफ एण्ड कम्पनी**
   दूसरा तल्ला, चौहान मेंसन, लालजी हिरजी रोड़,
   राँची, झारखंड

4. **मेसर्स संजय बजोरिया एण्ड एसोसिएट्स**
   4, कुंजलाल स्ट्रीट, अपर बाजार
   राँची, झारखंड

(ख) मूल्य अंकेक्षक :

कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार निदेशक मंडल की बोर्ड ने 430वीं बोर्ड बैठक मद क्रमांक 4(6) दिनांक 28.09.2016 द्वारा मूल्य अंकेक्षण वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 हेतु निम्नलिखित मूल्य अंकेक्षक फर्मों को नियुक्त किया।

मेसर्स एस. सी. मोहन्ती एण्ड एसोसिएट्स
प्लॉट नं. – 370/1861/2157 शक्ति भवन
टोयोटा शोरूम के बगल में, पाटिया
पो. – के. आई. आई. टी., भुवनेश्वर – 751 024
ओड़िसा।

शाखा मूल्य अंकेक्षक

1. **मनी एण्ड कम्पनी**
   अशोका भवन, 111 साउदर्न एवेन्यु
   कोलकाता – 700 029
2. **मुसीब एण्ड कम्पनी**
   नं. – 204, गजराज मेन्सन, द्वितीय तल्ला,
   डायगोनल रोड़, बिष्टुपुर, जमशेदपुर, झारखंड
3. **के. बी. सक्सेना एण्ड एसोसिएट्स**
   तृतीय तल्ला, सगुन पैलेस, सप्रु मार्ग
   हजरतगंज, लखनऊ – 226 001
4. **के. जी. गोयल एण्ड एसोसिएट्स**
   4 ए, पॉकेट 2, मिक्स हाउसिंग, न्यू कोंडली,
   मयूर विहार–111, नई दिल्ली – 110 096

(ग) सचिवीय अंकेक्षक :

कम्पनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 204 के अनुसार निदेशक मंडल बोर्ड द्वारा 474वीं बोर्ड बैठक के मद क्रमांक 3(5) दिनांक 29.06.2019 द्वारा वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 सचिवीय अंकेक्षण के लिए हेतु निम्नलिखित कम्पनी सचिव फर्म को नियुक्त किया।

सचिवीय अंकेक्षक :
मेसर्स कान्त सनत एण्ड एसोसिएट्स
प्रथम तल्ला, रघुनन्दन साहु भवन,
ड्यूरियन फर्नीचर के बगल में,
अरगोडा–कडरू रोड, अशोक नगर के सामने,
राँची – 834002

वार्षिक आम बैठक

विगत तीन वर्षों में शेयर धारकों की आम बैठकों का विवरण निम्नानुसार दिया जा रहा है –

वर्ष	तिथि एवं समय	अवस्थिति	उपस्थिति	विशेष संकल्प, यदि कोई हो
2015–16	22 जूलाई, 2016 पूर्वाह्न 11:00	दरभंगा हाउस, रांची	1. श्री गोपाल सिंह, सदस्य एवं अध्यक्ष 2. श्री जयप्रकाश साव, सदस्य एवं अध्यक्ष	शून्य
2016–17	21 जुलाई 2017 पूर्वाह्न 11:00	दरभंगा हाउस, राँची	1. श्री गोपाल सिंह, सदस्य एवं अध्यक्ष 2. श्री भास्कर शर्मा, सीआईएल के प्रतिनिधि	शून्य
2017–18	07 अगस्त, 2018 पूर्वाह्न 11:00 बजे	सीआइएल, 6/6, स्कोप कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली	1. श्री गोपाल सिंह, सदस्य एवं अध्यक्ष 2. श्री ए. वी. के. राव सीआईएल के प्रतिनिधि	शून्य

नोट : विगत तीन वर्षों में सम्पन्न आम बैठकों में डाक द्वारा मतदान के माध्यम से कोई भी विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया।

4. प्रत्यक्षीकरण (डिसक्लोजर)

संबंधित पार्टी के लेन–देन

कंपनी के निदेशकों द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्षीकरण के अनुसार, सम्बद्ध पार्टियों से ऐसा कोई लेन–देन नहीं किया गया जिससे व्यापक रूप से कंपनी के हित को कोई हानि पहुँचती हो।

निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आचार संहिता

दिनांक 02.07.2008 को निदेषक मंडल की 348वीं बैठक में निदेषकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आचार संहिता बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे सीसीसल की वेबसाइट www.centralcoalfields.in पर अपलोड किया गया है। मार्च 2018 को समाप्त वर्ष तक आचार संहिता की प्राप्ति रसीद एवं उसके अनुपालन संबंधी स्वीकारोक्ति प्राप्त की जा चुकी है।

सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 1992 एवं 2008 में किए गए संशोधन के विनियम 12(1) के अनुसरण में इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आचार–संहिता।

मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)/कम्पनी सचिव, सीआईएल के कार्यालय आदेश सं. सीआईएल : IX(घ) : 04007 : 2010 : 1856 दिनांक 30.11/01.12.2010 के संदर्भ में सेबी (इनसाइडर/ट्रेडिंग का निषेध) विनियम 1992 एवं 2008 में किए गए संशोधन के विनि. 12(1) के संदर्भ में इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आचार–संहिता, कम्पनी के पदासीन कर्मचारियों के बीच परिचालित किया गया है जिसमें कम्पनी के निदेशकगण, मुख्य सतर्कता अधिकारी, सभी कार्यकारी निदेशकगणों, सभी मुख्य महाप्रबंधकों और महाप्रबंधक तथा कम्पनी के निर्दिष्ट विभागों में कार्य कर रहे सभी अधिकारियों को शामिल है।

शक्ति प्रत्यायोजन (डी. ओ. पी.)

दिनांक 11.05.2010 को हुई निदेशक मंडल की 367वीं बैठक में अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक तथा निदेशक मंडल के अधिकार संशोधित किए गए। केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीसीएल के निर्देश के अनुसार सीसीएल की वेबसाइट www.centralcoalfields.in पर डीओपी अपलोड किया गया है। कार्यकारी निदेशकों का डीओपी तथा क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधकों का डीओपी संशोधित किया गया तथा दिनांक 24.01.2012 को हुई बोर्ड की 384वीं बैठक में सूचना के रूप में प्रस्तुत किया गया। दिनांक 31.10.2015 को हुई 418वीं बैठक में बोर्ड ने विभागीय निदेशकों के विनिर्दिष्ट/अनुबंधित अनुबंध के मात्रा के संदर्भ में डीओपी का संशोधन किया गया। दिनांक 04.02.2016 को हुए 421वीं बोर्ड की बैठक में कार्यकारी निदेशक (सतर्कता)/मुख्य सतर्कता अधिकारी का संशोधित डीओपी सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया और इसे सीसीएल के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। आगे पिपरवार तथा मगध आम्रपाली क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधकों/महाप्रबंधकों के पूंजी/राजस्व निर्माण के डीओपी में वृद्धि की गई है और इसे दिनांक 15/16.03.2016 को हुई 422वीं बोर्ड की बैठक में सूचना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 24/25.08.2016 को हुई 429वीं बोर्ड की बैठक में क्षेत्रों एवं केन्द्रीय कर्मशाला, बरकाकाना के मुख्य महाप्रबंधकों/महाप्रबंधकों के संशोधित वर्तमान डीओपी में संशोधन को सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया।

लेखा व्यवहार

कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत प्रस्तुतिकरण करते हुए वांछित एवं संगत अपेक्षाओं तथा कम्पनी में लागू बाध्यकारी लेखा मापदंडों के अनुरूप ही वित्तीय विवरणियों को तैयार किया गया है।

जोखिम प्रबंधन

व्यवसायिक रणनीति के तहत जोखिम को चिन्हित करने, मूल्यांकन एवं संगठन के विभिन्न कार्य–संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में जोखिम कम करने संबंधी प्रक्रियात्मक कार्यों पर समुचित ध्यान दिया जाता है। आन्तरिक एवं बाह्य कारणों से सन्निहित संभावित जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है तथा जोखिम पर प्रभावपूर्ण तरीके से काबू पाने हेतु जोखिम के विरूद्ध बनाई गई नीति एवं प्रणाली के माध्यम से आवश्यक निरोधात्मक कदम उठाए जाते हैं।

5. संचार–व्यवस्था के साधन

कम्पनी का संचालन और वित्तीय निष्पादन प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों और स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। उपरोक्त के अलावा कम्पनी की वेबसाइट में वित्तीय परिणाम प्रदर्शित किया जाता है।

6. अंकेक्षण की अर्हता

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु कम्पनी लेखा पर सांविधिक अंकेक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर की विवरणियों को निदेशकों की रिपोर्ट में परिशिष्ट के रूप में प्रदर्शित किया गया है। 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम 2013 के सेक्शन के 143(6)(बी) के अन्तर्गत सीसीएल की वित्तीय विवरणों पर भारत के सीएजी के टिप्पणी को भी संलग्न किया गया है।

7. बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण

विशेषज्ञता एवं अनुभव आधार पर कार्यकारी निदेशकगण अपने कार्यात्मक क्षेत्र के प्रमुख होते हैं तथा कंपनी के साथ–साथ कम्पनी के व्यवसाय के जाखिम प्रोफाइल के बारे में भी जानकारी रखते हैं। अंशकालीन निदेशकगण, कंपनी के व्यापार मॉडल की पूर्ण जानकारी रखते हैं। कम्पनी

के व्यवसाय के जोखिम प्रोफाइल को बोर्ड के द्वारा पूरी तरह से परिभाषित किया गया है तथा बोर्ड सदस्यों को समय–समय पर इसके बारे में जानकारी दी जाती रहती है।

8. अंशकालिक निदेशकों के मूल्यांकन के लिए तंत्र

कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया लिमिटेड (नियंत्रक कंपनी) का प्रतिनिधित्व करने वाले अंशकालिक निदेशकगणों के प्रदर्शन का मूल्यांकन उनके संबंधित नियमों के अनुसार किया जाता है। अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशकगणों की बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए कोयला मंत्रालय और लोक उपक्रम विभाग के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा चयन किया जाता है। आम तौर पर नियुक्ति तीन वर्षों के कार्यकाल के लिए की जाती है।

9. व्हीसिल ब्लोअर नीति

कोल इंडिया की व्हीसिल ब्लोअर नीति, 2011 कोल इंडिया के द्वारा अनुमोदित है और यह अपनी सभी सहायक कंपनियों के लिए लागू है। इसके अलावा पीएसयू होने के नाते कंपनी का रिकार्ड सीएजी और सतर्कता/सीबीआई के द्वारा जांच के लिए उपलब्ध है। आपकी कंपनी में एक स्वतंत्र सतर्कता विभाग है जिसके प्रमुख, मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। सतर्कता विभाग, केन्द्रीय सतर्कता कमीशन के समग्र मार्गदर्शन के तहत कार्य करता है तथा मुख्य रूप से निवारक सतर्कता पर जोर देता है।

10. वफादारी संधि

दिनांक 11.08.2008 को नई दिल्ली में आपकी कंपनी तथा ट्रांसपेरेंसी इन्टरनेशनल इंडिया के बीच इंटीग्रिटी के कार्यान्वयन हेतु एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। दिनांक 23/08/2008 को संपन्न बोर्ड की 350वीं बोर्ड के समक्ष सूचना हेतु उक्त ज्ञापन–समझौता को प्रस्तुत किया गया।

11. कंपनी द्वारा अनुपालन

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन के अनुसरण में तिमाही अनुपालन रिपोर्ट नई दिल्ली स्थित कोयला मंत्रालय एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के विभाग तथा भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रमों के मंत्रालय को भेजी गई है।

12. यू.एन. ग्लोबल काम्पेक्ट

ग्लोबल काम्पेक्ट, कारोबार के लिए तैयार एक ऐसी व्यवस्था है जो कारोबार तथा इसकी रणनीतियों में सुधार लाने हेतु सर्वमान्य 10 सिद्धांतों के माध्यम से मानवाधिकार, श्रम, पर्यावरण तथा भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए सदा प्रयासरत रहती है। विश्व के सबसे बड़े ग्लोबल कॉरपोरेट सिटीजन के रूप में कार्यरत, ग्लोबल काम्पेक्ट पहली संस्था है जो किसी भी उद्योग के कारोबार तथा विपणन को व्यापक रूप से सामाजिक आवश्यकता के अनुरूप मान्यता तथा विस्तार दिलाने का प्रयास करती है। विश्व स्तर की कंपनियाँ, यू. एन. ग्लोबल की सदस्य बनी हुई है। निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) में प्रदर्शन के आधार पर, सीसीएल वर्ष 2009 से यू. एन. ग्लोबल काम्पेक्ट की सदस्य बनी हुई है। तदोपरांत बिजनेस एक्सीलेंस के सिद्धांतों के अनुप्रयोग से कंपनी के सीएसआर गतिविधियों में वृद्धि हुआ है और इस प्रकार सीएसआर एक मुख्य व्यवसाय विधि बन गई है। सामाजिक लक्ष्यों की अग्रिम सीमा के लिए सीसीएल ने नीतिगत कार्रवाई की है, जैसे यूएन संपोषित विकास लक्ष्यों के साथ उन्नयन पर विशेष जोर दिया गया है।

अपने कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों एवं झारखंड के लोगों का सीसीएल को मिनीरत्न बनना ''एक सपना सच होने के समान है''। सीसीएल झारखंड की सबसे बड़ी कम्पनी है जिसके कमांड क्षेत्रों के आसपास रहने वाले समुदायों का उनके साथ गहरा बंधन है। यह भारत के खनन उद्योग में अद्वितीय है, समाज से इस कंपनी को पूरा समर्थन है। झारखंड के आठ जिलों में सीसीएल की उपस्थिति न केवल राज्य की औद्योगिक ताकत (झारखंड का गहना) का प्रतीक है, बल्कि राज्य के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को भी दर्शाता है।

एसडीजी के सूचीबद्ध क्षेत्र में सीसीएल अपनी सीएसआर गतिविधियों संरेखित करके संयुक्त राष्ट्र संपोषित विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आपकी कंपनी द्वारा चलाई गई कुछ विशेष सीएसआर योजनाओं में स्वच्छ भारत अभियान, सीसीएल के लाल/लाडली, कोयला खनन क्षेत्रों में पेयजल परियोजना, सीसीएल के कमांड क्षेत्रों में कौशल विकास केन्द्र, जे. एस. एस. पी. एस. द्वारा संचालित स्पोर्टस एकेडमी, होटवार, स्वच्छ विद्यालय अभियान, बर्फ से आच्छादित पर्वतों पर स्वच्छ भारत अभियान इत्यादि। सीसीएल के सीएसआर कार्यकलाप से, इसके कमान क्षेत्रों में रहनेवाले लोगों का, सरकारी प्रशासन, मीडिया और अन्य हितधारकों के बीच कंपनी के प्रति अच्छी छवि के निर्माण में सहायता मिली है। आपकी कंपनी को सीएसआर कार्यकलापों के लिए संसदीय श्रम समिति, भारत ग्लोबल काम्पेक्ट सोसाइटी, सीएजी ऑडिट तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ईएसी से भी सराहना मिली है।

अनुलग्नक – 1ए

निदेशकों के पार्श्वदृश्य

दिनांक 31.03.2019 को सीसीएल के निदेशक मंडल में अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, निदेशक (तक./सं.), निदेशक (वित्त), निदेशक (कार्मिक), निदेशक (तक./परि. एवं यो.), दो अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, दो स्थायी आमंत्रित–एक पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर के मुख्य संचालन प्रबंधक एवं एक सचिव, खान एवं भूगर्भ विभाग, झारखंड सरकार, रांची हैं।

सभी निदेशकों का संक्षिप्त परिचय, उनकी शैक्षणिक योग्यता, कार्य–क्षेत्र, अनुभव एवं विशेषज्ञता, व्यवसायिक संस्थाओं में उनकी सदस्यता, अन्य कम्पनियों में अध्यक्षकीय/निदेशकीय पद इत्यादि निम्नांकित हैं :

कार्यकारी निदेशकगण

श्री गोपाल सिंह : अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

श्री गोपाल सिंह, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के रूप में मार्च, 2012 से सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड (सीसीएल) का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री सिंह ने वर्ष 1982 में 'भारतीय खनि विद्यापीठ' (आई.एस.एम.), धनबाद से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। ओपनकास्ट माइनिंग में एम.टेक. और वित्त विशेषज्ञता के साथ वह एम.बी.ए. भी हैं। वर्तमान में वह बी.आई.टी.,मेसरा में शोधकर्म कर रहे हैं ।

उनकी चैतन्य योजना क्षमता, समन्वयता एवं सूक्ष्मदर्शिता के परिणामस्वरूप सीसीएल का भाग्योदय हुआ । उन्होंने झारखंड की मौजूदा सामाजिक, आर्थिक स्थिति का संज्ञान लेते हुए कंपनी की प्राथमिकताओं को पुनः परिभाषित किया। यह समग्रतः प्रशासनिक कायाकल्प मॉडल के रूप में ख्यात समावेशी विकास के दृष्टिकोण पर केन्द्रित है । कायाकल्प मॉडल पारदर्शी, निष्पक्ष और लोकोपकारिक दृष्टिकोण के साथ टीम गठन, हितधारकों के प्रोत्साहन एवं अधीनस्थों के विकास हेतु एकतंत्रीय नियंत्रण,गहन प्रशिक्षण और लोकतांत्रिक योजना पर आधारित है ।

वह लोक–हितैषी हैं और वह समाज के वंचित वर्गों के जीवन–स्तर में सुधार हेतु सामाजिक कार्यों में गहरी रूचि लेतें हैं । उनके नेतृत्व में सीसीएल ने 'सीसीएल के लाल' और 'सीसीएल की लाडली', 'कायाकल्प पब्लिक स्कूल', 'बीपीएल अस्पताल', 'आईटीआई, भुरकुंडा', 'मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर' एवं होटवार में विश्व–स्तरीय स्पोर्ट्स अकादमी, जैसे कई अग्रणी सी.एस.आर. कार्यक्रमों की शुरूआत की गई है ।

श्री सिंह सीसीएल को एक "शून्य शिकायत कंपनी" बनाने के लिए प्रयासरत हैं । इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समाधान केन्द्रों (केन्द्रीयकृत शिकायत निवारण केंद्र) की स्थापना की गयी है, जो सीसीएल मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य कर रहें है ।

इन पहलों के परिणामस्वरूप सीसीएल में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं : 6 हरित–पट्टी कोयला खनन परियोजनाओं एवं 2 विलंबित रेलवे परियोजनाओं की कमीशनिंग कर ली गई है, जिसका कोयला उद्योग में अन्य कोई समकक्ष नहीं है। इसमें मेगा प्रोजेक्ट ऑफ मगध ओसी (51/70 मि.ट. – एशिया की सबसे बड़ी प्रस्तावित कोयले की खान) और आम्रपाली ओसी (25/35 मि.ट.) शामिल है।

कोयला उद्योग के प्रति उनके असाधारण योगदान के लिए श्री सिंह को कई पुरस्कार मिलें हैं । श्री सिंह एम.जी.एम.आई., आई.ई.आई., आई.एम.ई.जे. जैसे कई व्यावसायिक संस्थानों से भी जुड़े हैं । वर्ष 1998 में, उन्होंने कोलम्बो योजना के अंतर्गत जापान में प्रशिक्षण प्राप्त किया और वरीय प्रबंधकों की टीम का नेतृत्व चीन, अमेरिका और ब्रिटेन में किया। उनकी सक्षम दूरदृष्टि और मार्गदर्शन में कंपनी देश में कोयले की मांग को पूरा करने के लिए तत्पर है ।

श्री दीपक कुमार घोष : निदेशक (वित्त)

श्री दीपक कुमार घोष ने निदेशक (वित्त) का पदभार सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में 6 जुलाई 2013 को ग्रहण किया। इन्होंने कोयला उद्योग में विशेषतः इसीएल एवं सीसीएल में लगभग 37 वर्षों से वित्त क्षेत्र में विभिन्न पदों पर अपना योगदान दिया है।

इनका जन्म 1959 में कोलकाता में हुआ और कोलकाता विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि ली। इन्होंने अपनी व्यवसायिक योग्यताएँ, इन्स्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया तथा इन्स्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया से प्राप्त किया है।

कॉरपोरेट फाइनान्स, कॉस्टिंग, बजट एवं कंट्रोल के क्षेत्र में अग्रणी होने के अलावा उन्हें प्रणाली विभाग की जिम्मेदारी 27 जनवरी, 2014 को सौंपी गई है। उन्हें पुनः दिनांक 01 जुलाई, 2014 से प्रभावी, निदेशक प्रभारी (विक्रय एवं विपणन) का भी पदभार सौंपा गया है।

उनके नेतृत्व में कम्पनी ने वित्तीय परिणामों एवं विक्रय क्षमता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उनके कुशल दिशा एवं नेतृत्व में प्रणाली विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे नई पहल की है।

श्री भोला सिंह : निदेशक (तकनीकी/परियोजना एवं योजना)

सीसीएल के निदेशक (तक.) के पद पर श्री भोला सिंह ने 15 जनवरी, 2019 को योगदान किया। जनवरी 1964 में जन्में, श्री सिंह, ने खनन प्रौद्योगिकी में आई. आई. टी. खड़गपुर से बी. टेक. (ऑनर्स) की उपाधि ग्रहण की। श्री सिंह एक प्रोफेशनल खनन अभियंता हैं। उन्हें 32 वर्षों का सरकारी और गैर–सरकारी संस्थानों में कार्य करने का अनुभव है।

श्री भोला सिंह ने अपने कैरियर की शुरूआत 1987 में नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) के स्नातक अभियंता प्रशिक्षु के रूप में की। एनसीएल में कैरियर के प्रारंभिक चरण में कार्य करने का लाभ उन्हें यह हुआ कि एक प्रोफेशनल के तौर पर उत्पादन, उत्पादकता, सुरक्षा, पर्यावरण एवं समग्र खान प्रबंधन में उन्होंने उत्कृष्टता प्राप्त की। एनसीएल के खानों में श्री सिंह ने कास्ट–ब्लास्टिंग एवं पर्यावरणानुकूल इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेशन का भी शुभारंभ किया। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में ब्लास्टिंग एवं रॉक फ्रैगमेंटेशन पर उनके कई तकनीकी आलेख प्रकाशित हुए हैं।

2008 में श्री भोला सिंह ने छत्तीसगढ़ में एक ग्रीन फील्ड खनन परियोजना के प्रमुख के रूप में एइएस (यूएसए आधारित एमएनसी) में योगदान दिया। इसके पश्चात् उन्हें ओडिशा पावर जेनरेशन निगम (ओपीजीसी) को आवंटित मनोहरपुर कोल ब्लॉक के लिए काम करने का अवसर मिला।

सीसीएल में योगदान से पहले, श्री सिंह को सासन पावर लिमिटेड में परियोजना निदेशक के रूप में कार्य करने का श्रेय प्राप्त है। यह देश का प्रथम अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (6X660 मे.वा.) है जिसकी आवश्यकताएं सिंगरौली, मध्य प्रदेश में स्थित, एक अत्यधिक मशीनीकृत मोहेर एवं मोहेर अमलोरी एक्सटेंशन कोयला खनन परियोजना द्वारा पूरी होती थी। संचालन प्रमुख के रूप में, सतत ऊर्जा उत्पादन हेतु कोयले की गुणवत्तात्मक एवं मात्रात्मक लक्ष्य की प्राप्ति श्री सिंह की जवाबदेही थी। उन्हें 7 राज्यों के 40 मिलियन ग्राहकों को विश्व की सबसे सस्ती दर पर बिजली पहुंचाने की दुर्लभ उपलब्धि प्राप्त है। अपने कार्यकाल के दौरान, उक्त खनन परियोजना ने कई नए मानक स्थापित किए तथा वर्ष 2017 में भारत के माननीय राष्ट्रपति के कर कमलों से उन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त हुआ।

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड को श्री सिंह के वृत्तिक कौशल एवं तकनीकी विशेषज्ञता से अत्यधिक लाभ मिलेगा। अपने नेतृत्व कौशल, सुगम सम्प्रेषण, टीम वर्क एवं सकारात्मक दृष्टिकोण से वह इस संस्था को सर्वाधिक लाभदायक पथ एवं उत्कृष्टता की ओर ले जाने हेतु प्रवृत हैं।

श्री राधाश्याम महापात्र : निदेशक (कार्मिक)

श्री राधाश्याम महापात्र ने सीसीएल के निदेशक (कार्मिक) का पदभार 8 जून, 2015 को ग्रहण किया। सीसीएल में निदेशक (कार्मिक) बनने से पहले इनका अनुभव ऊर्जा, तेल और कोयला उद्योगों में विभिन्न पदों पर रहते हुए कार्य करने का है। श्री आर. एस. महापात्र ने विभिन्न प्रकार के उच्च दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है जैसे कि, महाप्रबंधक (कार्मिक–औ.सं. एवं भर्ती), सीसीएल, सहायक महाप्रबंधक(मानव संसाधन), ईआईएल तथा वरीय प्रबंधक (मानव संसाधन), एनएचपीसी। इन्होंने खाल्लीकोट कॉलेज, बेहरामपुर, ओडिसा से भौतिक शास्त्र में स्नातक और स्नात्तकोत्तर की उपाधि कार्मिक प्रबंधन और औद्योगिक संबंध और श्रमिक कल्याण में प्राप्त की। श्री महापात्र ने मानव संसाधन कार्यों, लाइजन और कॉर्डिनेशन के जैसे कई क्षेत्रों में कार्य किया है। एनएचपीसी, ईआईएल और सीसीएल, राँची में कार्यकाल के दौरान इन्होंने उत्पादक कार्य संस्कृति की शुरूआत की। विभिन्न सरकारी उपक्रमों में अपने कार्य–काल के दौरान मानव संसाधन, राजभाषा तथा पर्यावरण के क्षेत्र में इन्हें अनेकों पुरस्कार दिये गये हैं।

श्री महापात्र ने जून, 2015 से निदेशक (कार्मिक) के पद पर रहते हुये औद्योगिक सम्बन्ध, कल्याण एवं निगमित सामाजिक दायित्व के क्षेत्र में अपनी पहल के कारण मानव संसाधन कार्यों में एक आदर्श परिवर्तन किया है, जिसकी वजह से कम्पनी की छवि काफी अच्छी हुई है तथा कम्पनी को ख्याति प्राप्त हुआ है। इन्होंने कोल इण्डिया द्वारा प्रायोजित ''एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एण्ड ऑर्गनाइजेशनल कल्चर'' पर आधारित उन्नत प्रबन्धन कार्यक्रम में जर्मनी तथा स्वीडन से प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

मानव संसाधन एवं निगमित सामाजिक दायित्व के क्षेत्र में इनके सक्षम मार्ग–दर्शन एवं योगदान के कारण, सीसीएल को ग्रीनटेक फाउन्डेशन द्वारा नियुक्ति में नवीन पहल के लिए – ''ग्रीनटेक एचआर गोल्ड अवार्ड'', ''एक्सीलेंस इन सीएसआर'' अवार्ड तथा ''एचआर एण्ड लीडरशिप अवार्ड'' 2016 दिया गया है।

श्री महापात्र उत्पादकता में सुधार, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी में विशेष रूची रखते हैं। ये प्रशासन को दायित्वपूर्ण और समाज की आशा–आवश्यकताओं के अनुरूप बनने के लिए समर्पित रूप से सुधारात्मक कार्य करते रहे हैं। पारदर्शिता एवं नेतृत्व के साथ टीमवर्क में विश्वास इनकी विशिष्टता है।

श्री वी. के. श्रीवास्तव : निदेशक (तकनीकी–संचालन)

श्री वी. के. श्रीवास्तव ने 1984 में आईटी–बीएचयू से खनन प्रौद्योगिकी में स्नातक उतीर्ण किया एवं तत्पश्चात् अमलोई कोलियरी, सोहागपुर एरिया, एसईसीएल में जेईटी (खनन) के रूप में योगदान दिया। उन्होंने 1988 में प्रथम श्रेणी खनन प्रबंधक का प्रमाणपत्र प्राप्त किया। एसईसीएल एवं ईसीएल के अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठित पदों पर अपनी जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। तत्पश्चात, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) के प्रतिष्ठित पद पर उन्होंने योगदान दिया।

भूमिगत खदान के साथ–साथ खुली खदान में खनन संचालन का उन्हें विस्तृत अनुभव प्राप्त है तथा उन्हें कठिन खनन समस्याओं के सरल समाधान की दक्षता प्राप्त है। एसईसीएल के बंगवार, पवन इन्क्लाइन, देवा इन्क्लाइन एवं सिंधुगढ़ परियोजना के प्रारंभ में उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान रहा है। वह अपने स्वभाव में विनम्र, सुलभ और मिलनसार हैं।

अंशकालिक/नामित निदेशक

श्री आशीष उपाध्याय, आईएएस : सरकार नामित निदेशक

श्री आशीष उपाध्याय 1989 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। संत जॉन कॉलेज, आगरा से मध्यकालीन भारतीय इतिहास में स्नातकोत्तर करने के पश्चात् इन्होंने सिविल सेवा में योगदान दिया तथा मध्य प्रदेश राज्य सरकार में 28 वर्षों से अधिक अवधि तक विभिन्न क्षमताओं में अपनी सेवाएँ प्रदान की हैं जिसमें अनुपुर, शाहडोल तथा उमरिया के कोयला धारित क्षेत्रों में अतिरिक्त जिला समाहर्ता के रूप में कार्य अवधि शामिल है। ये मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के तीन जिलों में पाँच वर्षों के अधिक समय के लिए समाहर्ता रहे हैं।

इन्होंने राज्य स्तर पर सचिव तथा मुख्य सचिव के रूप में विभिन्न विभागों जिनमें गृह, उच्चशिक्षा तथा वित्त शामिल हैं, कई वर्षों तक अपनी सेवा प्रदान की हैं।

ये अकादमिक रूझान वाले व्यक्ति हैं तथा सेवा में रहते हुए इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्ति जारी रखी तथा अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर एवं कानून (एलएलबी) की शिक्षा पूरी की। इन्होंने सिराकस विश्वविद्यालय, यूएसए के अंतर्गत मैक्सवेल स्कूल ऑफ सिटिजनशीप से पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री भी पूरा किया।

ये 01 फरवरी, 2018 से कोयला मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्य कर रहे हैं तथा इन्हें दिनांक 05 फरवरी, 2018 से सीसीएल बोर्ड में नामित किया गया है। संयुक्त सचिव, कोयला के रूप में कार्य करते हुए, कोयले के अवैध खनन के खतरे को रोकने हेतु स्पेस तकनीक के अनुप्रयोग द्वारा प्रणाली विकसित करने में, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

श्री आर.पी.श्रीवास्तव, निदेशक (कार्मिक एवं औ.सं.), सीआईएल नामित निदेशक

श्री आर.पी.श्रीवास्तव ने 31.01.2018 को कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक (कार्मिक और औद्योगिक संबंध) का प्रभार ग्रहण किया। इससे पहले वह राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम के कार्मिक निदेशालय में कार्यकारी निदेशक (कॉरपोरेट सेवा) रहे । भारत के उत्कृष्ट संस्थानों में से एक एमडीआई गुड़गांव से उन्होंने प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा लिया ।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड(सेल) द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतिस्पर्धी परीक्षा के माध्यम चयनित होने के पश्चात श्री आर.पी.श्रीवास्तव ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के मानव संसाधन विभाग में प्रबंधन प्रशिक्षु (प्रशासन) के रूप में 34 साल पहले की।

आरआईएनएल में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए , उन्हें मानव संसाधन के कई कार्यों के कार्यान्वयन की क्रियान्वयन का श्रेय दिया जाता है । वह संगठन के मानव संसाधन प्रबंधन कार्यों में व्यवस्थित प्रशासन हेतु संगठनात्मक आवश्यकताओं और कर्मचारियों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भिन्न नीतियों, दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। श्री श्रीवास्तव ने सदैव कोशिश की कि आरआईएनएल के कर्मचारियों को सुखकर वातावरण मिले,साथ ही साथ उनके विकास के लिए कार्मिक नीतियों को अद्यतन करने और सूत्रित करने का प्रयास तो किया ही, साथ ही साथ संगठन हित को भी ध्यान में रखा।

वह अधिगम एवं विकास अवधारणा में विशेषज्ञ हैं तथा आरआईएनएलध्वीएसपी में ज्ञान प्रबंधन एवं संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की अवधारणा के अग्रदूत हैं। उन्होंने एचआर योजना, भर्ती और चयन, कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विकास, राजभाषा कार्यान्वयन, औद्योगिक संबंध, मजदूरी और वेतन प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह मुख्य रूप से कर्मचारियों के बीच वांछित मानसिकता को उत्पन्न करने के लिए कई तदनुकूल संचार अभ्यास और विश्वास विनिर्माण युक्तिओं ध् सत्रों के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों को करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कंपनी के नाटकीय बदलाव आया ।

समाजिक निगमित उत्तरदायित्व ,स्वच्छ भारत, सामरिक प्रबंधन मुद्दे, ,नागरी प्रबंधन, भूमि और संपत्ति मामले, विस्थापित व्यक्तियों (परियोजना प्रभावित व्यक्तियों) के कल्याण, राष्ट्रपति के निर्देशों के कार्यान्वयन और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं सहित कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनका समर्पित योगदान रहा है ।

श्री आर.पी.श्रीवास्तव,निदेशक (का.ध्औ.सं.),सीआईएल को सीसीएल बोर्ड के अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्ति दिनांक : 19.02.2018 से श्री चन्दन कुमार डे निदेशक (वित्त), सीआईएल के स्थान पर की गयी ।

गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशकगण

श्री भारत भूषण गोयल

श्री भारत भूषण गोयल, भूतपूर्व नौकरशाह हैं जो 30 जून, 2015 में अतिरिक्त मुख्य सलाहकार (कॉस्ट), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और इंडियन कॉस्ट अकाउंट्स सर्विस के प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए।

27 जून, 1955 में पंजाब के संगरूर में जन्में, इन्होंने कॉमर्स में स्नातक करके अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर किया। ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य और एआईएमए और डीएमए के आजीवन सदस्य हैं। इन्होंने स्ट्रेथक्लिड विश्वविद्यालय, यू. के., इन्टरनेशनल लॉ इंस्टीट्यूट, यूएसए और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, बैंगलोर से विशेष प्रशिक्षण लिया है।

इन्हें भारत सरकार और कॉर्पोरेट सेक्टर में लगभग 41 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव है। भारत सरकार में इन्होंने विभिन्न मंत्रालय/विभागों में विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया है जिसमें वित्त, कॉर्पोरेट अफेयर्स, उद्योग, रसायन एवं खाद्य इत्यादि प्रमुख हैं।

वर्तमान में श्री गोयल रामागुडम फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के पद पर तथा आई. सी. ए. आई. के मैनेजमेंट अकाउन्टिंग रिसर्च फाउन्डेशन में सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। वे विभिन्न कार्यों को संभाल रहे हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण, भारतीय रेलवे में प्रदर्शन लागत प्रणाली को तैयार करना है।

इनके पास पब्लिक पॉलिसी, वित्तीय प्रबधंन, कॉर्पोरेट मूल्यांकन, विनिवेश, लागत–लाभ विश्लेषण, व्यवसाय पुनर्गठन, प्रभावी नियामक परिदृश्य, लागत प्रबंधन, उत्पादक मूल्य निर्धारण, जोखिम आधारित अंकेक्षण, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व आदि वृहद क्षेत्रों में व्यवसायिक विशेषज्ञता है।

ये कई उच्च स्तरीय राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्था/कमिटी के अध्यक्ष/सदस्य रह चुके हैं और कई कंपनियों, संस्थाओं और स्वायत्त संगठनों के बोर्ड सदस्य रहें जहाँ इन्होंने मूल्यवान योगदान दिया।

इन्होंने विभिन्न समसामायिकी विषयों पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय फोरम पर पेपर/वक्तव्य दिये हैं। ये कई शीर्षस्थ बी–स्कूलों, व्यवसायिक संस्थाओं, अकादमिक संस्थाओं, शोध संस्थाओं और कॉर्पोरेट जगत के साथ प्राध्यापक/विशेषज्ञ के रूप में जुड़े रहे हैं।

श्री सुभाउ कश्यप,

एमबीबीएस

स्थाई आमंत्रित

श्री सलिल कुमार झा

मुख्य संचालन प्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे

श्री एस. के. वर्णवाल

सचिव (खान एवं भूगर्भ), झारखंड सरकार

परिशिष्ट –II

कान्त सनत एण्ड एसोसिएट्स

कम्पनी सचिवालय

सेवा में
सदस्यगण
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
राँची

1. हमने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन संबंधी दी गई विवरणी की जाँच की, यद्यपि सूची में प्रदर्शित करार का अनुच्छेद–49 कम्पनी में लागू नहीं होता है। यह कम्पनी कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी इकाई है जो कि सूचीबद्ध है।
2. कॉरपोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबधंन की है। कॉरपोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु कम्पनी द्वारा स्वीकृत सीमा को देखते हुए हमारी यह जाँच उसकी प्रक्रिया तथा उसके क्रियान्वयन की जाँच तक ही सीमित थी। यह न तो अंकेक्षण और न ही कम्पनी के वित्तीय विवरणियों पर मंतव्य की अभिव्यक्ति है।
3. हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास तथा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार तथा निदेशकों एवं प्रबधन द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण के आधार पर हम यह प्रमाणित करते हैं कि कम्पनी ने कॉरपोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन किया है इस अपवाद के साथ कि, कम्पनी के निदेशकमंडल में किसी भी महिला निदेशक की नियुक्ति हुई है और पब्लिक उद्यम विभाग के निगमित प्रशासन पर उद्यम दिशानिर्देश के तहत गैर आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति, बोर्ड में गैर अधिकारिक अंशकालिक निदेशकों की संख्या 50 प्रतिशत होनी चाहिए, प्रतिवेदन अवधि के अंत में गैर अधिकारिक अंशकालिक निदेशकों की संख्या इस कम्पनी में 2 है।
4. हम पुनः यह भी प्रमाणित करते हैं कि ऐसा अनुपालन कम्पनी की भावी सक्षमता का न तो कोइ आश्वासन है और न यह दक्षता या प्रभावीकरण को दर्शाता है जिसके फलस्वरूप प्रबंधन ने कम्पनी के कार्यों का संचालन किया।

कृते कान्त सनत एण्ड एसोसिएट्स
ह./–
(सीएस सनत कुमार मिश्रा)
पार्टनर
(फर्म पंजीकृत संख्या : 8705)
सदस्य सं. : 17836

स्थान – राँची
दिनांक – 16 जुलाई, 2019

परिशिष्ट – III

फार्म सं–एमआर–3

सचिवीय लेखापरीक्षा प्रतिवदेन

(31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए)

(कम्पनी अधिनियम, 2013 क सेक्शन 204 (1) और
कम्पनी के नियुक्ति और क्षतिपूर्ति कार्मिक नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार)

सेवा में,

सदस्यगण,
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
दरभंगा हाउस, राँची
झारखण्ड

हमने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (इसके पश्चात "कंपनी" के रूप में संदर्भित) के सुनिगमित कार्यप्रणाली के अनुशीलन और लागू संविधिक प्रावधानों के अनुपालन की सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार आयोजित की गई कि हमें कॉर्पोरेट संचालन/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर हमारी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान किया गया।

कंपनी की देख–रेख में बही–खाते, कागजात,मिनट बुक्स,फार्म और दाखिल रिटर्न एवं अन्य रिकॉर्ड और उसके अधिकारियों,एजेंटों एवं सक्षम प्रतिनिधियों सचिवीय अंकेक्षण के दौरान द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर,हमने उसका सत्यापन किया और इन सब पर आधारित हम अपनी राय व्यक्त करते हैं कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों अनुपालन किया है और कंपनी के पास एक प्रकार से,एक सीमा तक उपयुक्त बोर्ड–प्रक्रियाएं एवं अनुपालन–तंत्र स्थान पर है और जिन्हें आगे की रिपोर्ट में विवृत किया जाएगा।

हमने सीसीएल के बही–खाते,कागजात,मिनट बुक्स, फॉर्मों और दाखिल रिटर्न तथा अन्य रिकॉर्ड की देख रेख में 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए जांच किया है जो प्रावधानों के अंतर्गत है :

1. कंपनी अधिनियम,2013 तथा अधीन नियम ।
2. प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम,1956 (एससीआरए) और अधीन बनाए गए नियम ।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम,1992 (सेबी एक्ट) के तहत निम्नलिखित शर्तें एवं दिशा निर्देश जारी किया गया है।
4. होल्डिंग कंपनी द्वारा निर्धारित भौतिकता के निर्धारण पर नीति ।
5. भारत के कम्पनी सचिवों का संस्थान द्वारा सचिवीय मानक 1 और 2 जारी किए गए हैं।
6. लोक उपक्रम विभाग,भारत सरकार के द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक लोक उपक्रमों के लिए निगमित प्रशासन के दिशानिर्देश।
7. बोर्ड के गठन के लिए कोयला मंत्रालय,भारत सरकार की अधिसूचना।

कम्पनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, उचित प्रणाली तैयार की गई है एवं विशिष्ट कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित किया गया है (लागू कानूनों की सूची अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न है)

संस्था के अंतर्नियम की उपधारा 4 के अंतर्गत कोल इंडिया लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जोकि कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 2 (71) के अंतर्गत एक पब्लिक कंपनी है अतः पब्लिक कंपनी के सभी प्रावधान इस पर लागू हैं।

झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड एक सहायक कम्पनी है जिसमें हमारे कम्पनी की 64 प्रतिशत इक्विटी भागीदारी है तथा कुल पूंजी 50 करोड़ रू. की है।

समीक्षा में अवधि के दौरान निदेशकमण्डल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के तहत किए गए थे।

वर्ष 2017 –18 की वार्षिक सामान्य बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1)में निर्दिष्ट की तुलना में कम समय पर सदस्यों से ली गई सहमति से किया गया।

धारा 134 (एफ) (ii) के अनुसार, निदेशकीय रिपोर्ट में सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर दिए गए हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने आम तौर पर अधिनियम, नियम, विनियम, दिशा–निर्देशों के प्रावधानों आदि का पालन किया है,

(क) भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 6 जून, 2008 के पत्र सं. 21/35/2005–एएसओ (iv) से कम्पनी के बोर्ड का पुनर्गठन किया है जिसमें 5 कार्यात्मक निदेशक, 5 गैर आधिकारिक निदेशक एवं 2 अंशकालिक निदेशक सरकार का का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस प्रकार कुल निदेशकों की संख्या 12 एवं 2 स्थायी आमंत्रित करते हैं जिसमें 1 पूर्व मध्य रेलवे से हैं और 1 अन्य सचिव खान और भूविज्ञान, झारखंड सरकार से हैं इसके अलावा सार्वजनिक उद्यम विभाग के निगमित शासन विधि के दिशानिर्देश के तौर पर बोर्ड में गैर आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों की संख्या बोर्ड के 50 प्रतिशत होना चाहिए, लेकिन

(i) वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंत में गठित मंडल में 9 निदेशक हैं, जिसमें 5 कार्यात्मक निदेशक, 2 सरकारी नामित निदेशक अंशकालिक के रूप में हैं तथा 2 गैर आधिकारिक अंशकालिक निदेशक हैं।

(ii) अभिलेख के अनुसार, स्थायी आमंत्रितों की उपस्थिति बहुत कम है।

(ख) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी को महिला निदेशक की नियुक्ति करने की आवश्यकता है।

(ग) कम्पनी को वर्ष के दौरान, सीएसआर गतिविधियों के लिए, 45.78 करोड. रू. खर्च करने की आवश्यकता थी लकिन वित्तीय वर्ष में 41.14 करोड़ रू. का वास्तविक सीएसआर व्यय दर्ज किया गया। 4.64 करोड़ रू. की कुल राशि सीएसआर गतिविधियों के प्रति, वर्ष के दौरान अव्ययित रहा।

हम आगे बयान करते हैं कि कम्पनी अभिलेख रखने और कानूनों के पालन प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने के प्रक्रिया में है, नियमों विनियमों और दिशानिर्देशों को निर्धारित किया गया है तथा कम्पनी ने पर्याप्त व्यवस्थाएं और प्रक्रियाएं हैं जिनसे कि कम्पनी के आकार और संचालन की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित की जा सकती है।

कृते कान्त सनत एण्ड एसोसिएट्स

ह./–

(सीएस सनत कुमार मिश्रा)

पार्टनर

(फर्म पंजीकृत संख्या : 8705)

सदस्य सं. : 17836

स्थान – राँची

दिनांक – 16 जुलाई, 2019

सचिवालयीन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अनुलग्नक – 1

1. माइन्स अधिनियम, 1952
2. माइन्स कंसेशन रूल, 1960
3. माइन्स रूल्स 1955
4. कोल माइन्स रेगुलेशंस 1957
5. कोल माइन्स कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1974
6. द माइंस रेस्क्यू रूल्स 1985
7. दो माइन्स वोकेशनल ट्रेनिंग रूल्स 1966
8. इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956
9. द एक्सप्लोसिव एक्ट 1884
10. एक्सप्लोसिव रूल्स 2008
11 कोल माइन्स पेंशन स्कीम 1998
12 पेमेंट ऑफ वेजेस (माइन्स) रूल्स 1956
13 कोल माइन्स प्रोविडेंट मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1948
14. माइन्स एंड मिनिरल्स (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट 1957
15 माइन्स (पोस्टिंग ऑफ एब्स्ट्रेक्टस) रूल्स 19 54
16. पेमेंट ऑफ अंधविश्वास वेजेस (माइन्स) रूल्स 1989
17. इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट (सर्वे) जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट (सर्वे) एंड जूनियर सर्वे रिक्रूटमेंट रूल्स 1990
18. द कॉल माइन्स पिट हेड बात रूल्स 1959
19. माइन्स क्रेचीज रूल्स 1966
20 इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर एंड इलेक्ट्रिशियन रिक्रूटमेंट रूल्स 1990
21 मेटरनिटी बेनिफिट रूल्स 1963
22 कोकिंग कोल माइन्स नेशनल नेशनलाइजेशन एक्ट 1972
23 कोल माइन्स नेशनलाइजेशन एक्ट 1973
24 कोल माइन्स नेशनलाइजेशन एक्ट 1993
25 द कोल माइन्स टेकिंग ओवर मैनेजमेंट एक्ट 1973
26 द कोल माइन्स स्पेशल प्रोविजंस सेकंड ऑर्डिनेंस 2014
27 द कोल माइन्स स्पेशल प्रोविजंस रूल्स 2014
28 द कोल वेयरिंग एरियाज एजुकेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957
29 द कोल माइन्स नेशनलाइजेशन प्रोविडेंट फंड पेंशन वेलफेयर रूल्स 1978
30 मेटालीफेरस माइन्स रेगुलेशंस 1961
31 माइनिंग लीजेज (मोडिफिकेशन ऑफ टर्म्स) रूल्स 2012

132 ऑक्शन बाई कंपीटेटिव मीनिंग ऑफ कोल माइन्स रूल्स 1956

33 कोल माइन्स एडवाइजरी बोर्ड रूल्स 1973

34 द एनवायरमेंट प्रोटक्शन एक्ट 1986

35 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947

36 पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936

37 ट्रेड यूनियन एक्ट 1926

38 वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923

39 हजार्ड्स वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंटद्य रूल्स 2008

40 जल (संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1974

41 वायु (संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1981

42 फैक्ट्री एक्ट 1948

43 द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948

44 द एम्पलाइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948

45 द इंप्लाइज प्रोविडेंटफंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952

46 पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965

47 द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972

48 द कांट्रैक्ट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986

49 द इंडस्ट्रियल एंप्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946

50 द एम्पलाइज कंपनसेशन 1923

51 द अप्रेंटिस एक्ट 1961

52 द इक्वल रैम्यूनरेशन 1976

53 कोलियरी कंट्रोल ऑर्डर 2000

54 कोलियरी कंट्रोल रूल्स 2004

55 सेक्सुअल हैरेसमेंट आफ (विमेन एक्ट वर्क प्लेस (प्रीवेंशन, प्रोहिवीशन एंड रिड्रेस्ड) एक्ट 2013

परिशिष्ट – 2

सेवा में,

सदस्यगण

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

समसामयिक तिथि के हमारे रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए –

1. सचिवीय अभिलेख के रख–रखाव की जिम्मेदारी कम्पनी प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय रिकार्ड्स के अंकेक्षण के आधार पर विचार व्यक्त करना है।

2. सचिवीय अभिलेखों के तथ्यों के सत्यता के बारे में संगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए हमने उपयुक्त अंकेक्षण कार्यों एव विधियों का अनुसरण किया है। टेस्ट बेसिस के आधार पर जाँच की गई है तथा यह सुनिश्चित किया गया है कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्यों का समावेश हो सके। हमें यह विश्वास है कि जिन प्रक्रिया एवं प्रथाओं को अनुसरण किया गया है, वह हमारे विचारों को संगत आधार देता है।

3. हमलोगों ने कंपनी के वित्तीय आंकड़े एवं बुक्स ऑफ अकाउन्ट्स की सत्यता एवं उपयुक्तता की जाँच नहीं की है।

4. जहाँ भी आवश्यकता हुई, हमने कानूनों, नियमों एवं अधिनियमों तथा घटनाओं के घटित होने इत्यादि के अनुपालन के संबद्ध प्रबंधन प्रतिनिधित्व को भी प्राप्त किया है।

5. निगम के शर्तों का अनुपालन तथा अन्य दूसरे लागू होने वाले कानून, नियम एवं अधिनियम, मानकों, ये सभी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण टेस्ट बेसिस के आधार पर विधियों की जाँच के कार्य तक सीमित था।

6. सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन न तो कंपनी की भावी सुगमता का आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संपादन किया है।

कृते कान्त सनत एण्ड एसोसिएट्स

ह./–

(सीएस सनत कुमार मिश्रा)

पार्टनर

(फर्म पंजीकृत संख्या : 8705)

स्थान – राँची

दिनांक – 16 जुलाई, 2019

सचिवीय लेखा परीक्षक के अवलोकन के प्रबंधन का जवाब

कंपनी अधिनियम–2013 की धारा 204 के अनुसार मेसर्स कान्त सनत एण्ड एसोसिएट्स को सेंट्रल कोल्फील्ड्स लिमिटेड,रांची के सचिवीय लेखा परीक्षण हेतु नियुक्त किया गया है। सचिवीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अवलोकन के सन्दर्भ में प्रबंधन का निम्नानुसार उत्तर दिया गया हैः

क्रम सं.	सचिवीय लेखा परीक्षक का अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
(क)	भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 6 जून, 2008 के पत्र सं. 21/35/2005–एएसओ (iv) से कम्पनी के बोर्ड का पुनर्गठन किया है जिसमें 5 कार्यात्मक निदेशक, 5 गैर आधिकारिक निदेशक एवं 2 अंशकालिक निदेशक सरकार का का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस प्रकार कुल निदेशकों की संख्या 12 एवं 2 स्थायी आमंत्रित करते हैं जिसमें 1 पूर्व मध्य रेलवे से हैं और 1 अन्य सचिव खान और भूविज्ञान, झारखंड सरकार से हैं इसके अलावा सार्वजनिक उद्यम विभाग के निगमित शासन विधि के दिशानिर्देश के तौर पर बोर्ड में गैर आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों की संख्या बोर्ड के 50 प्रतिशत होना चाहिए, लेकिन (i) वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंत में गठित मंडल में 9 निदेशक हैं, जिसमें 5 कार्यात्मक निदेशक, 2 सरकारी नामित निदेशक अंशकालिक के रूप में हैं तथा 2 गैर आधिकारिक अंशकालिक निदेशक है; (ii) अभिलेख के अनुसार, स्थायी आमंत्रितों की उपस्थिति बहुत कम है;	सरकारी कंपनी में सारे निदेशकों की नियुक्ति कोयला मंत्रालय द्वारा की जा रही है। हालांकि, 10 जुलाई के एमओसी, भारत सरकार के एक पत्र की प्राप्ति हुई है जिसकी पत्र संख्या 21/33/2018–बीए (भाग II) (ii) के द्वारा माननीय राष्ट्रपति की मंजूरी से 3 गैर आधिकारिक अंशकालिक निदेशक की नियुक्ति अधिसूचना की तिथि से 3 साल के लिए सीसीएल बोर्ड में की गई है। इसके अलावा, अधिसूचना एवं एजेंडा पेपर सभी मंडल सदस्यों एवं स्थायी आमंत्रित सहित को भेजा गया है।
(ख)	अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी को महिला निदेशक की नियुक्ति करने की आवश्यकता है;	
(ग)	कम्पनी को वर्ष के दौरान, सीएसआर गतिविधियों के लिए, 45.78 करोड़ रू. खर्च करने की आवश्यकता थी लकिन वित्तीय वर्ष में 41.14 करोड़ रू. का वास्तविक सीएसआर व्यय दर्ज किया गया। 4.64 करोड़ रू. की कुल राशि सीएसआर गतिविधियों के प्रति, वर्ष के दौरान अव्ययित रहा	सीएसआर निधि के अव्ययित होने के कारण इस प्रकार हैं : 1. सरकारी एजेंसियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र, नियमित अनुनय के बावजूद प्राप्त नहीं किए जा रहे हैं। यह खातों की किताब में अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है। 2. सीएसआर प्रोजेक्ट को पहले से मंजूरी मिल गई थी पर जिन्हें किसी एक या अन्य किसी वजह से लागू नहीं किया जा सका है। इसलिए निधि को अव्ययित राशि के रूप में परिलक्षित किया गया है। इनके लिए प्रमुख कारण भूमि समस्या, एनओसी की अनुपलब्धता एवं हितधारकों द्वारा आदि हैं। 3. परियोजनाएं चालू प्रकृति के हैं जिन्हें अगले वित्त वर्ष तक जारी रखने की गुंजाइश है एवं व्यय के आगे के वर्षों बुक होने की संभावना है। अंतिम भुगतान/उपयोग प्रमाण पत्र के अभाव में आवंटित निधि को अव्ययित माना गया है।

परिशिष्ट – IV

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 के की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों, अधिनियम 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। ऐसा 11 जून 2019 की उनकी संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार उनके द्वारा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की तरफ से, 31 मार्च2019 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के तहत एक पूरक लेखा परीक्षा आयोजित की। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी कागजात के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया था और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और लेखांकन रिकॉर्ड की चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है। मेरे अंकेक्षण के आधार पर कुछ भी महत्वपूर्ण मेरी जानकारी में नहीं आया है जो वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी भी टिप्पणी या पूरक को जन्म देगा।

कृते एवं की ओर से,
भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक
ह./–
(मौसमी रॉय भट्टाचार्या)
मुख्य निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, ऑडिट बोर्ड – ।। कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 18 जून, 2019

परिशिष्ट – IV

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 के की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों को अधिनियम 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। ऐसा 11.06.2019 की उनकी संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार उनके द्वारा किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की तरफ से, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के तहत एक पूरक लेखा परीक्षा आयोजित की जिसमें समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड के स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरण शामिल हैं। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी कागजात के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया था और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्ष कों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और लेखांकन रिकॉर्ड की चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है। मेरे अंकेक्षण के आधार पर कुछ भी महत्वपूर्ण मेरी जानकारी में नहीं आया है जो वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी भी टिप्पणी या पूरक को जन्म देगा।

कृते एवं की ओर से,
भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक
ह./–
(मौसमी रॉय भट्टाचार्या)
मुख्य निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, ऑडिट बोर्ड – ।। कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 18 जून, 2019

निदेशकीय प्रतिवेदन के अंश के रूप में परिशिष्ट

(31.03.2019 को समाप्त वर्ष हेतु)

परिशिष्ट – V

चैप्टर XII के अनुसरण में नियम – 5 प्रबंधकीय कार्मिकों के नियुक्ति एवं पारिश्रमिक नियम, 2014 के अन्तर्गत सूचना

वर्ष 2018–19 के दौरान 01.02 करोड़ (एक करोड़ दो लाख रूपए) या उससे अधिक पारिश्रमिक पाने वाले कर्मचारियों की सूची'

क्र. सं.	नाम	विवरण	वर्ष के दौरान पारिश्रमिक (₹)	नियोजन का प्रकार स्थायी/अस्थायी	योग्यता	अनुभव (वर्ष में)
	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

वैसे कर्मचारी, जिन्होंने आलोच्य वर्ष (2018–19) के किसी भाग में 8.50 लाख रु.' (आठ लाख पचास हजार रु.) प्रतिमाह की दर से कम पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया

क्र. सं.	नाम	विवरण	वर्ष के दौरान पारिश्रमिक (₹)	नियोजन का प्रकार स्थायी/अस्थायी	योग्यता	अनुभव (वर्ष में)
	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिशिष्ट – *VI*

कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत जिसे कम्पनीज (एकाउन्ट्स) नियम 2014 की उप –कंडिका 3(ए) के नियम 8 के साथ पढ़ा जाए

ऊर्जा संरक्षण

(i) ऊर्जा संरक्षण के लिए 2018–19 में उठाये गये कदम और उनका प्रभाव

क. विद्युत ऊर्जा के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम निम्नवत हैं :

ए. अधिकतम मांग में कमी लाने के लिए लोड प्वायंटों पर कैपेसिटर बैंक की स्थापना।

बी. सतह पर सीधे प्रवाह के लिए बहु स्तरीय पंपिंग के जगह एकल स्तरीय पंपिंग का उपयोग।

सी. पारंपरिक लाइटों की जगह एलइडी लाइटों का प्रयोग।

डी. पुराने और अपलिखित विद्युतीय उपकरणों के स्थान पर ऊर्जा कुशल विद्युत उपकरणों का (5 स्टार रेटिंग) का उपयोग।

ख. इसका प्रभाव :

उपरोक्त तरीकों को अपनाने से –

ए. हमलोग विशिष्ट ऊर्जा खपत की कमी की प्रवृति को लगातार बरकरार रखे हुए हैं।

बी. डीवीसी वितरण के रिसिविंग प्वायंट पर पावर फैक्टर में सुधार। इसकी वजह से क्षेत्रों में कार्यरत विद्युतीय उपकरणों की कार्यक्षमता और उनकी आयु में वृद्धि हुई है।

(ii) कंपनी द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के लिए उठाये गये कदम

दिन में ऊर्जा की मांग को कम करने के लिए छतों पर सौर–पैनल हरित ऊर्जा को उत्पन्न करने हेतु लगाए गए हैं। मेसर्स भेल (BHEL) ने सफलतापूर्वक 400 केडब्ल्यूपी के सौर–ऊर्जा संयंत्र को सीसीएल मुख्यालय, दरभंगा हाउस के छत पर लगाया है। गाँधीनगर अस्पताल, सीआरएस बरका काना एवं कार्यकारी छात्रावास में 220 केडब्ल्यूपी, 125 केडब्ल्यूपी एवं 50 केडब्ल्यूपी कुल क्षमता का ग्रीड से जुड़े छत पर स्थापित सौर उर्जा संयंत्र का वर्क आर्डर दिया गया है और यह स्थापना के अधीन है। छत पर स्थित सौर परियोजनाओं के अलावे, सीसीएल ने मेसर्स एनटीपीसी पर 20 एमडब्ल्यूपी के सौर उर्जा संयंत्र का वर्क आर्डर दिया हुआ है। यह पिपरवार के आरएलएस सीएचपी/ सीपीपी के बल्ब क्षेत्र के भीतर 2019–20 में स्थापित होने की उम्मीद है।

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट

कुल व्यय ₹ 6.01 करोड़ है।

परिशिष्ट – VII

कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत जिसे कम्पनीज (एकाउन्ट्स) नियम 2014 की उप–कंडिका 3(बी) के नियम 8 के साथ पढ़ा जाए

समावेशन (एब्जार्वशन) के संबंध में विवरण को प्रदर्शित करने वाला फॉर्म

अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी)

1.	विशिष्ट क्षेत्र जहाँ कंपनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास कार्य किया गया	कंपनी के पास अनुसंधान एवं विकास कार्य हेतु अपनी कोई व्यवस्था नहीं है। कोल इण्डिया लिमिटेड की सहायक कंपनी सीएमपीडीआई ही सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों के लिए आ एण्ड डी के कार्य केन्द्रीय रूप से करती है।
2.	उक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यों के फलस्वरूप प्राप्त लाभ	लागू नहीं
3.	भावी कार्य योजना	लागू नहीं
4.	अनुसंधान एवं विकास पर खर्च	शून्य
	(क) पूंजी	–
	(ख) आवर्ती	–
	(ग) योग	–
	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में कुल आर एण्ड डी खर्च	–

प्रोद्यौगिकी समावेशन, अनुकूलन एवं अभिनव परिवर्तन

1.	प्रोद्यौगिकी समावेशन, अनुकूलन एवं अभिनव परिवर्तन के संबंध में किए गए प्रयास	शून्य
2	उत्पादन गुणवत्ता में सुधार लागत में कमी लाने उत्पाद विकास तथा आयात प्रतिस्थापन इत्यादि के संबंध में किए गए प्रयासों के कारण हुए लाभ	शून्य
3.	आयातित प्रौद्योगिकी (वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से शुरू करते हुए पिछले पाँच वर्षों के दौरान आयातित) के मामले में निम्नांकित सूचना दी जाए	
	(i) आयातित प्रौद्योगिकी	शून्य
	(ii) आयात का वर्ष	शून्य
	(iii) क्या प्रौद्योगिकी को पूर्णतः अपना लिया गया है	शून्य
	यदि पूर्णतः नहीं अपनाया गया तो उन क्षेत्रों का नाम बताएं जहाँ इसे नहीं अपनाया गया है, इसका कारण एवं भावी योजना के वर्णन सहित	शून्य

परिशिष्ट – *VIII*

कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत सूचना जिसे कम्पनीज (एकाउन्ट्स) नियम 2014 के तहत सब–क्लाउज 3(सी) के नियम 8 के साथ पढ़ा जाए

विदेशी विनिमय आय और व्यय

(i)	निर्यात के संबंध में गतिविधियाँ, निर्यात बढ़ाने, उत्पादों के लिये नये निर्यात बाजार, सेवाओं तथा निर्यात योजनाओं का विकास।	कम्पनी निर्यात व्यवसाय में शामिल नहीं है

(ii) अर्जित / उपयोगित कुल विदेशी विनिमय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2018–19	2017–18
(क)	उपयोग हो चुकी विदेशी विनिमय (मुद्रा)		
	1. ब्याज	0.00	0.00
	2. एजेंसी कमीशन	0.00	0.00
	3. यात्रा / प्रशिक्षण खर्च	0.06	0.23
	योग	**0.06**	**0.23**

(ख) अर्जित विदेशी विनिमय : कंपनी द्वारा ऐसी कोई आय अर्जित नहीं की गई है।

परिशिष्ट – *IX*

सीएसआर कार्य–कलापों का अतिरिक्त अनावरण

[कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 के संदर्भ में, कम्पनीज (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2013]

1. सीसीएल सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

तेजी से बदलते हुए कार्पोरेट वातावरण एवं अत्यधिक संचालन स्वच्छंदता के परिवेश में कोल इंडिया ने सीएसआर को संपोषित विकास के लिए सामरिक उपकरण के तौर पर अपनाया है। सीएसआर एक व्यावसायिक पहुंच है जो कि सभी हितधारकों के आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरण संबंधी लाभ के लिए संपोषित विकास में योगदान करता है। सीसीएल भारत सरकार का एक मिनीरत्न उपक्रम है एवं कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। कंपनी ने उत्पादन, उत्पादकता, लाभ तथा लोगों की देखभाल के रूप में अर्थात 4 पीएस के द्वारा महत्वपूर्ण उपलब्धि स्थापित करते हुए एक शानदार वापसी की है। झारखंड के 8 जिलों में व्याप्त यह सबसे बड़ी खनन कंपनी है। सीसीएल के लिए सीएसआर सिर्फ सामाजिक गतिविधियों में पूंजीनिवेश करने का माध्यम नहीं है अपितु यह व्यवासायिक विधियों का सामाजिक उत्थान के साथ गठबंधन है। एक स्थाई सामाजिक पर्यावरण, व्यवसाय निवेश एवं आद्योगिक संचालन के लिए पूर्व अपेक्षित है जो कि सीसीएल के दृष्टि के रूप में बिल्कुल सटीक बैठती है।

2012–19 की अवधि में सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) पारंपरिक दहलीजों को तोड़ने और उम्मीदों से परे प्रदर्शन करने में सक्षम रही है। बड़े पैमाने और लंबे समय तक चलने वाले संगठनात्मक परिवर्तनों को प्रभावित किया गया है, लंबित जटिल समस्याओं का हल किया गया है, उच्चतम उत्पादन प्राप्त किया गया है, पर्यावरण एवं वाणिकी मंजूरी प्राप्त की गई है, भौतिक भूमि को अधिकार में लिया गया है, ग्रीनफील्ड परियोजनाएं खोली गई हैं, रेलवे परियोजनाओं की योजना बनाई, शीघ्र पूरा की गई है एवं कई अग्रणी सीएसआर परियोजनाओं को शुरू किया गया है। शासन के कायाकल्प मॉडल को अपनाने के कारण से इन सभी को हासिल किया जा सका है जो निम्नलिखित पर जोर देता है:

- पारदर्शी, निर्भिक, नैतिक एवं परोपकारी दृष्टिकोण
- अधिनस्थ के प्रशिक्षण और विकास
- अनुशासन प्रवर्तन
- नवोन्मेष, स्वचालन–अत्याधुनिक तकनीक
- लोकतांत्रिक योजना – निरंकुश नियंत्रण

सीसीएल का एक मिनीरत्न कम्पनी बनना उसके कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों और झारखण्ड के लोगों के लिए ''किसी सपने के सच होने'' जैसा है – सीसीएल राज्य की सबसे बड़ी खनन कम्पनी है। कोयला खनन का संचालनात्मक क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरण दशाओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अतः सीसीएल की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने कमान क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए योगदान करे। इस उद्देश्य के साथ निगमित सामाजिक दायित्व का सीसीएल के कमान क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का समग्र विकास पर जोर तथा सीएसआर के विभिन्न माध्यमों को अपनाते हुए खनन कार्य को सामाजिक रूप से सम्पोषित बनाना है।

इस पृष्ठभूमि में, एक कॉरपोरेट निकाय के रूप में सीसीएल का ध्यान समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं को संबोधित करने की जिम्मेदारी के तरफ पूर्ण केन्द्रित हो जाता है और यह कम्पनी की दृष्टि, लक्ष्य एवं उद्देश्य के रूप में अवतरित भी होती है।

सीसीएल सीएसआर का विजन

"प्रत्येक व्यक्ति और उद्यम के हित को अधिकतम करने हेतु व्यापार के साथ सामाजिक और पर्यावरणीय सरोकारों को एकीकृत करना, सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, धारिता निर्माण के माध्यम से कौशल–विकास, पारदर्शिता बनाए रखना, सर्वोत्तम अनुशीलन के माध्यम से एक उदाहरण स्थापित करना, संगठनात्मक निर्णयों/कार्यों के लिए उत्तरदायिता प्रोत्साहन और नैतिक कार्यमानकों को बनाए रखना।"

कोर मूल्य के विवरण (4सी)

- ग्राहक देखभाल
- पर्यावरण और सुरक्षा के लिए चिंता का विषय
- कर्मचारियों के लिए देखभाल
- लागत चेतना

सीएसआर नीति के वेबलिंक का निर्देश

सीआईएल की सीएसआर नीति न्यू कम्पनीज एक्ट, 2013 निम्नलिखित लिंक पर पाया जा सकता है
https://www.centralcoalfields.in/pdfs/updts/2019-2020/17_05_2019_cil_csr_policy.pdf

2. 31 मार्च, 2019 को बोर्ड स्तरीय एसडी एवं सीएसआर समिति की संरचना

1. श्री बी. बी. गोयल, गैर–अधिकारिक अंशकालिक निदेशक : अध्यक्ष
2. श्री सुभाउ कश्यप, गैर–अधिकारिक अंशकालिक निदेशक : सदस्य
3. श्री आर. पी. श्रीवास्तव, निदेशक (का. एवं औ.सं.), सीआईएल : सदस्य
4. श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त), सीसीएल : सदस्य
5. श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (का.), सीसीएल : सदस्य

3. विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कम्पनी का औसत शुद्ध लाभ

वित्तीय वर्ष	कर के पहले लाभ (करोड़ रू. में)
2015-16	3118.74
2016-17	2373.60
2017-18	1343.60
औसत शुद्ध लाभ	**2278.65**

4. वर्ष 2018–19 के लिए निर्धारित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का विवरण

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% = ₹ 45.57 करोड़ (गणना के अनुसार)

5. वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान खर्च किया गया निगमित सामाजिक उत्तरायित्व का विवरण

(क) वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए व्ययित सकल राशि

विवरण	राशि (₹ करोड़. में)
वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए बजट	45.57
विगत वर्षों से अग्रणित निधि	42.59
वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल उपलब्ध निधि	88.16

(ख) अव्ययित राशि

राशि (₹ करोड़. में)

विवरण		राशि (₹ करोड़. में)
वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल उपलब्ध निधि		88.16
(i)	वित्तीय वर्ष 2018–19 में सीएसआर गतिविधियों पर किया गया व्यय	13.23
(ii)	स्वच्छ विद्यालय अभियान पर किया गया व्यय	25.90
(iii)	ओवरहेड सीएसआर व्यय	2.01
वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कुल सीएसआर व्यय		41.14
31.03.2019 को अव्ययित निधि का शेष		47.02
घटाव : सरकारी अभिकरणों को दिया गया अग्रिम जिसमें यूसी का मिलना बाकी है		12.63
अगले वर्ष में अग्रणित किया हुआ अव्ययित सीएसआर शेष		34.39

टिप्पणी :

33.39 करोड़ रू. के अव्ययित शेष से, वास्तविक अव्यसित/गैर प्रतिबद्ध राशि केवल 8061 करोड़ रू. है एवं शेष को सीएसआर गतिविधियों के विरूद्ध विगत वर्षों में पहले ही प्रतिबद्ध किया जा चुका है और यह 31 मार्च 2019 को कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

(ग) विगत 3 वित्तीय वर्षों में औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत व्यय ना करने के कारण :

सीएसआर निधि के अव्ययित होने के कारण इस प्रकार हैं :

- सरकारी एजेंसियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र, नियमित अनुनय के बावजूद प्राप्त नहीं किए जा रहे हैं। यह खातों की किताब में अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है।
- सीएसआर प्रोजेक्ट को पहले से मंजूरी मिल गई थी पर जिन्हें किसी एक या अन्य किसी वजह से लागू नहीं किया जा सका है। इसलिए निधि को अव्ययित राशि के रूप में परिलक्षित किया गया है। इनके लिए प्रमुख कारण भूमि समस्या, एनओसी की अनुपलब्धता एवं हितधारकों द्वारा आदि हैं।
- परियोजनाएं चालू प्रकृति के हैं जिन्हें अगले वित्त वर्ष तक जारी रखने की गुंजाइश है एवं व्यय के आगे के वर्षों बुक होने की संभावना है। अंतिम भुगतान/उपयोग प्रमाण पत्र के अभाव में आवंटित निधि को अव्ययित माना गया है।

तालिका – I
2018–19 के दौरान व्ययित राशि का विवरण
(अनुलग्नक – बी)

1	2	3	4	5	6	7	8
क्रम सं	पहचानी गयी सीएसआर परियोजना या गतिविधि	सेक्टर जिसमें यह प्रोजेक्ट हैं	परियोजनाओं या कार्यक्रम 1.स्थानीय क्षेत्र या अन्य 2.राज्य/जिला जहाँ प्रोजेक्ट या प्रोग्राम किया गया	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम वार (₹ लाख में*)	परियोजनाओं पर या कार्यक्रम पर खर्च राशि उप–प्रमुखरू (1) परियोजनाओं या कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष व्यय। (2) ओवरहेड्स (₹ लाख में*)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी खर्च (₹ करोड़ में*)	व्यय राशिरू प्रत्यक्ष या क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1.	शौचालय का निर्माण	स्वच्छता (कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची VII के मद संख्या (i))	25 किलोमीटर के भीतर आने वाले गांवों में परिचालन इकाइयों की परिधि (अरगडा, बी एण्ड के , सीआरएस बरकाकाना, मुख्यालय, कथारा, एनके, रजरप्पा क्षेत्र) यानी झारखंड के रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो, रांची जिलों में		26.94		प्रत्यक्ष
2.	स्वच्छ विद्यालय अभियान	स्वच्छता (कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची VII के मद संख्या (i))	छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश		2589.32		कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से (एनबीसीसी एवं ओडिशा और झारखंड राज्य सरकार)
3.	स्वछता पखवाड़ा एवं स्वछता ही सेवा मुहिम	स्वच्छता (कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची VII के मद संख्या (i))	25 किलोमीटर के भीतर आने वाले गांवों में परिचालन इकाइयों की परिधि (ढोरी, मुख्यालय, एम एंड ए, पिपरवार क्षेत्र) झारखंड के गिरिडीह, रांची, चतरा के जिले में		15.26		प्रत्यक्ष
4.	दुम्मा, देवघर में मेगा मेडिकल कैंप	स्वास्थ्य देखभाल (अनुसूची VII के मद संख्या (i))	दुम्मा, देवघर, झारखंड द्वारा गिरिडीह क्षेत्र		22.08		प्रत्यक्ष
5.	सीएसआर औषधालय, नियमित / विशेष स्वास्थ्य शिविर	स्वास्थ्य देखभाल (अनुसूची VII के मद संख्या (i))	25 किलोमीटर के भीतर आने वाले गांवों में संचालन इकाइयों का परिधि झारखंड के रांची, चतरा, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, पलामू, लातेहार, रामगढ़ के जिलों में (अरगडा, बरका सयाल, बी – के, ढोरी, हजारीबाग, रजरप्पा, रजहरा, कुजू, कथारा, पिपरवार, एनके, मगध – आम्रपाली, बरकाकाना, नई–सराय)		16.68		प्रत्यक्ष
6.	पोषण विकास केन्द्र	स्वास्थ्य देखभाल (अनुसूची VII के मद संख्या (i))	हजारीबाग जिला		9.00		प्रत्यक्ष

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	व्हीलचेयर / बैसाखियों का वितरण	स्वास्थ्य देखभाल (अनुसूची VII के मद संख्या (i))	25 किलोमीटर के भीतर आने वाले गांवों में संचालन इकाइयों का परिधि झारखंड के बोकारो और गिरिडीह जिले में बी एंड के और ढोरी क्षेत्र		3.22		प्रत्यक्ष
8.	हैण्डपम्प की स्थापना	पेय जल की आपूर्ति (अनुसूची VII के मद संख्या (i))	25 किलोमीटर के भीतर आने वाले गांवों में संचालन इकाइयों का परिधि झारखंड के रामगढ़, बोकारो, रांची और चतरा जिलों में (सीआरएस बरकाकाना, ढोरी, कुजू, एनके और पिपरवार क्षेत्र)		20.44		प्रत्यक्ष
9.	डीप बोर होल की खुदाई	पेय जल की आपूर्ति (अनुसूची VII के मद संख्या (i))	25 किलोमीटर के भीतर आने वाले गांवों में संचालन इकाइयों का परिधि झारखंड के बोकारो, रांची, गिरिडीह, चतरा, लातेहार और रामगढ़ जिलों में (बी एंड के, मुख्यालय, कथारा, एम एंड ए, एनके, पिपरवार)		183.62		प्रत्यक्ष
10.	कुएं का निर्माण	पेय जल की आपूर्ति (अनुसूची VII के मद संख्या (i))	25 किलोमीटर के भीतर आने वाले गांवों में संचालन इकाइयों का परिधि झारखंड के बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, रांची जिलों में (बी एंड के, ढोरी, कथारा, कुजू, एन.के.)		36.12		प्रत्यक्ष
11.	टैंकरों के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था	पेय जल की आपूर्ति (अनुसूची VII के मद संख्या (i))	25 किलोमीटर के भीतर आने वाले गांवों में संचालन इकाइयों का परिधि झारखंड के चतरा जिले के मगध एंड आम्रपाली क्षेत्र		86.32		प्रत्यक्ष
12.	पाइप लाइन बिछाना	पेय जल की आपूर्ति (अनुसूची VII के मद संख्या (i))	25 किलोमीटर के भीतर आने वाले गांवों में संचालन इकाइयों का परिधि झारखंड के गिरिडीह और रामगढ़ में कथारा और कुजू क्षेत्र		11.68		प्रत्यक्ष
13.	आरओ वाटर प्यूरीफायर की स्थापना	पेय जल की आपूर्ति (अनुसूची VII के मद संख्या (i))	डोरंडा,रांची, झारखण्ड		4.77		प्रत्यक्ष
14.	शिक्षा के लिए बच्चों को गोद लेना (सीसीएल के लाल / लाडली, कायाकल्प पब्लिक स्कूल, आशा को शैक्षिक सहायता, पिपरवार, एम एंड ए और ढोरी क्षेत्र के गरीब छात्रों को शैक्षिक सहायता)	शिक्षा (अनुसूची – VII के मद संख्या (ii))	25 किलोमीटर के भीतर आने वाले गांवों में संचालन इकाइयों का परिधि झारखंड के रामगढ़, बोकारो, रांची, चतरा जिलों में (बरका–सायल, ढोरी, मुख्यालय, एम् एंड ए, पिपरवार) झारखंड के 24 जिले में सीसीएल के लाल / लाडली परियोजना के लिए सभी से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।		127.42		प्रत्यक्ष

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	स्कूल / कॉलेज के ढांचागत विकास	शिक्षा (अनुसूची – VII के मद संख्या (ii))	25 किलोमीटर के भीतर आने वाले गांवों में संचालन इकाइयों का परिधि झारखंड के रामगढ़, हजारीबाग, रांची, हजारीबाग, बोकारो, चतरा जिलों में (बी एंड के, सीआरएस बरकाकाना, मुख्यालय, एनके, पिपरवार क्षेत्र)		40.53		प्रत्यक्ष
16.	कमजोर वर्गों के छात्रों को शैक्षिक सहायता (किताबें, स्कूल बैग, स्कूल किट आदि का वितरण)	शिक्षा (अनुसूची – VII के मद संख्या (ii))	25 किलोमीटर के भीतर आने वाले गांवों में संचालन इकाइयों का पिरिधि झारखंड के रांची और चतरा जिले में (मुख्यालय और एम एंड ए)		7.83		प्रत्यक्ष
17.	ऑटोमोबाइल मरम्मत प्रशिक्षण	कौशल विकास (अनुसूची – VII के मद संख्या (ii))	25 किलोमीटर के भीतर आने वाले गांवों में संचालन इकाइयों का पिरिधि झारखंड के बोकारो जिले में ढोरी क्षेत्र		0.83		प्रत्यक्ष
18.	ब्यूटीशियन प्रशिक्षण	कौशल विकास (अनुसूची – VII के मद संख्या (ii))	25 किलोमीटर के भीतर आने वाले गांवों में संचालन इकाइयों का परिधि झारखंड के रामगढ़, बोकारो और हजारीबाग जिले में बरका–सयाल, ढोरी और हजारीबाग क्षेत्र		2.55		प्रत्यक्ष
19.	कंप्यूटर प्रशिक्षण	कौशल विकास (अनुसूची – VII के मद संख्या (ii))	25 किलोमीटर के भीतर आने वाले गांवों में संचालन इकाइयों का परिधि झारखंड के रामगढ़ और बोकारो जिले में सीआरएस बरकाकाना और ढोरी क्षेत्र		1.88		प्रत्यक्ष
20.	खाद्य प्रसंस्करण	कौशल विकास (अनुसूची – VII के मद संख्या (ii))	25 किलोमीटर के भीतर आने वाले गांवों में संचालन इकाइयों का परिधि झारखंड के बोकारो जिले में ढोरी क्षेत्र		2.38		प्रत्यक्ष
21.	मोबाइल मरम्मत प्रशिक्षण	कौशल विकास (अनुसूची – VII के मद संख्या (ii))	25 किलोमीटर के भीतर आने वाले गांवों में संचालन इकाइयों का परिधि झारखंड के बोकारो और हजारीबाग जिला में (ढोरी और हजारीबाग क्षेत्र)		3.78		प्रत्यक्ष
22.	अन्य कौशल विकास प्रशिक्षण	कौशल विकास (अनुसूची – VII के मद संख्या (ii))	25 किलोमीटर के भीतर आने वाले गांवों में संचालन इकाइयों का परिधि झारखंड के बोकारो जिले के बी एंड के क्षेत्र में		3.02		प्रत्यक्ष
23.	सिलाई प्रशिक्षण	कौशल विकास (अनुसूची – VII के मद संख्या (ii))	25 किलोमीटर के भीतर आने वाले गांवों में संचालन इकाइयों का परिधि झारखंड के बोकारो जिले में ढोरी क्षेत्र		12.30		प्रत्यक्ष

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	एससी / एसटी को खनन सरदार प्रशिक्षण	कौशल विकास (अनुसूची – VII के मद संख्या (ii))	बीटीटीआई – भुरकुंडा, बरकासयाल क्षेत्र, रामगढ़ जिला		23.50		प्रत्यक्ष
25.	पीएपी को वेल्डर / इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण	कौशल विकास (अनुसूची – VII के मद संख्या (ii))	एमएसडीसी – बरकाकाना, सीआरएस – बरकाकाना क्षेत्र, रामगढ़ जिला		4.67		प्रत्यक्ष
26.	बिरहोर जनजाति के लिए कंबल का वितरण	सामाजिक कल्याण (अनुसूची–VII के मद संख्या (iii))	रामगढ जिले में कुजू क्षेत्र		1.96		प्रत्यक्ष
27.	ग्रामीण युवाओं को खेल की वस्तुओं का वितरण	सामाजिक कल्याण (अनुसूची–VII के मद संख्या (iii))	25 किलोमीटर के भीतर आने वाले गांवों में संचालन इकाइयों का परिधि झारखंड के हजारीबाग और चतरा जिलों में हजारीबाग, कुजू और पिपरवार क्षेत्र		3.74		प्रत्यक्ष
28.	तालाब का निर्माण / नवीनीकरण	वन एवं वातावरण, जानवर कल्याण आदि। (अनुसूची–VII के मद संख्या (iv))	25 किलोमीटर के भीतर आने वाले गांवों में संचालन इकाइयों का परिधि झारखंड के चतरा जिले के एम् एंड ए क्षेत्र		21.98		प्रत्यक्ष
29.	चेक डैम का निर्माण	वन एवं वातावरण, जानवर कल्याण आदि। (अनुसूची–VII के मद संख्या (iv))	25 किलोमीटर के भीतर आने वाले गांवों में संचालन इकाइयों का परिधि झारखंड के चतरा जिले के एम् एंड ए क्षेत्र		8.94		Direct
30.	नदी किनारे का सौंदर्यीकरण	वन एवं वातावरण, जानवर कल्याण आदि। (अनुसूची–VII के मद संख्या (iv))	25 किलोमीटर के भीतर आने वाले गांवों में संचालन इकाइयों का परिधि झारखंड के बोकारो जिले में बी एंड के क्षेत्र		4.09		प्रत्यक्ष
31.	बारिश के पानी का संग्रहण	वन एवं वातावरण, जानवर कल्याण आदि। (अनुसूची–VII के मद संख्या (iv))	25 किलोमीटर के भीतर आने वाले गांवों में संचालन इकाइयों का परिधि झारखंड के चतरा जिले के पिपरवार क्षेत्र		1.78		प्रत्यक्ष

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	स्पोर्ट्स अकादमी, होटवार को चलाना	खेल पदोन्नति (अनुसूची–VII के मद संख्या–(vii))	झारखंड के सभी 24 जिले		527.67		झारखंड राज्य खेल प्रमोशन सोसायटी (जेएसएसपिएस)
33.	ग्रामीण खेल टूर्नामेंट	खेल पदोन्नति (अनुसूची–VII के मद संख्या–(vii))	25 किलोमीटर के भीतर आने वाले गांवों में संचालन इकाइयों का परिधि झारखंड के चतरा जिले के पिपरवार क्षेत्र		0.22		प्रत्यक्ष
34.	खेल महाकुंभ	खेल पदोन्नति (अनुसूची–VII के मद संख्या–(vii))	25 किलोमीटर के भीतर आने वाले गांवों में संचालन इकाइयों का परिधि झारखंड के चतरा और बोकारो जिले में एम एंड ए, ढोरी और पिपरवार क्षेत्र		2.12		प्रत्यक्ष
35.	सड़क का निर्माण (पीसीसी / डब्ल्यूबीएम)	ग्रामीण विकास (अनुसूची–VII के मद संख्या (x))	25 किलोमीटर के भीतर आने वाले गांवों में संचालन इकाइयों का परिधि झारखंड के रामगढ़ एवं चतरा जिले में एम एंड ए और रजरप्पा क्षेत्र		24.04		प्रत्यक्ष
36.	सौर ऊर्जा चलित लाइट्स की स्थापना	ग्रामीण विकास (अनुसूची–VII के मद संख्या (x))	25 किलोमीटर के भीतर आने वाले गांवों में संचालन इकाइयों का परिधि झारखंड के बोकारो जिले में बी एंड के क्षेत्र		3.97		प्रत्यक्ष
37.	चारदीवारी का निर्माण	ग्रामीण विकास (अनुसूची–VII के मद संख्या (x))	25 किलोमीटर के भीतर आने वाले गांवों में संचालन इकाइयों का परिधि झारखंड के		17.53		प्रत्यक्ष
38.	सामुदायिक भवन का निर्माण	ग्रामीण विकास (अनुसूची–VII के मद संख्या (x))	25 किलोमीटर के भीतर आने वाले गांवों में संचालन इकाइयों का परिधि झारखंड के बोकारो, रामगढ़, रांची और लातेहार जिला में बी एंड के, बरका–सयाल, मुख्यालय, राजहारा क्षेत्र		24.85		प्रत्यक्ष
39.	विविध ग्रामीण विकास कार्य	ग्रामीण विकास (अनुसूची–VII के मद संख्या (x))	25 किलोमीटर के भीतर आने वाले गांवों में संचालन इकाइयों का परिधि झारखंड के रामगढ़ और रांची में बरका–सयाल और मुख्यालय क्षेत्र में		13.91		प्रत्यक्ष
40.	विविध ओवरहेड्स / प्रशासनिक व्यय		ईटी में भागीदारी 2 गुड 4 अच्छी सीएसआर रेटिंग और वेतन सीएसआर कर्मचारियों के लिए भुगतान किया		200.60		
कुल					**4113.54**		

टिप्पणी

* कॉलम सं. 5	अव्ययित राशि सहित वित्त वर्ष 2018–19 के लिए कुल बजट परिव्यय के 88.16 करोड़ रू. थी जिसमें विगत वर्षों की राशि शामिल है। एसवीए के लिए, 324.50 करोड़ का अलग बजट सीएसआर बजट के अलावे 2 प्रतिशत कर के पहले लाभ के तहत आवंटित किया गया है।
* कॉलम सं. 7	सभी क्षेत्रों से 2013–14 से 2018–19 तक संचयी सीएसआर व्यय 397.93 करोड़ रू. है।

प्रत्येक सीएसआर प्रस्ताव की समीक्षा एवं निरीक्षण एक आंतरिक सीएसआर समीक्षा समिति के द्वारा की गई है । सीएसआर समीक्षा समिति वीटो होने के बाद, निम्न बोर्ड स्तर के एसडी और सीएसआर समिति के समक्ष प्रस्ताव रखे गए थे जिनमें निम्नलिखित शामिल थे:

(क) महाप्रबंधक (एसडी और सीएसआर), सीसीएल, रांची
(ख) महाप्रबंधक (सिविल), सीसीएल, रांची
(ग) महाप्रबंधक (वित्त), सीसीएल, रांची
(घ) महाप्रबंधक (एल एंड आर), सीसीएल, रांची
(ङ.) सीएमएस, सीसीएल, रांची
(च) एचओडी / उप महाप्रबंधक (वन), सीसीएल, रांची

उपरोक्त समिति के सदस्यों की सिफारिश के बाद, उन्हीं प्रस्तावों को निम्नलिखित शक्ति के प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, सक्षम स्वीकृति के लिए रखा जा रहा है रू

(क) निदेशक (कार्मिक), सीसीएल, रांची (10 लाख तक के मूल्य के प्रस्तावों के लिए)

(ख) सीएमडी, सीसीएल, रांची (10 लाख से 25 लाख तक के मूल्य के प्रस्तावों के लिए)

(ग) बोर्ड स्तर एसडी और सीएसआर समिति (25 लाख से अधिक मूल्य के प्रस्तावों के लिए)

ह./–
महाप्रबंधक (एसडी एण्ड सीएसआर)

ह./–
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा
प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक

ह./–
(अध्यक्ष, सीएसआर समिति)

[अधिनियम के धारा 380 के
उप–धारा (1) के खण्ड (डी)
के अनुसार निर्दिष्ट व्यक्ति]
(जो भी लागू हो)

परिशिष्ट – X

फार्म क्रमांक

एओसी – 2

[कम्पनी (अकाउन्ट्स) नियम 2014 के नियम 8(2) और अधिनियम के सेक्शन 134 का सब सेक्शन (3) के क्लॉज (एच) के अनुसरण में]

कम्पनी के करार/अनुबंधों के विवरणों के प्रकटीकरण के प्रपत्र, जो कम्पनी द्वारा संबंधित पार्टियों के साथ डाले गये हैं, जिनका संदर्भ कम्पनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 188 के उप सेक्शन (1) में है जिसमें तीसरे प्रावधान के अन्तर्गत कुछ निष्पक्ष लेन–देन शामिल हैं।

वर्ष 2018–19 के वित्तीय वर्ष के दौरान सीसीएल के सभी लेन–देन की प्रविष्टि पार्टियों के साथ निष्पक्ष आाधार पर सीआईएल एवं अन्य अनुषंगियों की सलाह पर की गई है।

परिशिष्ट – *XI*

अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम कम्पनियों की वर्ष 2018–19 की वित्तीय प्रदर्शन एवं स्थिति पर रिपोर्ट

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (क्यू) के अनुसरण में, कम्पनीज (एकाउन्ट्स) नियम, 2014 के नियम 8(1) के साथ पढ़ा जाए]

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड (जे. सी. आर. एल.), एक संयुक्त उद्यम कम्पनी है। इसका गठन कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत किया गया है।

प्रमोटरों के नाम	शेयर होल्डिंग पैटर्न
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	64%
मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	26%
झारखण्ड सरकार	10%

कंपनी की अधिकृत शेयर पूँजी 500 करोड़ रू. है।

जेसीआरएल का प्रदर्शन निम्नानुसार है :

1. झारखंड सेन्ट्रल रेलवे को 31.08.2015 में सम्मिलित किया गया है। तदनुसार, निम्नलिखित परियोजना जेसीआरएल को सौंपा गया।

   - जेसीआरएल ने इरकॉन के साथ परियोजना निष्पादन समझौते पर 28 मार्च, 2016 को हस्ताक्षर किए थे।

     शिवपुर कठौतिया नई लाइन परियोजना के स्थानांतरण पर रेलवे बोर्ड ने सैद्धांतिक रूप से जेसीआरएल संयुक्त उद्यम को मंजूरी दी है। कठौतिया (0.00) से शिवपुर (49.085) के चेनेज की कुल लंबाई 49.085 कि. मी. है। रेल मंत्रालय ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को मंजूरी दे दी है। 13 जून 2018 को 5 वर्ष की अवधि के लिए रेल मंत्रालय ने 49.085 कि. मी. के आदेय दूरी पर 60 प्रतिशत की बढ़ी हुई मिल–भत्ता को मंजूरी दे दी है। जेसीआरएल एवं पूर्वी मध्य रेलवे के बीच रियायत अनुबंध को 04.12.2018 को हस्ताक्षरित किया गया, अगस्त 2019 के पहले वित्तीय समापन के पूरा होने की उम्मीद है। परियोजना की निर्माण, अक्टूबर 2019 तक शुरू होने की अनुमान है(वन भूमि की उपलब्ध् ाता एवं जेसीआरएल की वित्तीय समापन पर परवस है)। वन स्वीकृति के चरण –1 पर टिप्पणियों के अनुपालन को झारखंड सरकार द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को 07.01.2019 को सौंपा गया है। (क्षेत्रीय अधिकार समिति) आरइसी ने 25.03.2019 के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पावर प्वाइंट प्रस्तुति के पश्चात 09.04.2019 को स्थल का दौरा किया। वन्य जीव प्रबंधन योजना की पावर प्वाइंट प्रस्तुति को 10.01.2019 को पीसीसीएफ एवं मुख्य वन जीव वार्डन के कक्ष में प्रस्तुत किया गया। चरण – 1 स्वीकृति को जून 19 तक होने की संभावना है। वर्तमान कुल मूल्य के मुआवजे का 42.54 प्रतिशत दोनों जिलों के रैयत को दी जा चुकी है। जून 19 के बाद वास्तविक अधिकार के शुरू होने की संभावना है।

2. वित्तीय स्थिति :

संक्षिप्त तुलन पत्र

विवरण	31.03.2019 को (₹)	31.03.2018 को(₹)
कुल इक्विटी एवं देनदारियां		
पूंजी	50,00,00,000.00	50,00,00,000.00
रिजर्व एवं सरप्लस	50,88,075.50	(66,54,391.00)

शेयर आवेदन राशि जिनका आवंटित होना बाकी है	5,00,00,000.00	—
उप कुल	**55,50,88,075.50**	**49,33,45,609.00**
लम्बी अवधि लेनदारी	0.00	0.00
कुल वर्तमान देनदारियां	4,16,226.00	3,51,20,608.00
कुल गैर वर्तमान देनदारियां	1,36,58,86,382.00	175,57,82,356.00
कुल	**1,92,13,90,683.50**	**2,28,42,48,573.00**

संपत्ति		
वास्तविक संपत्ति (मूल्य ह्रास)	0.00	0.00
पूंजी डब्ल्यू.आइ.पी.	1,63,84,89,659.00	184,28,95,260.00
दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	1,18,63,712.00	4,05,69,300.00
नगदी और बैंक बैलेंस	26,89,37,019.50	39,86,83,720.00
लघु अवधि के ऋण एवं अग्रिम	0.00	0.00
वर्तमान कर–संपत्ति (निबल)	—	21,00,293.00
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ (निबल)	21,00,293.00	—
कुल	**1,92,13,90,683.50**	**2,28,42,48,573.00**

3. 31.03.2019 समाप्त वर्ष के दौरान पूंजी ढाँचा इस प्रकार है :

निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त शेयर पुँजी			**राशि (रुपये में)**
अंशधारक	**शेयर की संख्या**	**दर**	
सीसीएल	3,20,00,000	रूपये 10/– प्रत्येक	32,00,00,000/-
इरकॉन	1,30,00,000	रूपये 10/– प्रत्येक	13,00,00,000/-
झारखंड सरकार	50,00,000	रूपये 10/– प्रत्येक	5,00,00,000/-
कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पुँजी			**50,00,00,000/-**
शेयर एप्लीकेशन मनी, सीसीएल से लंबित आवंटन			**5,00,00,000/-**
31.03.2019 को कुल पुँजी			**55,00,00,000/-**

4. जेसीआरएल का 31.03.2019 को समाप्त हुए वर्ष में कुल निबल लाभ रु. 1,17,42,466.50/– की तुलना में 31.03.2018 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान रु. 2,67,355.00/– हुआ।

परिशिष्ट – *XII*

फॉर्म क्रमांक एमजीटी 9

वार्षिक रिटर्न का सार

31.03.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में

कम्पनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 92(3) और कम्पनी
(प्रबंधन एवं प्रशासनद्ध नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में

I. पंजीकरण और अन्य विवरण

i.	सी.आइ.एन.	U10200JH1956GOI000581
ii.	पंजीकरण दिनांक	05 सितम्बर, 1956
iii.	कम्पनी का नाम	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
iv.	कम्पनी की श्रेणी	निजी कम्पनी
v.	कम्पनी की उप–श्रेणी	सरकारी कम्पनी शेयर आधारित कम्पनी शेयर पूँजी आधारित कम्पनी
vi.	पंजीकृत कार्यालय का पता और सम्पर्क विवरण	दरभंगा हाउस, कचहरी रोड, राँची – 834 029 (झारखण्ड)
vii.	क्या सूचीबद्द कम्पनी है	नहीं
viii	रजिस्ट्रार एवं अंतरण अभिकर्त्ता का नाम, पता और सम्पर्क विवरण, यदि हो तो	लागू नहीं

II. कम्पनी का मुख्य व्यापार क्रियाकलाप

(कम्पनी के कुल टर्न ओवर के 10ः या अधिक में योगदान करने वाली सभी क्रिया कलापों को दर्ज किया जाएगा)

क्र. सं.	मुख्य उत्पाद/सेवा का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआइसी कोड	कम्पनी के कुल टर्न ओवर का प्रतिशत
1.	कोयला खनन	051-05101 तथा 051-05102	100

III. नियंत्रण, अनुषंगी और सहयोगी कम्पनियों के विवरण

क्र. सं.	कम्पनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	नियंत्रण/अनुषंगी /सहयोगी	धारित शेयर का प्रतिशत	लागू सेक्शन
1.	कोल इंडिया लिमिटेड, कोल भवन, प्रीमाइस सं..04 एम.ए.आर.ए प्लॉट सं. – एएफ –।।।, एक्शन एरिया 1ए, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल – 700156, ईमेल आईडी – mviswanathan2@coalindia.in	L23109WB1973GOI028844	नियंत्रण	100	कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(46)
2.	झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड, दरभंगा हाउस, राँची – 834029, झारखंड	U45201JH2015GOI003139	संयुक्त उद्यम	64-00	कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(87)

IV. अंशधारण पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत में इक्विटी शेयर पूँजी का ब्रेक–अप)

i. श्रेणीवार शेयर धारण

शेयर धारक की श्रेणी		वर्ष के शुरूआत में शेयर की संख्या				वर्ष के अंत में शेयर की संख्या				% में वर्ष के दौरान परिवर्तन
		डीमैट	फिजीकल	कुल	कुल शेयर का %	डीमैट	फिजीकल	कुल	कुल शेयर का %	
ए.	**प्रोमोटर का**									
1.	भारतीय									
(क)	व्यक्तिगत/एचयूएफ	–	3	3	0.0001%	–	3	3	0.000%	शून्य
(ख)	केन्द्रीय सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ग)	राज्य सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(घ)	निकाय निगम	–	93,99,997	93,99,997	99.9999%	–	93,99,997	93,99,997	99.9999%	शून्य
(ड.)	बैंक/वित्तीय संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(च)	कोई अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	उप योग (ए)(1)	**–**	**94,00,000**	**94,00,000**	**100%**	**–**	**94,00,000**	**94,00,000**	**100%**	**शून्य**
2.	विदेशी									
(छ)	एनआरआई–व्यक्तिगत	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ज)	अन्य–व्यक्तिगत	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(झ)	निकाय–निगम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ञ)	बैंक/वित्तीय संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ट)	कोई अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	उप योग (ए)(2)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
बी.	**पब्लिक शेयरधारण**									
1.	संस्थान									
(क)	म्यूचुअल फंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ख)	बैंक/वित्तीय संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ग)	केन्द्रीय सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(घ)	राज्य सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ड.)	उद्यम पूंजी निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(च)	बीमा कम्पनियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(छ)	विदेशी संस्थागत निवेशक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ज)	विदेशी उद्यम पूंजी निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ञ)	अन्य (स्पष्ट करें)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	उप–योग (बी)(1)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
2.	गैर–संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(क)	निकाय–निगम (i) भारतीय (ii) विदेशी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ख)	व्यक्तिगत (i) हर–एक अंशधारक द्वारा रू. 1 लाख तक रखे गए आंशिक शेयर पूंजी (ii) हर–एक अंशधारकों द्वारा रू.1 लाख से अधिक के रखे गए आंशिक शेयर पूंजी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ग)	अन्य (स्पष्ट करें)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	उप–योग (बी)(2)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
सी.	**जीडीआर एवं एडीआर के संरक्षण में रखे गए शेयर**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
महायोग (ए + बी + सी)		**–**	**94,00,000**	**94,00,000**	**100%**	**–**	**94,00,000**	**94,00,000**	**100%**	**शून्य**

ii. प्रमोटरों की शेयर धारण

क्र. सं.	अंशधारकों के नाम	वर्ष के आरम्भ में शेयर होल्डिंग			वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग			
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में रेहन/भारित शेयरों शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में रेहन/भारित शेयरों शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में परिवर्तन प्रतिशत
1.	कोल इंडिया लिमिटेड	93,99,997	99.9999%	शून्य	93,99,997	99.9999%	शून्य	शून्य
2.	श्री सुतीर्थ भट्टाचार्य अध्यक्ष–सीआईएल	1	0.00033%	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	श्री अनिल कुमार झा अध्यक्ष–सीआईएल	शून्य	शून्य	शून्य	1	0.00033%	शून्य	शून्य
4.	श्री गोपाल सिंह	1	0.00033%	शून्य	1	0.00033%	शून्य	शून्य
5.	श्री सी. के. डे	1	0.00033%	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	श्री आर. पी. श्रीवास्तव	शून्य	शून्य	शून्य	1	0.00033%	शून्य	शून्य
	कुल	**93,99,997**	**100%**	शून्य	**93,99,997**	**100%**	शून्य	शून्य

iii. प्रमोटरों की शेयर धारण में परिवर्तन (कृपया स्पष्ट करें, यदि कोई परिवर्तन न हुआ हो)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के आरम्भ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का :	शेयरों की संख्या	: में वर्ष के दौरान परिवर्तन
	वर्ष के प्रारंभ में	93,99,997	99.9999%	93,99,997	99.9999%
	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के शेयर होल्डिंग में दिनांकवार वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात आबंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	कोई परिवर्तन नहीं			
	वर्ष के अंत में	93,99,997	99.9999%	93,99,997	99.9999%

iv. शीर्षथ दस अंशधारकों के शेयरधारण पैटर्न (निदेशकों, प्रवर्तकों और जीडीआर एवं एडीआर धारक के अलावा)

क्र. सं.	शीर्षथ 10 अंशधारकों हेतु प्रत्येक के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयर धारण (दिनांक 01.04.2018 को)		वर्ष के अंत में शेयर धारण (दिनांक 31.03.2019 को)	
		शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का :	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का :
1.	**श्री सुतीर्थ भट्टाचार्या अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड**				
	वर्ष के प्रारंभ में	1	0.00033%	1	0.00033%
	वर्ष के दौरान शेयरधारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात) आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	वर्ष के दौरान (14.07.2018 तक) श्री सुतीर्थ भट्टाचार्या द्वारा रखे गए शेयर			
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	**श्री अनिल कुमार झा अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड**				
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयरधारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात) आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	14.07.2018 को स्थानांतरण किए गए शेयर			
	वर्ष के अंत में	1	0.00033%	1	0.00033%

V. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का शेयर धारण

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयर धारण (01.04.2018 को)		वर्ष के दौरान संचित शेयर धारण (2018–2019)	
		शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का :	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का :
1.	**श्री गोपाल सिंह**, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक				
	वर्ष के प्रारंभ में	1	0.00033%	1	0.00033%
	वर्ष के दौरान शेयर धारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात) आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	–			
	वर्ष के अंत में	1	0.00033%	1	0.00033%
2.	**श्री सी. के. डे**, (19.09.2017 से 19.02.2018 तक निदेशक के रूप में नियुक्ति) निदेशक (वित्त) सीआईएल				
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयर धारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात) आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	वर्ष के दौरान (13.07.2017 से 26.05.2018 तक) श्री सी. के. डे द्वारा धारित शेयर			
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	**श्री आर. पी. श्रीवास्तव,** (19.02.2018 से निदेशक के रूप में नियुक्ति) निदेशक (कार्मिक एवं औ. सं.) सीआईएल				
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयर धारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात) आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	26.05.2018 को शेयर का स्थानांतरण किया गया			
	वर्ष के अंत में	1	0.00033%	1	0.00033%
4.	**श्री डी. के. घोष**, निदेशक (वित्त) सीसीएल				
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयर धारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात) आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	–			
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	**श्री सुबीर चन्द्रा**, निदेशक (तक./संचा.) सीसीएल				
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयर धारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात) आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	–			
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	**श्री ए. के. मिश्रा,** (13.07.2017 को सेवानिवृत्ति) निदेशक (तक./परि. एवं यो.) सीसीएल				
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयर धारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात) आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	–			
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	**श्री आर. एस. महापात्र**, निदेशक (कार्मिक) सीसीएल				
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयर धारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात) आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	–			
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	**श्री वी. के. श्रीवास्तव,** (13.07.2017 से निदेशक के रूप में नियुक्ति), निदेशक (तक.) सीसीएल				
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयर धारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात) आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	–			
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	**श्री भोला सिंह,** (13.07.2017 से निदेशक के रूप में नियुक्ति), निदेशक (तक.) सीसीएल				
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयर धारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात) आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	–			
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	**श्री रवि प्रकाश,** (13.07.2017 से कम्पनी सचिव के रूप में नियुक्ति), कम्पनी सचिव, सीसीएल				
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयर धारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात) आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	–			
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

VI. ऋणग्रस्तता

कम्पनी की ऋणग्रस्तता सहित बकाया/प्राद्यभूत ब्याज किंतु जिसका भुगतान देय नहीं है।

विवरण	बकाया के अलावे सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता				
(प) मूलधन राशि	150.00	–	शून्य	150.00
(ii) देय ब्याज किंतु जिसका भुगतान नहीं किया गया	0.02	–	–	0.02
(iii) प्रौद्यूत ब्याज कितु जो देय नहीं		–	–	–
कुल (i)+(ii)+(iii)	150.02	–	शून्य	150.02
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
– वृद्धि	5.16	–	शून्य	5.16
– कमी	155.18	–	शून्य	155.18
निबल परिवर्तन	(150.02)	–	शून्य	(150.02)
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
(प) मूलधन राशि	–	–	शून्य	–
(ii) देय ब्याज किंतु जिसका भुगतान नहीं किया गया	–	–	शून्य	–
(iii) प्रौद्यूत ब्याज किंतु जो देय नहीं	–	–	–	–
कुल (i)+(ii)+(iii)	शून्य	–	शून्य	शून्य

VII. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/ या प्रबंधक को पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालक निदेशक/प्रबंधक का नाम							कुल राशि (₹)
		श्री गोपाल सिंह, सीएमडी	श्री सुबीर चन्द्रा, निदेशक (तक./सं.) दिनांक 31.03.2018 को सेवानिवृति	श्री आर एस महापात्र, निदेशक (कार्मिक)	श्री डी के घोष निदेशक (वित्त)	श्री ए. के. मिश्रा, (तक./परि. एवं यो.) दिनांक 30.11.2018 को सेवानिवृति	श्री वी. के. श्रीवास्तव, निदेशक (तक.) 15.05.2018 को पदभार ग्रहण किया	श्री भोला सिंह, निदेशक (तक.) 15.01.2019 को पदभार ग्रहण किया	
1.	सकल वेतन	10006751.68	2841542.29	6815441.90	8224954.21	7773979.07	6396187.62	635790.00	42694646.77
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	9044344.49	2769192.29	6020981.90	7365669.32	7557840.07	5765820.51	582869.00	39106717.58
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) में अधीन अनुलाभ का मूल्य	554104.19	0.00	400134.00	448592.89	0.00	296269.11	0.00	1699100.19
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) में अधीन वेतन के बदले लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	स्टॉक का विकल्प	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	स्वेट इक्विटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	कमीशन –लाभ के प्रतिशत के रूप में	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	अन्य कृप्या स्पष्ट करें (ग्रेच्युटी)	0.00	0.00	0.00	0.00	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00
	योग (क)	**10006751.68**	**2841542.29**	**6815441.90**	**8224954.21**	**7773979.07**	**6396187.62**	**635790.00**	**42694646.77**

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम			कुल राशि (₹)
1.	स्वतंत्र निदेशक :	श्री भारत भूषण गोयल (नियुक्ति की तिथि 14.11.2015)	श्री अशोक गुप्ता (नियुक्ति की तिथि 14.11.2015) (29.01.2019 को त्यागपत्र)	श्री सुभाउ कश्यप (नियुक्ति की तिथि 14.11.2015)	
	बोर्ड समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क	1260000.00	640000.00	160000.00	**2060000.00**
	कमीशन	0.00	0.00	0.00	0.00
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (1)	**1260000.00**	**640000.00**	**160000.00**	**20600000.00**
2.	अप्रशासकीय निदेशक	श्री आशीष उपाध्याय (नियुक्ति की तिथि 05.02.2018)	श्री राम प्रकाश श्रीवास्तव (नियुक्ति की तिथि 19.02.2018)		
	बोर्ड समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क	शून्य	शून्य		शून्य
	कमीशन	शून्य	शून्य		शून्य
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	शून्य	शून्य		शून्य
	कुल (2)	शून्य	शून्य		शून्य
कुल (ख) = (1 + 2)					**2060000.00**

ग. प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			कुल राशि (₹)
		(गोपाल सिंह) सीईओ	(डी. के. घोष) सीएफओ	(रवि प्रकाश) सीएस कम्पनी सचिव पद पर 13.07.2017 को नियुक्ति	
1.	सकल वेतन	10006751.68	8224954.21	2080516.43	20312222.32
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) के प्रावधान अनुसार वेतन	9044344.49	7365669.32	1949947.43	18359961.24
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धि का मूल्य	554104.19	448592.89	0.00	1002697.08
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) में अधीन वेतन के बदले लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	स्टोक का विकल्प	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	स्वेट इक्विटी	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	कमीशन	0.00	0.00	0.00	0.00
	– लाभ के प्रतिशत अनुसार	0.00	0.00	0.00	0.00
	– अन्य स्पष्ट करें	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	अन्य कृपया स्पष्ट करें	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल		**10006751.68**	**8224954.21**	**2080516.43**	**20312222.32**

VIII. जुर्माना/दंड/अपराधों का समझौता

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	दंड/सजा/लगाया गया संयुक्त शुल्क का विवरण	प्राधिकारी (आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट)	यदि कोई अपील हो (विवरण दें)
(क) कम्पनी					
जुर्माना	कुछ नहीं				
दंड					
समझौता					
(ख) निदेशक					
जुर्माना	कुछ नहीं				
दंड					
समझौता					
(ग) दूसरे अफसरों की चूक					
जुर्माना	कुछ नहीं				
दंड					
समझौता					

अनुलग्नक – XIII

धारा 149 की उप–धारा (6) के अन्तर्गत स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

[कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(डी) के अनुसार]

सेवा में,

निदेशक मण्डल
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
दरभंगा हाउस

राँची

विषय : सेक्शन 149 के सब–सेक्शन (6) के अन्तर्गत घोषणा

मैं, सुभाउ कश्यप, यह प्रमाणित करता हूँ कि मै अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में सेन्ट्रल कोलफीड्स लिमिटेड में हूँ और कम्पनीज एक्ट, 2013 के अधिसूचित क्लॉज 49 में दिये हुए लिस्टिंग एकरारनामा और मान्य प्रावधान जो स्वतंत्र निदेशक के लिए मानदण्ड है, उसे पूरा करता हूँ। मैं एददद्वारा प्रमाणित करता हूँ :

(क) मैं कम्पनी या नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कम्पनी का प्रोमोटर नहीं हूँ ;

(ख) मैं कम्पनी, उसकी नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कम्पनी के प्रोमोटर्स या निदेशक से सम्बन्धित नहीं हूँ ;

(ग) मेरा कम्पनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कम्पनी या उनके प्रमोटरों या निदेशकों के साथ पिछले दो तात्कालिक वित्तीय वर्षों या मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान कोई आर्थिक संबंध नहीं है/था ;

(घ) पिछले दो तात्कालिक वित्तीय वर्षों या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, मेरे किसी भी संबंधी का कम्पनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कम्पनी या उनके प्रमोटरों या निदेशकगणों के साथ 2 प्रतिशत या ज्यादा के इसके सकल कारोबार या कुल आय 50 लाख आय रू. या इस प्रकार की ऊँची राशि जैसा कि निर्धारित है, दोनों में से जो भी कम हो, के साथ किसी तरह की कोई आर्थिक संबंध या लेन–देन नहीं है या था ;

(ङ.) न तो मैं न ही मेरा कोई संबंधित –

i. कम्पनी या इसकी नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कम्पनी में पिछले किसी भी तीन वित्तीय वर्षों में, कोई मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या कर्मचारी के रूप में पदस्थापित हैं/रहा है।

ii. किसी भी पिछले तीन वित्तीय वर्ष में कर्मचारी या मालिक या पार्टनर के रूप में –

(अ) कम्पनी या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कम्पनी के अंकेक्षकों के फर्म या कार्यरत कम्पनी सचिव या लागत अंकेक्षकों के साथ है/रहा है; या

(ब) किसी कानूनी या परामर्श केन्द्र जिसका कम्पनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कम्पनी के साथ 10 प्रतिशत या उससे ज्यादा का सकल कारोबार हो, वैसे फर्म के साथ है/रहा है;

iii. अपने संबंधियों को मिलाकर कम्पनी के कुल वोटिंग पावर का 2 प्रतिशत या उससे अधिक रखता है, या

iv. ऐसी गैर–लाभकारी संस्थाय जो कि कम्पनी, इसके किसी प्रमोटर, निदेशकगण या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कम्पनी, जो कि कम्पनी के कुल वोटिंग पावर का 2 प्रतिशत या उससे ज्यादा रखती है, से 25 प्रतिशत या उससे अधिक की पावती प्राप्त करती है, का, किसी भी नाम से कहलाने वाले, मुख्य अधिकारी या निदेशक है; या

(च) मैं कम्पनी (नियुक्ति एवं योग्यता निदेशकों के) नियम, 2014 के नियम–5 के अन्तर्गत निर्धारित किये गये योग्यताओं को रखता हूँ (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता)।

धन्यवाद सहित,

भवदीय
(सुभाउ कश्यप)
ह/–
निदेशक
डीआइएन : 08399014

दिनांक : 30.04.2019
स्थान : राँची

अनुलग्नक – XIII

धारा 149 की उप–धारा (6) के अन्तर्गत स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

[कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(डी) के अनुसार]

सेवा में,

निदेशक मण्डल
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
दरभंगा हाउस

राँची

विषय : सेक्शन 149 के सब–सेक्शन (6) के अन्तर्गत घोषणा

मैं, भारत भूषण गोयल, यह प्रमाणित करता हूँ कि मै अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में सेन्ट्रल कोलफीड्स लिमिटेड में हूँ और कम्पनीज एक्ट, 2013 के अधिसूचित क्लॉज 49 में दिये हुए लिस्टिंग एकरारनामा और मान्य प्रावधान जो स्वतंत्र निदेशक के लिए मानदण्ड है, उसे पूरा करता हूँ। मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ :

(क) मैं कम्पनी या नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कम्पनी का प्रोमोटर नहीं हूँ ;

(ख) मैं कम्पनी, उसकी नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कम्पनी के प्रोमोटर्स या निदेशक से सम्बन्धित नहीं हूँ ;

(ग) मेरा कम्पनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कम्पनी या उनके प्रमोटरों या निदेशकों के साथ पिछले दो तात्कालिक वित्तीय वर्षों या मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान कोई आर्थिक संबंध नहीं है/था ;

(घ) पिछले दो तात्कालिक वित्तीय वर्षों या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, मेरे किसी भी संबंधी का कम्पनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कम्पनी या उनके प्रमोटरों या निदेशकगणों के साथ 2 प्रतिशत या ज्यादा के इसके सकल कारोबार या कुल आय 50 लाख आय रू. या इस प्रकार की ऊँची राशि जैसा कि निर्धारित है, दोनों में से जो भी कम हो, के साथ किसी तरह की कोई आर्थिक संबंध या लेन–देन नहीं है या था ;

(ड.) न तो मैं न ही मेरा कोई संबंधित –

i. कम्पनी या इसकी नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कम्पनी में पिछले किसी भी तीन वित्तीय वर्षों में, कोई मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या कर्मचारी के रूप में पदस्थापित हैं/रहा है।

ii. किसी भी पिछले तीन वित्तीय वर्ष में कर्मचारी या मालिक या पार्टनर के रूप में –

(अ) कम्पनी या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कम्पनी के अंकेक्षकों के फर्म या कार्यरत कम्पनी सचिव या लागत अंकेक्षकों के साथ है/रहा है; या

(ब) किसी कानूनी या परामर्श केन्द्र जिसका कम्पनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कम्पनी के साथ 10 प्रतिशत या उससे ज्यादा का सकल कारोबार हो, वैसे फर्म के साथ है/रहा है;

iii. अपने संबंधियों को मिलाकर कम्पनी के कुल वोटिंग पावर का 2 प्रतिशत या उससे अधिक रखता है, या

iv. ऐसी गैर–लाभकारी संस्थाय जो कि कम्पनी, इसके किसी प्रमोटर, निदेशकगण या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कम्पनी, जो कि कम्पनी के कुल वोटिंग पावर का 2 प्रतिशत या उससे ज्यादा रखती है, से 25 प्रतिशत या उससे अधिक की पावती प्राप्त करती है, का, किसी भी नाम से कहलाने वाले, मुख्य अधिकारी या निदेशक है; या

(च) मैं कम्पनी (नियुक्ति एवं योग्यता निदेशकों के) नियम, 2014 के नियम–5 के अन्तर्गत निर्धारित किये गये योग्यताओं को रखता हूँ (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता)।

धन्यवाद सहित,

भवदीय
(भारत भूषण गोयल)
ह/–
निदेशक
डीआइएन : 07254856

दिनांक : 30.04.2019
स्थान : राँची

अनुलग्नक – XIV

प्रबन्ध परिचर्चा और विश्लेषण प्रतिवेदन

(क) उद्योग संरचना और विकास

कोयला – ऊर्जा का मुख्य स्रोत

भारत में कोयला प्रमुख ईंधन है। कुल उत्पन्न ईंधन में कोयले का योगदान 70 प्रतिशत है तथा भविष्य की ऊर्जा आवश्यकता का भी प्रमुख स्रोत रहेगा। अभी विश्व के कोयला उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। चीन सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है जहाँ 3747.5 मिलियन टन (वर्ष 2014 में पूरे विश्व के कुल उत्पादन क 46.7 प्रतिशत) का उत्पादन हुआ तथा इसके बाद संयुक्त राज्य (यू एस ए) का स्थान है जहाँ 916.2 मिलियन टन (वर्ष 2014 में पूरे विश्व के कुल उत्पादन का 11.4 प्रतिशत) उत्पादन हुआ।

भारत में कोयला आजतक सबसे प्रचुर जीवाश्म ईंधन रहा है, यह घरेलु ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति का एक प्रमुख स्रोत बना हुआ है तथा भविष्य में भी ऊर्जा आपूर्ति का प्रमुख स्रोत बना रहेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में इसकी प्रमुख भूमिका है। 55 प्रतिशत भारतीय ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति कोयले से की जाती ह।

दिनांक 01.04.18 तक सीसीएल नियंत्रित क्षेत्र में भूगभीर्य कोयला भंडार

(मिलियन टन)

कोयले का प्रकार	प्रमाणित	प्रदर्शित	अनुमानित	कुल
कोकिंग	8109.75	9448.77	1692.92	19251.44
नॉन–कोकिंग	16088.94	6658.53	2839.07	25586.54
योग	**24198.69**	**16107.30**	**4531.89**	**44837.98**

भारत में अनुमानित कोयले का भूगर्भीय संसाधन 308.80 बिलियन टन में से सीसीएल नियंत्रित क्षेत्र में 01.04.2018 तक 44.837 बिलियन टन कोयला है जो भारत के कुल भंडार का 14.52 प्रतिशत है।

कोयले की मांग

वर्ष 2019–20 में सीसीएल के कोयले की मांग नीचे प्रदर्शित की गई है। इसमें वर्ष 2019–20 के दौरान राष्ट्रपति के निर्देश से शुरू होने वाले अनुमानित ऊर्जा गृह भी शामिल हैं।

खण्डवार ब्रेक–अप निम्नलिखित हैं :

(मिलियन टन)

सेक्टर	2019-20
स्टील (कोकिंग)	3.74448
विद्युत (यू)	80.27
विद्युत (आबध्य)	5.6
सीमेंट	0.132
स्टील डी.आर.आई.	1.811
अन्य	3.829
कुल नॉन–कोकिंग	91.462
कुल	**95.3868**

कोयला प्रेषण

वर्ष 2018–19 के दौरान खण्डवार कोयले का प्रेषण 68.677 मिलियन टन है जो है।

(अंक मिलियन टन में)

सेक्टर	2013-14 वास्तविक	2014-15 वास्तविक	2015-16 वास्तविक	2016-17 वास्तविक	2017-18 वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20 लक्ष्य
विद्युत	38.770	39.692	43.010	45.55	49.589	51.000	60.145
स्टील (स्टील सीपीपी सहित)	2.755	3.478	2.793	2.639	0.148	0.350	1.448
फर्टिलाइजर	**0.277**	**0.234**	**0.239**	**0.221**	**68.844**	**68.700**	**0.450**
अन्य*	**10.487**	**12.360**	**13.855**	**12.165**	**17.080**	**14.611**	**14.957**
कुल	**52.289**	**55.764**	**59.897**	**60.575**	**68.844**	**68.677**	**77.00**

* अन्य में ई–नीलामी, पूर्व गैर–कोर उपभोक्ता, स्पंज आयरन तथा राज्य ऐजेन्सियाँ सम्मिलित हैं।

कोयले की उपलब्धता

वर्तमान खदानों से वर्ष 2018–19 के दौरान सीसीएल द्वारा वास्तविक कोयला उत्पादन, ड्राफ्ट एएपी के अनुसार बजटीय उत्पादन एवं वर्ष 2019–20 के लिए अनुमानित उत्पादन, पूर्ण परियोजनाएं, चालू और नई परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(मिलियन टन)

समूह	2013-14 वास्तविक	2014-15 वास्तविक	2015-16 वास्तविक	2016-17 वास्तविक	2017-18 वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20 ड्राफ्ट (एएपी)
वर्तमान खदानें	5.24	5.17	0.451	0.662	0.302	0.367	0.33
पूर्ण परियोजनाएँ	12.61	14.58	27.56	42.630	40.450	42.107	42.693
चालू परियोजनाएँ	32.17	35.90	33.32	23.755	22.653	26.247	33.977
भविष्य	-	-	-	-	-	-	-
योग	**50.02**	**55.65**	**61.331**	**67.047**	**63.405**	**68.72**	**77.00**

नोट : समूहवार उत्पादन बदल सकती है यदि कोई परियोजना चालू स्थिति से पूर्ण स्थिति में आ जाती है और भावी परियोजना क्रियान्वयन हो जाती है।

उत्पादकता :

सीसीएल में प्रति व्यक्ति उत्पादन की स्थिति निम्न है :

(मिलियन टन)

	2010-11 वास्तविक	2011-12 वास्तविक	2012-13 वास्तविक	2013-14 वास्तविक	2014-15 वास्तविक	2015-16 वास्तविक	2016-17 वास्तविक	2017-18 वास्तविक	2018-19 वास्तविक
भूमिगत खदान	0.34	0.32	0.325	0.33	0.29	0.32	0.294	0.194	0.214
खुली खदान	5.45	5.79	6.093	6.26	7.56	8.91	9.808	9.372	9.740
समग्र	**3.88**	**4.19**	**4.421**	**4.64**	**5.46**	**6.51**	**7.235**	**7.195**	**8.093**

(ख) मजबूती और कमजोरी, अवसर एवं चुनौती

मजबूती

1. **उच्च उत्पादन और वृहत उत्पादन संभावना :** वर्ष 2018–19 में सीसीएल द्वारा 68.72 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया गया जो कि कोल इंडिया के उत्पादन के 11.3 प्रतिशत से अधिक है। सीसीएल नियंत्रित क्षेत्र में 44.732 बिलियन टन कोयला भंडार है जो कि भारत के कोल रिजर्व का लगभग 14.49 प्रतिशत है। कोल भंडार में नॉन–कोकिंग कोल (विद्युत संयत्र द्वारा प्रयोग किया जाने वाला) तथा कोकिंग कोल (स्टील संयत्र द्वारा प्रयोग किये जाने वाला) सम्मिलित है। यह रिजर्व अगले 200 वर्षों के लिए पर्याप्त है।

2. **प्रायः सभी कोल ब्लॉकों में आधारभूत संरचना की उपलब्धता :** कोयला खदानों के विकास और उत्पादन के लिए हमें अच्छे रोड और रेल नेटवर्क की आवश्यकता है। सीसीएल के सभी कोयला क्षेत्रों में वृहद रेल और रोड नेटवर्क विद्यमान है। इस नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को कोयला आसानी से प्रेषित किया जाता है।

3. **पर्याप्त कुशल श्रमशक्ति उपलब्ध :** सीसीएल 40 वर्षों से अधिक समय से कोयला खनन व्यवसाय में है। दिनांक 31.03.2019 को कुल 39222 श्रमशक्ति है जो कि अपने कार्य में दक्ष हैं।

4. **कर्मचारियों का निम्न अपक्षय दर :** सीसीएल के कर्मचारियों को उत्कृष्ट वेतन और पारिश्रमिक दिया जाता है जो कि कोयला उद्योग में सवश्रेष्ठ है। फलस्वरूप कर्मचारियों की संख्या में न्यूनतम अपदय हुआ है। अधिकारियों के लिए हाल ही में प्रदर्शन आधारित भुगतान लागू किया गया है जिससे कर्मचारियों का मनोबल काफी बढ़ा है।

5. **उच्च वित्तीय स्वायत्वता युक्त मिनी रत्न कैटेगरी – 1 कम्पनी :** सीसीएल के कार्य निष्पादन के आधार पर सार्वजनिक लोक उद्यम विभाग द्वारा कम्पनी को मिनी रत्न कैटेगरी –1 का दर्जा किया गया। इसका आशय है कि कम्पनी बिना सरकार के पास गये 500 करोड़ की परियोजना को अनुमोदित कर सकती है तथा यह संयुक्त उद्यम/सहायक कम्पनी/विदेशों में कार्यालय की स्थापना कर सकती है।

कमजोरी

1. **अप्रचलित प्रौद्योगिकी के साथ पुरानी खदान :** सीसीएल की अधिकांश खदानें पुरानी है जहाँ नवीनतम उपकरण नहीं है। हाल ही में कम्पनी द्वारा कुछ नई खदानें शुरू की। कुछ खदानों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है।

2. **श्रमिक संघवाद :** खदान में श्रमिक संघवाद की भरमार है। हर खदान में मान्यता प्राप्त श्रमिक संघों की संख्या 6 से अधिक है।

3. **सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग न्यून :** खदान में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बहुत कम है। इससे भ्रष्टाचार और अक्षमता उत्पन्न होती है।

4. **खराब कार्य संस्कृति :** 8 घंटे कार्यावधि में कर्मचारी औसतन 4 घंटे कार्य करता है।

अवसर

1. **कोयले की भारी और अस्थिर मांग :** मांग और आपूर्ति के बीच 20 मिलियन टन का अंतर है जो बढ़ने की संभावना है।

2. **उत्पादन प्रक्रिया की आउट सोर्सिंग :** परियोजना की उपलब्धता क्षमता के बाहर वाली परियोजनाओं के लिए सीसीएल द्वारा आउटसोर्सिंग किया जा सकता है। मार्जिनल डिपोजिट के संदर्भ में, जहाँ विभागीय उपकरण की प्रतिनियुक्ति खर्चीली है (इस प्रकार के कई कोयला–जमाव मौजूद हैं), वैसे मामले में भी कम्पनी आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया अपनाती है। अब श्रमिक संघों द्वारा आउटसोर्सिंग को समर्थन मिल रहा है।

3. **उत्पाद का आकृतिकरण, धुलाई या तरल व गैस में परिवर्तन कर मूल्य अपवृ़ि का अवसर :** धुले हुए कोकिंग कोयले का मूल्य उत्खनित कोकिंग कोयले का दुगुना होता है। मूल्य भिन्नता के इस लाभ हेतु वाशरियों को स्थापित किया जा सकता है।

चुनौतियाँ

1. **कम्पनी के एकाधिकार को पूर्णतया समाप्त करने हेतु भारत में कोयले में कैप्टीव माईन की अनुमति है :** सीसीएल को जिन्हें कोल ब्लॉक आवंटित है निजी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना होगा।

2. **खुले बाजार में अपना उत्पाद बेचने हेतु प्राईवेट कोयला खनन कम्पनियों की अनुमति देने की मांग :** प्राईवेट प्लेयर सीसीएल के लागत के 60 प्रतिशत पर कोयला उत्पादन करते हैं। यदि खुली बाजार में कोयला बेचने की अनुमति दी जाती है तो हमें मूल्यवान उपभोक्ताओं को खोना पड़ेगा।

3. **निजी कंपनियों के आ जाने से कम्पनी के उच्च कुशल कर्मचारियों को अच्छे वेतन, पर्क्स और अन्य सुविधा देकर अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है :** चूंकि यह पीएसयू कम्पनी है अतः यह मार्केट की मांग के अनुसार कर्मचारियों का वेतन, पर्क्स आदि आसानी से बढ़ाया नहीं जा सकता है क्योंकि इसके लिए लम्बी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है।

4. **कोयला खनन क्षेत्र में कानून व्यवस्था की समस्या :** कोयला खनन क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। बार–बार बन्दी होता है तथा अतिवादी समूह द्वारा खनन कार्य में हस्तक्षेप किया जाता है/रोका जाता है। खराब कानून व्यवस्था के कारण खदानें औसतन 30 दिन बंद रहती हैं।

5. **वन भूमि मुक्त करने में विलम्ब :** वन भूमि प्रस्ताव की प्रक्रिया में असाधारण विलम्ब होता है। स्टेज–1 क्लियरेन्स हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को वन भूमि प्रस्ताव की संस्तुति भेजने में राज्य सरकार काफी समय लेता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर द्वारा स्थल निरीक्षण में काफी विलम्ब होता है। वन भूमि को मुक्त करने के लिए लगभग 4–6 वर्ष लग जाते हैं।

6. **अधिग्रहित भूमि का कब्जा :** अधिग्रहित भूमि को अधिकार में लेने में काफी कठिनाई होती है। सरकार द्वारा मुक्त हो गई वन भूमि पर कब्जा रहता है जिसे मुक्त कराना आसान नहीं होता।

7. **परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास :** नई परियोजनाओं के विकास मे परियोजना प्रभावित लोगों के पुनर्वास की समस्या एक बड़ी बाधा हो गई है क्योंकि परियोजना प्रभावित लोगों की मांग सीआईएल की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के मानदण्ड से अधिक होती है।

(ग) कार्य निष्पादन

वर्ष 2017–18 के वास्तविक आंकड़े की तुलना में वर्ष 2018–19 के दौरान आपकी कम्पनी द्वारा उत्पादन एवं उत्पादकता के क्षेत्र में निम्नलिखित उपलब्धियाँ हैं :

विवरण	2018-19		2017-18	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि
	लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक	
उत्पादन				
खुली खदान से (एम.टी.)	68.200	68.407	63.000	8.582
भूमिगत खदान से (एम.टी.)	0.500	0.315	0.405	-22.337
कुल (एम.टी.)	**68.700**	**68.722**	**63.405**	**8.385**
ओबीआर (क्यु.एम.)	**102.000**	**100.490**	**95.622**	**5.090**
धुली कोयला (कोकिंग) (एम.टी.)	1.281	0.805	1.115	-27.854
धुली कोयला (नन–कोकिंग) (एम.टी.)	6.842	6.631	6.076	9.130
उत्पादकता (ओएमएस–टन)				
खुली खदान	9.053	9.740	9.372	
भूमिगत खदान	0.319	0.214	0.194	
कुल उठाव	**7.550**	**8.093**	**7.195**	

वर्ष 2018–19 के दौरान कच्चे कोयले का कुल उठाव 68.446 मि. टन है। पिछले वर्ष की तुलना में खंडवार कोयले का उठाव इस प्रकार हैः

(आंकडे मिलियन टन में)

खंड	2018-19	2017-18	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि
रेल	30.544	32.740	-6.71%
सड़क	28.709	25.362	13.20%
वाशरी को की गई पूर्ति	9.193	9.408	-2.28%
कोलियरी का खपत	0.0003	0.0003	-12.00%
कुल उठाव	**68.446**	**67.5103**	**1.39%**

वर्ष 2018–19 के दौरान सीसीएल ने सड़क माध्यम से कोयले के उठाव में 13.2% की वृद्धि दर्ज की है। सीसीएल ने पिछले वर्ष की तुलना में कोयले उठाव में 1.39 % की वृद्धि प्राप्त की है।

कच्चे कोयले के फीड कम होने का कारण/विभिन्न वाशरियों में खपत (कोकिंग+नॉन कोकिंग)

समस्त आंकड़े लाख टन में

वाशरी	2017-18		2018-19		कारण
कोकिंग	आरसीआर	आरसीसी	आरसीआर	आरसीसी	
कथारा, 1969 (3.0एमटीवाई)	2.19	3.47	5.58	3.33	वाशरी 1969 में चालू किया गया था और किसी भी वाशरी का तकनीकी उम्र 18 साल होती है और वॉशरी 50 साल की है। तब भी संभावित ग्राहकों द्वारा मांग न होने के कारण पहली तिमाही में प्रतिबंधित फीड पर वॉशरी चलाई गई।
स्वांग, 1970 (0.75एमटीवाई)	5.44	4.63	2.74	3.77	वॉशरी 49 साल की है। तब भी संभावित ग्राहकों द्वारा मांग न होने के कारण पहली तिमाही में प्रतिबंधित फीड पर वॉशरी चलाई गई।
रजरप्पा, 1987 (3.0 एमटीवाई)	13.08	12.80	13.27	8.52	वाशरी 1987 में चालू की गई थी और इसने अपने तकनीकी जीवन यानी 18 साल को पार कर लिया था। वॉशरी 32 साल की है। तब भी संभावित ग्राहकों द्वारा मांग न होने के कारण पहली तिमाही में प्रतिबंधित फीड पर वॉशरी चलाई गई।
केदला, 1997 (2.6 एमटीवाई)	10.35	10.35	8.55	8.62	संभावित ग्राहकों द्वारा मांग न होने के कारण पहली तिमाही में प्रतिबंधित फीड पर वॉशरी चलाई गई। इसके अलावा, तापिन नार्थ ओ सी पी से कोयला की लिंक की गई मात्रा के अनुसार आपूर्ति नहीं मिल सकी।
कुल	**31.08**	**31.25**	**30.13**	**24.24**	
गैर–कोकिंग	आरसीआर	आरसीसी	आरसीआर	आरसीसी	
पिपरवार, 1997 (6.5 एमटीवाई)	60.59	61.10	64.73	64.69	रसीद और खपत पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है।
गिद्दी, 1970 (2.5 एमटीवाई)	1.56	1.73	1.66	1.73	वाशरी बहुत पुरानी है और 1970 में चालू की गई थी। किसी भी वाशरी का तकनीकी उम्र 18 साल होती है और वॉशरी 49 साल की है। समय–समय पर मरम्मत के बाद वाशरी अभी भी चल रही है।
करगली, 1958] (2.72 एमटीवाई)	बंद हुआ	बंद हुआ	1.27	1.27	वाशरी सीसीएल में सबसे पुरानी है और 1958 में चालू की गई थी। किसी भी वाशरी का तकनीकी उम्र 18 साल होती है और वॉशरी 61 साल की है। समय–समय पर मरम्मत के बाद वाशरी अभी भी चल रही है। 2016–17 से 2017–18 तक कोकिंग कोल वाशरी के रूप में वाशरी को बंद कर दिया गया था।
कुल	**62.15**	**62.83**	**67.66**	**67.69**	हालांकि, नॉन कोकिंग कोल वाशरी में कुल प्राप्ति और खपत पिछले साल की तुलना में 2018–19 में अधिक है।

(घ) दृष्टिकोण

कोल इंडिया 2019–20 में 660 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन हासिल करने के लिए प्रयासरत है, जिसमें सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड 77 मीट्रिक टन कोयले का योगदान देगा।

आपकी कंपनी की प्रमुख परियोजनाएं जैसे मगध इ पि आर ओसीपी (51 मि.ट .प्रति वर्ष), आम्रपाली इ पि आर ओसीपी (25 मि.ट .प्रति वर्ष), कारो इ पि आर ओसीपी (11 मि.ट .प्रति वर्ष), कोनार इ पि आर ओसीपी (8 मि.ट .प्रति वर्ष), अशोक इ पि आर ओसीपी (22 मि.ट .प्रति वर्ष), कोटरे बसंतपुर पचमो ओसीपी (5 मि.ट .प्रति वर्ष), संघमित्रा ओसीपी (20 मि.ट .प्रति वर्ष) और चंद्रगुप्त ओसीपी (15 मि.ट .प्रति वर्ष) से भी निकट भविष्य में महत्वपूर्ण योगदान की उम्मीद है।

(च) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनका उपयोग

कंपनी ने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और प्रक्रियाओं को अच्छी तरह से स्थापित किया है जो व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है। बहार के चार्टर्ड / कॉस्ट एकाउंटेंट्स के ऑडिट फर्मों कि "लेन–देन लेखा परीक्षा" कि एक प्रणाली, वैधानिक आवश्यकता के साथ–साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को पूरा करने की दिशा में पूरे वर्ष चालू है। सीआईएल द्वारा तैयार और विनियमित, एक अच्छी तरह से परिभाषित सीमा है जो संगठन के संचालन के आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए सभी पहलुओं ध्यान देता है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को मजबूत करने के उद्देश्य से एवं वैधानिक प्रावधान को पूरा करने के लिए, दुकानों / पुर्जों का भौतिक सत्यापन वार्षिक रूप से लेखा परीक्षा फर्मों द्वारा किया जाता है । सीएजी की निरीक्षण रिपोर्ट आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के हमारे उपायों का हिस्सा है। सीएजी की टिप्पणियों को नियमित आधार पर जवाब दिया जाता है। जब भी आवश्यक समझा जाता है, सुधारात्मक उपाय करने के लिए टिप्पणियों का अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता है।

(छ) संचालन कार्य निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

मुख्य प्रतिवेदन में समाहित

(ज) मानव संसाधन में सामग्री विकास/औद्योगिक संबंध जिसमें नियुक्त कर्मचारियों की संख्या भी सम्मिलित है

मुख्य प्रतिवेदन में समाहित

(झ) पर्यावरण संरक्षण, प्रौद्योगिकी संरक्षण, नवीकरण ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा विनियम संरक्षण

मुख्य प्रतिवेदन में समाहित

(ञ) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

मुख्य प्रतिवेदन में समाहित

(ट) सचेतक विवरण

प्रबन्ध परिचर्चा और विश्लेषण तथा निदेशक प्रतिवेदन में दिये गये विवरण में कम्पनी का उद्देश्य, प्रक्षेपन एवं अनुमान, प्रत्याशा और भविष्य कथन आदि प्रगतिशील विवरण है जो कि लागू नियमों और विनियमों के अनुसार है। आगे देखने वाले विवरण कुछ जोखिम और अनियमितता पर आधारित है जो कि वास्तविक परिणाम से भिन्न हो सकते हैं, एवं आर्थिक दशा पर निर्भर करते है।

❑

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN. U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखण्ड

परिसंपत्ति एवं देयता का स्टैंडअलोन विवरण

(₹ करोड़ो में)

क्र. सं.	परिसंपत्ति एवं देयता का विवरण	दिनांक 31.03.2019 को (अंकेक्षित)	दिनांक 31.03.2018 को (अंकेक्षित)
ए	इक्विटी एवं देयता		
1.	शेयरधारक का निधि		
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	940.00	940.00
	(ख) अन्य इक्विटी	4,202.72	2,876.04
	(ग) शेयर वारंट के बदले प्राप्त धनराशि	—	—
	उप–कुल शेयरधारक का निधि	**5,142.72**	**3,816.04**
2.	शेयर अनुप्रयोग धन का लंबित आवंटन	—	—
3.	गैर नियंत्रण ब्याज	—	—
4.	गैर–चालू देयता		
	(क) वित्तीय देयता	70.61	60.09
	(ख) आस्थगित कर देयता (निबल)	—	—
	(ग) अन्य गैर–चालू देयता	540.84	438.46
	(घ) प्रावधान	3,411.37	3,324.05
	उप–कुल गैर–चालू देयता	**4,022.82**	**3,822.60**
5.	चालू देयता		
	(क) वित्तीय देयता	986.90	1,004.65
	(ख) चालू कर देयता (निबल)	56.15	125.62
	(ग) अन्य चालू देयता	4,500.30	4,777.40
	(घ) प्रावधान	1,007.77	1,529.27
	उप–कुल चालू देयता	**6,551.12**	**7,436.94**
	कुल – इक्विटी एवं देयता	**15,716.66**	**15,075.58**
बी.	परिसंपत्तियां		
1.	गैर–चालू परिसंपत्ति		
	(क) स्थाई परिसंपत्ति	5,262.44	4,324.54
	(ख) समेकन सद्भाव	—	—
	(ग) आस्थगित कर परिसंपत्ति (निबल)	1,039.09	1,047.58
	(घ) वित्तीय परिसंपत्ति	1,500.39	1,566.47
	(ङ) अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्ति	1,123.94	1,679.39
	उप–कुल गैर–चालू परिसंपत्ति	**8,925.86**	**8,617.98**
2.	चालू परिसंपत्ति		
	(क) वित्तीय परिसंपत्ति	2,862.13	3,014.81
	(ख) भंडार – सूची	1,353.66	1,349.23
	(ग) अन्य चालू परिसंपत्ति	2,575.01	2,093.56
	(घ) चालू कर परिसंपत्ति (निबल)	—	—
	उप–कुल चालू परिसंपत्ति	**6,790.80**	**6,457.60**
	कुल – परिसंपत्ति	**15,716.66**	**15,075.58**

ह./–	ह./–	ह./–	ह./–
(रवि प्रकाश)	(ए. के. गोस्वामी)	(एन. एन. ठाकुर)	(गोपाल सिंह)
कम्पनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष – सह – प्रबंध निदेशक
		डीआईएन – 08176571	डीआईएन – 02698059

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसरण में
कृते के. सी. टाक एण्ड क.
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
(फर्म रजी स. 000216C)

ह /–
(अनिल जैन)
पार्टनर
(सदस्यता सं 079005)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 29 मई 2019

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN. U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखण्ड

दिनांक 31.03.2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैंडअलोन परिणामों का विवरण

(₹ करोड़ों में, शेयर तथा ईपीएस को छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			वर्ष के अंत में	
		31.03.2019	**31.12.2018**	**31.03.2018**	**31.03.2019**	**31.03.2018**
		अन–अंकेक्षित	अन–अंकेक्षित	अन–अंकेक्षित (पुनर्लिखित)	अंकेक्षित	अंकेक्षित (पुनर्लिखित)
1	**संचालन से आय**					
	सकल विक्रय	5,085.41	4,090.06	4,566.62	16,343.92	15,728.80
	घटाव – अन्य लेवी	1,505.96	1,400.66	1,320.60	5,069.93	4,715.50
	(क) निबल विक्रय/संचालन से आय (एक्साइस कर एवं अन्य लेवी का निबल)	3,579.45	2,689.40	3,246.02	11,273.99	11,013.30
	(ख) अन्य संचलित आय	270.65	237.77	236.64	905.91	537.41
	संचालन से कुल आय (निबल) (क + ख)	**3,850.10**	**2,927.17**	**3,482.66**	**12,179.90**	**11,550.71**
2	व्यय					
	(क) उपयोग किए गए सामान का लागत	224.39	223.67	235.10	796.28	715.02
	(ख) तैयार वस्तुओं की भंडार सूची में परिवर्तन, उन्नति कार्य एवं स्टॉक इन ट्रेड	(480.21)	(51.40)	(462.98)	(23.44)	512.66
	(ग) उत्पाद शुल्क	—	200.60	—	—	200.60
	(घ) कर्मचारी लाभ व्यय	1,450.38	1,208.43	2,108.33	5,128.86	5,478.55
	(ङ) मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि	93.75	90.61	96.69	344.28	351.52
	(च) बिजली और ईंधन व्यय	61.60	57.00	74.28	231.02	277.35
	(छ) सीएसआर व्यय	11.37	4.98	28.68	41.14	37.90
	(ज) मरम्मत	197.89	71.20	195.83	374.57	326.69
	(झ) ठेका व्यय	419.49	346.35	489.40	1,322.13	1,294.38
	(ञ) अन्य व्यय	354.79	248.25	268.36	1,069.09	1,020.46
	(ट) प्रावधान/बट्टे खाते डालना	38.39	(210.30)	(144.11)	93.95	1.73
	(ठ) स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन	288.93	109.95	369.83	347.60	284.51
	कुल व्यय (क से ठ तक)	**2,660.77**	**2,299.34**	**3,259.41**	**9,725.48**	**10,501.37**
3	अन्य आय, वित्तीय लागत और असाधारण मद के पहले संचालन से लाभ/हानि (1 – 2)	**1,189.33**	**627.83**	**223.25**	**2,454.42**	**1,049.34**
4	अन्य आय	130.04	41.11	302.31	313.03	508.96
5	वित्तीय लागत के बाद किन्तु असाधारण मद के पहले सामान्य क्रियाकलापों से लाभ/हानि (3 + 4)	**1,319.37**	**668.94**	**525.56**	**2,767.45**	**1,558.30**

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN. U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखण्ड

दिनांक 31.03.2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैंडअलोन परिणामों का विवरण (जारी....)

(₹ करोड़ों में, शेयर तथा ईपीएस को छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			वर्ष के अंत में	
		31.03.2019	31.12.2018	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
		अन–अंकेक्षित	अन–अंकेक्षित	अन–अंकेक्षित (पुनर्लिखित)	अंकेक्षित	अंकेक्षित (पुनर्लिखित)
6	वित्तीय लागत	18.56	16.82	35.38	75.25	170.81
7	**वित्तीय लागत के बाद किन्तु असाधारण मद के पहले लाभ/हानि (5 – 6)**	**1,300.81**	**652.12**	**490.18**	**2,692.20**	**1,387.49**
8	असाधारण मद	—	—	—	—	—
9	**कर से पहले सामान्य क्रियाकलापों से लाभ/हानि (7 – 8)**	**1,300.81**	**652.12**	**490.18**	**2,692.20**	**1,387.49**
10	कर व्यय	258.18	475.37	172.11	987.73	579.71
11	**वर्ष में निबल लाभ/हानि (9 – 10) [ए]**	**1,042.63**	**176.75**	**318.07**	**1,704.47**	**807.78**
12	**अन्य विस्तृत आय/(हानि) (निबल कर) [बी]**	**(12.16)**	**(45.34)**	**55.48**	**(19.69)**	**101.74**
13	**कुल विस्तृत आय/(हानि) [ए + बी]**	**1,030.47**	**131.41**	**373.55**	**1,684.78**	**909.52**
14	प्रदत्त ईक्विटी शेयर कैपिटल (प्रत्येक शेयर का फेस वैल्यु ₹ 1000/-)	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00
15	**प्रत्येक शेयर पर आय (ईपीएस) (प्रत्येक शेयर का फेस वैल्यु ₹ 1000/-) (वार्षिक नहीं किया गया)**					
	(क) बेसिक	1,109.18	188.03	338.37	1,813.27	859.34
	(ख) डायलुटेड	1,109.18	188.03	338.37	1,813.27	859.34

ह./–
(रवि प्रकाश)
कम्पनी सचिव

ह./–
(ए. के. गोस्वामी)
महाप्रबंध (वित्त)

ह./–
(एन. एन. ठाकुर)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन – 08176571

ह./–
(गोपाल सिंह)
अध्यक्ष – सह – प्रबंध निदेशक
डीआईएन – 02698059

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसरण में
कृते के. सी. टाक एण्ड क.
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
(फर्म पंजी सं 000216C)

ह./–
(अनिल जैन)
पार्टनर
(सदस्यता सं 079005)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 28 मई 2019

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN: U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखण्ड

दिनांक 31.03.2019 को स्टैंडअलोन तुलन पत्र

(₹ करोड़ों में)

	नोट्स	31.03.2019 को	31.03.2018 को
परिसंपत्ति			
गैर–चालू परिसंपत्ति			
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3	2,496.09	2,421.09
(ख) कार्यशील पूंजी	4	2,355.18	1,840.62
(ग) अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति	5	405.43	260.67
(घ) अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति	6	5.74	2.16
(ङ) विकास के तहत अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति		—	—
(च) संपत्ति निवेश		—	—
(छ) वित्तीय परिसंपत्ति			
(i) निवेश	7	32.00	32.00
(ii) ऋण	8	0.66	0.47
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	9	1,467.73	1,534.00
(ज) आस्थगित परिसंपत्ति (निवल)		1,039.09	1,047.58
(झ) अन्य गैर–चालू परिसंपत्ति	10	1,123.94	1,679.39
कुल गैर–चालू परिसंपत्ति (ए)		**8,925.86**	**8,617.98**
चालू परिसंपत्ति			
(क) भंडार सूची	12	1,353.66	1,349.23
(ख) वित्तीय परिसंपत्ति			
(i) निवेश	7	52.56	—
(ii) व्यापार प्राप्य	13	1,095.13	1,121.00
(iii) नकद एवं नकद के समान	14	244.55	161.98
(iv) अन्य बैंक बचत	15	841.51	1,194.23
(v) ऋण	8	—	—
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	9	628.38	537.60
(ग) चालू कर–परिसंपत्ति (निवल)		—	—
(घ) अन्य चालू परिसंपत्ति	11	2,575.01	2,093.56
कुल चालू परिसंपत्ति (बी)		**6,790.80**	**6,457.60**
कुल परिसंपत्ति (ए+बी)		**15,716.66**	**15,075.58**

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN: U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखण्ड

दिनांक 31.03.2019 को स्टैंडअलोन तुलन पत्र (जारी...)

(₹ करोड़ों में)

	नोट्स	31.03.2019 को	31.03.2018 को
इक्विटी एवं देयताएं			
इक्विटी			
(ए) इक्विटी शेयर कैपिटल	16	940.00	940.00
(बी) अन्य इक्विटी	17	4,202.72	2,876.04
कम्पनी के इक्विटी धारको को आरोप्य इक्विटी		5,142.72	3,816.04
गैर नियंत्रित ब्याज	—	—	
कुल इक्विटी (ए)		**5,142.72**	**3,816.04**
देयताएं			
अन्य गैर चालू देयताएं			
(ए) वित्तीय देयताएं			
(i) उधारी	18	—	—
(ii) व्यापार देयताएं	19	—	—
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20	70.61	60.09
(बी) प्रावधान	21	3,411.37	3,324.05
(सी) अन्य गैर चालू देयताए	22	540.84	438.46
कुल गैर चालू देयताए (बी)		**4,022.82**	**3,822.60**
चालू देयताएं			
(ए) वित्तीय देयताएं			
(i) उधारी	18	—	150.00
(ii) व्यापार देयताएं	19		
माइक्रो एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया देय		—	—
माइक्रो एवं लघु उद्यमों के अलावे अन्य ऋण दाताओं का कुल बकाया देय		484.15	487.01
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	502.75	367.64
(बी) अन्य चालू देयताएं	23	4,500.30	4,777.40
(सी) प्रावधान	21	1,007.77	1,529.27
(डी) वर्तमान कर देयताएं (निबल)		56.15	125.62
कुल चालू देयताएं (सी)		**6,551.12**	**7,436.94**
कुल इक्विटी एवं देयताएं (ए+बी+सी)		**15,716.66**	**15,075.58**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	2		
वित्तीय विवरण पर अतिरिक्त	38		

उपरोक्त टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

ह./–	ह./–	ह./–	ह./–
(रवि प्रकाश)	(ए. के. गोस्वामी)	(एन. एन. ठाकुर)	(गोपाल सिंह)
कम्पनी सचिव	महाप्रबंध (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष – सह – प्रबंध निदेशक
		डीआईएन – 08176571	डीआईएन – 02698059

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसरण में
कृते के. सी. टाक एण्ड क.
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
(फर्म पंजी स 000216C)

ह./–
(अनिल जैन)
पार्टनर
(सदस्यता सं. 079005)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 28 मई 2019

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN: U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखण्ड

दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष का लाभ–हानि का स्टैंडअलोन विवरण

(₹ करोड़ों में)

	नोट्स	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
संचालन से राजस्व	24		
ए. बिक्री (एक्साइज ड्यूटी के साथ अन्य लेवियों का निवल)		11,273.99	11,013.30
बी अन्य संचालन से राजस्व (एक्साइज ड्यूटी के साथ अन्य लेवियों का निवल)		905.91	537.41
(i) संचालन से राजस्व (ए + बी)		12,179.90	11,550.71
(ii) अन्य आय	25	313.03	508.96
(iii) कुल आय (i+ii)		**12,492.93**	**12,059.67**
(iv) व्यय			
उपयोग किए गए सामान की लागत	26	796.28	715.02
तैयार माल का भंडार/कार्य प्रगति में परिवर्तन एवं बिक्री के लिए स्टॉक	27	(23.44)	512.66
कोयले की बिक्री पर एक्साइज ड्यूटी		—	200.60
कर्मचारी लाभ व्यय	28	5,128.86	5,478.55
बिजली का खर्च		231.02	277.35
निगमित सामाजिक दायित्व पर व्यय	29	41.14	37.90
मरम्मती	30	374.57	326.69
संविदात्मक व्यय	31	1,322.13	1,294.38
वित्तीय लागत	32	75.25	170.81
मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि पर व्यय		344.28	351.52
प्रावधान	33	93.95	1.01
राइट–ऑफ	34	—	0.72
स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन		347.60	284.51
अन्य व्यय	35	1,069.09	1,020.46
कुल व्यय (iv)		**9,800.73**	**10,672.18**
(v) असाधारण मदो एवं कर से पहले लाभ (iii-iv)		**2,692.20**	**1,387.49**
(vi) असाधारण मद		—	—
(vii) कर से पहले लाभ (v-vi)		**2,692.20**	**1,387.49**
(viii) कर व्यय	36	987.73	579.71
(ix) वर्ष मे चालू संचालन से प्राप्त लाभ (vii-viii)		**1,704.47**	**807.78**
(x) स्थगित संचालन से प्राप्त लाभ		—	—
(xi) स्थगित संचालन का कर व्यय		—	—
(xii) स्थगित संचालन से प्राप्त लाभ (कर के बाद) (x-xi)		—	—
(xiii) संयुक्त उद्यम/सबद्ध के लाभ/(हानि) में शेयर		—	—
(xiv) वर्ष में लाभ (ix+xii+xiii)		**1,704.47**	**807.78**
अन्य विस्तृत आय	37		
ए (i) मद जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं होंगे		(30.27)	155.59
(ii) मदों से सम्बन्धित आय कर, जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं होंगे		(10.58)	53.85
बी (i) मद जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत होंगे		—	—
(ii) मदों से सम्बन्धित आय कर, जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत होंगे		—	—
(xv) कुल अन्य विस्तृत आय		**(19.69)**	**101.74**

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN: U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखण्ड

दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष का लाभ–हानि का स्टैंडअलोन विवरण (जारी....)

(₹ करोड़ों में)

	नोट्स	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(xvi) वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय (xiv+xv) (लाभ/हानि सहित) तथा वर्ष के अन्य विस्तृत आय		**1,684.78**	**909.52**
आरोपित लाभ :			
कम्पनी के स्वामी को		1,704.47	807.78
गैर नियंत्रित ब्याज को		—	—
		1,704.47	**807.78**
अन्य आरोपित विस्तृत आय :			
कम्पनी के स्वामी को		(19.69)	101.74
गैर नियंत्रित ब्याज को		—	—
		(19.69)	**101.74**
कुल आरोपित विस्तृत आय :			
कम्पनी के स्वामी को		1,684.78	909.52
गैर नियंत्रित ब्याज को		—	—
(xvii) प्रत्येक इक्विटी शेयर पर उपार्जन (चलित संचालन के लिए) :			
(1) बेसिक		1,813.27	859.34
(2) डाइल्यूटेड		1,813.27	859.34
(xviii) प्रत्येक इक्विटी शेयर पर उपार्जन (स्थगित संचालन के लिए)			
(1) बेसिक		—	—
(2) डाइल्यूटेड		—	—
(xix) प्रत्येक इक्विटी शेयर पर उपार्जन (स्थगित एवं चलित संचालन के लिए) :			
(1) बेसिक		1,813.27	859.34
(2) डाइल्यूटेड		1,813.27	859.34
महत्वपूर्ण लेखा नीति	2		
लेखा विवरण पर अतिरिक्त टिप्पणी	38		

संलग्न टिप्पणी वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग है।

ह./–	ह./–	ह./–	ह./–
(रवि प्रकाश)	(ए. के. गोस्वामी)	(एन. एन. ठाकुर)	(गोपाल सिंह)
कम्पनी सचिव	महाप्रबंध (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष – सह – प्रबंध निदेशक
		डीआईएन – 08176571	डीआईएन – 02698059

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसरण में
कृते के. सी. टाक एण्ड कं.
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
(फर्म रजी स 000216C)

ह./–
(अनिल जैन)
पार्टनर
(सदस्यता सं. 079005)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 28 मई 2019

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN: U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखण्ड

दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी–प्रवाह का स्टैंडअलोन विवरण

(₹ करोड़ों में)

		31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
संचलित गतिविधियों से नकदी–प्रवाह			
कर से पहले कुल विस्तृत आय		2,661.93	1,543.08
समायोजन के लिए :			
मूल्य ह्रास, परिशोधन एवं हानि व्यय		341.63	357.81
ब्याज एवं लाभांश आय		(120.21)	(215.56)
वित्तीय लागत		75.25	170.81
स्थाई परिसम्पत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि		9.92	3.10
अन्य प्रावधान		93.95	238.05
वर्ष के दौरान वापस लिखित देयता		(71.79)	(136.25)
स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन		347.60	284.51
चालू/गैर चालू परिसम्पत्ति एव देयता से पहले परिचालन लाभ		**3,338.28**	**2,245.55**
समायोजन के लिए			
व्यापार प्राप्य (कुल प्रावधान)		25.87	(71.52)
भंडार सूची		(4.43)	747.03
ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य चालू परिसम्पत्ति		57.79	(1,450.59)
वितीय एवं अन्य देयताएँ		(832.80)	2,834.01
संचालन से उपार्जित धन		**2,584.71**	**4,304.48**
आयकर भुगतान किया गया/वापसी		(1,049.71)	(984.80)
संचालन गतिविधियों से निबल नकदी–प्रवाह	(ए)	**1,535.00**	**3,319.68**
निवेश गतिविधियों से नकदी–प्रवाह			
सम्पत्ति, प्लांट एवं उपकरण का क्रय		(1,289.45)	(889.37)
बैंक जमा पर प्राप्ति/(निवेश)		352.72	154.85
म्युचुअल फण्ड, शेयर इत्यादि पर प्राप्ति/(निवेश)		(52.56)	—
सहायक कम्पनी में निवेश		—	—
निवेश से ब्याज		—	—
ब्याज एवं लाभांश आय		120.21	215.56
निवेश गतिविधियों से प्राप्त निबल राशि	(बी)	**(869.08)**	**(518.96)**

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN: U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखण्ड

दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी–प्रवाह का स्टैंडअलोन विवरण (जारी...)

(₹ करोड़ों में)

		31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
वित्तीय गतिविधियों से नकदी–प्रवाह			
वापसी/ऋण में वृद्धि		(150.00)	(2,153.78)
वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ब्याज एवं वित्तीय लागत		(75.25)	(170.81)
इक्विटी शेयर पर लाभांश		(297.04)	(531.10)
इक्विटी शेयर के लाभांश पर कर		(61.06)	(108.12)
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निबल राशि	**(सी)**	**(583.35)**	**(2,963.81)**
कैश एवं बैंक बचत में निबल वृद्धि/(कमी) (ए+बी+सी)		**82.57**	**(163.09)**
वर्ष के शुरूआत में नकद एवं नगदी समतुल्य		**161.98**	**325.07**
वर्ष के अंत में नकद एवं नकदी समतुल्य **(कोष्ठ में दिए गए बर्हिप्रवाह को दर्शाते हैं)**		**244.55**	**161.98**

ह./–	ह/–	ह/–	ह/–
(रवि प्रकाश)	**(ए. के. गोस्वामी)**	**(एन. एन. ठाकुर)**	**(गोपाल सिंह)**
कम्पनी सचिव	महाप्रबंध (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष – सह – प्रबंध निदेशक
		डीआईएन – 08176571	डीआईएन – 02698059

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसरण में
कृते के. सी. टाक एण्ड कं.
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
(फर्म पंजी स. 000216C)

ह./–
(अनिल जैन)
पार्टनर
(सदस्यता सं 079005)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 28 मई 2019

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
(एक मिनीरत्न कम्पनी)

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण – स्टैण्डअलॉन

(₹ करोड़ों में)

ए. इक्विटी शेयर पूँजी

विवरण	01.04.2017 पर शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरपूंजी मे बदलाव	31.03.2018 पर शेष	01.04.2018 पर शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरपूंजी में बदलाव	31.03.2019 पर शेष
₹1000/- प्रत्येक के 9400000 इक्विटी शेयर (₹1000/- प्रत्येक के 9400000 इक्विटी शेयर)	940.00	–	940.00	940.00	–	940.00

बी. अन्य इक्विटी

विवरण	सामान्य संचय निधि	प्रतिधारित उपार्जन	ओसीआई	कुल
01.04.2017 पर शेष	2,029.00	215.71	52.39	2297.10
लेखा नीति में परिवर्तन	–	–	–	–
पूर्व अवधि त्रुटि	–	308.64	–	308.64
01.04.2017 पर पुनर्लिखित शेष	**2,029.00**	**524.35**	**52.39**	**2,605.74**
वर्ष के दौरान अनुवृद्धि	–	–	–	–
वर्ष के दौरान समायोजन	–	–	–	–
वर्ष के लिए लाभ	–	807.78	101.74	909.52
विनियोग				
सामान्य रिजर्व से/को हस्तांतरण	39.48	(39.48)	–	–
अन्य रिजर्व से/को हस्तांतरण	–	–	–	–
अंतरिम लाभांश	–	(531.10)	–	(531.10)
अंतिम लाभांश	–	–	–	–
निगम लाभांश कर	–	(108.12)	–	(108.12)
इक्विटी शेयरों का वापसी खरीद	–	–	–	–
वापसी खरीद पर कर	–	–	–	–
पूर्व क्रियात्मक व्यय	–	–	–	–
परिभाषित लाभ योजना की प्रतिपूर्ति (कर का निवल)	–	–	–	–
31.03.2018 पर शेष	**2,068.48**	**653.43**	**154.13**	**2,876.04**
01.04.2018 पर शेष	2,068.48	653.43	154.13	2,876.04
वर्ष के दौरान अनुवृद्धि	–	–	–	–
वर्ष के दौरान समायोजन	–	–	–	–
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटि	–	–	–	–
वर्ष के दौरान कुल लाभ	–	1,704.47	(19.69)	1,684.78
वर्ष के दौरान समायोजन	–	–	–	–
विनियोग				
सामान्य संचय से/को हस्तांतरण	85.22	(85.22)	–	–
अन्य संचय से/को हस्तांतरण	–	–	–	–
अंतरिम लाभांश	–	(297.04)	–	(297.04)
अंतिम लाभांश	–	–	–	–
निगम लाभांश कर	–	(61.06)	–	(61.06)
इक्विटी शेयरों की वापसी खरीद	–	–	–	
वापसी खरीद पर कर	–	–	–	
पूर्व क्रियात्मक व्यय का समायोजन	–	–	–	–
परिभाषित लाभ योजना की प्रतिपूर्ति (कर का निवल)	–	–	–	–
31.03.2019 को शेष	**2,153.70**	**1,914.58**	**134.44**	**4,202.72**

महत्वपूर्ण लेखा–नीतियाँ

नोट : 1 निगम सूचना

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, एक मिनीरत्न लोक उपक्रम है जो कि कोल इंडिया लिमिटेड (एक सरकारी उपक्रम) का शतप्रतिशत अनुषंगी है इसका पंजीकृत कार्यालय दरभंगा हाउस, राँची, झारखंड – 834029

यह कंपनी मुख्यतः कोयले के खनन एवं उत्पादन तथा कोल वाशरियों के संचालन से जुड़ी हुई है। इसके मुख्य ग्राहक पावर तथा स्टील क्षेत्र हैं। अन्य क्षेत्रों के ग्राहक में सीमेंट, फर्टिलाइजर, ईंट–भट्ठा इत्यादि शामिल हैं।

सीसीएल का इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा झारखंड सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम है जिसका नाम झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड (जे.सी.आर.एल.) है। जे.सी.आर.एल. का मुख्य उद्देश्य चिन्हित रेल कोरीडोर परियोजना को तैयार करना, संचालित करना एवं रख–रखाव करना है, जो कि झारखंड राज्य में खानों से कोयले की निकासी के महत्वपूर्ण है, जिसे भार ढुलाई तथा यात्री दोनों सेवाओं के लिए एवं जरूरी रेल आधारभूत संरचना के विकास हेतु, जिसमें सभी संबंद्ध सेवाओं इत्यादि के साथ रेलवे लाइनों का निर्माण शामिल है, के लिए उपयोग किया जाएगा।

नोट : 2 महत्वपूर्ण लेखा–नीतियाँ

नोट : 2.1 वित्तीय विवरण की तैयारी का आधार

कम्पनी का वित्तीय विवरण भारत में लागू लेखा सिद्धांतों, जिसे कि कंपनी नियम, 2015 के तहत अधिसूचित किया गया है, के अनुसार किया गया है।

स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया गया है, सिवाय

- कुछ वित्तीय परिसंपत्ति एवं देयताओं को अंकित मूल्य के आधार पर मापा गया है (वित्तीय साधन पर लेखा नीति पारा सं. 2.15 को देखें);
- परिभाषित लाभ योजनाएं – योजना परिसंपत्तियों को अंकित मूल्य के आधार पर मापा गया;
- लागत पर सामान सूची या एनआरवी जो कोई भी कम हो (पारा सं. 2.21 में लेखा नीति को देखें)

2.1.1 राशियों का पूर्णांक

इन वित्तीय विवरणों में राशियों को, जबतक कि अन्यथा निर्देशित किया गया है, करोड़ रू. में दशमलव के दो अंकों तक पूर्णांक किया गया है।

2.2 संघटन का आधार

2.2.1 अनुषंगियाँ

सभी अनुषंगियाँ एक तत्व हैं जिसपर कम्पनी का नियंत्रण होता है। कम्पनी एक तत्व/हस्ती को नियंत्रणित करती है, जब कम्पनी को तत्व के साथ शामिल होने के कारण विभिन्न प्रकार के रिटर्नों पर अधिकार प्राप्त होता है तथा तत्वों के संगत गतिविधियों को निर्देशित करने की शक्ति के कारण इन रिटर्नों को प्रभावित करने की योग्यता होती है। कम्पनी के अंतर्गत अपने नियंत्रण के हस्तांतरण की तारीख से ही अनुषंगियां पूर्ण रूप से समेकित हो जाती हैं।

कम्पनी के द्वारा व्यापार संयोजन के लिए लेखा करने हेतु, लेखा की अधिग्रहण विधि का उपयोग किया जाता है।

परिसंपत्तियों, देयताओं, इक्विटी, कैश फ्लो, आय एवं व्यय जैसे मदों को क्रमवार जोड़ते हुए कम्पनी अपने स्वामित्व एवं अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों को समाहित करती है। अंतर कम्पनी कार्य सम्पादन, शेष एवं कम्पनियो के बीच लेन–देन के उपर अप्राप्य प्राप्ति को नहीं रखा जाता है जबतक कि हस्तांतरित परिसंपत्तियों के परिशोधन का पुष्टिकरण कार्य सम्पादन के द्वारा दिखलाया नहीं जाता है। समान प्रकार की परिस्थितियों में एक जैसे कार्य–सम्पादन एवं

घटनाओं के लिए ग्रुप के द्वारा अपनाये गये लेखा–नीतियों को ही सामान्य तौर पर ग्रुप के सदस्य के द्वारा उपयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण विचलनों के संदर्भ में, समूह लेखा–नीतियों के अनुसार समरूपता सुनिश्चित करने के लिए समूह सदस्य वित्तीय विवरण के लिए उपयुक्त समायोजन किया जाता है।

अनुषंगियों के इक्विटी एव परिणामों में गैर–चालू ब्याजों को अलग से, लाभ एवं हानि के समेकित विवरण, इक्विटी एवं तुलन पत्र के परिवर्तनों के समेकित विवरणों में क्रमशः दिखलाया जाता है।

2.2.2 सहयोगियाँ

सहयोगियां वे सभी तत्व हैं जिनपर समूह का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है परन्तु कोई नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं होता है।

यह सामान्यतः उस प्रकार का होता है जहाँ समूह के पास 20 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत के बीच में वोटिंग अधिकार होता है।

वैसे निवेश या उसके अंश को जिसे विक्रय के लिए वर्गीकृत किया गया है तथा जिसे भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार लेखाकृत किया जाता है, को छोडकर, प्रारंभ में ही लागत के रूप में लेकर सहयोगियो में निवेश का लेखाकरण इक्विटी विधि के द्वारा की जाती है।

सहयोगी अपने निबल निवेश का परिशोधन वास्तुनिष्ठ प्रमाण के आधार पर करती है।

2.2.3 संयुक्त व्यवस्था

संयुक्त व्यवस्था वह व्यवस्था है जहाँ समूह के द्वारा एक या एक से अधिक पार्टियों के साथ संयुक्त नियंत्रण होता है।

संयुक्त नियंत्रण व्यवस्था के नियंत्रण का अनुबंधात्मक सहमति साझेदारी है जो कि सिर्फ मौजूद होता है जब प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने के लिए नियंत्रण साझा करने वाली पार्टियों के एकमत सहमति की जरूरत होती है।

संयुक्त व्यवस्था की वर्गीकरण या तो संयुक्त सचालन या संयुक्त उद्यम के रूप में होता है। वर्गीकरण, प्रत्येक निवेशक के अनुबंधात्मक अधिकार एवं दायित्वों पर निर्भर करता है न कि संयुक्त व्यवस्था के कानूनी ढांचे पर।

2.2.4 संयुक्त संचालन

संयुक्त संचालन वह संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत समूह के पास व्यवस्था से संबंधित दायित्वों के लिए परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का अधिकार प्राप्त होता है।

समूह, संयुक्त संचालन में परिसंपत्तियों, दायित्वों, राजस्व एवं व्यय तथा संयुक्त रूप से रखे हुए अथवा व्यय किये गये परिसंपत्तियों, दायित्वों, राजस्व एवं व्ययों में अपने हिस्से के सीधे अधिकार का संज्ञान लेता है।

2.2.5 संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यम वह संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत समूह के पास व्यवस्थाओं के निबल परिसंपत्तियों का अधिकार प्राप्त होता है।

संयुक्त उद्यम में ब्याज का लेखाकरण समेकित तुलन पत्र में प्रारंभिक तौर पर लागत के रूप में लिये जाने के बाद इक्विटी विधि के द्वारा किया जाता है।

वैसे निवेश या उसके अंश को जिसे विक्रय के लिए वर्गीकृत किया गया है तथा जिसे भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार लेखाकृत किया जाता है, को छोड़कर, प्रारंभ में ही लागत के रूप में लेकर संयुक्त उद्यम में निवेश का लेखाकरण इक्विटी विधि के द्वारा की जाती है।

संयुक्त उद्यम अपने निबल निवेश का परिशोधन वास्तुनिष्ठ प्रमाण के आधार पर करती है।

2.2.6 इक्विटी विधि

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत निवेशों को प्रारंभ में लागत पर मान्यता प्राप्त होता है और बाद में अधिग्रहण के लाभ

या हानि में निवेशक के नुकसान के ग्रुप के शेयर को और निवेशक की अन्य व्यापक आय का समूह का हिस्सा का अन्य व्यापक आमदनी पहचानने के लिए समायोजित किया जाता है। सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों से प्राप्त या प्राप्त करने वाले लाभांश को निवेश की मात्रा में कमी के रूप में स्वीकारा जाता है।

जब इक्विटी अकाउन्ट निवेश में होनेवाले घाटे का समूह का हिस्सा तत्व के हितों के बराबर या उससे अधिक है, किसी भी अन्य असुरक्षित दीर्घकालीक प्राप्तीयों सहित, समूह आगे के नुकसान को नहीं पहचानता है जबतक कि अन्य तत्व के बदले इसमें दायित्वों का खर्च नहीं होता है या इसके लिए भुगतान नहीं किया जाता है।

समूह एवं उसके सहयोगियों और संयुक्त उपक्रमों के बीच होनेवाले लेन–देन पर अप्रत्याशित लाभ इन संस्थाओं में समूह के हित की सीमा तक समाप्त हो जाते हैं। अनावृत हानियां भी समाप्त हो जाती हैं जबतक कि लेन–देन स्थानांतरित परिसंपत्ति के विकृति का प्रमाण नहीं देता। इक्विटी खातेदार निवेशक की लेखा–नीतियों को बदल दिया गया है जहां कहीं भी समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

2.2.7 मालिकाना हक में परिवर्तन

कंपनी गैर नियंत्रित हितों के साथ लेन–देन करती है जो कि कंपनी की इक्विटी मालिकों को लेन–देन के रूप में नियंत्रण के नुकसान में नहीं होती है। स्वामित्व के हित में परिवर्तन सहायक एवं गैर नियंत्रण हितों के वहन राशियों की मात्रा के बीच एक समायोजन में सहायक होता है जो कंपनियों में उनके संबद्ध हितों को दर्शाता है। गैर नियंत्रित हितो के समायोजन की राशि तथा भुगतान या प्राप्त किये जाने के अंकित मूल्य के बीच किसी भी अंतर को इक्विटी के तहत मान्यता प्राप्त होता है।

जब कंपनी, नियंत्रण खोने, संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव के कारण, निवेश के लिए इक्विटी लेखा को समेकित करना छोड़ देती है, तब तत्व में कोई भी धारण की हुई हित को इसके अंकित मूल्य पर पुनः मापा जाता है और वहन राशि में परिवर्तन को लाभ या हानि में माना जाता है। यह अंकित मूल्य एक सहयोगी, संयुक्त उद्यम या वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में धारित हित के लिए बाद के लेखांकन के प्रयोजनों के लिए प्रारंभिक वहन राशि बन जाता है। इसके अतिरिक्त, कोई भी राशि जिसे उस तत्व के संबंध में अन्य विस्तृत आय में पहले लिया गया है, को इस प्रकार लेखाकृत किया जाता है, मानो कि कंपनी ने संबद्ध परिसंपत्तियों देयताओं को सीधे निपटा दिया है। इसका मतलब यह हो सकता है कि अन्य विस्तृत आय में पहले से माने गए राशियों को लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत कर दिया जाता है।

यदि एक संयुक्त उद्यम या सहयोगी में स्वामित्व हितों को कम कर दिया जाता है परन्तु संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव को रखा जाता है, तब अन्य विस्तृत आय में पहले से माने गए राशियों के सिर्फ आनुपातिक हिस्से को लाभ या हानि, जहाँ उपयुक्त हो, में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

2.3 मौजूदा एवं गैर–मौजूदा वर्गीकरण

कंपनी मौजूद वर्गीकरण के आधार पर तुलन–पत्र में परिसंपत्तियों एवं देयताओ को प्रस्तुत करती है। एक परिसंपत्ति को मौजूद समझा जाता है जब :

(ए) इसके सामान्य संचालन चक्र में इसे प्राप्त करने का अनुमान है, या इसे बेचने अथवा उपभोग करने की प्रवृति है,

(बी) परिसंपत्ति को मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन के लिए रखा जाता है;

(सी) रिर्पोटिंग अवधि के बाद 12 महीने के अंदर परिसंपत्ति की उगाही करने का अनुमान है;

(डी) परिसंपत्ति नगद या नगद समतुल्य होता है (भारतीय लेखा मानक 7 से परिभाषित) जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए परिसंपत्ति को विनिमय होने या देयता के निपटारे में उपयोग करने से वंचित नहीं रखा जाता है। अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–मौजूद के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी एक देयता को मौजूद श्रेणी में रखती है जब :

(ए) इसके सामान्य संचालन चक्र में इसे प्राप्त करने का अनुमान है;

(बी) देयता को मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन के लिए रखा जाता है;

(सी) रिर्पोटिंग अवधि के बाद 12 महीने के अंदर देयता की उगाही करने का अनुमान है,

(डी) रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देयता के निपटारे की आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार है। प्रतिकूल पार्टी के विकल्प पर, यदि देयता की शर्तों के फलस्वरूप इक्विटी साधनों के विष के द्वारा इसका निपटारा हो सकता है तो वह इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करता है।

अन्य सभी देयताएं को गैर–मौजूदा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.4 राजस्व मान्यता

भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व, भारतीय लेखा मानक 11 निर्माण अनुबंध एवं भारतीय लेखा मानक 18 राजस्व मान्यता के ऊपर बाध्य है, और यह ग्राहकों के साथ अनुबंध से उत्पन्न सभी राजस्व पर लागू होता है। भारतीय लेखा मानक 115 ग्राहकों के साथ अनुबंध से उत्पन्न होने वाले राजस्व के लिए एक पांच–चरण मॉडल की स्थापना करता है और इसके लिए आवश्यक है कि राजस्व को उस राशि पर मान्यता दी जाए जो उस विचार को दर्शाती है जिसके लिए कंपनी किसी ग्राहक को सामान या सेवाओं के हस्तांतरण के बदले मे हकदार होने की उम्मीद करती है। कोल इंडिया लिमिटेड ('सीआईएल' या 'कंपनी') ने पूर्वव्यापी विधि का उपयोग करते हुए भारतीय लेखा मानक 115 को अपनाया है।

भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार संस्थाओं को सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध करने के लिए मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करने में निर्णय लेने की आवश्यकता है। एक अनुबंध प्राप्त करने और एक अनुबंध को पूरा करने के लिए सीधे संबंधित लागत पर मानक वृद्धिशील लागतों के लिए लेखांकन को भी निर्दिष्ट करता है।

2.4.1 ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

कोल इंडिया लिमिटेड एक भारतीय राज्य नियंत्रित उद्यम है जिसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत और यह दुनिया में सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को तब पहचाना जाता है जब माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को ऐसी राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो उस प्रतिफल को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी को उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद है। कंपनी ने आम तौर पर निष्कर्ष निकाला है कि यह अपने राजस्व व्यवस्था में प्रमुख है क्योंकि यह सामान या सेवाओं को ग्राहक को स्थानांतरित करने से पहले नियंत्रित करता है।

भारतीय लेखा मानक 115 में सिद्धांतों को निम्नलिखित पॉच चरणों का उपयोग करके लागू किया जाता है :

चरण 1 : अनुबंध की पहचान करना

ग्राहक के साथ अनुबंध के लिए कंपनी का खाता केवल तभी होता है जब निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा किया जाता है :

क) अनुबंध के पक्षकारों ने अनुबंध को मंजूरी दे दी है और अपने संबंधित दायित्वों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं;

ख) कंपनी हस्तांतरित किए जाने वाले सामान या सेवाओं के बारे में प्रत्येक पार्टी के अधिकारों की पहचान कर सकती है;

ग) कंपनी को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान की शर्तों की पहचान कर सकती है;

घ) अनुबंध में वाणिज्यिक पदार्थ है (यानी, कंपनी के भविष्य के नकदी प्रवाह का जोखिम, समय या राशि अपेक्षित है अनुबंध के परिणामस्वरूप बदलने के लिए), तथा

ङ) यह संभावना है कि कंपनी उस विचार को एकत्र करेगी जिसके लिए वह माल के बदले में हकदार होगा या ऐसी सेवाएँ जो ग्राहक को हस्तांतरित की जाएंगी। जिस राशि पर कंपनी का हक होगा, उस पर विचार किया जाएगा यदि अनुबंध परिवर्तनीय है तो अनुबंध में बताई गई कीमत से कम हो सकता है क्योंकि कंपनी ग्राहक को कीमत रियायत, छूट, धनवापसी, क्रेडिट या प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, एक जैसे वस्तु के हकदार को पेशकश कर सकती है।

अनुबंधों का संयोजन

कंपनी दो या अधिक अनुबंधों को एक ही समय में एक ही ग्राहक (या ग्राहक के संबंधित पक्षों) के साथ मिलाती है) और अनुबंध के लिए एक एकल अनुबंध के रूप में माना जाता है यदि निम्न मानदंडों में से एक या एक से अधिक पूर्ण हों:

क) अनुबंधों को एक एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एक पैकेज के रूप में निपटाया जाता है।

ख) एक अनुबंध में भुगतान की जाने वाली राशि की मात्रा दूसरे अनुबंध की कीमत या प्रदर्शन पर निर्भर करती है। या

ग) अनुबंध में दिए गए सामान या सेवाएं (या प्रत्येक अनुबंध में वादा किए गए कुछ सामान या सेवाएं) एकल प्रदर्शन दायित्व हैं।

अनुबंध संशोधन

निम्नलिखित दोनो शर्तों के मौजूद होने पर एक अलग अनुबंध के रूप में एक अनुबंध संशोधन के लिए कंपनी खाता खोल सकती है :

क) अनुबंधित वस्तुओं का दायरा बढ़े हुए माल और सेवाओं के अलावा भिन्न होने के कारण बढ़ता है।

ख) अनुबंध की कीमत उस प्रतिफल की मात्रा से बढ़ जाती है जो कंपनी की स्टैंड–अलोन बेचने की कीमतों को दर्शाती है विशेष अनुबंध की परिस्थितियों को दर्शाने के लिए उस मूल्य पर अतिरिक्त वादा किए गए सामान या सेवाएं और किसी भी उचित मूल्य का समायोजन हो।

चरण 2: प्रदर्शन दायित्वों की पहचान

अनुबंध की स्थापना के समय, कंपनी ग्राहक के साथ अनुबंध में दिए गए सामान या सेवाओं का आकलन करती है और एक प्रदर्शन दायित्व के रूप में पहचान प्रत्येक ग्राहक को हस्तांतरित करने का वादा करती है.

क) एक वस्तु या सेवा (या वस्तुओं या सेवाओं का एक बंडल) जो अलग है। या

बी) भिन्न वस्तुओ या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक समान हैं और जिनके ग्राहक को हस्तांतरण के समान प्रतिमान हैं।

चरण 3: लेनदेन मूल्य का निर्धारण

कंपनी लेनदेन की कीमत निर्धारित करने के लिए अनुबंध की शर्तों और उसके प्रथागत व्यवसाय प्रथाओं पर विचार करती है। लेन–देन की कीमत उस प्रतिफल की राशि है जिसके लिए कंपनी का किसी ग्राहक को वादा किए गए माल या सेवाएँ के हस्तांतरण के बदले में तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशियों को छोड़कर हकदार होने की उम्मीद करती है। एक ग्राहक के साथ एक अनुबंध के वादा में निश्चित मात्रा, चर राशि या दोनों शामिल हो सकते हैं।

लेन–देन मूल्य निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित में से सभी के प्रभावों पर विचार करती है:

– चर प्रतिफल;

– चर प्रतिफल के विवश अनुमान;

– महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक का अस्तित्व;

– गैर – नकद प्रतिफल;

– ग्राहक को देय प्रतिफल।

छूट, रिफंड, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, प्रोत्साहन, प्रदर्शन, बोनस, या अन्य समान मद के कारण विचार की मात्रा भिन्न हो सकती है। वादा किया गया प्रतिफल भी भिन्न हो सकता है यदि कंपनी की प्रतिपूर्ति के लिए पात्रता भविष्य की वृत्तांत की घटना या गैर–घटना पर आकस्मिक हो।

कुछ अनुबंधों मे, दंड निर्दिष्ट हैं। ऐसे मामलों में, अनुबंध के सार के अनुसार दंड का हिसाब लगाया जाता है। जहाँ लेनदेन के मूल्य के निर्धारण में जुर्माना निहित है, यह चर प्रतिफल का हिस्सा है।

कंपनी लेनदेन मूल्य में केवल कुछ हद तक अनुमानित चर प्रतिफल के कुछ या सभी को शामिल करती है जब यह अत्यधिक संभावना है कि मान्यता प्राप्त सचयी राजस्व की मात्रा में एक महत्वपूर्ण उलटफेर नहीं हो जब चर प्रतिफल के साथ जुड़े अनिश्चितता का बाद में हल हो।

अनुबंध की स्थापना के समय, अगर कंपनी यह अपेक्षा करती है कि एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए प्रतिफल की राशि को समायोजित नहीं करती है, कि जब वह किसी ग्राहक को एक वादा किया गया सामान या सेवा स्थानांतरित करता है और ग्राहक उस सामान के लिए भुगतान करता है, तो उसके बीच की अवधि सेवा एक वर्ष या उससे कम की होगी।

यदि कंपनी ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त करती है और ग्राहक को उस प्रतिफल के कुछ या सभी को वापस करने की अपेक्षा करती है, तो कंपनी धन वापसी दायित्व को पहचानती है। एक वापसी दायित्व को प्राप्त प्रतिफल (या प्राप्य) की मात्रा पर मापन की जाती है, जिसके लिए कंपनी को हकदार होने की उम्मीद नहीं है (यानी लेनदेन मूल्य में शामिल नहीं की गई राशि)। वापसी दायित्व (और लेनदेन की कीमत में परिवर्तन, अनुबध देयता) को परिस्थितियों में बदलाव के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अदयतन किया जाता है।

अनुबंध की स्थापना के बाद, लेन–देन की कीमत विभिम्न कारणों से बदल सकती है, जिसमें अनिश्चित घटनाओं के समाधान या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन शामिल हैं जो उस प्रतिफल की राशि को बदलते हैं, जिसके लिए कंपनी को वादा किए गए सामान या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद है।

चरण 4 : लेनदेन मूल्य का आवंटन

लेन–देन का मूल्य आवंटित करते समय कंपनी का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व (या अलग–अलग सामान या सेवा) का लेन–देन मूल्य आवंटित के उस राशि पर करें, जिसमें प्रतिफल सम्मिलित हो, तथा जिसके लिए कंपनी ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं को स्थानांतरित करने के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है।

एक सापेक्ष स्टैंड–अलोन विक्रय मूल्य के आधार पर प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए लेन–देन की कीमत आवंटित करने के लिए, कंपनी अनुबंध में प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के आधार पर अलग–अलग सामान या सेवा की स्थापना के समय स्टैंड–अलोन विक्रय मूल्य निर्धारित करती है और लेन देन मूल्य आवटित उन स्टैंड–अलोन विक्रय मूल्यों के अनुपात में करती है।

चरण 5 : राजस्व पहचानना

कंपनी राजस्व को तब पहचानती है जब (या के रूप में) कंपनी एक ग्राहक को एक सामान या सेवा का वादा करके एक प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करती है। एक सामान या सेवा तब हस्तांतरित की जाती है जब (या के रूप में) ग्राहक उस सामान या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है।

कंपनी समय के साथ एक सामान या सेवा का नियत्रण स्थानांतरित करती है और इसलिए, एक प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करती है और समय के साथ राजस्व को पहचानती है, यदि निम्न मानदंडों में से एक को पूरा किया जाता है :

क) ग्राहक एक साथ कंपनी के प्रदर्शन द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करता है और उपभोग करता है जैसा कि कंपनी करती है;

ख) कंपनी का प्रदर्शन ऐसी परिसंपत्ति बनाता है या बढ़ाता है जब ग्राहक उस संपत्ति को बनाने या बढ़ाने के दौरान नियंत्रित करता है;

ग) कंपनी का प्रदर्शन कंपनी के लिए एक वैकल्पिक उपयोग के साथ संपत्ति नहीं बनाता है और कंपनी के पास आज तक के प्रदर्शन के भुगतान को लागू करने के लिए योग्य अधिकार है।

समय के साथ संतुष्ट प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए, कंपनी उस प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति को मापकर समय के साथ राजस्व को पहचानती है।

कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए प्रगति को मापने का एक एकल तरीका लागू करती है और कंपनी उस पद्धति को समान प्रदर्शन दायित्वों और समान परिस्थितियों में लगातार लागू करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति का पुनः मापन करती है।

कंपनी अनुबंध के तहत वादा किए गए शेष सामानों या सेवाओं के सापेक्ष स्थानांतरित की गई वस्तुओं या सेवाओं के ग्राहक को मूल्य के प्रत्यक्ष माप के आधार पर राजस्व पहचानने के लिए उत्पादन तरीके को लागू करती है। उत्पादन विधियों में आज तक पूर्ण किए गए प्रदर्शन के सर्वेक्षण की विधियां से लेकर परिणाम, प्राप्त परिणामों के मूल्यांकन, प्राप्त किये गए कठिन पड़ाव, बिते समय और उत्पादित इकाइयाँ या प्रदत्त इकाइयाँ का इस्तेमाल करती है।

जैसे–जैसे समय के साथ हालात बदलते हैं, कंपनी प्रदर्शन दायित्व के परिणाम में किसी भी बदलाव को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रगति के अपने उपाय को अपडेट करती है। कंपनी की प्रगति के माप में इस तरह के बदलावों को भारतीय लेखा मानक 8, लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन के अनुसार लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप मे मापा जाता है।

कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए राजस्व को तभी पहचानती है, यदि कंपनी यथोचित रूप से प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति को माप सकती है। जब (या के रूप में) एक प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट हो जाता है, तो कंपनी लेन–देन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में पहचानती है (जो कि चर दायित्व के अनुमानों को शामिल नहीं करता है जो उस प्रदर्शन दायित्व के लिए आवंटित होता है)।

यदि एक प्रदर्शन दायित्व समय के साथ संतुष्ट नही है, तो कंपनी एक समय मे प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करती है। उस समय को निर्धारित करने के लिए, जिस पर एक ग्राहक वादा किया हुआ सामान या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है और कंपनी एक प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करती है, कंपनी नियंत्रण हस्तांतरण के संकेतकों पर विचार करती है, जिसमें शामिल हैं, लेकिन निम्नलिखित तक सीमित नहीं हैं :

क) कंपनी के पास सामान या सेवा के भुगतान का वर्तमान अधिकार है;

ख) ग्राहक के पास सामान या सेवा के लिए कानूनी शीर्षक है,

ग) कंपनी ने सामान या सेवा के भौतिक कब्जे को स्थानांतरित कर दिया है;

घ) ग्राहक के पास सामान या सेवा के स्वामित्व के लिए महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार हैं;

ड) ग्राहक ने सामान या सेवा को स्वीकार कर लिया है।

जब किसी अनुबंध के लिए पार्टी ने प्रदर्शन किया है, तो कंपनी, कंपनी के प्रदर्शन और ग्राहक के भुगतान के बीच के संबंध के आधार पर अनुबंध को अनुबंध परिसंपत्ति या अनुबंध देयता के रूप में तुलन पत्र में प्रस्तुत करती है। कंपनी बिना शर्त अधिकार प्रतिफल को प्राप्य के रूप में पेश करती है।

संविदा परिसंपत्ति

ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में प्रतिफल करने के अधिकार को एक संविदा परिसंपत्ति कहते हैं। यदि कंपनी ग्राहक पर प्रतिफल करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहक को हस्तांतरित करती है, तो अर्जित प्रतिफल के लिए सशर्त संविदा परिसंपत्ति में अभिज्ञात की जाती है।

व्यापार प्राप्य

प्रतिफल के परिमाण पर कंपनी के अधिकार का प्रतिनिधित्व एक प्राप्य करता है जो अशर्त है (यानी, प्रतिफल के भुगतान से पहले केवल समय बीतने की आवश्यकता है)।

संविदा देयताएँ

एक संविदा दायित्व एक ग्राहक को माल या सेवाओं को स्थानांतरित करने का दायित्व है जिसके लिए कंपनी को ग्राहक से प्रतिफल (या प्रतिफल की राशि देय है) प्राप्त हुआ है। यदि कोई ग्राहक, कंपनी के द्वारा वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करने से पहले, प्रतिफल का भुगतान करता है, तो ग्राहक पर विचार करता है, एक संविदा देयता को तब माना जाता है जब भुगतान या देय की जाती है (जो भी पहले हो)। संविदा देनदारियों को राजस्व के रूप में तब माना जाता है जब कंपनी संविदा के तहत प्रदर्शन करती है।

2.4.2 ब्याज

प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करते हुए ब्याज आय को मान्यता दी जाती है।

2.4.3 लाभांश

निवेशों से प्राप्त लाभांश आय की मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है।

2.4.4 अन्य दावे

अन्य दावों (ग्राहकों से देरी से प्राप्त राशि पर ब्याज सहित) को लेखाकृत किया जाता है, जब वसूली की प्राप्ति की निश्चितता है तथा इसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है।

2.4.5 सेवाओं का समर्पण

जब सेवाओं के समर्पण से संबंधित लेन–देन के परिणामें को विश्वसनीयता से आकलन किया जा सकता है, तब रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेन–देन की समाप्ति के अवस्था के परिपेक्ष्य में लेन–देन के साथ संबंधित राजस्व को मान्यता दी जाती है। लेन–देन के परिणाम का आकलन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता है यदि निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी हो जाती है।

(ए) राजस्व की राशि को विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है;

(बी) यह संभव है कि लेन–देन संबंधित आर्थिक लाभ तत्व की ओर प्रवाह करेगा,

(सी) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेन–देन के समाप्ति की अवस्था को विश्वासपूर्वक मापा जा सकता है, और

(डी) लेन–देन कार्यान्वित करने के लिए खर्च हुए लागत तथा इसे समाप्त करने की लागत को विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है।

2.5 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदान तब तक नहीं लिखे जाते है जबतक कि कंपनी द्वारा अनुदान से संबंधित शर्तों के अनुपालन तथा अनुदान प्राप्त कर ली जाएगी, इस बात का पर्याप्त आश्वासन हो।

सरकारी अनुदानों को, उन अवधियों के लिए, जिसमे कंपनी उसे व्यय के तौर पर लेती है एवं उससे संबद्ध लागत के लिए ही अनुदान से ही क्षति पूर्ति किया जाना है, लाभ एवं हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर लिखा जाता है।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान/सहायता को तुलन पत्र में अनुदान को आस्थगित आम तौर पर प्रस्तुत किया जाता है तथा लाभ एवं हानि के विवरण में परिसपत्तियों के उपयोगी आयु के व्यवस्थित आधार पर लिखा जाता है।

आय से संबंधित अनुदान (अर्थात परिसंपत्ति के अलावा अनुदान) को लाभ या हानि विवरण के अंश के तौर पर 'अन्य आय' सामान्य मद के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

एक सरकारी अनुदान पूर्ण रूप से हो चुके व्ययों अथवा हानियों यां कंपनी की तात्कालिक वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से, जिसका भविष्य में कोई लागत न हो, के लिए क्षतिपूर्ति के तौर पर प्राप्य बन जाता है, तथ इसे उस अवधि के लिए लाभ या हानि मद में दिखलाया जाता है जिसमें वह प्राप्य बन जाता है।

सरकारी अनुदान या प्रमोटरों के योगदान के प्रवृति के रूप में सीधे मद में लिखा जाता है जो कि शेयरधारक निधि का अश होता है।

2.6 लीज पट्टा

वित्तीय लीज वह लीज है जो परिसंपत्ति के स्वामित्व पर पड़ने वाले सभी जोखिमों एवं पुरस्कारों की सत्यता से हस्तांतरित करता है। टाइटल या अथवा या नहीं हस्तांतरित हो सकता है।

2.6.1 कंपनी पट्टेदार के रूप में

एक लीज/पट्टा प्रारंभ होने की तारीख पर एक वित्तीय लीज अथवा संचालन लीज में वर्गीकृत होता है।

2.6.1.1 वित्तीय पट्टों को प्रारंभ की तारीख पर पट्टीकृत संपत्ति के अंकित मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है अथवा, न्यूनतम की स्थिति में राशि के वर्तमान मूल्य पर नयूनतम लीज भुगतान को वित्तीय शुल्कों एवं लीज देयता में कमी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है ताकि बचे हुए शेष देयता पर स्थिर अवधितात्मक ब्याज दर को प्राप्त किया जा सके।

वित्तीय शुल्कों को लाभ एवं हानि विवरण में वित्तीय लागत के रूप में लिया जाता है, और यदि वे योग्यता परिसंपत्ति में सीधे तौर पर आरोपित होने लायक हों उस स्थिति में उनको कंपनी को उधार लागतों पर आधारित सामान्य नीति के अनुसार पूंजीकृत किया जाता है।

लीज परिसंपत्ति में मूल्य ह्रास परिसंपत्ति के उपयोगी आयु पर आधारित होता है। यद्यपि, यदि उचित निश्चितता नहीं हो कि कंपनी लीज अवधि के अंत में स्वामित्व प्राप्त कर पाएगी या नहीं, उस स्थिति में परिसंपत्ति में मूल्य ह्रास, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी आयु तथा लीज अवधि में से न्यूनतम पर, आधारित होगा।

2.6.1.2 संचालन लीज – लीज राशि को लीज अवधि पर सीधी रेखा आधारित व्यय के तौर पर लिया जाता है, जबतक या तो:

(ए) कोई दूसरा व्यवस्थित आधार, उपयोगकर्ता लाभ के समयाकार को ज्यादा अच्छे तरह से प्रस्तुत करता हो या अथवा

(बी) पट्टेदार भुगतान इस प्रकार गठित हो कि वो अनुमानित सामान्य स्थिति के अनुरूप बढे ताकि पट्टेदार की अनुमानित लागत में वृद्धि की क्षतिपूर्ति हो सके। यदि पट्टेदार का भुगतान सामान्य स्फिति के अलावा अन्य तथ्यों के कारण बदलता है, तब यह स्थिति वही आती है।

2.6.2 कंपनी एक पट्टेदाता के रूप में

संचालन लीज/पट्टा – संचालन लीजों (बीमा एवं मरम्मत जैसी सेवाओं के राशियों को छोड़कर) से प्राप्त लीज/पट्टा आय को लीज अवधि के उपर सीधी रेखा आधार पर आय के रूप में लिया जाता है, जबतक या तो:

(ए) दूसरा व्यवस्थित आधार उस समय पैटर्न को ज्यादा प्रदर्शित करता है जिसमें लीज परिसंपत्ति से प्राप्त उपयोगिता लाभ कम हो जाती है, बावजूद उसके कि पट्टादाता को भुगतान उस पर आधारित नहीं है अथवा,

(बी) पट्टेदार का भुगतान इस प्रकार गठित हो कि वो अनुमानित सामान्य स्फिति के अनुरूप बढे ताकि पट्टेदार की अनुमानित स्फिति लागत में वृद्धि की क्षतिपूर्ति हो सके। यदि पट्टेदार का भुगतान सामान्य स्थिति के अलावा अन्य तथ्यों के कारण बदलता है, तब यह स्थिति नहीं आती है।

वित्तीय लीज/पट्टे – वित्तीय लीजों के अन्तर्गत लीजों से संबंधित बकाया राशि को कंपनी के लीजों में निवेश पर प्राप्य के रूप में प्रविष्टि किया जाता है। वित्तीय लीज से संबंधित निबल निवेश बकाया राशि पर स्थिर आवर्ती प्राप्ति दर प्राप्त हो सके।

संचालित लीज के व्यवस्था एवं समझौता के लिए खर्च हुए प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को लीज परिसंपत्ति के अग्रेषित राशि के साथ जोड़ा जाता है तथा इसे लीज आय की तरह ही लीज अवधि के उपर व्यय के रूप में लिया जाता है।

2.7 विक्रय के लिए रखा गया गैर–चालू परिसंपत्ति

कंपनी गैर–चालू (एवम/(अथवा परिव्यक्त समूह) का विक्रय के लिए रखती है यदि उनके भारित राशि की वसुली मुख्य रूप से विक्रय के द्वारा होगी न कि लगातार उपयोग की वजह से। विक्रय पुरा करने के लिए जरूरी कदम को यह निर्दिष्ट करना चाहिए कि विक्रय में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने या विक्रय करने की निर्णय की वापस लेने की बिलकुल संभावना नहीं है। प्रबंधन को वर्गीकरण की तारीख से एक साल के अंदर अनुमानित विक्रय के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

इन सब उद्देश्यों के लिए, विक्रय लेन–देन में अन्य गैर–मौजूदा परिसंपत्तियों के लिए गैर–मौजूदा परिसंपत्तियों के साथ विनिमय शामिल होता है, जब विनिमय में वाणिज्यिक पहलु होता है। विक्रय वर्गीकरण के लिए आयोजित मानदंडों को केवल तब ही माना जाता है जब परिसंपत्तियों या निपटान समुह अपने वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए सामान्य और परंपरागत हैं, इसको बिक्री के उपलब्ध होता है, केवल ऐसी शर्तों के लिए जो ऐसी संपत्ति या निपटान समूहों को बिक्री के लिए सामान्य और

परंपरागत है, इसकी बिक्री अत्यधिक संभावित है, और यह वास्तव में बेचा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। कंपनी परिसंपत्ति या निपटान समूह की बिक्री को बेहद संभव मानती है, जब

- उपयुक्त स्तर की प्रबंधक, परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बेचने के लिए प्रतिबद्ध है।
- खरीदार का पता लगाने या योजना पूरी करने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- संपत्ति (निपटान समूह) का, सक्रिय रूप से अपने मौजूदा उचित मूल्य के संबंध में उचित मूल्य वाली कीमत पर बिक्री के लिए, विपणन किया जा रहा है।
- वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरी बिक्री के रूप में मान्यता के लिए बिक्री के योग्य होने की उम्मीद है, और
- योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यों का संकेत मिलता है कि यह संभावना नहीं है कि योजना में वे सब महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे या योजना को वापस ले लिया जाएगा।

2.8 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पी. पी. ई.)

भूमि एतिहासिक लागत पर की जाती है। ऐतिहासिक लागत में वे सब व्यय भी शामिल है जिन्हें, संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए किए गए रोजगार के बदले भूमि के अधिग्रहण, पुनर्वास खर्च, पुनर्स्थापन लागत एवं क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से श्रेय दिया जाता है।

मान्यता के बाद, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की एक वास्तु को, लागत प्रतिमान के तहत किसी भी संचित अवमूल्यन किसी भी सचित हानि को अपने लागत से घटाकर आगे लिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की एक मद में शामिल है :

(ए) व्यापार छूट और छूट की कटौती के बाद आयात शुल्क तथा गैर–वापसी योग्य खरीद करें। सहित इसकी खरीद मूल्य।

(बी) कोई भी लागत जिसे परिसंपत्ति की स्थल तक लाने का सीधा श्रेय हो तथा प्रबंधन के उद्देश्य से कार्य करने में सक्षम होने के लिए जरूरी शर्त

(सी) वस्तु को नष्ट करने एवं निकालने तथा उस स्थल को, जहां पर वह स्थित पुनर्स्थापित करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान, वह जिसके लिए एक इकाई या तो तब उठती है जब वस्तु अधिग्रहित हो जाता है या किसी विशेष अवधि के दौरान वस्तु का उपयोग करने के फलस्वरूप उस अवधि के दौरान सामान–सूची बनाने के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए।

सपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के एक वस्तु का प्रत्येक भाग, जिसकी लागत, वस्तु के कुल लागत की तुलना में महत्वपूर्ण है, का अवमूल्यन अलग से होता है। यद्यपि पी. पी. ई. के एक वस्तु के महत्वपूर्ण भाग (भागों), जिनका उपयोगी जीवन एवं मूल्यह्रास विधि एक समान होता है, को मूल्यह्रास विधि एक समान होता है, को मूल्यह्रास शुल्क निर्धारित करने के लिए एक साथ समुहीकृत किया जाता है।

"मरम्मत एवं रखरखाव" के वर्णित दिन–प्रतिदिन की सर्विसिंग की लागत उस अवधि में लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त होती है जिसे उस अवधि में खर्च किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की एक मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण जगहों को बदलने के बाद की लागत वस्तु की वहन राशि में पहचाने जाते हैं, अगर यह संभव है कि वस्तु के साथ जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी के पास आएंगे, और वस्तु की लागत मजबूती से मापा जा सकता है। प्रतिस्थापित किए जाने वाले उन हिस्सों की ले जाने वाली मात्रा का नीचे दिए गए विरूपण नीति के अनुसार अस्वीकृत कर दिया जाता है।

जब वृहत निरीक्षण किया जाता है तो उसकी लागत को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के वस्तु की मात्रा में प्रतिस्थापन के रूप में पहचाना जाता है यदि यह संभावित है कि वस्तु के साथ जुडे भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी के पास आएंगे और वस्तु की लागत मजबूती से मापा जा सकता है। पिछली निरीक्षण (भौतिक भागों से अलग) की लागत का कोई शेष हो जाने वाली राशि को अवनित कर दिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरणों के मूल्य ह्रास को, लगान मुक्त भूमि को छोड़कर, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन के उपर निधि रेखा के आधार पर लागत प्रतिमान के अनुसार निम्नलिखित तौर पर प्रदान की जाती है :

अन्य भूमि (पट्टा भूमि सहित)	:	परियोजना की आयु या पट्टा अवधि जो भी कम है
भवनें	:	3 – 60 वर्ष
सड़कें	:	3 – 10 वर्ष
दूर–संचार	:	3 – 9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	:	15 वर्ष
संयंत्र और उपकरण	:	5 – 15 वर्ष
कंप्युटर एवं लैपटॉप	:	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	:	3 – 6 वर्ष
फर्नीचर एवं फिक्सचर	:	10 वर्ष
वाहन	:	8 – 10 वर्ष

तकनीकि मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि उपर दिए गए उपयोगी जीवन अवधि उस सर्वोत्तम अवधि को चित्रित करता है जिसपर प्रबंधन को परिसंपत्ति उपयोग करने का अनुमान है। अतएव परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची के भाग – सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों की अनुमति उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों का अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्ति के मूल लागत का 5 प्रतिशत माना जाता है सिवाय परिसंपत्तियों की कुछ सामान को छोड़कर जैसे कोयला टन/घुमावदार (रस्सियाँ, ढुलाई रस्सियाँ, भराई पम्प एवं सुरक्षा लैप इत्यादि, जिसके लिए तकनीकि रूप से अनुमानित उपयोगी जीवन का निर्धारण शुन्य अवशिष्ट मूल्य के साथ एक साल का किया गया है।

वर्ष के दौरान जोड़े गए/निकाले गए परिसंपत्तियो पर मूल्य ह्रास को जोड़/निपटान के महीने के संदर्भ मे प्रो–डाटा के आधार पर प्रदान किया गया है।

''अन्य भूमि'' के मूल्य में कोल बियरींग एरिया (अधिग्रहण एव निकाल) (सी. बी. सी.) अधिनियम, 1957 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1989; भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार य पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएफसीटीएलएआर) अधिनियम, 2013; सरकारी भूमि आदि का दीर्घकालीन हस्तांतरण, जो परियोजना की शेष जीवन के आधार पर परिशोधित होता है और पट्टे की भूमि के मामले में इस तरह के परिशोधन को पट्टे की अवधि या परियोजना के शेष जीवन पर, जो भी कम हो, पर आधारित होता है।

पूरी तरह से अवशिष्ट परिसंपत्ति को, जिनकी सक्रिय उपयोग समाप्त हो चुका है, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत अपने अवशिष्ट मूल्य पर अलग से सर्वेक्षण की हुई परिसंपत्ति के रूप में दिखलाया जाता है तथा उन्हें हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।

कंपनी द्वारा कुछ परिसंपत्तियों के निर्माण/विकास के लिए किए गए पूंजीगत व्यय, जो उत्पादन वस्तु आपूर्ति या कंपनी के किसी मौजूद परिसंपत्तियो तक पहुंच के लिए आवश्यक होते हैं, को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत सक्षम परिसंपत्तियों के रूप में चिन्हित किया जाता है।

भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन

पिछली GAAP के अनुसार मापी गई, भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन की तिथि पर वित्तीय विवरणों में पहचाने जाने वाले लागत प्रतिमान (अपने सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए) के अनुसार वहन मूल्य को जारी रखने की कंपनी ने चुना है।

2.9 खान बंदीकरण, स्थल पुनर्स्थापन एवं सेवामुक्तिकरण दायित्व

भूमि सुधार एवं संरचनाओं के सेवा से मुक्ति संबंधी दायित्व कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार

सतह एवं भूमिगत दोनों खानों पर खर्च करना शामिल है। कंपनी, आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए भविष्य की नकदी खर्च भी राशि एवं समय की विस्तृत गणना तथा तकनीकि आकलन के आधार पर खान बंदीकरण, स्थल पुनर्स्थापन एवं सेवा–नियुक्तिकरण के लिए दायित्व का अनुमान लगाती है। खान बंदीकरण व्यय स्वीकृत खान बंदीकरण योजना के अनुसार प्रदान की जाती है। व्ययों के अनुसार मुद्रास्फीति के लिए बढ़ाए जाते हैं, और फिर एक छूट दर पर छूट दी जाती है जो कि मुद्रा के समय मूल्य के मौजूदा बाजार मूल्यांकन और जाखिमों को दर्शाती है, जैसे कि प्रावधान की राशि दायित्व के निपटारे के लिए जरूरी अनुमानित व्यय के मौजूदा मूल्य को दर्शाती है। कंपनी अंतिम भूमि सुधार एवं खान बंदीकरण के लिए दायित्व से संबंधित परिसंपत्ति का आंकड़ा रखती है/रिकार्ड करती है। दायित्व एवं उससे संबंधित परिसंपत्तियों को देयता अवधि मे मान्यता प्राप्त होता है। दायित्व एवं उससे संबंधित परिसंपत्तियों को देयता अवधि में मान्यता प्राप्त होता है। खदान बंदीकरण योजना के अनुसार कुल पुनर्स्थापन लागत (सीएमपीडीआईएल के द्वारा अनुमानित) को दर्शाने वाली परिसंपत्ति को पीपीई (संयंत्र, उपकरण) में एक अलग वस्तु के रूप में पहचाना जाना है और यह शेष परियोजना/खान जीवन पर परिशोधित होता है।

प्रावधान का मूल्य छूट के प्रभाव के रूप में धीरे–धीरे समय पर बदला जाता है और इससे उत्पन्न व्यय की वित्तीय व्ययों के रूप में लिया जाता है।

इसके अलावा, अनुमोदित खान बंदीकरण योजना के अनुसार इस उद्देश्य के लिए एक विशेष एस्क्रो निधि खाता का रखरखाव किया जाता है।

कुल खदान बंदीकरण दायित्वों का हिस्सा बनने वाले वर्ष दर वर्ष के आधार पर किए जाने वाले प्रगतिशील खदान बंदीकरण व्ययों को प्रारंभिक रूप में एस्को खाते से प्राप्य के रूप में पहचाना जाता है और उसके बाद उस वर्ष में दायित्व के साथ समायोजित।

2.10 अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति

अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियो में पूंजीगत लागत शामिल होती है, जो कि कोयला और सबंधित संसाधनों की खोज के कारण होती है, जो तकनीकि व्यवहार्यता के निर्धारण तथा एक ऐसे संसाधन के वाणिज्यिक व्यवहार्यता मूल्यांकन के लिए लंबित होती है जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल हैं।

- ऐतिहासिक अन्वेषण आंकड़ा का शोध तथा विश्लेषण;
- भौगोलिक, भौगोलिक–रासायनिक तथा भौगोलिक–शारीरिक अध्ययन के माध्यम से अन्वेषण के आंकड़े एकत्रित करना,
- खोजी वेधन, खाई–खुदाई एवं नमूना;
- संसाधनों की मात्रा एवं श्रेणी का निर्धारण और जांच,
- परिवहन एवं आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का पर्यवेक्षण;
- बाजार एवं वित्त अध्ययन का आयोजन।

उपर्युक्त में कर्मचारियों के पारिश्रमिक, सामग्री की लागत तथा उपयोग की जानेवाली ईंधन, ठेकेदारों का भुगतान आदि शामिल है।

चूंकि अमूर्त घटक भविष्य के शोषण से खर्च किये जाने और पुनर्नवीनी की जानेवाली समग्र अपेक्षित मौखिक लागत का एक तुच्छ/अप्रभेदय भाग का प्रतिनिधित्व करता है, इन लागतों को अन्य पूंजीगत अन्वेषण लागतों के साथ अन्वेषण तथा मूल्यांकन परिसंपत्ति के रूप मे दर्ज किया जाता है।

अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत परियोजना–दर–परियोजना के आधार पर तकनीकि व्यवहार्यता तथा परियोजना की व्यवसायिक व्यवहार्यता के लंबित निर्धारण तथा गैर–मौजूदा परिसंपत्तियों के तहत एक अलग पंक्ति वस्तु के रूप में प्रकट किये जाते हैं। बाद में ये संचित हानि/प्रावधान को लागत में से कम करके मापे जाते हैं।

एक बार प्रमाणित होने के बाद कि भंडार का निर्धारण एवं खाना/परियोजनाओं का विकास मंजूर है, अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों को प्रगति में पूंजीगत कार्य के तहत "विकास" में स्थानांतरित की जाती है। यद्यपि, यदि प्रमाणित किये गये भंडार का निर्धारण नहीं किया जाता है, तो अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति को अस्वीकृत कर दिया जाता है।

2.11 विकास व्यय

जब प्रमाणित भंडार का निर्धारण किया जाता है तथा खानों/परियोजनाओं के विकास को मंजूर किया जाता है, पूंजीकृत अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत को परिसंपत्ति के निर्माण के रूप में पहचाना जाता है और ''विकास'' मद के तहत प्रगति में पूंजीगत कार्य के एक घटक के रूप में प्रकट किया जाता है। इसके बाद के सभी विकास व्यय का भी पूंजीकरण किया गया है। विकास के चरण के दौरान निकाले जाने वाले कोयले की बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय का पूंजीकरण किया गया है।

व्यवसायिक संचालन

परियोजना/खानों को राजस्व में लाया जाता है; जब टिकाऊ आधार पर उत्पादन देने के लिए एक परियोजना/खदान की व्यवसायिक तैयारी या तो परियोजना रिपोर्ट में बताई गई शर्तों के आधार पर या निम्न मापदंडों के आधार पर स्थापित की जाती है:

(ए) जिस वर्ष में अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, परियोजना के लिए निर्धारित क्षमता का 25 प्रतिशत भौतिक उत्पादन प्राप्त करता है, उस वर्ष के तुरंत बाद के वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से, या

(बी) कोयले को छूने के 2 साल, या

(सी) वित्तीय वर्ष के शुरूआत से जिसमें उत्पादन का मूल्य कुल खर्च से अधिक है।

जो भी घटना पहले घटित होती है;

राजस्व में लाने जाने पर, पूंजीगत कार्य के तहत परिसंपत्ति को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के एक घटक के रूप में ''अन्य खनन बुनियादी ढ़ांचे'' नामकरण के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। अन्य खनन आधारभूत संरचना को वर्ष से परिशोधित किया जाता है। जब खदान 20 वर्षों में राजस्व में लाया जाता है या परियोजना के कामकाजी जीवन से, जो भी कम हो।

2.12 अमूर्त परिसंपत्ति

अलग से अधिगृहित अमूर्त परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता लागत पर मापा जाता है। एक व्यापार संयोजन में हासिल की जानेवाली अमूर्त परिसंपत्ति की लागत अधिग्रहण की तारीख पर उसका उचित मूल्य है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त परिसंपत्तियां किसी भी संक्षिप्त परिशोधन (उनके उपयोगी जीवन के उपर सीधी रेखा के आधार पर की गई गणना) और संचित हानि के नुकसानों पर खर्च की जाती है, यदि कोई हो।

आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्तियां, पूंजीगत विकास लागत को छोड़कर, पूंजीकृत नहीं किये जाते हैं। इसके बजाय, संबंधित व्यय को उस अवधि में लाभ या हानि तथा अन्य व्यापक आय के विवरण में पहचाना जाता है जिसमें व्यय किया गया है। अमूर्त परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन को परिमित या अनिश्चित काल के रूप में मूल्यांकन किया जाता है। अमूर्त संपत्ति में विकृति होने के संकेत मिलने पर, परिमित जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्ति उनके उपयोगी आर्थिक जीवन से परिशोधित होती है एवं हानि के लिए मूल्यांकन की जाती है। परिशोधन अवधि एवं परिमित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त परिसंपत्ति के लिए परिशोधन विधि की कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन या परिसंपत्ति में अंकित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित पैटर्न में परिवर्तन को परिशोधन अवधि या विधि, जो भी उपर्युक्त हो, को संसोधन के लिए माना जाता है, और लेखा के अनुमानों में परिवर्तन के रूप में लिया जाता है। परिमित जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्ति पर परिशोधन व्यय को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दिया जाता है।

एक अनिश्चित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त परिसंपत्ति को परिशोधित नहीं किया जाता है बल्कि प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख पर हानि के लिए इसकी जांच की जाती है।

एक अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने से उत्पन्न लाभ या हानि को शुद्ध निपटान प्राप्ति एवं परिसंपत्ति की वहन राशि के अंतर के रूप में मापा जाता है तथा लाभ और हानि के विवरण में इसे मान्यता प्राप्त होता है। बिक्री के लिए पहचाने जाने वाले या बाहर की एजेंसियों को बेचने के लिए प्रस्तावित ब्लॉकों के लिए अन्वेषण तथा मूल्यांकन परिसंपत्तियां (अर्थात सीआइएल के लिए अनिर्धारित ब्लॉक) को यद्यपि अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और हानि के लिए परीक्षण किया गया है।

अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त सॉफ्टवेयर लागत का उपयोग करने के लिए कानूनी अधिकार की अवधि में सीधी रेखा विधि पर परिशोधन किया जाता है या 3 वर्ष के लिए, जो भी एक शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ न्यूनतम है।

2.13 परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी अनेक रिपोर्टिंग के अंत में आंकलन करती है कि यदि किसी परिसंपत्ति में विकृति आने का संकेत है। ऐसे किसी संकेत के मौजूद होने पर कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि, परिसंपत्ति या उपयोग में मौजूद नकद उत्पन्न करने वाले यूनिट के मूल्य एवं निपटारा लागत कम करने के उपरांत इसके अंकित मूल्य से अधिक होता है और इसका निर्धारण व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए किया जाता है, जबतक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती जो कि काफी हद तक अन्य परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के समूह से स्वतंत्र होती है, उस स्थिति में नकद उत्पन्न करनेवाली इकाई के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित की जाती है जिसके लिए परिसंपत्ति संबंधित है। कंपनी व्यक्तिगत खानों को हानि के परीक्षण के उद्देश्य के लिए अलग नकदी उत्पन्न करने वाली इकाइयों के रूप में मानती है।

अगर किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि को उसकी वहन राशि से कम होने का अनुमान लगाया गया है तो परिसंपत्ति की वहन राशि इसके वसूली योग्य राशि से कम हो जाती है और इससे हुए हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.14 निवेश संपत्ति

वैसी संपत्ति (भूमि या भवन या किसी भवन का हिस्सा या दोनों) जिसे किराया या पूंजी की वृद्धि या दोनों के लिए रखा गया है, बजाय माल या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने अथवा व्यापार के साधारण क्रम में बिक्री के लिए, को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

निवेश संपत्ति की शुरूआत अपनी लागत पर होती है जिसमें संबंधित लेन–देन लागत तथा जहां कहीं भी लागू उधार लागत शामिल होता है।

निवेश गुणों में अवमूल्यन उसके अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए होता है।

2.15 वित्तीय साधन

वित्तीय साधन एक ऐसा अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और किसी अन्य इकाई के वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को उत्पन्न करता है।

2.15.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

2.15.1.1 प्रारंभिक मान्यता और मापन

वैसे सभी वितीय परिसंपत्तियाँ को, जिनको लाभ हानि विवरण के माध्यम से अंकित मूल्य में नहीं दर्ज किया गया है तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के कारण उत्पन्न लेन–देन लागत के संबंध में, प्रारंभिक रूप से अंकित मूल्य पर मान्यता दिया जाता है। खरीदारी या वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री, जो बाजार में मौजूद नियमन या प्रथा के द्वारा स्थापित किए गए समय सीमा के अंदर परिसंपत्तियों के देनदारी के लिए जरूरी होता है, को व्यापार तिथि पर मान्यता प्राप्त होता है, यानि जिस तारीख पर कम्पनी परिसंपत्ति की खरीदारी या बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होती है।

2.15.1.2 बाद के मापन

बाद के मापन के उद्देश्यों के लिए वित्तीय परिसपत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है .

- परिशोधित लागत पर ऋण साधन।
- अन्य व्यापक आय (एफ वी टी ओ सी आई) के माध्यम से अंकित मूल्य पर ऋण साधन।
- लाभ और हानि (एफ वी टी पी एल) के माध्यम से अंकित मूल्य पर ऋण साधन, व्युत्पन्न एवं इक्विटी साधन ।
- अन्य व्यापक आय (एफ वी टी ओ सी आई) के माध्यम से अंकित मूल्य पर मापे गए इक्विटी साधन।

2.15.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण साधन

ऋण साधन को परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि निम्न स्थितियाँ पूरी होती है :

(ए) परिसंपत्ति को एक व्यापार प्रतिमान के अंदर रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदागत नगदी को प्रवाह एकत्रित करने के लिए परिसंपत्ति रखना है, और

(बी) परिसंपत्ति के अनुबंध संबंधी शर्तें निर्दिष्ट तिथियों में नगदी प्रवाह को उत्पन्न करते है जो कि बकाया मूलधन राशि पर सिर्फ मूलधन एवं ब्याज (एस पी पी आई) का भुगतान होता है।

प्रारंभिक माप के बाद ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (ई आई आर) पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर प्रीमियम या कटौती तथा फीस या लागत जो कि ई आई आर का अभिन्न अंग होता है। ई आई आर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्तीय आय के रूप में शामिल किया गया है। विकृति के कारण उत्पन्न हानियों को लाभ या हानि मे मान्यता दी जाती है।

2.15.2.2 एफवीटीओसीआई पर ऋण साधन

ऋण साधन को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्न दोनों मानदंड पूरे हो जाते हैं :

(ए) व्यापार प्रतिमान का उद्देश्य दोनों संविदागत नगदी प्रवाह को एकत्र करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर हासिल किया जाता है, और

(बी) परिसंपत्ति के नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को शुरूआत में ही तथा साथ ही साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य चलन को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में लिया जाता है। यद्यपि कम्पनी, ब्याज आय, विकृति हानि एवं उत्क्रमण तथा विदेशी विनिमय से संबंधित लाभ या हानि को, लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता देती है। परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने पर ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचेय लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ/हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई ऋण साधन रखने पर ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में अर्जित ब्याज को दर्ज किया जाता है।

2.15.2.3 एफवीटीपीएल पर ऋण साधन

एफवीटीपीएल ऋण साधनों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। किसी भी ऋण साधन, जो वर्गीकृत किए गए मानदंडों को परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के रूप पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अलावा, कम्पनी एक ऋण साधन नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफवीटीपीएल के अनुसार परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मानदंडों को पूरा करती है। यद्यपि ऐसे चुनाव की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब कोई माप या मान्यता असंगतता को कम कर देता है या समाप्त कर देता है (जिसे "बेमेल लेखा" कहा जाता है)। कम्पनी ने किसी भी ऋण साधन को एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को उचित मूल्य पर मापा जाता है, जिसमें लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तन मौजूद होते हैं।

2.15.2.4 सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 101 (भारतीय लेखा मानक का पहली बार अंगीकरण) पारगमन की तिथि पर पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि को स्वीकृत लागत के रूप मे माना जाता है। इसके बाद सहायक, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश को लागत पर मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेशों का लेखाकरण भारतीय लेखा मानक 28 के पारा 10 में वर्णीत इक्विटी विधि के अनुसार किया जाता है।

2.15.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में अन्य सभी इक्विटी निवेशों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी साधनों के लिए, कंपनी उचित मूल्य में व्यापक आय के बाद के बदलाव में प्रस्तुत करने के लिए अटल चुनाव कर सकती है।

कम्पनी इस तरह के चुनाव साधन–दर–साधन के आधार पर करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और यह अपरिवर्तनीय होता है।

अगर कम्पनी एफवीटीओसीआई पर आधारित इक्विटी साधन को वर्गीकृत करने का फैसला करती है, तो लाभांशों को छोड़कर, साधन पर सभी उचित मूल्यों में परिवर्तनों को ओसीआई में लिया जाता है। इन राशियों का ओसीआई से लाभ एवं हानि में किसी भी प्रकार का पुनर्वृति नहीं होता है, निवेशों के बिक्री पर भी नहीं। यद्यपि कम्पनी इक्विटी के तहत संचयित लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी के अंदर शामिल इक्विटी साधनों को लाभ एवं हानि में लिये गये सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.15.2.6 अस्वीकृति

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का हिस्सा) की मान्यता को मुख्यत: समाप्त (अर्थात, कम्पनी के समेकित तुलन पत्र से हटाई गई) किया जाता है जब :

- परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार की समय सीमा समाप्त हो गई है, या
- कम्पनी ने परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या "पास थ्रू" व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को बिना भौतिक देरी के पूरी तरह से प्राप्त नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए एक दायित्व को ग्रहण किया है : और या तो (ए) कम्पनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों एवं पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है, या (बी) कम्पनी ने न तो स्थानांतरण किया है और न ही परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को संभाल कर रखा है, बल्कि परिसंपत्ति पर नियंत्रण को स्थानांतरित कर दिया है।

जब कंपनी परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या पास–थ्रू व्यवस्था में प्रवेश किया है, तो यह मूल्यांकन करता है कि क्या और किस हद तक इसने स्वामित्व के जोखिमों एवं पुरस्कारों को संभाल कर रखा है। जब यह न तो स्थानांतरित हो गया है और न ही परिसंपत्ति के सभी जोखिमों एवं पुरस्कारों को बनाए रखा है, न ही परिसंपत्ति का स्थानांतरण किया है, कम्पनी अपने निरंतर सहभागिता की सीमा तक स्थानांतरित परिसंपत्ति को मान्यता देता रहता है। उस मामले में, कम्पनी एक संबद्ध दायित्व को भी मान्यता देती है। स्थानांतरित किये गये परिसपत्ति एवं संबद्ध देयता को इस आधार पर मापा जाता है कि वह कम्पनी के द्वारा रखे गये अधिकारों एवं दायित्वों को दर्शाता है। स्थानांतरित परिसंपत्ति पर गारंटी का आकार लेने वाली सतत् भागीदारी को, संपत्ति के मूल वहन राशि एवं कम्पनी के द्वारा विचाराधीन अधिकतम चुकाने की राशि, में से न्यूनतम पर मापा जाता है।

2.15.2.7 वित्तीय परिसंपत्तियों की विकृति/हानि

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कम्पनी अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) प्रतिमान को मापने और निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों एवं खुले हुए क्रेडिट जोखिम पर हानि के नुकसान की पहचान करती है :

(ए) वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो कि ऋण साधन है, और परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं जैसे कि ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा, व्यापार प्राप्य एवं बैंक शेष।

(बी) वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो कि ऋण साधन है और एफवीटीओसीआई पर मापी जाती है

(सी) भारतीय लेखा मानक 17 के तहत प्राप्य पट्टे

(डी) व्यापार प्राप्तियाँ या नकद या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति, जो कि भारतीय लेखा मानक 11 एवं भारतीय लेखा मानक 18 के सीमा के अंदर हुए लेनदनों के कारण उत्पन्न होता है, को प्राप्त करने के लिए कोई संविदात्मक अधिकार।

निम्नलिखित पर विकृति हानि भत्ता के मान्यता के लिए कम्पनी "सरलीकृत दृष्टिकोण को अनुसरण करती है :

- व्यापार प्राप्य या संविदा राजस्व प्राप्य; तथा
- भारतीय लेखा मानक 17 के सीमा के अंदर हुए लेनदेन के कारण उत्पन्न सभी पट्टे प्राप्तियाँ

सरलीकृत दृष्टिकोण की अनुप्रयोग के लिए कम्पनी को क्रेडिट जोखिम में होने वाले परिवर्तनों को पता लगाने की जरूरत नहीं होती है। बल्कि इसे प्रारंभिक मान्यता से शुरू प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर जीवन भर के इसीएल के आधार पर विकृति हानि भत्ता को मान्यता देती है।

2.15.3 वित्तीय देनदारियाँ

2.15.3.1 प्रारंभिक मान्यता एवं मापन

कम्पनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार एवं अन्य देनदारियां, बैंक ओवरड्राफ्ट सहित ऋण एवं उधार शामिल है।

सभी वित्तीय देनदारियों को प्रारंभिक रूप में अंकित मूल्य पर लिया जाता है और, ऋण और उधार तथा देनदारियों के मामले में, प्रत्यक्ष तौर पर आरोपित लेन–देन लागतों का निबल राशि।

2.15.3.2 बाद के मापन

वित्तीय देनदारियों का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जो कि नीचे वर्णित है :

2.15.3.3 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियाँ

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित व्यापारिक एवं वित्तीय देनदारियों के लिए वित्तीय देयताएं शामिल होते हैं। वित्तीय देयताओं को व्यापार के लिए रखे जाने के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इस श्रेणी में कम्पनी द्वारा दर्ज वैसे व्युत्पन्न वित्तीय साधनों को भी शामिल किया गया है जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 के द्वारा परिभाषित हेज संबंध में हेजिंग साधन के तौर पर नामित नहीं किया गया है। अलग अलग एमबेडेड डेरीवेटिव्स को भी ट्रेडिंग के लिए वर्गीकृत किया जाता है, जबतक उन्हें प्रभावी हेजिंग साधन के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए रखे गये देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ–हानि में लिया जाता है।

लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता के रूप में नामित वित्तीय देनदारियों को इस प्रकार मान्यता की प्रारंभिक तारीख पर नामित किया जाता है, यदि भारतीय लेखा मानक 109 में दिये गये मानदंडों की संतुष्टि होती है। एफवीटीपीएल के रूप में नामित देनदारियों के रूप में, ओसीआई में स्वयं के क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य लाभ/हानि को मान्यता दी जाती है। ये लाभ/हानि बाद में लाभ एवं हानि में हस्तांतरित किये जाते हैं। यद्यपि कम्पनी इक्विटी के तहत सचित लाभ या हानि को हस्तांतरित कर सकती है। ऐसे दायित्व के उचित मूल्य में अन्य सभी परिवर्तन लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दिए जाते हैं। कंपनी ने लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में किसी वित्तीय देयता को निर्दिष्ट नहीं किया है।

2.15.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देनदारियाँ

प्रारंभिक मान्यता के बाद, इन्हे प्रभावी ब्याज दर विधि के द्वारा बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ या हानियों को तभी लाभ या हानि में मान्यता दिया जाता है जब देनदारियों को प्रभावी ब्याज दर परिशोधन विधि के माध्यम से साथ ही साथ

असंबद्ध किया जाता है। परिशोधित लागत की गणना, कोई भी कटौती या अधिग्रहण पर प्रीमियम एवं फीस या लागत, जो कि प्रभावी ब्याज दर के अभिन्न अंग होते हैं, को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को वित्तीय लागत के रूप में लाभ एव हानि विवरण में शामिल किया जाता है। सामान्यतः यह श्रेणी उधार लेने की स्थिति पर लागू होती है।

2.15.3.5 अस्वीकृति

एक वित्तीय देयता की मान्यता को समाप्त किया जाता है जब देनदारियों के अन्तर्गत दायित्व का निर्वाह किया जाता है या रद्द या समाप्त किया जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणदाता से काफी भिन्न शब्दों पर बदल दिया जाता है, या मौजूदा दायित्व की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो इस तरह के विनिमय या संशोधन को मूल उत्तरदायित्व की मान्यता और नई देनदारी की मान्यता के रूप में माना जाता है। वित्तीय देयताओं (या वित्तीय देनदारी का हिस्सा) के वहन राशि जो कि समाप्त हो चुके हैं या दूसरी पार्टी को हस्तांतरित किए गए हैं एवं कोई भी गैर नगद परिसंपत्ति हस्तांतरित किया गया या माने गए देयताओं के बीच के अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दिया जाएगा।

2.15.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

कम्पनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी साधन एवं वित्तीय देनदारियां हैं। वैसे वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण साधन हैं, पुनर्वर्गीकरण तभी किया जाता है यदि उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यापार प्रतिमान में कोई बदलाव किया गया हो। व्यापारिक प्रतिमान मे होनेवाले बदलाव के लिए विलक्षण होने की संभावना है। कम्पनी के वरिष्ठ प्रबंधन, व्यापार के प्रतिमान में परिवर्तन को बाहरी या आंतरिक परिवर्तन के परिणाम के रूप में निर्धारित करता है जो कम्पनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे परिवर्तन बाह्य पक्षों के लिए स्पष्ट होता है। व्यवसाय प्रतिमान में बदलाव तब होता है जब कम्पनी या तो शुरू होती है या किसी गतिविधि को पूरा करने के लिए समाप्त होती है जो कि उसके संचालन के लिए महत्वपूर्ण होती है। यदि कम्पनी वित्तीय परिसंपत्तियों को पुनर्वर्गीकृत करती है तो यह पुनर्वर्गीकरण की तारीख से पुनः परिष्करण पर लागू होता है जो व्यापार प्रतिमान में बदलाव के तुरंत बाद अगली रिपोर्टिंग अवधि का पहला दिन होता है। कम्पनी पहले से किसी भी मान्यता प्राप्त लाभ, हानि (विकृति के कारण लाभ या हानि सहित) या ब्याज को पुनर्लिखित नहीं करती है।

निम्नलिखित तालिका में विभिन्न पुनर्वर्गीकरणों को एवं उनके लेखाकरण के तरीकों को दिखलाया गया है।

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखा उपचार
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	उचित मूल्य को पुनर्वर्गीकरण तारीख पर मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत एवं अंकित मूल्य के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि में लिया जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर उचित मूल्य नई समेकित वहन राशि बन जाती है। ईआईआर की गणना नई समेकित वहन राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	उचित मूल्य को पुनर्वर्गीकरण तारीख पर मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत एवं उचित मूल्य के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि में लिया जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर उचित मूल्य नई समेकित वहन राशि बन जाती है। यद्यपि ओसीआई में संचयी लाभ या हानि को उचित मूल्य के विरूद्ध समायोजित किया जाता है। बाद में, परिसंपत्ति को इस प्रकार मापा जाता है मानो कि यह परिशोधित लागत पर हमेशा मापा गया था।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर उचित मूल्य नई समेकित वहन राशि बन जाती है। अन्य कोई समायोजन की जरूरत नहीं है।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	परिसंपत्तियों को निरंतर उचित मूल्य पर मापा जाता है। ओसीआई में लिये गये पहले से संचयी लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर लाभ या हानि में वर्गीकृत किया जाता है।

2.15.5 वित्तीय साधनों का प्रति संतुलन

वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देनदारियो को प्रति संतुलित कर दिया जाता है तथा समेकित तुलन पत्र में निबल राशि की सूचना दी जाती है यदि, वर्तमान में मान्यता प्राप्त राशियों को प्रति संतुलित करने के लिए कानूनी अधिकार होता है तथा परिसंपत्तियों को प्राप्त करने एवं देयदारियों का निपटारा एक साथ करने के लिए, निबल आधार पर निपटारा करने का इरादा हो।

2.15.6 नकद एवं नकद समतुल्य

तुलन–पत्र में नकद एव नकद समतुल्य के अन्दर तीन महीने या उससे कम की परिपक्वता वाले छोटी अवधि के जमा तथा बैंकों एवं हाथ में नकद राशि दर्शायी गयी है, जो कि मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन है। नकद प्रवाह के समेकित विवरण के लिए उपरोक्त नकद एवं नकद समतुल्य के अन्दर नकद एवं छोटी अवधि जमा, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट का निबल को रखा गया है, क्योंकि इन्हें कम्पनी के नकद प्रबंधन का अभिन्न अंग माना गया है।

2.16 उधार लेने की लागत

उधार लेने की लागत व्यय के रूप में खर्च कर दी जाती है इस अपवाद के साथ, जहां वे योग्य संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से श्रेय दे रहे हैं अर्थात, जो परिसंपत्तियाँ इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेते हैं, उस मामले में उस परिसंपत्ति के लागत में हिस्से के रूप में, योग्य परिसपत्ति के अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने की तारीख तक पूंजीकृत होते हैं।

2.17 कर आरोपन

आयकर व्यय वर्तमान में देय तथा स्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर एक निश्चित अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर नुकसान) के संबंध में आयकर देय (वसूली) की राशि है। लाभ या हानि के विवरण एवं अन्य व्यापक आय में दर्ज होने के अनुसार योग्य लाभ, (आयकर से पहले लाभ) से अलग होता है क्योंकि इसमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कि अन्य वर्षों में कर योग्य या घटाया जा सकता है और फिर इसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कभी भी कर योग्य या घटाने लायक नहीं होते हैं। मौजूदा कर के लिए कम्पनी की देनदारी उन करों का उपयोग करके गणना की गई है जिसे अधिनियमित किया गया है या रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वास्तविक रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर देनदारियों को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थाई अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्ति आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थाई अंतर के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त होती है जहाँ संभावित है कि कर योग्य मुनाफा उपलब्ध होगा, जिसके साथ उन घटाने योग्य अस्थाई अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है यदि अस्थाई अंतर सदभावना से या प्रारंभिक मान्यता (व्यापार संयोजन के अलावा) से अन्य परिसंपत्तियों या देनदारियों के लेनदेन से उत्पन्न होता है जो न तो कर योग्य लाभ और न ही लेखा लाभ को प्रभावित करता है।

आस्थगित कर देनदारियों को अनुषंगियों एवं सहयोगी कम्पनियों में निवेश से संबंधित कर–योग्य अस्थाई अंतर के लिए लिया जाता है सिवाय उस स्थिति में जहाँ कम्पनी अस्थाई अंतर के उत्क्रमण को नियंत्रित करने में सक्षम है तथा यह संभव है कि अस्थाई अतर निकट भविष्य में बदल नहीं जाएगा। आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ इस प्रकार के निवेशों एवं हितों से संबद्ध कटौती योग्य अस्थाई अंतरों से उत्पन्न होनेवाले आस्थगित कर परिसंपत्ति को सिर्फ उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ यह संभव है कि अस्थाई अतरों के लाभ को उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ मौजूद होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक कम की जाती है कि यह संभावित नहीं है कि संपत्ति सभी या हिस्से को पुनर्प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कर योग्य मुनाफा उपलब्ध

होगा। अमान्य स्थगित कर परिसंपत्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में पुनर्मुल्यांकन किया जाता है और इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित हो गया है कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या हिस्से को पुनर्प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्ति एवं देनदारियों को कर की दर से मापा जाता है जो कि उस अवधि में लागू होने की उम्मीद की जाती है, जिसमें देयता का निपटारा होता है या परिसंपत्ति की प्राप्ति होती है, कर दर (और कर कानून) के आधार पर लागू किया जाता है जिसे अधिनियमित किया गया है या रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वास्तविक रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर देनदारियों एवं परिसंपत्तियों का माप, कर परिणामों को दर्शाता है जो कि कम्पनी की उम्मीद के अनुसार चलता है ताकि कम्पनी के परिसंपत्ति एवं देयताओं के वहन राशि का वसूली या निपटारा हो जाए।

वर्तमान और आस्थगति कर को लाभ या हानि में पहचाना जाता है सिवाय, जब वे अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में पहचाने गये वस्तुओं से संबंधित होते हैं, जिस मामले में वर्तमान और आस्थगित कर भी अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त होते हैं। जब मौजूदा कर या आस्थगित कर एक व्यापार संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखा से उत्पन्न होता है तब कर प्रभाव को व्यापार संयोजन के लिए लेखांकन में शामिल किया जाता है।

2.18 कर्मचारी लाभ

2.18.1 लघु–अवधि के लाभ

सभी अल्प–कालिक कर्मचारी लाभ उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें वे खर्च किये गये हैं।

2.18.2 रोजगारोंपरांत लाभ तथा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

2.18.2.1 परिभाषित योगदान योजनाएँ

एक परिभाषित योगदान योजना प्रोविडेन्ट फंड एवं पेंशन के लिए रोजगारोपरांत लाभ योजना है जिसके तहत कंपनी कानून के एक अधिनियम के तहत गठित एक सांविधिक निकाय (कोयला खान भविष्य निधि) द्वारा रखी गयी निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कम्पनी के पास कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा या अधिक मात्रा में भुगतान करने के लिए।

2.18.2.2 परिभाषित लाभ योजना

परिभाषित लाभ योजना एक परिभाषित योगदान योजना के अलावा रोजगारोंपरांत लाभ योजना है। ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण, परिभाषित लाभ योजनाएं (लाभों पर उपरी सीमा के साथ) होती हैं। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कम्पनी की शुद्ध दायित्वों को भविष्य लाभ की राशि का आंकलन करके गणना की जाती है, जो कि कर्मचारियों ने अपनी सेवा के बदले वर्तमान एवं पूर्व की अवधि में अर्जित किया है। यदि कोई हो, तो लाभ के वर्तमान मूल्य की गणना के लिए इसे कटौती पश्चात योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से घटा दिया जाता है। छूट की दर रिपोर्टिंग तिथि पर भारत सरकार प्रतिभूति के प्रचलित बाजार देय पर आधारित होती है जिनकी, कम्पनी के दायित्वों के अवधियों की सीमितीकरण द्वारा प्राप्त, परिपक्वता तिथियां होती हैं तथा वे उसी मुद्रा में नामित होते हैं जिसमें लाभों को भुगतान करने का अनुमान है।

वास्तविक मूल्यांकन के प्रयोग में, कटौती दर के बारे में अनुमानों को बनाने, परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्राप्ति दर, भविष्य की वेतन वृद्धियां, मरणशीलता दर इत्यादि शामिल होते हैं। इन सब योजनाओं के दीर्घकालीन स्वभाव के कारण इस प्रकार के अनुमानों में अनिश्चितता रहती है। प्रत्येक तुलन पत्र पर गणना बीमांकित के द्वारा प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए की जाती है। जब गणना परिणाम कम्पनी के हित में होती है तो मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति को योजना में भविष्य योगदानों में कटौती या योजना से प्राप्त कोई भविष्य वापसी धन के रूप में मौजूद आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य तक परिसंपत्ति को सीमित किया जाता है। कम्पनी को आर्थिक लाभ तब मिलता है जब यह योजना के जीवन काल के दौरान प्राप्त करने योग्य हो या, योजना देनदारियों के निपटारे पर।

परिभाषित निबल लाभ देयता का पुनर्मापन जिसमें योजना परिसंपत्तियों (ब्याज छोड़कर) पर प्राप्ति एवं परिसंपत्तियों की सीमांकन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, वैसे वास्तविक लाभ तथा हानि शामिल होते हैं जिन्हें तैयार किया जाता है, को अन्य विस्तृत व्यापक आय में तुरंत मान्यता दिया जाता है। कम्पनी अवधि के लिए परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) के निबल राशि पर प्राप्त होनेवाली निबल ब्याज व्यय (आय) का निर्धारण परिभाषित लाभ दायित्व में मापने के लिए उपयोग किये जानेवाले कटौती दर का इस्तेमाल करती है। परिभाषित लाभ योजना से संबंधित निबल ब्याज व्यय एवं अन्य व्ययों की लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त होता है।

जब योजना के लाभ में सुधार होता है तब बढे हुए लाभ के हिस्से – कर्मचारियों के पूर्व में सेवा के द्वारा, को लाभ–हानि विवरण में व्यय के रूप में शीघ्र लिया जाता है।

2.18.3 अन्य कर्मचारी लाभ

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ जैसे कि एलटीए, एलटीसी, लाइफ कवर स्कीम, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, सेटलमेंट भत्ता, सेवानिवृति के बाद चिकित्सा लाभ योजना एवं खान दुर्घटनाओं में मृतक के आश्रितों को मुआवजे आदि को परिभाषित लाभ योजना के लिए उपर वर्णीत अनुसार उसी आधार पर मान्यता प्राप्त होता है। इन लाभों का विशिष्ट निधि नहीं है।

2.19 विदेशी मुद्रा

कम्पनी की रिपोर्ट की मुद्रा एवं उसके संचालन के लिए कार्यात्मक मुद्रा भारतीय मुद्रों में है (भारतीय मुद्रा) जो कि आर्थिक वातावरण का मुख्य मुद्रा है जिसमें कम्पनी संचालित होती है। विदेशी मुद्राओं में लेन–देन को, लेन देन तारीख में प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके कम्पनी की सूचित मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओ में नामित मौद्रिक परिसंपत्ति एवं देनदारी, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर अनुवादित होती है। मौद्रिक परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के निपटारे पर या मुद्रा की परिसंपत्तियों और देनदारियों के उन दरों से अलग होने पर अंतर जो उस अवधि या पिछले वित्तीय विवरणों में प्रारंभिक मान्यता पर अनुवादित किए गए थे, अवधि में लाभ या हानि के बयान में लिये जाते हैं जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

लेन–देन की तारीख को प्रचलित विनिमय की दरों पर विदेशी मुद्रा में निहित गैर–मौद्रिक वस्तुओं का मूल्यांकन किया जाता है।

विदेशी मुद्रा में नामित गैर–मौद्रिक वस्तुओं का मुल्यांकन लेन–देन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर किया जाता है।

2.20 स्ट्रीपिंग गतिविधि व्यय/समायोजन

खुली खदान के संबंध में, कोयले की प्राप्ति एवं इसके निष्कर्षण के लिए खान की बेकार पदार्थों (ओवरबर्डेन), जो कि कोल सीम के उपरी सतह पर मिट्टी एवं चट्टान का बना होता है, को हटाना जरूरी होता है। इस ओवरबर्डेन को हटाने की गतिविधि को "स्ट्रीपिंग" कहा जाता है। खुली खदानो के संदर्भ में, कंपनी को इस तरह की व्ययों का वहन, खान के पूरी जीवन की अवधि तक करना पड़ता है (सीएमपीडीआईएल के द्वारा तकनीकि आंकलन किया जाता है एवं इसे परियोजना रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है)।

अतः, एक नीति के तहत, एक मिलियन प्रति वर्ष एवं उससे ज्यादा के रेटेड क्षमता वाले खानों में, स्ट्रीपिंग की लागत को खानों को राजस्व में लाने के बाद स्ट्रीपिंग गतिविधि परिसंपत्ति एवं अनुपात–विचलन लेखा के लिए जरूरी समायोजन के साथ, प्रत्येक खान पर तकनीकि रूप से आकलित औसत स्ट्रीपिंग अनुपात (कोयला : ओबी)पर चार्ज किया जाता है। स्ट्रीपिंग गतिविधि परिसंपत्ति एवं अनुपात–विचलन के निबल शेषों के तुलन पत्र में गैर–मौजूद परिसंपत्ति/गैर–मौजूद प्रावधानों के मद के तहत, जैसा भी केस हो, स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन के रूप में तुलन–पत्र में दिखलाया जाता है।

ओबीआर लेखा के लिए अनुपात की गणना हेतु रिकार्ड के अनुसार दर्ज ओबीआर की मात्रा को महत्व दिया जाता है, जहाँ दर्ज की गई मात्रा एवं मापी हुई मात्रा के बीच विचलन, दो स्वीकार्य विकल्प सीमाओं में से न्यूनतम के अंदर होता है जिससे नीचे लिखे तालिका में दिखाया गया है।

खान के ओबीआर का वार्षिक मात्रा	विचलन की स्वीकार्य सीमा %
1 मिलियन क्यू. मी. से कम	+/- 5%
1 एवं 5 मिलियन क्यू. मी. के बीच	+/- 3%
5 मिलियन से अधिक	+/- 2%

यद्यपि, जहाँ पर विचलन उपरोक्त स्वीकार्य सीमा से अधिक है, मापी गई मात्रा को महत्व दिया जाता है।

रेटेड क्षमता 1 मिलियन टन से कम वाली खानों के संदर्भ में, उपरोक्त नीति नहीं अपनाई जाती है एवं वर्ष के दौरान स्ट्रीपिंग गतिविधियों पर खर्च हुई वास्तविक लागत को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकारा जाता है।

2.21 संपत्ति सूची

2.21.1 कोयले का स्टॉक

कोयले/कोक के संपत्ति–सूची को लागत के न्यूनतम पर एवं शुद्ध प्राप्तियोग्य मूल्य पर लिखा जाता है। संपत्ति–सूची की गणना प्रथम आवक और प्रथम निर्गत विधि के द्वारा किया जाता है। निबल प्राप्ति योग्य मूल्य, समाप्ति के सभी अनुमानित लागतों एवं विक्रय करने के लिए जरूरी लागतों को घटाते हुए, प्राप्त अनुमानित संपत्ति–सूची विक्रय मूल्य को वर्णीत करती है।

कोयले के दर्ज भंडार को लेखा मे स्वीकारा जाता है जहाँ दर्ज भडार तथा 15 प्रतिशत तक मापी गई भंडार के बीच विचलन एवं उन केसों में जहाँ विचलन 5 प्रतिशत से ज्यादा है, मापे गए भंडार को स्वीकारा जाता है। इस प्रकार के भंडार का मूल्यांकन, निबल प्राप्ति योग्य मूल्य या लागत, दोनों जो कम हो, के आधार पर किया जाता है। कोक को कोयले के भंडार का अंश के रूप में समझा जाता है।

कोयले तथा कोक–फाइन्स को लागत या निबल प्राप्तियोग्य मूल्य में से न्यूनतम पर मूल्यांकित किया जाता है तथा इन्हें कोयले के भंडार के अंश के रूप में समझा जाता है।

स्लटी (कोकिंग/अर्द्ध कोकिंग), मिडलिंग (वाशरी के) तथा उप–उत्पादनों को निबल प्राप्ति योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और इन्हें कोयले के भंडार के अंश के रूप में समझा जाता है।

2.21.2 भण्डार एवं कलपूर्जे

केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय स्टोर्स में मौजूद स्टोर्स में मौजूद स्टोर्स एवं स्पेयर पार्ट्स के भंडार को मूल्यकृत स्टोर्स खाता बही में अनिवार्य शेषों के रूप में समझा जाता है तथा इन्हें पारित औसत विधि के आधार पर गणना किए गए लागत के रूप में मूल्यांकन किया जाता है। कालरियों/उप–स्टोर्स/ड्रीलिंग कैंपों/उपभोग केन्द्रों के संपत्ति–सूची को वर्ष के अंत में सिर्फ व्यक्तिगत रूप से जांचे हुए स्टोर्स के अनुसार, समझा जाता है तथा उन्हें लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

ठीक नहीं करने योग्य, बिगड़े हुए एवं पुराने पड़ चुके स्टोर्स के लिए 100 प्रतिशत के दर से प्रावधान किया है तथा 5 वर्षों से नहीं निकाले गए वैसे स्टोर्स एवं स्पेयर्स के लिए 50 प्रतिशत की दर से प्रदान किया है।

2.21.3 अन्य संपत्ति–सूची

वर्कशॉप कार्यों जिनमें प्रगति में कार्य शामिल होते हैं, को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। प्रेस कार्यों के भंडार (प्रगति में कार्य शामिल) एवं प्रिंटिंग प्रेस में स्टेशनरी तथा केन्द्रीय अस्पताल में दवाओं को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

यद्यपि, स्टेशनरी के भंडार (प्रिंटींग प्रेस में पडे हुए के अलावा), ईंटों, बालु, दवा (केन्द्रीय अस्पताल को छोड़ कर), एयरक्राफ्ट स्पेयर्स एवं स्क्रैप को संपत्ति–सूची में नहीं स्वीकारा जाता है। इस सोच के साथ कि उनके मूल्य उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं।

2.22 प्रावधान, आकस्मिक देयता एवं आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

प्रावधानों को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी के पास, बीते हुए घटनाओं के कारण वर्तमान देनदारियों/देयताएँ (कानुनी या रचनात्मक) होती है, और यह संभावित है कि आर्थिक लाभों की बाह्य प्रवाह दायित्व के निपटारे के लिए जरूरी होगी तथा दायित्व के राशि का एक विश्वसनीय आकलन बनाया जा सकेगा। जहाँ रुपये का समय–मूल्य वस्तु है, प्रावधानों को, दायित्व के निपटारे के लिए अनुमानित व्यय की वर्तमान मूल्य पर लिखा जाता है।

सभी प्रावधानों को प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख पर समीक्षा किया जाता है एवं मौजूदा बेहतरीन आकलन को प्रतिविम्बित करने के लिए, समायोजित किया जाता है।

जहाँ यह संभावित नहीं है कि आर्थिक लाभों को, बाह्य प्रवाह की आवश्यकता होगी, या राशि का विश्वसनीय तरीके से आकलन नहीं किया जा सकेगा, दायित्व को आकस्मिक देयता के रूप में दिखलाया जाता है, जबतक कि आर्थिक लाभों के बाह्य प्रवाह की संभावना दूर नहीं है। संभावित दायित्वों, जिनका अस्तित्व, कंपनी के पूर्ण नियंत्रण में नहीं रहने वाले एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं के होने या न होने के द्वारा ही सिर्फ सुनिश्चित होगी, को भी आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाता है जबतक कि आर्थिक लाभों के बाह्य प्रवाह की संभावना दूर है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तिय विवरणों में नहीं लिया जाता है। यद्यपि, जब आय की वसुली एकदम से निश्चित है, तब संबंद्ध परिसंपत्ति आकस्मिक परिसंपत्ति आकस्मिक परिसंपत्ति नहीं होता है और इसकी स्वीकार्यता उपयुक्त है।

2.23 प्रति शेयर कमाई/आय

मूल्य आय प्रतिशेयर की गणना, कर के बाद निबल लाभ की अवधि के दौरान बकाये इक्विटी शेयरों के भारित औसत संख्या के द्वारा भाग दे कर की जाती है। मिश्रित आय प्रति शेयर की गणना, प्रतिशेयर मूल आय की प्राप्ति के लिए स्वीकार्य गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद लाभ को भाग देकर की जाती है तथा इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के द्वारा भी, जिसे कि सभी मिश्रित भावी इक्विटी शेयरों के रूपांतरण के पश्चात निर्गत किया जा सकता था।

2.24 निर्णय, आकलन तथा मान्यताएँ

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तिय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को आकलनों, निर्णय एवं मान्यताओं का निर्माण करना होता है जो कि लेखा नीतियों के अनुप्रयोग तथा परिसंपत्तियों एवं देयता की दर्ज राशि, वित्तीय विवरण की तारीख पर आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं का प्रकटीकरण और रिर्पोटिंग अवधि के दौरान राजस्व की राशि एवं व्यय को प्रभावित करता है। इन वित्तीय विवरणों में लेखा नीतियों के अनुप्रयोग जिसमें जटिल एवं विषयात्मक निर्णय शामिल हैं, तथा मान्यताओं के उपयोग को प्रदर्शित किया जाता है। लेखा आकलन समय के साथ परिवर्तित हो सकता है। वास्तविक परिणाम एवं आकलित परिणामों में अंतर हो सकता है। आकलन एवं जुड़े हुए मान्यताओं की समीक्षा एक सतत आधार पर की जाती है। लेखा आकलन में पुनरीक्षण, को आकलन पुनरीक्षण के अवधि में मान्यता दी जाती है तथा, अगर वस्तु है, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों के टिप्पणियों में प्रदर्शित किया जाता है।

2.24.1 निर्णय

कंपनी के लेखा नीनियों को लागू करने के पद्धति में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णयों का निर्माण किया है, जो समेकित वित्तीय विघटनों में लिए गए राशियों पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है।

2.24.1.1 लेखा–नीतियों का प्रतिपादन

लेखा–नीतियों को इस प्रकार प्रतिपादित किया जाता है कि वि. वि. में लेन–देन संबंधी सार्थक एवं विश्वसनीय सूचना अन्य घटनाओं एवं शर्तों जिसमें वे लागू होते हैं, परिणम स्वरूप प्रदर्शित हों। इन नीतियों को लागू करने को जरूरत नहीं जब उनके लागु करने का प्रभाव मायने ना रखता हो।

लेन–देन के संबंध में विशेष रूप से लागु होने वाली भारतीय लेखा मानक, अन्य घटना या शर्त की अनुपस्थिति में, प्रबंधन ने अपने निर्णय को विकसित करने में एवं लेखा–नीति लागू करने के लिए उपयोग किया है जिसके परिणाम स्वरूप निम्न सूचनाएं मिलती है यानि :

(ए) उपयोग कर्त्ता के आर्थिक निर्णय–निर्माण आवश्यकताओं की सार्थकता तथा

(बी) इस वर्ष में विश्वसनीय की वित्तीय विवरणः

(i) विश्वास करने योग्य वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन एवं तत्व के नगद प्रवाहों को विश्वसनीय तरीके से प्रदर्शित करती है

(ii) लेन–दनों, अन्य घटनाओं एवं शर्तों के आर्थिक पहुलओं को दर्शाती है, न कि सिर्फ कानूनी स्वरूप कोय

(iii) उदासी न होते हैं, यानि किसी प्रकार के पक्षपात से मुक्त,

(iv) विवेकपूर्ण है, तथा

(v) सतत आधार पर सभी प्रकार के वस्तुगत पहलुओं में परिपूर्ण है।

निर्णय–निर्माण के संबंध में प्रबंधन, निम्नलिखित स्रोतों को अवनतिक्रम में निर्दिष्ट करती है और उनके लागू करने की योग्यता पर विचार करती है ,

(ए) समान एवं संबद्ध विषयों को साथ व्यवहार करने के भारतीय लेखा मानक की आवश्यकताएं , तथा

(बी) परिभाषाएं, मानदंड मान्यता तथा फ्रेमवर्क में परिसंपत्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय के लिए मापीकरण अवधारणा।

निर्णय निर्माण में प्रबंधन अंतरर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड के सबसे हाल के उदघोषणाओं पर विचार करती है तथा उनके अनुपस्थिति में अन्य दूसरे स्टैण्डर्ड–सेटिंग संस्थाओं का जो समान अवधारणा ढांचे का उपयोग, लेखा मानकों, अन्य लेखा पत्रिका एवं स्वीकृत औद्योगिक अभ्यासों को विकसित करने के लिए करती है, उस सीमा तक जहाँ ये उपरोक्त सारांश में स्रोतों के साथ प्रतिकूल नहीं होती है।

कंपनी खनन क्षेत्र में संचालित होती है (एक ऐसा क्षेत्र जहाँ अन्वेषण, मूल्यांकन, विकास उत्पादन चरण विभिन्न स्थलाकृतिक एवं भूखनन इलाकों पर आधारित है, जो दशकों से चल रहे पट्टे अवधि में फैला हुआ है और लगातार बदलाव की संभावना है), जिसकी लेखा नीतियाँ, अनुसंधान समितियों द्वारा समर्थित विशिष्ट उद्योग पद्धतियों एवं पिछले कई दशकों में इसके लगातार अनुप्रयोगों के कारण तथा विभिन्न नियामकों द्वारा अनुमोदन के आधार पर विकसित हुई है। कुछ विशेष क्षेत्रों में विशिष्ट लेखांकन साहित्य, मार्गदर्शन एवं मानकों की अनुपस्थिति में, जो विकास की प्रक्रिया में हैं। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के साथ–साथ लेखा–नीतियों को विकसित करने का प्रयास करती है और इसमें किसी भी विकास को भारतीय लेखा मानक 8 में विशेष तौर पर रखे गये प्रावधानों के अनुसार परिदृश्यात्मकता के लिए लेखाकृत की जाएगी।

वित्तीय विवरणों को लेखा की एक्रुवल आधार को उपयोग करते हुए एक सतत प्रयास के तहत तैयार की जाती है।

2.24.1.2 भौतिकता

भारतीय लेखा मानक उन वस्तुओं पर लागु होता है जो सामग्री है। प्रबंधन यह तय करने के लिए निर्णय का उपयोग करता है कि यदि अलग–अलग वस्तुएं या वस्तु के समुहों वित्तीय विवरण में सामग्री के रूप में है या नहीं। भौतिकता का निर्धारण वस्तु के आकार एवं प्रकृति के संदर्भ में किया जाता है। निर्णायक कारक यह है कि क्या वित्तीय चूक या गलत विवरण उन आर्थिक फैसलों पर अलग–अलग या सामुहिक से प्रभाव डाल सकते हैं, जिन्हें उपयोगकर्त्ताओं ने वित्तीय विवरणों के आधार पर लिया है। प्रबंधन भारतीय लेखा मानक की अनुपालन आवश्यकताओं की निर्धारित करने के लिए भौतिकता के फैसले का भी उपयोग करता है। विशेष परिस्थितियों में या तो प्रकृति या किसी वस्तु की मात्रा या वस्तुओं का कुल योग निर्धारित कारक हो सकते हैं। आगे, एक, तत्व की, कानून द्वारा जरूरी होने की स्थिति में, निराकार वस्तुओं को अलग से प्रस्तुत करने के लिए, आवश्यकता भी हो सकती है।

2.24.1.3 संचालित पट्टा

कंपनी ने पट्टा समझौते में प्रवेश किया है। समझौते के नियम एवं शर्त्तों के मूल्यांकन के आधार पर, जैसे कि वे पट्टे अवधि जो परिसंपत्ति के अंकित मूल्य तथा वाणिजयिक संपत्ति के आर्थिक जीवन का वृहत भाग न हो, कंपनी ने तय किया है कि वह इन

संपत्तियों के स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण जोखिमों एवं पुरस्कारों को तथा निविदाओं के लिए लेखा को, संचालित पट्टो के रूप में अपने पास रखती है।

2.24.2 अनुमान एवं मान्यताएँ

रिपोटिंग तिथि पर भविष्य तथा अनुमान अनिश्चितता के अन्य मुख्य स्रोतों से संबंधित मुख्य मान्यताएं, जिनके पास अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की मात्रा में सामग्री समायोजन करने का महत्वपूर्ण जोखिम है, नीचे वर्णित है। समेकित वित्तीय वक्तव्यों की तैयार करते समय कपनी ने मौजूद पारामीटर पर अपने प्राकलन एवं अनुमानों को आधारित किया था। भविष्य की घटनाओं के बारे में मौजुदा हालात एव घटनाएँ, यद्यपि, बाजार में बदलावों या उत्पन्न होनेवाली वैसी परिस्थितियां जो कि कंपनी के नियंत्रण के बारे है, के कारण बदल सकती है। इस प्रकार के परिवर्तन घटित होने की स्थिति में मान्यताओं में प्रदर्शित होते हैं।

2.24.2.1 गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

हानि/विकृति के संकेत दिखलाई पड़ते हैं, यदि किसी परिसंपत्ति या नगदी उत्पन्न करने वाली ईकाई का वहन मूल्य इसके वसूली योग्य राशि से अधिक होता है, जो कि निपटारे की लागत कम करके इसके अंकित मूल्य तथा उपयोगी मूल्य से अधिक है। कंपनी प्रत्येक खानों को एक अलग नकदी उत्पन्न करने वाली ईकाईयों के रूप में समझती है, हानि/विकृति की जांच उपयोग मे मूल्य की गणना डी सी एफ प्रतिमान पर आधारित होती है। नगदी प्रवाह अगले 5 वर्षों के लिए बजट से प्राप्त होता है तथा इसमें, पुर्नगठन गतिविधियां जिसपर कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है या वैसे महत्वपूर्ण भविष्य की निवेश जो जाँच किए जा रहे सी जी यू के परिसंपत्ति प्रदर्शन में वृद्धि करेगी, शामिल नहीं होते हैं। वसूली योग्य राशि डी सी एफ प्रतिमान के साथ–साथ अपेक्षित भावी नगदी प्रवाह एवं इन्टरपोलुशन प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई विकास दर के लिए उपयोग की गई छूट के प्रति संवेदनशील है। ये सभी अनुमान अन्य खनन बुनियादी ढांचे के सबसे अधिक सार्थक है। विभिन्न सी जी यू के लिए वसूली योग्य राशि की निर्धारण के लिए उपयोग की जानेवाली मुख्य मान्यताएं प्रदर्शित की जाती है तथा उन्हें आगे संबंधित टिप्पणियों में समझाया गया है।

2.24.2.2 कर

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस हद तक मान्यता प्राप्त है जहां यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरूद्ध हानियों को उपयोग किया जा सकता है। भावी कर नियोजन रणनीतियों के साथ–साथ संभावित समय–निर्धारण एवं भविष्य के कर योग्य लाभों के स्तर के आधार पर आस्थगित कर संपति की राशि को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय आवश्यक है। करों पर अधिक जानकारी को नोट – 38 में दिखलाया गया है।

2.24.2.3 परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना तथा अन्य रोजगारोपरान्त चिकित्सा लाभों की लागत एवं ग्रेच्युटी दायित्व के वर्तमान मूल्य को बीमांकिक मूल्यांकन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न मान्यताएं शामिल होते हैं जो भविष्य में वास्तविक विकास से अलग हो सकती है। इनमें, छुट दर, भविष्य वेतन वृद्धि एवं मृत्यु दर का निर्धारण शामिल होता है।

परिभाषित लाभ दायित्व के मूल्यांकन तथा इसके दीर्घकालीन प्रकृति में शामिल जटिलताओं के कारण, यह इन मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति अति–संवेदनशील होता है। प्रत्येक रिपोटिंग की तारीख पर सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला प्राचलिक, छुट दर है। भारत में संचालित की जाने वाली योजनाओं के लिए उपयुक्त, छुट दर का निर्धारण करने में, प्रबंधन रोजगारोपरांत लाभ दायित्व के मुद्राओ के अनुरूप मुद्रा में सरकारी बॉन्ड की ब्याज दरों पर विचार करता है।

मृत्यु दर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध देश के मृत्यु–दर तालिका पर आधारित होता है। यह मृत्यु–दर तालिका, जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के जवाब में सिर्फ उस अंतराल पर परिवर्तन की प्रवृति रखता है। भावी वेतन वृद्धि एवं ग्रेच्युटी बढ़ोतरी भविष्य की अनुमानित मुद्रास्फीति दर पर आधारित होता है।

2.24.2.4 वित्तीय साधनों का अंकित मूल्य मापन

जब्ब तुलन–पत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्ति तथा वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य को सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता है, तो उनके उचित मूल्य को डी सी एफ प्रतिभाग सहिज मूल्य निर्धारण तकनीकों का उपयोग

करके मापा जाता है। जहाँ तक संभव हो, इन प्रतिमानों को देखे जाने योग्य बाजारों से लिया जाता है, लेकिन जहाँ यह संभव नहीं है, उचित मूल्यों की स्थापित कर्ज के लिए निर्णय के एक अंश की आवश्यकता पड़ती है। निर्णय में नगदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम तथा अस्थिरता जैसे महत्व वाले इनपुट शामिल होते हैं। इन कारणों के बारे में मान्यताओं में परिवर्तन, वित्तीय साधनों के दर्ज उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

2.24.2.5 विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति

कंपनी परियोजना के लिए विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति को लेखा नीति के अनुसार पूंजीकृत करती है। लागत का प्रारंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित है कि तकनीकि एवं आर्थिक व्यवहार्यता की पुष्टि की जाती है, आमतौर पर तब जब एक परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थाएं लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) के द्वारा तैयार की जाती है।

2.24.2.6 खान बंदीकरण, स्थल पुनर्स्थापन एवं सेवामुक्तिकरण दायित्व

खान बंदीकरण, स्थल पुनर्स्थापन एवं सेवामुक्तिकरण दायित्व के लिए प्रावधान के उचित मूल्य के निर्धारण हेतु, मान्यताओं एवं आकलनों को छुट दरों, स्थल पुनर्स्थापन की अनुमानित लागत तथा विघटन और निराकरण की उम्मीद की लागत के संबंध में बनाया जाता है। कंपनी परियोजना/खान के जीवन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर डी सी एफ पद्धति का उपयोग करते हुए प्रावधान का आकलन करती है।

- कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों में निर्दिष्ट अनुसार अनुमानित लागत प्रति हेक्टेयर।
- छुट दर (कर के पहले), जो रुपये के समय–मूल्य का मौजूदा बाजार निर्धारण तथा देयता से संबंधित विशिष्ट जोखिमों को प्रदर्शित करता है।

2.25 प्रयुक्त संक्षेपण

ए.	सीजीयू	नकद उत्पन्न करने वाली ईकाई	जी.	ओसीआई	अन्य व्यापक आय
बी.	डीसीएफ	कटौती पश्चात नकद प्रवाह	एच.	पीएण्डएल	लाभ एवं हानि
सी.	एफवीटीओसीआई	अन्य विस्तृत आय के माध्यम से उचित मूल्य	आइ.	पीपीई	संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण
डी.	एफवीटीपीएल	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य	जे.	एसपीपीआई	मूलधन एवं ब्याज का मात्र भुगतान
इ.	जीएएपी	आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांत	के	ईआईआर	लागु ब्याज दर
एफ.	इन्ड एएस	भारतीय लेखा मानक			

31 मार्च, 2019 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ
नोट 3 : सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	पूर्ण स्वामित्व भूमि	अन्य भूमि	भूमि उद्धार/स्थल वापसी लागत	भवन, जल आपूर्ति, सड़क एवं कल्वर्ट	संयत्र एवं उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	फर्नीचर एवं फिक्सचर	कार्यालय उपस्कर	वाहन	एयरक्राफ्ट	अन्य खनन आधारभूत सरचना	सर्वेक्ष ऑफ परिसंपत्ति	अन्य	योग
अग्रेनित राशि :															
01 अप्रैल, 2017 को	17.49	670.49	475.60	189.15	1,461.51	1.79	34.73	9.67	32.45	12.24	–	198.26	82.57	–	3,185.95
जोड़	–	64.39	–	61.23	206.64	0.07	–	2.07	10.83	0.06	–	13.05	3.72	–	362.06
विलोपन/समायोजन	–	–	–	–	(10.17)	–	–	–	(0.06)	(0.01)	–	(0.29)	(5.78)	–	(16.31)
31 मार्च, 2018 को	**17.49**	**734.88**	**475.60**	**250.38**	**1,657.98**	**1.86**	**34.73**	**11.74**	**43.22**	**12.29**	–	**211.02**	**80.51**	–	**3,531.70**
01 अप्रैल, 2018 को	17.49	734.88	475.60	250.38	1,657.98	1.86	34.73	11.74	43.22	12.29	–	211.02	80.51	–	3,531.70
जोड़	–	26.57	–	46.24	144.78	1.75	234.05	3.34	13.68	0.12	–	55.86	6.70	–	533.09
विलोपन/समायोजन	–	–	(2.97)	(0.87)	(24.37)	–	(43.54)	–	(7.26)	(0.01)	–	(3.43)	(21.99)	–	(104.44)
31 मार्च, 2019 को	**17.49**	**761.45**	**472.63**	**295.75**	**1,776.39**	**3.61**	**225.24**	**15.08**	**49.64**	**12.40**	–	**263.45**	**65.22**	–	**3,960.35**
संचित मूल्य ह्रास एवं हानि															
01 अप्रैल, 2017 को	–	69.63	95.07	17.38	466.24	0.37	6.86	4.24	12.16	2.49	–	42.32	46.39	–	763.15
वर्ष के लिए शुल्क	–	54.98	36.13	10.68	213.76	0.14	3.94	1.44	7.83	1.53	–	17.94	–	–	348.37
हानि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.83	(1.65)	–	4.18
विलोपन/समायोजन	–	0.78	–	(0.07)	(6.30)	–	–	(0.01)	0.06	–	–	0.48	(0.03)	–	(5.09)
31 मार्च, 2018 को	–	**125.39**	**131.20**	**27.99**	**673.70**	**0.51**	**10.80**	**5.67**	**20.05**	**4.02**	–	**66.57**	**44.71**	–	**1,110.61**
01 अप्रैल, 2018 को	–	125.39	131.20	27.99	673.70	0.51	10.80	5.67	20.05	4.02	–	66.57	44.71	–	1,110.61
वर्ष के लिए शुल्क	–	56.73	34.76	13.93	202.02	0.36	9.55	1.76	8.10	1.38	–	29.08	–	–	357.67
हानि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.75	(19.75)	–	(14.00)
विलोपन/समायोजन	–	0.78	2.47	0.82	(8.68)	0.11	11.56	(1.09)	(4.21)	–	–	8.53	(0.31)	–	9.98
31 मार्च, 2019 को	–	**182.90**	**168.43**	**42.74**	**867.04**	**0.98**	**31.91**	**6.34**	**23.94**	**5.40**	–	**109.93**	**24.65**	–	**1,464.26**
निबल अग्रणित राशि															
31 मार्च, 2019 को	17.49	578.55	304.20	253.01	911.35	2.63	193.33	8.74	25.70	7.00	–	153.52	40.57	–	2,496.09
31 मार्च, 2018 को	17.49	609.49	344.40	222.39	984.28	1.35	23.93	6.07	23.17	8.27	–	144.45	35.80	–	2,421.09

1. भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में, 01.04.2015 को सकल मूल्य घटाव संचित मूल्य ह्रास को परिवर्तन की तिथि पर अग्रणित मूल्य पर माना गया।

विवरण	पूर्ण स्वामित्व भूमि	अन्य भूमि	भूमि उद्धार/स्थल वापसी लागत	भवन, जल आपूर्ति, सड़क एवं कल्वर्ट	संयत्र एवं उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	फर्नीचर एवं फिक्सचर	कार्यालय उपस्कर	वाहन	एयरक्राफ्ट	अन्य खनन आधारभूत संरचना	सर्वेक्ष ऑफ परिसंपत्ति	अन्य	योग
सकल वहन राशि :															
01 अप्रैल, 2015 को	16.87	630.42	656.05	437.66	3,335.00	16.90	88.08	20.77	50.16	32.79	–	759.19	71.73	–	6,115.62
संचित मूल्य ह्रास एवं हानि															
01 अप्रैल, 2015 को	–	372.29	176.30	270.57	2,239.44	15.24	73.22	15.18	36.96	26.36	–	652.32	–	–	3,877.88
निबल अग्रणित राशि	**16.87**	**258.13**	**479.75**	**167.09**	**1,095.56**	**1.66**	**14.86**	**5.59**	**13.20**	**6.43**	–	**106.87**	**71.73**	–	**2,237.74**

2 अन्य भूमि के अंतर्गत कोल बियरिंग क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 एवं अन्य अधिनियमों के तहत अधिग्रहित भूमि शामिल है।
3 अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, जिसे प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रभावी लेखा नीति की अनुच्छेद संख्या 2.8 में उल्लिखित अधिकारित समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। इसमें लाइफ ऑफ वैल्यू का अन्य कोई महत्वपूर्ण घटक नहीं है, अतः घटक लेखांकन नहीं किया गया है।
4 चालू वर्ष के दौरान, परित्यक्त परिसंपत्ति सम्बद्ध ह्रास की राशि 19.75 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 1.65 करोड़ रुपए चार्ज किया गया) अपलेखित गई है।
5 लीज समझौतों के विषय में, कंपनी ने अपने ग्राहकों को, पिछले साल व्यवसाय करने और कंपनी की कुछ संपत्तियों का उपयोग जिनका कुल मूल्य 80.09 करोड़ रुपये और 2.50 करोड़ रुपये की निकासी करने का अधिकार दिया है।
6 357.67 करोड़ रुपये के कुल मूल्य ह्रास में अन्य खनन आधारभूत संरचना से सम्बन्धित 29.08 करोड़ रुपये का परिशोधन शामिल है।

31 मार्च, 2019 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 4 : कैपिटल डब्ल्यूआईपी

(₹ करोड़ में)

विवरण	भवन (जल आपूर्ति, सड़क एवं कल्वर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	रेलवे साइडिंग	विकास	अन्य	योग
अग्रेनीत राशि :						
01 अप्रैल, 2017 को	103.60	64.08	847.84	139.24	–	1,154.76
जोड़	96.41	13.56	467.60	38.99	–	616.56
पूंजीकरण / विलोपन	(57.97)	(29.59)	–	(12.00)	–	(99.56)
31 मार्च, 2018 को	**142.04**	**48.05**	**1,315.44**	**166.23**	–	**1,671.76**
01 अप्रैल, 2018 को	142.04	48.05	1,315.44	166.23	–	1,671.76
जोड़	127.99	16.22	779.95	144.64	–	1,068.80
पूंजीकरण / विलोपन	(65.87)	(29.06)	(165.08)	(106.86)	–	(366.87)
31 मार्च, 2019 को	**204.16**	**35.21**	**1,930.31**	**204.01**	–	**2,373.69**
संचित प्रावधान एवं हानि						
01 अप्रैल, 2017 को	1.60	3.11	7.70	9.82	–	22.23
वर्ष के लिए शुल्क	0.35	2.16	3.85	1.82	–	8.18
हानि	–	–	–	1.45	–	1.45
विलोपन / समायोजन	(0.01)	(0.20)	–	(0.51)	–	(0.72)
31 मार्च, 2018 को	**1.94**	**5.07**	**11.55**	**12.58**	–	**31.14**
01 अप्रैल, 2018 को	1.94	5.07	11.55	12.58	–	31.14
वर्ष के लिए शुल्क	0.03	0.65	0.12	3.52	–	4.32
हानि	–	–	–	6.99	–	6.99
विलोपन / समायोजन	(0.72)	(3.78)	(11.55)	(7.89)	–	(23.94)
31 मार्च, 2019 को	**1.25**	**1.94**	**0.12**	**15.20**	–	**18.51**
निबल अग्रनित राशि						
31 मार्च, 2019 को	**202.91**	**33.27**	**1,930.19**	**188.81**	–	**2,355.18**
31 मार्च, 2018 को	**140.10**	**42.98**	**1,303.89**	**153.65**	–	**1,640.62**

1. **भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में, 01.04.2015 को सकल मूल्य घटाव संचित मूल्य ह्रास को परिवर्तन की तिथि पर अग्रणित मूल्य पर माना गया।**

	भवन (जल आपूर्ति, सड़क एवं कल्वर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	रेलवे साइडिंग	विकास	अन्य	योग
कुल अग्रनित राशि :						
01 अप्रैल, 2015 को	62.53	132.02	136.74	188.12	–	519.41
संचित प्रावधान एवं हानि						
01 अप्रैल, 2015 को	10.52	12.29	45.74	36.84	–	105.39
निबल अग्रनित राशि	**52.01**	**119.73**	**91.00**	**151.28**	–	**414.02**

2. मशीनरी / परिसपत्तियो के मामले में, जिसका खरीद / अधिग्रहण के तारीख से तीन साल से अधिक समय तक उपयोग नहीं किया जा सकता है, चौथे वर्ष से प्रभावी मूल्य ह्रास के समतुल्य प्रावधान वर्ष के दौरान किया गया है जिसकी कुल राशि 4.32 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 8.18 करोड़) है जिसे वित्तीय विवरण के नोट 33 के अंतर्गत दर्शाया गया है।

3 सीआईएल बोर्ड ने अपनी 350[वीं] बोर्ड मीटिंग में कोयले की सहज निकासी के लिए टोरी–शिवपुर रेल–लाइन परियोजना से सम्बद्ध 2399.07 करोड़ रुपये की संशोधित परियोजना लागत को मंजूरी दी जिसके लिए पूर्व–मध्य रेलवे को 2431.13 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। पू. म. रेलवे ने 1855.64 करोड़ रुपये खर्च किए हैं जिसे सीडब्ल्यूआईपी में "रेलवे साइडिंग" मद के अंतर्गत सक्षम परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृत किया गया है और 575.49 करोड़ रुपये की शेष राशि नोट – 10 में पूंजीगत अग्रिम के रूप में दिखाई गई है। उपर्युक्त परियोजना के लिए सीसीडीएसी के लिए कंपनी को अबतक 536.55 करोड़ रुपये का अनुदान मिला है।

31 मार्च, 2019 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 5 : अनुसंधान एवं मूल्यांकन परिसम्पत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	अनुसंधान एवं मूल्यांकन लागत
अग्रनित राशि :	
01 अप्रैल, 2017 को	237.83
जोड़	23.51
विलोपन/समायोजन	—
31 मार्च, 2018 को	**261.34**
01 अप्रैल, 2018 को	261.34
जोड़	75.35
विलोपन/समायोजन	69.41
31 मार्च, 2019 को	**406.10**
संचित प्रावधान एवं हानि	
01 अप्रैल, 2017 को	0.67
वर्ष के लिए शुल्क	—
हानि	—
विलोपन/समायोजन	—
31 मार्च, 2018 को	**0.67**
01 अप्रैल, 2018 को	0.67
वर्ष के लिए शुल्क	—
हानि	—
विलोपन/समायोजन	—
31 मार्च, 2019 को	**0.67**
निवल अग्रनित राशि	
31 मार्च, 2019 को	**405.43**
31 मार्च, 2018 को	**260.67**

भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में, 01.04.2015 को सकल मूल्य घटाव संचित मूल्य ह्रास को परिवर्तन की तिथि पर अग्रणित मूल्य पर माना गया।

सकल अग्रनित राशि	
01 अप्रैल, 2015 को	176.04
संचित प्रावधान एवं हानि	
01 अप्रैल, 2015 का	2.21
निवल अग्रनित राशि	**173.83**

31 मार्च, 2019 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 6 : अन्य अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	कम्प्युटर सॉफ्टवेयर	विक्रय के लिए कोल ब्लॉक	अन्य	योग
अग्रनित राशि				
01 अप्रैल, 2017 को	5.21	1.71	—	6.92
जोड़	0.01	—	—	0.01
विलोपन/समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2018 को	**5.22**	**1.71**	—	**6.93**
01 अप्रैल, 2018 को	5.22	1.71		6.93
जोड़	4.19	—	—	4.19
विलोपन/समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2019 को	**9.41**	**1.71**	—	**11.12**
संचित प्रावधान एवं हानि				
01 अप्रैल, 2017 को	3.33	—	—	3.33
वर्ष के लिए शुल्क	1.44	—	—	1.44
हानि	—	—	—	—
विलोपन/समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2018 को	**4.77**	—	—	**4.77**
01 अप्रैल, 2018 को	4.77	—	—	4.77
वर्ष के लिए शुल्क	0.61	—	—	0.61
हानि	—	—	—	—
विलोपन/समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2019 को	**5.38**	—	—	**5.38**
निबल अग्रनित राशि				
31 मार्च, 2019 को	**4.03**	**1.71**	—	**5.74**
31 मार्च, 2018 को	**0.45**	**1.71**	—	**2.16**

1. विक्रय हेतु कोयला ब्लॉक खानो के प्रारंभिक विकास पर किए गए व्यय को दर्शाते हैं जिसे प्राधिकरण द्वारा ऐसे ब्लॉकों के विक्रय से वसूला जाएगा।
2. भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में, 01.04.2015 को सकल मूल्य घटाव संचित मूल्य ह्रास को परिवर्तन की तिथि पर अग्रणित मूल्य पर माना गया।

सकल अग्रणित राशि :				
01 अप्रैल, 2015 को	4.74	1.71	—	6.45
संचित प्रावधान एवं हानि				
01 अप्रैल, 2015 को	—	—	—	—
निबल अग्रणित राशि	**4.74**	**1.71**	—	**6.45**

31 मार्च, 2019 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 7 : निवेश

(₹ करोड़ में)

	धारित शेयरों की संख्या	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
गैर चालू			
शेयरों में निवेश			
अनुषंगी कंपनी में इक्विटी शेयर्स अनुषंगी कंपनी – जेसीआरएल	3,20,00,000 (3,20,00,000)	32.00	32.00
अन्य निवेश शेयर अनुप्रयोग राशि		—	—
सिक्योर्ड बॉण्ड्स में		—	—
कॉ–ऑपरेटिव शेयर्स में		—	—
कुल		**32.00**	**32.00**
उद्धृत निवेशों का निबल मूल्य :		—	—
उद्धृत निवेशों का बाजार मूल्य :		—	—
अनुद्धृत निवेशों का निबल राशि :		32.00	32.00
निवेश के मूल्य में निबल हानि :		—	—

31 मार्च, 2019 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 7 : निवेश (जारी...)

(₹ करोड में)

	इकाईयों की सख्या चालू वर्ष/ (पूर्ववर्ती वर्ष)	फेस मूल्य प्रति युनिट (₹ में)	31.03.2019 को	31.03.2018 को
चालू				
म्युचुअल फंड निवेश				
यूटीआई म्युचुअल फंड	515315.242/-	1019.4457/-	52.53	–
एसबीआई म्युचुअल फंड	271.885/-	1003.2500/-	0.03	–
केनरा रोबैको म्युचुअल फड			–	–
युनियन केबीसी म्युचुअल फंड			–	–
डीओआई एएक्सए म्युचुअल फंड			–	–
अन्य निवेश				
8.5% कर मुक्त स्पेशल बॉन्ड (पूर्णतः पेड–अप)			–	–
(व्यापार प्राप्य के प्रतिभूतिकरण पर)			–	–
बड़े राज्य के आधार का विश्लेषण				
–उ. प्र.			–	–
–हरियाणा			–	–
कुल			**52.56**	–
उद्धत निवेशों का संकलित मूल्य			–	–
उद्धत निवेशों का बाजार मूल्य			–	–
अनुद्धत निवेशों की संकलित मूल्य			52.56	–
निवेश मूल्यों में हानि का संकलित मूल्य			–	–

वर्ष के दौरान खरीदे गए एवं बेचे गए म्युचुअल फंड का विवरण :

(₹ करोड़ों में)

विवरण	वर्ष के दौरान कुल खरीद		वर्ष के दौरान विमोच्य		प्राप्त लाभांश	
	युनिटों की सं.	राशि	युनिटों की सं.	राशि	युनिटों की सं.	राशि
युटीआई म्युचुअल फंड	*1,471,387.830*	*150.00*	*975,726.320*	*99.47*	*19653.730*	*2.00*
एसबीआई म्युचुअल फड	*2,242,711.190*	*225.00*	*2,271,517.570*	*227.89*	*29078.260*	*2.92*
कुल	**3,714,099.020**	**375.00**	**3,247,243.890**	**327.36**	**48731.990**	**4.92**

टिप्पणी :

कम्पनी उपर्युक्त म्युचुअल फंड की लिक्विड योजना (दैनिक लाभांश) में निवेश करती है। दैनिक लाभांश योजना में म्युचुअल फंड की इकाइयों के रूप में दैनिक लाभांश प्राप्त होते हैं और योजना के एन.ए.वी. का मूल्य स्थिर रहता है।

31 मार्च, 2019 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 8 : ऋण

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 को	31.03.2018 को
गैर–चालू		
संबद्ध पार्टियों को ऋण		
— सुरक्षित, सुविचारित	0.66	0.47
— असुरक्षित, सुविचारित	—	—
— ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ	—	—
— क्षीण ऋण	—	—
	0.66	0.47
घटाव : संदेहास्पद ऋणों के लिए भत्ता	—	—
	0.66	**0.47**
वर्गीकरण		
सुरक्षित, सुविचारित	0.66	0.47
असुरक्षित, सुविचारित	—	—
ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ	—	—
क्षीण ऋण	—	—
चालू		
कर्मचारियों को ऋण		
— सुरक्षित, सुविचारित	—	—
— असुरक्षित, सुविचारित	—	—
— क्षीण ऋण	—	—
	—	—
घटाव : संदेहास्पद ऋणों के लिए भत्ता	—	—
	—	—
वर्गीकरण		
सुरक्षित, सुविचारित	—	—
असुरक्षित, सुविचारित	—	—
ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ	—	—
क्षीण ऋण	—	—

31 मार्च, 2019 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 9 : अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

		31.03.2019 को		31.03.2018 को
गैर चालू				
बैंक में जमा		—		—
बैंक में निम्न मदों में जमा				
– खदान बदीकरण योजना		1,182.01		1,019.85
– स्थानातरण एवं पुनर्वासन निधि रिकव		—		—
अन्य जमा		145.09		100.99
खदान बदीकरण व्यय के लिए एस्क्रो एकाउट से प्राप्य		140.63		413.16
अन्य जमा एवं प्राप्य		—		—
कुल		**1,467.73**		**1,534.00**
चालू				
खदान बदीकरण व्यय के लिए एस्क्रो एकाउंट से प्राप्य		272.54		-
होल्डिंग कंपनी के साथ चालू खाता		-		72.74
लंबी अवधि के ऋण का वर्तमान परिपक्वता		-		-
उपार्जित ब्याज		14.57		59.04
दावे एवं अन्य प्राप्य	346.03		409.67	
घटाव : संदेहास्पद दावों का प्रावधान	4.76	341.27	3.85	405.82
कुल		**628.38**		**537.60**

1. चूंकि दिनांक 01.03.2011 की प्रभावी तिथि से कोयला एक्साइज के अंतर्गत आ गया है, रॉयल्टी और एस.ई.डी. को "अन्य कर" के रूप में मानकर लेन–देन मूल्य से बाहर रखा गया था। सेन्ट्रल एक्साइज इन्टेलिजेंस (डी.जी.सी.ई.आई.), नई दिल्ली के महानिदेशालय द्वारा जारी किए गए समन के परिणामस्वरूप, सीआईएल, होल्डिंग कंपनी जिसने इस मुद्दे का प्रतिनिधित्व किया, को लेन–देन मूल्य में वादित रॉयल्टी एस.ई.डी. शामिल करने और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान करने की सलाह दी जबतक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 9 सदस्यी बैंच में लंबित मामले का निपटारा नहीं हो जाता। तदनुसार, मार्च 2011 से फरवरी 2013 के अवधि के दौरान वादित कोयले के प्रेषण और वाशरी मे कच्चे कोयले की खपत के लिए 85.14 करोड़ रू. का भुगतान किया गया है और इसके परिणामस्वरूप उक्त अवधि के दौरान 79.95 करोड़ रू. का पूरक बिल एकत्र किया गया है, जिसमें से नकद बिक्री ग्राहकों से 4.56 करोड़ रू. की शेष राशि "अन्य प्राप्ति" मद के अंतर्गत दर्शाया गया है। 4.56 करोड़ रू. में से, ग्राहकों ने कोलकाता और झारखंड के माननीय उच्च न्यायालयो से 2.66 करोड़ रू. के लिए स्थगन आदेश लिया है और 1.90 करोड़ रू. के शेष के विरूद्ध 1.90 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है।
2. खदान बंदीकरण से संबंधित कुल 1182.01 करोड़ रू. एस्क्रो एकाउन्ट में जमा है (पिछले वर्ष 1019.85 करोड़ रू.), जिसमें एस्क्रो एकाउन्ट से प्राप्त निबल ब्याज 253.91 करोड़ रू. सम्मिलित है (पिछले वर्ष 198.81 करोड़ रू.) – निर्दिष्ट नोट सं. 21
3. * इसमें 0.80 करोड़ रूपयों का दोषपूर्ण भुगतान शामिल है। (निर्दिष्ट, नोट – 38 के पारा सं. 7.10)
4. बैंक जमा में अर्जित ब्याज के अन्दर, खान बन्दीकरण योजना के तहत जमा 5.38 करोड़ रुपये पर अर्जित ब्याज शामिल है।

31 मार्च, 2019 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 10 : अन्य गैर–चालू परिसम्पत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

		31.03.2019 को		31.03.2018 को	
(i)	अग्रिम पूँजी	986.23		1,503.94	
	घटाव : संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	0.09	986.14	1.29	1,502.65
(ii)	अग्रिम पूँजी के अलावे अन्य अग्रिम				
	(ए) उपयोगिता के लिए प्रतिभूति जमा	1.21		1.16	
	घटाव : संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	—	1.21	—	1.16
	(बी) अन्य जमा एवं अग्रिम	—		—	
	घटाव : संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	—	—	—	—
	(सी) पार्टियो से संबंधित अग्रिम		136.59		175.58
	योग		**1,123.94**		**1,679.39**

विवरण	अंतिम शेष		किसी भी समय का अधिकतम बकाया राशि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	(₹ करोड़ों में)	(₹ करोड़ों में)	(₹ करोड़ों में)	(₹ करोड़ों में)
कंपनियों का बकाया जिनमें कंपनी के निदेशकगण, निदेशक/सदस्य भी हैं (कंपनियों के नाम के साथ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जेसीआरएल	136.59	175.58	136.59	175.58
पार्टियों का बकाया जिनमें कंपनी के निदेशक निहितार्थ हैं।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1. जेसीआरएल (सहायक कंपनी) को ₹ 175.58 करोड़ का अग्रिम शिवपुर कठोतिया रेल लाइन के संबंध में वित्त वर्ष 2016–17 को दिया गया है एवं अग्रिम वसूली के रूप में दिखाया गया क्योंकि यह जेसीआरएल के काम के दायरे में है। सहायक रूप से डिप्टी चीफ इंजीनियर (ब्वद.– प्प), पूर्व मध्य रेलवे के दिनांक 10.01.2019 के पत्र क्रमांक संख्या – DCE/ C / HZME / W / CCL / 01 / Pt-III / 2142 में सूचित किया की पहले सूचित 175.58 करोड़ रुपये की संप्रेषित राशि में, हजारीबाग–बंदाग साइडिंग के खाते में व्यय राशि ₹ 38.99 करोड़ शामिल है। तदनुसार ₹ 38.99 करोड़ के अग्रिम से जेसीआरएल में समायोजित कर के पूंजी अग्रिम में स्थानांतरित किया गया। अग्रिम से असुरक्षित ऋण में रूपांतरित करने के निर्णय को संशोधित डीपीआर और इरकॉन से नोटवंदी की रिपोर्ट प्राप्त होने परप्रबंधन द्वारा की जाएगी।

2. ₹ 986.23 करोड़ की पूंजी अग्रिम के अंदर टोरी– शिवपुर रेल लाइन के निर्माण के लिए ईसी रेलवे को दिया गया, 575.49 करोड़ शामिल हैं। (देखें टिपण्णी–4)

31 मार्च, 2019 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 11 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ों में)

		31.03.2019 को		31.03.2018 को	
(ए)	राजस्व के लिए अग्रिम (माल और सेवाओं के लिए)	68.56		128.56	
	घटाव : संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.44	68.12	0.44	128.12
(बी)	वैधानिक बकायों का अग्रिम भुगतान	440.49		485.07	
	घटाव : संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.31	440.18	0.31	484.76
(सी)	संबंधित पार्टियों को अग्रिम		–		–
(डी)	अन्य अग्रिम एवं जमा	1,239.75		1,017.32	
	घटाव : संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	18.17	1,221.58	18.26	999.06
(इ)	प्राप्य इनपुट टैक्स क्रेडिट	845.13		481.62	
	घटाव : प्रावधान	–	845.13	–	481.62
(एफ)	मैट क्रेडिट पात्रता	–		–	
	घटाव : प्रावधान	–	–	–	–
	योग		2,575.01		2,093.56

विवरण	अंतिम शेष		किसी भी समय का अधिकतम बकाया राशि	
	चालू वर्ष (₹ करोड़ों में)	पिछला वर्ष (₹ करोड़ों में)	चालू वर्ष (₹ करोड़ों में)	पिछला वर्ष (₹ करोड़ों में)
कंपनियों का बकाया जिनमें कंपनी के निदेशकगण, निदेशक/सदस्य भी हैं (कंपनियों के नाम के साथ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों का बकाया जिनमें कंपनी के निदेशक निहितार्थ हैं।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1 सीएसआर गतिविधियों के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों/विभागों को राजस्व अग्रिम के रूप में 8.74 करोड़ रू. (पिछले वर्ष 11.73 करोड़ रू.) का भुगतान किया गया है।

2 खनिज (सत्यापन) अधिनियम, 1992 में शेष एवं अन्य करों के अधिनियम के आधार पर, 1992–93 में कंपनी ने 4 अप्रैल, 1991 तक ग्राहकों पर सेस और बिक्री कर मद में 100.33 करोड़ रू. का पूरक बिल दिया गया। उक्त राशि ग्राहकों से पुनर्प्राप्त करने योग्य है और अन्य प्राप्त दावे के मद में लिया गया है और इसी राशि को रायल्टी और सेस के लिए देय वैधानिक देय राशि में "अन्य वर्तमान देयताएं" के अंतर्गत शामिल किया गया है। (नोट : 23)।

3 सभी अन्य करों को सम्मिलित कर 01.07.2017 से वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया। 31.03.2019 तक 845.13 करोड़ रू. के इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्तियों के अंतर्गत 143.25 करोड़ रू. (जीएसटी पूर्व काल से सम्बद्ध) का जीएसटी टीआरएन–1 के माध्यम से क्रेडिट पारगमन शामिल है, जिसका उपयोग अवधि के दौरान इन्वर्टेड कर संरचना एवं जीएसटी टीआरएन–1 की वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा की जा रही लंबित जांच के कारण नहीं किया जा सका। समीक्षा के पूर्ण होने के बाद ही कालांतर में इसका उपयोग/दावा किया जाएगा।

31 मार्च, 2019 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 12 : मण्डार सूचियाँ

(₹ करोड़ों में)

		31.03.2019 को	31.03.2018 को
(ए)	कोयले का भण्डार	1,229.85	1,206.37
	विकासाधीन कोयला	—	—
		1,229.85	1,206.37
(बी)	सामान एवं कलपूर्जों का भण्डार (लागत पर)	110.39	133.50
	जोड़ पारागमन मे भण्डार	8.76	4.42
	सामान एवं कलपूर्जों का निवल भण्डार (लागत पर)	119.15	137.92
(सी)	केन्द्रीय अस्पताल में दवा का भण्डार	0.58	0.82
(डी)	कार्यशाला कार्य और प्रेस कार्य	4.08	4.12
	योग	**1,353.66**	**1,349.23**

31 मार्च, 2019 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 12 का अनुलग्नक

(मात्रा लाख टन मे)(मूल्य ₹ करोड़ों में)

तालिका – ए

वर्ष की समाप्ति पर लेखा में लिए गए कच्चे कोयले को इति भण्डार एवं किताबी भण्डार के साथ मिलान

विवरण	कुल भण्डार		गैर विक्रय योग्य/मिश्रित भण्डार		विक्रय योग्य भण्डार	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1. (ए) 01.04.2018 को प्रारंभिक भण्डार	135.90	952.31	1.21	–	134.69	952.31
(बी) प्रारंभिक भण्डार में समायोजन	–	–	–	–	–	–
2. वर्ष में उत्पादन	687.22	14,693.02	–	–	687.22	14,693.02
3. उप–योग (1+2)	823.12	15,645.33	1.21	–	821.91	15,645.33
4. वर्ष में प्रेषण :						
(ए) बाहरी प्रेषण	592.52	13,190.23	–	–	592.52	13,190.23
(बी) वाशरी को दिया गया कोयला	91.94	1,530.28	–	–	91.94	1,530.28
(सी) निजी खपत	–	0.04	–	–	–	0.04
योग (ए)	**684.46**	**14,720.55**	–	–	**684.46**	**14,720.55**
5. प्राप्त भण्डार	138.66	924.78	1.21	–	137.45	924.78
6. मापित भण्डार	135.26	903.86	1.18	–	134.08	903.86
7. अन्तर (5 – 6)	3.40	20.92	0.03	–	3.37	20.92
8. अन्तर का विवरण						
(ए) 5% के अन्दर अतिरिक्त	0.38	1.69	–	–	0.38	1.69
(बी) 5% के अन्दर कमी	3.78	22.61	0.03	–	3.75	22.61
(सी) 5% से परे अतिरिक्त	–	–	–	–	–	
(डी) 5% से परे कमी	–	–	–	–	–	–
9. खाते में लिया गया अंतिम भण्डार (6 – 8(ए) + 8(बी))	138.66	924.78	1.21	–	137.45	924.78

31 मार्च, 2019 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 12 का अनुलग्नक (जारी ....)

(मात्रा लाख टन मे)(मूल्य ₹ करोड़ों में)

तालिका – बी

कोयला/कोक की इति भण्डार का सारांश

विवरण	कच्चा कोयला		धुला हुआ/डिसाल्ट कोयला				अन्य उत्पादन*		कुल	
			कोकिंग		नॉन – कोकिंग					
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
प्रारंभिक भण्डार (अंकेक्षित)	135.90	952.31	0.72	36.49	0.34	3.73	14.34	213.84	151.30	1,206.37
घटाव : गैर बिक्री योग्य कोयला/मिश्रित भण्डार	1.21	–	–	–	–	–	–	–	1.21	–
समायोजित प्रारंभिक भण्डार (बिक्री योग्य)	134.69	952.31	0.72	36.49	0.34	3.73	14.34	213.84	150.09	1,206.37
उत्पादन	687.22	14,693.02	8.05	564.66	66.31	1,881.59	14.07	914.56	775.65	18,053.83
प्रेषण										
(ए) बाहरी प्रेषण	592.52	13,180.23	8.07	571.56	66.37	1,882.94	13.28	855.30	680.24	16,500.03
(बी) वाशरी को दिया गया कोयला	91.84	1,530.28	–	–	–	–		–	91.94	1,530.28
(सी) निजी खपत	–	0.04	–	–	–	–	–	–	–	0.04
इति भण्डार	137.45	924.78	0.70	29.59	0.28	2.38	15.13	273.10	153.56	1,229.85
घटाव : कमी	–	–			–	–			–	–
इति भण्डार (लिया गया)	137.45	924.78	0.70	29.59	0.28	2.38	15.13	273.10	153.56	1,229.85

1. अन्य उत्पादों के प्रेषण के मूल्य मे गैर–कोकिंग स्लरी और रिजेक्ट्स का मूल्य शामिल है लेकिन प्रेषण की मात्रा मे गैर–कोकिंग स्लरी 50963 मी. टन (विगत वर्ष 15886 मी. टन) और रिजेक्ट्स (कोकिंग और गैर–कोकिंग दोनों) 597364 मी. टन (विगत वर्ष 1071303 मी. टन) का प्रेषण शामिल नहीं है।

2. 31.03.2019 को कोकिंग और गैर–कोकिंग स्लरी तथा गैर–कोकिंग रिजेक्ट्स का इति भंडार 258870 मी. टन (विगत वर्ष 275035 मी. टन) और 7232847 मी. टन (विगत वर्ष 1516069 मी. टन) क्रमशः तैयार बाजार के अनुपलब्धता के कारण उसका मूल्य शून्य लगाया गया। विक्रय, प्राप्ति के आधार पर मान्य होते है।

3. कोयले के इति भंडार का वॉल्युमीट्रिक माप लिया जाता है और रूपांतरण–कारक के अनुप्रयोग से वजन (टन) मे परिवर्तित किया जाता है। वॉल्युमीट्रिक मापन की अन्तर्निहित सन्निकट त्रुटि को तथा गणितीय रूपांतरण–कारक के अनुप्रयोग से वजन में रूपांतरण पर ध्यान रखने के लिए, बुक स्टॉक और भौतिक स्टॉक के बीच (+/–) 5 प्रतिशत का अन्तर कम्पनी की लेखा नीति के अनुसार नजरअंदाज किया जाता है जिसका वर्षों से निरंतर पालन किया जा रहा है और लेखा खाते में 3.37 लाख टन के बुक स्टॉक (बिक्री योग्य) की शुद्ध कमी जिसका मूल्य 20.92 करोड रू. है, की असंगति बनी हुई हैं।

4. कथारा वाशरी मे 1995–96 से पडा हुआ 83795 मी. टन दूषित स्वच्छ कोयला को इति भंडार मे शामिल नहीं किया गया है और उसे शून्य पर मूल्यांकन किया गया है।

31 मार्च, 2019 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 13 : व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को		31.03.2018 को	
चालू				
देय तिथि से 6 माह से अधिक बकाया ऋण				
अच्छा समझा गया प्रतिभूत	–		–	
अच्छा समझा गया अप्रतिभूत	100.34		595.01	
ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि	–		–	
ऋण मे हानि	223.04		76.04	
	323.38		671.05	
घटाव : खराब एवं संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान	223.04	100.34	76.04	595.01
अन्य ऋण				
अच्छा समझा गया प्रतिभूत	–		–	
अच्छा समझा गया अप्रतिभूत	994.79		525.99	
ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि	–		–	
ऋण मे हानि	–		65.09	
	994.79		591.08	
घटाव : खराब एवं संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान	–	994.79	65.09	525.99
योग	**1,095.13**		**1,121.00**	

विवरण	अंतिम शेष		किसी भी समय के दौरान अधिकतम बकाया राशि	
	चालू वर्ष (₹ करोड़ों में)	पिछला वर्ष (₹ करोड़ों में)	चालू वर्ष (₹ करोड़ों में)	पिछला वर्ष (₹ करोड़ों में)
अन्य कंपनियो का बकाया जिनमें कंपनी के निदेशकगण, सदस्य या निदेशक भी हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों का बकाया जिनमें कंपनी के निदेशक निहितार्थ हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

व्यापार प्राप्य के विरूद्ध प्रावधान का संचलन

(₹ करोड़ों में)

विवरण	राशि	
	खराब एवं संदेहात्मक ऋण	गुणवत्ता भेद
01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	141.13	704.34
जोड : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	155.80	491.05
शेष प्रावधान	296.93	1,195.39
घटाव : वापस लिए गए प्रावधान	73.89	334.94
31.03.2019 को व्यापार प्राप्य के विरूद्ध शेष प्रावधान	**223.04**	**860.45**

व्यापार प्राप्य के विरूद्ध 860.45 करोड़ (704.34 करोड) का प्रावधान कोयला गुणवत्ता भेद प्रसरण के लिए प्रस्तुत नमुनो के प्रतीक्षित परीणाम के आने तक किया गया है।

31 मार्च, 2019 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 14 : नकद एवं नकद तुल्य

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को	31.03.2018 को
(ए) बैंकों के साथ शेष		
जमा खाता मे	0.90	4.10
चालू खाते मे		
— ब्याज सहित	27.35	99.76
— गैर–ब्याज सहित	216.29	52.55
नकद ऋण खाते मे	—	—
(बी) भारत के बाहर के बैंक बचत	—	—
(सी) हस्तगत चेक, ड्राफ्ट्स एवं स्टैम्प्स	0.01	5.55
(डी) हस्तगत नकद	—	0.02
(इ) भारत के बाहर का हस्तगत नकद	—	—
(एफ) अन्य (परिवहन में धन प्रेषण)	—	—
उप–कुल नकद एवं नकद समान	**244.55**	**161.98**
(जी) बैंक ओवरड्राफ्ट्स	—	—
कुल नकद एवं नकद तुल्य (निबल बैंक ओवरड्राफ्ट्स)	**244.55**	**161.98**

टिप्पणी :

1 मार्जिन राशि या सिक्युरिटी के विरूद्ध उधार, गारंटी, अन्य प्रतिबद्धताओ के विरुद्ध मे बैंको के साथ शेष राशि शून्य है।

2. हस्तगत नकद शेष राशि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित नकद सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार है।

3 दो अदालती मुकदमों के मामले मे सीसीएल द्वारा जारी की गई बैंक गारंटी जो 08/08 के मामले मे घीसा लाल गोयल बनाम सीसीएल और मेसर्स नव शक्ति फ्यूल्स बनाम सीसीएल तथा अन्य एएफए संख्या 101/2007 और सचिव के विरूद्ध 0.90 करोड़ रू की राशि खाता सं – 04040002100045433 में ग्रहणाधिकार के विरूद्ध जमा किया गया।

31 मार्च, 2019 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 15 : अन्य बैंक शेष

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को	31.03.2018 को
बैंकों के साथ शेष		
जमा खाता	841.51	1,194.23
खान बंदीकरण योजना	–	–
स्थानांतरण एवं पुनर्वासन निधि स्कीम	–	–
शेयरों के पुनः खरीद के लिए एस्क्रो खाता	–	–
अदत्त लाभांश खाता	–	–
लाभांश खाता	–	–
योग	**841.51**	**1,194.23**

जमा में शामिल :

(i) माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के आदेशानुसार 5.97 करोड़ रू. ग्राहक के दावे के विरूद्ध जमा किया गया है जिसमें अन्य वर्तमान देयता (नोट : 23) के साथ तदनरूपी देयता के 1.84 करोड़ रू का ब्याज शामिल है।

(ii) नवम्बर 2006 से अप्रैल 2008 की अवधि के दौरान पार्टियो पर चार्ज किए गए 20 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के अनुसार 27.81 करोड़ रू. जाम किए गए है।

(iii) मेसर्स आधुनिक एलॉयज एण्ड पावर लिमिटेड की बैंक गारंटी के भुनाई के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड, 2016 के केस सं. डब्ल्यूपी (सी) 4179 के आदेशानुसार 15.96 करोड़ रू. जमा किए गए।

(iv) 162 करोड़ रू. की सावधी जमा के विरूद्ध 150 करोड़ रू. का अल्पकालिक ऋण 2017–18 में उठाया गया है।

31 मार्च, 2019 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 16 : इक्विटी शेयर कैपिटल

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को	31.03.2018 को
अधिकृत		
रु. 1000/– प्रत्येक के 1,10,00,000 इक्विटी शेयर (रु. 1000/– प्रत्येक के 1,10,00,000 इक्विटी शेयर)	1,100.00	1,100.00
निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
रु. 1000/– प्रत्येक के 94,00,000 इक्विटी शेयर (रु. 1000/– प्रत्येक के 94,00,000 इक्विटी शेयर)	940.00	940.00
	940.00	940.00

1 उपरोक्त मे से 9399997 शेयर्स, नियंत्रक कंपनी कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा रखे गए है तथा शेष 3 शेयर इसके नामित द्वारा रखे गए हैं।

2. 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का कम्पनी में शेयर

शेयरधारक का नाम	31.03.2019 को		31.03.2018 को	
	शेयरों की सं. (प्रत्येक का अंकित मूल्य रू 1000/–)	कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की सं. (प्रत्येक का अंकित मूल्य रू. 1000/–)	कुल शेयरों का प्रतिशत
कोल इण्डिया लिमिटेड	9399997	100	9399997	100

3 कंपनी के पास इक्विटी शेयरो का केवल एक वर्ग है जिसका अंकित मूल्य 1000/– रू. प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरधारक समय समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने और शेयरधारकों की बैठक में शेयर होल्डिंग के अनुपात मे वोटिंग अधिकार के हकदार हैं। निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित लाभांश से बडा कोई भी लाभांश घोषित नहीं किया जाएगा।

31 मार्च, 2019 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 17 : अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ों में)

विवरण	सामान्य संचय	सुरक्षित उपार्जन	ओसीआई	कुल
01.04.2017 को शेष	2,029.00	215.71	52.39	2,297.10
लेखा नीति मे परिवर्तन	–	–	–	–
पूर्व अवधि त्रुटि (निवल कर)	–	308.64	–	308.64
01.04.2017 को पुनर्लिखित शेष	**2,029.00**	**524.35**	**52.39**	**2,605.74**
वर्ष के दौरान वृद्धि	–	–	–	–
वर्ष के दौरान समायोजन	–	–	–	–
वर्ष के दौरान कुल लाभ	–	807.78	101.74	909.52
विनियोग			–	–
हस्तांतरित/सामान्य सचय से	39.48	(39.48)	–	–
हस्तांतरित/अन्य संचय से	–	–	–	–
अंतरिम लाभांश	–	(531.10)	–	(531.10)
अतिम लाभांश	–	–	–	–
निगम लाभांश कर	–	(108.12)	–	(108.12)
इक्विटी शेयरों का बाय–बैक	–	–	–	–
बाय–बैक पर कर	–	–	–	–
पूर्व संचलित व्यय	–	–	–	–
परिभाषित लाभ योजना की प्रतिपूर्ति (निवल कर)	–	–	–	–
31.03.2018 को शेष	**2,068.48**	**653.43**	**154.13**	**2,876.04**
01.04.2018 को शेष	**2,068.48**	**653.43**	**154.13**	**2,876.04**
वर्ष के दौरान वृद्धि	–	–	–	–
वर्ष के दौरान समायोजन	–	–	–	–
लेखा नीति मे परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटि	–	–	–	–
वर्ष के दौरान कुल लाभ	–	1,704.47	(19.69)	1,684.78
विनियोग				
हस्तातरित/सामान्य संचय से	85.22	(85.22)	–	–
हस्तांतरित/अन्य संचय से	–	–	–	–
अंतरिम लाभांश	–	(297.04)	–	(297.04)
अतिम लाभांश	–	–	–	–
निगम लाभांश कर	–	(61.06)	–	(61.06)
इक्विटी शेयरो का बाय–बैक	–	–	–	–
बाय–बैक पर कर	–	–	–	–
परिभाषित लाभ योजना की प्रतिपूर्ति (निवल कर)	–	–	–	–
31.03.2019 को शेष	**2,153.70**	**1,914.58**	**134.44**	**4,202.72**

31 मार्च, 2019 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 18 : उधार

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को	31.03.2018 को
गैर–चालू		
सावधी ऋण	–	–
अन्य ऋण	–	–
कुल	–	–
वर्गीकरण		
सुरक्षित	–	–
असुरक्षित	–	–
चालू		
मांग पर देय योग्य ऋण		
- बैंकों से	–	150.00
- अन्य पार्टियो से	–	–
कुल	**–**	**150.00**
वर्गीकरण		
सुरक्षित	–	150.00
असुरक्षित	–	–

निदेशकों एवं अन्य के द्वारा गारंटीकृत ऋण

ऋण का वर्गीकरण	राशि करोड़ रू. में	गारंटी की प्रकृति
लागू नही	शून्य	शून्य

1. **नगद ऋण सुविधा**

कंपनी के पास होल्डिंग कंपनी सीआईएल के माध्यम से बैंकरों के कंसोर्टियम (लीड बैंक के रूप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) 55 करोड़ रु की नगद ऋण की सुविधा है उपर्युक्त सुविधाएं मौजूदा परिसंपत्तियों की संपार्श्विक जमानत पर हाइपोथीकेशन चार्ज लगाकर जिसमें बही ऋण कच्चे माल का स्टॉक, अर्द्ध तैयार और तैयार माल, स्टोर और स्पेयर शामिल हैं जो संयंत्र और उपकरण से (उपभोग्य स्टोर और स्पेयर) संबंधित नहीं है, जिसकी सीमा 83.00 करोड रू. है।

2. वर्ष 2017–18 में 162 करोड़ रू. की सावधी जमा के विरूद्ध 150 करोड़ रू. का अल्पकालिक ऋण उठाया गया है।

31 मार्च, 2019 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 19 : व्यापार देयताएँ

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को	31.03.2018 को
चालू		
माइक्रो, स्मॉल तथा मीडियम इन्टरप्राइजेज के लिए व्यापार देयताएँ	–	–
अन्य व्यापार देयताओ के लिए		
भण्डार एव कलपूर्जे	122.12	129.24
विद्युत एवं ईंधन	33.63	34.21
वेतन और भत्ते	328.40	323.56
अन्य	–	–
कुल	**484.15**	**487.01**
वर्गीकरण		
सुरक्षित	–	–
असुरक्षित	484.15	487.01

31 मार्च, 2019 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 20 : वित्तीय देयताएँ

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को	31.03.2018 को
गैर चालू		
प्रतिभूति जमा	59.47	52.03
अग्रिम राशि	6.23	1.62
अन्य	4.91	6.44
कुल	**70.61**	**60.09**
चालू		
होल्डिंग कम्पनी के साथ चालू खाता	25.16	–
दीर्घ अवधि ऋण की चालू परिपक्वता	–	–
अदत्त लाभांश	–	–
प्रतिभूति जमा राशि	174.85	119.71
पूंजीगत व्यय के लिए देय	167.90	125.22
अग्रिम राशि	130.48	117.23
अन्य	4.36	5.48
कुल	**502.75**	**367.64**

31 मार्च, 2019 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 21 : प्रावधान

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को	31.03.2018 को
गैर चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्यूटी	308.29	605 87
अवकाश नकदीकरण	166 30	107.11
अन्य कर्मचारी लाभ	133 61	218 50
	608.20	931 48
स्थल पुनःस्थापन / खान वदीकरण	1,087.26	1,024.26
स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन	1,715.91	1,368.31
अन्य	–	–
कुल	**3,411.37**	**3,324.05**
चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्यूटी	381.72	315.79
अवकाश नकदीकरण	47.38	34.67
एक्स – ग्रासिया	225 25	223 67
परफॉरमेंस रिलेटेड पे	153.92	57.26
अन्य कर्मचारी लाभ	167.73	286.89
एनसीडब्ल्यूए - X	13 57	474 73
अधिकारियों का वेतन पुनरीक्षण	18.20	136.26
	1,007 77	1,529 27
स्थल पुनःस्थापन / खान वंदीकरण	–	–
अन्य	–	–
कुल	**1,007.77**	**1,529.27**

31 मार्च, 2019 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 21 : प्रावधान (जारी ...)

टिप्पणी :

1 एनसीडब्ल्यूए – X के मद में 14.63 करोड़ रू. की कुल देयता का निबल व्यय निर्धारण 1.06 करोड़ रू. के अग्रिम से किया गया है।

2 स्थल पुनःस्थापन/खान बंदीकरण सुधार का मिलान :

01.04.2015 को स्थल बहाली परिसम्पत्ति का सकल मूल्य	664.75	664.75
जोड़ें : प्रावधानों के खोलने पर प्रभारित (पूंजीकृत सहित) तक 31.03.2018/31.03.2017	359.50	307.28
जोड़ें : वर्तमान वर्ष के लिए प्रावधानों के खोलने पर प्रभारित (पूंजीकृत सहित)	69.53	68.41
कम : वर्ष के दौरान वापस लिया गया खान बंदीकरण प्रावधान	6.52	16.19
31.03.2019 को खान बंदीकरण प्रावधान	**1,087.26**	**1,024.25**
एस्क्रो खाता शेष		
प्रारंभिक तिथि पर एस्क्रो खाता (चालू/गैर–चालू) में शेष	1,019.85	872.19
जोड़ें : चालू वर्ष में शेष राशि जमा	112.46	111.57
जोड़ें : वर्ष के दौरान ब्याज जमा	49.70	36.09
कम : चालू वर्ष के दौरान वापस ली गई राशि	–	–
समापन तिथि पर एस्क्रो खाते (चालू/गैर चालू) में शेष	**1,182.01**	**1,019.85**

3. गैर अधिकारियो के एक्स–ग्रेसिया के लिए प्रति वर्ष प्रति कर्मचारी 60500/–रू. (विगत वर्ष 57000/– रू.) प्रति वर्ष के संशोधित दर के अनुसार प्रावधान किया गया है।

4.. अवकाश नगदीकरण देयताओं का निबल व्यय निर्धारण 265.92 करोड रू. हुआ बीमांकिक देयताओं के विरूद्ध एलआईसी के पास जमा है।

5. खान बंदीकरण योजना के संबंध में, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी सीएमपीडीआईएल के तकनीकी मूल्याकन के आधार पर खाते मे खान बंदीकरण की लागत का प्रावधान किया जाता है। सीएमपीडीआईएल द्वारा प्रत्येक खान की ऐसी देयताओं की अनुमानित लागत पर @8% (यानि जी–सेक दर) की दर से छूट दी गई है और उक्त को ही खान बंदीकरण देयता तक पहुंचने के लिए प्रथम वर्ष को ही प्रावधान को बनाने में इसे पूंजीकृत किया जाता है। तदनतर, आगामी वर्षों में देय छूट को कम कर, 31.03.2019 के उक्त प्रावधान पर पहुंचा गया है। 1069.26 करोड़ रू. (विगत वर्ष 1007.59 करोड़ रू) के खान बंदीकरण प्रावधान के विरूद्ध, 1182.01 करोड रू. (विगत वर्ष 1019.85 करोड़ रू) एस्क्रो एकाउन्ट में जमा है, जिसमें 253.91 करोड़ रू. (विगत वर्ष 198.81 करोड़ रू.) ब्याज है।

31 मार्च, 2019 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 22 : अन्य गैर – चालू देयताएँ

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को	31.03.2018 को
स्थानांतरण एवं पुनरूत्थान निधि	–	–
आस्थगित आय*	540.84	438.46
कुल	**540.84**	**438.46**

* इसमें टोरी–शिवपुर परियोजना के लिए सीसीडीएसी से प्राप्त अनुदान शामिल है जो 536.55 करोड़ रू. है (गत वर्ष 434.17 करोड़ रू) और एन. के. क्षेत्रों के सड़को के मजबूतीकरण हेतु 4.29 करोड़ थी (गत वर्ष 4.29 करोड़ रू)।

नोट – 23 : अन्य चालू देयताएँ

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को	31.03.2018 को
वैधानिक देय	879.49	725.06
कोयला आयात के लिए अग्रिम	–	–
ग्राहकों/अन्यों से प्राप्त अग्रिम	2,691.88	3,181.55
सेस समतुल्य लेखा	–	–
अन्य देयताएँ	928.93	870.79
योग	**4,500.30**	**4,777.40**

31 मार्च, 2019 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 24 : संचालन से राजस्व

(₹ करोड़ों में)

		31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
ए. कोयले की बिक्रि		16,343.92		15,728.80
घटाव : अन्य वैधानिक लेवी		5,069.93		4,715.50
कोयले की बिक्रि (निबल)(ए)		**11,273.99**		**11,013.30**
बी. अन्य संचालित राजस्व				
बालू भराई एवं सुरक्षात्मक कार्यों के लिए अनुदान		–		1.05
लोडिंग एवं अतिरिक्त यातायात शुल्क	590.64		453.62	
घटाव : जीएसटी	28.13		17.38	
घटाव : अन्य वैधानिक लेवी	–	562.51	2.43	433.81
निकासी सुविधा शुल्क	360.57		107.68	
घटाव : जीएसटी	17.17	343.40	5.13	102.55
अन्य संचालित राजस्व (निबल)(बी)		**905.91**		**537.41**
संचालन से राजस्व (ए+बी)		**12,179.90**		**11,550.71**

विसमूहित राजस्व सूचना के लिए नोट – 38 के अंक 6(एम) में उल्लेख किया गया है।

31 मार्च, 2019 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 25 : अन्य आय

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय	115.29	264.81
लाभांश आय	4.92	10.59
अन्य गैर–संचालित आय		
एपेक्स शुल्क	—	—
परिसम्पत्तियों की बिक्री से लाभ	—	—
विदेशी मुद्रा के लेन–देन से प्राप्ति	—	—
विनिमय दर मे बदलाव	—	—
लीज लगान (स्रोत पर कटौती की गई कर 0.06 करोड़ रू. (पिछले वर्ष 0.08 करोड़ रू.)	4.06	4.02
वापस लिया गया देयता / प्रावधान	71.79	136.25
विविध आय	116.97	93.29
कुल	**313.03**	**508.96**
विविध आय		
पेनाल्टी / एल.डी. वसुली	41.49	46.13
साइडिंग शुल्क की वसुली	8.63	5.77
कर्मचारियों से वसुली	25.63	12.86
अन्य	41.22	28.53
कुल	**116.97**	**93.29**

* बैंक जमा से ब्याज में एस्क्रो एकाउन्ट का ब्याज 60.48 करोड़ रू. (विगत वर्ष 43.19 करोड़) के साथ उपार्जित ब्याज 5.38 करोड़ (विगत वर्ष 3.08 करोड़ रू.) शामिल है। (नोट सं – 21 देखें)

31 मार्च, 2019 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 26 : उपभोग किये गये सामग्री की लागत

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
विस्फोटक	194.09	152.85
लकड़ी	0.30	0.40
तेल एवं ल्युब्रीकेन्ट	383.37	350.19
एचईएमएम कलपुर्जे	146.21	132.58
अन्य उपभोग के लिए स्टोर एवं कलपुर्जे	72.31	79.00
कुल	**796.28**	**715.02**

31 मार्च, 2019 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 27 : तैयार सामान, कार्यप्रगति पर तथा व्यापार में भण्डार की सम्पत्ति सूचियों में परिवर्तन

(₹ करोड़ों में)

		31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
	कोयले का प्रारंभिक भण्डार	1,206.37	1,717.42
	कोयले का शेष भण्डार	1,229.85	1,208.37
ए.	**कोयले की सम्पत्ति सूची में परिवर्तन**	**(23.48)**	**511.05**
	वर्कशॉप मे निर्मित सामान, प्रगति मे कार्य तथा प्रेस कार्यो का प्रारंभिक भण्डार	4.12	5.73
	वर्कशॉप मे निर्मित सामान, प्रगति में कार्य तथा प्रेस कार्यो का शेष भण्डार	4.08	4.12
बी.	**वर्कशॉप में निर्मित सामान, प्रगति में कार्य तथा प्रेस कार्य के सम्पत्ति सूची में परिवर्तन**	**0.04**	**1.61**
	व्यापार में भण्डार की सम्पत्ति सूची मे परिवर्तन (ए + बी) (कमी / वृद्धि)	**(23.44)**	**512.66**

31 मार्च, 2019 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 28 : कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन एवं मजदूरी (भत्ता एवं बोनस इत्यादि सहित)	3,755.20	3,754.14
पी. एफ. एवं अन्य निधि मे अंशदान	1,139.28	1,529.21
कर्मचारी कल्याण व्यय	234.38	195.20
कुल	**5,128.86**	**5,478.55**

नोट – 29 : निगमित सामाजिक दायित्व व्यय

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	41.14	37.90
कुल	**41.14**	**37.90**

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा तैयार किये गए सीएसआर नीति में कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य प्रासंगिक सूचनाओं की विशेषताएं शामिल हैं। सीएसआर के लिए निधि, तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए औसत शुद्ध लाभ का 2% या विगत वर्ष के कोयला उत्पादन का ₹ 2.00 प्रति टन, जो भी अधिक है, ₹ 45.78 करोड़ होता है। (विगत वर्ष ₹ 54.80 करोड़)।

	विवरण	नकद में	नकद में भुगतान बाकी	कुल
(i)	परिसम्पत्तियों का निर्माण / अधिग्रहण	6.27	23.44	29.71
(ii)	उपरोक्त (i) के अलावे किसी और प्रयोजन के लिए	10.26	1.17	11.43
	कुल	**16.53**	**24.61**	**41.14**

31 मार्च, 2019 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 30 : मरम्मत

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
भवन	245.57	199.61
संयंत्र एवं मशीनरी*	111.47	110.45
अन्य	17.53	16.63
कुल	**374.57**	**326.69**

* 149.90 करोड़ रू. वर्कशॉप खर्च के साथ निवलित (पिछले वर्ष 140.07 करोड़ रू)

नोट – 31 : संविदात्मक व्यय

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
परिवहन व्यय	316.27	373.80
संयंत्र एवं मशीनरी का किराया	858.96	804.63
अन्य संविदात्मक कार्य	146.90	115.95
कुल	**1,322.13**	**1,294.38**

31 मार्च, 2019 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 32 : वित्तीय लागत

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
उधार	5.16	101.70
छूट पर रियायत	69.53	67.21
अन्य	0.56	1.90
कुल	**75.25**	**170.81**

नोट – 33 : प्रावधान (प्रतिवर्तित का निबल)

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(ए) के लिए दिया गया भत्ता/प्रावधान		
संदेहात्मक ऋण	155.80	88.41
संदेहात्मक अग्रिम एवं दावे	1.60	1.35
भण्डार एवं कल पुर्जे	1.11	0.09
अन्य (सीडब्ल्यूआईपी पर प्रावधान)	11.31	8.18
कुल (ए)	**169.82**	**98.03**
(बी) प्रतिवर्तित भत्ता/प्रावधान		
संदेहात्मक ऋण	73.89	97.02
संदेहात्मक अग्रिम एवं दावे	1.98	—
भण्डार एवं कल पुर्जे	—	—
अन्य	—	—
कुल (बी)	**75.87**	**97.02**
कुल (ए – बी)	**93.95**	**1.01**

31 मार्च, 2019 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 34 : बट्टे खाते में डाले गये (पूर्व प्रावधानों का निबल)

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
संदेहात्मक ऋण	–	258.97
घटाव : पहले किया गया प्रावधान	–	258.25
		0.72
संदेहात्मक अग्रिम	–	–
घटाव : पहले किया गया प्रावधान	–	–
	–	–
कुल	**–**	**0.72**

31 मार्च, 2019 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 35 : अन्य व्यय

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
यातायात व्यय	21.35	19.77
प्रशिक्षण व्यय	8.43	6.34
टेलिफोन एवं पोस्टेज	3.38	3.05
विज्ञापन एव प्रकाशन	3.27	3.76
धुलाई शुल्क	–	0.02
डेमरेज	35.61	25.88
सुरक्षा व्यय	192.05	175.70
सीआईएल का सेवा शुल्क	68.72	63.43
किराया शुल्क	53.96	44.43
सीएमपीडीआई शुल्क	55.54	41.13
कानूनी व्यय	6.24	5.58
परामर्श शुल्क	1.43	1.10
अंडर लोडिंग शुल्क	171.35	199.57
बिक्री पर हानि/हटाया गया/सर्वे ऑफ किया हुआ संपत्ति	9.92	3.10
अंकेक्षणों का पारिश्रमिक एवं व्यय		
अंकेक्षण फीस के लिए	0.20	0.20
कर संबंधी मामले	–	–
अन्य सेवाओं के लिए	0.23	0.21
व्ययो की प्रतिपूर्ति के लिए	0.12	0.11

31 मार्च, 2019 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 35 : अन्य व्यय (जारी...)

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
आंतरिक एवं अन्य अंकेक्षण व्यय	2.58	2.56
पुनःस्थापन शुल्क	41.03	40.54
किराया	0.58	0.52
दर एवं कर	285.06	308.50
बीमा	1.07	0.90
विनिमय दर मे बदलाव से हानि	—	—
बचाव/सुरक्षा व्यय	2.64	2.31
समाप्त किराया/सतही किराया	0.16	0.18
साइडिंग रख–रखाव शुल्क	23.32	9.21
आर एंड डी व्यय	--	0.38
पर्यावरण एवं वृक्षारोपण व्यय	4.19	3.02
शेयरों के पुनःखरीद पर व्यय	—	—
विविध व्यय	76.66	58.96
कुल	**1,069.09**	**1,020.46**

1. कोयला मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार पुनर्वास शुल्क, 41.03 करोड़ रू. (विगत वर्ष 40.45 करोड़ रू.) को सीआईएल से प्राप्त डेबिट ज्ञापन के आधार पर डेबिट किया गया।

2. होल्डिंग कंपनी सीआईएल द्वारा कोयले के उत्पादन पर 10 रू. प्रति टन की दर से लगाए गए सेवा शुल्क की कुल राशि 68.72 करोड़ रू. (पिछले वर्ष 63.43 करोड़ रू.) जिसका उपयोग खरीदी, विपणन, कॉर्पोरेट सेवा आदि जैसे विभिन्न सेवाओं के लिए सीआईएल से प्राप्त डेबिट ज्ञापन के आधार पर किया गया।

31 मार्च, 2019 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 36 : कर व्यय

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान वर्ष	979.24	855.41
आस्थगित कर	8.49	(275.70)
मैट क्रेडिट इनटाइटलमेन्ट	–	–
पहले के वर्ष	–	–
कुल	987.73	579.71

कर व्यय एव लेखा लाभ का भारतीय घरेलु दर से गुना कर सामजस्य :

कर से पहले लाभ	**2,692.20**	**1,387.49**
34.944 प्रतिशत कपनी की घरेलु दर पर कर (विगत वर्ष 34.944 प्रतिशत)	940.76	480.33
कर प्रभाव :		
गैर कटौती योग्य कर व्यय	40.20	378.75
कर छूट प्राप्त आय	(1.72)	(3.66)
विगत वर्ष के सापेक्ष चालू आयकर का समायोजन	–	–
लाभ एवं हानि विवरण मे प्रतिवेदित आयकर व्यय	**979.24**	**855.41**
प्रभावी आयकर दर	**34.944%**	**34.608%**

आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं)

आस्थगित कर देयताएं .		
अचल सपत्ति से संबद्ध	(4.42)	3.60
अन्य	–	–
कुल आस्थगित कर देयताए	**(4.42)**	**3.60**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां:		
संदेहात्मक अग्रिम, दावे एवं ऋण हेतु प्रावधान	386.92	301.32
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान	514.01	635.43
अन्य	**133.74**	**114.43**
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**1,034.67**	**1,051.18**
निवल स्थगित कर परिसंपत्तियां/(आस्थगित कर देयताएं)	**1,039.09**	**1,047.58**

31 मार्च, 2019 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 37 : अन्य विस्तृत आय

(₹ करोड़ों में)

			31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(ए)	(i)	लाभ या हानि मे पुनः वर्गीकृत नही होनेवाले मद		
		परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमापन	(30.27)	155.59
		कुल (ए)	**(30.27)**	**155.59**
	(ii)	लाभ या हानि मे पुनः वर्गीकृत नही होनवाले आयकर संबंधित मद		
		परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमापन	(10.58)	53.85
		कुल (बी)	**(10.58)**	**53.85**
		कुल [सी = ए–बी]	**(19.69)**	**101.74**

नोट – 38

31 मार्च 2019 को वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैण्डअलॉन)

1. उचित मूल्य मापन

(ए) श्रेणी अनुसार वित्तीय साधन

(₹ करोड़ों में)

	31 मार्च, 2019		31 मार्च, 2018	
	एफवीटीपीएल	परिशोधन लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधन लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश*	—	—	—	
अधिमान शेयर	—	—	—	—
–इक्विटी अंग	—	—	—	—
–ऋण अंग		—	—	—
म्युचुअल फंड / आईसीडी	52.56	—	—	—
अन्य निवेश	—	—	—	—
ऋण	—	0.66	—	0.47
जमा एवं प्राप्य	—	2096.11	—	2071.60
व्यापार प्राप्य	—	1095.13	—	1121.00
नकद एवं नकद समतुल्य	—	244.55	—	161.98
अन्य बैंक शेष	—	841.51	—	1194.23
वित्तीय देयता				
उधार	—	—	—	150.00
व्यापार देय	—	484.15	—	487.01
प्रतिभूति जमा एव अग्रिम राशि	—	371.03	—	290.59
अन्य देयताएँ	—	9.27	—	11.92

* 31.03.2019 को 32 करोड़ (31.03.2018 को 32 करोड़) का अनुषंगियों मे इक्विटी शेयरो का निवेश को लागत मूल्य पर मापन किया गया है तथा इसे शामिल नहीं किया गया है।

(बी) उचित मूल्य अनुक्रम

वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों के निर्धारण मे किए गए निर्णयों के आंकलनों को नीचे देए गए तालिका में दिखलाया गया है (ए) उचित मूल्य पर मापा गया एवं स्वीकारा गया तथा (बी) अमूर्त लागत पर मापा गया तथा जिसके लिए वित्तीय विवरणों मे उचित मूल्यों को दर्शाया गया है। उचित मूल्य के निर्धारण के लिए उपयोग किए गए आंकड़ों की विश्वसनीयता के बारे में निर्दिष्ट करने के लिए, कंपनी ने अपने वित्तीय साधनो को लेखा मानक के तहत वर्णीत 3 स्तरों मे वर्गीकृत किया है।

नोट – 38

31 मार्च 2019 को वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैण्डअलॉन)

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति एवं देयता जिसके लिए उचित मूल्यों को 31 मार्च, 2019 को दिखलाया गया है।	31 मार्च, 2019		31 मार्च, 2018	
	लेवल 1	लेवल 3	लेवल 1	लेवल 3
एफ़वीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्ति				
निवेश :				
म्युचुवल फंड/आईसीडी	52.56	–	–	–
वित्तीय देयता				
अन्य कोई मद	–	–	–	–

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति एवं देयता जिसके लिए उचित मूल्यों को 31 मार्च, 2019 को दिखलाया गया है।	31 मार्च, 2019		31 मार्च, 2018	
	लेवल 1	लेवल 3	लेवल 1	लेवल 3
वित्तीय परिसंपत्ति				
निवेश :				
अधिमान शेयर	–	–	–	–
–इक्विटी अंग	–	32.00	–	32.00
–ऋण अंग		–	–	–
म्युचुवल फंड/आईसीडी	52.56	–	–	–
अन्य निवेश	–	–	–	–
ऋण	–	0.66	–	0.47
जमा एवं प्राप्य	–	2096.11	–	2071.60
व्यापार प्राप्य	–	1095.13	–	1121.00
नकद एवं नकद समतुल्य	–	244.55	–	161.98
अन्य बैंक शेष	–	841.51	–	1194.23
वित्तीय देयताएं				
उधार	–	–	–	150.00
व्यापार देय	–	484.15	–	487.01
प्रतिभूति जमा एवं बयाना धन	–	371.03	–	290.59
अन्य देयता	–	9.27	–	11.92

प्रत्येक स्तर का एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

नोट – 38

31 मार्च 2019 को वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैण्डअलॉन)

लेवल 1 : लेवल 1 अनुक्रम में उद्धत मूल्यों को उपयोग करते हुए मापी गई वित्तीय साधन शामिल हैं इसमें वैसे म्युचुवल फंड शामिल हैं जिनका मूल्यांकन अंतिम निबल परिसंपत्ति मूल्य का उपयोग करते हुए नियत तिथि पर किया गया है।

लेवल 2 : वित्तीय साधनों जिनका सक्रिय बाजार में व्यापार नहीं किया गया है, के उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक द्वारा किया गया है जो देखे जाने योग्य बाजार आंकड़ों के उपयोग को बढ़ाता है तथा तत्व विशिष्ट आंकलनों पर कम निर्भर रहता है। यदि साधनों के उचित मूल्य के लिए सभी महत्वपूर्ण आंकडे देखे जाने योग्य हैं, तब साधन को लेवल 2 में शामिल किया जाता है।

लेवल 3 : यदि 1 या 1 से अधिक महत्वपूर्ण आंकडे देखे जाने योग्य बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं है तब साधन को लेवल 3 में शामिल किया जाता है। यह लेवल 3 में शामिल अक्रमित इक्विटी प्रतिभूतियां, प्राथमिक शेयर उधारी, प्रतिभूति जमा एवं अन्य शामिल देयताएं के संबंध में लागू हैं।

(सी) उचित मूल्य के निर्धारण में उपयोग किए जानेवाले मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय साधनों के मूल्य को निर्धारण के लिए प्रयोग किए जानेवाले मूल्यांकन तकनीकों में म्युचुवल फंड साधनों के उद्धत बाजार मूल्यो (एनएवी) का उपयोग शामिल है।

(डी) महत्वपूर्ण अनावश्यक निविष्टों का उपयोग कर उचित मूल्य मापन।

वर्तमान में महत्वपूर्ण अनावश्यक निविष्ट का उपयोग कर उचित मूल्य मापन नही है।

(ई) अमूर्त लागत पर मापित वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

- व्यापार प्राप्तियाँ, अल्पकालिक जमा, नकद और नकद समकक्षों की वहनीय रकम, व्यापारिक देनदारियों को उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।
- कंपनी मानती है कि प्रतिभूति जमा के अंतर्गत महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं है। माइलस्टोन भुगतान (सुरक्षा जमा) कंपनी के प्रदर्शन के साथ मेल खाता है और अनुबंध की आवश्यकता के अनुसार वित्तीय प्रावधानों से इतर अन्य कारणों से रकम का प्रतिधारण किया जाता है। अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में असफल होने वाले ठेकेदार का प्रत्येक माइलस्टोन भुगतान के निर्दिष्ट प्रतिशत को रोकने का अभिप्राय कंपनी के हितों की रक्षा है। तदनुसार, प्रतिभूति जमा के लेनदेन की लागत को प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य माना जाता है और बाद में अमूर्त लागत पर मापा जाता है।

महत्वपूर्ण आकलन : सक्रिय बाजार में व्यापार नहीं किए जाने वाले वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक के द्वारा किया जाता है। कंपनी अपने स्वय के निर्णय से प्रक्रिया का चुनाव करती है तथा प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में उपयुक्त मान्यताओं का निर्माण करती है।

2. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य एवं नीतियाँ

कम्पनी के मुख्य वित्तीय देयताएँ, ऋण एव उधारें, व्यापार एवं अन्य भुगतान योग्य के द्वारा बने होते हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कम्पनी के संचालन के लिए वित्त प्रदान करना तथा संचालन की सहायता के लिए गारंटी मुहैया कराना है। कंपनी के मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों जो कि सीधे इसके संचालन से प्राप्त किए जाते हैं, में ऋण, व्यापार तथा अन्य प्राप्य, नकद एवं नकद समतुल्य शामिल होते हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम से उजागर है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों का प्रबंधन का देखरेख करते हैं । कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन एक जोखिम समिति द्वारा समर्थित है जो वित्तीय जोखिमों पर, कंपनी के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिम शासन ढांचा पर सलाह देते हैं। जोखिम समिति, बोर्ड निर्देशकों को आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियाँ उचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा नियन्त्रित हैं और वित्तीय जोखिमों की पहचान, माप और प्रबंधन कपनी की नीतियो और जोखिम उद्देश्यो के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल समीक्षा करती है और इन जोखिमो मे से प्रत्येक के प्रबंधन के लिए नितियों पर सहमति देती है, जिन्हे नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

नोट – 38

31 मार्च 2019 को वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैण्डअलॉन)

यह टिप्पणी जोखिम के स्रोतों के बारे में बताता है जिनसे इकाई का संपर्क है और कैसे इकाई जोखिम और बचाव लेखांकन के प्रभाव का प्रबंधन वित्तीय वक्तव्यों में करती है।

जोखिम	अनावरण का कारण	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकद और नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य, वित्तीय परिसंपत्ति को परिशोधित लागत पर मापा जाता है	एजिंग विश्लेषण / क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यमों का विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक की क्रेडिट सीमा और जमा अन्य प्रतिभूतियां का विविधीकरण
तरलता जोखिम	उधार और अन्य दायित्व	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों और उधार लेने की सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम–विदेशी मुद्रा	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त वित्तीय संपत्ति और देनदारियों को भारतीय रूपए में संप्रदाय नहीं किया गया	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित रूप से देखी और समीक्षा की जाती है ।
बाजार जोखिम–ब्याज दर	नकद और नकद समकक्ष, बैंक जमा और म्यूचुअल फंड	कैश फ्लो पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यमों का विभाग (डीपीई दिशानिर्देश) का वरिष्ठ प्रबधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।

कपनी की जोखिम प्रबंधन, निदेशक मंडल द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ–साथ अतिरिक्त तरलता के निवेश को कवर करने वाली नीतियों के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है।

ए. क्रेडिट रिस्क

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

प्राप्तियां मुख्य रूप से कोयले की बिक्री से होती हैं। कोयला की बिक्री को मोटे तौर पर ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) और ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

मैक्रो – आर्थिक जानकारी (जेसे नियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) और ई–नीलामी शर्तों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए)

जैसा कि विचारा गया तथा एनसीडीपी के शर्तो के अनुसार, हम अपने ग्राहकों या राज्य के द्वारा नामित एजेन्सियों के साथ कानूनी रूप से बाध्य ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) करते हैं जो कि इस फलस्वरुप ग्राहकों के साथ उपयुक्त वितरण समझौता में तब्दील होता है। हमारे एफएसए वृहत रूप से इन श्रेणियो में बाँटे जा सकते हैं .

- पावर युटिलिटी क्षेत्र में ग्राहको के साथ एफएसए, जिसमें स्टेट पावर युटिलिटी, प्राइवेट पावर युटिलिटी (पीपीयू) तथा स्वतंत्र पावर उत्पादक (आइपीपी) शामिल है;
- नॉन–पावर उद्योगों में ग्राहकों के साथ एफएसए (कैप्टिव पावर प्लांट सहित "सीपीपी");
- राज्य द्वारा नामित एजेन्सियों के साथ एफएसए।

ई–नीलामी योजना

कोयले का ई–नीलामी योजना को वैसे ग्राहकों के लिए कोयला मुहैया कराने के लिए लाया गया है जो विभिन्न कारणों के कारण एनसीडीपी के तहत मौजूद सस्थागत तरीकों के द्वारा अपने कोयले की आवश्यकता को प्राप्त करने की स्थिति मे नहीं थे, उदाहरण के लिए, एनसीडीपी के तहत उनके सामान्य आवश्यकता के पूरे आवंटन के जगह कम आवंटन, उनके कोयला आवश्यकता का समयावधि तथा कोयले की सीमित आवश्यकता जिसके लिए दीर्घावधि जुडाव की आवश्यकता नही है। ई–नीलामी के तहत दी जानेवाली कोयले की मात्रा की समीक्षा समय–समय पर कोल मंत्रालय के द्वारा की जाती है।

नोट – 38

31 मार्च 2019 को वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैण्डअलॉन)

क्रेडिट जोखिम तब उत्पन्न होता है जब प्रतिपक्षीय दायित्वों पर प्रतिपक्ष चूक होती है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय नुकसान होता है।

अनुमानित क्रेडिट हानि : कम्पनी, आजीवन अनुमानित क्रेडिट हानियों (सरलीकृत पहुंच) के द्वारा संदेहात्मक/क्रेडिट विकृत परिसंपत्तियों के लिए अनुमानित क्रेडिट जोखिम हानि के लिए प्रावधान करती है।

व्यापार प्राप्य के लिए अनुमानित ऋण हानि का सरलीकृत दृष्टिकोण

31.03.2019 को सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत व्यापार प्राप्य के लिए अनुमानित ऋण हानि का मिलान :

(₹ करोड़ों में)

काल प्रभावन	2 महीनों से बकाया	6 महीनों से बकाया	1 साल से बकाया	2 साल से बकाया	3 साल से बकाया	3 साल से अधिक का बकाया	कुल
सकल अग्रणित राशि	390.66	742.93	380 74	237.15	269 60	157.54	2178.62
अनुमानित हानि दर	23 85	32.21	44 94	79.41	87 54	98.74	49.73
अनुमानित ऋण हानि प्रावधान - संदेहात्मक ऋण	–	–	–	56.53	18.63	147.88	223.04
- ग्रेड विचरण	93.19	239.30	171.12	131.80	217.37	7.67	860.45

31.03.2018 को

(₹ करोड़ों में)

काल प्रभावन	2 महीनों से बकाया	6 महीनों से बकाया	1 साल से बकाया	2 साल से बकाया	3 साल से बकाया	3 साल से अधिक का बकाया	कुल
सकल अग्रणित राशि	480.06	425.67	591.35	170.13	132.18	167.08	1966.47
अनुमानित हानि दर	26.12	30.50	34.01	73.39	82.18	93.17	42.99
अनुमानित ऋण हानि प्रावधान - सदेहात्मक ऋण	18.54	21.56	20.09	30.08	26.55	24.31	141.13
- ग्रेड विचरण	106.86	108 27	181.01	94.78	82.07	131.36	704 34

(₹ करोड़ों में)

	खराब एवं संदेहात्मक ऋण	गुणवत्ता विचरण
01.04.2018 को हानि के लिए प्रावधान	141.13	704.34
हानि के लिए प्रावधान में बदलाव	81.91	156.11
31.03.2019 मे हानि के लिए प्रावधान	223.04	860.45

नोट – 38

31 मार्च 2019 को वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैण्डअलॉन)

वित्तीय परिसंपत्तियों के महत्वपूर्ण आंकलन एवं निर्णय दुर्बलता

वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए उपरोक्त प्रदर्शित किए गए क्षति प्रावधान दोष की जोखिम एव अनुमानित हानि दरों के बारे में मान्यताओं पर आधारित होती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत मे कंपनी के पूर्व इतिहास, वर्तमान बाजार हालात साथ ही साथ भावी आंकलनों के आधार पर, कंपनी इन मान्यताओं को बनाने एवं क्षति गणना के लिए आंकड़ों का चयन करने हेतु निर्णय उपयोग करती है।

ए. तरलता जोखिम

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन का अभिप्राय होता है, पर्याप्त नगद तथा विपणन योग्य प्रतिभूतियों का रखरखाव एवं बकाए दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता क्रेडिट सुविधाओं की पर्याप्त राशि के माध्यम से धन को उपलब्धता बनाए रखना। अंकित व्यवसायों के गतिमान प्रकृति के कारण, कंपनी कोष प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइन के तहत उपलब्धता के निर्वहन द्वारा धन जुटाने में लचीलापन का निर्वाह करती है।

प्रबंधन, कंपनी के तरलता स्थिति के अनुमानों (निकासी किए गए उधार सुविधाओं के साथ, नीचे वर्जित) एवं अनुमानित नगद प्रवाहों के आधार पर नगदी एवं नगद समतुल्य का संचालल करती है। यह आमतौर पर कंपनी के द्वारा तय किए गए सीमाओं एवं प्रयासों के अनुसार कपनी के संचालन में लोकल स्तर पर की जाती है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के बैंक उधार को कोयला, भंडार और कोयला के स्टॉक, स्पेयर पार्ट्स और पुस्तक ऋण के खिलाफ प्रभारी बनाकर बैंकों के कंसोर्टियम के भीतर सुरक्षित किया गया है। सीसीएल को उपलब्ध कुल कार्यशील पूंजी ऋण सीमा ₹ 55.00 करोड़ है जिसमे निधि आधारित सीमा ₹ 83.00 करोड़ है। इसके अलावा, ₹ 2000.00 करोड़ की कंसोर्टियम के बाहर गैर–निधि आधारित सीमा एचईएमएम का आयात सुविधा के लिए स्थापित किया गया था। कोल इंडिया लिमिटेड आकस्मिक रूप से सहायक कंपनियों द्वारा उपयोग की जाती इस तरह की सुविधा तक उत्तरदायी है।

नीचे दी गई तालिका में कंपनी के वित्तीय देनदारियों के परिपक्वता प्रोफाइल को अनुबंधित अनदेखा भुगतानों के आधार पर सारांशित किया गया है।

	31.03.2019 को			31.03.2018 को		
	01 वर्ष से कम	01 से 05 वर्ष के मध्य	05 वर्ष से अधिक	01 वर्ष से कम	01 से 05 वर्ष के मध्य	05 वर्ष से अधिक
गैर व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं						
ब्याज दायित्वों सहित उधार	—	—	—	150.00	—	—
व्यापार देयताएं	482.50	1.15	0.50	485.31	1.26	0.44
अन्य वित्तीय देयताएं	503.57	64.41	5.38	367.77	54.65	5.31

बी. बाजार जोखिम

(ए) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त संपत्तियों या देनदारियों से उत्पन्न होता है जो एक मुद्रा में मूल्यवर्ग होते हैं, यह कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (INR) नहीं है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेन–देन से उत्पन्न विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है। विदेशी सचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है एवं और जोखिम का नियमित अनुवर्ती द्वारा प्रबंधित किया जाता है। कंपनी की एक नीति है जिसे विदेशी मुद्रा जोखिम के महत्वपूर्ण होने पर लागू किया जाता है।

(बी) कैश फ्लो एवं उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

कम्पनी का मुख्य ब्याज दर जोखिम बैंक जमा के ब्याज दर परिवर्तन के फलस्वरूप आता है, जो कि कम्पनी को कैश फ्लो ब्याज दर जोखिम की ओर ले जाता है। जमा राशियों को स्थाई दर के आधार पर रख–रखाव करना, कम्पनी की नीति है।

नोट – 38

31 मार्च 2019 को वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैण्डअलॉन)

कम्पनी, जोखिम का प्रबंधन, डिपार्टमेन्ट ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज (डीपीई) के दिशानिर्देशों, बैंक जमा क्रेडिट लिमिट तथा अन्य प्रतिभूतियों के विविधताकरण के अनुसार करता है।

सी. पूंजी प्रबन्धन

सरकारी स्वामीत्व होने के कारण कम्पनी अपने पूंजी का प्रबंधन, वित्त मंत्रालय के अधीन निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग की दिशानिर्देश के अनुसार करता है।

कम्पनी का पूंजीगत ढांचा इस प्रकार है :

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
इक्विटी शेयर कैपिटल	940.00	940.00
लंबी अवधि ऋण	—	—

3. कर्मचारी लाभ : मान्यता और मापन (भारतीय लेखा मानक –19)

(ए) ग्रेच्युटी

ग्रेच्युटी को एक परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजना के रूप में बनाए रखा गया है और भारतीय जीवन बीमा निगम में योगदान दिया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, परिभाषित लाभ का वर्तमान मूल्य घटाव दायित्व योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य के तौर पर परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजनाओं के संबंध में तुलन पत्र में प्राप्त देयता या परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है । परिभाषित लाभ दायित्व की गणना प्रतिवर्ष अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए की जाती है । अनुभव समायोजन और परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले पुन: माप लाभ और हानि बीमांकिक को उस अवधि में अन्य व्यापक आय के रूप में मान्यता प्राप्त है जिसमें वे होते हैं।

(बी) अवकाश नगदीकरण

अर्जित अवकाश के लिए देनदारियों को कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद निपटाने की उम्मीद है। वे अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके, रिपोर्टिंग के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में, अपेक्षित भविष्य के भुगतान का वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। समीक्षाधीन अवधि के अंत में बाजार की पैदावार का उपयोग करके लाभ पर छूट दी जाती है जो दायित्व की शर्तों से संबंधित हैं। बीमांकिक मान्यताओं में अनुभव समायोजन और परिवर्तनों के परिणामस्वरूप पुनः माप को अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है।

(सी) भविष्य निधि

कंपनी, भविष्य निधि एवं पेंशन निधि के लिए पूर्व–निर्धारित दर पर स्थायी योगदान का भुगतान एक अलग ट्रस्ट कोयला खान भविष्य निधि के नाम से करती है। वर्ष के दौरान निधि के लिए 604.30 करोड़ रूपए (विगत वर्ष 332.14 करोड़ रू.) के योगदान को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी गई है।

(डी) कंपनी कुछ परिभाषित लाभ योजनाओं का संचालन करती है जिनका मूल्यांकन वास्तविकता के आधार पर होता है, जो कि इस प्रकार है :

(ए) निधिक

- ग्रेच्युटी

नोट – 38

31 मार्च 2019 को वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टेण्डअलॉन)

- अवकाश नकदीकरण
- चिकित्सा लाभ

(बी) अनिधिक

- लाइफ कवर स्कीम
- सेटलमेंट भत्ता
- सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- छुट्टी यात्रा रियायत
- आश्रित को खान दुर्घटना लाभ का क्षतिपूर्ति

दिनांक 31.03.2019 को बीमांकिक के द्वारा मूल्यांकन के आधार पर कुल देयता की राशि 3225.32 करोड रू. हैं जिसका विवरण नीचे वर्णीत है।

(₹ करोड़ों में)

विवरण	01.04.2018 को प्रारंभिक वास्तविक देयता	वर्ष के दौरान वृद्धि विधिगत देयता / समायोजन	31.03.2019 को अंतिम वास्तविक देयता
ग्रेच्युटी	2388.71	70 33	2459.04
अर्जित अवकाश	370.38	51.16	421 54
अर्ध वेतन अवकाश	38.62	19.44	58.06
लाइफ कवर स्कीम	10.12	0.04	10.16
अधिकारियों का सेटलमेंट भत्ता	7.17	(0 41)	6.76
कर्मचारियों का सेटलमेंट भत्ता	16.60	(0.15)	16.45
सामुहिक व्यक्तिगत बीमा स्कीम	0.15	(0 01)	0.14
एलटीसी	34.36	10 24	44.60
अधिकारियों का चिकित्सा लाभ	174.14	3 52	177 66
कर्मचारियों का चिकित्सा लाभ	4 82	2 12	6.94
खान दुर्घटना मृत्यु के संदर्भ में आश्रितो को क्षतिपूर्ति	25.09	(1.12)	23.97
कुल	**3070.16**	**155.16**	**3225.32**

(ई) बीमांकिक प्रमाण पत्र के अनुसार प्रकटीकरण

ग्रेच्युटी (निधिक) के लिए कर्मचारी लाभ तथा अवकाश नगदीकरण (निधिक) के बीमांकिक प्रमाण पत्र के अनुसार प्रकटीकरण निम्नलिखित है।

नोट – 38

31 मार्च 2019 को वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टेण्डअलॉन)

31.03.2019 को ग्रेच्युटी देयता का बीमांकिक मूल्यांकन भारतीय मानक लेखा 19 (2015) के अनुसार प्रमाण पत्र

(₹ करोड़ों में)

परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	31.03.2019 को	31.03.2018 को
अवधि की प्रारंभ में दायित्वो का वर्तमान मूल्य	2388.71	1590.34
चालू सेवा लागत	106.69	99.50
ब्याज लागत	171.01	116.35
योजना संशोधन · अवधि के अंत में निहित भाग (पिछला सेवा)	—	900.33
वित्तीय मान्यता में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक (प्राप्ति)/हानि	28.56	(113.16)
अप्रत्याशित अनुभव के कारण दायित्वों पर बीमांकिक (प्राप्ति)/हानि	11.48	(42.10)
भुगतान किया गया लाभ	247.41	162.55
अवधि के अत में दायित्वो का वर्तमान मूल्य	2459.04	2388.71

(₹ करोड़ों में)

योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	31.03.2019 को	31.03.2018 को
अवधि की प्रारंभ में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	1516.49	1561.37
ब्याज आय	114.49	117.10
नियोक्ता योगदान	466.41	0.24
भुगतान किया हुआ लाभ	247.41	162.55
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्ति पर प्राप्ति	9.77	0.32
अवधि की अत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	1859.75	1516.49

(₹ करोड़ों में)

तुलन–पत्र के पुनर्मिलान का विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
निधिक स्थिति	(599.29)	(872.22)
अवधि के अंत मे उपेक्षित बीमांकिक (प्राप्ति)/हानि	—	—
निधि परिसंपत्ति	1859.75	1516.49
निधि देयता	2459.04	2388.71

नोट – 38

31 मार्च 2019 को वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टेण्डअलॉन)

योजना पूर्वानुमान का विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
छूट की दर	7.75%	7.71%
योजना परिसंपत्ति पर अनुमानित प्राप्ति	7.75%	7.71%
क्षतिपूर्ति वृद्धि का दर (वेतन बढ़ोत्तरी)	अधिकारी - 9.00% कर्मचारी - 6.25%	अधिकारी - 9.00% कर्मचारी - 6.25%
मॉर्टिलिटी सारणी	आईएएलएम 2006–2008 अल्टीमेट	
सेवानिवृति का उम्र	60	60
पूर्व सेवा निवृति एव असमर्थता	0.30% प्रति वर्ष	0.30% प्रति वर्ष

(₹ करोड़ों में)

लाभ–हानि के विवरण में लिए गए व्यय	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के अंत में	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अंत में
चालू सेवा लागत	106.69	99.50
पूर्व सेवा लागत (निहित)	—	900.33
निवल ब्याज लागत	56.51	(0.75)
लाभ लागत (लाभ–हानि के विवरण में लिए गए व्यय)	163.21	999.08

(₹ करोड़ों में)

अन्य विस्तृत आय	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के अंत में	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अंत में
वित्तीय पूर्वानुमान में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर उचित (लाभ)/हानि	28.56	(113.16)
अप्रत्याशित अनुभव के कारण दायित्वो पर उचित (लाभ)/हानि	11.48	(42.10)
कुल उचित (लाभ)/हानि	40.04	(155.27)
योजना परिसंपत्ति पर प्राप्ति, ब्याज आय को छोडकर	9.77	0.32
निबल (आय)/लिये गये अवधि में अन्य विस्तृत आय का व्यय	30.27	(155.59)

मृत्यु दर सारणी

उम्र	मृत्यु दर (प्रति वर्ष)
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.0258545

नोट – 38

31 मार्च 2019 को वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टेण्डअलॉन)

(₹ करोड़ों में)

योजना सम्पत्ति पर अपेक्षित वापसी का अंतिम मापन का विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
चालू देयता	291.00	266.34
गैर चालू देयता	2168.04	2122.36
निबल देयता	2459.04	2388.70

31.03.2019 पर ग्रेच्युटी देयता का परिपक्वता विश्लेषण	
वर्ष	(₹ करोड़ में)
1	301.78
2	267.32
3	240.49
4	220.90
5	212.60
6 से 10	1320.32
10 वर्षों से अधिक	2351.31
अतीत और भविष्य के सेवाओं के कुल गैर रियायती भुगतान	—
अतीत के सेवाओं का कुल रियायती भुगतान	4914.71
ब्याज पर रियायत घटाव	2455.68
अनुमानित लाभ दायित्व	2459.04

ग्रेच्युटी देयता का संवेदनशीलता विश्लेषण	31.03.2019	
	(₹ करोड़ में)	
	वृद्धि	कमी
रियायत दर (-/+ 0.5%)	2371.64	2552.11
संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले परिवर्तन प्रतिशत	-3.554%	3.785%
वेतन वृद्धि (-/+ 0.5%)	2511.39	2400.98
संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले परिवर्तन प्रतिशत	2.129%	-2.361%
संघर्षण दर (-/+ 0.5%)	2461.32	2456.75
संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले परिवर्तन प्रतिशत	0.093%	-0.093%
मृत्यु दर (-/+ 10%)	2474.18	2443.89
संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले परिवर्तन प्रतिशत	0.616%	-0.616%

नोट – 38

31 मार्च 2019 को वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टेण्डअलॉन)

31.03.2019 को अवकाश नगदीकरण लाभ (ईएल/एचपीएल) पर बीमांकिक मूल्यांकन

भारतीय लेखा मानक 19 (2015) के तहत प्रमाण–पत्र

(₹ करोड़ों में)

परिभाषिक लाभ बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	31.03.2019 को	31.03.2018 को
अवधि के प्रारंभ में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	409.01	467.75
चालू सेवा लागत	45.47	43.33
ब्याज लागत	26.24	30.14
वित्तीय परिकल्पनाओं में परिवर्तन के कारण बाध्यताओं पर बीमांकिक (वृद्धि)/हानि	6.79	(23.89)
अप्रत्याशित अनुभवों के कारण बाध्यताओं पर बीमांकिक (वृद्धि)/हानि	115.10	45.35
भुगतान किया हुआ लाभ	123.01	153.67
अवधि के अत पर बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	479.60	409.01

(₹ करोड़ों में)

योजना परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य में परिवर्तन	31.03.2019 को	31.03.2018 को
अवधि की प्रारंभ में योजना परिसंपत्ति का अंकित मूल्य	267.23	276.57
ब्याज आय	20.18	21.32
नियोक्ता योगदान	121.70	125.13
भुगतान किया हुआ लाभ	123.01	153.67
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्ति पर प्राप्ति	(20.18)	(2.11)
अवधि की अंत में योजना परिसंपत्ति का अंकित मूल्य	265.92	267.23

(₹ करोड़ों में)

तुलन पत्र के पुनर्मिलान का विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
निधिक स्थिति	(213.68)	(141.77)
निधि परिसंपत्ति	265.92	267.23
निधि देयता	479.60	409.01

योजना पुर्वानुमान का विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
छूट की दर	7.75%	7.71%
योजना परिसंपत्ति पर अनुमानित प्राप्ति	7.75%	7.71%
क्षतिपूर्ति वृद्धि का दर (वेतन बढ़ोत्तरी)	अधिकारी – 9.00% कर्मचारी – 6.25%	अधिकारी – 9.00% कर्मचारी – 6.25%
मृत्यु–दर तालिका	आईएएलएम 2006–2008 अल्टीमेट	
सेवानिवृति आयु	60	60
पूर्व–सेवानिवृति एवं असमर्थता	0.30% प्रति वर्ष	0.30% प्रति वर्ष
स्वैच्छिक सेवानिवृति	—	—

नोट – 38

31 मार्च 2019 को वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टेण्डअलॉन)

(₹ करोड़ों में)

लाभ/हानि के विवरण में अभिज्ञात व्यय	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के अंत में	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अंत में
चालू सेवा लागत	45.47	43.33
निबल ब्याज लागत	6.06	8.82
निबल बीमांकिक लाभ/हानि	142.07	23.57
लाभ लागत (लाभ/हानि के विवरण में अभिज्ञात व्यय)	193.60	75.72

मृत्यु–दर तालिका	
उम्र	मृत्यु दर तालिका (प्रति वर्ष)
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0 004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.0258545

योजना संपत्ति पर अपेक्षित वापसी का अंतिम मापन का विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
चालू देयता	47.38	34.67
गैर चालू देयता	432.22	374.34
निबल देयता	479.60	409 01

नोट – 38

31 मार्च 2019 को वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टेण्डअलॉन)

अवकाश नकदीकरण देयता का संवेदनशीलता विश्लेषण	31.03.2019	
	(₹ करोड़ में)	
	वृद्धि	कमी
रियायत दर (-/+ 0.5%)	458.92	501.98
संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले परिवर्तन प्रतिशत	-4.312%	4.668%
वेतन वृद्धि (-/+ 0 5%)	501.85	458.85
संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले परिवर्तन प्रतिशत	4.639%	-4.325%
संघर्षण दर (-/+ 0.5%)	479.67	479.53
संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले परिवर्तन प्रतिशत	0.015%	-0.015%
मृत्यु दर (-/+ 10%)	479.61	479.58
संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले परिवर्तन प्रतिशत	0 003%	-0.003%

31.03.2019 पर अवकाश नकदीकरण देयता का परिपक्वता विश्लेषण	
वर्ष	(₹ करोड़ में)
1	49.14
2	39.66
3	41.98
4	40.10
5	39.40
6 से 10	242.89
10 वर्षों से अधिक	734.37
अतीत और भविष्य की सेवा का कुल गैर रियायती भुगतान	—
अतीत और भविष्य की सेवा का कुल गैर रियायती भुगतान का कुल	1187.54
ब्याज पर रियायत छूट	707.94
अनुमानित लाभ दायित्व	479.60

नोट – 38

31 मार्च 2019 को वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टेण्डअलॉन)

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ

₹

कपनी सेवानिवृत्त कर्मचारियो और उनके पतिध्पत्नी को सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधा प्रदान करती है। इस चिकित्सा योजना को सेवानिवृत्ति के बाद कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए अलग से कवर की गई है। 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कार्यकारी के लिए चिकित्सा लाभ की योजना को अलग से ष्कार्यकारी ट्रस्ट के लिए सहायक पोस्ट–रिटायरमेंट मेडिकल स्कीमष् के माध्यम से प्रशासित की जाती है। चिकित्सीय लाभो के लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है। 01.01.2007 से पहले कार्यकारी सेवानिवृत्त के लिए – 31.03.2019 को पोषित स्थिति ₹ 98.79 करोड़ (शून्य) है एवं 31.03.2019 को उसी के लिए देयता ₹ 177.66 करोड (₹ 174.14 करोड) है।

पेंशन

कपनी के पास अपने कर्मचारियों के लिए एक परिभाषित योगदान पेंशन योजना है, जिसे सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना–2007 के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। 31.03.2019 को निधिक स्थिति ₹ 129.89 करोड (शून्य) और 31.03.2019 को देयता की स्थिति ₹ 123.66 करोड़ (₹ 252.13 करोड) है।

4. अनभिज्ञ मद

(ए) आकस्मिक देयताएँ

I. कंपनी के विरुद्ध दावा जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है :

(₹ करोड़ों में)

क्र. सं.	विवरण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार तथा अन्य इकाईयां	सीपीएसई	अन्य	कुल
1	01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	669.90	15926.92	–	643.56	17240.38
2	वर्ष के दौरान वृद्धि	204.60	990.68	–	5.80	1201.08
3	वर्ष के दौरान दावा निपटान					
	ए. प्रारंभिक शेष से	167.26	169.46	–	90.10	426.82
	बी. वर्ष के दौरान योग से	–	–	–	–	–
	सी. वर्ष के दौरान कुल दावो का निपटान (ए + बी)	167.26	169.46	–	90.10	426.82
4	31.03.2019 को अंतिम शेष	**707.24**	**16748.14**	–	**559.26**	**18014.64**

पर्यावरण स्वीकृति सीमा से ज्यादा कोयले के तथाकथित उत्पादन पर मांग

पर्यावरण स्वीकृति सीमा से अधिक उत्पादन करने के आरोप में सामूहिक हित बनाम भारतीय संघ तथा अन्य (2014 के डब्ल्यूपी (सी) संख्या 114) के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, झारखंड के कुछ जिला खनन अधिकारियों ने 41 परियोजनाओं में मांग नोटिस जारी किए।

नोट – 38

31 मार्च 2019 को वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टेण्डअलॉन)

कंपनी नें उपर्युक्त मांग के विरुद्ध एमएमडीआर अधिनियम के अंतर्गत अधिनिर्णयन प्राधिकारी, माननीय कोयला प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय,भारत सरकार के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की है। पुनरींक्षण प्राधिकरण,कोयला मंत्रालय,भारत सरकार ने अपने दिनांक 16.01.2018 के अंतरिम आदेश में पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर अगले आदेश तक मांग आदेश (13389.38 करोड़ रूपये) पर स्थगन आदेश दिया है।

41 परियोजनाओं पर सीसीएल के पक्ष में मांग–पत्र जारी किया गया है एवं यह सीसीएल पर्यावरण विभाग द्वारा सरोकार किया जा रहा है इसलिए यह मुख्यालय में रखा गया है तथा सीसीएल के आकस्मिक देयताओं में दर्शाया गया है।

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
1	**केन्द सरकार**		
	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	85.04	9.06
	आयकर	600.11	559.96
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	13.12	6.12
	सेवा कर	8.97	94.76
	अन्य	—	—
2	**राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी :**		
	बिक्री कर, आरईं उपकर, पीई उपकर, अन्य मामले	1491.04	1581 23
	अधिशुल्क	1412.94	558.31
	अन्य		
	प्रवेश कर	25.00	25.00
	बिजली शुल्क	85 92	68 59
	एमएडीए	343.86	304.41
	पर्यावरण विभाग	13389.38	13389.38
3	**सेन्ट्रल पब्लिक सेक्टर इन्टरप्राइजेज**	—	—
	कंपनी के खिलाफ मुकदमा	—	—
4	अन्य	559.26	643 56
	कुल	**18014.64**	**17240.38**

II. गारंटी

31 03 2019 को जारी किया गया बैंक गारंटी 287.05 करोड रू. (विगत वर्ष 290 25 करोड़ रू.)

नोट – 38

31 मार्च 2019 को वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टेण्डअलॉन)

III. साख पत्र

31.03.2019 को अदत्त साख पत्र 1.02 करोड़ रू. (विगत वर्ष 32.58 करोड़ रू.)

(बी) प्रतिबद्धताएँ

31.03.2019 को पूंजीगत खाते मे व्यय हेतु अनुमानित करार राशि का मूल्य 1143.72 करोड़ रू. (विगत वर्ष 1432.87 करोड़ रू.)

31.03.2019 को अन्य प्रतिबद्धताएँ . 9845.43 करोड़ रू. (विगत वर्ष 8615.11 करोड़ रू.)

5. समूह सूचना

नाम	प्रधान गतिविधियाँ	निगमन का देश	इक्विटी ब्याज %	
			31.03.2019 को	31.03.2018 को
कोल इंडिया लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी)	कोयले का खनन एवं उत्पादन	भारत	100 %	100 %
झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड (अनुषंगी कंपनी)	झारखंड में रेलवे आधारभूत संरचना का विकास	भारत	64 %	64 %

6. अन्य सूचनाएँ

(ए) प्रति शेयर आय

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(i)	इक्विटी अंशधारकों को आरोप्य कर पश्चात निबल लाभ (करोड रुपये में)	1704.47	807.78
(ii)	बकाये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	94 लाख	94 लाख
(iii)	रू. में प्रति शेयर बेसिक एवं डायल्यूटेड आय (1000/– रू. उचित मूल्य प्रति शेयर)	1813.27	859.34

(बी) संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण

ए. संबधित पक्ष की सूची

(i) होल्डिंग कम्पनी

कोल इण्डिया लिमिटेड

(ii) सिस्टर कम्पनियाँ

1. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)
2. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)
3. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)
4. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)
5. नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)

नोट – 38

31 मार्च 2019 को वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टेण्डअलॉन)

6. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)
7. सेन्ट्रल माइन एण्ड डिजाइन इन्स्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)

(iii) अनुषंगी कम्पनी

झारखण्ड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)

(iv) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	पदनाम	इस तिथि से प्रभावी
श्री गोपाल सिंह	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	01.03.2012
श्री डी. के. घोष	निदेशक (वित्त)	04.07.2013
श्री आर. एस. महापात्र	निदेशक (कार्मिक)	08.06.2015
श्री वी. के. श्रीवास्तव	निदेशक (तक /संचा.)	15.05.2018
श्री भोला सिंह	निदेशक (तक./यो. परि)	15.01.2019
श्री भारत भूषण गोयल	स्वतंत्र निदेशक	14.11.2015
श्री आशीष उपाध्याय, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय	सरकारी निदेशक	05.02.2018
श्री शुभऊ कश्यप	स्वतंत्र निदेशक	13.12.2018
श्री राम प्रकाश श्रीवास्तव	सरकारी निदेशक	19.02.2018
श्री रवि प्रकाश	कंपनी सचिव	13.07.2017

एक सरकार के नियंत्रण में संस्थाएँ

कपनी एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (सीपीएसयू) है जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारतीय लेखा मानक 24 के अनुच्छेद 25 और 26 के अनुसार, जिन पर एक ही सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण है, या महत्वपूर्ण प्रभाव है, उनमें रिपोर्टिंग इकाई और अन्य संस्थाओं को संबंधित पक्षों के रूप में माना जाएगा। इन पार्टियों के साथ लेनदेन हाथ की लंबाई के आधार पर बाजार की शर्तों पर किया जाता है। कपनी ने सरकार से संबंधित संस्थाओं के लिए उपलब्ध छूट को लागू किया है और वित्तीय वक्तव्यों में सीमित खुलासे बनाये हैं।

(₹ करोड़ों में)

संस्था का नाम	लेन–देन	31.03.2019 को	31.03.2018 को
एनटीपीसी	कोयले का विक्रय	2784.18	2116.80
	बकाया शेष	346.81	291.47

नोट – 38

31 मार्च 2019 को वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टेण्डअलॉन)

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(₹ करोड़ों में)

क्र. सं.	अ. प्र. नि. पुर्णकालिक निदेशकगण एवं कंपनी सचिव का पारिश्रमिक	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	**अल्पकालिक कर्मचारी लाभ**		
	सकल वेतन	3.17	2.40
	चिकित्सा लाभ	0.01	0.01
	पूर्वकांक्षित एवं अन्य लाभ	–	–
(ii)	**रोजगार उपरांत लाभ**		
	पीएफ एवं अन्य निधियों में योगदान	0.20	0.15
	ग्रेच्युटी का बीमांकिक मूल्यांकन	0.66	0.60
	अवकाश नगदीकरण	0.76	0.83
	एनपीएस में योगदान	0.58	
(iii)	सेवा समाप्ति / सेवानिवृत्ति लाभ	0.52	0.20
	कुल	**5.90**	**4.19**

टिप्पणी :

(i) उपरोक्त के अलावा, पूर्ण–कालिक निदेशकों को सेवाभत्तों के अनुसार 2000 रूपए प्रति माह के भुगतान पर 1000 कि.मी. की सीमा तक निजी यात्रा करने हेतु कार का उपयोग करने के लिए अनुमति दी गई है।

स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान

(₹ करोड़ों में)

क्र. सं.	स्वतंत्र निदेशकगणों को भुगतान	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	सिटिंग फीस	0.21	0.22

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के पास अधिशेष

(₹ करोड़ों में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
(i)	देय राशि	–	–
(ii)	प्राप्य राशि	–	–

नोट – 38

31 मार्च 2019 को वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टेण्डअलॉन)

बी. कम्पनी के तहत संबद्ध पार्टी लेनदेन

(₹ करोड़ों में)

संबंधित पार्टियों के नाम	संबंधित पार्टियों को ऋण	संबंधित पार्टियों से ऋण	एपेक्स शुल्क	पुनर्वास शुल्क	लीज किराया आय	निधि पर ब्याज	आईआईसीएम शुल्क	चालू खाता लेनदेन
कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	–	–	68.72	41.03	–	–	–	257.08
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)	–	–	–	–	–	–	–	1.15
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)	–	–	–	–	–	–	–	1.55
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	–	–	–	–	–	–	–	0.08
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	–	–	–	–	–	–	–	0.59
नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	–	–	–	–	–	–	–	0.21
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	–	–	–	–	–	–	–	0.94
सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)	–	–	–	–	–	–	–	128.48
झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)	–	–	–	–	–	–	–	–

(सी) हाल ही के लेखा घोषणा

(i) भारतीय लेखा मानक, 116 – पट्टे

निगमित मामलों के मंत्रालय ने दिनांक 30 मार्च 2019 की अधिसूचना के द्वारा भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 116, पट्टों को अधिसूचित किया है जो 01 अप्रैल 2019 से लागू होंगे।

यह मानक पट्टों की मान्यता, मापन, प्रस्तुति और प्रकटीकरण के लिए सिद्धांतों का निर्धारण करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए है कि पट्टेदार और पट्टादाता प्रासंगिक जानकारी का आदान–प्रदान करते हैं, जो ईमानदारी से उक्त लेनदेन का प्रतिनिधित्व करता है।

यह मानक संक्रांति के दो संभाव्य तरीकों की अनुमति प्रदान करता है :

प्रत्येक पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के लिए पूर्वव्यापी रूप से भारतीय मानक 8 के रूप में 1 अप्रैल 2018 को आवेदन प्रस्तुत की जाये।

शुरू में आवेदन की तारीख यानी 1 अप्रैल 2019 को मानक लागू करने के संचयी प्रभाव के साथ पूर्वव्यापी की जाये ।

प्रबंधन संक्रांति की उपयुक्त विधि का चयन करने और वित्तीय विवरण में उसके प्रभाव का आकलन करने की प्रक्रिया में है।

(ii) भारतीय मानक 19 में संशोधन – योजना संशोधन, कटौती या निपटान

निगमित मामलो के मंत्रालय ने 30 मार्च 2019 की अधिसूचना के अनुसार योजना संशोधन, कटौती और भुगतान हेतु लेखांकन से संबंधित भारतीय मानक 19, 'कर्मचारी लाभ' के रूप मे संशोधन को अधिसूचित किया है। इकाई में संशोधन हेतु आवश्यक है :

- योजना संशोधन, सुधार या निपटान के पश्चात् शेष अवधि के लिए वर्तमान सेवा लागत और निबल ब्याज के निर्धारण हेतु अद्यतन पूर्वानुमान का उपयोग; तथा
- विगत सेवा लागत के हिस्से के रूप में लाभ या हानि, या निपटान पर लाभ या हानि की पहचान हेतु, अधिशेष में किसी भी कमी, भले ही उस अधिशेष को परिसंपत्ति छत के प्रभाव के कारण पहले से मान्यता नहीं मिली थी।

नोट – 38

31 मार्च 2019 को वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टेण्डअलॉन)

इस संशोधन के आवेदन की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। वित्तीय विवरण में उपरोक्त के प्रभाव का अनुमान लगाने की प्रक्रिया में प्रबंधन।

(डी) अनुषंगी कंपनियों की ओर से कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा क्रय सामग्री

मौजूदा पद्धति के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अनुषंगी कंपनियों के लिए क्रय सामग्री की गणना उस अनुषंगी कंपनी के लेखा में सीधे तौर पर किया जाता है।

(ई) बीमा एवं बढ़ोतरी दावा

बीमा तथा बढ़ोतरी दावों को प्रवेश/अंतिम निपटारे के आधार पर लेखाकृत किया जाता है।

(एफ) लेखा में किया गया प्रावधान

धीमी–चलन/स्थिर/पुराने भंडारों, प्राप्य दावे, भविष्यों, संदेहात्मक ऋण इत्यादि के विरूद्ध किए गए प्रावधानों को संभावित हानियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

(जी) चालू परिसंपत्ति, ऋण एवं अग्रिम इत्यादि

प्रबंधन के राय में, स्थायी–परिसंपत्तियों के अलावा दूसरी परिसंपत्तियों तथा गैर–मौजूदा निवेशकों में, व्यवसाय के साधारण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त वसूली पर एक मान होता है जो कि कम से कम उस राशि के बराबर होता है जिसपर वे लिखे गए हैं।

(एच) चालू देयता

जहाँ वास्तविक देयता, मापे नहीं जा सकते वहाँ अनुमानित देयता दिए गए हैं।

(आई) शेष का स्थायीकरण

नगद एंव बैंक बैलेंस, निश्चित श्रेणी एवं अग्रिमों, दीर्घकालीन देयताएं तथा मौजूदा देयताओं के लिए शेष पुष्टिकरण/समन्वय किया जाता है।

(जे) महत्वपूर्ण लेखांकन नीति

कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीति (टिप्पणी –2) का मसौदा तैयार किया गया है(भारतीय लेखा मानक) नियम, २०१५ के अंतर्गत, कॉरपोरेट मामलो के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंड ए ए स) के अनुसार किया गया है।

(के) लीज

(i) इम्पीरियल फास्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ लीज समझौता के शर्तों के आलोक में, इसे, कपनी की परिसंपत्तियो का अधिकार एवं उपयोग करने की अनुमति दी गई है। अवधि के प्रारंभ मे सकल वहन की राशि 80.19 करोड़ रू. है। अवधि के अंत में संचयित मूल्यह्रास 77.69 करोड़ रू. है एवं डब्ल्यूडीवी 2.50 करोड रू. (आरक्षित मूल्य) है। लीज अवधि के दौरान प्राप्त होने योग्य भावी न्यूनतम लीज भुगतान की सकलित राशि 28.32 करोड रू. है। भावी लीज भुगतान प्राप्य का विवरण इस प्रकार है .

(₹ करोड़ों में)

	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
(i)	एक साल तक	3.84	3.84
(ii)	एक साल से ज्यादा तथा पाँच साल तक	15.36	15.36
(iii)	पाँच सालों से ज्यादा लीज के अवधि तक	9.12	12.96
	कुल	**28.32**	**32.16**

नोट – 38

31 मार्च 2019 को वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टेण्डअलॉन)

(ii) पजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ लीज समझौता के शर्त्तों के आलोक में, इसे, कंपनी के 15.50 एकड़ भूमि को उपयोग करने का अधिकार दिया गया है। अवधि के प्रारंभ में सकल वहन की राशि 7.90 करोड़ रू है। अवधि के अंत में संचयित मुल्यह्रास 7.90 करोड़ रू. का है। अवधि के लिए डब्ल्यूडीवी शून्य है। लीज अवधि के दौरान प्राप्त होने योग्य भावी न्यूनतम लीज भुगतान की संकलित राशि 3.36 करोड रू. है। भावी लीज भुगतान प्राप्य का विवरण इस प्रकार है .

(₹ करोड़ों में)

	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
(i)	एक साल तक	0.19	0.19
(ii)	एक साल से ज्यादा तथा पाँच साल तक	0.77	0.77
(iii)	पाँच सालों से ज्यादा लीज के अवधि तक	2.40	2.59
	कुल	**3.36**	**3.55**

(iii) ई आई पी एल के साथ लीज समझौता के शर्त्तों के आलोक में, इसे, कंपनी के परिसंपत्तियों का अधिकार एवं उपयोग करने की अनुमति दी गई है। अवधि के प्रारंभ में सकल वहन की राशि 4968 करोड रू है। अवधि के अंत में संचयित मुल्यह्रास 4968 करोड रू. का है। अवधि के लिए डब्ल्यूडीवी शून्य है। लीज अवधि के दौरान प्राप्त होने योग्य भावी न्यूनतम लीज भुगतान की संकलित राशि 1.32 लाख रू. है। भावी लीज भुगतान प्राप्य का विवरण इस प्रकार है :

(₹ लाख में)

	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
(i)	एक साल तक	0.12	0.12
(ii)	एक साल से ज्यादा तथा पाँच साल तक	0.48	0.48
(iii)	पाँच सालों से ज्यादा लीज के अवधि तक	0.72	0.84
	कुल	**1.32**	**1.44**

(एल) खण्ड रिपोर्टिंग

भारतीय मानक 108 परिचालन सेगमेंट के प्रावधानों के अनुसार, परिचालन सेगमेंट को प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किया जाता है जिसके तहत बोर्ड द्वारा संसाधनों को आवंटित करने और उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए बोर्ड द्वारा उपयोग की जाने वाली आंतरिक रिपोर्ट के आधार पर जानकारी की पहचान की जाती है। भारतीय मानक 108 के अर्थ मे, बोर्ड एक मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता का समूह है।

बोर्ड महत्वपूर्ण उत्पाद की पेशकश की संभावना से एक व्यवसाय पर विचार किया है और फैसला लिया है कि वर्तमान मे, कोयला की बिक्री के लिए एकल रिपोर्ट ही योग्य खंड है । वित्तीय प्रदर्शन और परिसंपत्तियों की जानकारी लाभ और हानि और बैलेंस शीट के समेकित विवरण के रूप में प्रस्तुत की गयी है।

गंतव्य अनुसार राजस्व निम्नलिखित है :

(₹ करोड़ों में)

विवरण	भारत	अन्य देश
राजस्व (निबल)	11273.99	शून्य

ग्राहक अनुसार राजस्व निम्नलिखित है :

नोट – 38

31 मार्च 2019 को वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टेण्डअलॉन)

(₹ करोड़ों में)

10% से अधिक राजस्व वाले पार्टियो के नाम (निबल)	राशि	देश
ग्राहक – 1	2784.18	भारत
ग्राहक – 2	2031.45	
अन्य	6458.36	
कुल राजस्व (निबल)	**11273.99**	

स्थान अनुसार चालू परिसंपत्ति निम्नलिखित हैं .

(₹ करोड़ों में)

विवरण	भारत	अन्य देश
चालू परिसंपत्ति	6790.80	शून्य

(एम) असंकलित राजस्व सूचना

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष में	31.03.2018 को समाप्त वर्ष में
माल या सेवा के प्रकार		
– कोयला	11273.99	11013.30
– अन्य	–	–
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	**11273.99**	**11013.30**
ग्राहकों के प्रकार		
– बिजली क्षेत्र	7539 22	7165.67
– गैर–बिजली क्षेत्र	3734.77	3847.63
– अन्य यह सेवाएँ (सीएमपीडीआईएल)	–	–
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	11273.99	11013.30
अनुबंध के प्रकार		
– एफएसए	8174.29	7639.29
– ई–ऑक्सन	3099 70	3374 10
– अन्य	–	–
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	**11273.99**	**11013.30**
माल या सेवाओं का समय		
– एक समय में स्थानांतरित माल	11273.99	11013.30
– समय के दौरान स्थानांतरित माल	–	–
– एक समय में स्थानांतरित सेवाएँ	–	–
– समय के दौरान स्थानांतरित सेवाएँ	–	–
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	**11273.99**	**11013.30**

(एन) प्रावधान

भारतीय लेखा मानक –37 के अनुसार, कर्मचारी लाभ से असंबंधित विभिन्न प्रावधानों की स्थिति, 31.03 2019 को किये गए बीमांकिक रूप से मूल्यांकन, नीचे दिए गए हैं :

नोट – 38

31 मार्च 2019 को वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टेण्डअलॉन)

प्रावधान	01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान जोड़	प्रतिलेखन/समायोजन/वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	रियायत पर छूट	31.03.2019 को अंतिम शेष
नोट 3 : संपत्ति, संयत्र एवं उपकरण :					
परिसंपत्ति पर हानि :	20.36	5.75	4.86	–	30.97
नोट 4 : प्रगति पर पूंजी कार्य :					
सीडब्ल्यूआईपी के खिलाफ :	6.16	6.99	-4.86	–	8.29
नोट 5 : अन्वेषण एवं मूल्यांकन संपत्ति :					
प्रावधान एवं हानि :	0.66	–	–	–	0.66
नोट 8 : ऋण					
अन्य ऋण :	–	–	–	–	–
नोट 9 : अन्य वित्तीय संपत्ति					
अन्य जमा एवं प्राप्य	–	–	–	–	–
उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा	–	–	–	–	–
अनुषंगियों के साथ चालू खाता	–	–	–	–	–
दावे एवं अन्य प्राप्य	3.85	1.60	0.69	–	4.76
नोट 10 : अन्य गैर चालू परिसंपत्ति					
अग्रिम पूंजी	1.29	–	1.20	–	0.09
नोट 11 : अन्य चालू परिसंपत्ति					
राजस्व के लिए अग्रिम	0.44	–	–	–	0.44
वैधानिक बकाया के लिए अग्रिम भुगतान	0.31	–	–	–	0.31
अन्य अग्रिम एवं जमा	18.26	–	0.09	–	18.17
नोट 13 : व्यापार प्राप्य					
खराब एवं संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान	141.13	155.80	73.89	–	223.04
नोट 21 : गैर चालू एवं चालू प्रावधान					
एक्स–ग्रेसिया	223.67	225.25	223.67	–	225.25
प्रदर्शन संबंधित पारिश्रमिक	57.26	123.18	26.52	–	153.92
राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता X के लिए प्रावधान	474.73	–	461.16	–	13.57
अधिकारी पारिश्रमिक संशोधन के लिए प्रावधान	136.26	–	118.06	–	18.20
अन्य	–	–	–	–	–
स्थल बहाली/खान बंदीकरण	1024.26	–	6.53	69.53	1087.26

नोट – 38

31 मार्च 2019 को वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टेण्डअलॉन)

7. सामान्य

7.1 कर अधिकारियों से कर की वसूली/समायोजन को नगद आधार पर लेखाकृत किया जाता है। आयकर, रॉयल्टी, सेस, विक्रय कर, प्रवेश कर इत्यादि के लिए अतिरिक्त माँग को अंतिम आदेश के प्राप्ति के बाद लेखाकृत किया जाता है अन्यथा इसे छोड़कर भारतीय लेखा मानक – 37 में मान्यता नहीं दी जाती है।

7.2 वर्ष 1989 में रजरप्पा क्षेत्र के 9 लाख टन कोयले को विक्रय को अयोग्य घोषित किया इसके सबंध में झारखंड सरकार ने रू. 2.55 करोड की रॉयल्टी की मांग रखी। कपनी (सीसीएल) ने खान आयुक्त, झारखंड के समक्ष अपील दायर करने को प्राथमिकता दी परंतु वह अस्वीकृत कर दिया गया। अस्वीकृत होने पर कंपनी ने माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट पिटीशन 2014 का डब्ल्यूपी 1754 (सी) दायर की और उक्त न्यायालय के समक्ष लंबित था। अंतिम सुनवाई 09.05.2016 को की गई। माननीय उच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार को अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जो अभी तक दाखिल नहीं किया गया है।

7.3 (ए) ईआईपीएल द्वारा स्व–निर्माण एवं संचालन (बीओओ) के तर्ज पर, रजरप्पा और गिद्दी कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र के पूंजीकरण मूल्यांकन पर लम्बे समय से लंबित विवाद चला आ रहा है एवं अपीलीय ट्रायब्युनल के द्वारा विधिवत पुष्टिकृत झारखंड राज्य विद्युत नियामक कमीशन की दिनांक 31.07.2009 के आदेश के विरूद्ध कंपनी द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर किए गए 2009 के सिविल अपील संख्या 7403 के तहत विवाद अभी लंबित है।

(बी) माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 14.09.12 एवं 23.11.12 को उपरोक्त अपील के संदर्भ में जारी किए गए अंतरिम आदेश के अनुसरण में कंपनी ने मार्च, 2008 तक की अवधि के लिए 2012–13 में 94.33 करोड रूपया के देयता हेतु लेखाकृत किया था। जिसमें से 83.03 करोड रुपया ईआईपीएल (पूर्व में डीएलएफ पावर लिमिटेड), को अवधि के दौरान 25 प्रतिशत मानी हुई ऊर्जा शुल्क रोक कर, भुगतान का दिया गया है। पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार 20.11.13 तथा 10.01.14 को क्रमशः 75 करोड एवं 25 करोड़ रूपए तदर्थ भुगतान के रूप में दिया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार अप्रैल, 08 से मार्च, 14 तक की पुररीक्षित देय राशि की गणना जेएसइआरसी के द्वारा मार्च, 08 तक के पुनरीक्षित शुल्क के निर्धारण के लिए अपनायी गई पद्धति के आधार पर किया गया था। तदनुसार, 94.33 करोड रुपए के अतिरिक्त, 23.25 करोड रूपया का भुगतान वित्तीय वर्ष 2013–14 में किया गया था, जिसे 2012–13 के वित्तीय विवरण में पहले से ही उपलब्ध करा दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए 3.26 करोड़ रूपया अतिरिक्त देयता का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए थी 0.26 करोड रूपया के अतिरिक्त देयता का प्रावधान किया गया है। ईआईपीएल से शेष प्राप्ति योग्य राशि इस प्रकार है :

(i)	मार्च, 08 तक की अवधि के लिए अंतरीय शुल्क जिसके सबंध में वित्तीय विवरण 2012–13 में देयता का प्रावधान किया गया है।	₹ 94.33 करोड़
(ii)	अप्रैल, 08 से मार्च, 14 तक के लिए अतरीय शुल्क जिसके संबंध में वित्तीय वर्ष 2013–14 में देयता का प्रावधान किया गया है।	₹ 23.25 करोड
(iii)	अनुमानित ऊर्जा शुल्क के संबंध में पुरानी रखी हुई राशि	₹ 31.36 करोड़
(iv)	वर्ष 2014–15 के लिए अंतरीय शुल्क	₹ 3.26 करोड़
(v)	वर्ष 2015–16 के लिए अंतरीय शुल्क (ए/सी – रजरप्पा क्षेत्र)	₹ 0.26 करोड
		₹ 152.46 करोड
	घटाव : तदर्थ भुगतान (माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार)	₹ 183.03 करोड
	निबल शेष राशि (नोट – 9 में 'अन्य प्राप्य' मद में दिखाया गया है)	₹ 30.57 करोड़

नोट – 38

31 मार्च 2019 को वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टेण्डअलॉन)

यद्यपि ईआईपीएल ने 17.09.2012 को विलंबित भुगतान के एवज में ब्याज के 134.20 करोड़ रुपए सहित 302.63 करोड़ रुपए के मांग को जमा किया जो कि पीपीए के दायरे से बाहर है और यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

(सी) ईआईपीएल के साथ किए गए पावर खरीद समझौता के क्लॉज 1.18.3 के अनुसार, संबंधित पावर प्लांट के शुरू होने के 1 साल के समाप्त होने की तिथि से, ईंधन लागत में परिवर्तन के कारण शुल्क के ईंधन अवयवों की वृद्धि/कमी का निर्धारण किया जाएगा। पीपीए के क्लॉज 1.14 के अनुसार रिजेक्ट्स का प्रारंभिक शुल्क 90 रूपया प्रति टन था।

तदुनसार, पीपीए के 1.18.3 क्लॉज के अनुसार गमना की गई थी एवं वर्ष 2013–14 के अलए वित्तीय विवरण में, ईंधन की लागत में बढ़ोतरी के कारण किए गए पुनरीक्षीत शुल्क पर देय अतिरिक्त शुल्क के साथ, रिजेक्ट्स के मूल्य में पुनरीक्षण के कारण प्राप्य होने योग्य अतिरिक्त राजस्व को निबल छूट पश्चात मान्यता दी गई थी तथा ईआईपीएल के लिए पूरक बिल भी रेज किया गया था।

बाद में, वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान विक्रय एवं विपणन विभाग के सीसीएल स्टैण्डीय समिति के सिफारिश के आधार पर रिजेक्ट्स के मूल्य को पुनरीक्षित किया गया था तथा उसे ईआईपीएल के निदेशक (संचालन) को पत्रांक GM(E&M)/DLF/14/3530 & 36 दिनांक 17.11.2014 के माध्यम से सूचित किया गया था। पत्र के अनुसार जूलाई 2000 से दिसंबर, 2011 की अवधि के 01.01.2012 के पहले लागू वीएचवी सिस्टम की प्राइसिंग के तहत न्यूनतम ग्रेड वाले जेड ग्रेड स्लैक कोल को डीएलएफ लिमिटेड से चार्ज किया जाएगा। उपरोक्त पत्र के निर्गत होने के पश्चात, विक्रय बिल तथा पावर शुल्क संशोधित किया गया है।

31.03.2016 को रिजेक्ट्स की आपूर्ति के बदले ईआईपीएल से प्राप्त होने योग्य राशि का मूल्य, बढ़े हुए शुल्क के समायोजन के पश्चात, 38.69 करोड़ रू. है। उसके भुगतान नहीं होने के कारण, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

पावर खरीद समझौता दिनांक 8 फरवरी, 1993 के 2.6 क्लॉज के अनुसार समझौते के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में, उसे मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सीआईएल तथा डीपीसीएल को एक दूसरे के साथ स्वीकाय मध्यस्थ के पास एक मात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। उत्पन्न स्थिति यह है कि समझौते में शामिल दोनों पार्टियों मध्यस्थ के नियुक्ति के लिए एक मत नहीं हो पाते हैं, जिसके बाद याचिकाकर्त्ता (सीसीएल) के पास मध्यस्थता एवं समझौता अधिनियम, 1996 के सेक्शन 11(6) के तहत दी गई शक्तियों के पालन में मध्यस्थ के नियुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय के पास जाने के अलावा और कोई विकल्प नही बचा ह। मध्यस्थता आवेदन 7 अप्रैल, 2016 को दायर की गई है। हालाँकि वित्त वर्ष 2015–16 में 38.69 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। इस मामले की वर्तमान वस्तु स्थिति यह है कि वर्ष 2017–18 में समझौता दावे के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विज्ञ मध्यस्थ की नियुक्ति की है और उक्त मामला विज्ञ मध्यस्थ के समक्ष लंबित है।

7.4 अवधि के दौरान चोरी हुए सामानों की कीमत 0.46 करोड़ (पिछले वर्ष 0.44 करोड़) रूपए हैं।

7.5 ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) के आलोक में प्राप्त होने योग्य क्षतिपूर्ति का लेखांकन रसीद के आधार पर किया गया है।

7.6 मेसर्स गार्डेनरीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग कंपनी को वर्ष 1990 से उपस्कर की आपूर्ति एवं मरम्मति का ठेका दिया गया था। चूंकि कार्य संतोषजनक नही था, तो कंपनी ने भुगतान रोक लिया। इसके पश्चात 49.68 करोड़ रू. की मांग के विरूद्ध कंपनी ने 12.58 करोड़ रू. के भुगतान पर सहमति जताई, और उक्त का भुगतान इस वर्ष किया गया है।

7.7 दिनांक 12 दिसंबर, 2015 को सीसीएल ने श्री आर. सुब्रहमण्यम, अतिरिक्त सचिव के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ झारखंड राज्य में पब्लिक प्राईवेट साझेदारी (पीपीपी) के तहत तीसरे साझेदारी के रूप में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), राँची की स्थापना के लिए एक एमओयू हस्ताक्षर किया गया है।

नोट – 38

31 मार्च 2019 को वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टेण्डअलॉन)

7.8 मेसर्स आई एफ पि एल के साथ लीज समझौता वर्ष 2005 में 20 वर्षों की अवधि के लिए दर्ज किया गया था, और यह 2025 तक मान्य है। समझौते के अनुसार, कंपनी वाशरी रिजेक्ट्स की आपूर्ति करेगी और आईएफपीएल कथारा एरिया की बिजली आपूर्ति करेगी। लीज एग्रीमेंट के प्रावधानों के अनुसार, आईएफपीएल लीज किराए के रूप में ₹ 32 लाख प्रति माह का भुगतान करेगा। आईएफपीएल ने जुलाई 2018 को परिचालन निलंबित कर दिया है और लीज किराया का भुगतान नही किया है। नतीजतन, वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 1.60 करोड़ रुपये का प्रावधान लीज किराया प्राप्य की ₹ 4.02 करोड़ की अंतर राशि एवं ऊर्जा व्यय के लिए आईएफपीएल को देय ₹ 2.42 करोड के लिए किया गया है।

7.9 झारखंड राज्य में विकास, वित्तीय एवं रेलवे आधारभूत कार्यों के लिए सीसीएल, इरकॉन अन्तर्राष्ट्रीय लिमिटेड तथा झारखंड सरकार के बीच दिनांक 07.05.2015 हस्ताक्षर किए गए एमओयू के आलोक में 31.08.2015 को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक अनुषंगी कंपनी झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) के नाम से गठित किया है जिसकी अधिकृत पूँजी 5 करोड़ रूपए की है। सीसीएल के एमओए के अनुसार सीसीएल, इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड तथा झारखंड सरकार का प्रतिबद्ध इक्विटी शेयर पैटर्न क्रमशः 64 प्रतिशत, 26 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत है। तुलन–पत्र की तारीख पर, जेसीआरएल ने 32 करोड़ के शेयरों का आवंटन कंपनी को किया है। इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड तथा झारखंड सरकार के संबंध में, 13 करोड़ एवं 5 करोड़ के शेयर क्रमशः आवंटित किया गया है। दिनांक 31.03.2019 को जेसीआरएल का पेड–अप कैपिटल 50 करोड़ रू. का है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 129(3) के अनुपालन में, कंपनी ने अपने स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरण के अलावा समेकित वित्तीय विवरण भी बनाया है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान जेसीआरएल को 1.77 करोड़ रूपए (विगत वर्ष 0.03 करोड़ रू.) का नुकसान हुआ है।

7.10 वर्ष 2015–16 में बरका–सयाल क्षेत्र में 104 फर्जी बिलों के आलोक में रू. 0.80 करोड़ के कथित धोखाधड़ी भुगतान का पता चला है। उक्त मामला सीबीआई के अनुसंधान अंतर्गत एवं लंबित है।

7.11 संपत्ति–सूची के मूल्याकन के प्रयोजन के लिए वास्तविक पावर लागत को उपभोग आधार के बजाय आंतरिक विभाग प्रमाण पत्र के आधार पर क्षेत्र की इकाईयों में वितरित किया गया है।

7.12 कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत, कोल इंडिया लिमिटेड एवं भारत के राष्ट्रपति के समझौते के अनुसार कोटरे बसंतपुर और पंचमो कोल ब्लॉक के आवंटन पर सहमति और बाद में संचालन और खानों के व्यावसायिक उपयोग के लिए के लिए सीसीएल को आवंटन, सीसीएल ने अग्रिम शुल्क का 50: ₹ 20.65 करोड़ की राशि जमा की है और सुरक्षा जमा के रूप में ₹ 9.91 करोड़ की राशि और प्रदर्शन बैंक गारंटी (प्रदर्शन सुरक्षा) की ₹ 286.14 करोड़ की राशि आवंटन के लिए नामित प्राधिकरण के नामित बैंक खाते में जमा किया । ₹ 30.56 करोड (₹ 20.65 करोड़ का अग्रिम शुल्क एवं ₹ 9.91 करोड़ का सुरक्षा जमा) नोट –5 में अन्वेषण मूल्यांकन परिसंपत्तियों के तहत दिखाई दे रहा है। जैसा कि दूसरे और तीसरे किस्त के भुगतान करने के लिए निर्धारित दिशानिर्देशो की शर्तों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है,₹ 20.65 करोड की शेष राशि पूंजी प्रतिबद्धता के तहत दर्शाई गई है।

7.13 13.10.2017 के आदेश के अनुसार 2016 के हस्तांतरित मामले (सीआईवीआईएल) संख्या 43 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि डीएमएफ 07.12.2015 को डीएमएफ ट्रस्ट की स्थापना की तारीख से और उसके बाद झारखंड राज्य में लागू होगा। तदनुसार, 07.12.2015 से पहले की अवधि से संबंधित राज्य सरकार के साथ जमा 286.31 करोड़ रुपये की राशि कंपनी द्वारा देय डीएमएफ से वापस/समायोजित की जाएगी। कहा गया राशि में से 169.37 करोड़ रुपये की राशि वापस कर दी गई है/समायोजित की गई है और 116.94 करोड़ रुपये की शेष राशि राज्य सरकार से अभी तक वापस/समायोजित नहीं की गई है। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, क्षेत्रों ने रिफंड/समायोजन प्राप्त करने के लिए संबंधित डीएमओ के पास दावा किया है।

नोट – 38

31 मार्च 2019 को वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टेण्डअलॉन)

7.14 आयकर अधिनियम,1961 की धारा 206 (सी) के अंतर्गत आयकर विभाग की मांग के विरुद्ध 106.56 करोड़ रुपये की राशि के लिए, विभाग ने कंपनी के बैंक खाते को जोड़कर 71.79 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं और कंपनी द्वारा शेष राशि 34.77 करोड़ जमा किया गया है। वर्ष के दौरान कंपनी ने ग्राहकों से 75.62 करोड़ रुपये वसूल किए हैं, और शेष राशि 30.92 करोड़ रुपये वसूली की प्रक्रिया में है।

उपरोक्त में से 30.94 करोड़, ₹26.85 करोड 01.04.2012 से 30.06.2012 की अवधि से संबंधित है जब कोयले पर कोई टीसीएस नहीं था। चूंकि टीसीएस को 01.07.2012 से आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कोयले पर लागू किया गया था, एक सुधार याचिका धारा 154 के तहत पहले से ही 02.02.2018 को दर्ज किया गया था त्रुटि को सुधरने ले लिए, जिसकी सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है।

7.15 खान बंदीकरण योजना पर कोयला मंत्रालय द्वारा दिनांक 07/01/2013 को जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी ने सीएमपीडीआई को 64 खानों के अंकेक्षण और प्रमाणन के लिए दावा प्रस्तुत किया है। इसमे से 59 खानों के अंकेक्षण और प्रमाणन सीएमपीडीआई द्वारा पहले चरण में किया जा चूका है और बाकी पाँच दावे 5 वर्ष की अवधि पूरी न होने के कारण अंकेक्षण और प्रमाणन शेष हैं। तुलन पत्र के अनुसार, 59 खानों के रु। ₹ 413.17 करोड़ के दावे विधिवत प्रमाणित किये गए हैं एवं उन्हें सीएमपीडीआई द्वारा नोट –9 के तहत खान बंद करने के खर्चों के लिए एस्क्रो खाते से प्राप्य में दिखाया गया है।

इसके अलावा, क्षेत्रों द्वारा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, वित्तीय वर्ष के लिए प्रगतिशील खदान बंद करने के खर्च के खिलाफ वित्तीय वर्ष 16–17, वित्तीय वर्ष 17–18 और वित्तीय वर्ष 18–19 में ₹ 145.09 करोड़ की राशि को नोट 9 (गैर वर्तमान) के तहत अन्य जमा में दर्शाया गया है। इसलिए, 31.03.2019 को कुल खान बंदीकरण प्राप्य, ₹ 558.26 करोड़ है। इसमें से, वित्तीय वर्ष 17–18 तक प्राप्य की राशि, ₹ 514.15 करोड़ है जिसे खंड सं। 2.24.1.2 महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ के अनुपालन में, प्रतिधारित कमाई के रूप से हिसाब लगाया गया है।

7.16 कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी खदान बंदीकरण दिशानिर्देश के पैरा 4 के अनुसरण में, "एस्क्रो खाता खोलने के बाद, कोयला नियंत्रक से खदान संचालन की अनुमति प्राप्त करने से पहले, कुल परियोजना क्षेत्र का प्रति हेक्टेयर खदान के लिए भूमि पर किसी भी गतिविधि के शुरू होने के बाद हर साल धन जमा किया जाना है।

अरगाडा ओसीपी, पिंडरा यूजीपी नामक दो खानों का उत्पादन अभी तक शुरू नहीं हुआ है, हालांकि, खदान बंद करने की योजना को बोर्ड द्वारा मंजूरी दी गई थी। इसलिए, उपरोक्त के संबंध में पहले बनाई गई दो खानों के स्थल बहाली परिसम्पत्ति, प्रगतिशील मूल्यह्रास और खान बंदीकरण प्रावधान को वापस ले लिया गया है। खान के अनुसार विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ों में)

खान का नाम	स्थल बहाली परिसंपत्ति	प्रगतिशील मूल्यह्रास	खान बंदीकरण प्रावधान
अरगडा ओसीपी	8.70	0	10.96
पिंडरा यूजीपी	4.15	0.83	5.23
कुल	12.85	0.83	16.19

7.17 सीसीएल, सेल और आरआईएनएल को धुली हुई मीडियम कोकिंग कोल (डब्ल्यूएमसीसी) की आपूर्ति के लिए, 31.03.2017 तक वैधता के साथ सीसीएल और सेल / आरआईएनएल के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए एमओयू के तहत, आपूर्ति की जाती थी । सीआईएल के अनुसार, सीसीएल ने दस्तावेज के अनुपालन में डब्ल्यूएमसीसी की कीमत ₹ 11,500 प्रति टन 14/01/2017 के प्रभाव से अधिसूचित की थी. यह कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) द्वारा परिकल्पित, आयात समानता के अनुसरण में ऐश सामग्री के तर्ज पर बोनस / पेनल्टी क्लॉज साथ किया गया था।

नोट – 38

31 मार्च 2019 को वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टेण्डअलॉन)

चूंकि एमओयू 31/03/2017 तक मान्य था, लेकिन मूल्य अधिसूचना 14/01/2017 को जारी की गई थी, 14/01/2017 से 31/03/2017 के इस अवधि के लिए एमओयू मूल्य के अंतर के लिए और सूचित मूल्य पर प्रेषण के लिए ₹ 155.80 करोड़ की राशि(सेल के संबंध में 126.16 करोड़ और आरआईएनएल के संबंध में ₹ 29.64 करोड़) का एक प्रावधान, वर्ष 2018–19 के दौरान बनाया गया खातों में प्रावधान किया गया ।

मेसर्स सेल के दोहराए गए अनुरोधों के बाद, सीसीएल बोर्ड ने दिनांक 28/07/2018 को 6,500 रुपये प्रति की तदर्थ कीमत पर डब्लूएमसीसी की आपूर्ति करने पर सहमति, एक शर्त पर व्यक्त की, के साथ कि निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्य निर्धारण तंत्र की स्थापना के लिए नियुक्त बाहरी एजेंसी की रिपोर्ट लागू हो जानी चाहिए और तदनुसार सेल / आरआईएनएल सीसीएल बोर्ड के निर्णय से सहमत हो गए हैं।

एल 1 मैसर्स पीडब्लूसी जैसे बाहरी एजेंसी की के नियुक्ति का प्रस्ताव को मंजूरी के लिए सीआईएल को भेज दिया गया है क्यूंकि प्रस्ताव का मूल्य सीसीएल बोर्ड की वित्तीय शक्ति से परे है। काम जारी करने के आदेश और रिपोर्ट की सीसीएल के सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति के बाद, यदि आवश्यक हो तो वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रावधान पर विचार किया जाएगा।

8. पूर्व अवधि समायोजन के पुनर्विवरण के कारण समाप्त हुए तिमाही/वर्ष के लाभ का पुनर्मिलान

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त तिमाही के लिए			2017.18
कपनी की पहले रिपोर्ट की गई कुल व्यापक आय			366.26	880.97
पूर्व अवधि वस्तुओं के लिए समायोजन [डीआर/(सीआर)]			7.29	28.55
पीपीए के लिए समायोजित व्यय का वैयक्तिक मद	मूल्यह्रास	पीएल फेस	1.00	4.20
	संयंत्र एवं उपकरण का किराया	नोट – 31	2.94	9.69
	पर्यावरण एवं वृक्षारोपण व्यय	नोट – 35	0.12	0.34
	तेल एवं ल्यूब्रिकेन्ट्स	नोट – 26	2.98	11.12
	संयंत्र एवं मशीनरी मरम्मत	नोट – 30	0.11	0.46
	वेतन, पारिश्रमिक, भत्ता, बोनस इत्यादि	नोट – 28	2.66	11.76
	एचईएमएम कलपूर्जे	नोट – 26	1.20	5.12
	रियायत पर छूट	नोट – 32	0.20	1.20
	कर व्यय	नोट – 36	3.92	25.65
	अन्य व्यापक आय	नोट – 37	—	(10.31)
कंपनी का कुल व्यापक आय (पुनर्लिखित)			**373.55**	**909.52**

टिप्पणी : वर्ष 2017–18 अवधि के पूर्व, 474.42 करोड़ रुपये का समायोजन पहले की अवधि से संबंधित है। इसलिए नोट – 17 में इसे प्रतिधारित आय के रूप में बरकरार रखा गया है।

नोट – 38

31 मार्च 2019 को वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टेण्डअलॉन)

अन्य :

i. पिछले वर्ष के आंकड़े जहां आवश्यक समझे गए हैं, उन्हें फिर से व्यवस्थित और पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

ii. नोट संख्या 3 से 38 में पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में दिए गए हैं।

iii. नोट – 1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 31 मार्च, 2019 को बैलेंस शीट के भाग 3 से 23 के रूप में नोट और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि के विवरण का 24 से 37 फार्म हिस्सा था। नोट – 38 वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त नोटों का प्रतिनिधित्व करता है।

ह./–	ह /–	ह./–	ह./–
(रवि प्रकाश)	**(ए. के. गोस्वामी)**	**(एन. एन. ठाकुर)**	**(गोपाल सिंह)**
कम्पनी सचिव	महाप्रबंध (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष – सह – प्रबंध निदेशक
		डीआईएन – 08176571	डीआईएन – 02698059

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसरण में
कृते **के. सी. टाक एण्ड कं.**
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
(फर्म पंजी सं. 000216C)
ह /–
(अनिल जैन)
पार्टनर
(सदस्यता सं. 079005)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 28 मई 2019

निदेशकीय प्रतिवेदन परिशिष्ट

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर

प्रति,

सदस्यगण,
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड,
दरभंगा हाउस,
रांची।

भारतीय लेखा मानक के तहत स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण के अंकेक्षण पर प्रतिवेदन

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन स्टैण्डअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी पर दिनांक 28 मई, 2019 (मूल प्रतिवेदन) के पूर्व प्रतिवेदन स्थान पर है जिसपर कंपनी के निदेशकीय मंडल द्वारा अनुमोदन समतिथि को प्रदान किया गया एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) के आदेशानुसार संशोधित किया जा रहा है। यह संशोधित प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कैग) के लेखा ज्ञापन सं. 03/3 चरण लेखा परीक्षा 2018–19 दिनांकित 07/06/2019 के निर्देशानुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षकीय प्रतिवेदन की, "अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन" के अंतर्गत अनुच्छेद 3(एच)(iii) में हुए संशोधन के मद्देनजर निर्गत की जा रही है। हम इस बात की भी पुष्टि करते है कि उक्त संशोधन हमारे अभिमत तथा सत्य एवं उचित दृष्टिकोण को प्रभावित नहीं करता है,जिसकी अभिव्यक्ति पूर्व में ही की जा चुकी है ।

मूल प्रतिवेदन की तिथि के बाद की घटनाओं पर स्वतत्र अंकेक्षकीय प्रतिवेदन के "अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन" के अंतर्गत अनुच्छेद 3(एच)(iii) में हुए संशोधन तक ही हमारी अंकेक्षण प्रक्रिया सीमित है।

अभिमत

हमने मेसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (इसमें इसके पश्चात "नियंत्रक कम्पनी") एव इसकी अनुषंगी की संलग्न स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी का अंकेक्षण किया है जिसमें 31 मार्च, 2019 तक का तुलन–पत्र, लाभ तथा हानि विवरणी (अन्य व्यापक आय सहित), विवेच्य वर्ष के अंत तक नगदी–प्रवाह विवरणी और इक्विटी परिवर्तन विवरणी, तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचनाओं सहित भारतीय लेखा मानक के स्टैंडअलोन विवरणी पर नोट सम्मिलित है, जिसमें उक्त तिथि पर समाप्त वर्ष का वार्षिक रिटर्न जिसे कंपनी के कथारा, ढोरी, गिरिडीह, बोकारो एवं करगली, उत्तरी कर्णपुरा, पिपरवार, मगध एवं आम्रपाली, रजहरा, चरही क्षेत्रों का अंकेक्षण शाखा/क्षेत्रीय अंकेक्षकों द्वारा किया गया है एवं शेष छः(6) हमारे द्वारा अंकेक्षित किए गए है।

हमारे मत में व हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमे प्रदत्त स्पष्टीकरण

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में दी गयी जानकारी अधिनियम की आवश्यकलाओं के अनुरूप अपेक्षित है एवं सामान्य रूप से भारत में स्वीकृत अंकेक्षण सिद्धान्तो के अनुरूप 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष तक कंपनी की स्टैंडअलोन लाभ/हानि, स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह और उक्त तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष मे इक्विटी परिवर्तन की स्टैंडअलोन दशा पर सत्य व उचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं ।	
अभिमत का आधार	
हमारा अकेक्षण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण मानक(एसए) के अनुरूप है। उक्त मानकों के अनुसार हमारे प्रतिवेदन के वित्तीय विवरण अनुभाग में स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के अंतर्गत अंकेक्षक की जिम्मेदारियों में हमारी जिम्मेदारियाँ वर्णित हैं। आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार हम स्वतंत्र निकाय हैं, एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एव नियमों के अनुसार स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के अंकेक्षण की आवश्यकतानुसार हमने एक आचार संहिता के अनुरूप अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को निर्वहन किया है। हमारा मानना है कि जो अंकेक्षण साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं वो अभिमत–आधार हेतु पर्याप्त एव उपयुक्त है ।	
मामलों की प्रमुखता	
निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करातें हैं .	
(ए) 41 खानों में पर्यावरणीय स्वीकृति की सीमा से अधिक कोयला खनन के सन्दर्भ में आकस्मिक देयता के मद मे रु.13389.38 करोड़ (विगत वर्ष रु. 13389.38) का अर्थदंड। (भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी का नोट सं 38 अनुच्छेद 4(ए)(1) देखें)।	वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट मे आकस्मिक देयता के तहत इसका पर्याप्त रूप से खुलासा किया गया है (नोट 38 का संदर्भ 4 (ए))
(बी) ऋण की कुछ शेष राशियों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, अन्य चालू और गैर–चालू आस्तियों, व्यापार देयताओं, अन्य वित्तीय देनदारियों एवं अन्य वर्तमान देनदारियों की पुष्टि लंबित हैं, हालांकि, पुष्टिकरण हेतु पत्र निर्गत किया जा चुका है. पुष्टि/सामजस्य/समायोजन के परिणामस्वरुप कोई प्रभाव, यदि कोई हो, तो सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। इस मामले के सम्बन्ध में हमारी अभिमत मे किसी प्रकार का संशोधन नहीं है।	पार्टियों को व्यापार प्राप्ति, व्यापार के भुगतान और अग्रिमों के संबंध में बैलेंस पुष्टिकरण पत्र जारी किए गए हैं। प्रमुख संड्री देनदारों के साथ के शेष का नियमित अंतराल पर सामंजस्य स्थापित किया जाता है और दोनों पक्षों द्वारा सयुक्त सामंजस्य बयान पर भी हस्ताक्षर किए जाते हैं।
(सी) सीसीएल द्वारा मेसर्स सेल एवं मेसर्स आरआईएनएल को एमओयू के अधीन पारस्परिक सहमत मूल्य पर परिष्कृत मध्यम कोकिंग–कोल(डब्लूएमसीसी) की आपूर्ति की जा रही थी। हालांकि, वित्त वर्ष 2017–18 और उसके पश्चात सीसीएल और सेल/आरआईएनएल के मध्य किसी एमओयू पर हस्ताक्षर नही किया गया. दिनांक 1/4/2017 से, नई	यह अतिरिक्त विवरण के वित्तीय विवरणो में पर्याप्त रूप से प्रकट है (नोट –38 के संख्या 7.17 देखें)

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन		प्रबंधन का उत्तर
	कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) के अंतर्गत सीसीएल द्वारा आयात समता–आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली अनुसार डब्लूएमसीसी का मूल्य संशोधित किया जा रहा है, जिसके तहत सीसीएल, सेल/आरआईएनएल को अधिसूचित मूल्य पर चालान निर्गत कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2017–18 तथा उसके पश्चात, एमओयू नहीं होने के कारण सेल/आरआईएनएल ने मूल्य निर्धारण तंत्र हेतु बाह्य एजेंसी नियुक्त करने का अनुरोध किया। सीसीएल ने एक पारदर्शी आयात–समता आधारित मूल्य–तंत्र के विकसित करने हेतु बाह्य एजेंसी की नियुक्ति निर्णय लिया, जिसका सक्षम अनुमोदन प्रक्रियाधीन है, और दिनांक 28/07/2018 से अंतरिम व्यवस्था के रूप में, सीसीएल ने 6500/– प्रति टन के तदर्थ मूल्य पर डब्लूएमसीसी की आपूर्ति हेतु सहमति प्रदान की है । सेल ने मूल्य–प्रणाली के निर्धारण हेतु बाह्य एजेंसी की सिफारिशो को दिनांक 28.07.2018 के बजाय 01/04/2017 से लागू करने का अनुरोध किया है। हालाँकि, सीसीएल द्वारा निर्णय लिया गया कि बाह्य एजेंसी द्वारा निर्धारित मूल्य 28/07/2018 से प्रभावी होगा एव तदनुसार, तदर्थ मूल्य की प्रयोज्यता से पूर्व का विक्रय, त्रैमासिक संशोधन के अधिसूचित मूल्य के आधार पर माना जायेगा। उपरोक्त के मद्देनजर, दिनांक 01/04/2017 से 30/06/2018 तक की अवधि में सीसीएल द्वारा सेल/आरआईएनएल को की गई आपूर्ति के मद में प्रावधानित राशि का निर्धारण, यदि कोई हो, तो वर्तमान में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। (स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के नोट 38 में अनुच्छेद 7.17)। इस मामले से सम्बद्ध हमारे अभिमत मे किसी प्रकार का संशोधन नहीं है।	
(डी)	कंपनी की महत्त्वपूर्ण अंकेक्षण नीति सं 2.24.1.2 के सन्दर्भ में नोट सं 38.7.15 को पढा जाए. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017–18 तक क्रमिक खदान बंदीकरण योजाना व्यय के अंतर्गत खान बंदीकरण प्राप्य के मद रु.514.15 करोड़ का व्यय प्रतिधारित आय (नोट संख्या 17) द्वारा किया है, जिसे निलम्ब लेखा, नोट 9 में दर्शाया गया है, सीएमपीडीआईएल एवं क्षेत्रों द्वारा तकनीकी मूल्यांकन एवं अनुमोदन के पश्चात निलम्ब खातों एवं अन्य जमापूँजी के अधीन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से डेबिट किया गया है।	यह अतिरिक्त विवरण के वित्तीय विवरणों में पर्याप्त रूप से प्रकट है (नोट –38 के संख्या 7.15 देखें)
(ई)	कथारा वाशरी में 1995–96 से पड़े हुए 83795 मिलियन टन संदूषित कोयले की श्रेणी का निर्धारण लंबित है, वर्तमान में जिसका मूल्य शून्य है (संलग्नक–नोट संख्या 12)	यह नोट –12 के अनुलग्नक में फुट नोट नं 4 पर पर्याप्त रूप से खुलासा किया गया है।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

मुख्य अंकेक्षण मामले

हमारे प्रोफेशनल निर्णयानुसार, मुख्य अंकेक्षण मामलो के अंतर्गत वैसे मामले है, जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के हमारे अंकेक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहे। हमारे अंकेक्षण में, इन मामलों पर समग्र विचार स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के संदर्भ में किया गया है, एवं उस प्रकार हमारी अभिमत निर्मित हुई, इनपर हम अलग अभिमत नहीं प्रदान करतें हैं। हमने निम्नलिखित मामलो का निर्धारण मुख्य अंकेक्षण मामलो के रूप में किया है,जो हमारी प्रतिवेदन मे सम्मिलित है।

क्रम सं.	अंकेक्षण के प्रमुख मामले	अकेक्षक की प्रतिक्रिया
1.	**स्ट्रिपींग गतिविधि / समायोजन** खुली खदानों मे खनन के लिए,कोयले तक की पहुँचकर उसके निष्कर्षण हेतु खदान अपशिष्ट ("अधिभार") हटाया जाना आवश्यक होता है,जिसमे कोयला सीम के ऊपर मिट्टी और चट्टान होती है । अपशिष्ट हटाने की इस गतिविधि को 'स्ट्रिपिंग' के रूप में जाना जाता है। खुली खदानों में, कंपनी को खदान के जीवनकाल तक (तकनीकी अनुमान) इस प्रकार का व्यय करना पड़ता है । अतः, नीतिगत दृष्टिकोण में, एक मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता या उससे अधिक क्षमता वाले प्रत्येक खदान में, खदानों को राजस्वित करने के पश्चात स्ट्रिपिंग गतिविधि आस्तियो एवं अनुपात–प्रसरण लेखा के समायोजन के साथ तकनीकी मूल्यांकन के औसत अनुपात (ओबी: कोयले) के अनुसार स्ट्रिपिंग लागत चार्ज की जाती है । तुलन पत्र की तिथि अनुसार स्ट्रिपिंग गतिविधि आस्तियों का निवल शेष एवं अनुपात प्रसरण को स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एडजस्टमेंट के रूप में गैर–चालू प्रावधान / अन्य गैर–चालू परिसम्पतियों के मद यथास्थिति दिखाया जाता है । अभिलेख के अनुसार अधिभार की सूचित मात्रा को ओबीआर अंकेक्षण हेतु अनुपात की गणना करने में प्रयोग किया जाता है यदि सूचित मात्रा और मापित मात्रा के मध्य विचलन स्वीकृत सीमा के भीतर हो । यदि, विचलन स्वीकृत सीमा से अधिक है, वहाँ मापित मात्रा को मान लिया जाता है। स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के लाभ हानि विवरणी एवं नोट 21 देखें.	**मुख्य अंकेक्षण प्रविधि** हमने निम्नलिखित मूल प्राविधि का अनुपालन किया : • स्ट्रिपिंग समायोजन कार्य के आंकड़ों को लेकर वर्षपर्यंत कुल व्यय को कोयला उत्पादन एवं अधिभार के मध्य आवंटन की जांच की। अनुपात की गणना में विचार किए गए व्यय की सटीकता एवं व्यय की पूर्णता के बारे मे सुनिश्चित किया गया। • वर्ष के दौरान अनुपात प्रसरण की सही गणना निष्कर्षित ओबी की मात्रा तथा अधिभार हेतु आवंटित राशि के आधार पर की गयी है। • विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का पालन किया तथा व्ययों के तर्क हेतु विभिन्न गतिविधि सामंजस्य गणना पर विचार किए गए विवरणों का परीक्षण किया गया। • स्ट्रिपींग गतिविधि समायोजन के लिए लगाया गया लेखांकन नीति एवं प्रबंधन के निर्णय उचित पाए गए हैं। **निष्कर्ष** उपरोक्त प्राविधि के आधार पर,हमें कोई वास्तविक मुद्दा ज्ञात नही हुआ।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के अलावा अन्य सूचनाएं तथा उक्त पर अंकेक्षक का प्रतिवेदन

अन्य सूचनाओ को प्रदान करने की जिम्मेदारी कंपनी के निदेशकीय मंडल की है। अन्य सूचनाओं के अंतर्गतः प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण,

प्रबंधन का उत्तर

कोई टिप्पणी नहीं।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
अनुलग्नक सहित बोर्ड की प्रतिवेदन, व्यावसायिक जवाबदेही प्रतिवेदन, निगमित प्रशासन तथा शेयरधारको की सूचना, परन्तु स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी एवं हमारा अंकेक्षकीय प्रतिवेदन उक्त में सम्मिलित नहीं होती है।	
स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी पर हमारा अभिमत अन्य जानकारियों को कवर नहीं करता है और हम उक्त पर अश्वाषित निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।	
स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के हमारे अंकेक्षण से सम्बद्ध, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारियों को पढ़ना है और, यह सुविचार करना है कि क्या स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के साथ अन्य सूचनाओं में मटेरियल असंगतता है या अंकेक्षण दौरान प्राप्त जानकारी या अन्य किसी भी प्रकार से मटेरियल अशुद्धि ज्ञात होती है ।	
जब हमें अन्य सूचनाएं प्रदान जातीं है और जब उन्हें पढ़कर, यदि हम यह निष्कर्ष निकलते हैं की उसमे कोई वास्तविक अशुद्धि है, तो हमें एसए 720 "अन्य सूचनाओं के अंतर्गत अकेक्षकों की जवाबदेही" के अंतर्गत उक्त अशुद्धियों को प्रशासन–प्रभारी को सूचित करना होता है।	
स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के लिए प्रबंधन की जवाबदेही	
कपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) की आवश्यकताओं के अनुरूप स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों के निर्माण एवं प्रस्तुति के लिए कपनी का निदेशकीय मंडल जवाबदेह है, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत अंकेक्षण मानक एव उसके अंतर्गत नियम सहित भारत में स्वीकृत सामान्य लेखा पद्धतियों के अनुसार अन्य विस्तृत आय सहित कंपनी की वितीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह और इक्विटी में बदलाव पर सत्य एवं समुचित दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसके अधीन धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की पहचान एवं रोकथाम के लिए अधिनियम के प्रावधानानुसार उचित लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव एवं आस्तियों की सुरक्षा हेतु जवाबदेह हैं, समुपयुक्त अंकेक्षण नीतियों का चयन और कार्यान्वयनय समुचित एवं विवेकशील निर्णय और प्राक्कलन य तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का कार्यान्वयन एवं रख–रखाव, जो लेखा अभिलेखों की सटीकता व संपूर्णता सुनिश्चित करने हेतु प्रभावकारी रूप से से कार्य कर रहे थे, स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक विवरणी के निर्माण और प्रस्तुति हेतु सत्य व उचित दृष्टिकोण प्रदान करते है व धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न मेटेरिअल अशुद्धियों से मुक्त है, जो पूर्व से ही कार्यान्वित हैं।	
स्टैंडअलोन भारतीय लेखा वित्तीय विवरणी के निर्माण में, प्रबंधन कार्यशील संस्थाओं की क्षमता के प्राक्कलन हेतु जवाबदेह हैं और यदि लागू हो तो, कार्यशील संस्थाओं के सम्बद्ध मामलों का अनावरण प्रबंधन की इच्छानुसार समूह का विलयन या जब तक संचालन की समाप्ति नहीं हो जाती है, तब तक कार्यशील संस्था के आधार पर अंकेक्षण किया जाए, या कोई सार्थक विकल्प मौजूद न हो।	
निदेशकीय मंडल की जिम्मेवारी है कि कंपनी की वित्तीय सूचना प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करें।	

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर

वित्तीय विवरणी के अंकेक्षण हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के रूप में समग्र रूप से वित्तीय विवरण धोखाधडी या त्रुटि के कारण होने वाली मटेरियल अशुद्धियों से मुक्त हैं, और अंकेक्षक प्रतिवेदन जारी करे, जिसमें हमारा अभिमत भी शामिल हो । तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा मानकों के अनुसार अंकेक्षण से सदैव मटेरियल अशुद्धि का पता चलेगा,यदि हो तो । व्यक्तिगत या समग्र रूप से, अशुद्धियाँ, त्रुटी या धोखाधडी से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें वास्तविक माना जा सकता है, इन स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणियों के आधार पर उक्त अशुद्धियाँ उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय में यथोचित प्रभाव डाल सकतीं है।

लेखा मानक अनुसार अंकेक्षण के भागीदार के रूप में, हम प्रोफेशनल निर्णय लेते हैं तथा पूरी अंकेक्षण प्रक्रिया के दौरान प्रोफेशनल संशय से कार्य करते हैं। हम :

- स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक की वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण उत्पन्न मटेरियल अशुद्धियों के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन, उन जोखिमों के अध्याधीन अंकेक्षण प्रक्रियाओं का डिजाइन और कार्यान्वयन, एवं वैसे अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करे जो हमारी अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित मालूम हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप उत्पन्न मटेरियल अशुद्धियों की जानकारी नहीं होना, त्रुटि के कारण उत्पन्न अशुद्धियों से ज्यादा जोखिमपूर्ण है , क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर भूल, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का लंघन हो सकती है।
- अंकेक्षण प्रक्रियाओं को डिजाइन करने हेतु प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिस्थितिनुकूल समझ। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस विषय पर अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए भी जवाबदेह हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली तथा इस प्रकार के प्रभावकारी नियंत्रण कार्यान्वयन है।
- प्रयोग में लायी गई अंकेक्षण नीतियो की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए अंकेक्षण प्राक्कलन एवं सम्वद्ध प्रकटीकरण की तार्किकता का मूल्यांकन।
- प्रबधन द्वारा उपयोगित कार्यशील संस्था आधृत अंकेक्षण की उपयुक्तता पर निष्कर्ष एव, प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य के आधार पर, क्या किसी घटना या वस्तुस्थिति से सम्बद्ध कोई मटेरियल अनिश्चितता विद्यमान है जो कंपनी द्वारा कार्यशील संस्था को चलने में रखने में महती संदेह उत्पन्न करता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकलें की कोई मटेरियल अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमसे यह अपेक्षित है की हम अपने अंकेक्षण से भारतीय लेखा मानक की वित्तीय विवरणियों में सम्बद्ध प्रकटीकरण की ओर ध्यान आकृष्ट करें या, यदि वैसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं,तो हम अपनी अभिमत में परिवर्तन करें। हमारे निष्कर्ष अंकेक्षण प्रतिवेदन की तारीख तक प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
के आधार पर है. हालाँकि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियों के अनुसार कंपनी कार्यशील संस्था के रूप मे कार्य करना समाप्त कर सकती है।	
• स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी की समग्र प्रस्तुति, स्वरुप एवं विषय–सूची का मूल्यांकन, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल हो, और क्या स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं की प्रस्तुति की इस प्रकार करते है जो उचित हो ।	
मटेरियलिटी, स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में अशुद्धि का एक परिमाण है,जो व्यक्तिगत या समग्र रूप में, स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी का किसी सुविज्ञ उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय क्षमता को प्रभावित करने में सक्षम हो । हम (i) अपने अंकेक्षण की सीमा का नियोजन एवं अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकनय तथा (ii) स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में अभिज्ञात अशुद्धियों के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं।	
अंकेक्षण के दौरान,अन्य मामलों के साथ–साथ हम अंकेक्षण की अवधि एवं महत्वपूर्ण अंकेक्षण निष्कर्ष एवं योजनाबद्ध स्कोप सहित आतंरिक नियंत्रण में अन्य किसी प्रकार की महत्वपूर्ण अपूर्णता होने पर हम प्रशासन–प्रभारी के साथ संवाद स्थापित करते है।	
हम प्रशासन–प्रभारी को स्वयं की स्वतंत्रता से सम्बद्ध प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के अनुपालन पर एक वक्तव्य प्रदान करते है, तथा समस्त संबधों एवं अन्य मामलों पर संवाद करते है, जिन्हें तार्किक आधार पर हमारी स्वतंत्रता, एवं जहाँ लागू हो, संरक्षण से संबंधित माना जा सकता है।	
शासन–प्रभारी को संप्रेषित मामलों से, हम वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के अंकेक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मामलों का निर्धारण करते हैं और वे प्रमुख अंकेक्षण मुद्दे हैं । जब तक विधि या विनियमन इसके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर निषेध नहीं करता है या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, जब हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी प्रतिवेदन में उक्त मुद्दे को सम्मिलित नही किया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के सम्प्रेषण से आम जनता की यथोचित अपेक्षा से यह अधिक होगा और इसके विपरीत परिणाम हो सकते हैं, तब हम अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में इन मामलों का विवरण देते है।	
अन्य मामले	
उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए हमने 10 (दस) शाखाओ/क्षेत्रों के वित्तीय विवरणी/वित्तीय जानकारियों का अंकेक्षण नहीं किया है, जिसकी वित्तीय विवरणी 31 मार्च, 2019 तक 5767.47 करोड़ की कुल संपत्ति दर्शाता है और कुल राजस्व रु. 11379.04 करोड़, जैसा स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी मे माना गया है। इन शाखाओं/क्षेत्रों का वित्तीय वक्तव्यो/वित्तीय विवरण का निर्माण शाखा/क्षेत्रीय अंकेक्षक द्वारा किया गया है जिनका प्रतिवेदन हमे प्रदान किया गया है, और इन वित्तीय विवरणों के सम्बन्ध में हमारा अभिमत पूर्णतः शाखा/क्षेत्रों अंकेक्षक के प्रतिवेदन पर आधारित है।	कोई टिप्पणी नहीं।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर

इस मामले के सम्बन्ध में हमारी अभिमत में किसी प्रकार का संशोधन नहीं है।

अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के आलोक मे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्गत निर्देश–अतिरिक्त निर्देश अनुसार अंकेक्षण पर विवरण, उनपर कार्यान्वयन एवं कम्पनी की लेखा एवं स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी पर इसके प्रभाव, को हम अनुलग्नक–ए' मे प्रदान करते हैं।

2. अधिनियम की धारा – 143 (11) के आलोक में, भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (अंकेक्षकीय प्रतिवेदन) आदेश, 2016 ('आदेश') के अनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में निर्दिष्ट ब्यौरे, हम 'अनुलग्नक–बी' में प्रदान करते हैं.

3 जैसा की अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार आवश्यक हैं, हम प्रतिवेदित करते है कि :

(ए) हमने समस्त जानकारियों व स्पष्टीकरण की मांग की है और प्राप्त किया है, जोकि हमारी जानकारी और विश्वास के सर्वोत्तम है, वित्तीय विवरण के रूप में उपरोक्त भारतीय लेखा मानक के हमारे लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक थे, इसे उपरोक्त 'मामलों की प्रमुखता' के मद सं. (ए),(बी),(सी),(डी) और (इ) के साथ पढा जाए।

(बी) हमारे अभिमत में, स्टैंडअलोन आईएनडी एएस वित्तीय विवरणी के निर्माण में विधिक आवश्यकतानुसार बही–खातों का अभिलेख रखा गया है जो अन्य अंकेक्षक के प्रतिवेदन में एवं इन बही–खतों के अभिलेखों के परीक्षण में अब तक दृष्टिगत हुआ है।

(सी) अधिनियम की धारा 143(8) के तहत शाखा/क्षेत्रीय अंकेक्षकों द्वारा क्षेत्रों का अंकेक्षण प्रतिवेदन हमे प्रेषित किया गया है एवं हमने उनका समुचित उपयोग इस प्रतिवेदन के निर्माण में किया है।

(डी) शाखा/क्षेत्रीय अंकेक्षकों दारा अंकेक्षित शाखा/क्षेत्र के वित्तीय विवरण सहित इस प्रतिवेदन का तुलन पत्र, अन्य विस्तृत आय सहित लाभ एवं हानि, नकदी प्रवाह विवरणी एवं इक्विटी में बदलाव की विवरणी, बही–खातों के सदृश्य है।

(ई) हमारे अभिमत में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी लेखा मानक उप–धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते है।

(एफ) निदेशको की अयोग्यता के सन्दर्भ में, निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसरण में अधिनियम

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर

की उप–धारा 164 (2) सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती हैं।

(जी) समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता व इस प्रकार के नियंत्रणो के संचालन प्रभावशीलता से सम्बद्ध पृथक प्रदत्त "अनुलग्नक–सी" में हमारा प्रतिवेदन का अवलोकन करें. हमारा प्रतिवेदन कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावशीलता एवं संचालन पर अपरिवर्तित अभिमत अभिव्यक्त करता है।

(एच) अन्य मामलो के सम्बन्ध में अंकेक्षक की प्रतिवेदन में कंपनी के नियम 11 (अंकेक्षण व अंकेक्षक) नियम, 2014 के अनुसार हमारे अभिमत में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं प्रदत्त स्पष्टीकरण के अनुसार :

(i) कंपनी ने स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के अतिरिक्त नोट–38 के अंतर्गत लंबित मुकदमों की जानकारी दी है, और इनका प्रभाव, यदि कोई हो,तो उक्त पर फैसला आने पर पद सकता है।

(ii) कंपनी ने पूर्वाभासी भौतिक नुकसान से बचाव हेतु, यदि हो तो, डेरीवेटिव संविदा सहित दीर्घकालिक संविदाओं पर विनियमित विधि या अंकेक्षण मानकों के तहत आवश्यक प्रावधान किए हैं।

(iii) प्रबंधन द्वारा प्राप्त लिखित अभ्यावेदनानुसार, किसी भी प्रकार की राशि कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक नहीं है।

कृते के. सी. टाक एण्ड कं.
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स,
(फार्म पंजीकरण संख्या 000216सी)

(सीए अनिल जैन)
पार्टनर
(मेम्बरशीप संख्या 079005)

स्थान : राँची
दिनांक : 11 06 2019

"अनुलग्नक– ए" जो 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में कंपनी के सदस्यों हेतु स्वतंत्र अंकेक्षकीय प्रतिवेदन में "अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन" के अनुच्छेद 1 में निर्दिष्ट है, हम प्रतिवेदित करते हैं कि:

वर्ष 2018–19 के लिए मेसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के संबंध में कंपनियों के अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत निर्देशों पर रिपोर्ट।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
1. क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली द्वारा समस्त लेनदेन की प्रक्रिया के प्रसंस्करण की प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली से बाहर लेनदेन के प्रसंस्करण की सत्यनिष्ठा के साथ–साथ वित्तीय पहलुओं पर प्रभाव,यदि हो तो घोषित करें.	
कंपनी के पास लेनदेन के प्रक्रिया को प्रसंस्कृत करने हेतु कोलनेट प्रणाली विद्यमान है जिसे विभिन्न वित्तीय मॉड्यूलों को समाहित करने के लिए निर्मित किया गया हैं. यह वित्त,विक्रय एवं विपणन,पे–रोल,समग्री प्रबंधन, कार्मिक एवं अन्य क्षेत्रों को समाहित करता है . हालाँकि, इसका पूर्ण–रूपेण समाकलन नहीं किया गया है एवं जैसा की सूचित किया गया है की विभिन्न मॉड्यूलों के मध्य डाटा के आवागमन के लिए कंपनी ईआरपी को लागू करने की प्रक्रियान्तर्गत है। **वित्तीय प्रभाव, यदि हैं, तो अज्ञात हैं।**	सभी लेन–देन का हिसाब को कोल नेट प्रणाली द्वारा संशाधित किया गया।
2. क्या कंपनी के ऋण अदायगी असमर्थता के कारण किसी मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन/ऋण पर बट्ट/ऋण/ब्याज आदि कंपनी द्वारा किया गया है?	
मौजूदा ऋणों का पुनर्गठन या अधित्याग/ऋण पर बट्टा/ऋण/ब्याज आदि का किसी भी मामले में ऋणदाता द्वारा इस वर्ष या किसी अवधि के दौरान, कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता का कोई मामला है,अतः यह लागू नहीं होता है।	कोई टिप्पणी नहीं।
3. केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि का नियम एवं शर्तों के अनुसार सदुपयोग/हिसाब किया गया या नहीं? **विचलन के मामलों की सूची प्रदान करें.**	
कंपनी को सीसीडीएसी योजना के अंतर्गत रेलवे साइडिंग/पू.म. रेलवे द्वारा निर्मित सड़क के मद में प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त हुई है. उक्त का केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार हिसाब एवं सदुपयोग किया गया।	कोई टिप्पणी नहीं।

वर्ष 2018–19 के लिए मेसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के संबंध में कंपनियों के अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत अतिरिक्त निर्देशों पर रिपोर्ट

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
1. क्या समरूप मानचित्र को ध्यान में रखते हुए कोयला स्टॉक का मापन किया गया था। क्या भौतिक स्टॉक माप प्रतिवेदन सभी मामलों मे समरूप मानचित्र सहित है? वर्ष के दौरान बनाई गई नई संचय, यदि कोई हो तो क्या सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन लिया गया है?	
हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सीआईएल वार्षिक कोयले शेयर मापन के दिशा निर्देश के मुताबिक स्टॉक मापन का आकलन किया गया है, जो माप रिपोर्ट के साथ आया है और यह माप रिपोर्ट के साथ है। आगे, किसी भी नए संचय के निर्माण से पहले सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन लिया जाता है।	कोई टिप्पणी नही।
2. यदि किसी भी क्षेत्र की विलय/पुन संरचना के समय कम्पनी ने परिसम्पत्तियो का भौतिक सत्यापन का अभ्यास किया गया था। यदि ऐसा है तो क्या संबंधित सहायक कम्पनी ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया है?	
हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने एक क्षेत्र के विलय/पुनर्गठन के समय सम्पत्ति और सम्पत्तियों का सत्यापन अभ्यास किया है।	कोई टिप्पणी नही।
3. यदि कंपनी द्वारा प्रत्येक खान के लिए अलग एस्क्रो खातों का रख–रखाव किया गया है। खाते की निधि की उपयोगिता की भी जाच करे।	
हमें दिए गए सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार, 64 खानों के लिए एस्क्रो खाता खोला गया है तथा अद्यतन तिथि तक इन एस्क्रो खातों से किसी प्रकार की राशि नहीं निकाली गई है।	कोई टिप्पणी नहीं।
4. यदि भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू अवैध खनन के प्रभाव को विधियत विचार तथा गणना किया गया है।	
भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, झारखंड के कुछ जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा 13389.38 करोड़ रू. की मांग, 41 खानों में पर्यावरण मंजूरी सीमा से अधिक खनन के एवज में की गई थी। उक्त मांग के विरूद्ध, कंपनी ने भारत सरकार के कोयला मंत्रालय, माननीय कोल ट्राईब्युनल, जो कि एमएमडीआर अधिनियम के तहत न्यायिक निर्णय प्राधिकरण है, के समक्ष संशोधित याचिका दायर किया है। संशोधन प्राधिकरण ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 16.01.2018 द्वारा उपरोक्त मांग के क्रियान्वयन को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उक्त मांग को ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया है तथा वित्तीय विवरण के टिप्पणी – 38 के पारा 4 (ए) (1) में आकस्मिक देयता में सम्मिलित किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।

"अनुलग्नक–बी" जो 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में कंपनी के सदस्यों हेतु स्वतंत्र अंकेक्षकीय प्रतिवेदन में "अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन" के अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट है, हम प्रतिवेदित करते हैं कि :

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
(i) (ए) हमारे अंकेक्षण दौरान, यह दृष्टिगत हुआ कि कंपनी ने सामान्यतः फर्नीचर, फिक्स्चर और कार्यालय उपकरण के कुछ मामलों को छोड़कर पूर्ण विवरणो को दिखाते हुए अचल संपत्तियों का समुचित अभिलेख है एव स्थान और पहचान चिह्न का उल्लेख नहीं किया गया है। यह भी देखा गया कि फर्नीचर के संबंध में, फिक्स्चर, प्रकाश और फिटिंग को अचल संपत्तियों के रजिस्टर के साथ लिंक नहीं गया है।	नोट कर लिया गया।
(बी) हमें प्रदत्त जानकारी के अनुसार, प्रबधन ने अचल संपत्ति का भौतिक सत्यापन किया है जिनका मूल्य 1.00 लाख रुपये एवं अधिक है, और विगत तीन वर्षों के दौरान परिवर्धन के मामले में मूल्य के बावजूद प्रत्येक परिसंपत्ति का भौतिक सत्यापन उचित अन्तराल पर किया गया है। जैसा कि हमें सूचित किया गया है, इस तरह के सत्यापन पर किसी प्रकार की भौतिक विसंगतियां नही देखी गई है।	स्थायी परिसम्पतियों का भौतिक सत्यापन मुख्यालय स्तर और क्षेत्र स्तर पर गठित समिति के माध्यम से पिछले तीन वर्षों किया गया है तथा तीन साल से अधिक अवधी वाले 1 लाख से अधिक के मूल्य वाले परिसंपत्ति का मूल्यांकन किया गया है।
(सी) हमें प्रदत्त जानकारी और स्पष्टीकरण अनुसार, राष्ट्रीयकरण पूर्व अवधि में कोयला खदान (राष्ट्रीयकरण अधिनियम), 1973 के तहत पूर्ववर्ती कोयला कंपनियों से हस्तांतरित भूमि को कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड में सांविधिक आदेश सं जीएसआर/345.ई दिनांकित 9 जुलाई 1973,नई दिल्ली द्वारा किया गया । भूमि एवं राजस्व विभाग एवं सीसीएल की वेबसाइट पर डीड उपलब्ध है । कोल बियरिंग क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम,1957 की धारा 9(1) के साथ एस.ओ. सीसीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। भूमि विस्थापितों को भूमि के एवज मे अंतिम मुवावजे के भुगतान के पश्चात भूमि की मूल प्रति भूमि एवं राजस्व विभाग में रखा गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(ii) (ए) कंपनी की नीतियों के अनुसार, कोयला, कोक, आदि का सीआईएल मापक टीम द्वारा प्रत्येक खदानों में विभिन्न स्थानों के समोच्च मानचित्र का वॉल्यूमेट्रिक माप के माध्यम से भौतिक सत्यापन किया गया है। सीईएल की टीम ने उसके संबंध में रिपोर्ट दी है। कंपनी इस संबंध में अंकेक्षण नीति का निरन्तर अनुसरण कर रही है कि बुक स्टॉक और मापित स्टॉक के बीच +/– 5: तक विचलन के मामले में, बुक स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक मूल्यांकन के लिए माना जाता है, यदि कोई निर्धारित सीमा के भीतर विचलन हो तो उसे नजरअंदाज किया जाता है।	कोई टिप्पणी नहीं।

		लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
	(बी)	कंपनी के स्टोर और पुर्जों का भौतिक सत्यापन मुख्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य एजेंसी के द्वारा नियत अंतराल मे किया जाता है। हमें प्रदत्त जानकारी और स्पष्टीकरण अनुसार, इस प्रकार के सत्यापन दौरान किसी प्रकार की भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गई।	कोई टिप्पणी नहीं।
	(सी)	हमारे मत में, कंपनी के आकार और व्यवसाय की प्रकृति को दृष्टिगत करते हुए, स्टोर एवं स्पेयर के भौतिक सत्यापन की वर्तमान पद्धति उपयुक्त प्रतीत होती है।	कोई टिप्पणी नहीं।
	(डी)	हमारे मत में, कंपनी के आकार और व्यवसाय की प्रकृति को दृष्टिगत करते हुए, प्रबंधन द्वारा कोयले, कोक आदि के भौतिक सत्यापन की पद्धति उपयुक्त प्रतीत होती है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(iii)		हमें प्रदान की गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, होल्डिंग कंपनी के साथ एक चालू खाता को छोड़कर, धारा 189 अनुसार रजिस्टर के अंतर्गत कंपनी ने अन्य कंपनियो, फर्मों, अन्य पार्टियो के साथ सीमित देयता भागीदारी को किसी प्रकार का सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
	(ए)	ऐसे खाते पर होल्डिंग कंपनी द्वारा ब्याज की अनुमति दी जाती है। होल्डिग और अनुषंगी अंतर्संबंधों को ध्यान में रखते हुए, हम ब्याज की दर और इस प्रकार के चालू खाते के अन्य नियमों और शर्तो पर अपनी राय व्यक्त करने मे असमर्थ हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
	(बी)	अभिलेख अनुसार, ब्याज प्राप्ति निरंतर है।	कोई टिप्पणी नहीं।
	(सी)	चूँकि कोई ओवरड्यू राशि नही है, अतः आदेश का उपखंड iii(सी) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(iv)		हमें प्रदान की गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों और उसके द्वारा प्रदान किए गए ऋण और निवेश और गारंटी और सुरक्षा के संबंध में अनुपालन किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(v)		कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष के दौरान किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है। हालाँकि, कंपनी के व्यवसाय के उद्देश्य से प्राप्त राशि के सबंध में शेष राशि, या ग्राहकों / अन्य लोगों से जमा धनराशि, सुरक्षा जमा और अग्रिम जमा के रूप में कंपनी के व्यवसाय के लिए, कंपनी का विचार है कि ये जमा राशियाँ कपनी (डिपॉजिट्स की स्वीकृति) नियम, 2014 के दायरे मे नही आती हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
(vi)		हमने कपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कपनी द्वारा बनाए गए लागत अभिलेख की व्यापक रूप से समीक्षा की है और राय है कि निर्धारित खातों और रिकॉर्डो को बनाए और बनाए रखा गया है। हालांकि, हमने यह निर्धारित करने के लिए लागत रिकॉर्ड्स की विस्तृत जांच नहीं की है कि वे सही या पूर्ण हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
(vii)	(ए)	हमे दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेख के हमारे परीक्षण के आधार पर,	कोई टिप्पणी नहीं।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन		प्रबंधन का उत्तर
	निर्विवाद वैधानिक देयताएं सहित बही–खाते में भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, मूल्यवर्धित कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, उपकर और अन्य मेटेरिअल वैधानिक देयताओं से सम्बद्ध कटौती / अर्जित राशि कंपनी द्वारा नियमित रूप से प्राधिकारियों को जमा कर दी गई है। हमें प्रदान की गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, उपकर और अन्य मेटेरिअल वैधानिक देयताओं के संबध में देय कोई भी निर्विवाद राशि बकाया राशि 31 मार्च 2019 को देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं था।	
(बी)	कस्टम ड्यूटी की कोई मेटेरिअल बकाया नहीं है जो किसी भी विवाद के कारण उपयुक्त अधिकारियो के पास जमा नहीं की गई है। हालाँकि, कंपनी द्वारा विवादो के कारण आयकर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर और मूल्य वर्धित कर के निम्नलिखित बकाया जमा नहीं गया है। ('अनुलग्नक–1' अनुसार)	कोई टिप्पणी नहीं।
(viii)	हमारे द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा बही–खाते एवं अभिलेखों की जांच के आधार पर, हम प्रतिवेदित करते हैं कि कंपनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंकों और सरकार को ऋण या उधार की अदायगी में चूक नहीं की है। कंपनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(ix)	हमारे द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा बही–खाते एवं अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अग्रेत्तर सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) और वर्ष के दौरान सावधि ऋण के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया। तदनुसार, आदेश के पैरा 3 (ix) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(x)	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा कोई मेटेरिअल धोखाधड़ी और कंपनी पर उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार का धोखाधडी को सूचित नहीं गया है या हमारे ऑडिट के दौरान किसी धोखाधड़ी के अलावा, पूर्व वर्षों में, जैसा कि वित्तीय विवरण के नोट संख्या 38 के पैरा 7.10 में उल्लेख है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(xi)	निगमित मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2015 की जारी की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ई) के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक के विषय में अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नही है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(xii)	हमें प्रदान की गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, यह कंपनी निधि कंपनी नहीं है, तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(xii) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(xiii)	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन अधिनियम के अनुभाग 177 और 188 के अनुपालन में है, जहां लागू होता है, और इस प्रकार के लेनदेन का विवरण स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में लागू लेखांकन मानकों के अनुसार आवश्यक है। कंपनी द्वारा अपनी होल्डिंग कंपनी के साथ लेन–देन कंपनी अधिनियम, 2013 की	कोई टिप्पणी नहीं।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन		प्रबंधन का उत्तर
	धारा 188 के दायरे से बाहर है। नियमित व्यापार क्रम एवं स्वतंत्र संव्यवहार सिद्धांत अनुसार लेनदेन किया गया एवं प्रबंधन द्वारा इसका विवरण दिया गया है।	
(xiv)	हमारे द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा बही–खाते एवं अभिलेखों की जांच के आधार पर, कपनी ने साल के दौरान शेयरो का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट या पूरी तरह या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं बनाया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(xv)	हमारे द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा बही–खाते एवं अभिलेखों की जांच के आधार पर, निदेशक या उसके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ कंपनी द्वारा गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(XV) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(xvi)	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 45–I ए के तहत कंपनी का पंजीकरण आवश्यक नहीं है। तदनुसार, आदेश का खड 3(XVi) लागू नही है।	कोई टिप्पणी नहीं।

कृते **के. सी. टाक एण्ड कं.**
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स,
(फार्म पंजीकरण संख्या 000216सी)

(सीए अनिल जैन)
पार्टनर
(मेम्बरशीप संख्या 079005)

स्थान : राँची
दिनांक : 11.06.2019

"अनुलग्नक– सी" जो 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में कंपनी के सदस्यों हेतु स्वतंत्र अंकेक्षकीय प्रतिवेदन में "अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन" के अनुच्छेद 3 (एफ) में निर्दिष्ट है, हम प्रतिवेदित करते हैं कि :

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर

हमने 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु 'सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड'('कंपनी') के स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के साथ–साथ वित्तीय प्रतिवेदन पर उक्त के आतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अकेक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंटस ऑफ इंडिया ('आइसीएआइ') द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु निर्गत वित्तीय प्रतिवेदन में अंकेक्षण मार्गदर्शन टिप्पणी में निर्दिष्ट आंतरिक नियंत्रण अनुसार आवश्यक अवयवों पर आधृत कंपनी द्वारा प्रतिस्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मानदण्डों अनुसार कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का निर्माण एवं रख–रखाव, कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का प्रारूप, कार्यान्वयन और रख–रखाव शामिल है, जो अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन, आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधडी और त्रुटियों की पहचान एवं रोकथाम और लेखा अभिलेख की सटीकता व पूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यक वित्तीय जानकारी का ससमय निर्माण।

अंकेक्षक की जिम्मेदारी

हमारे अंकेक्षण के आधार पर कंपनी की वित्तीय सूचनाओं के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अभिमत प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने अपना अंकेक्षण आईसीएआई के आंतरिक अंकेक्षण हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग ('मार्गदर्शन टिप्पणी) और अंकेक्षण मानकों के आधार पर किया है, एव जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत माना गया है, जो आंतरिक अंकेक्षण नियंत्रण की सीमा तक लागू है, दोनों आंतरिक अंकेक्षण नियंत्रण पर लागू होते हैं, तथा दोनों भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों व मार्गदर्शन टिप्पणी के लिए आवश्यक है, कि हम नैतिक आवश्यकताओं एवं योजना का अनुपालन करें तथा वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए जाने एवं कायम रखने तथा यदि इन नियंत्रणों को सभी भौतिक विषयों के संदर्भ में प्रभावी तरीके से संचालित किया गया, के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु अंकेक्षण किया जाय।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर

हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके संचालन की प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारे लेखा परीक्षण में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, मटेरियल कमजोरी के जोखिम का आकलन और आकलन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण व मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं, लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों के सामग्री के अशुद्ध वर्णन के जोखिम का आकलन शामिल है, जो चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियत्रण प्रणाली पर हमारे लेखा परीक्षण राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षण के प्रभाव पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल करना है, जो (1) अभिलेख के रख–रखाव से संबंधित है, विवरणात्मक रूप में, कंपनी की परिसंपत्तियों के सटीक एवं उचित लेन–देन और निपटान को दर्शाते हैं, (2) उचित आश्वासन देते है कि लेन–देन स्वीकार्य लेखा सिद्धांतो अनुरूप स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के निर्माण करने के लिए आवश्यक है और कंपनी प्रबंधन और निदेशकों की अनुज्ञप्ति के पश्चात कंपनी की प्राप्तियां और व्यय किये जा रहे है और (3) कंपनी की संपत्ति का अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की ससमय पहचान और रोकथाम पर उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसके कारण कपनी के वित्तीय विवरणों पर मेटेरियल प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित परिसीमाएँ

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित परिसीमा के कारण, त्रुटी या धोखाधड़ी से मेटेरियल अशुद्धियाँ, मिलीभगत या नियंत्रण पर अनुचित प्रबंधकीय लघन किया जा सकता है और इनका पता भी नहीं लगाया जा सकता. साथ ही, अंतरिक वित्तीय नियंत्रण की किसी भी भविष्यवाणी के अनुमान का मूल्यांकन का जोखिम यह है कि बदलते परिदृश्य, या नीति या प्रक्रिया के अनुपालन की दशा के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आतंरिक वित्तीय नियंत्रण में अपकर्षण हो सकता है।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर

अभिमत :

हमारे अभिमत में, कंपनी के पास, सभी मटेरियल परिप्रेक्ष्य में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आतंरिक नियत्रण प्रणाली है एवं इन प्रकार के आतंरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2019 को प्रभावकारी रूप से कार्य कर रहे थे, जो इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय विवरण के आतंरिक वित्तीय विवरण के अंकेक्षण हेतु जारी दिशा–निर्देशो के अनुरूप कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंड पर निर्मित की गयीं है।

कृते के. सी. टाक एण्ड कं.
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स,
(फार्म पंजीकरण संख्या 000216सी)

(सीए अनिल जैन)
पार्टनर
(मेम्बरशीप संख्या 079005)

स्थान : राँची
दिनांक : 11 06 2019

परिशिष्ट 1

31.03.2019 को विवादित वैधानिक दायित्वों का विवरण

(₹ करोड़ में)

कर का प्रकार	मामलों की संख्या	न्यायालय का नाम	अवधि	विवादित राशि	विरोध के तहत भुगतान	जमा ना किया हुआ राशि
रॉयल्टी मामले	50	प्रमाण पत्र कार्यालय – धनबाद, राँची, बोकारो, हजारीबाग	1984-85 to 2016-17	817.77	3.47	814.29
रॉयल्टी मामले	5	डिप्टी कमिशनर – हजारीबाग, रामगढ़	1995-96 to 2016-17	2.51	1.10	1.40
रॉयल्टी मामले	5	कमिशनर – हजारीबाग	1992-93 to 2008-09	4.73	1.26	3.47
रॉयल्टी मामले	32	उच्च न्यायालय – झारखंड	1987-88 to 2017-18	533.89	16.32	517.57
रॉयल्टी मामले	6	सर्वोच्च न्यायालय – दिल्ली	91-92,98-99,99-00 08-09	54.04	12.98	41.06
बिक्री कर मामले	226	वाणिज्यिक कर अधिकारी – राँची, रामगढ़, हजारीबाग, तेनुघाट	1989-90 to 2016-17	665.52	109.75	555.78
बिक्री कर मामले	169	जेसीसीटी(ए)हजारीबाग	1989-90 to 2017-18	239.22	45.49	193.73
बिक्री कर मामले	18	जेसीसीटी(ए)राँची	1985-86 to 2015-16	2.68	0.21	2.47
बिक्री कर मामले	78	कमिश्नर वाणिज्यिक कर, राँची	1996-97 to 2015-16	222.79	44.30	178.49
बिक्री कर मामले	136	ट्रिब्यूनल, राँची	1990-91 to 2014-15	356.95	85.74	271.21
बिक्री कर मामले	1	उच्च न्यायालय – झारखंड	2011-12	3.87	3.87	-
विद्युत शुल्क मामले	13	डीसीसीटी	2006-07 to 2016-17	5.10	-	5.10
विद्युत शुल्क मामले	205	जेसीसीटी(ए)हजारीबाग	1992-93 to 2017-18	60.35	15.95	44.41
विद्युत शुल्क मामले	7	सीसीटी राँची	2006-07 to 2011-12	3.07	0.50	2.57
विद्युत शुल्क मामले	25	ट्रिब्यूनल, राँची	1993-94 to 2017-18	4.17	0.71	3.46
विद्युत शुल्क मामले	11	उच्च न्यायालय – झारखंड	1997-98 to 2015-16	13.22	3.92	9.30
प्रवेश शुल्क मामले	1	सर्वोच्च न्यायालय – दिल्ली	2006-07	25	-	25
सेवा कर एवं एक्साइज मामले	16	कमिश्नर, राँची	2008-09 to 2017-18	33.99	0.99	33.00
सेवा कर एवं एक्साइज मामले	8	सीइएसटीएटी, कोलकाता	2005 to 2017-18	71.81	2.48	69.33
सेवा कर एवं एक्साइज मामले	4	अन्य	2012-13 to 2017-18	1.33	-	1.33
आयकर मामले	2	सीआईटी (ए), राँची	2004-05 & 2017-18	107.21	23	84.21
आयकर मामले	11	आइटीएटी	2006-07 to 2016-17	492.65	464	28.65
आयकर मामले	12	अन्य	2007-08 to 2018-19	0.24	-	0.24
	1041	कुल		**3721.99**	**835.68**	**2886.08**

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN: U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखण्ड

परिसंपत्ति एवं देयता का समेकित विवरण

(₹ करोड़ों में)

क्र. सं.	परिसंपत्ति एवं देयता का विवरण	दिनांक 31.03.2019 को (अंकेक्षित)	दिनांक 31.03.2018 को (अंकेक्षित)
ए	इक्विटी एवं देयता		
1.	शेयरधारक का निधि		
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	940.00	940.00
	(ख) अन्य इक्विटी	4,203.04	2,875.61
	(ग) शेयर वारंट के बदले प्राप्त धनल	–	–
	उप–कुल शेयरधारक का निधि	**5,143.04**	**3,815.61**
2.	शेयर अनुप्रयोग धन का लंबित आवंटन	–	–
3.	गैर–नियंत्रण ब्याज	23.18	17.76
4.	गैर–चालू देयता		
	(क) वित्तीय देयता	70.61	60.09
	(ख) अस्थगित कर देयता (निबल)	–	–
	(ग) अन्य गैर–चालू देयता	540.84	438.46
	(घ) प्रावधान	3,411.37	3,324.05
	उप–कुल–गैर–चालू देयता	**4,022.82**	**3,822.60**
5.	चालू देयता		
	(क) वित्तीय देयता	986.90	1,008.08
	(ख) चालू कर देयता (निबल)	56.18	125.41
	(ग) अन्य चालू देयता	4,500.31	4,777.48
	(घ) प्रावधान	1,007.77	1,529.27
	उप–कुल चालू देयता	**6,551.16**	**7,440.24**
	कुल–इक्विटी एवं देयता	**15,740.20**	**15,096.21**
बी	परिसंपत्ति		
1.	गैर–चालू परिसंपत्ति		
	(क) स्थाई परिसंपत्ति	5,426.29	4,508.83
	(ख) समेकन सदभाव	–	–
	(ग) अस्थगित कर परिसंपत्ति (नियल)	1,039.09	1,047.58
	(घ) वित्तीय परिसंपत्ति	1,468.39	1,534.47
	(ड.) अन्य गैर–चालू परिसपत्ति	988.53	1,507.86
	उप–कुल–गैर–चालू परिसपत्ति	**8,922.30**	**8,598.74**
2.	चालू परिसंपत्ति		
	(क) वित्तीय परिसंपत्ति	2,889.02	3,054.68
	(ख) सपत्ति–सूचि	1,353.66	1,349.23
	(ग) अन्य चालू परिसंपत्ति	2,575.22	2,093.56
	(घ) चालू कर परिसंपत्ति (निबल)	–	–
	उप–कुल–चालू परिसपत्ति	**6,817.90**	**6,497.47**
	कुल परिसंपत्ति	**15,740.20**	**15,096.21**

ह/–	ह/–	ह/–	ह/–
(रवि प्रकाश)	**(ए. के. गोस्वामी)**	**(एन. एन. ठाकुर)**	**(गोपाल सिंह)**
कम्पनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष–सह–प्रबंध नदेशक
		डीआइएन – 08176571	डीआईएन – 02698059

समसख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसरण मे

के. सी. टाक एण्ड कं.

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स

(फर्म पंजी सं 000216C)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 29 मई, 2019

(अनिल जैन)

पार्टनर

(सदस्यता सं 079005)

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN: U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखण्ड

दिनांक 31.03.2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित परिणामों का विवरण

(₹ करोड़ों में, शेयर तथा ईपीएस को छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			वर्ष के अंत में	
		31.03.2019	31.12.2018	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
		अन–अंकेक्षित	अन–अंकेक्षित	अन–अंकेक्षित (पुनर्लिखित)	अंकेक्षित	अंकेक्षित (पुनर्लिखित)
1.	**संचालन से आय**					
	सकल विक्रय	5,085.41	4,090.06	4,566.62	16,343.92	15,728.80
	घटाव – अन्य लेवी	1,505.96	1,400.66	1,320.60	5,069.93	4,715.50
	(क) निबल विक्रय/सचालन से आय (एक्साइस कर एवं अन्य लेवी का निबल)	3,579.45	2,689.40	3,246.02	11,273.99	11,013.30
	(ख) अन्य संचलित आय	270.65	237.77	236.64	905.91	537.41
	संचालन से कुल आय (निबल) (क + ख)	**3,850.10**	**2,927.17**	**3,482.66**	**12,179.90**	**11,550.71**
2.	**व्यय**					
	(क) उपयोग किए गए सामान का लागत	224.39	223.67	235.10	796.28	715.02
	(ख) तैयार वस्तुओं की संपत्ति सूची मे परिवर्तन, उन्नति कार्य एवं स्टॉक इन ट्रेड	-480.21	-51.40	-462.98	-23.44	512.66
	(ग) उत्पाद शुल्क	—	200.60	—	—	200.60
	(घ) कर्मचारी लाभ व्यय	1,450.38	1,208.43	2,108.33	5,128.86	5,478.55
	(ङ) अवमुल्यन/परिशोधन/हानि	93.75	90.61	96.69	344.28	351.52
	(च) बिजली और ईंधन व्यय	61.80	57.00	74.28	231.02	277.35
	(छ) सीएसआर व्यय	11.37	4.98	28.68	41.14	37.90
	(ज) मरम्मत	197.89	71.20	195.83	374.57	326.69
	(झ) ठेका व्यय	419.49	346.35	489.40	1,322.13	1,294.38
	(ञ) अन्य व्यय	354.80	248.26	268.37	1,069.11	1,022.21
	(ट) प्रावधान/बट्टे खाते डालना	38.39	-210.30	-144.11	93.95	1.73
	(ठ) स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन	288.93	109.95	369.83	347.60	284.51
	कुल व्यय (क से ठ तक)	**2,660.78**	**2,299.35**	**3,259.42**	**9,725.50**	**10,503.12**
3.	**अन्य आय, वित्तीय लागत और असाधारण मद के पहले संचालन से लाभ/हानि (1 + 2)**	**1,189.32**	**627.82**	**223.24**	**2,454.40**	**1,047.59**
4.	अन्य आय	130.47	42.47	302.82	314.82	510.68
5.	**वित्तीय लागत के बाद किन्तु असाधारण मद के पहले सामान्य क्रियाकलापों से लाभ/हानि (3 + 4)**	**1,319.79**	**670.29**	**526.06**	**2,769.22**	**1,558.27**

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN: U10200JH1956GOI000581)
पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखण्ड

दिनांक 31.03.2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित परिणामों का विवरण (जारी...)

(₹ करोड़ों में, शेयर तथा ईपीएस को छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			वर्ष के अंत में	
		31.03.2019	31.12.2018	31.03 2018	31 03.2019	31.03.2018
		अन–अंकेक्षित	अन–अंकेक्षित	अन–अंकेक्षित (पुनर्लिखित)	अंकेक्षित	अंकेक्षित (पुनर्लिखित)
6	वित्तीय लागत	18.57	16 82	35.38	75.26	170.81
7	**वित्तीय लागत के बाद किन्तु असाधारण मद के पहले लाभ/हानि (5 + 6)**	**1,301.22**	**653.47**	**490.68**	**2,693.96**	**1,387.46**
8	असाधारण मद	—	—	—	—	—
9	कर से पहले सामान्य क्रियाकलापों से लाभ/हानि (7 – 8)	1,301 22	653 47	490 68	2,693 96	1,387 46
10	कर व्यय	258.32	475.82	172.11	988.32	579.71
11	**वर्ष में निबल लाभ/हानि (9 – 10) [ए]**	**1,042.90**	**177.65**	**318.57**	**1,705.64**	**807.75**
12	**अन्य विस्तृत आय/(हानि) (निबल कर) [बी]**	**-12.16**	**-45.34**	**55.48**	**-19.69**	**101.74**
13	**कुल विस्तृत आय/(हानि) [ए + बी]**	**1,030.74**	**132.31**	**374.05**	**1,685.95**	**909.49**
14	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक शेयर का फेस वैल्यु ₹1000/–)	940.00	940.00	940.00	940 00	940.00
15	**प्रत्येक शेयर पर आय (ईपीएस) (प्रत्येक शेयर का फेस वैल्यु ₹1000/–) (वार्षिक नहीं किया गया)**					
	(क) बेसिक	**1,109.47**	**188.99**	**338.90**	**1,814.06**	**859.32**
	(ख) डायलुटेड	**1,109.47**	**188.99**	**338.90**	**1,814.06**	**859 32**

ह/–
(रवि प्रकाश)
कम्पनी सचिव

ह/–
(ए. के. गोस्वामी)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह/–
(एन. एन. ठाकुर)
निदेशक (वित)
डीआइएन – 08176571

ह/–
(गोपाल सिंह)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन – 02698059

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसरण में
के. सी. टाक एण्ड कं.
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
(फर्म पंजी स 000216C)

(अनिल जैन)
पार्टनर

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक 28 मई, 2019

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN: U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखण्ड

दिनांक 31.03.2019 को समेकित तुलन पत्र

(₹ करोड़ों में)

		नोट्स	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
परिसंपत्ति				
गैर–चालू परिसंपत्ति				
(क)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3	2,496.09	2,421.09
(ख)	कार्यशील पूंजी प्रगति पर	4	2,519.03	1,824.91
(ग)	अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति	5	405.43	260.67
(घ)	अन्य प्रत्यक्ष परिसंपत्ति	6	5.74	2.16
(ड.)	विकास के तहत अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति		—	—
(च)	संपत्ति निवेश			—
(छ)	वित्तीय परिसंपत्ति		—	
	(i) निवेश	7	—	—
	(ii) ऋण	8	0.66	0.47
	(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	9	1,467.73	1,534.00
(ज)	आस्थगित परिसंपत्ति (निबल)		1,039.09	1,047.58
(झ)	अन्य गैर–चालू परिसंपत्ति	10	988.53	1,507.86
कुल गैर–चालू परिसंपत्ति (ए)			**8,922.30**	**8,598.74**
चालू परिसंपत्ति				
(क)	संपत्ति–सूची	12	1,353.66	1,349.23
(ख)	वित्तीय परिसंपत्ति			
	(i) निवेश	7	52.56	—
	(ii) व्यापार प्राप्य	13	1,095.13	1,121.00
	(iii) नकद और नकद के समान	14	244.79	162.34
	(iv) अन्य बैंक बचत	15	868.16	1,233.74
	(v) ऋण	8	—	—
	(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	9	628.38	537.60
(ग)	चालू–कर परिसंपत्ति (निबल)		—	—
(घ)	अन्य चालू परिसंपत्ति	11	2,575.22	2,093.58
कुल चालू परिसंपत्ति (बी)			**6,817.90**	**6,497.47**
कुल परिसंपत्ति (ए + बी)			**15,740.20**	**15,096.21**

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN: U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखण्ड

दिनांक 31.03.2019 को समेकित तुलन पत्र (जारी ...)

(₹ करोड़ों में)

	नोट्स	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
इक्विटी एवं देयताएँ			
इक्विटी			
(ए) इक्विटी शेयर कैपिटल	16	940.00	940.00
(बी) अन्य इक्विटी	17	4,203.04	2,875.61
कम्पनी के इक्विटी धारको को आरोप्य इक्विटी		5,143.04	3,815.61
गैर नियन्त्रित ब्याज		23.18	17.76
कुल इक्विटी (ए)		5,166.22	3,833.37
देयताएँ			
अन्य गैर–चालू देयताएँ			
(ए) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधारी	18	–	–
(ii) व्यापार देयताएँ		–	–
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	70.61	60.09
(बी) प्रावधान	21	3,411.37	3,324.05
(सी) अन्य गैर–चालू देयताएँ	22	540.84	438.46
कुल गैर चालू देयताएँ (बी)		4,022.82	3,822.60
चालू देयताएँ			
(ए) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधारी	18	–	150.00
(ii) व्यापार देयताएँ	19		
		–	–
माइक्रो एवं लघु उद्यमो का कुल बकाया देय		484.15	487.01
माइक्रो एवं लघु उद्यमों के अलावे अन्य ऋण दाताओं का कुल बकाया देय			
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	502.75	371.07
(बी) अन्य चालू देयताएँ	23	4500.31	4777.48
(सी) प्रावधान	21	1007.77	1529.27
(डी) वर्तमान कर देयताएँ (निबल)		56.18	125.41
कुल चालू देयताएँ (सी)		6,551.16	7,440.24
कुल इक्विटी एवं देयताएँ (ए + बी + सी)		15,740.20	15,096.21
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	2		
वित्तीय विवरण पर अतिरिक्त	38		

उपरोक्त टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

ह/–	ह/–	ह/–	ह/–
(रवि प्रकाश)	**(ए. के. गोस्वामी)**	**(एन. एन. ठाकुर)**	**(गोपाल सिंह)**
कम्पनी सचिव	**महाप्रबंधक (वित्त)**	**निदेशक (वित्त)**	**अध्यक्ष–सह–प्रबंध नदेशक**
		डीआइएन – 08176571	डीआईएन – 02698059

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसरण में

के. सी. टाक एण्ड कं.

चार्टर्ड अकान्टेन्ट्स

(फर्म पंजी सं 000216C)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 28 मई, 2019

(अनिल जैन)

पार्टनर

(सदस्यता सं. 079005)

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN: U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखण्ड

दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष का लाभ–हानि का समेकित विवरण

(₹ करोड़ों में)

		नोट्स	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
संचालन से राजस्व		24		
ए.	बिक्री (एक्साइज ड्यूटी के साथ अन्य लेवियों का निबल)		11,273.99	11,013.30
बी.	अन्य संचालन से राजस्व (एक्साइज ड्यूटी के साथ अन्य लेवियों का निबल)		905.91	537.41
(I)	**संचालन से राजस्व (ए + बी)**		**12,179.90**	**11,550.71**
(II)	अन्य आय	25	314.82	510.68
(III)	**कुल आय (I+II)**		**12,494.72**	**12,061.39**
(IV)	व्यय			
	उपयोग किए गए सामान की लागत	26	796.28	715.02
	तैयार माल का भंडार/कार्य प्रगति मे परिवर्तन एवं बिक्री के लिए स्टॉक	27	(23.44)	512.66
	कोयले की बिक्री पर एक्साइज ड्यूटी		–	200.60
	कर्मचारी लाभ व्यय	28	5,128.86	5,478.55
	बिजली का खर्च		231.02	277.35
	निगमित सामाजिक दायित्व पर व्यय	29	41.14	37.90
	मरम्मति	30	374.57	326.69
	संविदात्मक व्यय	31	1,322.13	1,294.38
	वित्तीय लागत	32	75.26	170.81
	मूल्यह्रास/परिशोधन/क्षति		344.28	351.52
	प्रावधान	33	93.95	1.01
	बट्टे खाते डालना	34	–	0.72
	स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन		347.60	284.51
	अन्य व्यय	35	1,069.11	1,022.21
	कुल व्यय (IV)		**9,800.76**	**10,673.93**
(V)	**असाधारण मदों एवं कर के पहले लाभ (III-IV)**		**2,693.96**	**1,387.46**
(VI)	असाधारण मद		–	–
(VII)	**कर से पहले लाभ (V-VI)**		**2,693.96**	**1,387.46**
(VIII)	कर व्यय	36	988.32	579.71
(IX)	**वर्ष में चालू संचालन से प्राप्त लाभ (VII-VIII)**		**1,705.64**	**807.75**
(X)	स्थगित संचालन से प्राप्त लाभ		–	–
(XI)	स्थगित संचालन का कर व्यय		–	–
(XII)	स्थगित संचालन से प्राप्त लाभ (कर के बाद) (X-XI)		–	–
(XIII)	संयुक्त उद्यम/संबद्ध के लाभ/(हानि) मे शेयर		–	–
(XIV)	**वर्ष में लाभ (IX+XII+XIII)**		**1,705.64**	**807.75**
	अन्य विस्तृत आय	37		
	ए (i) मद जो लाभ या हानि मे पुनः वर्गीकृत नहीं होंगे		(30.27)	155.59
	(ii) मदों से संबंधित आयकर, जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नही होंगे		(10.58)	53.85
	बी (i) मद, जो लाभ या हानि मे पुनः वर्गीकृत होंगे		–	–
	(ii) मद से संबंधित आयकर, जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत होंगे		–	–
(XV)	**कुल अन्य विस्तृत आय**		**(19.69)**	**101.74**

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN: U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखण्ड

दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष का लाभ–हानि का समेकित विवरण (जारी ...)

(₹ करोड़ों में)

	नोट्स	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
(XVI) वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय (XIV+XV) (लाभ/(हानि सहित) तथा वर्ष के अन्य विस्तृत आय)		1,685.95	909.49
आरोपित लाभ			
कम्पनी के स्वामी को		1,705.22	807.76
गैर नियंत्रित ब्याज को		0.42	(0.01)
		1,705.64	807.75
अन्य आरोप्य विस्तृत आय			
कम्पनी के स्वामी को		(19.69)	101.74
गैर नियंत्रित ब्याज को		—	—
		(19.69)	101.74
कुल आरोपित विस्तृत आय			
कम्पनी के स्वामी को		1,685.53	909.50
गैर नियंत्रित ब्याज को		0.42	(0.01)
(XVII) प्रत्येक इक्विटी शेयर पर उपार्जन (चलित संचालन के लिए) :			
(1) बेसिक		1,814.06	859.32
(2) डायलुटेड		1,814.06	859.32
(XVIII) प्रत्येक इक्विटी शेयर पर उपार्जन (स्थगित संचालन के लिए) :			
(1) बेसिक		—	—
(2) डायलुटेड		—	—
(XIX) प्रत्येक इक्विटी शेयर पर उपार्जन (स्थगित एवं चलित संचालन के लिए) :			
(1) बेसिक		1,814.06	859.32
(2) डायलुटेड		1,814.06	859.32
महत्वपूर्ण लेखा नीति	2		
वित्तीय लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणी	38		

संलग्न टिप्पणी वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग है।

ह/–	ह/–	ह/–	ह/–
(रवि प्रकाश)	(ए. के. गोस्वामी)	(एन. एन. ठाकुर)	(गोपाल सिंह)
कम्पनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
		डीआइएन – 08176571	डीआइएन – 02698059

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसरण मे

के. सी. टाक एण्ड कं.

चार्टर्ड अकान्टेन्ट्स

(फर्म पंजी सं 000216C)

(अनिल जैन)

पार्टनर

(सदस्यता सं. 079005)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 28 मई, 2019

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN: U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखण्ड

दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी–प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)

(₹ करोड़ों में)

		31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
संचलित गतिविधियों से नकदी–प्रवाह			
कर से पहले कुल विस्तृत आय		2,663.69	1,543.05
समायोजन के लिए			
मूल्य ह्रास / हानि / परिशोधन व्यय		341.63	357 81
ब्याज एवं लाभांश आय		(122.00)	(277.12)
वित्तीय लागत		75.26	170 81
स्थायी परिसंपत्ति के विक्रय पर लाभ / हानि		9 92	3.10
अन्य प्रावधान		93 95	238.05
वर्ष के दौरान वापस लिखित देयता		(71.79)	(136 25)
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन		347 60	284.51
चालू / गैरचालू परिसंपत्ति एवं देयता से पहले परिचालन लाभ		**3,338.26**	**2,183.96**
समायोजन (के लिए) :			
प्राप्य व्यापार (कुल प्रावधान)		25 87	(71.52)
भण्डार सूची		(4.43)	747 03
ऋण / अग्रिम एवं अन्य चालू परिसंपति		21 46	(1,473 57)
वित्तीय एव अन्य देयताएँ		(836.06)	2,837.51
संचालन से उपार्जित धन		**2,545.10**	**4,223.41**
आयकर भुगतान किया गया / वापसी		(1,050.30)	(984.80)
संचालन गतिविधियों से निबल नकदी–प्रवाह	(ए)	**1,494.80**	**3,238.61**
निवेश गतिविधियों से नकदी–प्रवाह			
सपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण का क्रय		(1,269.01)	(898 08)
बैंक जमा पर प्राप्ति / (निवेश)		365 58	166.73
म्युचुवल फड, शेयर इत्यादि पर प्राप्ति / (निवेश)		(52.56)	–
शेयर पूंजी / शेयर विनियोग राशि		5 00	16 70
निवेश से ब्याज		–	–
ब्याज एवं लाभाश आय		122.00	277.12
निवेश गतिविधियों से प्राप्त निबल राशि	(बी)	**(828.99)**	**(437.53)**

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN: U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखण्ड

दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी–प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष विधि) (जारी...)

(₹ करोड़ों में)

		31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
वित्तीय गतिविधियों से नकदी–प्रवाह			
वापसी/ऋण में वृद्धि		(150.00)	(2,153.78)
वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ब्याज एवं वित्तीय लागत		(75.26)	(170.81)
इक्विटी शेयर पर लाभांश		(297.04)	(531.10)
इक्विटी शेयर लाभांश कर		(61.06)	(108.12)
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निबल राशि	**(सी)**	**(583.36)**	**(2,963.81)**
कैश एवं बैंक बचत में निबल वृद्धि/(कमी) (ए + बी + सी)		**82.45**	**(162.73)**
वर्ष के शुरूआत में नकद एवं नकदी समतुल्य		**162.34**	**325.07**
वर्ष के अंत में नकद एवं नकदी समतुल्य		**244.79**	**162.34**

(कोष्ठ मे दिए गए बर्हिप्रवाह को दर्शाते हैं)

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
(रवि प्रकाश)	**(ए. के. गोस्वामी)**	**(एन. एन. ठाकुर)**	**(गोपाल सिंह)**
कम्पनी सचिव	**महाप्रबंधक (वित्त)**	**निदेशक (वित्त)**	**अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक**
		डीआईएन – 08176571	डीआईएन – 02698059

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसरण में

के. सी. टाक एण्ड कं.

चार्टर्ड अकान्टेन्ट्स

(फर्म पंजी स. 000216C)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 28 मई 2019

(अनिल जैन)

पार्टनर

(सदस्यता सं. 079005)

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(एक मिनीरत्न कम्पनी)

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण– समेकित

(₹ करोड़ों में)

ए. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	01.04.2017 पर शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में बदलाव	31.03.2018 पर शेष	01.04.2018 पर शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में बदलाव	31.03.2019 पर शेष
₹1000/- प्रत्येक के 9400000 इक्विटी शेयर्स	940.00	–	940.00	940.00	–	940.00

बी. अन्य इक्विटी

विवरण	सामान्य संचय निधि	प्रतिधारित उपार्जन	ओसीआई	इक्विटी शेयरधारक का आरोप्य इक्विटी	गैर नियंत्रित ब्याज	कुल
01.04.2017 पर शेष	**2,029.00**	**215.26**	**52.39**	**2,296.65**	1.12	**2,297.77**
लेखा नीति में परिवर्तन	–	–	–	–	–	–
पूर्व अवधि त्रुटि	–	308.64	–	308.64	–	308.64
01.04.2017 पर पुनर्लिखित शेष	**2,029.00**	**523.90**	**52.39**	**2,605.29**	1.12	**2,606.41**
वर्ष के दौरान अनुवृद्धि	–	–	–	–	–	–
वर्ष के दौरान निवेश	–	–	–	–	16.69	16.69
वर्ष के दौरान समायोजन	–	0.04	–	0.04	(0.04)	–
वर्ष के लिए लाभ	–	807.76	101.74	909.50	(0.01)	909.49
विनियोग						–
सामान्य रिजर्व से/को हस्तांतरण	39.48	(39.48)	–	–		–
अन्य रिजर्व से/को हस्तांतरण	–	–	–	–		–
अंतरिम लाभांश	–	(531.10)	–	(531.10)		(531.10)
अंतिम लाभांश	–	–	–	–		–
निगम लाभांश कर	–	(108.12)	–	(108.12)		(108.12)
इक्विटी शेयरों का वापसी खरीद	–	–	–	–		–
वापसी खरीद पर कर	–	–	–	–		–
पूर्व क्रियात्मक व्यय	–	–	–	–		–
परिभाषित लाभ योजना की प्रतिपूर्ति (कर का निबल)	–	–	–	–		–
31.03.2018 पर शेष	**2,068.48**	**653.00**	**154.13**	**2,875.61**	**17.76**	**2,893.37**
01.04.2018 पर शेष	2,068.48	653.00	154.13	2,875.61	17.76	2,893.37
वर्ष के दौरान अनुवृद्धि	–	–	–	–	–	–
शेयर विनियोग राशि का लंबित आवंटन	–	–	–	–	5.00	5.00
वर्ष के दौरान समायोजन	–	–	–	–	–	–
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटि	–	–	–	–	–	–
वर्ष के दौरान कुल लाभ	–	1,705.22	(19.69)	1,685.53	0.42	1,685.95
वर्ष के दौरान समायोजन	–	–	–	–	–	–
विनियोग						–
सामान्य संचय से/को हस्तांतरण	76.17	(76.17)	–	–	–	–
अन्य संचय से/को हस्तातरण	–	–		–	–	–
अंतरिम लाभांश	–	(297.04)	–	(297.04)	–	(297.04)
अंतिम लाभांश	–	–	–	–	–	–
निगम लाभांश कर	–	(61.06)	–	(61.06)	–	(61.06)
इक्विटी शेयरों की वापसी खरीद	–	–	–	–	–	–
वापसी खरीद पर कर	–	–	–	–	–	–
पूर्व क्रियात्मक व्यय का समायोजन	–	–	–	–	–	–
परिभाषित लाभ योजना की प्रतिपूर्ति (कर का निबल)	–	–	–	–	–	–
31.03.2019 पर शेष	**2,144.65**	**1,923.95**	**134.44**	**4,203.04**	**23.18**	**4,226.22**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

नोट : 1 निगम सूचना

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, एक मिनीरत्न लोक उपक्रम है जो कि कोल इंडिया लिमिटेड (एक सरकारी उपक्रम) का शतप्रतिशत अनुषंगी है इसका पंजीकृत कार्यालय दरभंगा हाउस, राँची, झारखंड – 834029

यह कंपनी मुख्यतः कोयले के खनन एवं उत्पादन तथा कोल वाशरियों के संचालन से जुड़ी हुई है। इसके मुख्य ग्राहक पावर तथा स्टील क्षेत्र हैं। अन्य क्षेत्रों के ग्राहक में सीमेंट, फर्टिलाइजर, ईंट–भट्ठा इत्यादि शामिल हैं।

सीसीएल का इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा झारखंड सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम है जिसका नाम झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड (जे.सी.आर.एल.) है। जे.सी.आर.एल. का मुख्य उद्देश्य चिन्हित रेल कोरीडोर परियोजना को तैयार करना, संचालित करना एवं रख–रखाव करना है, जो कि झारखंड राज्य में खानों से कोयले की निकासी के महत्वपूर्ण है, जिसे भार ढुलाई तथा यात्री दोनों सेवाओं के लिए एवं जरूरी रेल आधारभूत संरचना के विकास हेतु, जिसमें सभी संबंद्ध सेवाओं इत्यादि के साथ रेलवे लाइनों का निर्माण शामिल है, के लिए उपयोग किया जाएगा।

नोट : 2 महत्वपूर्ण लेखा–नीतियाँ

नोट : 2.1 वित्तीय विवरण की तैयारी का आधार

कम्पनी का वित्तीय विवरण भारत में लागू लेखा सिद्धांतों, जिसे कि कंपनी नियम, 2015 के तहत अधिसूचित किया गया है, के अनुसार किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया गया है, सिवाय

- कुछ वित्तीय परिसंपत्ति एवं देयताओं को अंकित मूल्य के आधार पर मापा गया है (वित्तीय साधन पर लेखा नीति पारा सं. 2.15 को देखें);
- परिभाषित लाभ योजनाएँ – योजना परिसंपत्तियों को अंकित मूल्य के आधार पर मापा गया;
- लागत पर सामान सूची या एनआरवी जो कोई भी कम हो (पारा सं. 2.21 में लेखा नीति को देखें)

2.1.1 राशियों का पूर्णांक

इन वित्तीय विवरणों में राशियों को, जबतक कि अन्यथा निर्देशित किया गया है, करोड़ रू. में दशमलव के दो अंकों तक पूर्णांक किया गया है।

2.2 समेकन का आधार

2.2.1 अनुषंगियाँ

सभी अनुषंगियाँ एक तत्व हैं जिसपर कम्पनी का नियंत्रण होता है। कम्पनी एक तत्व/हस्ती को नियंत्रित करती है, जब कम्पनी को तत्व के साथ शामिल होने के कारण विभिन्न प्रकार के रिटर्नों पर अधिकार प्राप्त होता है तथा तत्वों के संगत गतिविधियों को निर्देशित करने की शक्ति के कारण इन रिटर्नों को प्रभावित करने की योग्यता होती है। कम्पनी के अंतर्गत अपने नियंत्रण के हस्तांतरण की तारीख से ही अनुषंगियां पूर्ण रूप से समेकित हो जाती हैं।

कम्पनी के द्वारा व्यापार संयोजन के लिए लेखा करने हेतु, लेखा की अधिग्रहण विधि का उपयोग किया जाता है।

परिसंपत्तियों, देयताओं, इक्विटी, कैश फ्लो, आय एवं व्यय जैसे मदों को क्रमवार जोड़ते हुए कम्पनी अपने स्वामित्व एवं अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों को समाहित करती है। अंतर कम्पनी कार्य सम्पादन, शेष एवं कम्पनियों के बीच लेन–देन के उपर अप्राप्य प्राप्ति को नहीं रखा जाता है जबतक कि हस्तांतरित परिसंपत्तियों के परिशोधन का पुष्टिकरण कार्य सम्पादन के द्वारा दिखलाया नहीं जाता है। समान प्रकार की परिस्थितियों मे एक जैसे कार्य–सम्पादन एव

घटनाओं के लिए ग्रुप के द्वारा अपनाये गये लेखा–नीतियों को ही सामान्य तौर पर ग्रुप के सदस्य के द्वारा उपयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण विचलनों के संदर्भ में, समूह लेखा–नीतियों के अनुसार समरूपता सुनिश्चित करने के लिए समूह सदस्य वित्तीय विवरण के लिए उपयुक्त समायोजन किया जाता है।

अनुषंगियों के इक्विटी एवं परिणामों में गैर–चालू ब्याजों को अलग से, लाभ एवं हानि के समेकित विवरण, इक्विटी एवं तुलन पत्र के परिवर्तनों के समेकित विवरणों क्रमशः दिखलाया जाता है।

2.2.2 सहयोगियाँ

सहयोगियां वे सभी तत्व हैं जिनपर समूह का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है परन्तु कोई नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं होता है।

यह सामान्यतः उस प्रकार का होता है जहाँ समूह के पास 20 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत के बीच में वोटिंग अधिकार होता है।

वैसे निवेश या उसके अंश को जिसे विक्रय के लिए वर्गीकृत किया गया है तथा जिसे भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार लेखाकृत किया जाता है, को छोड़कर, प्रारंभ में ही लागत के रूप में लेकर सहयोगियों में निवेश का लेखाकरण इक्विटी विधि के द्वारा की जाती है।

सहयोगी अपने निबल निवेश का परिशोधन वास्तुनिष्ठ प्रमाण के आधार पर करती है।

2.2.3 संयुक्त व्यवस्था

संयुक्त व्यवस्था वह व्यवस्था है जहाँ समूह के द्वारा एक या एक से अधिक पार्टियों के साथ संयुक्त नियंत्रण होता है।

संयुक्त नियंत्रण व्यवस्था के नियंत्रण का अनुबंधात्मक सहमति साझेदारी है जो कि सिर्फ मौजूद होता है जब प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने के लिए नियंत्रण साझा करने वाली पार्टियों के एकमत सहमति की जरूरत होती है।

संयुक्त व्यवस्था की वर्गीकरण या तो संयुक्त संचालन या संयुक्त उद्यम के रूप में होता है। वर्गीकरण, प्रत्येक निवेशक के अनुबंधात्मक अधिकार एवं दायित्वों पर निर्भर करता है न कि संयुक्त व्यवस्था के कानूनी ढांचे पर।

2.2.4 संयुक्त संचालन

संयुक्त संचालन वह संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत समूह के पास व्यवस्था से संबंधित दायित्वों के लिए परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का अधिकार प्राप्त होता है।

समूह, संयुक्त संचालन में परिसंपत्तियों, दायित्वों, राजस्व एवं व्यय तथा संयुक्त रूप से रखे हुए अथवा व्यय किये गये परिसंपत्तियों, दायित्वों, राजस्व एवं व्ययों में अपने हिस्से के सीधे अधिकार का संज्ञान लेता है।

2.2.5 संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यम वह संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत समूह के पास व्यवस्थाओं के निबल परिसंपत्तियों का अधिकार प्राप्त होता है।

संयुक्त उद्यम में ब्याज का लेखाकरण समेकित तुलन पत्र में प्रारंभिक तौर पर लागत के रूप में लिये जाने के बाद इक्विटी विधि के द्वारा किया जाता है।

वैसे निवेश या उसके अंश को जिसे विक्रय के लिए वर्गीकृत किया गया है तथा जिसे भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार लेखाकृत किया जाता है, को छोड़कर, प्रारंभ में ही लागत के रूप में लेकर संयुक्त उद्यम में निवेश का लेखाकरण इक्विटी विधि के द्वारा की जाती है।

संयुक्त उद्यम अपने निबल निवेश का परिशोधन वास्तुनिष्ठ प्रमाण के आधार पर करती है।

2.2.6 इक्विटी विधि

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत निवेशों को प्रारंभ में लागत पर मान्यता प्राप्त होता है और बाद में अधिग्रहण के लाभ या हानि में निवेशक के नुकसान के ग्रुप के शेयर को और निवेशक की अन्य व्यापक आय का समूह का हिस्सा का अन्य व्यापक

आमदनी पहचानने के लिए समायोजित किया जाता है। सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों से प्राप्त या प्राप्त करने वाले लाभांश को निवेश की मात्रा में कमी के रूप में स्वीकारा जाता है।

जब इक्विटी अकाउन्ट निवेश में होनेवाले घाटे का समूह का हिस्सा तत्व के हितों के बराबर या उससे अधिक है, किसी भी अन्य असुरक्षित दीर्घकालीक प्राप्तीयों सहित, समूह आगे के नुकसान को नहीं पहचानता है जबतक कि अन्य तत्व के बदले इसमें दायित्वों का खर्च नहीं होता है या इसके लिए भुगतान नहीं किया जाता है।

समूह एवं उसके सहयोगियों और संयुक्त उपक्रमों के बीच होनेवाले लेन–देन पर अप्रत्याशित लाभ इन संस्थाओं में समूह के हित की सीमा तक समाप्त हो जाते हैं। अनावृत हानियां भी समाप्त हो जाती हैं जबतक कि लेन–देन स्थानांतरित परिसंपत्ति के विकृति का प्रमाण नहीं देता। इक्विटी खातेदार निवेशक की लेखा–नीतियों को बदल दिया गया है जहां कहीं भी समूह द्वारा अपनाई गई नीतियो के अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

2.2.7 मालिकाना हक में परिवर्तन

कंपनी गैर नियंत्रित हितों के साथ लेन–देन करती है जो कि कंपनी की इक्विटी मालिकों को लेन–देन के रूप में नियंत्रण के नुकसान में नहीं होती है। स्वामित्व के हित में परिवर्तन सहायक एवं गैर नियंत्रण हितों के वहन राशियों की मात्रा के बीच एक समायोजन में सहायक होता है जो कंपनियों में उनके संबद्ध हितों को दर्शाता है। गैर नियंत्रित हितों के समायोजन की राशि तथा भुगतान या प्राप्त किये जाने के अंकित मूल्य के बीच किसी भी अंतर को इक्विटी के तहत मान्यता प्राप्त होता है।

जब कंपनी, नियंत्रण खोने, संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव के कारण, निवेश के लिए इक्विटी लेखा को समेकित करना छोड़ देती है, तब तत्व में कोई भी धारण की हुई हित को इसके अंकित मूल्य पर पुनः मापा जाता है और वहन राशि में परिवर्तन को लाभ या हानि में माना जाता है। यह अंकित मूल्य एक सहयोगी, संयुक्त उद्यम या वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में धारित हित के लिए बाद के लेखांकन के प्रयोजनों के लिए प्रारंभिक वहन राशि बन जाता है। इसके अतिरिक्त, कोई भी राशि जिसे उस तत्व के संबंध में अन्य विस्तृत आय में पहले लिया गया है, को इस प्रकार लेखाकृत किया जाता है, मानो कि कंपनी ने संबद्ध परिसंपत्तियां देयताओं को सीधे निपटा दिया है। इसका मतलब यह हो सकता है कि अन्य विस्तृत आय में पहले से माने गए राशियों को लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत कर दिया जाता है।

यदि एक संयुक्त उद्यम या सहयोगी में स्वामित्व हितों को कम कर दिया जाता है परन्तु संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव को रखा जाता है, तब अन्य विस्तृत आय में पहले से माने गए राशियों के सिर्फ आनुपातिक हिस्से को लाभ या हानि, जहाँ उपयुक्त हो, में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

2.3 मौजूदा एवं गैर–मौजूदा वर्गीकरण

कंपनी मौजूद वर्गीकरण के आधार पर तुलन–पत्र में परिसंपत्तियो एव देयताओ को प्रस्तुत करती है। एक परिसंपत्ति को मौजूद समझा जाता है जब :

(ए) इसके सामान्य संचालन चक्र में इसे प्राप्त करने का अनुमान है, या इसे बेचने अथवा उपभोग करने की प्रवृति है;

(बी) परिसंपत्ति को मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन के लिए रखा जाता है;

(सी) रिर्पोटिंग अवधि के बाद 12 महीने के अंदर परिसंपत्ति की उगाही करने का अनुमान है;

(डी) परिसंपत्ति नगद या नगद समतुल्य होता है (भारतीय लेखा मानक 7 से परिभाषित) जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए परिसंपत्ति को विनिमय होने या देयता के निपटारे में उपयोग करने से वंचित नहीं रखा जाता है। अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–मौजूद के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी एक देयता को मौजूद श्रेणी में रखती है जब :

(ए) इसके सामान्य संचालन चक्र में इसे प्राप्त करने का अनुमान है;

(बी) देयता को मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन के लिए रखा जाता है;

(सी) रिर्पोटिंग अवधि के बाद 12 महीने के अंदर देयता की उगाही करने का अनुमान है;

(डी) रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देयता के निपटारे की आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार है। प्रतिकूल पार्टी के विकल्प पर, यदि देयता की शर्तों के फलस्वरूप इक्विटी साधनों के विष के द्वारा इसका निपटारा हो सकता है तो वह इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करता है।

अन्य सभी देयताएं को गैर–मौजूदा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.4 राजस्व मान्यता

भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व, भारतीय लेखा मानक 11 निर्माण अनुबंध एवं भारतीय लेखा मानक 18 राजस्व मान्यता के ऊपर बाध्य है, और यह ग्राहकों के साथ अनुबंध से उत्पन्न सभी राजस्व पर लागू होता है। भारतीय लेखा मानक 115 ग्राहकों के साथ अनुबंध से उत्पन्न होने वाले राजस्व के लिए एक पांच–चरण मॉडल की स्थापना करता है और इसके लिए आवश्यक है कि राजस्व को उस राशि पर मान्यता दी जाए जो उस विचार को दर्शाती है जिसके लिए कंपनी किसी ग्राहक को सामान या सेवाओं के हस्तांतरण के बदले मे हकदार होने की उम्मीद करती है। कोल इंडिया लिमिटेड ('सीआईएल' या 'कंपनी') ने पूर्वव्यापी विधि का उपयोग करते हुए भारतीय लेखा मानक 115 को अपनाया है।

भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार संस्थाओं को सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध करने के लिए मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करने में निर्णय लेने की आवश्यकता है। एक अनुबंध प्राप्त करने और एक अनुबंध को पूरा करने के लिए सीधे संबंधित लागत पर मानक वृद्धिशील लागतों के लिए लेखांकन को भी निर्दिष्ट करता है।

2.4.1 ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

कोल इंडिया लिमिटेड एक भारतीय राज्य नियंत्रित उद्यम है जिसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत और यह दुनिया में सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को तब पहचाना जाता है जब माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को ऐसी राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो उस प्रतिफल को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी को उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद है। कंपनी ने आम तौर पर निष्कर्ष निकाला है कि यह अपने राजस्व व्यवस्था में प्रमुख है क्योंकि यह सामान या सेवाओं को ग्राहक को स्थानांतरित करने से पहले नियंत्रित करता है।

भारतीय लेखा मानक 115 में सिद्धांतों को निम्नलिखित पॉच चरणों का उपयोग करके लागू किया जाता है :

चरण 1 : अनुबंध की पहचान करना

ग्राहक के साथ अनुबंध के लिए कंपनी का खाता केवल तभी होता है जब निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा किया जाता है :

क) अनुबंध के पक्षकारों ने अनुबंध को मंजूरी दे दी है और अपने संबंधित दायित्वों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं;

ख) कंपनी हस्तांतरित किए जाने वाले सामान या सेवाओं के बारे में प्रत्येक पार्टी के अधिकारों की पहचान कर सकती है;

ग) कंपनी को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान की शर्तों की पहचान कर सकती है;

घ) अनुबंध में वाणिज्यिक पदार्थ है (यानी, कंपनी के भविष्य के नकदी प्रवाह का जोखिम, समय या राशि अपेक्षित है अनुबंध के परिणामस्वरूप बदलने के लिए), तथा

ङ) यह संभावना है कि कंपनी उस विचार को एकत्र करेगी जिसके लिए वह माल के बदले में हकदार होगा या ऐसी सेवाएँ जो ग्राहक को हस्तांतरित की जाएंगी। जिस राशि पर कंपनी का हक होगा, उस पर विचार किया जाएगा यदि अनुबंध परिवर्तनीय है तो अनुबंध में बताई गई कीमत से कम हो सकता है क्योंकि कंपनी ग्राहक को कीमत रियायत, छूट, धनवापसी, क्रेडिट या प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, एक जैसे वस्तु के हकदार को पेशकश कर सकती है।

अनुबंधों का संयोजन

कंपनी दो या अधिक अनुबंधों को एक ही समय मेंए एक ही ग्राहक (या ग्राहक के संबंधित पक्षों) के साथ मिलाती है) और अनुबंध के लिए एक एकल अनुबंध के रूप में माना जाता है यदि निम्न मानदंडों में से एक या एक से अधिक पूर्ण हों:

क) अनुबंधों को एक एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एक पैकेज के रूप में निपटाया जाता है।

ख) एक अनुबंध में भुगतान की जाने वाली राशि की मात्रा दूसरे अनुबंध की कीमत या प्रदर्शन पर निर्भर करती है। या

ग) अनुबंध में दिए गए सामान या सेवाएं (या प्रत्येक अनुबंध में वादा किए गए कुछ सामान या सेवाएं) एकल प्रदर्शन दायित्व हैं।

अनुबंध संशोधन

निम्नलिखित दोनों शर्तों के मौजूद होने पर एक अलग अनुबंध के रूप में एक अनुबंध संशोधन के लिए कंपनी खाता खोल सकती है :

क) अनुबंधित वस्तुओं का दायरा बढ़े हुए माल और सेवाओं के अलावा भिन्न होने के कारण बढ़ता है

ख) अनुबंध की कीमत उस प्रतिफल की मात्रा से बढ जाती है जो कंपनी की स्टैंड–अलोन बेचने की कीमतों को दर्शाती है विशेष अनुबंध की परिस्थितियों को दर्शाने के लिए उस मूल्य पर अतिरिक्त वादा किए गए सामान या सेवाएं और किसी भी उचित मूल्य का समायोजन हो।

चरण 2: प्रदर्शन दायित्वों की पहचान

अनुबंध की स्थापना के समय, कंपनी ग्राहक के साथ अनुबंध में दिए गए सामान या सेवाओं का आकलन करती है और एक प्रदर्शन दायित्व के रूप में पहचान प्रत्येक ग्राहक को हस्तांतरित करने का वादा करती है:

क) एक वस्तु या सेवा (या वस्तुओं या सेवाओं का एक बंडल) जो अलग है। या

बी) भिन्न वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक समान हैं और जिनके ग्राहक को हस्तांतरण के समान प्रतिमान हैं।

चरण 3: लेनदेन मूल्य का निर्धारण

कंपनी लेनदेन की कीमत निर्धारित करने के लिए अनुबंध की शर्तों और उसके प्रथागत व्यवसाय प्रथाओं पर विचार करती है। लेन–देन की कीमत उस प्रतिफल की राशि है जिसके लिए कंपनी का किसी ग्राहक को वादा किए गए माल या सेवाएँ के हस्तांतरण के बदले में तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशियों को छोड़कर हकदार होने की उम्मीद करती है। एक ग्राहक के साथ एक अनुबंध के वादा में निश्चित मात्रा, चर राशि या दोनों शामिल हो सकते हैं।

लेन–देन मूल्य निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित में से सभी के प्रभावों पर विचार करती है:

– चर प्रतिफल;

– चर प्रतिफल के विवश अनुमान,

– महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक का अस्तित्व;

– गैर – नकद प्रतिफल;

– ग्राहक को देय प्रतिफल।

छूट, रिफंड, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, प्रोत्साहन, प्रदर्शन, बोनस, या अन्य समान मद के कारण विचार की मात्रा भिन्न हो सकती है। वादा किया गया प्रतिफल भी भिन्न हो सकता है यदि कंपनी की प्रतिपूर्ति के लिए पात्रता भविष्य की वृत्तांत की घटना या गैर–घटना पर आकस्मिक हो।

कुछ अनुबंधों में, दंड निर्दिष्ट हैं। ऐसे मामलों में, अनुबंध के सार के अनुसार दंड का हिसाब लगाया जाता है। जहां लेनदेन के मूल्य के निर्धारण में जुर्माना निहित है, यह चर प्रतिफल का हिस्सा है।

कंपनी लेनदेन मूल्य में केवल कुछ हद तक अनुमानित चर प्रतिफल के कुछ या सभी को शामिल करती है जब यह अत्यधिक संभावना है कि मान्यता प्राप्त सचयी राजस्व की मात्रा में एक महत्वपूर्ण उलटफेर नहीं हो जब चर प्रतिफल के साथ जुड़े अनिश्चितता का बाद में हल हो।

अनुबंध की स्थापना के समय, अगर कंपनी यह अपेक्षा करती है कि एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए प्रतिफल की राशि को समायोजित नहीं करती है, कि जब वह किसी ग्राहक को एक वादा किया गया सामान या सेवा स्थानांतरित करता है और ग्राहक उस सामान के लिए भुगतान करता है, तो उसके बीच की अवधि सेवा एक वर्ष या उससे कम की होगी।

यदि कंपनी ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त करती है और ग्राहक को उस प्रतिफल के कुछ या सभी को वापस करने की अपेक्षा करती है, तो कंपनी धन वापसी दायित्व को पहचानती है। एक वापसी दायित्व को प्राप्त प्रतिफल (या प्राप्य) की मात्रा पर मापन की जाती है, जिसके लिए कंपनी को हकदार होने की उम्मीद नहीं है (यानी लेनदेन मूल्य में शामिल नहीं की गई राशि)। वापसी दायित्व (और लेनदेन की कीमत में परिवर्तन, अनुबध देयता) को परिस्थितियों में बदलाव के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अदयतन किया जाता है।

अनुबंध की स्थापना के बाद, लेन–देन की कीमत विभिन्न कारणों से बदल सकती है, जिसमें अनिश्चित घटनाओं के समाधान या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन शामिल हैं जो उस प्रतिफल की राशि को बदलते हैं, जिसके लिए कंपनी को वादा किए गए सामान या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद है।

चरण 4 : लेनदेन मूल्य का आवंटन

लेन–देन का मूल्य आवंटित करते समय कंपनी का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व (या अलग–अलग सामान या सेवा) का लेन–देन मूल्य आवंटित के उस राशि पर करें, जिसमें प्रतिफल सम्मिलित हो, तथा जिसके लिए कपनी ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं को स्थानांतरित करने के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है।

एक सापेक्ष स्टैंड–अलोन विक्रय मूल्य के आधार पर प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए लेन–देन की कीमत आवंटित करने के लिए, कंपनी अनुबंध में प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के आधार पर अलग–अलग सामान या सेवा की स्थापना के समय स्टैंड–अलोन विक्रय मूल्य निर्धारित करती है और लेन देन मूल्य आवटित उन स्टैंड–अलोन विक्रय मूल्यों के अनुपात मे करती है।

चरण 5 : राजस्व पहचानना

कंपनी राजस्व को तब पहचानती है जब (या के रूप में) कंपनी एक ग्राहक को एक सामान या सेवा का वादा करके एक प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करती है। एक सामान या सेवा तब हस्तांतरित की जाती है जब (या के रूप में) ग्राहक उस सामान या सेवा का नियत्रण प्राप्त करता है।

कंपनी समय के साथ एक सामान या सेवा का नियंत्रण स्थानांतरित करती है और इसलिए, एक प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करती है और समय के साथ राजस्व को पहचानती है, यदि निम्न मानदंडों में से एक को पूरा किया जाता है :

क) ग्राहक एक साथ कंपनी के प्रदर्शन द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करता है और उपभोग करता है जैसा कि कंपनी करती है;

ख) कंपनी का प्रदर्शन ऐसी परिसंपत्ति बनाता है या बढ़ाता है जब ग्राहक उस सपत्ति को बनाने या बढ़ाने के दौरान नियंत्रित करता है;

ग) कंपनी का प्रदर्शन कंपनी के लिए एक वैकल्पिक उपयोग के साथ संपत्ति नहीं बनाता है और कंपनी के पास आज तक के प्रदर्शन के भुगतान को लागू करने के लिए योग्य अधिकार है।

समय के साथ संतुष्ट प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए, कंपनी उस प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति को मापकर समय के साथ राजस्व को पहचानती है।

कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए प्रगति को मापने का एक एकल तरीका लागू करती है और कंपनी उस पद्धति को समान प्रदर्शन दायित्वों और समान परिस्थितियों में लगातार लागू करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत

में, कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति का पुनः मापन करती है।

कंपनी अनुबध के तहत वादा किए गए शेष सामानो या सेवाओं के सापेक्ष स्थानांतरित की गई वस्तुओं या सेवाओ के ग्राहक को मूल्य के प्रत्यक्ष माप के आधार पर राजस्व पहचानने के लिए उत्पादन तरीके को लागू करती है। उत्पादन विधियों में आज तक पूर्ण किए गए प्रदर्शन के सर्वेक्षण की विधियां से लेकर परिणाम, प्राप्त परिणामों के मूल्यांकन, प्राप्त किये गए कठिन पड़ाव, बिते समय और उत्पादित इकाइयाँ या प्रदत्त इकाइयाँ का इस्तेमाल करती है।

जैसे–जैसे समय के साथ हालात बदलते हैं, कंपनी प्रदर्शन दायित्व के परिणाम में किसी भी बदलाव को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रगति के अपने उपाय को अपडेट करती है। कंपनी की प्रगति के माप में इस तरह के बदलावों को भारतीय लेखा मानक 8, लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन के अनुसार लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में मापा जाता है।

कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए राजस्व को तभी पहचानती है, यदि कंपनी यथोचित रूप से प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति को माप सकती है। जब (या के रूप में) एक प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट हो जाता है, तो कंपनी लेन–देन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में पहचानती है (जो कि चर दायित्व के अनुमानों को शामिल नहीं करता है जो उस प्रदर्शन दायित्व के लिए आवंटित होता है)।

यदि एक प्रदर्शन दायित्व समय के साथ संतुष्ट नहीं है, तो कंपनी एक समय में प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करती है। उस समय को निर्धारित करने के लिए, जिस पर एक ग्राहक वादा किया हुआ सामान या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है और कंपनी एक प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करती है, कंपनी नियंत्रण हस्तांतरण के संकेतकों पर विचार करती है, जिसमें शामिल हैं, लेकिन निम्नलिखित तक सीमित नहीं हैं :

क) कंपनी के पास सामान या सेवा के भुगतान का वर्तमान अधिकार है;

ख) ग्राहक के पास सामान या सेवा के लिए कानूनी शीर्षक है,

ग) कंपनी ने सामान या सेवा के भौतिक कब्जे को स्थानांतरित कर दिया है;

घ) ग्राहक के पास सामान या सेवा के स्वामित्व के लिए महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार हैं;

ड.) ग्राहक ने सामान या सेवा को स्वीकार कर लिया है।

जब किसी अनुबंध के लिए पार्टी ने प्रदर्शन किया है, तो कंपनी, कंपनी के प्रदर्शन और ग्राहक के भुगतान के बीच के संबंध के आधार पर अनुबंध को अनुबंध परिसंपत्ति या अनुबंध देयता के रूप में तुलन पत्र में प्रस्तुत करती है। कंपनी बिना शर्त अधिकार प्रतिफल को प्राप्य के रूप में पेश करती है।

संविदा परिसंपत्ति

ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में प्रतिफल करने के अधिकार को एक संविदा परिसंपत्ति कहते हैं। यदि कंपनी ग्राहक पर प्रतिफल करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहक को हस्तांतरित करती है, तो अर्जित प्रतिफल के लिए सशर्त संविदा परिसंपत्ति में अभिज्ञात की जाती है।

व्यापार प्राप्य

प्रतिफल के परिमाण पर कंपनी के अधिकार का प्रतिनिधित्व एक प्राप्य करता है जो अशर्त है (यानी, प्रतिफल के भुगतान से पहले केवल समय बीतने की आवश्यकता है)।

संविदा देयताएँ

एक संविदा दायित्व एक ग्राहक को माल या सेवाओं को स्थानांतरित करने का दायित्व है जिसके लिए कंपनी को ग्राहक से प्रतिफल (या प्रतिफल की राशि देय है) प्राप्त हुआ है। यदि कोई ग्राहक, कंपनी के द्वारा वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करने से पहले, प्रतिफल का भुगतान करता है, तो ग्राहक पर विचार करता है, एक संविदा देयता को तब माना जाता है जब भुगतान या

देय की जाती है (जो भी पहले हो)। संविदा देनदारियों को राजस्व के रूप में तब माना जाता है जब कंपनी संविदा के तहत प्रदर्शन करती है।

2.4.2 ब्याज

प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करते हुए ब्याज आय को मान्यता दी जाती है।

2.4.3 लाभांश

निवेशों से प्राप्त लाभांश आय की मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है।

2.4.4 अन्य दावे

अन्य दावों (ग्राहकों से देरी से प्राप्त राशि पर ब्याज सहित) को लेखाकृत किया जाता है, जब वसूली की प्राप्ति की निश्चितता है तथा इसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है।

2.4.5 सेवाओं का समर्पण

जब सेवाओं के समर्पण से संबंधित लेन–देन के परिणामें को विश्वसनीयता से आकलन किया जा सकता है, तब रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेन–देन की समाप्ति के अवस्था के परिपेक्ष्य में लेन–देन के साथ संबंधित राजस्व को मान्यता दी जाती है। लेन–देन के परिणाम का आकलन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता है यदि निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी हो जाती है।

(ए) राजस्व की राशि को विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है;

(बी) यह संभव है कि लेन–देन संबंधित आर्थिक लाभ तत्व की ओर प्रवाह करेगा;

(सी) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेन–देन के समाप्ति की अवस्था को विश्वासपूर्वक मापा जा सकता है, और

(डी) लेन–देन कार्यान्वित करने के लिए खर्च हुए लागत तथा इसे समाप्त करने की लागत को विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है।

2.5 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदान तब तक नहीं लिखे जाते है जबतक कि कंपनी द्वारा अनुदान से संबंधित शर्त्तों के अनुपालन तथा अनुदान प्राप्त कर ली जाएगी, इस बात का पर्याप्त आश्वासन हो।

सरकारी अनुदानों को, उन अवधियों के लिए, जिसमें कंपनी उसे व्यय के तौर पर लेती है एवं उससे संबद्ध लागत के लिए ही अनुदान से ही क्षति पूर्ति किया जाना है, लाभ एवं हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर लिखा जाता है।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान/सहायता को तुलन पत्र में अनुदान को आस्थगित आम तौर पर प्रस्तुत किया जाता है तथा लाभ एवं हानि के विवरण में परिसंपत्तियों के उपयोगी आयु के व्यवस्थित आधार पर लिखा जाता है।

आय से संबंधित अनुदान (अर्थात परिसंपत्ति के अलावा अनुदान) को लाभ या हानि विवरण के अंश के तौर पर 'अन्य आय' सामान्य मद के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

एक सरकारी अनुदान पूर्ण रूप से हो चुके व्ययों अथवा हानियों यां कंपनी की तात्कालिक वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से, जिसका भविष्य में कोई लागत न हो, के लिए क्षतिपूर्ति के तौर पर प्राप्य बन जाता है, तथ इसे उस अवधि के लिए लाभ या हानि मद में दिखलाया जाता है जिसमें वह प्राप्य बन जाता है।

सरकारी अनुदान या प्रमोटरों के योगदान के प्रवृति के रूप में सीधे मद में लिखा जाता है जो कि शेयरधारक निधि का अंश होता है।

2.6 लीज पट्टा

वित्तीय लीज वह लीज है जो परिसंपत्ति के स्वामित्व पर पड़ने वाले सभी जोखिमों एवं पुरस्कारो की सत्यता से हस्तांतरित करता है। टाइटल या अथवा या नहीं हस्तांतरित हो सकता है।

2.6.1 कंपनी पट्टेदार के रूप में

एक लीज/पट्टा प्रारंभ होने की तारीख पर एक वित्तीय लीज अथवा संचालन लीज में वर्गीकृत होता है।

2.6.1.1 वित्तीय पट्टों को प्रारंभ की तारीख पर पट्टीकृत संपत्ति के उचित मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है अथवा, न्यूनतम की स्थिति में राशि के वर्तमान मूल्य पर नयूनतम लीज भुगतान को वित्तीय शुल्कों एवं लीज देयता में कमी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है ताकि बचे हुए शेष देयता पर स्थिर अवधितात्मक ब्याज दर को प्राप्त किया जा सके।

वित्तीय शुल्कों को लाभ एवं हानि विवरण में वित्तीय लागत के रूप में लिया जाता है, और यदि वे योग्यता परिसंपत्ति में सीधे तौर पर आरोपित होने लायक हों उस स्थिति में उनको कंपनी को उधार लागतों पर आधारित सामान्य नीति के अनुसार पूंजी. कृत किया जाता है।

लीज परिसंपत्ति में मूल्य ह्रास परिसंपत्ति के उपयोगी आयु पर आधारित होता है। यद्यपि, यदि उचित निश्चितता नहीं हो कि कंपनी लीज अवधि के अंत में स्वामित्व प्राप्त कर पाएगी या नहीं, उस स्थिति में परिसंपत्ति में मूल्य ह्रास, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी आयु तथा लीज अवधि में से न्यूनतम पर, आधारित होगा।

2.6.1.2 संचालन लीज – लीज राशि को लीज अवधि पर सीधी रेखा आधारित व्यय के तौर पर लिया जाता है, जबतक या तो:

(ए) कोई दूसरा व्यवस्थित आधार, उपयोगकर्ता लाभ के समयाकार को ज्यादा अच्छे तरह से प्रस्तुत करता हो या अथवा

(बी) पट्टेदार भुगतान इस प्रकार गठित हो कि वो अनुमानित सामान्य स्थिति के अनुरूप बढे ताकि पट्टेदार की अनुमानित लागत में वृद्धि की क्षतिपूर्ति हो सके। यदि पट्टेदार का भुगतान का भुगतान सामान्य स्फिति के अलावा अन्य तथ्यों के कारण बदलता है, तब यह स्थिति वही आती है।

2.6.2 कंपनी एक पट्टेदाता के रूप में

संचालन लीज/पट्टा – संचालन लीजों (बीमा एवं मरम्मत जैसी सेवाओं के राशियों को छोड़कर) से प्राप्त लीज/पट्टा आय को लीज अवधि के उपर सीधी रेखा आधार पर आय के रूप में लिया जाता है, जबतक या तो:

(ए) दूसरा व्यवस्थित आधार उस समय पैटर्न को ज्यादा प्रदर्शित करता है जिसमें लीज परिसंपत्ति से प्राप्त उपयोगिता लाभ कम हो जाती है, बावजूद उसके कि पट्टादाता को भुगतान उस पर आधारित नहीं है अथवा य

(बी) पट्टेदार का भुगतान इस प्रकार गठित हो कि वो अनुमानित सामान्य स्फिति के अनुरूप बढे ताकि पट्टेदार की अनुमानित स्फिति लागत में वृद्धि की क्षतिपूर्ति हो सके। यदि पट्टेदार का भुगतान सामान्य स्फिति के अलावा अन्य तथ्यों के कारण बदलता है, तब यह स्थिति नहीं आती है।

वित्तीय लीज/पट्टे – वित्तीय लीजों के अन्तर्गत लीजों से संबंधित बकाया राशि को कंपनी के लीजों में निवेश पर प्राप्य के रूप में प्रविष्टि किया जाता है। वित्तीय लीज से संबंधित निबल निवेश बकाया राशि पर स्थिर आवर्ती प्राप्ति दर प्राप्त हो सके।

संचालित लीज के व्यवस्था एवं समझौता के लिए खर्च हुए प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को लीज परिसंपत्ति के अग्रेषित राशि के साथ जोड़ा जाता है तथा इसे लीज आय की तरह ही लीज अवधि के उपर व्यय के रूप में लिया जाता है।

2.7 विक्रय के लिए रखा गया गैर–चालू परिसंपत्ति

कंपनी गैर–चालू (एवम/(अथवा परिव्यक्त समूहद्ध का विक्रय के लिए रखती है यदि उनके भारित राशि की वसुली मुख्य रूप से विक्रय के द्वारा होगी न कि लगातार उपयोग की वजह से। विक्रय पुरा करने के लिए जरूरी कदम को यह निर्दिष्ट करना चाहिए कि विक्रय में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने या विक्रय करने की निर्णय की वापस लेने की बिलकुल संभावना नहीं है। प्रबंधन को वर्गीकरण की तारीख से एक साल के अंदर अनुलग्न विक्रय के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

इन सब उद्देश्यों के लिए, विक्रय लेन–देन में अन्य गैर–मौजूदा परिसंपत्तियों के लिए गैर–मौजूदा परिसंपत्तियों के साथ विनिमय शामिल होता है, जब विनिमय में वाणिज्यिक पहलु होता है। विक्रय वर्गीकरण के लिए आयोजित मानदंडों को केवल तब ही माना जाता है जब परिसंपत्तियों या निपटान समुह अपने वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए सामान्य और परंपरागत हैं, इसको बिक्री के उपलब्ध होता है, केवल ऐसी शर्तों के लिए जो ऐसी संपत्ति या निपटान समूहों को बिक्री के लिए सामान्य और

परंपरागत है, इसको बिक्री अत्यधिक संभावित है, और यह वास्तव में बेचा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। कंपनी परिसंपत्ति या निपटान समूह की बिक्री को बेहद संभव मानती है, जब

- उपयुक्त स्तर की प्रबंधक, परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बेचने के लिए प्रतिबद्ध है।
- खरीदार का पता लगाने या योजना पूरी करने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- संपत्ति (निपटान समूह) का, सक्रिय रूप से अपने मौजूदा उचित मूल्य के संबंध में उचित मूल्य वाली कीमत पर बिक्री के लिए, विपणन किया जा रहा है।
- वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरी बिक्री के रूप में मान्यता के लिए बिक्री के योग्य होने की उम्मीद है, और
- योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यों का संकेत मिलता है कि यह संभावना नहीं है कि योजना में वे सब महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे या योजना को वापस ले लिया जाएगा।

2.8 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पी. पी. ई.)

भूमि एतिहासिक लागत पर की जाती है। ऐतिहासिक लागत में वे सब व्यय भी शामिल है जिन्हें, संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए किए गए रोजगार के बदले भूमि के अधिग्रहण, पुनर्वास खर्च, पुनर्स्थापन लागत एवं क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से श्रेय दिया जाता है।

मान्यता के बाद, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की एक वास्तु को, लागत प्रतिमान के तहत किसी भी संचित अवमूल्यन किसी भी संचित हानि को अपने लागत से घटाकर आगे लिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की एक मद में शामिल है :

(ए) व्यापार छूट और छूट की कटौती के बाद आयात शुल्क तथा गैर–वापसी योग्य खरीद करें। सहित इसकी खरीद मूल्य।

(बी) कोई भी लागत जिसे परिसंपत्ति की स्थल तक लाने का सीधा श्रेय हो तथा प्रबधन के उद्देश्य से कार्य करने में सक्षम होने के लिए जरूरी शर्त

(सी) वस्तु को नष्ट करने एवं निकालने तथा उस स्थल को, जहां पर वह स्थित पुनर्स्थापित करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान, वह जिसके लिए एक इकाई या तो तब उठती है जब वस्तु अधिग्रहित हो जाता है या किसी विशेष अवधि के दौरान वस्तु का उपयोग करने के फलस्वरूप उस अवधि के दौरान सामान–सूची बनाने के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के एक वस्तु का प्रत्येक भाग, जिसकी लागत, वस्तु के कुल लागत की तुलना में महत्वपूर्ण है, का अवमूल्यन अलग से होता है। यद्यपि पी. पी. ई. के एक वस्तु के महत्वपूर्ण भाग (भागों), जिनका उपयोगी जीवन एव मूल्यह्रास विधि एक समान होता है, को मूल्यह्रास विधि एक समान होता है, को मूल्यह्रास शुल्क निर्धारित करने के लिए एक साथ समुहीकृत किया जाता है।

''मरम्मत एवं रखरखाव'' के वर्णित दिन–प्रतिदिन की सर्विसिंग की लागत उस अवधि में लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त होती है जिसे उस अवधि में खर्च किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र एव उपकरण की एक मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण जगहों को बदलने के बाद की लागत वस्तु की वहन राशि में पहचाने जाते है, अगर यह संभव है कि वस्तु के साथ जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी के पास आएंगे, और वस्तु की लागत मजबूती से मापा जा सकता है। प्रतिस्थापित किए जाने वाले उन हिस्सों की ले जाने वाली मात्रा का नीचे दिए गए विरूपण नीति के अनुसार अस्वीकृत कर दिया जाता है।

जब वृहत निरीक्षण किया जाता है तो उसको लागत को संपत्ति, संयत्र एवं उपकरण के वस्तु की मात्रा मे प्रतिस्थापन के रूप में पहचाना जाता है यदि यह संभावित है कि वस्तु के साथ जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी के पास आएंगे और वस्तु की लागत मजबूती से मापा जा सकता है। पिछली निरीक्षण (भौतिक भागों से अलग) की लागत का कोई शेष हो जाने वाली राशि को अवनित कर दिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरणों के मूल्य ह्रास को, लगान मुक्त भूमि को छोड़कर, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन के उपर निधि रेखा के आधार पर लागत प्रतिमान के अनुसार निम्नलिखित तौर पर प्रदान की जाती है :

अन्य भूमि (पट्टा भूमि सहित)	:	परियोजना की आयु या पट्टा अवधि जो भी कम है
भवनें	:	3 – 60 वर्ष
सड़कें	:	3 – 10 वर्ष
दूर–संचार	:	3 – 9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	:	15 वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	:	5 – 15 वर्ष
कंप्युटर एवं लैपटॉप	:	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	:	3 – 6 वर्ष
फर्नीचर एवं फिक्सचर	:	10 वर्ष
वाहन	:	8 – 10 वर्ष

तकनीकि मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि उपर दिए गए उपयोगी जीवन अवधि उस सर्वोत्तम अवधि को चित्रित करता है जिसपर प्रबंधन को परिसंपत्ति उपयोग करने का अनुमान है। अतएव परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 के शेड्यूल के भाग – सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों की अनुमति उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों का अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्ति के मूल लागत का 5 प्रतिशत माना जाता है सिवाय परिसंपत्तियों की कुछ सामान को छोडकर जैसे कोयला टन/घुमावदार (रस्सियाँ, ढुलाई रस्सियाँ, भराई पम्प एवं सुरक्षा लैप इत्यादि, जिसके लिए तकनीकि रूप से अनुमानित उपयोगी जीवन का निर्धारण शुन्य अवशिष्ट मूल्य के साथ एक साल का किया गया है।

वर्ष के दौरान जोडे गए/निकाले गए परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास को जोड/निपटान के महीने के संदर्भ में प्रो–डाटा के आधार पर प्रदान किया गया है।

"अन्य भूमि" के मूल्य में कोल बियरींग एरिया (अधिग्रहण एव निकाल) (सी. बी. सी.) अधिनियम, 1957 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1989; भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार य पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (RFCTLAAR) अधिनियम, 2013; सरकारी भूमि आदि का दीर्घकालीन हस्तांतरण, जो परियोजना की शेष जीवन के आधार पर परिशोधित होता है और पट्टे की भूमि के मामले में इस तरह के परिशोधन को पट्टे की अवधि या परियोजना के शेष जीवन पर, जो भी कम हो, पर आधारित होता है।

पूरी तरह से अवशिष्ट परिसंपत्ति को, जिनकी सक्रिय उपयोग समाप्त हो चुका है, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत अपने अवशिष्ट मूल्य पर अलग से सर्वेक्षण की हुई परिसंपत्ति के रूप में दिखलाया जाता है तथा उन्हें हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।

कंपनी द्वारा कुछ परिसंपत्तियों के निर्माण/विकास के लिए किए गए पूंजीगत व्यय, जो उत्पादन वस्तु आपूर्ति या कंपनी के किसी मौजूद परिसंपत्तियों तक पहुंच के लिए आवश्यक होते हैं, को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत सक्षम परिसंपत्तियों के रूप में चिन्हित किया जाता है।

भारतीय लेखा मानक में संक्रमण

पिछली GAAP के अनुसार मापी गई, भारतीय लेखा मानक में संक्रमण की तिथि पर वित्तीय विवरणों में पहचाने जाने वाले लागत प्रतिमान (अपने सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए) के अनुसार वहन मूल्य को जारी रखने की कंपनी ने चुना है।

2.9 खान बंदीकरण, स्थल पुनर्स्थापन एवं सेवामुक्तिकरण दायित्व

भूमि सुधार एवं संरचनाओ के सेवा से मुक्ति संबंधी दायित्व कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सतह एवं भूमिगत दोनों खानों पर खर्च करना शामिल है। कंपनी, आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए भविष्य की नकदी खर्च भी राशि एवं समय की विस्तृत गणना तथा तकनीकि आकलन के आधार पर खान बंदीकरण, स्थल पुनर्स्थापन एवं सेवा–नियुक्तिक. रण के लिए दायित्व का अनुमान लगाती है। खान बंदीकरण व्यय स्वीकृत खान बंदीकरण योजना के अनुसार प्रदान की जाती है। व्ययों के अनुसार मुद्रास्फीति के लिए बढ़ाए जाते हैं, और फिर एक छूट दर पर छुट दी जाती है जो कि मुद्रा के समय मूल्य के

मौजूदा बाजार मूल्यांकन और जाखिमों को दर्शाती है, जैसे कि प्रावधान की राशि दायित्व के निपटारे के लिए जरूरी अनुमानित व्यय के मौजूदा मूल्य को दर्शाती है। कंपनी अंतिम भूमि सुधार एवं खान बंदीकरण के लिए दायित्व से सबंधित परिसंपत्ति का आंकड़ा रखती है/रिकार्ड करती है। दायित्व एवं उससे संबधित परिसंपत्तियों को देयता अवधि में मान्यता प्राप्त होता है। दायित्व एवं उससे संबंधित परिसंपत्तियों को देयता अवधि में मान्यता प्राप्त होता है। खदान बंदीकरण योजना के अनुसार कुल पुनर्स्थापन लागत (सीएमपीडीआईएल के द्वारा अनुमानित) को दर्शाने वाली परिसंपत्ति को पीपीई (संयंत्र, उपकरण) में एक अलग वस्तु के रूप में पहचाना जाना है और यह शेष परियोजना/खान जीवन पर परिशोधित होता है।

प्रावधान का मूल्य छुट के प्रभाव के रूप में धीरे–धीरे समय पर बदला जाता है और इससे उत्पन्न व्यय की वित्तीय व्ययों के रूप में लिया जाता है।

इसके अलावा, अनुमोदित खान बंदीकरण योजना के अनुसार इस उद्देश्य के लिए एक विशेष एस्क्रो निधि खाता का रखरखाव किया जाता है।

कुल खदान बंदीकरण दायित्वों का हिस्सा बनने वाले वर्ष दर वर्ष के आधार पर किए जाने वाले प्रगतिशील खदान बंदीकरण व्ययों को प्रारंभिक रूप में एस्क्रो खाते से प्राप्य के रूप में पहचाना जाता है और उसके बाद उस वर्ष में दायित्व के साथ समायोजित।

2.10 अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति

अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों में पूंजीगत लागत शामिल होती है, जो कि कोयला और संबंधित संसाधनों की खोज के कारण होती है, जो तकनीकि व्यवहार्यता के निर्धारण तथा एक ऐसे संसाधन के वाणिज्यिक व्यवहार्यता क मूल्यांकन के लिए लंबित होती है जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल हैं।

- ऐतिहासिक अन्वेषण आंकड़ा का शोध तथा विश्लेषण;
- भौगोलिक, भौगोलिक–रासायनिक तथा भौगोलिक–शारीरिक अध्ययन के माध्यम से अन्वेषण के आंकड़े एकत्रित करना;
- खोजी वेधन, खाई–खुदाई एवं नमूना;
- संसाधनों की मात्रा एवं श्रेणी का निर्धारण और जाच;
- परिवहन एवं आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का पर्यवेक्षण;
- बाजार एवं वित्त अध्ययन का आयोजन।

उपर्युक्त मे कर्मचारियो के पारिश्रमिक, सामग्री की लागत तथा उपयोग की जानेवाली ईंधन, ठेकेदारो का भुगतान आदि शामिल है।

चूंकि अमूर्त घटक भविष्य के शोषण से खर्च किये जाने और पुनर्नवीनी की जानेवाली समग्र अपेक्षित मौखिक लागत का एक तुच्छ/अप्रभेद्य भाग का प्रतिनिधित्व करता है, इन लागतों को अन्य पूंजीगत अन्वेषण लागतों के साथ अन्वेषण तथा मूल्यांकन परिसंपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है।

अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत परियोजना–दर–परियोजना के आधार पर तकनीकि व्यवहार्यता तथा परियोजना की व्यवसायिक व्यवहार्यता के लंबित निर्धारण तथा गैर–मौजूदा परिसंपत्तियों के तहत एक अलग पंक्ति वस्तु के रूप में प्रकट किये जाते हैं। बाद में वे संचित हानि/प्रावधान को लागत में से कम करके मापे जाते हैं।

एक बार प्रमाणित होने के बाद कि भंडार का निर्धारण एवं खाना/परियोजनाओं का विकास मंजूर है, अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों को प्रगति में पूंजीगत कार्य के तहत "विकास" में स्थानांतरित की जाती है। यद्यपि, यदि प्रमाणित किये गये भंडार का निर्धारण नहीं किया जाता है, तो अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति को अस्वीकृत कर दिया जाता है।

2.11 विकास व्यय

जब प्रमाणित भंडार का निर्धारण किया जाता है तथा खानों/परियोजनाओं के विकास को मंजूर किया जाता है, पूंजीकृत अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत को परिसंपत्ति के निर्माण के रूप में पहचाना जाता है और "विकास" मद के तहत प्रगति में पूंजीगत कार्य के एक घटक के रूप मे प्रकट किया जाता है। इसके बाद के सभी विकास व्यय का भी पूंजीकरण किया गया है। विकास के चरण के दौरान निकाले जाने वाले कोयले की बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय का पूंजीकरण किया गया है।

व्यवसायिक संचालन

परियोजना/खानों को राजस्व में लाया जाता है ; जब टिकाऊ आधार पर उत्पादन देने के लिए एक परियोजना/खदान की व्यवसायिक तैयारी या तो परियोजना रिपोर्ट में बताई गई शर्तों के आधार पर या निम्न मापदंडों के आधार पर स्थापित की जाती है:

(ए) जिस वर्ष में अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, परियोजना के लिए निर्धारित क्षमता का 25 प्रतिशत भौतिक उत्पादन प्राप्त करता है, उस वर्ष के तुरंत बाद के वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से, या

(बी) कोयले को छूने के 2 साल, या

(सी) वित्तीय वर्ष के शुरूआत से जिसमें उत्पादन का मूल्य कुल खर्च से अधिक है।

जो भी घटना पहले घटित होती है ,

राजस्व में लाने जाने पर, पूंजीगत कार्य के तहत परिसंपत्ति को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के एक घटक के रूप में "अन्य खनन बुनियादी ढांचे" नामकरण के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। अन्य खनन आधारभूत संरचना को वर्ष से परिशोधित किया जाता है। जब खदान 20 वर्षों में राजस्व में लाया जाता है या परियोजना के कामकाजी जीवन से, जो भी कम हो।

2.12 अमूर्त परिसंपत्ति

अलग से अधिगृहित अमूर्त परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता लागत पर मापा जाता है। एक व्यापार संयोजन में हासिल की जानेवाली अमूर्त परिसंपत्ति की लागत अधिग्रहण की तारीख पर उसका उचित मूल्य है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त परिसंपत्तियां किसी भी संक्षिप्त परिशोधन (उनके उपयोगी जीवन के उपर सीधी रेखा के आधार पर की गई गणना) और संचित हानि के नुकसानों पर खर्च की जाती है, यदि कोई हो।

आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्तियां, पूंजीगत विकास लागत को छोड़कर, पूंजीकृत नहीं किये जाते हैं। इसके बजाय, संबंधित व्यय को उस अवधि में लाभ या हानि तथा अन्य व्यापक आय के विवरण में पहचाना जाता है जिसमें व्यय किया गया है। अमूर्त परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन को परिमित या अनिश्चित काल के रूप में मूल्यांकन किया जाता है। अमूर्त संपत्ति में विकृति होने के संकेत मिलने पर, परिमित जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्ति उनके उपयोगी आर्थिक जीवन से परिशोधित होती है एवं हानि के लिए मूल्यांकन की जाती है। परिशोधन अवधि एवं परिमित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त परिसंपत्ति के लिए परिशोधन विधि की कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन या परिसंपत्ति में अंकित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित पैटर्न में परिवर्तन को परिशोधन अवधि या विधि, जो भी उपर्युक्त हो, को संसोधन के लिए माना जाता है, और लेखा के अनुमानों में परिवर्तन के रूप में लिया जाता है। परिमित जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्ति पर परिशोधन व्यय को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दिया जाता है।

एक अनिश्चित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त परिसंपत्ति को परिशोधित नहीं किया जाता है बल्कि प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख पर हानि के लिए इसकी जांच की जाती है।

एक अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने से उत्पन्न लाभ या हानि को शुद्ध निपटान प्राप्त एवं परिसंपत्ति की वहन राशि के अंतर के रूप में मापा जाता है तथा लाभ और हानि के विवरण में इसे मान्यता प्राप्त होता है। बिक्री के लिए पहचाने जाने वाले या बाहर की एजेंसियों को बेचने के लिए प्रस्तावित ब्लॉकों के लिए अन्वेषण तथा मूल्यांकन परिसंपत्तियां (अर्थात सीआइएल के लिए अनिध ारित ब्लॉक) को यद्यपि अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और हानि के लिए परीक्षण किया गया है।

अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त सॉफ्टवेयर लागत का उपयोग करने के लिए कानूनी अधिकार की अवधि में सीधी रेखा विधि पर परिशोधन किया जाता है या 3 वर्ष के लिए, जो भी एक शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ न्यूनतम है।

2.13 परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी अनेक रिपोर्टिंग के अंत में आंकलन करती है कि यदि किसी परिसंपत्ति में विकृति आने का संकेत है। ऐसे किसी संकेत के मौजूद होने पर कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि, परिसंपत्ति या उपयोग में मौजूद नगद उत्पन्न करने वाले यूनिट के मूल्य एवं निपटारा लागत कम करने के उपरांत इसके अंकित मूल्य से

अधिक होता है और इसका निर्धारण व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए किया जाता है, जबतक कि परिसंपत्ति नगदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती जो कि काफी हद तक अन्य परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के समूह से स्वतंत्र होती है, उस स्थिति में नगद उत्पन्न करनेवाली इकाई के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित की जाती है जिसके लिए परिसंपत्ति संबंधित है। कंपनी व्यक्तिगत खानों को हानि के परीक्षण के उद्देश्य के लिए अलग नगदी उत्पन्न करने वाली इकाइयों के रूप में मानती है।

अगर किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि को उसकी वहन राशि से कम होने का अनुमान लगाया गया है तो परिसंपत्ति की वहन राशि इसके वसूली योग्य राशि से कम हो जाती है और इससे हुए हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.14 निवेश संपत्ति

वैसी संपत्ति (भूमि या भवन या किसी भवन का हिस्सा या दोनों) जिसे किराया या पूंजी की वृद्धि या दोनों के लिए रखा गया है, बजाय माल या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने अथवा व्यापार के साधारण क्रम में बिक्री के लिए, को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

निवेश संपत्ति की शुरूआत अपनी लागत पर होती है जिसमें संबंधित लेन–देन लागत तथा जहां कहीं भी लागू उधार लागत शामिल होता है।

निवेश गुणों में अवमूल्यन उसके अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए होता है।

2.15 वित्तीय साधन

वित्तीय साधन एक ऐसा अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और किसी अन्य इकाई के वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को उत्पन्न करता है।

2.15.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

2.15.1.1 प्रारंभिक मान्यता और मापन

वैसे सभी वित्तीय परिसंपत्तियाँ को, जिनको लाभ हानि विवरण के माध्यम से अंकित मूल्य में नहीं दर्ज किया गया है तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के कारण उत्पन्न लेन–देन लागत के संबंध में, प्रारंभिक रूप से अंकित मूल्य पर मान्यता दिया जाता है। खरीदारी या वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री, जो बाजार में मौजूद नियमन या प्रथा के द्वारा स्थापित किए गए समय सीमा के अंदर परिसंपत्तियों के देनदारी के लिए जरूरी होता है, को व्यापार तिथि पर मान्यता प्राप्त होता है, यानि जिस तारीख पर कम्पनी परिसंपत्ति की खरीदारी या बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होती है।

2.15.1.2 बाद के मापन

बाद के मापन के उद्देश्यों के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है :

- परिशोधित लागत पर ऋण साधन।
- अन्य व्यापक आय (एफ भी टी ओ सी आई) के माध्यम से अंकित मूल्य पर ऋण साधन।
- लाभ और हानि (एफ भी टी पी एल) के माध्यम से अंकित मूल्य पर ऋण साधन, व्युत्पन्न एवं इक्विटी साधन ।
- अन्य व्यापक आय (एफ भी टी ओ सी आई) के माध्यम से अंकित मूल्य पर मापे गए इक्विटी साधन।

2.15.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण साधन

ऋण साधन को परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि निम्न स्थितियाँ पूरी होती है :

(ए) परिसंपत्ति को एक व्यापार प्रतिमान के अंदर रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदागत नगदी को प्रवाह एकत्रित करने के लिए परिसंपत्ति रखना है, और

(बी) परिसंपत्ति के अनुबंध संबंधी शर्तें निर्दिष्ट तिथियों में नगदी प्रवाह को उत्पन्न करते हैं जो कि बकाया मूलधन राशि पर सिर्फ मूलधन एवं ब्याज (एस पी पी आई) का भुगतान होता है।

प्रारंभिक माप के बाद ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (ई आई आर) पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर प्रीमियम या कटौती तथा फीस या लागत जो कि ई आई आर का अभिन्न अंग होता है। ई आई आर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्तीय आय के रूप में शामिल किया गया है। विकृति के कारण उत्पन्न हानियो को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.15.2.2 एफवीटीओसीआई पर ऋण साधन

ऋण साधन को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्न दोनों मानदंड पूरे हो जाते हैं :

(ए) व्यापार प्रतिमान का उद्देश्य दोनों संविदागत नगदी प्रवाह को एकत्र करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर हासिल किया जाता है, और

(बी) परिसंपत्ति के नगदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को शुरूआत में ही तथा साथ ही साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य चलन को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में लिया जाता है। यद्यपि कम्पनी, ब्याज आय, विकृति हानि एवं उत्क्रमण तथा विदेशी विनिमय से संबंधित लाभ या हानि को, लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता देती है। परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने पर ओसीआई में पहले सेमान्यता प्राप्त संचेय लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ/हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई ऋण साधन रखने पर ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में अर्जित ब्याज को दर्ज किया जाता है।

2.15.2.3 एफवीटीपीएल पर ऋण साधन

एफवीटीपीएल ऋण साधनों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। किसी भी ऋण साधन, जो वर्गीकृत किए गए मानदंडों को परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के रूप पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अलावा, कम्पनी एक ऋण साधन नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफवीटीपीएल के अनुसार परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मानदंडों को पूरा करती है। यद्यपि ऐसे चुनाव की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब कोई माप या मान्यता असंगतता को कम कर देता है या समाप्त कर देता है (जिसे "बेमेल लेखा" कहा जाता है)। कम्पनी ने किसी भी ऋण साधन को एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को उचित मूल्य पर मापा जाता है, जिसमें लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तन मौजूद होते हैं।

2.15.2.4 सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 101 (भारतीय लेखा मानक का पहली बार अंगीकरण) पारगमन की तिथि पर पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि को स्वीकृत लागत के रूप में माना जाता है। इसके बाद सहायक, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश को लागत पर मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेशों का लेखाकरण भारतीय लेखा मानक 28 के पारा 10 में वर्णीत इक्विटी विधि के अनुसार किया जाता है।

2.15.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में अन्य सभी इक्विटी निवेशों को लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी साधनों के लिए, कंपनी उचित मूल्य में व्यापक आय के बाद के बदलाव में प्रस्तुत करने के लिए अटल चुनाव कर सकती है।

कम्पनी इस तरह के चुनाव साधन–दर–साधन के आधार पर करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और यह अपरिवर्तनीय होता है।

अगर कम्पनी एफवीटीओसीआई पर आधारित इक्विटी साधन को वर्गीकृत करने का फैसला करती है, तो लाभांशों को छोड़कर, साधन पर सभी उचित मूल्यो में परिवर्तनों को ओसीआई में लिया जाता है। इन राशियों का ओसीआई से लाभ एवं हानि में किसी भी प्रकार का पुनर्वृति नहीं होता है, निवेशों के बिक्री पर भी नहीं। यद्यपि कम्पनी इक्विटी के तहत संचयित लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी के अंदर शामिल इक्विटी साधनों को लाभ एवं हानि में लिये गये सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.15.2.6 अस्वीकृति

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का हिस्सा) की मान्यता को मुख्यतः समाप्त (अर्थात, कम्पनी के समेकित तुलन पत्र से हटाई गई) किया जाता है जब :

- ❖ परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार की समय सीमा समाप्त हो गई है, या
- ❖ कम्पनी ने परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या "पास–थ्रू" व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को बिना भौतिक देरी के पूरी तरह से प्राप्त नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए एक दायित्व को ग्रहण किया है : और या तो (ए) कम्पनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों एवं पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है, या (बी) कम्पनी ने न तो स्थानांतरण किया है और न ही परिसपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को संभाल कर रखा है, बल्कि परिसंपत्ति पर नियंत्रण को स्थानांतरित कर दिया है।

जब कंपनी परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या पास–थ्रू व्यवस्था में प्रवेश किया है, तो यह मूल्यांकन करता है कि क्या और किस हद तक इसने स्वामित्व के जोखिमों एवं पुरस्कारों को संभाल कर रखा है। जब यह न तो स्थानांतरित हो गया है और न ही परिसंपत्ति के सभी जोखिमों एवं पुरस्कारों को बनाए रखा है, न ही परिसंपत्ति का स्थानांतरण किया है, कम्पनी अपने निरंतर सहभागिता की सीमा तक स्थानांतरित परिसंपत्ति को मान्यता देता रहता है। उस मामले में, कम्पनी एक संबद्ध दायित्व को भी मान्यता देती है। स्थानांतरित किये गये परिसंपत्ति एवं संबद्ध देयता को इस आधार पर मापा जाता है कि वह कम्पनी के द्वारा रखे गये अधिकारों एवं दायित्वों को दर्शाता है। स्थानांतरित परिसंपत्ति पर गारंटी का आकार लेने वाली सतत् भागीदारी को, संपत्ति के मूल वहन राशि एवं कम्पनी के द्वारा विचाराधीन अधिकतम चुकाने की राशि, में से न्यूनतम पर मापा जाता है।

2.15.2.7 वित्तीय परिसंपत्तियों की विकृति/हानि

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कम्पनी अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) प्रतिमान को मापने और निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों एवं खुले हुए क्रेडिट जोखिम पर हानि के नुकसान की पहचान करती है :

(ए) वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो कि ऋण साधन है, और परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं जैसे कि ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा, व्यापार प्राप्य एवं बैंक शेष।

(बी) वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो कि ऋण साधन है और एफभीटीओसीआई पर मापी जाती है

(सी) भारतीय लेखा मानक 17 के तहत प्राप्य पट्टे

(डी) व्यापार प्राप्तियाँ या नकद या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति, जो कि भारतीय लेखा मानक 11 एवं भारतीय लेखा मानक 18 के सीमा के अंदर हुए लेनदनों के कारण उत्पन्न होता है, को प्राप्त करने के लिए कोई संविदात्मक अधिकार।

निम्नलिखित पर विकृति हानि भत्ता के मान्यता के लिए कम्पनी ''सरलीकृत दृष्टिकोण को अनुसरण करती है :

- ❖ व्यापार प्राप्य या संविदा राजस्व प्राप्य; तथा
- ❖ भारतीय लेखा मानक 17 के सीमा के अंदर हुए लेनदेन के कारण उत्पन्न सभी पट्टे प्राप्तियॉ

सरलीकृत दृष्टिकोण की अनुप्रयोग के लिए कम्पनी को क्रेडिट जोखिम मे होने वाले परिवर्तनों को पता लगाने की जरूरत नहीं होती है। बल्कि इसे प्रारंभिक मान्यता से शुरू प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर जीवन भर के इसीएल के आधार पर विकृति हानि भत्ता को मान्यता देती है।

2.15.3वित्तीय देनदारियाँ

2.15.3.1 प्रारंभिक मान्यता एवं मापन

कम्पनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार एवं अन्य देनदारियां, बैंक ओवरड्राफ्ट सहित ऋण एवं उधार शामिल है।

सभी वित्तीय देनदारियों को प्रारंभिक रूप मे अंकित मूल्य पर लिया जाता है और, ऋण और उधार तथा देनदारियों के मामले में, प्रत्यक्ष तौर पर आरोपित लेन–देन लागतों का निबल राशि।

2.15.3.2 बाद के मापन

वित्तीय देनदारियों का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जो कि नीचे वर्णित है :

2.15.3.3 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियाँ

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित व्यापारिक एवं वितीय देनदारियों के लिए वित्तीय देयताएं शामिल होते हैं। वित्तीय देयताओं को व्यापार के लिए रखे जाने के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इस श्रेणी में कम्पनी द्वारा दर्ज वैसे व्युत्पन्न वित्तीय साधनों को भी शामिल किया गया है जिन्हे भारतीय लेखा मानक 109 के द्वारा परिभाषित हेज संबंध में हेजिंग साधन के तौर पर नामित नहीं किया गया है। अलग अलग एमबेडेड डेरीवेटिब्स को भी ट्रेडिंग के लिए वर्गीकृत किया जाता है, जबतक उन्हें प्रभावी हेजिंग साधन के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए रखे गये देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ–हानि में लिया जाता है।

लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता के रूप में नामित वित्तीय देनदारियों को इस प्रकार मान्यता की प्रारंभिक तारीख पर नामित किया जाता है, यदि भारतीय लेखा मानक 109 में दिये गये मानदंडों की संतुष्टि होती है। एफवीटीपीएल के रूप में नामित देनदारियों के रूप में, ओसीआई में स्वयं के क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य लाभ/हानि को मान्यता दी जाती है। ये लाभ/हानि बाद में लाभ एवं हानि में हस्तांतरित किये जाते हैं। यद्यपि कम्पनी इक्विटी के तहत संचित लाभ या हानि को हस्तांतरित कर सकती है। ऐसे दायित्व के उचित मूल्य में अन्य सभी परिवर्तन लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दिए जाते हैं। कंपनी ने लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में किसी वित्तीय देयता को निर्दिष्ट नहीं किया है।

2.15.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देनदारियाँ

प्रारंभिक मान्यता के बाद, इन्हें प्रभावी ब्याज दर विधि के द्वारा बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ या हानियों को तभी लाभ या हानि में मान्यता दिया जाता है जब देनदारियों को प्रभावी ब्याज दर परिशोधन विधि के माध्यम से साथ ही साथ असंबद्ध किया जाता है। परिशोधित लागत की गणना, कोई भी कटौती या अधिग्रहण पर प्रीमियम एवं फीस या लागत, जो कि प्रभावी

ब्याज दर के अभिन्न अंग होते हैं, को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को वित्तीय लागत के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया जाता है। सामान्यतः यह श्रेणी उधार लेने की स्थिति पर लागू होती है।

2.15.3.5 अस्वीकृति

एक वित्तीय देयता की मान्यता को समाप्त किया जाता है जब देनदारियों के अन्तर्गत दायित्व का निर्वाह किया जाता है या रद्द या समाप्त किया जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणदाता से काफी भिन्न शब्दों पर बदल दिया जाता है, या मौजूदा दायित्व की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो इस तरह के विनिमय या संशोधन को मूल उत्तरदायित्व की मान्यता और नई देनदारी की मान्यता के रूप में माना जाता है। वित्तीय देयताओ (या वित्तीय देनदारी का हिस्सा) के वहन राशि जो कि समाप्त हो चुके हैं या दूसरी पार्टी को हस्तांतरित किए गए हैं एवं कोई भी गैर नगद परिसंपत्ति हस्तांतरित किया गया या माने गए देयताओं के बीच के अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दिया जाएगा।

2.15.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

कम्पनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियो का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी साधन एवं वित्तीय देनदारियां है। वैसे वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण साधन हैं, पुनर्वर्गीकरण तभी किया जाता है यदि उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यापार प्रतिमान में कोई बदलाव किया गया हो। व्यापारिक प्रतिमान में होनेवाले बदलाव के लिए विलक्षण होने की संभावना है। कम्पनी के वरिष्ठ प्रबंधन, व्यापार के प्रतिमान में परिवर्तन को बाहरी या आंतरिक परिवर्तन के परिणाम के रूप में निर्धारित करता है जो कम्पनी के सचालन के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे परिवर्तन बाह्य पक्षों के लिए स्पष्ट होता है। व्यवसाय प्रतिमान में बदलाव तब होता है जब कम्पनी या तो शुरू होती है या किसी गतिविधि को पूरा करने के लिए समाप्त होती है जो कि उसके संचालन के लिए महत्वपूर्ण होती है। यदि कम्पनी वित्तीय परिसंपत्तियों को पुनर्वर्गीकृत करती है तो यह पुनर्वर्गीकरण की तारीख से पुनः परिष्करण पर लागू होता है जो व्यापार प्रतिमान में बदलाव के तुरंत बाद अगली रिपोर्टिंग अवधि का पहला दिन होता है। कम्पनी पहले से किसी भी मान्यता प्राप्त लाभ, हानि (विकृति के कारण लाभ या हानि सहित) या ब्याज को पुनर्लिखित नहीं करती है।

निम्नलिखित तालिका में विभिन्न पुनर्वर्गीकरणों को एवं उनके लेखाकरण के तरीकों को दिखलाया गया है।

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखा उपचार
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	उचित मूल्य को पुनर्वर्गीकरण तारीख पर मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत एवं अंकित मूल्य के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि में लिया जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर उचित मूल्य नई समेकित वहन राशि बन जाती है। ईआईआर की गणना नई समेकित वहन राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	उचित मूल्य को पुनर्वर्गीकरण तारीख पर मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत एवं उचित मूल्य के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि में लिया जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर उचित मूल्य नई समेकित वहन राशि बन जाती है। यद्यपि ओसीआई में संचयी लाभ या हानि को उचित मूल्य के विरूद्ध समायोजित किया जाता है। बाद में, परिसंपत्ति को इस प्रकार मापा जाता है मानो कि यह परिशोधित लागत पर हमेशा मापा गया था।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर उचित मूल्य नई समेकित वहन राशि बन जाती है। अन्य कोई समायोजन की जरूरत नहीं है।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	परिसंपत्तियों को निरंतर उचित मूल्य पर मापा जाता है। ओसीआई में लिये गये पहले से संचयी लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर लाभ या हानि में वर्गीकृत किया जाता है।

2.15.5 वित्तीय साधनों का प्रति संतुलन

वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देनदारियों को प्रति संतुलित कर दिया जाता है तथा समेकित तुलन पत्र में निबल राशि की सूचना दी जाती है यदि, वर्तमान में मान्यता प्राप्त राशियों को प्रति संतुलित करने के लिए कानूनी अधिकार होता है तथा परिसंपत्तियों को प्राप्त करने एवं देयदारियों का निपटारा एक साथ करने के लिए, निबल आधार पर निपटारा करने का इरादा हो।

2.15.6 नगद एवं नगद समतुल्य

तुलन–पत्र में नगद एवं नगद समतुल्य के अन्दर तीन महीने या उससे कम की परिपक्वता वाले छोटी अवधि के जमा तथा बैंकों एवं हाथ में नगद राशि दर्शायी गयी है, जो कि मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन है। नगद प्रवाह के समेकित विवरण के लिए उपरोक्त नगद एवं नगद समतुल्य के अन्दर नगद एव्र छोटी अवधि जमा, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट का निबल को रखा गया है, क्योंकि इन्हें कम्पनी के नगद प्रबंधन का अभिन्न अंग माना गया है।

2.16 उधार लेने की लागत

उधार लेने की लागत व्यय के रूप में खर्च कर दी जाती है इस अपवाद के साथ, जहां वे योग्य संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से श्रेय दे रहे हैं अर्थात, जो परिसंपत्तियाँ इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेते हैं, उस मामले में उस परिसंपत्ति के लागत में हिस्से के रूप में, योग्य परिसंपत्ति के अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने की तारीख तक पूंजीकृत होते हैं।

2.17 कर आरोपन

आयकर व्यय वर्तमान में देय तथा स्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर एक निश्चित अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर नुकसान) के संबंध में आयकर देय (वसूली) की राशि है। लाभ या हानि के विवरण एवं अन्य व्यापक आय में दर्ज होने के अनुसार योग्य लाभ, (आयकर से पहले लाभ) से अलग होता है क्योंकि इसमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कि अन्य वर्षों में कर योग्य या घटाया जा सकता है और फिर इसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कभी भी कर योग्य या घटाने लायक नहीं होते हैं। मौजूदा कर के लिए कम्पनी की देनदारी उन करों का उपयोग करके गणना की गई है जिसे अधिनियमित किया गया है या रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वास्तविक रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर देनदारियों को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थाई अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्ति आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थाई अंतर के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त होती है जहाँ संभावित है कि कर योग्य मुनाफा उपलब्ध होगा, जिसके साथ उन घटाने योग्य अस्थाई अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी परिसंपत्तियो एवं देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है यदि अस्थाई अंतर सदभावना से या प्रारंभिक मान्यता (व्यापार संयोजन के अलावा) से अन्य परिसंपत्तियों या देनदारियों के लेनदेन से उत्पन्न होता है जो न तो कर योग्य लाभ और न ही लेखा लाभ को प्रभावित करता है।

आस्थगित कर देनदारियों को अनुषंगियों एवं सहयोगी कम्पनियों में निवेश से संबंधित कर–योग्य अस्थाई अंतर के लिए लिया जाता है सिवाय उस स्थिति में जहाँ कम्पनी अस्थाई अंतर के उत्क्रमण को नियंत्रित करने में सक्षम है तथा यह संभव है कि अस्थाई अंतर निकट भविष्य में बदल नहीं जाएगा। आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ इस प्रकार के निवेशों एवं हितों से संबद्ध कटौती योग्य अस्थाई अंतरों से उत्पन्न होनेवाले आस्थगित कर परिसंपत्ति को सिर्फ उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ यह संभव है कि अस्थाई अंतरों के लाभ को उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ मौजूद होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक कम की जाती है कि यह संभावित नहीं है कि संपत्ति सभी या हिस्से को पुनर्प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कर योग्य मुनाफा उपलब्ध होगा। अमान्य स्थगित कर परिसंपत्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में पुनर्मुल्यांकन किया जाता है और इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित हो गया है कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या हिस्से को पुनर्प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्ति एवं देनदारियों को कर की दर से मापा जाता है जो कि उस अवधि में लागू होने की उम्मीद की जाती है, जिसमें देयता का निपटारा होता है या परिसंपत्ति की प्राप्ति होती है, कर दर (और कर कानून) के आधार पर लागू किया जाता है जिसे अधिनियमित किया गया है या रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वास्तविक रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर देनदारियों एवं परिसंपत्तियों का माप, कर परिणामों को दर्शाता है जो कि कम्पनी की उम्मीद के अनुसार चलता है ताकि कम्पनी के परिसंपत्ति एवं देयताओं के वहन राशि का वसूली या निपटारा हो जाए।

वर्तमान और आस्थगति कर को लाभ या हानि में पहचाना जाता है सिवाय, जब वे अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में पहचाने गये वस्तुओं से संबंधित होते हैं, जिस मामले में वर्तमान और आस्थगित कर भी अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त होते हैं। जब मौजूदा कर या आस्थगित कर एक व्यापार संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखा से उत्पन्न होता है तब कर प्रभाव को व्यापार संयोजन के लिए लेखांकन मे शामिल किया जाता है।

2.18 कर्मचारी लाभ

2.18.1 लघु–अवधि के लाभ

सभी अल्प–कालिक कर्मचारी लाभ उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें वे खर्च किये गये हैं।

2.18.2 रोजगारोंपरांत लाभ तथा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

2.18.2.1 परिभाषित योगदान योजनाएँ

एक परिभाषित योगदान योजना प्रोविडेन्ट फंड एवं पेंशन के लिए रोजगारोपरांत लाभ योजना है जिसके तहत कंपनी कानून के एक अधिनियम के तहत गठित एक सांविधिक निकाय (कोयला खान भविष्य निधि) द्वारा रखी गयी निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कम्पनी के पास कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा या अधिक मात्रा में भुगतान करने के लिए।

2.18.2.2 परिभाषित लाभ योजना

परिभाषित लाभ योजना एक परिभाषित योगदान योजना के अलावा रोजगारोंपरांत लाभ योजना है। ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण, परिभाषित लाभ योजनाएं (लाभों पर उपरी सीमा के साथ) होती हैं। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कम्पनी की शुद्ध दायित्वों को भविष्य लाभ की राशि का आंकलन करके गणना की जाती है, जो कि कर्मचारियों ने अपनी सेवा के बदले वर्तमान एवं पूर्व की अवधि में अर्जित किया है। यदि कोई हो, तो लाभ के वर्तमान मूल्य की गणना के लिए इसे कटौती पश्चात योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से घटा दिया जाता है। छूट की दर रिपोर्टिंग तिथि पर भारत सरकार प्रतिभूति के प्रचलित बाजार देय पर आधारित होती है जिनकी, कम्पनी के दायित्वों के अवधियों की सीमितीकरण द्वारा प्राप्त, परिपक्वता तिथियां होती है तथा वे उसी मुद्रा में नामित होते हैं जिसमें लाभों को भुगतान करने का अनुमान है।

वास्तविक मूल्यांकन के प्रयोग में, कटौती दर के बारे में अनुमानों को बनाने, परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्राप्ति दर, भविष्य की वेतन वृद्धियां, मरणशीलता दर इत्यादि शामिल होते हैं। इन सब योजनाओं के दीर्घकालीन स्वभाव के कारण इस प्रकार के अनुमानों में अनिश्चितता रहती है। प्रत्येक तुलन पत्र पर गणना बीमांकित के द्वारा प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए की जाती है। जब गणना परिणाम कम्पनी के हित में होती है तो मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति को योजना में भविष्य योगदानों में कटौती या योजना से प्राप्त कोई भवि य वापसी धन के रूप में मौजूद आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य तक परिसंपत्ति को सीमित किया जाता

है। कम्पनी को आर्थिक लाभ तब मिलता है जब यह योजना के जीवन काल के दौरान प्राप्त करने योग्य हो या, योजना देनदारियों के निपटारे पर।

परिभाषित निबल लाभ देयता का पुनर्मापन जिसमें योजना परिसंपत्तियों (ब्याज छोड़कर) पर प्राप्ति एवं परिसंपत्तियों की सीमांकन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, वैसे वास्तविक लाभ तथा हानि शामिल होते हैं जिन्हें तैयार किया जाता है, को अन्य विस्तृत व्यापक आय में तुरंत मान्यता दिया जाता है। कम्पनी अवधि के लिए परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) के निबल राशि पर प्राप्त होनेवाली निबल ब्याज व्यय (आय) का निर्धारण परिभाषित लाभ दायित्व में मापने के लिए उपयोग किये जानेवाले कटौती दर का इस्तेमाल करती है। परिभाषित लाभ योजना से संबंधित निबल ब्याज व्यय एवं अन्य व्ययों की लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त होता है।

जब योजना के लाभ में सुधार होता है तब बढ़े हुए लाभ के हिस्से – कर्मचारियों के पूर्व में सेवा के द्वारा, को लाभ–हानि विवरण व्यय के रूप में शीघ्र लिया जाता है।

2.18.3 अन्य कर्मचारी लाभ

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ जैसे कि एलटीए, एलटीसी, लाइफ कवर स्कीम, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, सेटलमेंट भत्ता, सेवानिवृति के बाद चिकित्सा लाभ योजना एवं खान दुर्घटनाओं में मृतक के आश्रितों को मुआवजे आदि को परिभाषित लाभ योजना के लिए उपर वर्णीत अनुसार उसी आधार पर मान्यता प्राप्त होता है। इन लाभों का विशिष्ट निधि नहीं है।

2.19 विदेशी मुद्रा

कम्पनी की रिपोर्ट की मुद्रा एवं उसके संचालन के लिए कार्यात्मक मुद्रा भारतीय मुद्रों में है (भारतीय मुद्रा) जो कि आर्थिक वातावरण का मुख्य मुद्रा है जिसमें कम्पनी संचालित होती है। विदेशी मुद्राओं में लेन–देन को, लेन देन तारीख में प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके कम्पनी की सूचित मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में नामित मौद्रिक परिसंपत्ति एवं देनदारी, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर अनुवादित होती है। मौद्रिक परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के निपटारे पर या मुद्रा की परिसंपत्तियों और देनदारियों के उन दरों से अलग होने पर अंतर जो उस अवधि या पिछले वित्तीय विवरणों में प्रारंभिक मान्यता पर अनुवादित किए गए थे, अवधि में लाभ या हानि के बयान में लिये जाते हैं जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

लेन–देन की तारीख को प्रचलित विनिमय की दरों पर विदेशी मुद्रा में निहित गैर–मौद्रिक वस्तुओं का मूल्यांकन किया जाता है।

विदेशी मुद्रा में नामित गैर–मौद्रिक वस्तुओं का मुल्यांकन लेन–देन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर किया जाता है।

2.20 स्ट्रीपिंग गतिविधि व्यय/समायोजन

खुली खदान के संबंध में, कोयले की प्राप्ति एवं इसके निष्कर्षण के लिए खान की बेकार पदार्थों (ओवरबर्डेन), जो कि कोल सीम के उपरी सतह पर मिट्टी एवं चट्टान का बना होता है, को हटाना जरूरी होता है। इस ओवरबर्डेन को हटाने की गतिविधि को ''स्ट्रीपिंग'' कहा जाता है। खुली खदानो के संदर्भ में, कंपनी को इस तरह की व्ययों का वहन, खान के पूरी जीवन की अवधि तक करना पड़ता है (सीएमपीडीआईएल के द्वारा तकनीकि आंकलन किया जाता है एवं इसे परियोजना रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है)।

अतः, एक नीति के तहत, एक मिलियन प्रति वर्ष एवं उससे ज्यादा के रेटेड क्षमता वाले खानों में, स्ट्रीपिंग की लागत को खानों को राजस्व में लाने के बाद स्ट्रीपिंग गतिविधि परिसंपत्ति एवं अनुपात–विचलन लेखा के लिए जरूरी समायोजन के साथ, प्रत्येक खान पर तकनीकि रूप से आकलित औसत स्ट्रीपिंग अनुपात (कोयला : ओबी)पर चार्ज किया जाता है। स्ट्रीपिंग गतिविधि परिसंपत्ति एवं अनुपात–विचलन के निबल शेषों के तुलन पत्र में गैर–मौजूद परिसंपत्ति/गैर–मौजूद प्रावधानों के मद के तहत, जैसा भी केस हो, स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन के रूप में तुलन–पत्र में दिखलाया जाता है।

ओबीआर लेखा के लिए अनुपात की गणना हेतु रिकार्ड के अनुसार दर्ज ओबीआर की मात्रा को महत्व दिया जाता है, जहाँ दर्ज की गई मात्रा एवं मापी हुई मात्रा के बीच विचलन, दो स्वीकार्य विकल्प सीमाओं में से न्यूनतम के अंदर होता है जिससे नीचे लिखे तालिका में दिखाया गया है।

खान के ओबीआर का वार्षिक मात्रा	विचलन की स्वीकार्य सीमा %
1 मिलियन क्यू. मी. से कम	+/- 5%
1 एवं 5 मिलियन क्यू. मी. के बीच	+/- 3%
5 मिलियन से अधिक	+/- 2%

यद्यपि, जहाँ पर विचलन उपरोक्त स्वीकार्य सीमा से अधिक है, मापी गई मात्रा को महत्व दिया जाता है।

रेटेड क्षमता 1 मिलियन टन से कम वाली खानों के संदर्भ में, उपरोक्त नीति नहीं अपनाई जाती है एवं वर्ष के दौरान स्ट्रीपिंग गतिविधियों पर खर्च हुई वास्तविक लागत को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकारा जाता है।

2.21 संपत्ति सूची

2.21.1 कोयले का स्टॉक

कोयले/कोक के संपत्ति–सूची को लागत के न्यूनतम पर एवं शुद्ध प्राप्तियोग्य मूल्य पर लिखा जाता है। संपत्ति–सूची की गणना प्रथम आवक और प्रथम निर्गत विधि के द्वारा किया जाता है। निबल प्राप्ति योग्य मूल्य, समाप्ति के सभी अनुमानित लागतों एवं विक्रय करने के लिए जरूरी लागतों को घटाते हुए, प्राप्त अनुमानित संपत्ति–सूची विक्रय मूल्य को वर्णीत करती है।

कोयले के दर्ज भंडार को लेखा में स्वीकारा जाता है जहाँ दर्ज भंडार तथा 15 प्रतिशत तक मापी गई भंडार के बीच विचलन एवं उन केसों में जहाँ विचलन 5 प्रतिशत से ज्यादा है, मापे गए भंडार को स्वीकारा जाता है। इस प्रकार के भंडार का मूल्यांकन, निबल प्राप्ति योग्य मूल्य या लागत, दोनों जो कम हो, के आधार पर किया जाता है। कोक को कोयले के भंडार का अंश के रूप में समझा जाता है।

कोयले तथा कोक–फाइन्स को लागत या निबल प्राप्तियोग्य मूल्य में से न्यूनतम पर मूल्यांकित किया जाता है तथा इन्हें कोयले के भंडार के अंश के रूप में समझा जाता है।

स्लटी (कोकिंग/अर्द्ध कोकिंग), मिडलिंग (वाशरी के) तथा उप–उत्पादनों को निबल प्राप्ति योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और इन्हें कोयले के भंडार के अंश के रूप में समझा जाता है।

2.21.2 मण्डार एवं कलपूर्जे

केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय स्टोर्स में मौजूद स्टोर्स में मौजूद स्टोर्स एवं स्पेयर पार्ट्स के भंडार को मूल्यकृत स्टोर्स खाता बही में अनिवार्य शेषों के रूप में समझा जाता है तथा इन्हें पारित औसत विधि के आधार पर गणना किए गए लागत के रूप में मूल्यांकन किया जाता है। कालरियों/उप–स्टोर्स/ड्रीलिंग कैंपों/उपभोग केन्द्रों के संपत्ति–सूची को वर्ष के अंत में सिर्फ व्यक्तिगत रूप से जांचे हुए स्टोर्स के अनुसार, समझा जाता है तथा उन्हें लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

ठीक नहीं करने योग्य, बिगड़े हुए एवं पुराने पड चुके स्टोर्स के लिए 100 प्रतिशत के दर से प्रावधान किया है तथा 5 वर्षों से नहीं निकाले गए वैसे स्टोर्स एवं स्पेयर्स के लिए 50 प्रतिशत की दर से प्रदान किया है।

2.21.3 अन्य संपत्ति–सूची

वर्कशॉप कार्यों जिनमें प्रगति में कार्य शामिल होते हैं, को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। प्रेस कार्यों के भंडार (प्रगति

में कार्य शामिल) एवं प्रिंटिंग प्रेस में स्टेशनरी तथा केन्द्रीय अस्पताल में दवाओं को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

यद्यपि, स्टेशनरी के भंडार (प्रिंटींग प्रेस में पड़े हुए के अलावा), ईंटों, बालु, दवा (केन्द्रीय अस्पताल को छोड़ कर), एयरक्राफ्ट स्पेयर्स एवं स्क्रैप को संपत्ति–सूची में नहीं स्वीकारा जाता है। इस सोच के साथ कि उनके मूल्य उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं।

2.22 प्रावधान, आकस्मिक देयता एवं आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

प्रावधानों को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी के पास, बीते हुए घटनाओं के कारण वर्तमान देनदारियाँ/देयताएँ (कानुनी या रचनात्मक) होती है, और यह संभावित है कि आर्थिक लाभों की बाह्य प्रवाह दायित्व के निपटारे के लिए जरूरी होगी तथा दायित्व के राशि का एक विश्वसनीय आकलन बनाया जा सकेगा। जहाँ रुपये का समय–मूल्य वस्तु है, प्रावधानों को, दायित्व के निपटारे के लिए अनुमानित व्यय की वर्तमान मूल्य पर लिखा जाता है।

सभी प्रावधानों को प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख पर समीक्षा किया जाता है एवं मौजूदा बेहतरीन आकलन को प्रतिविम्बित करने के लिए, समायेजित कि जाता है।

जहाँ यह संभावित नहीं है कि आर्थिक लाभों को, बाह्य प्रवाह की आवश्यकता होगी, या राशि का विश्वसनीय तरीके से आकलन नही किया जा सकेगा, दायित्व को आकस्मिक देयता के रूप में दिखलाया जाता है, जबतक कि आर्थिक लाभों के बाह्य प्रवाह की संभावना दूर नहीं है। संभावित दायित्वों, जिनका अस्तित्व, कंपनी के पूर्ण नियंत्रण में नहीं रहने वाले एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं के होने या न होने के द्वारा ही सिर्फ सुनिश्चित होगी, को भी आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाता है जबतक कि आर्थिक लाभों के बाह्य प्रवाह की संभावना दूर है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तिय विवरणों में नहीं लिया जाता है। यद्यपि, जब आय की वसुली एकदम से निश्चित है, तब संबंद्ध परिसंपत्ति आकस्मिक परिसंपत्ति आकस्मिक परिसंपत्ति नहीं होता है और इसकी स्वीकार्यता उपयुक्त है।

2.23 प्रति शेयर कमाई/आय

मूल्य आय प्रतिशेयर की गणना, कर के बाद निबल लाभ की अवधि के दौरान बकाये इक्विटी शेयरों के भारित औसत सख्या के द्वारा भाग दे कर की जाती है। मिश्रित आय प्रति शेयर की गणना, प्रतिशेयर मूल आय की प्राप्ति के लिए स्वीकार्य गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद लाभ को भाग देकर की जाती है तथा इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के द्वारा भी, जिसे कि सभी मिश्रित भावी इक्विटी शेयरों के रूपांतरण के पश्चात निर्गत किया जा सकता था।

2.24 निर्णय, आकलन तथा मान्यताएँ

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तिय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को आकलनों, निर्णय एवं मान्यताओं का निर्माण करना होता है जो कि लेखा नीतियों के अनुप्रयोग तथा परिसंपत्तियों एवं देयता की दर्ज राशि, वित्तीय विवरण की तारीख पर आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं का प्रकटीकरण और रिर्पोटिंग अवधि के दौरान राजस्व की राशि एवं व्यय को प्रभावित करता है। इन वित्तीय विवरणों में लेखा नीतियों के अनुप्रयोग जिसमें जटिल एवं विषयात्मक निर्णय शामिल हैं, तथा मान्यताओं के उपयोग को प्रदर्शित किया जाता है। लेखा आकलन समय के साथ परिवर्तित हो सकता है। वास्तविक परिणाम एवं आकलित परिणामों में अंतर हो सकता है। आकलन एवं जुड़े हुए मान्यताओं की समीक्षा एक सतत आधार पर की जाती है। लेखा आकलन में पुनरीक्षण, को आकलन पुनरीक्षण के अवधि में मान्यता दी जाती है तथा, अगर वस्तु है, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों के टिप्पणियों में प्रदर्शित किया जाता है।

2.24.1 निर्णय

कंपनी के लेखा नीनियों को लागू करने के पद्धति मे, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णयों का निर्माण किया है, जो समेकित वित्तीय विघटनों में लिए गए राशियों पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है।

2.24.1.1 लेखा–नीतियों का प्रतिपादन

लेखा–नीतियों को इस प्रकार प्रतिपादित किया जाता है कि वि. वि. में लेन–देन संबंधी सार्थक एवं विश्वसनीय सूचना अन्य

घटनाओं एवं शर्तों जिसमें वे लागू होते हैं, परिणम स्वरूप प्रदर्शिल हों। इन नीतियों को लागू करने को जरूरत नहीं जब उनके लागु करने का प्रभाव मायने ना रखता हो।

लेन–देन के संबंध में विशेष रूप से लागु होने वाली भारतीय लेखा मानक, अन्य घटना या शर्त की अनुपस्थिति में, प्रबंधन ने अपने निर्णय को विकसित करने में एवं लेखा–नीति लागू करने के लिए उपयोग किया है जिसके परिणाम स्वरूप निम्न सूचनाएं मिलती है यानि :

(ए) उपयोग कर्त्ता के आर्थिक निर्णय–निर्माण आवश्यकताओं की सार्थकता तथा

(बी) इस वर्ष में विश्वसनीय की वित्तीय विवरण:

(i) विश्वास करने योग्य वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन एवं तत्व के नगद प्रवाहों को विश्वसनीय तरीके से प्रदर्शित करती है

(ii) लेन–दनों, अन्य घटनाओं एवं शर्तों के आर्थिक पहुलओं को दर्शाती है, न कि सिर्फ कानूनी स्वरूप कोय

(iii) उदासी न होते हैं, यानि किसी प्रकार के पक्षपात से मुक्त,

(iv) विवेकपूर्ण है, तथा

(v) सतत आधार पर सभी प्रकार के वस्तुगत पहलुओं में परिपूर्ण है।

निर्णय–निर्माण के सबंध में प्रबंधन, निम्नलिखित स्रोतो को अवनतिक्रम में निर्दिष्ट करती है और उनके लागू करने की योग्यता पर विचार करती है ;

(ए) समान एवं संबद्ध विषयों को साथ व्यवहार करने के भारतीय लेखा मानक की आवश्यकताएं ; तथा

(बी) परिभाषाएं, मानदंड मान्यता तथा फ्रेमवर्क में परिसंपत्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय के लिए मापीकरण अवधारणा।

निर्णय निर्माण में प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड के सबसे हाल के उदघोषणाओं पर विचार करती है तथा उनके अनुपस्थिति मे अन्य दूसरे स्टैण्डर्ड–सेटिंग संस्थाओ का जो समान अवधारणा ढांचे का उपयोग, लेखा मानकों, अन्य लेखा पत्रिका एवं स्वीकृत औद्योगिक अभ्यासों को विकसित करने के लिए करती है, उस सीमा तक जहाँ ये उपरोक्त सारांश में स्रोतों के साथ प्रतिकूल नहीं होती है।

कंपनी खनन क्षेत्र में संचालित होती है (एक ऐसा क्षेत्र जहाँ अन्वेषण, मूल्यांकन, विकास उत्पादन चरण विभिन्न स्थलाकृतिक एवं भूखनन इलाकों पर आधारित है, जो दशकों से चल रहे पट्टे अवधि में फैला हुआ है और लगातार बदलाव की संभावना है), जिसकी लेखा नीतियाँ, अनुसंधान समितियों द्वारा समर्थित विशिष्ट उद्योग पद्धतियों एवं पिछले कई दशकों में इसके लगातार अनुप्रयोगों के कारण तथा विभिन्न नियमों के द्वारा अनुमोदन के आधार पर विकसित हुई है। कुछ विशेष क्षेत्रों में विशिष्ट लेखांकन साहित्य, मार्गदर्शन एवं मानकों की अनुपस्थिति में, जो विकास की प्रक्रिया में हैं। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के साथ–साथ लेखा–नीतियों को विकसित करने का प्रयास करती है और इसमें किसी भी विकास को भारतीय लेखा मानक 8 में विशेष तौर पर रखे गये प्रावधानों के अनुसार परिदृश्यात्मकता के लिए लेखाकृत की जाएगी।

वित्तीय विवरणों को लेखा की एक्रुवल आधार को उपयोग करते हुए एक सतत प्रयास के तहत तैयार की जाती है।

2.24.1.2 भौतिकता

भारतीय लेखा मानक उन वस्तुओं पर लागु होता है जो सामग्री है। प्रबंधन यह तय करने के लिए निर्णय का उपयोग करता है कि यदि अलग–अलग वस्तुएं या वस्तु के समुहों वित्तीय विवरण में सामग्री के रूप में है या नहीं। भौतिकता का निर्धारण वस्तु के आकार एवं प्रकृति के संदर्भ में किया जाता है। निर्णायक कारक यह है कि क्या वित्तीय चूक या गलत विवरण उन आर्थिक फैसलों पर अलग–अलग या सामुहिक से प्रभाव डाल सकते हैं, जिन्हें उपयोगकर्त्ताओं ने वित्तीय विवरणों के आधार पर लिया है। प्रबंधन भारतीय लेखा मानक की अनुपालन आवश्यकताओं की निर्धारित करने के लिए भौतिकता के फैसले का भी उपयोग करता है।

विशेष परिस्थितियों में या तो प्रकृति या किसी वस्तु की मात्रा या वस्तुओं का कुल योग निर्धारित कारक हो सकते हैं। आगे, एक, तत्व की, कानून द्वारा जरूरी होने की स्थिति में, निराकार वस्तुओं को अलग से प्रस्तुत करने के लिए, आवश्यकता भी हो सकती है।

2.24.1.3 संचालित पट्टा

कंपनी ने पट्टा समझौते में प्रवेश किया है। समझौते के नियम एवं शर्तों के मूल्यांकन के आधार पर, जैसे कि वे पट्टे अवधि जो परिसंपत्ति के अंकित मूल्य तथा वाणिज्यिक संपत्ति के आर्थिक जीवन का वृहत भाग न हो, कंपनी ने तय किया है कि वह इन संपत्तियों के स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण जोखिमों एवं पुरस्कारों को तथा निविदाओं के लिए लेखा को, संचालित पट्टो के रूप में अपने पास रखती है।

2.24.2 अनुमान एवं मान्यताएँ

रिपोर्टिंग तिथि पर भविष्य तथा अनुमान अनिश्चितता के अन्य मुख्य स्रोतों से संबंधित मुख्य मान्यताएं, जिनके पास अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की मात्रा में सामग्री समायोजन करने का महत्वपूर्ण जोखिम है, नीचे वर्णित है। समेकित वित्तीय वक्तव्यों की तैयार करते समय कपनी ने मौजूद पारामीटर पर अपने प्राकलन एवं अनुमानों को आधारित किया था। भविष्य की घटनाओं के बारे में मौजुदा हालात एव घटनाएँ, यद्यपि, बाजार में बदलावों या उत्पन्न होनेवाली वैसी परिस्थितियां जो कि कंपनी के नियंत्रण के बार है, के कारण बदल सकती है। इस प्रकार के परिवर्तन घटित होने की स्थिति में मान्यताओं में प्रदर्शित होते हैं।

2.24.2.1 गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

हानि/विकृति के संकेत दिखलाई पड़ते हैं, यदि किसी परिसंपत्ति या नगदी उत्पन्न करने वाली ईकाई का वहन मूल्य इसके वसूली योग्य राशि से अधिक होता है, जो कि निपटारे की लागत कम करके इसके उचित मूल्य तथा उपयोगी मूल्य से अधिक है। कंपनी प्रत्येक खानों को एक अलग नकदी उत्पन्न करने वाली ईकाईयों के रूप में समझती है, हानि/विकृति की जांच उपयोग मे मूल्य की गणना डी सी एफ प्रतिमान पर आधारित होती है। नकदी प्रवाह अगले 5 वर्षों के लिए बजट से प्राप्त होता है तथा इसमें, पुर्नगठन गतिविधियां जिसपर कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है या वैसे महत्वपूर्ण भविष्य की निवेश जो जाँच किए जा रहे सी जी यू के परिसंपत्ति प्रदर्शन में वृद्धि करेगी, शामिल नहीं होते हैं। वसूली योग्य राशि डी सी एफ प्रतिमान के साथ–साथ अपेक्षित भावी नकदी प्रवाह एवं इन्टरपोलुशन प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई विकास दर के लिए उपयोग की गई छूट के प्रति संवेदनशील है। ये सभी अनुमान अन्य खनन बुनियादी ढांचे के सबसे अधिक सार्थक है। विभिन्न सी जी यू के लिए वसूली योग्य राशि की निर्धारण के लिए उपयोग की जानेवाली मुख्य मान्यताएं प्रदर्शित की जाती है तथा उन्हें आगे संबंधित टिप्पणियों में समझाया गया है।

2.24.2.2 कर

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस हद तक मान्यता प्राप्त है जहां यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरूद्ध हानियों को उपयोग किया जा सकता है। भावी कर नियोजन रणनीतियों के साथ–साथ संभावित समय–निर्धारण एवं भविष्य के कर योग्य लाभो के स्तर के आधार पर आस्थगित कर संपत्ति की राशि को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय आवश्यक है। करों पर अधिक जानकारी को नोट – 38 में दिखलाया गया है।

2.24.2.3 परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना तथा अन्य रोजगारोपरान्त चिकित्सा लाभों की लागत एवं ग्रेच्युटी दायित्व के वर्तमान मूल्य को बीमांकिक मूल्यांकन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न मान्यताएं शामिल होते हैं जो भविष्य में वास्तविक विकास से अलग हो सकती है। इनमें, छुट दर, भविष्य वेतन वृद्धि एवं मृत्यु दर का निर्धारण शामिल होता है।

परिभाषित लाभ दायित्व के मूल्यांकन तथा इसके दीर्घकालीन प्रकृति में शामिल जटिलताओं के कारण, यह इन मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति अति–संवेदनशील होता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख पर सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला प्राचलिक, छुट दर है। भारत में संचालित की जाने वाली योजनाओं के लिए उपयुक्त, छुट दर का निर्धारण करने में, प्रबंधन रोजगारोपरांत लाभ दायित्व के मुद्राओं के अनुरूप मुद्रा में सरकारी बॉन्ड की ब्याज दरों पर विचार करता है।

मृत्यु दर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध देश के मृत्यु–दर तालिका पर आधारित होता है। यह मृत्यु–दर तालिका, जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के जवाब में सिर्फ उस अंतराल पर परिवर्तन की प्रवृति रखता है। भावी वेतन वृद्धि एवं ग्रेच्युटी बढ़ोतरी भविष्य की अनुमानित मुद्रास्फीति दर पर आधारित होता है।

2.24.2.4 वित्तीय साधनों का अंकित मूल्य मापन

जब्त तुलन–पत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्ति तथा वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य को सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता है, तो उनके उचित मूल्य को डी सी एफ प्रतिभाग सहिज मूल्य निर्धारण तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहाँ तक संभव हो, इन प्रतिमानों को देखे जाने योग्य बाजारों से लिया जाता है, लेकिन जहाँ यह संभव नहीं है, अंकित मूल्यों की स्थापित कर्ज के लिए निर्णय के एक अंश की आवश्यकता पड़ती है। निर्णय में नगदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम तथा अस्थिरता जैसे महत्व वाले इनपुट शामिल होते हैं। इन कारणों के बारे में मान्यताओं में परिवर्तन, वित्तीय साधनों के दर्ज अंकित मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

2.24.2.5 विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति

कंपनी परियोजना के लिए विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति को लेखा नीति के अनुसार पूंजीकृत करती है। लागत का प्रारंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित है कि तकनीकि एवं आर्थिक व्यवहार्यता की पुष्टि की जाती है, आमतौर पर तब जब एक परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थाएं लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) के द्वारा तैयार की जाती है।

2.24.2.6 खान बंदीकरण, स्थल पुनर्स्थापन एवं सेवामुक्तिकरण दायित्व

खान बंदीकरण, स्थल पुनर्स्थापन एवं सेवामुक्तिकरण दायित्व के लिए प्रावधान के उचित मूल्य के निर्धारण हेतु, मान्यताओं एवं आकलनों को छुट दरों, स्थल पुनर्स्थापन की अनुमानित लागत तथा विघटन और निराकरण की उम्मीद की लागत के संबंध में बनाया जाता है। कंपनी परियोजना/खान के जीवन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर डी सी एफ पद्धति का उपयोग करते हुए प्रावधान का आकलन करती है।

- कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशो में निर्दिष्ट अनुसार अनुमानित लागत प्रति हेक्टेयर।
- छुट दर (कर के पहले), जो रूपये के समय–मूल्य का मौजूदा बाजार निर्धारण तथा देयता से संबंधित विशिष्ट जोखिमों को प्रदर्शित करता है।

2.25 प्रयुक्त संक्षेपण

ए.	सीजीयू	नकद उत्पन्न करने वाली ईकाई	जी.	ओसीआई	अन्य व्यापक आय
बी.	डीसीएफ	कटौती पश्चात नकद प्रवाह	एच.	पीएण्डएल	लाभ एवं हानि
सी.	एफवीटीओसीआई	अन्य विस्तृत आय के माध्यम से उचित मूल्य	आइ	पीपीई	संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण
डी.	एफवीटीपीएल	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य	जे.	एसपीपीआई	मूलधन एवं ब्याज का मात्र भुगतान
इ.	जीएएपी	आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांत	के.	ईआईआर	लागु ब्याज दर
एफ.	इन्ड एएस	भारतीय लेखा मानक			

31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियाँ

नोट – 3 : सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(₹ करोड़ों में)

विवरण	खुली भूमि	अन्य भूमि	भूमि उधार/ स्थल वापसी लागत	भवन (जल आपूर्ति, सड़क एवं कलवर्ट)	संयंत्र एवं उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	फर्नीचर एवं फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहन	एयरक्राफ्ट	अन्य खनन आधारभूत संरचना	सर्वेड ऑफ परिसंपत्ति	अन्य	योग
अग्रणित राशि															
01 अप्रैल, 2017 को	17.49	670.49	475.60	189.15	1461.51	1.79	34.73	9.67	32.45	12.24	–	198.26	82.57	–	3,185.95
जोड़	–	64.39	–	61.23	206.64	0.07	–	2.07	10.83	0.06	–	13.05	3.72	–	362.06
विलोपन/समायोजन	–	–	–	–	(10.17)	–	–	–	(0.06)	(0.01)	–	(0.29)	(5.78)	–	(16.31)
31 मार्च, 2018 को	17.49	734.88	475.60	250.38	1,657.98	1.86	34.73	11.74	43.22	12.29	–	211.02	80.51	–	3,531.70
	17.49	734.88	475.60	250.38	1,657.98	1.86	34.73	11.74	43.22	12.29	–	211.02	80.51	–	3,531.70
01 अप्रैल, 2018 को	–	26.57	–	46.24	144.78	1.75	234.05	3.34	13.68	0.12	–	55.86	6.70	–	533.09
जोड़	–	–	(2.97)	(0.87)	(24.37)	–	(43.54)	–	(7.26)	(0.01)	–	(3.43)	(21.99)	–	(104.44)
विलोपन/समायोजन	17.49	761.45	472.63	295.75	1,778.39	3.61	225.24	15.08	49.64	12.40	–	263.45	65.22	–	3,960.35
31 मार्च, 2019 को	**17.49**	**734.88**	**479.75**	**250.38**	**1,657.98**	**1.86**	**34.73**	**11.74**	**43.22**	**12.29**	**–**	**211.02**	**80.51**	**–**	**3,535.85**
मूल्य ह्रास एवं हानि															
01 अप्रैल, 2017 को	–	69.63	95.07	17.38	466.24	0.37	6.86	4.24	12.16	2.49	–	42.32	46.39	–	763.15
वर्ष के लिए शुल्क	–	54.98	36.13	10.68	213.76	0.14	3.94	1.44	7.83	1.53	–	17.94	–	–	348.37
हानि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.83	(1.65)	–	4.18
विलोपन/समायोजन	–	0.78	–	(0.07)	(6.30)	–	–	(0.01)	0.06	–	–	0.48	(0.03)	–	(5.09)
31 मार्च, 2018 को	–	**125.39**	**131.20**	**27.99**	**673.70**	**0.51**	**10.80**	**5.67**	**20.05**	**4.02**	–	**66.57**	**44.71**	–	**1,110.61**
01 अप्रैल, 2018 को	–	125.39	131.20	27.99	673.70	0.51	10.80	5.67	20.05	4.02	–	66.57	44.71	–	1,110.61
वर्ष के लिए शुल्क	–	56.73	34.76	13.93	202.02	0.36	9.55	1.76	8.10	1.38	–	29.08	–	–	357.67
हानि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.75	(19.75)	–	(14.00)
विलोपन/समायोजन	–	0.78	2.47	0.82	(8.68)	0.11	11.56	(1.09)	(4.21)	–	–	8.53	(0.31)	–	9.98
31 मार्च, 2019 को	–	**182.90**	**168.43**	**42.74**	**867.04**	**0.98**	**31.91**	**6.34**	**23.94**	**5.40**	–	**109.93**	**24.65**	–	**1,464.26**
निवल अग्रणित राशि															
31 मार्च, 2019 को	**17.49**	**578.55**	**304.20**	**253.01**	**911.35**	**2.63**	**193.33**	**8.74**	**25.70**	**7.00**	–	**153.52**	**40.57**	–	**2,496.09**
31 मार्च, 2018 को	**17.49**	**609.49**	**344.40**	**222.39**	**984.28**	**1.35**	**23.93**	**6.07**	**23.17**	**8.27**	–	**144.45**	**35.80**	–	**2,421.09**

31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 3 : सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (जारी ..)

1. भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में, 01.04.2015 को सकल मूल्य घटाव संचित मूल्य ह्रास को परिवर्तन की तिथि पर अग्रणित मूल्य पर माना गया।

(₹ करोड़ों में)

विवरण	खुली भूमि	अन्य भूमि	भूमि उद्धार/स्थल वापसी लागत	भवन (जल आपूर्ति, सड़क एवं कलवर्ट)	संयंत्र एवं उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	फर्नीचर एवं फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहन	एयरक्राफ्ट	अन्य खनन आधारभूत संरचना	सर्वेड ऑफ परिसंपत्ति	अन्य	योग
सकल अग्रणित राशि :															
01 अप्रैल, 2015 को	16.87	630.42	656.05	437.66	3,335.00	16.90	88.08	20.77	50.16	32.79	—	759.19	71.73	—	6,115.62
संचित ह्रास एवं हानि															
01 अप्रैल, 2015 को	—	372.29	176.30	270.57	2,239.44	15.24	73.22	15.18	36.96	26.36	—	652.32	—	—	3,877.88
निबल अग्रणित राशि	**16.87**	**258.13**	**479.75**	**167.09**	**1,095.56**	**1.66**	**14.86**	**5.59**	**13.20**	**6.43**	**—**	**106.87**	**71.73**	**—**	**2,237.74**

नोट :

1. अन्य भूमि के अंतर्गत कोल बियरिंग क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 एवं अन्य अधिनियमों के तहत अधिग्रहित भूमि शामिल है।
2. अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्य ह्रास प्रदान किया जाता है, जिससे प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रभावी लेखा नीति की अनुच्छेद संख्या 2.8 में उल्लेखित अधिकारित समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। इसमें लाइफ ऑफ़ वैल्यु का अन्य कोई महत्त्वपूर्ण घटक नहीं है, अतः घटक लेखांकन नहीं किया गया है।
3. चालू वर्ष के दौरान, परित्यक्त परिसंपत्ति सम्बद्ध ह्रास की राशि 19.75 करोड़ रू. (विगत वर्ष 1.65 करोड़ रू. चार्ज किया गया है) अपहरित गई है।
4. लीज समझौतों के विषय में, कंपनी ने अपने ग्राहकों को पिछले साल, व्यवसाय करने और कम्पनी की कुछ संपत्तियों का उपयोग जिनका कुल मूल्य 88.09 करोड़ रू. और 2.05 करोड की निकासी करने का अधिकार दिया है।
5. 357.67 करोड़ रू. के कुल मूल्य ह्रास में अन्य खनन आधारभूत संरचना से संबंधित 29.08 करोड़ रू. का परिशोधन शामिल है।

31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 4 : कैपिटल डब्ल्यूआईपी

(₹ करोड़ों में)

विवरण	भवन (जल आपूर्ति, सड़क एवं कलवर्ट)	संयंत्र एवं उपकरण	रेलवे साइडिंग	विकास	अन्य	योग
अग्रणित राशि						
01 अप्रैल, 2017 को	103.60	64.08	1,023.42	139.24	-	1,330.34
जोड़:	96.41	13.56	476.31	38.99	-	625.27
पूंजीकरण/विलोपन	(57.97)	(29.59)	-	(12.00)	-	(99.56)
31 मार्च, 2018 को	**142.04**	**48.05**	**1,499.73**	**166.23**	-	**1,856.05**
01 अप्रैल, 2018 को	142.04	48.05	1,499.73	166.23	-	1,856.05
जोड़	127.99	16.22	798.50	144.64	-	1,087.35
पूंजीकरण/विलोपन	(65.87)	(29.06)	(204.07)	(106.86)	-	(405.86)
31 मार्च, 2019 को	**204.16**	**35.21**	**2,094.16**	**204.01**	-	**2,537.54**
संचित प्रावधान एवं हानि						
01 अप्रैल, 2017 को	1.60	3.11	7.70	9.82	-	22.23
वर्ष के लिए शुल्क	0.35	2.16	3.85	1.82	-	8.18
हानि	-	-	-	1.45	-	1.45
विलोपन/समायोजन	(0.01)	(0.20)	-	(0.51)		(0.72)
31 मार्च, 2018 को	**1.94**	**5.07**	**11.55**	**12.58**	-	**31.14**
01 अप्रैल, 2018 को	1.94	5.07	11.55	12.58	-	31.14
वर्ष के लिए शुल्क	0.03	0.65	0.12	3.52	-	4.32
हानि	-	-	-	6.99	-	6.99
विलोपन/समायोजन	(0.72)	(3.78)	(11.55)	(7.89)	-	(23.94)
31 मार्च, 2019 को	**1.25**	**1.94**	**0.12**	**15.20**	-	**18.51**
निबल अग्रणित राशि						
31 मार्च, 2019 को	**202.91**	**33.27**	**2,094.04**	**188.81**	-	**2,519.03**
31 मार्च, 2018 को	**140.10**	**42.98**	**1,488.18**	**153.65**	-	**1,824.91**

1. भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में, 01.04.2015 को सकल मूल्य घटाव संचित मूल्य ह्रास को परिवर्तन की तिथि पर अग्रणित मूल्य पर माना गया।

विवरण	भवन (जल आपूर्ति, सड़क एवं कलवर्ट)	संयंत्र एवं उपकरण	रेलवे साइडिंग	विकास	अन्य	योग
सकल अग्रणित राशि						
01 अप्रैल, 2015 को	62.53	132.02	136.74	188.12	-	519.41
संचित प्रावधान एवं हानि						
01 अप्रैल, 2015 को	10.52	12.29	45.74	36.84	-	105.39
निबल अग्रणित राशि	**52.01**	**119.73**	**91.00**	**151.28**	-	**414.02**

टिप्पणी :

1. मशीनरी/परिसंपत्तियों के मामले में, जिसका खरीद/अधिग्रहण के तारीख से तीन साल से अधिक समय तक उपयोग नहीं किया जा सकता है, चौथे वर्ष से प्रभावी मूल्य ह्रास के समतुल्य प्रावधान वर्ष के दौरान किया गया है जिसकी कुल राशि 4.32 करोड़ रू. (विगत वर्ष 8.18 करोड़ रू.) है जिसे वित्तीय विवरण के नोट 33 के अंतर्गत दर्शाया गया है।
2. सीआईएल बोर्ड ने अपनी 350वीं बोर्ड मीटिंग में कोयले की सहज निकासी के लिए टोरी–शिवपुर रेल–लाईन परियोजना से सम्बद्ध 2399.07 करोड़ रू. की संशोधित परियोजना लागत को मंजूरी दी जिसके लिए पूर्व–मध्य रेलवे को 2431.13 करोड़ रू. जमा किए गए हैं। पू. म. रेलवे ने 1855.64 करोड़ रू. खर्च किए हैं जिसे सीडब्ल्यूआईपी में "रेलवे साइडिंग" मद के अंतर्गत सक्षम परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृत किया गया है और 575.49 करोड़ रू. की शेष राशि नोट – 10 में पूंजीगत अग्रिम के रूप में दिखायी गयी है। उपर्युक्त परियोजना के लिए सीसीडीएसी के लिए कम्पनी को अबतक 536.55 करोड़ रू. का अनुदान मिला है।

31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 5 : अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति

(₹ करोड़ों में)

विवरण	अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत
अग्रेणित राशि	
01 अप्रैल 2017 को,	237.83
जोड़	23.51
विलोपन/समायोजन	-
31 मार्च, 2018 को	**261.34**
01 अप्रैल 2018 को	261.34
जोड़	75.35
विलोपन/समायोजन	69.41
31 मार्च, 2019 को	**406.10**
संचित प्रावधान एवं हानि	
01 अप्रैल 2017 को	0.67
वर्ष के लिए शुल्क	-
हानि	-
विलोपन/समायोजन	-
31 मार्च, 2018 को	**0.67**
01 अप्रैल 2018 को	0.67
वर्ष के लिए शुल्क	-
हानि	-
विलोपन/समायोजन	-
31 मार्च, 2019 को	**0.67**
निबल अग्रेणित राशि	
31 मार्च, 2019 को	**405.43**
31 मार्च, 2018 को	**260.67**

भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में, 01.04.2015 को सकल मूल्य घटाव संचित मूल्य ह्रास को परिवर्तन की तिथि पर अग्रणित मूल्य पर माना गया।

सकल अग्रेणित राशि	
01 अप्रैल 2015 को	176.04
संचित प्रावधान एवं हानि	
01 अप्रैल 2015 को	2.21
निबल अग्रेणित राशि	**173.83**

31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 6 : अन्य अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ों में)

विवरण	कम्प्युटर सॉफ्टवेयर	विक्रय के लिए कोल ब्लॉक	अन्य	योग
अग्रेणित राशि				
01 अप्रैल, 2017 को	5.21	1.71	-	6.92
जोड़	0.01	-	-	0.01
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2018 को	**5.22**	**1.71**	-	**6.93**
01 अप्रैल, 2018 को	5.22	1.71		6.93
जोड़	4.19	-	-	4.19
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2019 को	**9.41**	**1.71**	-	**11.12**
संचित प्रावधान एवं हानि				
01 अप्रैल, 2017 को	3.33	-	-	3.33
वर्ष के लिए शुल्क	1.44	-	-	1.44
हानि	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2018 को	**4.77**	-	-	**4.77**
01 अप्रैल, 2018 को	4.77	-	-	4.77
वर्ष के लिए शुल्क	0.61	-	-	0.61
हानि	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2019 को	**5.38**	-	-	**5.38**
निवल अग्रेणित राशि				
31 मार्च, 2019 को	**4.03**	**1.71**	-	**5.74**
31 मार्च, 2018 को	**0.45**	**1.71**	-	**2.16**

1. विक्रय हेतु कोयला ब्लॉक खानो के प्रारंभिक विकास पर किए गए व्यय को दर्शाते हैं जिसे प्राधिकरण द्वारा ऐसे ब्लॉको के विक्रय से वसूला जाएगा।

2. भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में, 01.04.2015 को सकल मूल्य घटाव संचित मूल्य ह्रास को परिवर्तन की तिथि पर अग्रणित मूल्य पर माना गया।

सकल अग्रेणित राशि				
01 अप्रैल, 2015 को	4.74	1.71	-	6.45
संचित प्रावधान एवं हानि				
01 अप्रैल, 2015 को	-			-
निवल अग्रेणित राशि	**4.74**	**1.71**	-	**6.45**

31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 7 : निवेश

(₹ करोड़ों में)

	धारित शेयरों की संख्या	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
गैर चालू			
शेयरों में निवेश			
अनुषंगी कंपनी में इक्विटी शेयर्स	–	–	–
अन्य निवेश			
शेयर अनुप्रयोग राशि	–	–	–
सिक्योर्ड बॉण्ड्स में	–	–	–
कॉ–ऑपरेटिव शेयर्स में	–	–	–
कुल	–	–	–
उद्धृत निवेशों का निबल मूल्य	–	–	–
उद्धृत निवेशों का बाजार मूल्य	–	–	–
अनुद्धृत निवेशों का निबल राशि	–	–	–
निवेश के मूल्य में निबल हानि का संकलित राशि	–	–	–

(₹ करोड़ों में)

चालू	इकाईयों की संख्या चालू वर्ष/ (पूर्ववर्ती वर्ष)	अंकित मूल्य प्रति युनिट (₹ में)	31.03.2019 को	31.03.2018 को
म्युचुअल फंड निवेश				
यूटीआई म्युचुअल फंड	515315 242/-	1019 4457/-	52.53	–
एसबीआई म्युचुअल फंड	271,885/-	1003 2500/-	0 03	–
केनरा रोबैको म्युचुअल फंड			–	–
युनियन केबीसी म्युचुअल फंड			–	–
बीओआई एएक्सए म्युचुअल फंड			–	–
अन्य निवेश				
8 5% कर मुक्त स्पेशल बॉन्ड (पूर्णतः पेड–अप)			–	–
(व्यापार प्राप्य के प्रतिभूतिकरण पर)			–	–
बड़े राज्य के आधार का विश्लेषण				
– उ. प्र.			–	–
– हरियाणा			–	–
कुल			**52.56**	–
उद्धृत निवेशों का संकलित मूल्य			–	–
उद्धृत निवेशों का बाजार मूल्य			–	–
अनुद्धृत निवेशों की संकलित मूल्य			52.56	–
निवेश मूल्यों में हानि का संकलित राशि			–	–

वर्ष के दौरान खरीदे गए एवं बेचे गए म्युचुअल फंड का विवरण : *(₹ करोड़ों में)*

विवरण	वर्ष के दौरान कुल खरीद		वर्ष के दौरान रिडीम		प्राप्त लाभांश	
	युनिटों की सं.	राशि	युनिटों की सं.	राशि	युनिटों की सं.	राशि
यूटीआई म्युचुअल फंड	1,471,387.830	150 00	975,726 320	99 47	19653.730	2.00
एसबीआई म्युचुअल फंड	2,242,711.190	225 00	2,271,517.570	227.89	29078.260	2.92
कुल	**3,714,099.020**	**375 00**	**3,247,243.890**	**327.36**	**48731.990**	**4.92**

टिप्पणी :

कम्पनी उपर्युक्त म्युचुअल फंड की लिक्विड योजना (दैनिक लाभांश) में निवेश करती है। दैनिक लाभांश योजना में म्युचुअल फंड की इकाइयों के रूप में दैनिक लाभांश प्राप्त होते हैं और योजना के एन.ए.वी. का मूल्य स्थिर रहता है।

31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 8 : ऋण

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को	31.03.2018 को
गैर–चालू		
कर्मचारी को ऋण		
— सुरक्षित, सुविचारित	0.66	0.47
— असुरक्षित, सुविचारित	—	—
— ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ	—	—
— ऋण हानि	—	—
	0.66	0.47
घटाव : संदेहास्पद ऋणों के लिए भत्ता	—	—
	0.66	**0.47**
वर्गीकरण		
— सुरक्षित, सुविचारित	0.66	0.47
— असुरक्षित, सुविचारित	—	—
— ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ	—	—
— ऋण हानि	—	—
	0.66	0.47
चालू		
कर्मचारियों को ऋण		
— सुरक्षित, सुविचारित	—	—
— असुरक्षित, सुविचारित	—	—
— ऋण हानि	—	—
	—	—
घटाव : संदेहास्पद ऋणों के लिए भत्ता	—	—
	—	—
वर्गीकरण :		
— सुरक्षित, सुविचारित	—	—
— असुरक्षित, सुविचारित	—	—
— ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ	—	—
— ऋण हानि	—	—

31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ों में)

		31.03.2019 को		31.03.2018 को
गैर चालू				
बैंक में जमा		—		—
बैंक में निम्न मदों में जमा				
– खदान बंदीकरण योजना		1,182.01		1,019.85
– स्थनांतरण एवं पुनर्वासन निधि स्किम		—		—
अन्य जमा		145.09		100.99
खदान बंदीकरण व्यय के लिए एस्क्रो एकाउंट से प्राप्य		140.63		413.16
अन्य जमा एवं प्राप्य		—		—
कुल		**1,467.73**		**1,534.00**
चालू				
खदान बंदीकरण व्यय के लिए एस्क्रो एकाउंट से प्राप्य		272.54		—
होल्डिंग कंपनी के साथ चालू खाता		—		72.74
लंबी अवधि के ऋण का वर्तमान परिपक्वता		—		—
उपार्जित ब्याज		14.57		59.04
दावे एवं अन्य प्राप्य	346.03		409.67	
घटाव : संदेहास्पद दावों का भत्ता	4.76	341.27	3.85	405.82
कुल		**628.38**		**537.60**

टिप्पणियाँ :

1. चूंकि दिनांक 01.03.2011 की प्रभावी तिथि से कोयला एक्साइज के अंतर्गत आ गया है, रॅायल्टी और एस.ई.डी. को ''अन्य कर'' के रूप में मानकर लेन–देन मूल्य से बाहर रखा गया था। सेन्ट्रल एक्साइज इन्टेलिजेंस (डी.जी.सी.ई.आई.), नई दिल्ली के महानिदेशालय द्वारा जारी किए गए समन के परिणामस्वरूप, सीआईएल, होल्डिंग कंपनी जिसने इस मुद्दे का प्रतिनिधित्व किया, को लेन–देन मूल्य मे वादित रॅायल्टी एस.ई.डी. शामिल करने और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान करने की सलाह दी जबतक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 9 सदस्यी बेंच में लंबित मामले का निपटारा नहीं हो जाता। तदनुसार, मार्च 2011 से फरवरी 2013 के अवधि के दौरान वादित कोयले के प्रेषण और वाशरी में कच्चे कोयले की खपत के लिए 85.14 करोड रू. का भुगतान किया गया है और इसके परिणामस्वरूप उक्त अवधि के दौरान 79.95 करोड रू. का पूरक बिल एकत्र किया गया है, जिसमें से नकद विक्री ग्राहकों से 4.56 करोड़ रू. की शेष राशि ''अन्य प्राप्ति'' मद के अंतर्गत दर्शाया गया है। 4.56 करोड़ रू. में से, ग्राहकों ने कोलकाता और झारखंड के माननीय उच्च न्यायालयों से 2.66 करोड़ रू. के लिए स्थगन आदेश लिया है और 1.90 करोड़ रू. के शेष के विरूद्ध 1.90 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है।
2. खदान बंदीकरण से संबंधित कुल 1182.01 करोड़ रू. एस्क्रो एकाउन्ट में जमा है (पिछले वर्ष 1019.85 करोड़ रू.), जिसमें एस्क्रो एकाउन्ट से प्राप्त निबल ब्याज 253.91 करोड़ रू. सम्मिलित है (पिछले वर्ष 198.81 करोड़ रू.) – निर्दिष्ट नोट सं. 21
3. ''इसमें 0.80 करोड़ रूपयों का दोषपूर्ण भुगतान शामिल है। (निर्दिष्ट, नोट – 38 के पारा सं. 7.10)
4. बैंक जमा में अर्जित ब्याज के अन्दर, खान बन्दीकरण योजना के तहत जमा 5.38 करोड़ रुपये पर अर्जित ब्याज शामिल है।

31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 10 : अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ों में)

		31.03.2019 को		31.03.2018 को	
(i)	अग्रिम पूँजी	987.41		1,507.99	
	घटाव : संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	0.09	987.32	1.29	1,506.70
(ii)	अग्रिम पूँजी के अलावे अन्य अग्रिम				
	(ए) उपयोगिता के लिए प्रतिभूति जमा	1.21		1.16	
	घटाव : संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	–	1.21	–	1.16
	(बी) अन्य जमा एवं अग्रिम	–		–	
	घटाव : संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	–	–	–	–
	(सी) पार्टियों से संबधित अग्रिम		–		–
	योग		**988.53**		**1,507.86**

विवरण	अंतिम शेष		किसी भी समय का अधिकतम बकाया राशि	
	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष
	(₹ करोड़ों में)	*(₹ करोड़ों में)*	*(₹ करोड़ों में)*	*(₹ करोड़ों में)*
कंपनियों का बकाया जिनमें कंपनी के निदेशकगण, निदेशक/सदस्य भी हैं (कंपनियों के नाम के साथ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों का बकाया जिनमें कंपनी के निदेशक निहितार्थ हैं।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी :

1. 987.41 करोड़ रु. की पूंजीगत अग्रिम में टोरी–शिवपुर रेलवे लाइन के निर्माण हेतु पूर्व मध्य रेलवे को दिए गए 575.49 करोड़ रु. शामिल है। (नोट : 4 देखें)

31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 11 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ों में)

		31.03.2019 को		31.03.2018 को	
(ए)	राजस्व के लिए अग्रिम (माल और सेवाओं के लिए)	68.56		128.56	
	घटाव : संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.44	68.12	0.44	128.12
(बी)	वैधानिक बकायों का अग्रिम भुगतान	440.49		485.07	
	घटाव : संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.31	440.18	0.31	484.76
(सी)	संबंधित पार्टियों को अग्रिम		—		—
(डी)	अन्य अग्रिम एवं जमा	1,239.96		1,017.32	
	घटाव : संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	18.17	1,221.79	18.26	999.06
(इ)	प्राप्य इनपुट टैक्स क्रेडिट	845.13		481.62	
	घटाव : प्रावधान	—	845.13	—	481.62
(एफ)	मैट क्रेडिट पात्रता	—		—	
	घटाव : प्रावधान	—	—	—	—
	योग		**2,575.22**		**2,093.56**

विवरण	अंतिम शेष		किसी भी समय का अधिकतम बकाया राशि	
	चालू वर्ष (₹ करोड़ों में)	विगत वर्ष (₹ करोड़ों में)	चालू वर्ष (₹ करोड़ों में)	विगत वर्ष (₹ करोड़ों में)
कंपनियों का बकाया जिनमें कंपनी के निदेशकगण, निदेशक/सदस्य भी हैं (कंपनियों के नाम के साथ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों का बकाया जिनमें कंपनी के निदेशक निहितार्थ हैं।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी :

1. सीएसआर गतिविधियों के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों/विभागों को राजस्व अग्रिम के रूप में 11.88 करोड़ रू. (पिछले वर्ष 11.73 करोड़ रू.) का भुगतान किया गया है।

2 खनिज (सत्यापन) अधिनियम, 1992 में शेष एवं अन्य करों के अधिनियम के आधार पर, 1992–93 में कंपनी ने 4 अप्रैल, 1991 तक ग्राहकों पर सेस और बिक्री कर मद में 100.33 करोड़ रू. का पूरक बिल दिया गया। उक्त राशि ग्राहकों से पुनर्प्राप्त करने योग्य है और अन्य प्राप्त दावे के मद में लिया गया है और इसी राशि को रॉयल्टी और सेस के लिए देय वैधानिक देय राशि में "अन्य वर्तमान देयताएं" के अंतर्गत शामिल किया गया है। (नोट : 23)।

3. सभी अन्य करों को सम्मिलित कर 01.07.2017 से वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया। 31.03.2018 तक 845.13 करोड़ रू. के इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्तियों के अंतर्गत 143.25 करोड़ रू. (जीएसटी पूर्व काल से सम्बद्ध) का जीएसटी टीआरएन–1 के माध्यम से क्रेडिट पारगमन शामिल है, जिसका उपयोग अवधि के दौरान इन्वर्टेड कर सरचना एवं जीएसटी टीआरएन–1 की वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा की जा रही लंबित जांच के कारण नहीं किया जा सका। समीक्षा के पूर्ण होने के बाद ही कालांतर में इसका उपयोग/दावा किया जाएगा।

31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 12 : संपत्ति सूचियाँ

(₹ करोड़ों में)

		31.03.2019 को	31.03.2018 को
(ए)	कोयले का भंडार	1,229.85	1,206.37
	विकासाधीन कोयला	–	–
		1,229.85	**1,206.37**
(बी)	सामान एवं कलपूर्जों का भंडार (लागत पर)	110.39	133.50
	जोड़ : पारागमन में भंडार	8.76	4.42
	सामान एवं कलपूर्जों का निबल भंडार (लागत पर)	119.15	137.92
(सी)	केन्द्रीय अस्पताल में दवा का भंडार	0.58	0.82
(डी)	कार्यशाला कार्य और प्रेस कार्य	4.08	4.12
	योग	**1,353.66**	**1,349.23**

31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 12 का अनुलग्नक

(मात्रा लाख टन में) (मूल्य ₹ करोड़ों में)

तालिका : ए

वर्ष की समाप्ति पर लेखा में लिए गए कच्चे कोयले को इति भंडार एवं किताबी भंडार के साथ मिलान :

विवरण	कुल भंडार		गैर विक्रय योग्य/मिश्रित भंडार		विक्रय योग्य भंडार	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1. (ए) 01.04.2018 को प्रारंभिक भंडार	135 90	952.31	1 21	–	134 69	952.31
(बी) प्रारंभिक भंडार में समायोजन			–	–	–	–
2. वर्ष में उत्पादन	687.22	14,693.02	–	–	687.22	14,693 02
3. उप–योग (1 + 2)	823.12	15,645.33	1 21	–	821.91	15,645 33
4. वर्ष में प्रेषण :						
(ए) बाहरी प्रेषण	592 52	13,190.23	–	–	592 52	13,190 23
(बी) वाशरी को दिया गया कोयला	91.94	1,530.28	–	–	91.94	1,530 28
(सी) निजी खपत	–	0.04	–	–	–	0.04
योग (ए)	684.46	14,720.55	–	–	684.46	14,720.55
5. प्राप्त भंडार	138.66	924.78	1.21	–	137.45	924.78
6. मापित भंडार	135.26	903.86	1.18	–	134.08	903.86
7. अंतर (5 – 6)	3.40	20.92	0.03	–	3.37	20.92
8. अंतर का विवरण :						
(ए) 5% के अंदर अतिरिक्त	0 38	1.69	–	–	0.38	1.69
(बी) 5% के अंदर कमी	3 78	22.61	0.03	–	3.75	22.61
(सी) 5% से परे अतिरिक्त	–	–	–	–	–	–
(डी) 5% से परे कमी	–	–	–	–	–	–
9. खाते में लिखा गया अंतिम भंडार (6 – 8ए + 8बी)	138.66	924.78	1.21	–	137.45	924.78

31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 12 का अनुलग्नक (जारी..)

(मात्रा लाख टन में) (मूल्य ₹ करोड़ों में)

तालिका : बी

कोयला/कोक के इति भंडार का सारांश

विवरण	कच्चा कोयला		धुला हुआ/डिसाल्ट कोयला				अन्य उत्पादन		कुल	
			कोकिंग		नन–कोकिंग					
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
प्रारंभिक भंडार (अंकेक्षित)	135.90	952 31	0 72	36 49	0 34	3 73	14 34	213 84	151 30	1,206 37
घटाव : गैर बिक्री योग्य कोयला/ मिश्रित भंडार	1.21	–	–	–	–	–	–	–	1 21	–
समायोजित प्रारंभिक भंडार (बिक्री योग्य)	134 69	952.31	0.72	36.49	0 34	3.73	14.34	213.84	150.09	1,206.37
उत्पादन	687.22	14,693 02	8 05	564.66	66 31	1,881.59	14.07	914.56	775.65	18,053.83
प्रेषण										
(ए) बाहरी प्रेषण	592 52	13,190.23	8.07	571.56	66 37	1,882.94	13.28	855.30	680 24	16,500.03
(बी) वाशरी को दिया हुआ कोयला	91.94	1,530 28	–	–	–	–		–	91 94	1,530.28
(सी) निजी खपत	–	0.04	–	–	–	–	–	–	–	0 04
इति भंडार	137.45	924.78	0 70	29.59	0 28	2 38	15.13	273 10	153.56	1,229 85
घटाव : कमी	–	–			–	–			–	–
इति भंडार लिया गया	137 45	924.78	0 70	29.59	0 28	2.38	15.13	273.10	153.56	1,229.85

टिप्पणी :

1. अन्य उत्पादों के प्रेषण के मूल्य में गैर–कोकिंग स्लरी और रिजेक्ट्स का मूल्य शामिल है लेकिन प्रेषण की मात्रा में गैर–कोकिंग स्लरी 50963 मी. टन (विगत वर्ष 15886 मी. टन) और रिजेक्ट्स (कोकिंग और गैर–कोकिंग दोनों) 597364 मी. टन (विगत वर्ष 1071303 मी. टन) का प्रेषण शामिल नहीं है।

2. 31.01.2019 को कोकिंग और गैर–कोकिंग स्लरी तथा गैर–कोकिंग रिजेक्ट्स का इति भंडार 258670 मी. टन (विगत वर्ष 275035 मी टन) और 7232847 मी. टन (विगत वर्ष 1516069 मी. टन) क्रमशः तैयार बाजार के अनुपलब्धता के कारण उसका मूल्य शून्य लगाया गया। विक्रय, प्राप्ति के आधार पर मान्य होते हैं।

3 कोयले के इति भंडार का वॉल्युमीट्रिक माप लिया जाता है और रूपांतरण–कारक के अनुप्रयोग से वजन (टन) में परिवर्तित किया जाता है। वॉल्युमीट्रिक मापन की अन्तर्निहित सन्निकट त्रुटि को तथा गणितीय रूपांतरण–कारक के अनुप्रयोग से वजन में रूपांतरण पर ध्यान रखने के लिए, बुक स्टॉक और भौतिक स्टॉक के बीच (+/–) 5 प्रतिशत का अन्तर कम्पनी की लेखा नीति के अनुसार नजरअंदाज किया जाता है जिसका वर्षों से निरंतर पालन किया जा रहा है और लेखा खाते में 3.37 लाख टन के बुक स्टॉक (बिक्री योग्य) की शुद्ध कमी जिसका मूल्य 20.92 करोड़ रू. है, की असंगति बनी हुई है।

4. कथारा वाशरी में 1995–96 से पड़ा हुआ 83795 मी. टन दूषित स्वच्छ कोयला को इति भंडार में शामिल नहीं किया गया है और उसे शून्य पर मूल्यांकन किया गया है।

31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 13 – व्यवसाय प्राप्य

(मूल्य ₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को		31.03.2018 को	
चालू				
देय तिथि से 6 माह से अधिक बकाया ऋण				
अच्छा समझा गया प्रतिभूत	–		–	
अच्छा समझा गया अप्रतिभूत	100.34		595.01	
ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि	–		–	
ऋण में हानि	223.04		76.04	
	323.38		671.05	
घटाव : खराब एवं संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान	223.04	100.34	76.04	595.01
अन्य ऋण				
अच्छा समझा गया प्रतिभूत	–		–	
अच्छा समझा गया अप्रतिभूत	994.79		525.99	
ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि	–		–	
ऋण में हानि	–		65.09	
	994.79		591.08	
घटाव : खराब एवं संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान	–	994.79	65.09	525.99
योग		1,095.13		1,121.00

विवरण	अंतिम शेष		किसी भी समय के दौरान अधिकतम बकाया राशि	
	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष
	(₹ करोड़ों में)	(₹ करोड़ों में)	(₹ करोड़ों में)	(₹ करोड़ों में)
अन्य कंपनियों का बकाया जिनमें कंपनी के निदेशकगण, सदस्य या निदेशक भी हैं (कंपनियों के नाम के साथ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियो का बकाया जिनमे कपनी के निदेशक निहितार्थ हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

व्यवसाय प्राप्य के विरूद्ध प्रावधान का संचलन

(₹ करोड़ों में)

विवरण	राशि	
	खराब एवं संदेहात्मक ऋण	गुणवत्ता भेद
01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	141.13	704.34
जोड : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	155.80	491.05
शेष प्रावधान	296.93	1,195.39
घटाव : वापस लिए गए प्रावधान	73.89	334.94
31.03.2019 को व्यवसाय प्राप्य के विरूद्ध शेष प्रावधान	223.04	860.45

टिप्पणी :

व्यापार प्राप्य के विरूद्ध 860.45 करोड (704.34 करोड़) का प्रावधान कोयला गुणवत्ता भेद प्रसरण के लिए प्रस्तुत नमुनो के प्रतीक्षित परीणाम के आने तक किया गया है।

31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 14 – नकद एवं नकद तुल्य

(मूल्य ₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को	31.03.2018 को
(ए) बैंको के साथ शेष		
जमा खाता मे	0.90	4.10
चालू खाते मे		
– ब्याज सहित	27.35	99.76
– गैर–ब्याज सहित	216.53	52.91
नकद ऋण खाते में	—	—
(बी) भारत के बाहर के बैंक बचत	—	—
(सी) हस्तगत चेक, ड्राफ्ट्स एवं स्टैम्प्स	0.01	5.55
(डी) हस्तगत नकद	—	0.02
(इ) भारत के बाहर का हस्तगत नकद	—	—
(एफ) अन्य (परिवहन में धन प्रेषण)	—	—
उप–कुल नकद एवं नकद समान	**244.79**	**162.34**
(जी) बैंक ओवरड्राफ्ट्स	—	—
कुल नकद एवं नकद तुल्य (निबल बैंक ओवरड्राफ्ट्स)	**244.79**	**162.34**

टिप्पणी :

1. मार्जिन राशि या सिक्युरिटी के विरूद्ध उधार, गारंटी, अन्य प्रतिबद्धताओ के विरूद्ध मे बैंकों के साथ शेष राशि शून्य है।
2. हस्तगत नकद शेष राशि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित नकद सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार है।
3. दो अदालती मुकदमो के मामले मे सीसीएल द्वारा जारी की गई बैंक गारंटी जो 08/08 के मामले में घीसा लाल गोयल बनाम सीसीएल और मेसर्स नव शक्ति फ्यूल्स बनाम सीसीएल तथा अन्य एएफए संख्या 101/2007 और सचिव के विरूद्ध 0.90 करोड रू. की राशि खाता सं. – 04040002100045433 में ग्रहणाधिकार के विरूद्ध जमा किया गया।

31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 15 – अन्य बैंक शेष

(मूल्य ₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को	31.03.2018 को
बैकों के साथ शेष		
जमा खाता	868.16	1,233.73
खान बंदीकरण योजना	–	–
स्थानांतरण एवं पुनर्वासन निधि स्कीम	–	–
शेयरो के पुन खरीद के लिए एस्क्रो एकाउन्ट	–	–
अदत्त लाभाश एकाउन्ट	–	–
लाभांश एकाउन्ट	–	–
योग	**868.16**	**1,233.74**

जमा में शामिल :

(i) माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के आदेशानुसार 5.97 करोड रू. ग्राहक के दावे के विरूद्ध जमा किया गया है जिसमे अन्य वर्तमान देयता (नोट : 23) के साथ तदनरूपी देयता के 1.84 करोड रू. का ब्याज शामिल है।

(ii) नवम्बर 2006 से अप्रैल 2008 की अवधि के दौरान पार्टियों पर चार्ज किए गए 20 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के अनुसार 27.81 करोड़ रू. जाम किए गए हैं।

(iii) मेसर्स आधुनिक एलॉयज एण्ड पावर लिमिटेड की बैंक गारंटी के भुनाई के विरू, माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड, 2016 के केस सं. डब्ल्यूपी (सी) 4179 के आदेशानुसार 15.96 करोड रू. जमा किए गए।

(iv) 162 करोड रू. की सावधी जमा के विरूद्ध 150 करोड रू. का अल्पकालिक ऋण 2017–18 में उठाया गया है।

31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 16 – इक्विटी शेयर कैपिटल

(मूल्य ₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को	31.03.2018 को
अधिकृत		
रू. 1000/– प्रत्येक के 1,10,00,000 इक्विटी शेयर (रू. 1000/– प्रत्येक के 1,10,00,000 इक्विटी शेयर)	1,100.00	1,100.00
निग्रत, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
रू. 1000/– प्रत्येक के 94,00,000 इक्विटी शेयर (रू. 1000/– प्रत्येक के 94,00,000 इक्विटी शेयर)	940.00	940.00
	940.00	940.00

टिप्पणी :

1 उपरोक्त मे से 9399997 शेयर्स, नियंत्रक कंपनी कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा रखे गए हैं तथा शेष 3 शेयर इसके नामित द्वारा रखे गए हैं।

2. 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारको का कम्पनी मे शेयर

शेयरधारक का नाम	31.03.2019 को		31.03.2018 को	
	शेयरों की सं. (प्रत्येक का अंकित मूल्य रू. 1000/–)	कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की सं. (प्रत्येक का अंकित मूल्य रू. 1000/–)	कुल शेयरों का प्रतिशत
कोल इण्डिया लिमिटेड	9399997	100	9399997	100

3. कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसका अंकित मूल्य 1000/– रू. प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरधारक समय समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने और शेयरधारकों की बैठक मे शेयर होल्डिंग के अनुपात में वोटिंग अधिकार के हकदार है। निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित लाभांश से बड़ा कोई भी लाभांश घोषित नहीं किया जाएगा।

31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 17 – अन्य इक्विटी

(मूल्य ₹ करोड़ों में)

विवरण	सामान्य संचय	सुरक्षित उपार्जन	ओसीआई	कुल
01.04.2017 को शेष	2,029.00	215.26	52.39	2,296.65
लेखा नीति में परिवर्तन	—	—	—	—
पूर्व अवधि त्रुटि (निबल कर)	—	308.64	—	308.64
01.04.2017 को शेष	**2,029.00**	**523.90**	**52.39**	**2,605.29**
वर्ष के दौरान वृद्धि	—	—	—	—
वर्ष के दौरान समायोजन	—	0.04	—	0.04
वर्ष के दौरान कुल विस्तृत आय	—	807.76	101.74	909.50
विनियोग				
हस्तांतरित/सामान्य संचय से	39.48	(39.48)	—	—
हस्तातरित/अन्य संचय से	—	—	—	—
अंतरिम लाभांश	—	(531.10)	—	(531.10)
अंतिम लाभांश	—	—	—	—
निगम लाभांश कर	—	(108.12)	—	(108.12)
इक्विटी शेयरों का बाय–बैक	—	—	—	—
बाय–बैक पर कर	—	—	—	—
पूर्व संचलित व्यय	—	—	—	—
परिभाषित लाभ योजना की प्रतिपूर्ति (निबल कर)	—	—	—	—
31.03.2018 को शेष	**2,068.48**	**653.00**	**154.13**	**2,875.61**
01.04.2018 को शेष	2,068.48	653.00	154.13	2,875.61
वर्ष के दौरान वृद्धि	—	—	—	—
वर्ष के दौरान समायोजन	—	—	—	—
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटि	—	—	—	—
वर्ष के दौरान कुल विस्तृत आय	—	1,705.22	(19.69)	1,685.53
विनियोग			—	—
हस्तांतरित/सामान्य संचय से	76.17	(76.17)	—	—
हस्तातरित/अन्य संचय से	—	—	—	—
अंतरिम लाभांश	—	(297.04)	—	(297.04)
अंतिम लाभांश	—	—	—	—
निगम लाभांश कर	—	(61.06)	—	(61.06)
इक्विटी शेयरों का बाय–बैक	—	—	—	—
बाय–बैक पर कर	—	—	—	—
परिभाषित लाभ योजना की प्रतिपूर्ति (निबल कर)	—	—	—	—
31.03.2019 को शेष	**2,144.65**	**1,923.85**	**134.44**	**4,203.04**

31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 18 – उधार

(मूल्य ₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को	31.03.2018 को
गैर–चालू		
सावधी ऋण	–	–
अन्य ऋण	–	–
कुल	–	–
वर्गीकरण		
सुरक्षित –	–	
असुरक्षित –	–	
चालू		
मांग पर देय योग्य ऋण		
– बैंकों से	–	150.00
– अन्य पार्टियों से	–	–
कुल	–	150.00
वर्गीकरण		
सुरक्षित	–	150.00
असुरक्षित	–	–

निदेशकों एवं अन्य के द्वारा गारंटीकृत ऋण

ऋण का वर्गीकरण	राशि करोड़ रु. में	गारंटी की प्रकृति
लागू नहीं	शून्य	शून्य

टिप्पणी :

1 नगद ऋण सुविधा

कंपनी के पास होल्डिंग कंपनी सीआईएल के माध्यम से बैंकरों के कंसोर्टियम (लीड बैंक के रूप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) 55 करोड़ रू की नगद ऋण की सुविधा है उपर्युक्त सुविधाएं मौजूदा परिसंपत्तियों की संपार्श्विक जमानत पर हाइपोथीपीकेशन चार्ज लगाकर जिसमें वही ऋण कच्चे माल का स्टॉक, अर्द्ध तैयार और तैयार माल, स्टोर और स्पेयर शामिल हैं जो संयंत्र और उपकरण से (उपभोग्य स्टोर और स्पेयर) संबंधित नहीं है, जिसकी सीमा 83.00 करोड़ रू. है।

2 162 करोड़ रू. की सावधी जमा के विरूद्ध 150 करोड़ रू. का अल्पकालिक ऋण उठाया गया है।

31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 19 – व्यापार देयताएँ

(मूल्य ₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को	31.03.2018 को
चालू		
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए व्यापार देयताएँ	–	–
अन्य व्यापार देयताओं के लिए		
भंडार एवं कलपूर्जे	122.12	129.24
पावर एवं ईंधन	33.63	34.21
वेतन और भत्ते	328.40	323.56
अन्य	–	–
कुल	**484.15**	**487.01**
वर्गीकरण		
सुरक्षित	–	–
असुरक्षित	484.15	487.01

नोट – 20 – अन्य वित्तीय देयताएँ

(मूल्य ₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को	31.03.2018 को
गैर चालू		
सुरक्षित जमा	59.47	52.03
बयाना धन	6.23	1.62
अन्य	4.91	6.44
कुल	**70.61**	**60.09**
चालू		
होल्डिंग कम्पनी के साथ चालू खाता	25.16	–
दीर्घ अवधि ऋण की चालू परिपक्वता	–	–
अदत्त लाभांश	–	–
सुरक्षा जमा राशि	174.85	119.71
पूंजीगत व्यय के लिए देय	167.90	128.65
बयाना धन	130.48	117.23
अन्य	4.36	5.48
कुल	**502.75**	**371.07**

31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 21 – प्रावधान

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को	31.03.2018 को
गैर चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्युटी	308.29	605.87
अवकाश नगदीकरण	166.30	107.11
अन्य कर्मचारी लाभ	133.61	218.50
	608.20	931.48
स्थल पुनःस्थापन/खान बंदीकरण	1,087.26	1,024.26
स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन	1,715.91	1,368.31
अन्य	–	–
कुल	**3,411.37**	**3,324.05**
चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्युटी	381.72	315.79
अवकाश नगदीकरण	47.38	34.67
एक्स–ग्रेसिया	225.25	223.67
प्रदर्शन संबंधित भुगतान	153.92	57.26
अन्य कर्मचारी लाभ	167.73	286.89
एनसीडब्ल्यूए–X	13.57	474.73
अधिकारियों का वेतन पुनरीक्षण	18.20	136.26
	1,007.77	1,529.27
स्थल पुनःस्थापन/खान बंदीकरण	–	–
अन्य	–	–
कुल	**1,007.77**	**1,529.27**

टिप्पणी

1. एनसीडब्ल्यूए–एक्स के मद में 1.06 करोड़ रू. की कुल देयता का निवल व्यय निर्धारण 14.63 करोड़ रू. के आग्रिम से किया गया है।
2. स्थल पुनःस्थापन/खान बंदीकरण सुधार का मिलान रू

01.04.2015 को स्थल बहाली परिसम्पति का सकल मूल्य	664.75	664.75
जोड़ें : प्रावधानों के खोलने पर प्रभारित (पूंजीकृत सहित) तक 31.03.2018 / 31.03.2017	359.50	307.28
जोड़ें : वर्तमान वर्ष के लिए प्रावधानो के खोलने पर प्रभारित (पूंजीकृत सहित)	69.53	68.41
कम : वर्ष के दौरान वापस लिया गया खान बंदीकरण प्रावधान	6.52	16.19
31.03.2019 को खान बंदीकरण प्रावधान	**1,087.26**	**1,024.25**
एस्क्रो खाता शेष		
प्रारंभिक तिथि पर एस्क्रो खाता (चालू/गैर–चालू) में शेष	1,019.85	872.19
जोड़ें : चालू वर्ष में शेष राशि जमा	112.46	111.57
जोड़ें : वर्ष के दौरान ब्याज जमा	49.70	36.09
कम : चालू वर्ष के दौरान वापस ली गई राशि	–	–
समापन तिथि पर एस्क्रो खाते (चालू/गैर चालू) में शेष	**1,182.01**	**1,019.85**

3. गैर अधिकारियों के एक्स–ग्रेसिया के लिए प्रति वर्ष प्रति कर्मचारी 60500/–रू. (विगत वर्ष 57000/– रू.) प्रति वर्ष के संशोधित दर के अनुसार प्रावधान किया गया है।
4. अवकाश नगदीकरण देयताओं का निवल व्यय निर्धारण रू. 265.92 करोड़ रू हुआ बीमांकिक देयताओं के विरूद्ध एलआईसी के पास जमा है।
5. खान बंदीकरण योजना के संबंध में भारत सरकार के कोयला मंत्रालय से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी सीएमपीडीआईएल के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर खाते में खान बंदीकरण की लागत का प्रावधान किया जाता है। सीएमपीडीआईएल द्वारा प्रत्येक खान की ऐसी देयताओं की अनुमानित लागत पर @ 8% (यानि जी–सेक दर) की दर से छूट दी गई है और उक्त को ही खान बंदीकरण देयता तक पहुंचने के लिए प्रथम वर्ष को ही प्रावधान को बनाने में इसे पूंजीकृत किया जाता है। तदन्तर, आगामी वर्षों में देय छूट को कम कर, 31.03.2019 के उक्त प्रावधान पर पहुंचा गया है। 1069.26 करोड़ रू. (विगत वर्ष 1007.59 करोड़ रू.) के खान बंदीकरण प्रावधान के विरूद्ध, 1182.01 करोड़ रू. (विगत वर्ष 1019.85 करोड़ रू.) एस्क्रो एकाउन्ट में जमा है, जिसमें 253.91 करोड़ रू. (विगत वर्ष 198.81 करोड़ रू.) ब्याज है।

31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 22 – अन्य गैर–चालू देयताएँ

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को	31.03.2018 को
स्थानांतरण एवं पुनःस्थापन निधि	–	–
आस्थगित आय*	540.84	438.46
योग	**540.84**	**438.46**

* इसमें टोरी–शिवपुर परियोजना के लिए सीसीडीएसी से प्राप्त अनुदान शामिल है जो 536.55 करोड़ रू. है (गत वर्ष 434.17 करोड़) और एन. के. क्षेत्रों के सड़कों के मजबूतीकरण हेतु 4.29 करोड़ थी (गत वर्ष 4.29 करोड़)।

नोट – 23 – अन्य चालू देयता

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को	31.03.2018 को
वैधानिक देय	879.49	725.14
कोयला आयात के लिए अग्रिम	–	–
ग्राहकों/अन्य से प्राप्त अग्रिम	2,691.88	3,181.55
शेष संतुल्य लेखा	–	–
अन्य देयता	928.94	870.79
योग	**4,500.31**	**4,777.48**

31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 24 – संचालन से राजस्व

(₹ करोड़ों में)

			31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
ए.	कोयले की बिक्री		**16,343.92**		**15,728.80**
	घटाव : अन्य वैधानिक लेवी		5,069.93		4,715.50
	कोयले की बिक्री (निबल) (ए)		**11,273.99**		**11,013.30**
बी.	अन्य संचालित राजस्व				
	बालू भराई एवं सुरक्षात्मक कार्यों के लिए अनुदान		–		1.05
	लोडिंग तथा अतिरिक्त यातायात खर्च	590.64		453.62	
	घटाव : जीएसटी	28.13		17.38	
	घटाव : अन्य वैधानिक लेवी	–	562.51	2.43	433.81
	निकासी सुविधा शुल्क	360.57		107.68	
	घटाव : अन्य वैधानिक लेवी	17.17	343.40	5.13	102.55
	अन्य संचालन से राजस्व (निबल) (बी)		**905.91**		**537.41**
	संचालन से राजस्व (ए+बी)		**12,179.90**		**11,550.71**

विसमूहित राजस्व सूचना के लिए नोट – 38 के अंक 6(एम) में उल्लेख किया गया है।

31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 25 – अन्य आय

(मूल्य ₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय	117.08	266.53
लाभांश आय	4.92	10.59
अन्य गैर–चालू आय		
एपेक्स शुल्क	—	—
परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ	—	—
विदेशी मुद्रा से लेन–देन से प्राप्ति	—	—
विनिमय दर में बदलाव	—	—
लीज लगान (स्रोत पर कटौती की गई कर 0.06 करोड़ रू. (पिछले वर्ष 0.08 करोड़ रू.)	4.06	4.02
वापस लिया गया देयता/प्रावधान	71.79	136.25
विविध आय	116.97	93.29
कुल	**314.82**	**510.68**
विविध आय		
पैनाल्टी/एलडी वसूली	41.49	46.13
साइडिंग शुल्क की वसूली	8.63	5.77
कर्मचारियों से वसूली	25.63	12.86
अन्य	41.22	28.53
कुल	**116.97**	**93.29**

टिप्पणी :

* बैंक जमा से ब्याज में एस्क्रो एकाउन्ट का ब्याज 60.48 करोड़ रू. (विगत वर्ष 43.19 करोड़) के साथ उपार्जित ब्याज 5.38 करोड़ (विगत वर्ष 3.08 करोड़ रू.) शामिल है। (नोट स. – 21 देखें)

31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 26 – उपभोग किए गए सामान की लागत

(मूल्य ₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
विस्फोटक	194.09	152.85
लकड़ी	0.30	0.40
ऑयल एवं ल्युब्रिकेंट्स	383.37	350.19
एचइएमएम कलपुर्जे	146.21	132.58
अन्य उपभोग लायक स्टोर एवं कलपुर्जे	72.31	79.00
कुल	796.28	715.02

31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 27 – तैयार सामान, कार्य प्रगति पर तथा व्यापार में भंडार की संपत्ति सूचियों में परिवर्तन

(मूल्य ₹ करोड़ों में)

		31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
	कोयले का प्रारंभिक भंडार	1,206.37	1,717.42
	कोयले का अंतिम शेष भंडार	1,229.85	1,206.37
ए.	कोयले की संपत्ति सूची में परिवर्तन	**(23.48)**	**(511.05)**
	वर्कशॉप में निर्मित सामान और प्रगति में कार्य का प्रारंभिक भंडार	4.12	5.73
	वर्कशॉप में निर्मित सामान और प्रगति में कार्य का अंतिम शेष भंडार	4.08	4.12
बी.	वर्कशॉप में निर्मित तैयार सामान, प्रगति में कार्य और प्रेस कार्य के संपत्ति सूची में परिवर्तन	**0.04**	**1.61**
	व्यापार में भंडार की संपत्ति सूची में परिवर्तन (ए+बी+सी)(कमी/वृद्धि)	**(23.44)**	**512.66**

नोट – 28 – कर्मचारी लाभ व्यय

(मूल्य ₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन एवं मजदूरी (भत्ता एवं बोनस इत्यादि सहित)	3,755.20	3,754.14
पीएफ एवं अन्य निधि में अंशदान	1,139.28	1,529.21
कर्मचारी कल्याण व्यय	234.38	195.20
कुल	**5,128.86**	**5,478.55**

31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 29 – निगमित सामाजिक दायित्व व्यय

(मूल्य ₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	41.14	37.90
कुल	**41.14**	**37.90**

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा तैयार किये गए सीएसआर नीति में कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य प्रासंगिक सूचनाओं की विशेषताएं शामिल हैं। सीएसआर के लिए निधि, तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए औसत शुद्ध लाभ का 2% या विगत वर्ष के कोयला उत्पादन का ₹ 2.00 प्रति टन, जो भी अधिक है, ₹ 45.78 करोड़ होता है। (विगत वर्ष ₹ 54.80 करोड़)।

विवरण	नकद में	नकद में भुगतान करना बाकी	कुल
(i) परिसंपत्तियो का निर्माण/अधिग्रहण	6.27	23.44	29.71
(ii) अन्य उपरोक्त के अलावा किसी और प्रयोजन के लिए	10.26	1.17	11.43
कुल	**16.53**	**24.61**	**41.14**
कुल	**35.01**	**2.89**	**37.90**

नोट – 30 – मरम्मत

(मूल्य ₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
भवन	245.57	199.61
संयंत्र एवं मशीनरी*	111.47	110.45
अन्य	17.53	16.63
कुल	**347.57**	**326.69**

* 149.90 करोड़ रू. वर्कशॉप खर्च के साथ निवलित (पिछले वर्ष 140.07 करोड़ रू)

31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 31 – संविदात्मक व्यय

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
परिवहन व्यय	316.27	373.80
संयंत्र एवं उपकरण का किराया	858.96	804.63
अन्य संविदात्मक कार्य	146.90	115.95
कुल	**1,322.13**	**1,294.38**

नोट – 32 – वित्तीय लागत

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
उधार	5.16	101.70
छूट पर रियायत	69.53	67.21
अन्य	0.57	1.90
कुल	**75.26**	**170.81**

31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 33 – प्रावधान (प्रतिवर्तित का निबल)

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(ए) किया गया भत्ता/प्रावधान		
संदेहात्मक ऋण	155.80	88.41
संदेहात्मक ऋण एवं दावे	1.60	1.35
भंडार एवं कलपूर्जे	1.11	0.09
अन्य (सीडब्ल्यूआईपी पर प्रावधान)	11.31	8.18
कुल (ए)	**169.82**	**98.03**
(बी) प्रतिवर्तित भत्ता/प्रावधान		
संदेहात्मक ऋण	73.89	97.02
संदेहात्मक ऋण एवं दावे	1.98	—
भंडार एवं कलपूज	—	—
अन्य	—	—
कुल (बी)	**75.87**	**97.02**
कुल (ए-बी)	**93.95**	**1.01**

टिप्पणी :

वर्ष के दौरान रेफर किए गए नमूनों के प्रतिक्षित परिणाम के लिए कोयला गुणवत्ता असंगति के मद में 290.15 करोड़ रू. (236.32 करोड़ रू.) का निबल प्रावधन किया गया है।

ग्रेड विचरण के लिए भत्ता/प्रावधान, क्रेडिट नोटों की अनुमानित राशि है, जो नमूना परीक्षणों के परिणामों के आधार पर जारी किए जा सकते हैं, जो अपेक्षित हैं।

31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 34 – बट्टे खाते डाला गया (पूर्व प्रावधानों का निबल)

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
संदेहात्मक ऋण	—	258 97
घटाव : पहले किया गया प्रावधान	—	258.25
	—	0.72
संदेहात्मक अग्रिम	—	—
घटाव : पहले किया गया प्रावधान	—	—
कुल	—	**0.72**

31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 35 – अन्य व्यय

(मूल्य ₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
यातायात व्यय	21.35	19.77
प्रशिक्षण व्यय	8.43	6.34
टेलिफोन एवं पोस्टेज	3.38	3.05
विज्ञापन एवं प्रकाशन	3.27	3.76
धुलाई शुल्क	—	0.02
डेम्रेज	35.61	25.88
सुरक्षा व्यय	192.05	175.70
सीआईएल का सेवा शुल्क	68.72	63.43
किराया शुल्क	53.96	44.43
सीएमपीडीआई शुल्क	55.54	41.13
कानूनी व्यय	6.24	5.58
परामर्श शुल्क	1.43	1.10
अंडर लोडिंग शुल्क	171.35	199.57
बिक्री पर हानि/हटाया गया/सर्वे–ऑफ किया हुआ संपत्ति	9.92	3.10
अंकेक्षणों का पारिश्रमिक एवं व्यय		
अंकेक्षण फीस के लिए	0.21	0.21
कर संबंधी मामले	—	—
अन्य सेवाओं के लिए	0.23	0.21
व्ययों की प्राप्ति	0.12	0.11
आंतरिक एवं अन्य अंकेक्षण व्यय	2.58	2.56
पुनःस्थापन शुल्क	41.03	40.54
किराया	0.58	0.52
दर एवं कर	285.06	310.24
बीमा	1.07	0.90
विनिमय दर मे बदलाव से हानि	—	—
बचाव/सुरक्षा व्यय	2.64	2.31
समाप्त किराया/सतही किराया	0.16	0.18
साइडिंग रख–रखाव शुल्क	23.32	9.21
आर एंड डी व्यय	—	0.38
पर्यावरण एवं वृक्षारोपण व्यय	4.19	3.02
शेयरों के पुनः खरीद पर व्यय	—	—
विविध व्यय	76.67	58.96
कुल	**1,069.11**	**1,022.21**

टिप्पणी :

1. कोयला मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार पुनर्वास शुल्क, 41.03 करोड़ रू. (विगत वर्ष 40.45 करोड़ रू.) को सीआईएल से प्राप्त डेबिट ज्ञापन के आधार पर डेबिट किया गया।

2. होल्डिंग कपनी सीआईएल द्वारा कोयले के उत्पादन पर @ 10 रू. प्रति टन की दर से लगाए गए सेवा शुल्क की कुल राशि 68.72 करोड़ रू. (पिछले वर्ष 63.43 करोड़ रू.) जिसका उपयोग खरीदी, विपणन, कॉर्पोरेट सेवा आदि जैसे विभिन्न सेवाओं के लिए सीआईएल से प्राप्त डेबिट ज्ञापन के आधार पर किया गया।

31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 36 – कर व्यय

(मूल्य ₹ करोड़ों में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान वर्ष	979.83	855.41
आस्थगित कर	8.49	(275.70)
मैट क्रेडिट इनटाइटलमेंट विगत वर्षों के लिए	—	—
पहले के वर्ष —	—	
कुल	**988.32**	**579.71**

कर व्यय एवं लेखा लाभ का भारतीय घरेलु कर दर से गुना कर सामंजस्य :

कर से पहले लाभ	**2,693.96**	**1,387.46**
34.944 प्रतिशत कंपनी की घरेलु कर दर पर कर (विगत वर्ष 34.944 प्रतिशत)	**941.38**	**480.32**
कर प्रभाव		
गैर कटौती योग्य कर व्यय	40.17	378.76
कर छूट प्राप्त आय	(1.72)	(3.66)
विगत वर्ष के सापेक्ष चालू आयकर का समायोजन	—	—
लाभ एवं हानि विवरण में प्रतिवेदित आयकर व्यय	979.83	**855.41**
प्रभावी आयकर दर	**34.944%**	**34.608%**

आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं)

आस्थगित कर देयताएं :		
अचल सपत्ति से संबद्ध	(4.42)	3.60
अन्य	—	—
कुल आस्थगित कर देयताएं	**(4.42)**	**3.60**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
संदेहात्मक अग्रिम, दावे एवं ऋण हेतु प्रावधान	386.92	301.32
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान	514.01	635.43
अन्य	133.74	114.43
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**1,034.67**	**1,051.18**
निबल स्थगित कर परिसंपत्तियां/(आस्थगित कर देयताएं)	**1,039.09**	**1,047.58**

31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 37 – अन्य विस्तृत आय

(मूल्य ₹ करोड़ों में)

			31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(ए)	(i)	लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं होनेवाले मद		
		परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमापन	(30.27)	155.59
		कुल (ए)	**(30.27)**	**155.59**
	(ii)	लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं होनवाले आयकर संबंधित मद		
		परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमापन	(10.58)	53.85
		कुल (बी)	**(10.58)**	**53.85**
		कुल [सी = ए–बी]	**(19.69)**	**101.74**

नोट – 38 : 31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

1. उचित मूल्य मापन

(ए) श्रेणी अनुसार वित्तीय साधन

(₹ करोड़ों में)

	31 मार्च, 2019		31 मार्च, 2018	
	एफभीटीपीएल	परिशोधन लागत	एफभीटीपीएल	परिशोधन लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश :	—	—	—	—
अधिमान शेयर -इक्विटी अग -ऋण अंग	— —	— —	— —	— —
म्युचुवल फंड/आईसीडी	52.56	—	—	—
अन्य निवेश	—	—	—	—
ऋण	—	0.66	—	0.47
जमा एवं प्राप्य	—	2096.11	—	2071.60
व्यापार प्राप्य	—	1095.13	—	1121.00
नकद एवं नकद समतुल्य	—	244.79	—	162.34
अन्य बैंक शेष	—	868.16	—	1233.74
वित्तीय देयता				
उधार	—	—	—	150.00
व्यापार देय	—	484.15	—	487.01
प्रतिभूति जमा एवं बयाना धन	—	371.03	—	290.59
अन्य देयताएं	—	9.27	—	11.92

(बी) उचित मूल्य अनुक्रम

वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों के निर्धारण मे किए गए निर्णयों के आंकलनों को नीचे देए गए तालिका में दिखलाया गया है (ए) उचित मूल्य पर मापा गया एवं स्वीकारा गया तथा (बी) अमूर्त लागत पर मापा गया तथा जिसके लिए वित्तीय विवरणों मे उचित मूल्यों को दर्शाया गया है। उचित मूल्य के निर्धारण के लिए उपयोग किए गए आंकड़ों की विश्वसनीयता के बारे में निर्दिष्ट करने के लिए, कंपनी ने अपने वित्तीय साधनों को लेखा मानक के तहत वर्णीत 3 स्तरों में वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ों में)

उचित मूल्य पर मापा वित्तीय संपत्ति एवं देनदारियां	31 मार्च, 2019		31 मार्च, 2018	
	लेवल 1	लेवल 3	लेवल 1	लेवल 3
एफभीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्ति				
निवेश :				
म्युचुवल फंड/आईसीडी	52.56	—	—	—
वित्तीय देयता				
अन्य कोई मद	—	—	—	—

नोट – 38 : 31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ों में)

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति एवं देयता जिसके लिए उचित मूल्यों को 31 मार्च, 2019 को दिखलाया गया है।	31 मार्च, 2019		31 मार्च, 2018	
	लेवल 1	लेवल 3	लेवल 1	लेवल 3
वित्तीय परिसंपत्ति				
निवेश :				
अधिमान शेयर -इक्विटी अंग -ऋण अंग	– – –	– – –	– – –	– – –
म्युचुवल फंड/आईसीडी	52.56	–	–	–
अन्य निवेश	–	–	–	–
ऋण	–	0.66	–	0.47
जमा एवं प्राप्य	–	2096.11	–	2071.60
व्यापार प्राप्य	–	1095.13	–	1121.00
नगद एवं नगद समतुल्य	–	244.79	–	162.34
अन्य बैंक शेष	–	868.16	–	1233.74
वित्तीय देयताएं				
उधार	–	-	–	150.00
व्यापार देय	–	484.15	–	487.01
प्रतिभूति जमा एवं बयाना धन	–	371.03	–	290.59
अन्य देयता	–	9.27	–	11.92

प्रत्येक स्तर का एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

लेवल 1 : लेवल 1 अनुक्रम में उद्धत मूल्यों को उपयोग करते हुए मापी गई वित्तीय साधन शामिल हैं इसमें वैसे म्युचुवल फंड शामिल हैं जिनका मूल्यांकन अंतिम निबल परिसंपत्ति मूल्य का उपयोग करते हुए नियत तिथि पर किया गया है।

लेवल 2 : वित्तीय साधनों जिनका सक्रिय बाजार में व्यापार नहीं किया गया है, के उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक द्वारा किया गया है जो देखे जाने योग्य बाजार आंकड़ों के उपयोग को बढ़ाता है तथा तत्व विशिष्ट आंकलनों पर कम निर्भर रहता है। यदि साधनों के उचित मूल्य के लिए सभी महत्वपूर्ण आंकडे देखे जाने योग्य हैं, तब साधन को लेवल 2 में शामिल किया जाता है।

लेवल 3 : यदि 1 या 1 से अधिक महत्वपूर्ण आंकड़े देखे जाने योग्य बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं है तब साधन को लेवल 3 में शामिल किया जाता है। यह लेवल 3 में शामिल असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियां, प्राथमिक शेयर उधारी, प्रतिभूति जमा एवं अन्य शामिल देयताएं के संबंध में लागू हैं।

(सी) उचित मूल्य के निर्धारण में उपयोग किए जानेवाले मूल्याकन तकनीक

वित्तीय साधनों के मूल्य को निर्धारण करने के लिए प्रयोग किए जानेवाले मूल्यांकन तकनीकों में म्युचुवल फंड साधनों के उद्धत बाजार मूल्यों (एनएवी) का उपयोग शामिल किया जाता है।

(डी) महत्वपूर्ण अनावश्यक निविष्टों का उपयोग कर उचित मूल्य मापन।

वर्तमान में महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष निविष्ट का उपयोग कर उचित मूल्य मापन नहीं है।

नोट – 38 : 31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

(ई) अमूर्त लागत पर मापित वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

- व्यापार प्राप्तियाँ, अल्पकालिक जमा, नकद और नकद समकक्षों की वहनीय रकम, व्यापारिक देनदारियों को उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

- कंपनी मानती है कि प्रतिभूति जमा के अंतर्गत महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं है। संविदा कार्योत्तर भुगतान (सुरक्षा जमा) कंपनी के प्रदर्शन के साथ मेल खाता है और अनुबंध की आवश्यकता के अनुसार वित्तीय प्रावधानो से इतर अन्य कारणों से रकम का प्रतिधारण किया जाता है। अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में असफल होने वाले ठेकेदार का प्रत्येक संविदा कार्योत्तर भुगतान के निर्दिष्ट प्रतिशत को रोकने का अभिप्राय कंपनी के हितों की रक्षा है। तदनुसार, प्रतिभूति जमा के लेनदेन की लागत को प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य माना जाता है और बाद में अमूर्त लागत पर मापा जाता है।

  महत्वपूर्ण आकलन : सक्रिय बाजार में व्यापार नहीं किए जाने वाले वित्तीय उपकरणों के अंकित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक के द्वारा किया जाता है। कंपनी अपने स्वयं के निर्णय से प्रक्रिया का चुनाव करती है तथा प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में उपयुक्त मान्यताओं का निर्माण करती है।

2. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य एवं नीतियाँ

कम्पनी के मुख्य वित्तीय देयताएँ, ऋण एव उधारों, व्यापार एवं अन्य भुगतान योग्य के द्वारा बने होते हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कम्पनी के संचालन के लिए वित्त प्रदान करना तथा संचालन की सहायता के लिए गारंटी मुहैया कराना है। कंपनी के मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों जो कि सीधे इसके संचालन से प्राप्त किए जाते हैं, में ऋण, व्यापार तथा अन्य प्राप्य, नगद एवं नगद समतुल्य शामिल होते हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम से उजागर है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों का प्रबंधन का देखरेख करते हैं । कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन एक जोखिम समिति द्वारा समर्थित है जो वित्तीय जोखिमों पर, कंपनी के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिम शासन ढांचा पर सलाह देते हैं। जोखिम समिति, बोर्ड निर्देशकों को आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियाँ उचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित हैं और वित्तीय जोखिमो की पहचान, माप और प्रबंधन कंपनी की नीतियो और जोखिम उद्देश्यो के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल समीक्षा करती है और इन जोखिमों में से प्रत्येक के प्रबंधन के लिए नितियो पर सहमति देती है, जिन्हें नीचे सक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

यह टिपण्णी जोखिम के स्रोतों के बारे मे बताता है जिनसे इकाई का सपर्क है और कैसे इकाई जोखिम और बचाव लेखांकन के प्रभाव का प्रबंधन वित्तीय वक्तव्यों में करती है।

जोखिम	अनावरण का कारण	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकद और नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य, वित्तीय परिसंपत्ति को परिशोधित लागत पर मापा जाता है	आयुर्वृद्धि विश्लेषण / क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यमो का विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक की क्रेडिट सीमा और जमा अन्य प्रतिभूतिया का विविधीकरण
तरलता जोखिम	उधार और अन्य दायित्व	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनो और उधार लेने की सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम–विदेशी मुद्रा	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त वित्तीय संपत्ति और देनदारियों को भारतीय रूपए में संप्रदाय नहीं किया गया	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित रूप से देखी और समीक्षा की जाती है ।
बाजार जोखिम–ब्याज दर	नकद और नकद समकक्ष, बैंक जमा और म्यूचुअल फंड	कैश फ्लो पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यमों का विभाग (डीपीई दिशानिर्देश) का वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।

कपनी की जोखिम प्रबंधन, निदेशक मंडल द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशानिर्देशो के अनुसार किया जाता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ–साथ अतिरिक्त तरलता के निवेश को कवर करने वाली नीतियों के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है।

नोट – 38 : 31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

ए. क्रेडिट रिस्क

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

प्राप्तियां मुख्य रूप से कोयले की बिक्री से होती हैं। कोयला की बिक्री को मोटे तौर पर ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) और ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री के रूप मे वर्गीकृत किया गया है।

मैक्रो – आर्थिक जानकारी (जैसे नियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) और ई–नीलामी शर्तो के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

ईंधन आपूर्ति समझौता

जैसा कि विचारा गया तथा एनसीडीपी के शर्त्तो के अनुसार, हम अपने ग्राहकों या राज्य के द्वारा नामित एजेन्सियों के साथ कानूनी रूप से बाध्य ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) करते हैं जो कि इस फलस्वरूप ग्राहकों के साथ उपयुक्त वितरण समझौता मे तब्दील होता है। हमारे एफएसए वृहत रूप से इन श्रेणियों में बाँटे जा सकते हैं :

- पावर युटिलिटी क्षेत्र मे ग्राहकों के साथ एफएसए, जिसमे स्टेट पावर युटिलिटी, प्राइवेट पावर युटिलिटी (पीपीयू) तथा स्वतंत्र पावर उत्पादक (आइपीपी) शामिल हैं
- नॉन–पावर उद्योगो मे ग्राहको के साथ एफएसए (कैप्टिव पावर प्लांट सहित "सीपीपी")
- राज्य द्वारा नामित एजेन्सियो के साथ एफएसए

ई–नीलामी योजना

कोयले का ई–नीलामी योजना को वैसे ग्राहकों के लिए कोयला मुहैया कराने के लिए लाया गया है जो विभिन्न कारणों के कारण एनसीडीपी के तहत मौजूद संस्थागत तरीकों के द्वारा अपने कोयले की आवश्यकता को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं थे, उदाहरण के लिए, एनसीडीपी के तहत उनके सामान्य आवश्यकता के पूरे आवंटन के जगह कम आवंटन, उनके कोयला आवश्यकता का समयावधि तथा कोयले की सीमित आवश्यकता जिसके लिए दीर्घावधि जुड़ाव की आवश्यकता नही है। ई–नीलामी के तहत दी जानेवाली कोयले की मात्रा की समीक्षा समय–समय पर कोल मंत्रालय के द्वारा की जाती है।

क्रेडिट जोखिम तब उत्पन्न होता है जब प्रतिपक्षीय दायित्वों पर प्रतिपक्ष चूक होती है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय नुकसान होता है।

अनुमानित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान

कम्पनी, आजीवन अनुमानित क्रेडिट हानियों (सरलीकृत पहुंच) के द्वारा संदेहात्मक/क्रेडिट विकृत परिसंपत्तियों के लिए अनुमानित क्रेडिट जोखिम हानि के लिए प्रावधान करती है।

व्यापार प्राप्य के लिए अनुमानित ऋण हानि का सरलीकृत दृष्टिकोण

नोट – 38 : 31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

31.03.2019 को सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत व्यापार प्राप्य के लिए अनुमानित ऋण हानि का मिलान :

काल प्रभावन	2 महीनों से बकाया	6 महीनों से बकाया	1 साल से बकाया	2 साल से बकाया	3 साल से बकाया	3 साल से अधिक का बकाया	कुल
सकल अग्रणित राशि	390.66	742.93	380.74	237.15	269.60	157.54	2178.62
अनुमानित हानि दर	23.85	32.21	44.94	79.41	87.54	98.74	49.73
अनुमानित ऋण हानि प्रावधान – संदेहात्मक ऋण	-	-	-	56.53	18.63	147.88	223.04
– ग्रेड विचरण	93.19	239.30	171.12	131.80	217.37	7.67	860.45

31.03.2018 को

(₹ करोड़ों में)

काल प्रभावन	2 महीनों से बकाया	6 महीनों से बकाया	1 साल से बकाया	2 साल से बकाया	3 साल से बकाया	3 साल से अधिक का बकाया	कुल
सकल अग्रणित राशि	480.06	425.67	591.35	170.13	132.18	167.08	1966.47
अनुमानित हानि दर	26.12	30.50	34.01	73.39	82.18	93.17	42.99
अनुमानित ऋण हानि प्रावधान – संदेहात्मक ऋण	18.54	21.56	20.09	30.08	26.55	24.31	141.13
– ग्रेड विचरण	106.86	108.27	181.01	94.78	82.07	131.36	704.34

(₹ करोड़ों में)

	खराब एवं संदेहात्मक ऋण	गुणवत्ता विचरण
01.04.2018 को हानि के लिए प्रावधान	141.13	704.34
हानि के लिए प्रावधान में बदलाव	81.91	156.11
31.03.2019 मे हानि के लिए प्रावधान	223.04	860.45

वित्तीय परिसंपत्तियों के महत्वपूर्ण आंकलन एवं निर्णय दुर्बलता

वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए उपरोक्त प्रदर्शित किए गए क्षति प्रावधान दोष की जोखिम एवं अनुमानित हानि दरों के बारे में मान्यताओं पर आधारित होती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी के पूर्व इतिहास, वर्तमान बाजार हालात साथ ही साथ भावी आंकलनों के आधार पर, कंपनी इन मान्यताओं को बनाने एव क्षति गणना के लिए आंकड़ों का चयन करने हेतु निर्णय उपयोग करती है।

बी. तरलता जोखिम

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन का अभिप्राय होता है, पर्याप्त नगद तथा विपणन योग्य प्रतिभूतियों का रखरखाव एवं बकाए दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं की पर्याप्त राशि के माध्यम से धन को उपलब्धता बनाए रखना। अंकित व्यवसायों के गतिमान प्रकृति के कारण, कंपनी कोष प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइन के तहत उपलब्धता के निर्वहन द्वारा धन जुटाने में लचीलापन का निर्वाह करती है।

प्रबंधन, कंपनी के तरलता स्थिति के अनुमानों (निकासी किए गए उधार सुविधाओं के साथ, नीचे वर्जित) एवं अनुमानित नगद प्रवाहो के आधार पर नगदी एवं नगद समतुल्य का संचालल करती हैं। यह आमतौर पर कंपनी के द्वारा तय किए गए सीमाओ एवं प्रयासों के अनुसार कंपनी के संचालन में लोकल स्तर पर की जाती है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के बैंक उधार को कोयला, भंडार और कोयला के स्टॉक, स्पेयर पार्ट्स और पुस्तक ऋण के खिलाफ प्रभारी बनाकर बैंकों के कंसोर्टियम के भीतर सुरक्षित किया गया है। सीसीएल को उपलब्ध कुल कार्यशील पूंजी ऋण सीमा ₹ 55.00 करोड़ है जिसमे निधि आधारित सीमा ₹ 83.00 करोड़ है। इसके अलावा, ₹ 2000.00 करोड़ की कंसोर्टियम के बाहर गैर–निधि आधारित सीमा एचईएमएम का आयात सुविधा के लिए स्थापित किया गया था। कोल इंडिया लिमिटेड आकस्मिक रूप से सहायक कंपनियों द्वारा उपयोग की जाती इस तरह की सुविधा तक उत्तरदायी है।

नोट – 38 : 31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

नीचे दी गई तालिका में कंपनी के वित्तीय देनदारियों के परिपक्वता प्रोफाइल को अनुबंधित अनदेखा भुगतानों के आधार पर सारांशित किया गया है।

	31.03.2019 को			31.03.2018 को		
	01 वर्ष से कम	01 से 05 वर्ष के मध्य	05 वर्ष से अधिक	01 वर्ष से कम	01 से 05 वर्ष के मध्य	05 वर्ष से अधिक
गैर व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं						
ब्याज दायित्वों सहित उधार	-	-	-	150.00	-	-
व्यापार देयताएं	482.50	1.15	0.50	485.31	1.26	0.44
अन्य वित्तीय देयताएं	503.57	64.41	5.38	371.20	54.65	5.31

सी. बाजार जोखिम

(ए) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त संपत्तियो या देनदारियों से उत्पन्न होता है जो एक मुद्रा में मूल्यवर्ग होते हैं, यह कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (INR) नहीं है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेन–देन से उत्पन्न विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है। विदेशी संचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है एवं और जोखिम का नियमित अनुवर्ती द्वारा प्रबंधित किया जाता है। कंपनी की एक नीति है जिसे विदेशी मुद्रा जोखिम के महत्वपूर्ण होने पर लागू किया जाता है।

बी) कैश फ्लो एवं उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

कम्पनी का मुख्य ब्याज दर जोखिम बैंक जमा के ब्याज दर परिवर्तन के फलस्वरूप आता है, जो कि कम्पनी को कैश फ्लो ब्याज दर जोखिम की ओर ले जाता है। जमा राशियों को स्थाई दर के आधार पर रख–रखाव करना, कम्पनी की नीति है।

कम्पनी, जोखिम का प्रबंधन, डिपार्टमेन्ट ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज (डीपीई) के दिशानिर्देशों, बैंक जमा क्रेडिट लिमिट तथा अन्य प्रतिभूतियो के विविधिताकरण के अनुसार करता है।

पूंजी प्रबंधन

सरकारी स्वामीत्व होने के कारण कम्पनी अपने पूंजी का प्रबंधन, वित्त मंत्रालय के अधीन निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग की दिशानिर्देश के अनुसार करता है।

कम्पनी का पूंजीगत ढ़ांचा इस प्रकार है :

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
इक्विटी शेयर कैपिटल	940.00	940.00
लंबी अवधि ऋण	—	—

3. कर्मचारी लाभ : मान्यता और मापन (भारतीय लेखा मानक –19)

(ए) ग्रैच्युटी :

ग्रेच्युटी को एक परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजना के रूप में बनाए रखा गया है और भारतीय जीवन बीमा निगम में योगदान दिया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, परिभाषित लाभ का वर्तमान मूल्य घटाव दायित्व योजना परिसपत्तियों का उचित मूल्य के तौर पर परिभाषित लाभ

नोट – 38 : 31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

ग्रेच्युटी योजनाओं के संबंध में तुलन पत्र में प्राप्त देयता या परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना प्रतिवर्ष अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए की जाती है । अनुभव समायोजन और परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले पुनरु माप लाभ और हानि बीमांकिक को उस अवधि में अन्य व्यापक आय के रूप में मान्यता प्राप्त है जिसमें वे होते हैं।

(बी) अवकाश नकदीकरण :

अर्जित अवकाश के लिए देनदारियों को कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद निपटाने की उम्मीद है। वे अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके, रिपोर्टिंग के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबध में, अपेक्षित भविष्य के भुगतान का वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। समीक्षाधीन अवधि के अंत मे बाजार की पैदावार का उपयोग करके लाभ पर छूट दी जाती है जो दायित्व की शर्तो से संबंधित हैं। बीमांकिक मान्यताओं में अनुभव समायोजन और परिवर्तनों के परिणामस्वरूप पुन माप को अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है।

(सी) भविष्य निधि

कंपनी, भविष्य निधि एवं पेंशन निधि के लिए पूर्व–निर्धारित दर पर स्थायी योगदान का भुगतान एक अलग ट्रस्ट कोयला खान भविष्य निधि के नाम से करती है। वर्ष के दौरान निधि के लिए 604.30 करोड़ रूपए (विगत वर्ष 332.14 करोड़ रू.) के योगदान को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी गई है (नोट – 28)

(डी) कंपनी कुछ परिभाषित लाभ योजनाओं का संचालन करती है जिनका मूल्यांकन वास्तविकता के आधार पर होता है, जो कि इस प्रकार है :

(i) निधिक

- ग्रेच्युटी
- अवकाश नकदीकरण
- चिकित्सा लाभ

(ii) अनिधिक

- लाइफ कवर स्कीम
- सेटलमेंट भत्ता
- सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- छुट्टी यात्रा रियायत
- आश्रित को खान दुर्घटना लाभ का क्षतिपूर्ति

दिनांक 31.03.2019 को बीमांकिक के द्वारा मूल्यांकन के आधार पर कुल देयता की राशि 3225.32 करोड़ रू. है जिसका विवरण नीचे वर्णीत है।

(₹ करोड़ों में)

विवरण	01.04.2018 को प्रारंभिक वास्तविक देयता	वर्ष के दौरान वृद्धि विधिगत देयता/ समायोजन	31.03.2019 को अंतिम वास्तविक देयता
ग्रेच्युटी	2388.71	70.33	2459.04
अर्जित अवकाश	370 38	51.16	421.54
अर्ध वेतन अवकाश	38.62	19.44	58.06
लाइफ कवर स्कीम	10.12	0.04	10 16
अधिकारियों का सेटलमेंट भत्ता	7.17	(0.41)	6.76
कर्मचारियों का सेटलमेंट भत्ता	16.60	(0.15)	16.45
सामुहिक व्यक्तिगत बीमा स्कीम	0.15	(0.01)	0 14
एलटीसी	34.36	10.24	44.60
अधिकारियों का चिकित्सा लाभ	174.14	3.52	177.66
कर्मचारियों का चिकित्सा लाभ	4.82	2.12	6.94
खान दुर्घटना मृत्यु के संदर्भ में आश्रितों को क्षतिपूर्ति	25.09	(1.12)	23.97
कुल	**3070.16**	**155.16**	**3225.32**

नोट – 38 : 31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

(iii) बीमांकिक प्रमाण पत्र के अनुसार प्रकटीकरण

ग्रेच्युटी (निधिक) के लिए कर्मचारी लाभ तथा अवकाश नगदीकरण (निधिक) के बीमांकिक प्रमाण पत्र के अनुसार प्रकटीकरण निम्नलिखित है।

31.03.2019 को ग्रेच्युटी देयता का बीमांकिक मूल्यांकन

भारतीय मानक लेखा 19 (2015) के अनुसार प्रमाण पत्र

(₹ करोड़ों में)

परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	31.03.2019 को	31.03.2018 को
अवधि की प्रारंभ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	2388.71	1590.34
चालू सेवा लागत	106.69	99.50
ब्याज लागत	171.01	116.35
योजना संशोधन : अवधि के अंत में निहित भाग (पिछला सेवा)	-	900.33
वित्तीय मान्यता में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक (प्राप्ति)/हानि	28.56	(113.16)
अप्रत्याशित अनुभव के कारण दायित्वों पर बीमांकिक (प्राप्ति)/हानि	11.48	(42.10)
भुगतान किया गया लाभ	247.41	162.55
अवधि के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	2459.04	2388.71

(₹ करोड़ों में)

योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	31.03.2019 को	31.03.2018 को
अवधि की प्रारंभ में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	1516.49	1561.37
ब्याज आय	114.49	117.10
नियोक्ता योगदान	466.41	0.24
भुगतान किया हुआ लाभ	247.41	162.55
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्ति पर प्राप्ति	9.77	0.32
अवधि की अंत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	1859.75	1516.49

(₹ करोड़ों में)

तुलन–पत्र के पुनर्मिलान का विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
निधिक स्थिति	(599.29)	(872.22)
अवधि के अंत में उपेक्षित बीमांकिक (प्राप्ति)/हानि	-	-
निधि परिसंपत्ति	1859.75	1516.49
निधि देयता	2459.04	2388.71

योजना पुर्वानुमान का विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
छूट की दर	7.75%	7.71%
योजना परिसंपत्ति पर अनुमानित प्राप्ति	7.75%	7.71%
क्षतिपूर्ति वृद्धि का दर (वेतन स्फूर्ति)	अधिकारी -9.00% कर्मचारी - 6.25%	अधिकारी -9.00% कर्मचारी - 6.25%
मॉर्टिलिटी सारणी	आईएएलएम 2006–2008 अल्टीमेट	
सेवानिवृति का उम्र	60	60
पूर्व सेवा निवृति एवं असमर्थता	0.30% प्रति वर्ष	0.30% प्रति वर्ष

नोट – 38 : 31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ों में)

लाभ–हानि के विवरण में लिए गए व्यय	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के अंत में	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अंत में
चालू सेवा लागत	106.69	99.50
पूर्व सेवा लागत (निहित)	-	900.33
निवल ब्याज लागत	56.51	(0 75)
लाभ लागत (लाभ–हानि के विवरण में लिए गए व्यय)	163.21	999.08

(₹ करोड़ों में)

अन्य विस्तृत आय	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के अंत में	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अंत में
वित्तीय पूर्वानुमान में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर उचित (लाभ)/हानि	28 56	(113.16)
अप्रत्याशित अनुभव के कारण दायित्वों पर उचित (लाभ)/हानि	11.48	(42.10)
कुल उचित (लाभ)/हानि	40.04	(155.27)
योजना परिसंपत्ति पर प्राप्ति, ब्याज आय को छोड़कर	9.77	0.32
निवल (आय)/लिये गये अवधि में अन्य विस्तृत आय का व्यय	30.27	(155.59)

मृत्यु दर सारणी	
उम्र	मृत्यु दर (प्रति वर्ष)
25	0.000984
30	0 001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0 004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.0258545

योजना सम्पत्ति पर अपेक्षित वापसी का अंतिम मापन का विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
चालू देयता	291.00	266.34
गैर चालू देयता	2168 04	2122 36
निवल देयता	2459.04	2388.70

नोट – 38 : 31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ों में)

31.03.2019 पर ग्रेच्युटी देयता का परिपक्वता विश्लेषण	
वर्ष	(₹ करोड़ों में)
1	301.78
2	267.32
3	240.49
4	220.90
5	212.60
6 से 10	1320.32
10 वर्षों से अधिक	2351.31
अतीत और भविष्य के सेवाओं के कुल गैर रियायती भुगतान	-
अतीत के सेवाओं का कुल रियायती भुगतान	4914.71
ब्याज पर रियायत घटाव	2455.68
अनुमानित लाभ दायित्व	2459.04

ग्रेच्युटी देयता का संवेदनशीलता विश्लेषण	31.03.2019	
	(₹ करोड़ों में)	
	वृद्धि	कमी
रियायत दर (-/+ 0.5%)	2371.64	2552.11
संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले परिवर्तन प्रतिशत	-3.554%	3.785%
वेतन वृद्धि (-/+ 0.5%)	2511.39	2400.98
संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले परिवर्तन प्रतिशत	2.129%	-2.361%
संघर्षण दर (-/+ 0.5%)	2461.32	2456.75
संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले परिवर्तन प्रतिशत	0.093%	-0.093%
मृत्यु दर (-/+ 10%)	2474.18	2443.89
संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले परिवर्तन प्रतिशत	0.616%	-0.616%

31.03.2019 को भारतीय लेखा मानक 19 (2015) के अनुसार अवकाश नकदीकरण लाभ (ईएल/एचपीएल) का बीमांकिक मूल्यांकन प्रमाण – पत्र

(₹ करोड़ों में)

परिभाषिक लाभ बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	31.03.2019 को	31.03.2018 को
अवधि के प्रारंभ में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	409.01	467.75
चालू सेवा लागत	45.47	43.33
ब्याज लागत	26.24	30.14
वित्तीय परिकल्पनाओं में परिवर्तन के कारण बाध्यताओं पर बीमांकिक (वृद्धि))/हानि	6.79	(23.89)
अप्रत्याशित अनुभवों के कारण बाध्यताओं पर बीमांकिक (वृद्धि))/हानि	115.10	45.35
भुगतान किया हुआ लाभ	123.01	153.67
अवधि के अंत पर बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	479.60	409.01

नोट – 38 : 31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ों में)

योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	31.03.2019 को	31.03.2018 को
अवधि की प्रारंभ में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	267.23	276.57
ब्याज आय	20.18	21.32
नियोक्ता योगदान	121.70	125.13
भुगतान किया हुआ लाभ	123.01	153.67
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्ति पर प्राप्ति	(20.18)	(2.11)
अवधि की अंत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	265.92	267.23

(₹ करोड़ों में)

तुलन पत्र के पुनर्मिलान का विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
निधिक स्थिति	(213.68)	(141.77)
निधि परिसंपत्ति	265 92	267.23
निधि देयता	479.60	409.01

(₹ करोड़ों में)

योजना पुर्वानुमान का विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
छूट की दर	7.75%	7.71%
योजना परिसंपत्ति पर अनुमानित प्राप्ति	7.75%	7.71%
क्षतिपूर्ति वृद्धि का दर (वेतन स्फूर्ति)	अधिकारियों 9.00% कर्मचारी 6.25%	अधिकारियों 9.00% कर्मचारी 6.25%
मृत्यु–दर तालिका	आईएएलएम 2006–2008 अल्टीमेट	
सेवानिवृति आयु	60	60
पूर्व–सेवानिवृति एवं असमर्थता	0.30% प्रति वर्ष	0.30% प्रति वर्ष
स्वैच्छिक सेवानिवृति	-	-

(₹ करोड़ों में)

लाभ/हानि के विवरण में अभिज्ञात व्यय	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के अंत में	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अंत में
चालू सेवा लागत	45.47	43.33
निबल ब्याज लागत	6.06	8.82
निबल बीमांकिक लाभ/हानि	142.07	23.57
लाभ लागत(लाभ/हानि के विवरण में अभिज्ञात व्यय)	193.60	75.72

नोट – 38 : 31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

मृत्यु–दर तालिका	
उम्र	मृत्यु दर तालिका (प्रति वर्ष)
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.0258545

(₹ करोड़ों में)

योजना संपत्ति पर अपेक्षित वापसी का अंतिम मापन का विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
चालू देयता	47.38	34.67
गैर चालू देयता	432.22	374.34
निबल देयता	479.60	409.01

(₹ करोड़ों में)

अवकाश नगदीकरण देयता का संवेदनशीलता विश्लेषण	31.03.2019	
		(₹ करोड़ों में)
	वृद्धि	कमी
रियायत दर (-/+ 0.5%)	458.92	501.98
सेवदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले परिवर्तन प्रतिशत	-4.312%	4.668%
वेतन वृद्धि (-/+ 0.5%)	501.85	458.85
सेवदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले परिवर्तन प्रतिशत	4.639%	-4.325%
संघर्षण दर (-/+ 0.5%)	479.67	479.53
सेवदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले परिवर्तन प्रतिशत	0.015%	-0.015%
मृत्यु दर (-/+ 10%)	479.61	479.58
सेवदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले परिवर्तन प्रतिशत	0.003%	-0.003%

31.03.2019 पर अवकाश नगदीकरण देयता का परिपक्वता विश्लेषण	
वर्ष	(करोड़ में)
1	49.14
2	39.66
3	41.98
4	40.10
5	39.40
6 to 10	242.89
10 वर्षों से अधिक	734.37
अतीत और भविष्य की सेवा का कुल गैर रियायती भुगतान	-
अतीत और भविष्य की सेवा का कुल गैर रियायती भुगतान का कुल	1187.54
ब्याज पर रियायत छूट	707.94
अनुमानित लाभ दायित्व	479.60

नोट – 38 : 31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ

कंपनी सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पतिध्पत्नी को सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधा प्रदान करती है। इस चिकित्सा योजना को सेवानिवृत्ति के बाद कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारियो के लिए अलग से कवर की गई है। 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कार्यकारी के लिए चिकित्सा लाभ की योजना को अलग से "कार्यकारी ट्रस्ट के लिए सहायक पोस्ट–रिटायरमेंट मेडिकल स्कीम" के माध्यम से प्रशासित की जाती है। चिकित्सीय लाभों के लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है। 01.01.2007 से पहले कार्यकारी सेवानिवृत्त के लिए – 31.03.2019 को पोषित स्थिति 98.79 करोड रूपए (शून्य) है एवं 31.03.2019 को उसी के लिए देयता 177.66 करोड रूपए (174.14 करोड़ रूपए) है।

पेंशन

कंपनी के पास अपने कर्मचारियों के लिए एक परिभाषित योगदान पेंशन योजना है, जिसे सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना – 2007 के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। 31.03.2019 को निधिक स्थिति 129.89 करोड रूपए (शून्य) और 31.03.2019 को देयता की स्थिति 123.66 करोड़ रूपए (252.13 करोड रूपए) है।

4. अभिज्ञ मद

(ए) आकस्मिक देयताएँ

I. कंपनी के विरूद्ध दावा जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है :

(₹ करोड़ों में)

क्र. सं.	विवरण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार तथा अन्य इकाईयां	सीपीएसई	अन्य	कुल
1	01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	**669.90**	**15926.92**	-	**643.56**	**17240.38**
2	वर्ष के दौरान वृद्धि	204.60	990.68	-	5.80	1201.08
3	वर्ष के दौरान दावा निपटान					
	ए. प्रारंभिक शेष से	167.26	169.46	-	90.10	426.82
	बी. वर्ष के दौरान योग से	-	-	-	-	-
	सी. वर्ष के दौरान कुल दावों का निपटान	167.26	169.46	-	90.10	426.82
4	31.03.2019 को अंतिम शेष	**707.24**	**16748.14**	-	**559.26**	**18014.64**

पर्यावरण स्वीकृति सीमा से ज्यादा कोयले के तथाकथित उत्पादन पर मांग

पर्यावरण स्वीकृति सीमा से अधिक उत्पादन करने के आरोप में सामूहिक हित बनाम भारतीय संघ तथा अन्य (2014 के डब्ल्यूपी (सी) संख्या 114) के मामले मे भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, झारखंड के कुछ जिला खनन अधिकारियो ने 41 परियोजनाओं में माग नोटिस जारी किए ।

कंपनी नें उपर्युक मांग के विरु, एमएमडीआर अधिनियम के अंतर्गत अधिनिर्णयन प्राधिकारी,माननीय कोयला प्राधिकरण,कोयला मंत्रालय,भारत सरकार के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की है. पुनरीक्षण प्राधिकरण,कोयला मंत्रालय,भारत सरकार ने अपने दिनांक 16.01.2018 के अंतरिम आदेश में पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर अगले आदेश तक माग आदेश(13389.38 करोड रूपये) पर स्थगन आदेश दिया है।

नोट – 38 : 31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

41 परियोजनाओं पर सीसीएल के पक्ष मे मांग–पत्र जारी किया गया है एवं यह सीसीएल पर्यावरण विभाग द्वारा सरोकार किया जा रहा है इसलिए यह मुख्यालय में रखा गया है तथा सीसीएल के आकस्मिक देयताओं में दर्शाया गया है।

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
1	केन्द्र सरकार		
	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	85.04	9.06
	आयकर	600.11	559.96
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	13.12	6.12
	सेवा कर	8.97	94.76
	अन्य	-	-
2	राज्य सरकार एवं स्थानीय अधिकारी		
	बिक्री कर, आरई उपकर, पीई उपकर, अन्य मामले	1491.04	1581.23
	अधिशुल्क	1412.94	558.31
	अन्य		
	प्रवेश कर	25.00	25.00
	बिजली शुल्क	85.92	68.59
	एमएडीए	343.86	304.41
	पर्यावरण विभाग	13389.38	13389.38
3	सेन्ट्रल पब्लिक सेक्टर इन्टरप्राइजेज	-	-
	कंपनी के खिलाफ मुकदमा	-	-
4	अन्य	559.26	643.56
	कुल	18014.64	17240.38

II. गारंटी

31.03.2019 को जारी किया गया बैंक गारंटी 287.05 करोड़ रू. (विगत वर्ष 290.25 करोड रू.)

III. साख पत्र

31.03.2019 को अदत्त साख पत्र 1.02 करोड़ रू. (विगत वर्ष 32.58 करोड़ रू.)

(बी) प्रतिबद्धताएँ

31.03.2019 को पूंजीगत खाते में व्यय हेतु अनुमानित करार राशि का मूल्य 1149.84 करोड रू. (विगत वर्ष 1432.87 करोड़ रू.)

31.03.2019 को अन्य प्रतिबद्धताएँ : 9845.43 करोड़ रू. (विगत वर्ष 8615.11 करोड रू.)

5. समूह सूचना

नाम	प्रधान गतिविधियां	निगमन का देश	इक्विटी ब्याज%	
			31.03.2019 को	31.03.2018 को
कोल इंडिया लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी)	कोयले का खनन एवं उत्पादन	भारत	100 %	100 %
झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड (अनुषंगी कंपनी)	झारखंड में रेलवे आधारभूत संरचना का विकास	भारत	64.00 %	64 %

नोट – 38 : 31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के अंतर्गत अनुषंगी/सहयोगी/संयुक्त उद्यम के रूप में
समेकित उद्यम हेतु अतिरिक्त सूचना

(₹ करोड़ों में)

उद्यम का नाम	निबल संपत्ति अर्थात कुल संपत्ति घटाव कुल देयताएं		लाभ या हानि में हिस्सा		ओसीआई में हिस्सा	
	समेकित निबल संपत्ति के रूप में प्रतिशत	राशि (₹ करोड़ों में)	समेकित लाभ या हानि के रूप में प्रतिशत	राशि (₹ करोड़ों में)	अन्य विस्तृत आय के रूप में प्रतिशत	राशि (₹ करोड़ों में)
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	99.38	5161.01	99.95	1516.62	100.00	(19.69)
झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड	1.07	55.51	0.08	1.17	—	—
घटाव : सभी अनुषंगी कंपनियों में अल्पसंख्यक हित	0.45	23.18	0.03	0.42	—	—
कुल	**100.00**	**5193.34**	**100.00**	**1517.37**	**100.00**	**(19.69)**

6. अन्य सूचनाएँ

(ए) प्रति शेयर आय

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
i)	इक्विटी अंशधारकों को आरोप्य कर पश्चात निबल लाभ (करोड़ रुपये में)	1705.22	807.76
ii)	बकाये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	94 लाख	94 लाख
iii)	रू में प्रति शेयर बेसिक एवं डायल्यूटेड आय (1000/– रू. उचित मूल्य प्रति शेयर)	1814.06	859.32

(बी) संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण

ए संबंधित पक्ष की सूची

i) होल्डिंग कंपनी

कोल इंडिया लिमिटेड

ii) सिस्टर कंपनियाँ

1) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)
2) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)
3) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)
4) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)
5) नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)
6) महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)
7) सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)

iii) अनुषंगी कंपनी

झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)

नोट – 38 : 31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

iv) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	पदनाम	इस तिथि से प्रभावी
श्री गोपाल सिंह	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	01.03.2012
श्री डी. के. घोष	निदेशक (वित्त)	04.07.2013
श्री आर. एस. महापात्र	निदेशक (कार्मिक)	08.06.2015
श्री वी. के. श्रीवास्तव	निदेशक (तक./संचा.)	15.05.2018
श्री भोला सिंह	निदेशक (तक./यो. परि.)	15.01.2019
श्री भारत भूषण गोयल	स्वतंत्र निदेशक	14.11.2015
श्री आशीष उपाध्याय, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय	सरकारी निदेशक	05.02.2018
श्री शुभऊ कश्यप	स्वतंत्र निदेशक	13.12.2018
श्री राम प्रकाश श्रीवास्तव	सरकारी निदेशक	19.02.2018
श्री रवि प्रकाश	कंपनी सचिव	13.07.2017

समान सरकार के नियंत्रण में संस्थाएँ

कंपनी एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (सीपीएसयू) है जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

भारतीय लेखा मानक 24 के अनुच्छेद 25 और 26 के अनुसार, जिन पर एक ही सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण है, या महत्वपूर्ण प्रभाव है, उनमें रिपोर्टिंग इकाई और अन्य संस्थाओ को संबंधित पक्षों के रूप में माना जाएगा। इन पार्टियों के साथ लेनदेन हाथ की लंबाई के आधार पर बाजार की शर्तों पर किया जाता है।

कंपनी ने सरकार से संबंधित संस्थाओ के लिए उपलब्ध छूट को लागू किया है और वित्तीय वक्तव्यों में सीमित खुलासे बनाये हैं।

(₹ करोड़ों में)

संस्था का नाम	लेन–देन	31.03.2019 को	31.03.2018 को
एनटीपीसी	कोयले की बिक्री	2784.18	2116.80

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(₹ करोड़ों में)

क्र. सं.	अ. प्र. नि. पुणकालिक निदेशकगण एवं कंपनी सचिव का पारिश्रमिक	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	अल्पकालिक कर्मचारी लाभ		
	सकल वेतन	3.38	2.40
	चिकित्सा लाभ	0.01	0.01
	पूर्वकाक्षित एव अन्य लाभ	-	-
(ii)	रोजगार उपरांत लाभ		
	पीएफ एवं अन्य निधियों मे योगदान	0.20	0.15
	ग्रेच्युटी का बीमांकिक मूल्यांकन	0.66	0.60
	अवकाश नगदीकरण	0.76	0.83
	एनपीएस में योगदान	0.58	
(iii)	सेवा समाप्ति/सेवाल लाभ	0.52	0.20
	कुल	6.11	4.19

नोट – 38 : 31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

टिप्पणी :

(i) उपरोक्त के अलावा, पूर्ण–कालिक निदेशको को सेवाभत्तों के अनुसार 2000 रूपए प्रति माह के भुगतान पर 1000 कि.मी. की सीमा तक निजी यात्रा करने हेतु कार का उपयोग करने के लिए अनुमति दी गई है।

स्वतंत्र निदेशकगणों को भुगतान

(₹ करोड़ों में)

क्र. सं.	स्वतंत्र निदेशकगणों को भुगतान	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	सिटिंग फीस	0.21	0.22

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के पास अधिशेष

(₹ करोड़ों में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
i)	देय राशि	-	-
ii)	प्राप्य राशि	-	-

बी. कंपनी के तहत संबद्ध पार्टी लेनदेन

संबंधित पार्टियो के साथ लेनदेन

(₹ करोड़ों में)

संबंधित पार्टियों के नाम	संबंधित पार्टियों को ऋण	संबंधित पार्टियों से ऋण	एपेक्स शुल्क	पुनर्वास शुल्क	लीज किराया आय	निधि पर ब्याज	आईआईसीएम शुल्क	चालू खाता लेनदेन
कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	-	-	68.72	41.03	-	-	-	257.08
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)	-	-	-	-	-	-	-	1.15
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)	-	-	-	-	-	-	-	1.55
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	-	-	-	-	-	-	-	0.08
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	-	-	-	-	-	-	-	0.59
नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	-	-	-	-	-	-	-	0.21
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	-	-	-	-	-	-	-	0.94
सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)	-	-	-	-	-	-	-	124.67
झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)	-	-	-	-	-	-	-	-

नोट – 38 : 31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

सी) हाल के लेखांकन घोषणाएँ

i) भारतीय लेखा मानक, 116– पट्टे

निगमित मामले की मंत्रालय ने 30 मार्च 2019 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसमें भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 116, पट्टों को अधिसूचित किया गया है जो अप्रैल 2019 के पहले दिन लागू होंगे।

यह मानक पट्टों की मान्यता, माप, प्रस्तुति और प्रकटीकरण के लिए सिद्धांतों को निर्धारित करता है। उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए है कि पट्टेदार और पट्टादाता प्रासंगिक तरीके से जानकारी प्रदान करते हैं, जो ईमानदारी से उन लेनदेन का प्रतिनिधित्व करता है।

मानक संक्रांति के दो संभावित तरीकों की अनुमति देता है -

प्रत्येक पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के लिए पूर्वव्यापी रूप से भारतीय मानक 8 के रूप में 1 अप्रैल 2018 को आवेदन प्रस्तुत कि जाये।

शुरू में आवेदन की तारीख यानी 1 अप्रैल 2019 को मानक लागू करने के संचयी प्रभाव के साथ पूर्वव्यापी की जाये।

प्रबंधन संक्रांति की उपयुक्त विधि का चयन करने और वित्तीय विवरण में प्रभाव का आकलन करने की प्रक्रिया में है।

ii) भारतीय मानक 19 में संशोधन – योजना संशोधन, वक्रता या निपटान

30 मार्च 2019 की अधिसूचना के अनुसार निगमित मामलों के मंत्रालय ने योजना संशोधन, वक्रता और भुगतान के लिए लेखांकन के संबध में भारतीय मानक 19, श्कर्मचारी लाभश के रूप मे ससोधन को अधिसूचित किया है।

- योजना संशोधन, सुधार या निपटान के बाद शेष अवधि के लिए वर्तमान सेवा लागत और शुद्ध ब्याज निर्धारित करने के लिए अद्यतन मान्यताओं का उपयोग करने के लिए; तथा
- पिछले सेवा लागत के हिस्से के रूप में लाभ या हानि, या निपटान पर लाभ या हानि के रूप में पहचान करने के लिए, अधिशेष में किसी भी कमी, भले ही उस अधिशेष को परिसंपत्ति छत के प्रभाव के कारण पहले से मान्यता नहीं मिली थी।

इस संशोधन के आवेदन की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। वित्तीय विवरण में उपरोक्त के प्रभाव का अनुमान लगाने की प्रक्रिया में प्रबंधन।

डी) अनुषंगी कंपनियों की ओर से कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा क्रय सामग्री

मौजूदा पद्धति के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अनुषंगी कंपनियों के लिए क्रय सामग्री की गणना उस अनुषगी कपनी के लेखा मे सीधे तौर पर किया जाता है।

ई) बीमा एवं बढ़ोतरी दावा

बीमा तथा बढ़ोतरी दावो को प्रवेश/अंतिम निपटारे के आधार पर लेखाकृत किया जाता है।

एफ) लेखा में किया गया प्रावधान

धीमी–चलन/स्थिर/पुराने भंडारों, प्राप्य दावे, भविष्य, संदेहात्मक ऋण इत्यादि के विरूद्ध किए गए प्रावधानों को संभावित हानियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

जी) चालू परिसंपत्ति, ऋण एवं अग्रिम इत्यादि

प्रबंधन के राय में, स्थायी–परिसंपत्तियों के अलावा दूसरी परिसंपत्तियों तथा गैर–मौजूदा निवेशकों में, व्यवसाय के साधारण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त वसूली पर एक मान होता है जो कि कम से कम उस राशि के बराबर होता है जिसपर वे लिखे गए हैं।

एच) चालू देयता

जहाँ वास्तविक देयता, मापे नहीं जा सकते वहाँ अनुमानित देयता दिए गए हैं।

नोट – 38 : 31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

आई) शेष का स्थायीकरण

नकद एंव बैंक बैलेंस, निश्चित श्रेणी एवं अग्रिमों, दीर्घकालीन देयताएं तथा मौजूदा देयताओं के लिए शेष पुष्टिकरण/समन्वय किया जाता है।

जे) महत्वपूर्ण लेखाकन नीति

कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीति (टिप्पणी – 2) का मसौदा तैयार किया गया है (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंड ए ए स) के अनुसार किया गया है।

के) लीज

i) इम्पीरियल फास्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ लीज समझौता के शर्तों के आलोक में, इसे, कपनी की परिसंपत्तियो का अधिकार एवं उपयोग करने की अनुमति दी गई है। अवधि के प्रारंभ मे सकल वहन की राशि 80.19 करोड रू. है। अवधि के अंत में संचयित मूल्यह्रास 77.69 करोड रू. है एवं डब्ल्यूडीवी 2.50 करोड रू. (आरक्षित मूल्य) है। लीज अवधि के दौरान प्राप्त होने योग्य भावी न्यूनतम लीज भुगतान की संकलित राशि 28.32 करोड रू. है। भावी लीज भुगतान प्राप्य का विवरण इस प्रकार है :

(₹ करोड़ों में)

	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
(i)	एक साल तक	3.84	3.84
(ii)	एक साल से ज्यादा तथा पाँच साल तक	15.36	15.36
(iii)	पाँच सालों से ज्यादा लीज के अवधि तक	9.12	12.96
	कुल	**28.32**	**32.16**

ii) पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ लीज समझौता के शर्तों के आलोक में, इसे, कंपनी के 15.50 एकड भूमि को उपयोग करने का अधिकार दिया गया है। अवधि के प्रारंभ में सकल वहन की राशि 7.90 करोड़ रू. है। अवधि के अत मे संचयित मुल्यह्रास 7.90 करोड रू. का है। अवधि के लिए डब्ल्यूडीवी शून्य है। लीज अवधि के दौरान प्राप्त होने योग्य भावी न्यूनतम लीज भुगतान की संकलित राशि 3.36 करोड़ रू. है। भावी लीज भुगतान प्राप्य का विवरण इस प्रकार है :

(₹ करोड़ों में)

		31.03.2019 को	31.03.2018 को
(i)	एक साल तक	0.19	0.19
(ii)	एक साल से ज्यादा तथा पाँच साल तक	0.77	0.77
(iii)	पाँच सालों से ज्यादा लीज के अवधि तक	2.40	2.59
	कुल	**3.36**	**3.55**

iii) ई आई पी एल के साथ लीज समझौता के शर्तों के आलोक में, इसे, कंपनी के परिसपत्तियों का अधिकार एवं उपयोग करने की अनुमति दी गई है। अवधि के प्रारंभ में सकल वहन की राशि 4968 करोड रू. है। अवधि के अंत में संचयित मुल्यह्रास 4968 करोड़ रू का है। अवधि के लिए डब्ल्यूडीवी शून्य है। लीज अवधि के दौरान प्राप्त होने योग्य भावी न्यूनतम लीज भुगतान की संकलित राशि 1.32 लाख रू. है। भावी लीज भुगतान प्राप्य का विवरण इस प्रकार है .

(₹ लाख में)

		31.03.2019 को	31.03.2018 को
(i)	एक साल तक	0.12	0.12
(ii)	एक साल से ज्यादा तथा पाँच साल तक	0.48	0.48
(iii)	पाँच सालों से ज्यादा लीज के अवधि तक	0.72	0.84
	कुल	**1.32**	**1.44**

नोट – 38 : 31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

एल) खंड रिपोर्टिंग

भारतीय मानक 108 परिचालन सेगमेंट के प्रावधानों के अनुसार, परिचालन सेगमेंट को प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किया जाता है जिसके तहत बोर्ड द्वारा संसाधनों को आवटित करने और उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए बोर्ड द्वारा उपयोग की जाने वाली आंतरिक रिपोर्ट के आधार पर जानकारी की पहचान की जाती है। भारतीय मानक 108 के अर्थ मे, बोर्ड एक मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता का समूह है।

बोर्ड महत्वपूर्ण उत्पाद की पेशकश की संभावना से एक व्यवसाय पर विचार किया है और फैसला लिया है कि वर्तमान में,कोयला की बिक्री के लिए एकल रिपोर्ट ही योग्य खंड है । वित्तीय प्रदर्शन और परिसंपत्तियों की जानकारी लाभ और हानि और बैलेंस शीट के समेकित विवरण के रूप में प्रस्तुत की गयी है।

गंतव्य अनुसार राजस्व निम्नलिखित है :

(₹ करोड़ों में)

विवरण	भारत	अन्य देश
राजस्व (निबल)	11273.99	शून्य

ग्राहक अनुसार राजस्व निम्नलिखित है .

(₹ करोड़ों में)

10% से अधिक राजस्व वाले पार्टियों के नाम (निबल)	राशि	देश
ग्राहक – 1	2784.18	भारत
ग्राहक – 2	2031.45	
अन्य	6458.36	
कुल राजस्व (निबल)	**11273.99**	

स्थान अनुसार चालू परिसंपत्ति निम्नलिखित हैं :

(₹ करोड़ों में)

विवरण	भारत	अन्य देश
चालू परिसंपत्ति	6817.90	शून्य

(iii) ई आई पी एल के साथ लीज समझौता के शर्तों के आलोक में, इसे, कंपनी के परिसपत्तियों का अधिकार एवं उपयोग करने की अनुमति दी गई है। अवधि के प्रारभ में सकल वहन की राशि 4968 करोड रू. है। अवधि के अंत में संचयित मुल्यह्रास 4968 करोड़ रू. का है। अवधि के लिए डब्ल्यूडीवी शून्य है। लीज अवधि के दौरान प्राप्त होने योग्य भावी न्यूनतम लीज भुगतान की सकलित राशि 1.44 लाख रू. है। भावी लीज भुगतान प्राप्य का विवरण इस प्रकार है .

(₹ लाख में)

		31.03.2018 को	31.03.2017 को
(i)	एक साल तक	0.12	0.12
(ii)	एक साल से ज्यादा तथा पाँच साल तक	0.48	0.48
(iii)	पाँच सालों से ज्यादा लीज के अवधि तक	0.84	0.96
	कुल	**1.44**	**1.56**

नोट – 38 : 31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

एम) विसमुहित राजस्व सूचना

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष में	31.03.2018 को समाप्त वर्ष में
माल या सेवा के प्रकार		
- कोयला	11273.99	11013.30
- अन्य	-	-
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	**11273.99**	**11013.30**
ग्राहकों के प्रकार		
- बिजली क्षेत्र	7539.22	7165.67
- गैर बिजली क्षेत्र	3734.77	3847.63
- अन्य या सेवाएं (सीएमपीडीआईएल)	-	-
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	**11273.99**	**11013.30**
अुनबंध के प्रकार		
- एफएसए	8174.29	7639.29
- ई–ऑक्शन	3099.70	3374.10
- अन्य	-	-
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	**11273.99**	**11013.30**
माल या सेवाओं का समय		
- एक समय में स्थानांतरित माल	11273.99	11013.30
- समय के दौरान स्थानांतरित माल	-	-
- एक समय में स्थानांतरित सेवाएं	-	-
- समय के दौरान स्थानांतरित सेवाएं	-	-
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	**11273.99**	**11013.30**

नोट – 38 : 31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

प्रावधान	01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान जोड़	प्रतिलेखन/समायोजन/वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	रियायत पर छूट	31.03.2019 को अंतिम शेष
नोट 3 :- संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण :					
परिसंपत्ति पर हानि :	20.36	5.75	4.86	-	30.97
नोट 4:- प्रगति पर पूंजी कार्य :					
सीडब्ल्यूआईपी के खिलाफ :	6.16	6.99	-4.86	-	8.29
नोट 5:- अन्वेषण एवं मूल्यांकन संपत्ति :					
प्रावधान एवं हानि :	0.66	-	-	-	0.66
नोट 8 : ऋण					
अन्य ऋण :	-	-	-	-	-
नोट 9:- अन्य वित्तीय संपत्ति					
अन्य जमा एवं प्राप्य	-	-	-	-	-
उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा	-	-	-	-	-
अनुषंगियों के साथ चालू खाता	-	-	-	-	-
दावे एवं अन्य प्राप्य	3.85	1.60	0.69	-	4.76
नोट 10:- अन्य गैर चालू परिसंपत्ति					
अग्रिम पूंजी	1.29	-	1.20	-	0.09
नोट 11:- अन्य चालू परिसंपत्ति					
राजस्व के लिए अग्रिम	0.44	-	-	-	0.44
वैधानिक बकाया के लिए अग्रिम भुगतान	0.31	-	-	-	0.31
अन्य अग्रिम एवं जमा	18.26	-	0.09	-	18.17
नोट 13:- व्यापार प्राप्य					
खराब एवं संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान	141.13	155 80	73.89	-	223.04
नोट 21:- गैर चालू एवं चालू प्रावधान					
एक्स–ग्रेसिया	223.67	225.25	223.67	-	225.25
प्रदर्शन संबंधित पारिश्रमिक	57.26	123.18	26.52	-	153.92
राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता X के लिए प्रावधान	474.73	-	461.16	-	13.57
अधिकारी पारिश्रमिक संशोधन के लिए प्रावधान	136.26	-	118.06	-	18.20
अन्य					
स्थल बहाली/खान बंदीकरण	1024.26	-	6.53	69.53	1087.26

नोट – 38 : 31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

7. सामान्य

7.1 कर अधिकारियो से कर की वसूली/समायोजन को नकद आधार पर लेखाकृत किया जाता है। आयकर, रॉयल्टी, सेस, विक्रय कर, प्रवेश कर इत्यादि के लिए अतिरिक्त माँग को अंतिम आदेश के प्राप्ति के बाद लेखाकृत किया जाता है अन्यथा इसे छोड़कर भारतीय लेखा मानक – 37 मे मान्यता नही दी जाती है।

7.2 वर्ष 1989 में रजरप्पा क्षेत्र के 9 लाख टन कोयले को विक्रय को अयोग्य घोषित किया इसके संबंध में झारखंड सरकार ने रू. 2.55 करोड़ की रॉयल्टी की मांग रखी। कंपनी (सीसीएल) ने खान आयुक्त, झारखंड के समक्ष अपील दायर करने को प्राथमिकता दी परंतु वह अस्वीकृत कर दिया गया। अस्वीकृत होने पर कंपनी ने माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट पिटीशन 2014 का डब्ल्यूपी 1754 (सी) दायर की और उक्त न्यायालय के समक्ष लंबित था। अंतिम सुनवाई 09.05.2016 को की गई। माननीय उच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार को अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जो अभी तक दाखिल नहीं किया गया है।

7.3 (ए) ईआईपीएल द्वारा स्व–निर्माण एवं संचालन (बीओओ) के तर्ज पर, रजरप्पा और गिद्दी कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र के पूंजीकरण मूल्यांकन पर लम्बे समय से लंबित विवाद चला आ रहा है एवं अपीलीय ट्रायब्युनल के द्वारा विधिवत पुष्टिकृत झारखंड राज्य विद्युत नियामक कमीशन की दिनांक 31.07.2009 के आदेश के विरुद्ध कंपनी द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर किए गए 2009 के सिविल अपील संख्या 7403 के तहत विवाद अभी लंबित है।

(बी) माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 14.09.12 एवं 23.11.12 को उपरोक्त अपील के संदर्भ में जारी किए गए अंतरिम आदेश के अनुसरण में कंपनी ने मार्च, 2008 तक की अवधि के लिए 2012–13 में 94.33 करोड़ रूपया के देयता हेतु लेखाकृत किया था। जिसमें से 83.03 करोड़ रुपया ईआईपीएल (पूर्व मे डीएलएफ पावर लिमिटेड), को अवधि के दौरान 25 प्रतिशत मानी हुई ऊर्जा शुल्क रोक कर, भुगतान का दिया गया है। पुन: माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार 20.11.13 तथा 10.01.14 को क्रमश: 75 करोड़ एवं 25 करोड़ रूपए तदर्थ भुगतान के रूप में दिया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार अप्रैल, 08 से मार्च, 14 तक की पुनरीक्षित देय राशि की गणना जेएसइआरसी के द्वारा मार्च, 08 तक के पुनरीक्षित शुल्क के निर्धारण के लिए अपनायी गई पद्धति के आधार पर किया गया था। तदनुसार, 94.33 करोड़ रुपए के अतिरिक्त, 23.25 करोड़ रूपया का भुगतान वित्तीय वर्ष 2013–14 मे किया गया था, जिसे 2012–13 के वित्तीय विवरण में पहले से ही उपलब्ध करा दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए 3.26 करोड़ रूपया अतिरिक्त देयता का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए थी 0.26 करोड़ रूपया के अतिरिक्त देयता का प्रावधान किया गया है। ईआईपीएल से शेष प्राप्ति योग्य राशि इस प्रकार है :

(i)	मार्च, 08 तक की अवधि के लिए अंतरीय शुल्क जिसके संबंध में वित्तीय विवरण 2012–13 में देयता का प्रावधान किया गया है।	₹ 94.33 करोड़
(ii)	अप्रैल, 08 से मार्च 14 तक के लिए अंतरीय शुल्क जिसके संबंध में वर्ष 2013–14 में देयता का प्रावधान किया गया है।	₹ 23.25 करोड़
(iii)	अनुमानित ऊर्जा शुल्क के संबंध में पुरानी रखी हुई राशि	₹ 31.36 करोड़
(iv)	वर्ष 2014–15 के लिए अंतरीय शुल्क	₹ 3.26 करोड़
(v)	वर्ष 2015–16 के लिए अंतरीय शुल्क (ए/सी – रजरप्पा क्षेत्र)	₹ 0.26 करोड़
		₹152.46 करोड़
	घटाव : तदर्थ भुगतान (माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार)	₹ 183.03 करोड़
	निबल शेष राशि (नोट – 9 में 'अन्य प्राप्य' मद में दिखाया गया है)	₹ 30.57 करोड़

यद्यपि ईआईपीएल ने 17.09.2012 को विलंबित भुगतान के एवज में ब्याज के 134.20 करोड़ रुपए सहित 302.63 करोड़ रुपए के माग को जमा किया जो कि पीपीए के दायरे से बाहर है और यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

(सी) ईआईपीएल के साथ किए गए पावर खरीद समझौता के क्लॉज 1.18.3 के अनुसार, संबंधित पावर प्लांट के शुरू होने के 1 साल के समाप्त होने की तिथि से, ईंधन लागत में परिवर्तन के कारण शुल्क के ईंधन अवयवों की वृद्धि/कमी का निर्धारण किया जाएगा। पीपीए के क्लॉज 1.14 के अनुसार रिजेक्ट्स का प्रारंभिक शुल्क 90 रूपया प्रति टन था।

नोट – 38 : 31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

तदुनसार, पीपीए के 1.18.3 क्लॉज के अनुसार गमना की गई थी एवं वर्ष 2013–14 के अलए वित्तीय विवरण में, ईंधन की लागत में बढ़ोतरी के कारण किए गए पुनरीक्षीत शुल्क पर देय अतिरिक्त शुल्क के साथ, रिजेक्ट्स के मूल्य में पुनरीक्षण के कारण प्राप्य होने योग्य अतिरिक्त राजस्व को निबल छूट पश्चात मान्यता दी गई थी तथा ईआईपीएल के लिए पूरक बिल भी रेज किया गया था।

बाद में, वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान विक्रय एव विपणन विभाग के सीसीएल स्टैण्डीय समिति के सिफारिश के आधार पर रिजेक्ट्स के मूल्य को पुनरीक्षित किया गया था तथा उसे ईआईपीएल के निदेशक (संचालन) को पत्रांक GM(E&M)/DLF/14/ 3530–36 दिनांक 17.11.2014 के माध्यम से सूचित किया गया था। पत्र के अनुसार जूलाई 2000 से दिसंबर, 2011 की अवधि के 01.01.2012 के पहले लागू वीएचवी सिस्टम की प्राइसिंग के तहत न्यूनतम ग्रेड वाले जेड ग्रेड स्लैक कोल को डीएलएफ लिमिटेड से चार्ज किया जाएगा। उपरोक्त पत्र के निर्गत होने के पश्चात, विक्रय बिल तथा पावर शुल्क संशोधित किया गया है।

31.03.2016 को रिजेक्ट्स की आपूर्ति के बदले ईआईपीएल से प्राप्त होने योग्य राशि का मूल्य, बढ़े हुए शुल्क के समायोजन के पश्चात, 38.69 करोड रू. है। उसके भुगतान नहीं होने के कारण, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं .

पावर खरीद समझौता दिनाक 8 फरवरी, 1993 के 2.6 क्लॉज कें अनुसार समझौते के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में, उसे मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सीआईएल तथा डीपीसीएल को एक दूसरे के साथ स्वीकाय मध्यस्थ के पास एक मात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। उत्पन्न स्थिति यह है कि समझौते मे शामिल दोनो पार्टियो मध्यस्थ के नियुक्ति के लिए एक मत नहीं हो पाते हैं, जिसके बाद याचिकाकर्त्ता (सीसीएल) के पास मध्यस्थता एवं समझौता अधिनियम, 1996 के सेक्शन 11(6) के तहत दी गई शक्तियो के पालन में मध्यस्थ के नियुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय के पास जाने के अलावा और कोई विकल्प नही बचा है। मध्यस्थता आवेदन 7 अप्रैल, 2016 को दायर की गई है। हालॉकि वित्त वर्ष 2015–16 में 38.69 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। इस मामले की वर्तमान वस्तु स्थिति यह है कि वर्ष 2017–18 में समझौता दावे के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विज्ञ मध्यस्थ की नियुक्ति की है और उक्त मामला विज्ञ मध्यस्थ के समक्ष लंबित है।

7.4 अवधि के दौरान चोरी हुए सामानो की कीमत 0.46 करोड़ (पिछले वर्ष 0.44 करोड़) रूपए हैं।

7.5 ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) के आलोक में प्राप्त होने योग्य क्षतिपूर्ति का लेखांकन रसीद के आधार पर किया गया है।

7.6 मेसर्स गार्डेनरीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग कंपनी को वर्ष 1990 से उपस्कर की आपूर्ति एवं मरम्मति का ठेका दिया गया था। चूंकि कार्य संतोषजनक नही था, तो कंपनी ने भुगतान रोक लिया। इसके पश्चात 49.68 करोड़ रू. की मांग के विरूद्ध कंपनी ने 12.58 करोड़ रू. के भुगतान पर सहमति जताई, और उक्त का भुगतान इस वर्ष किया गया है।

7.7 दिनांक 12 दिसंबर, 2015 को सीसीएल ने श्री आर. सुब्रहमण्यम, अतिरिक्त सचिव के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ झारखंड राज्य में पब्लिक प्राईवेट साझेदारी (पीपीपी) के तहत तीसरे साझेदारी के रूप में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), रॉंची की स्थापना के लिए एक एमओयू हस्ताक्षर किया गया है।

7.8 मेसर्स आई एफ पि एल के साथ लीज समझौता वर्ष 2005 मे 20 वर्षो की अवधि के लिए दर्ज किया गया था, और यह 2025 तक मान्य है। समझौते के अनुसार, कंपनी वाशरी रिजेक्ट्स की आपूर्ति करेगी और आईएफपीएल कथारा एरिया की बिजली आपूर्ति करेगी। लीज एग्रीमेंट के प्रावधानो के अनुसार, आईएफपीएल लीज किराए के रूप मे ₹ 32 लाख प्रति माह का भुगतान करेगा। आईएफपीएल ने जुलाई 2018 को परिचालन निलंबित कर दिया है और लीज किराया का भुगतान नहीं किया है। नतीजतन, वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 1.60 करोड़ रुपये का प्रावधान लीज किराया प्राप्य की ₹ 4.02 करोड़ की अतर राशि एव ऊर्जा व्यय के लिए आईएफपीएल को देय ₹ 2.42 करोड़ के लिए किया गया है।

7.9 झारखड राज्य मे विकास, वित्तीय एवं रेलवे आधारभूत कार्यो के लिए सीसीएल, इरकॉन अन्तर्राष्ट्रीय लिमिटेड तथा झारखंड सरकार के बीच दिनांक 07.05.2015 हस्ताक्षर किए गए एमओयू के आलोक में 31.08.2015 को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक अनुषंगी कंपनी झारखड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) के नाम से गठित किया है जिसकी अधिकृत पूँजी 5 करोड़ रूपए की है। सीसीएल के एमओए के अनुसार सीसीएल, इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड तथा झारखंड सरकार का प्रतिबद्ध इक्विटी शेयर पैटर्न क्रमश: 64 प्रतिशत, 26 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत है। बाद में, जेसीआरएल बोर्ड की 20 मई, 2016 को चतुर्थ बैठक तथा 21 जून, 2016 को हुई वार्षिक आम बैठक के क्रम में, अधिकृत पूँजी को बढ़ाकर 500 करोड़ रू. कर दिया गया है। तुलन–पत्र की तारीख पर, जेसीआरएल ने 32 करोड़ के शेयरों का आवंटन कंपनी को किया है। इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड तथा झारखंड सरकार के संबंध में, 13 करोड़ एवं 5 करोड़ के शेयर क्रमश: आवंटित किया गया है। दिनांक 31.03.2019 को जेसीआरएल का पेड–अप कैपिटल 50 करोड़ रू. का है।

नोट – 38 : 31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 129(3) के अनुपालन में, कंपनी ने अपने स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण के अलावा समेकित वित्तीय विवरण भी बनाया है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान जेसीआरएल को 1.77 करोड़ रुपए (विगत वर्ष 0.03 करोड़ रु.) का नुकसान हुआ है।

7.10 वर्ष 2015–16 में बरका–सयाल क्षेत्र में 104 फर्जी बिलों के आलोक में रू. 0.80 करोड़ के कथित धोखाधड़ी भुगतान का पता चला है। उक्त मामला सीबीआई के अनुसंधान अंतर्गत एवं लंबित है।

7.11 संपत्ति–सूची के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए वास्तविक पावर लागत को उपभोग आधार के बजाय आंतरिक विभाग प्रमाण पत्र के आधार पर क्षेत्र की इकाईयों में वितरित किया गया है।

7.12 कोल ब्लॉक (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत, कोल इंडिया लिमिटेड और भारत के राष्ट्रपति के समझौते के अनुसार कोटरे बसंतपुर और पंचमो कोयला ब्लॉक के आवंटन और उसके पश्चात 05.12.2017 को हुए डीड ऑफ एडहियरेन्स में पार्टी के रूप मे सीसीएल को आवंटन समझौते के अनुपालन में खानों का संचालन और वाणिज्यिक उपयोग करना है । कंपनी (सीसीएल) ने आवंटन के लिए मनोनीत प्राधिकारी के नामित बैंक खाते मे 20.65 करोड़ रुपए की अग्रिम फीस का 50% और 9.91 करोड़ रुपये की निश्चित राशि और प्रदर्शन बैंक गारंटी (प्रदर्शन सुरक्षा) 286.14 करोड़ रुपये की राशि जमा की है। 31.03.2018 को उपरोक्त जमा पूंजीगत अग्रिम के अंतर्गत है। ₹ 30.56 करोड (₹ 20.65 करोड़ का अग्रिम शुल्क एवं ₹ 9.91 करोड का सुरक्षा जमा) नोट –5 में अन्वेषण मूल्यांकन परिसंपत्तियों के तहत दिखाई दे रहा है। जैसा कि दूसरे और तीसरे किस्त के भुगतान करने के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों की शर्तों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है, ₹ 20.65 करोड़ की शेष राशि पूंजी प्रतिबद्धता के तहत दर्शाई गई है।

7.13 13.10.2017 के आदेश के अनुसार 2016 के हस्तांतरित मामले (सीआईवीआईएल) संख्या 43 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि डीएमएफ 07.12.2015 को डीएमएफ ट्रस्ट की स्थापना की तारीख से और उसके बाद झारखंड राज्य मे लागू होगा। तदनुसार, 07.12.2015 से पहले की अवधि से संबंधित राज्य सरकार के साथ जमा 286.31 करोड़ रुपये की राशि कंपनी द्वारा देय डीएमएफ से वापस/समायोजित की जाएगी। कहा गया राशि में से 169.37 करोड रुपये की राशि वापस कर दी गई है/समायोजित की गई है और 116.94 करोड रुपये की शेष राशि राज्य सरकार से अभी तक वापस/समायोजित नहीं की जा रही है। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, क्षेत्रों ने रिफंड/समायोजन प्राप्त करने के लिए संबंधित डीएमओ के पास दावा किया है।

7.14 आयकर अधिनियम,1961 की धारा 206 (सी) के अंतर्गत आयकर विभाग की मांग के विरुद्ध 106.56 करोड़ रुपये की राशि के लिए, विभाग ने कंपनी के बैंक खाते को जोड़कर 71.79 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं और कंपनी द्वारा शेष राशि 34.77 करोड़ जमा किया गया है। वर्ष के दौरान कंपनी ने ग्राहकों से 75.62 करोड़ रुपये वसूल किए हैं, और शेष राशि 30.94 करोड़ रुपये वसूली की प्रक्रिया मे है।

उपरोक्त में से 30.94 करोड़, ₹ 26.85 करोड 01.04.2012 से 30.06.2012 की अवधि से संबंधित है जब कोयले पर कोई टीसीएस नहीं था। चूंकि टीसीएस को 01.07.2012 से आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कोयले पर लागू किया गया था, एक सुधार याचिका यू/एस 154 पहले से ही 02.02.2018 को दर्ज किया गया था त्रुटि को सुधरने ले लिए, जिसकी सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है।

7.15 खान बंदीकरण योजना पर कोयला मंत्रालय द्वारा दिनांक 07/01/2013 को जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी ने सीएमपीडीआई को 64 खानों के अकेक्षण और प्रमाणन के लिए दावा प्रस्तुत किया है। इसमें से 59 खानो के अकेक्षण और प्रभाणन सीएमपीडीआई द्वारा पहले चरण में किया जा चूका है और बाकी पाँच दावे 5 वर्ष की अवधि पूरी न होने के कारण अंकेक्षण और प्रमाणन शेष हैं। तुलन पत्र के अनुसार, 59 खानों के रु। 413.17 करोड़ के दावे विधिवत प्रमाणित किये गए हैं एवं उन्हें सीएमपीडीआई द्वारा नोट –9 के तहत खान बंद करने के खर्चो के लिए एस्क्रो खाते से प्राप्य में दिखाया गया है।

इसके अलावा, क्षेत्रों द्वारा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, वित्तीय वर्ष के लिए प्रगतिशील खदान बंद करने के खर्च के खिलाफ वित्तीय वर्ष 16–17, वित्तीय वर्ष 17–18 और वित्तीय वर्ष 18–19 में ₹ 145.09 करोड़ की राशि को नोट 9 (गैर वर्तमान) के तहत अन्य जमा में दर्शाया गया है। इसलिए, 31.03.2019 को कुल खान बंदीकरण प्राप्य, ₹ 558.26 करोड़ है। इसमें से, वित्तीय वर्ष 17–18 तक प्राप्य की राशि, ₹ 514.15 करोड है जिसे खंड सं। 2.24.1.2 महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के अनुपालन मे, प्रतिधारित कमाई के रूप से हिसाब लगाया गया है।

नोट – 38 : 31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

7.16 कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी खदान बंदीकरण दिशानिर्देश के पैरा 4 के अनुसरण में, "एस्क्रो खाता खोलने के बाद, कोयला नियंत्रक से खदान संचालन की अनुमति प्राप्त करने से पहले, कुल परियोजना क्षेत्र का प्रति हेक्टेयर खदान के लिए भूमि पर किसी भी गतिविधि के शुरू होने के बाद हर साल धन जमा किया जाना है।

अरगाडा ओसीपी, पिंडरा यूजीपी नामक दो खानों का उत्पादन अभी तक शुरू नहीं हुआ है, हालांकि, खदान बंद करने की योजना को बोर्ड द्वारा मंजूरी दी गई थी। इसलिए, उपरोक्त के संबंध में पहले बनाई गई दो खानों के स्थल बहाली परिसम्पति, प्रगतिशील मूल्यह्रास और खान बंदीकरण प्रावधान को वापस ले लिया गया है। खान के अनुसार विवरण नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ों में)

खान का नाम	स्थल बहाली परिसंपत्ति	प्रगतिशील मूल्यह्रास	खान बंदीकरण प्रावधान
अरगडा ओसीपी	8.70	0	10.96
पिंडरा यूजीपी	4.15	0.83	5.23
कुल	12.85	0.83	16.19

7.17 सीसीएल, सेल और आरआईएनएल को धुली हुई मीडियम कोकिंग कोल (डब्ल्यूएमसीसी) की आपूर्ति के लिए, 31.03.2017 तक वैधता के साथ सीसीएल और सेल ६ आरआईएनएल के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए एमओयू के तहत, आपूर्ति की जाती थी । सीआईएल के अनुसार, सीसीएल ने दस्तावेज के अनुपालन में WMCC की कीमत ₹ 11,500 प्रति टन 14/01/2017 के प्रभाव से अधिसूचित की थी, यह कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) द्वारा परिकल्पित, आयात समानता के अनुसरण में ऐश सामग्री के तर्ज पर बोनस/पेनल्टी क्लॉज साथ किया गया था।

चूंकि एमओयू 31/03/2017 तक मान्य था, लेकिन मूल्य अधिसूचना 14/01/2017 को जारी की गई थी, 14/01/2017 से 31/03/2017 के इस अवधि के लिए एमओयू मूल्य के अंतर के लिए और सूचित मूल्य पर प्रेषण के लिए ₹ 155.80 करोड़ की राशि(सेल के संबंध में 126.16 करोड और आरआईएनएल के संबंध मे ₹ 29.64 करोड) का एक प्रावधान, वर्ष 2018–19 के दौरान बनाया गया खातो मे प्रावधान किया गया ।

मेसर्स सेल के दोहराए गए अनुरोधों के बाद, सीसीएल बोर्ड ने दिनांक 28/07/2018 को 6,500 रुपये प्रति की तदर्थ कीमत पर डब्लूएमसीसी की आपूर्ति करने पर सहमति, एक शर्त पर व्यक्त की, के साथ कि निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्य निर्धारण तंत्र की स्थापना के लिए नियुक्त बाहरी एजेंसी की रिपोर्ट लागू हो जानी चाहिए और तदनुसार सेल/आरआईएनएल सीसीएल बोर्ड के निर्णय से सहमत हो गए हैं।

एल 1 मैसर्स पीडब्लूसी जैसे बाहरी एजेसी के नियुक्ति के प्रस्ताव पर मंजूरी के लिए सीआईएल को भेज दिया गया है क्यूंकि प्रस्ताव का मूल्य सीसीएल बोर्ड की वित्तीय शक्ति से परे है। काम जारी करने के आदेश और रिपोर्ट की सीसीएल के सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति के बाद, यदि आवश्यक हो तो वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रावधान पर विचार किया जाएगा।

8. पिछली अवधि के समायोजन के पुनर्कथन के कारण तिमाही/वर्ष के लिए लाभ का मिलान :

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त तिमाही के लिए	2017-18
कंपनी की पहले रिपोर्ट की गई कुल व्यापक आय	366.76	880.94
पूर्व अवधि वस्तुओं के लिए समायोजन (डीआर/(सीआर))	7.29	28.55

नोट – 38 : 31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

पीपीए के लिए समायोजित व्यय का वैयक्तिक मद	मूल्यह्रास	पीएल फेस	1.00	4.20
	संयंत्र एवं उपकरण का किराया	नोट – 31	2.94	9.69
	प्राकृतिक एवं वृक्षारोपण व्यय	नोट – 35	0 12	0.34
	तेल एवं ल्यूब्रिकेन्ट्स	नोट – 26	2.98	11.12
	संयंत्र एवं मशीनरी मरम्मत	नोट – 30	0.11	0.46
	वेतन, पारिश्रमिक, भत्ता, बोनस इत्यादि	नोट – 28	2.66	11.76
	एचईएमएम कलपूर्जे	नोट – 26	1.20	5.12
	रियायत पर छूट	नोट – 32	0.20	1 20
	कर व्यय	नोट – 36	3.92	25.65
	अन्य व्यापक आय	नोट – 37	-	(10.31)
कंपनी का कुल व्यापक आय (पुनर्लिखित)			374.05	909.49

टिप्पणी :वर्ष 2017–18 अवधि के पूर्व, 474.42 करोड रुपये का समायोजन पहले की अवधि से संबंधित है। इसलिए नोट – 17 में इसे प्रतिधारित आय के रूप में बरकरार रखा गया है।

अन्य :

i. पिछले वर्ष के आंकडे जहां आवश्यक समझे गए हैं, उन्हें फिर से व्यवस्थित और पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

ii. नोट संख्या 3 से 38 में पिछले वर्ष के आंकडे कोष्ठक में दिए गए है।

iii. नोट – 1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 31 मार्च, 2019 को बैलेंस शीट के भाग 3 से 23 के रूप में नोट और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि के विवरण का 24 से 37 फार्म हिस्सा था। नोट – 38 वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त नोटों का प्रतिनिधित्व करता है।

ह./–	ह./–	ह./–	ह./–
(रवि प्रकाश)	**(ए. के. गोस्वामी)**	**(एन. एन. ठाकुर)**	**(गोपाल सिंह)**
कम्पनी सचिव	महाप्रबंध (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष – सह – प्रबंध निदेशक
		डीआईएन – 08176571	डीआईएन – 02698059

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसरण में
कृते के. सी. टाक एण्ड कं.
चार्टर्ड अकाउन्टेन्टस
(फर्म पंजी सं. 000216C)
ह./–
(अनिल जैन)
पार्टनर
(सदस्यता स. 079005)

स्थान : नई दिल्ली

दिनाक : 28 मई 2019

प्रपत्र ए ओ सी – 1

(कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पढ़े जाने वाले धारा 129 की उपधारा (3) के पहले प्रावधान के संदर्भ में

अनुषंगियों / सहयोगी कम्पनियों / संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं का विवरण

खण्ड "ए" : अनुषंगियाँ

(प्रत्येक अनुषंगी से सम्बद्ध राशि (करोड़ रु. में) के साथ सूचनार्थ प्रस्तुत

1.	क्रमांक	:	1
2.	अनुषंगी का नाम	:	झारखण्ड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड
3.	अनुषंगी के अधिग्रहण की तारीख	:	31.08.2015
4.	सम्बन्धित अनुषंगी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि नियंत्रक कम्पनी की रिपोर्टिंग अवधि से अलग हो	:	लागू नहीं
5.	विदेशी अनुषंगियों के केस में प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के अंतिम तारीख पर रिपोर्टिंग करेंसी तथा विनिमय दर	:	लागू नहीं
6.	शेयर पूंजी	:	₹ 50.00 करोड़
7.	भण्डार और अधिशेष	:	₹ (0.51) करोड
8.	कुल सम्पत्ति	:	₹ 192.14 करोड़
9.	कुल देनदारी	:	₹ 141.63 करोड़ (₹ 5 करोड़ का शेयर आवेदन राशि सहित)
10.	निवेश	:	–
11.	कारोबार	:	–
12.	कर से पहले लाभ	:	₹ 1.77 करोड़
13.	कर का प्रावधान	:	₹ 0.59 करोड़
14.	कर के बाद लाभ	:	₹ 1.18 करोड़
15.	प्रस्तावित लाभांश	:	–
16.	शेयर धारण की सीमा (प्रतिशत में)	:	64%

निदेशकीय प्रतिवेदन परिशिष्ट

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर

प्रति,

सदस्यगण,
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड,
दरभंगा हाउस,
रांची।

भारतीय लेखा मानक के तहत समेकित वित्तीय विवरण के अंकेक्षण पर प्रतिवेदन

यह अकेक्षण प्रतिवेदन समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी पर दिनांक 28 मई, 2019 (मूल प्रतिवेदन) के पूर्व प्रतिवेदन के स्थान पर है जिसपर कंपनी के निदेशकीय मंडल द्वारा अनुमोदन समतिथि को प्रदान किया गया एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) के आदेशानुसार संशोधित किया जा रहा है। यह संशोधित प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कैग) के लेखा ज्ञापन सं. 04/3 चरण लेखा परीक्षा 2018–19 दिनांकित 07/06/2019 के निर्देशानुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षकीय प्रतिवेदन की, "अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन" के अंतर्गत अनुच्छेद 3(एच)(ii) में हुए संशोधन के मद्देनजर निर्गत की जा रही है। हम इस बात की भी पुष्टि करते है कि उक्त संशोधन हमारे अभिमत तथा सत्य एवं उचित दृष्टिकोण को प्रभावित नहीं करता है, जिसकी अभिव्यक्ति पूर्व में ही की जा चुकी है ।

मूल प्रतिवेदन की तिथि के बाद की घटनाओं पर स्वतत्र अंकेक्षकीय प्रतिवेदन के "अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन" के अंतर्गत अनुच्छेद 3(एच)(ii) में हुए संशोधन तक ही हमारी अंकेक्षण प्रक्रिया सीमित है।

अभिमत

हमने मेसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (इसमें इसके पश्चात "नियंत्रक कम्पनी") एव इसकी अनुषंगी झारखण्ड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (इसमे इसके पश्चात नियंत्रक कंपनी एवं इसकी अनुषंगियो को 'समूह' के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा), इसके सहयोगीगण और संयुक्त, नियंत्रित इकाइयों, जिसमें 31 मार्च, 2018 तक का समेकित तुलन–पत्र, लाभ तथा हानि विवरणी(अन्य व्यापक आय सहित), समीक्षाधीन वर्ष की समाप्ति तक समेकित नगदी–प्रवाह विवरणी और समेकित इक्विटी परिवर्तन विवरणी, समेकित महत्वपूर्ण अंकेक्षण नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचनाओं सहित भारतीय लेखा मानक की समेकित विवरणी पर नोट (इसमें इसके पश्चात "समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) सम्मिलित है।

हमारे मत मे व हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमे प्रदत्त स्पष्टीकरण अनुसार; उपरोक्त समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
दी गयी जानकारी अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुरूप अपेक्षित है एवं सामान्य रूप से भारत में स्वीकृत अंकेक्षण सिद्धान्तों के अनुरूप 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष तक कंपनी की समेकित लाभ/हानि, समेकित नकदी प्रवाह और उक्त तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष में इक्विटी परिवर्तन की समेकित दशा पर सत्य व उचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं ।	
अभिमत का आधार	
हमारा अंकेक्षण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण मानक(एसए) के अनुरूप है। उक्त मानकों के अनुसार हमारे प्रतिवेदन के वित्तीय विवरण अनुभाग में समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के अंतर्गत अंकेक्षक की जिम्मेदारियों में हमारी जिम्मेदारियाँ वर्णित हैं। आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार हम स्वतंत्र निकाय हैं, एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को निर्वहन किया है। हमारा मानना है कि जो अंकेक्षण साक्ष्य हमे प्राप्त हुए हैं वो अभिमत–आधार हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।	
मामलों की प्रमुखता	
निम्नलिखित मामलो पर ध्यान आकर्षित करातें हैं .	
(ए) 41 खानों में पर्यावरणीय स्वीकृति की सीमा से अधिक कोयला खनन के सन्दर्भ मे आकस्मिक देयता के मद में रु.13389.38 करोड़ (विगत वर्ष रु. 13389.38) का अर्थदंड। (भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी का नोट सं 38 अनुच्छेद 4(ए)(1) देखें)।	वित्तीय विवरणो के अतिरिक्त नोट में आकस्मिक देयता के तहत इसका पर्याप्त रूप से खुलासा किया गया है (नोट 38 का संदर्भ 4 (ए))
(बी) ऋण की कुछ शेष राशियों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, अन्य चालू और गैर–चालू आस्तियों, व्यापार देयताओं, अन्य वित्तीय देनदारियो एवं अन्य वर्तमान देनदारियों की पुष्टि लंबित हैं, हालांकि, पुष्टिकरण हेतु पत्र निर्गत किया जा चुका है पुष्टि/सामंजस्य/समायोजन के परिणामस्वरूप कोई प्रभाव, यदि कोई हो, तो सुनिश्चित नही किया जा सकता है। इस मामले के सम्बन्ध में हमारी अभिमत में किसी प्रकार का संशोधन नहीं है।	पार्टियों को व्यापार प्राप्ति, व्यापार के भुगतान और अग्रिमों के संबंध में बैलेंस पुष्टिकरण पत्र जारी किए गए हैं। प्रमुख संड्री देनदारों के साथ के शेष का नियमित अंतराल पर सामंजस्य स्थापित किया जाता है और दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त सामजस्य बयान पर भी हस्ताक्षर किए जाते हैं।
(सी) सीसीएल द्वारा मेसर्स सेल एवं मेसर्स आरआईएनएल को एमओयू के अधीन पारस्परिक सहमत मूल्य पर परिष्कृत मध्यम कोकिंग–कोल (डब्लूएमसीसी) की आपूर्ति की जा रही थी। हालांकि, वित्त वर्ष 2017–18 और उसके पश्चात सीसीएल और सेल/आरआईएनएल के मध्य किसी एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं किया गया. दिनांक 1/4/2017 से, नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) के अंतर्गत सीसीएल द्वारा आयात समता–आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली अनुसार डब्लूएमसीसी का मूल्य संशोधित किया जा रहा है, जिसके	यह अतिरिक्त विवरण के वित्तीय विवरणों मे पर्याप्त रूप से प्रकट है (नोट –38 के संख्या 7.17 देखे)

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन		प्रबंधन का उत्तर
	तहत सीसीएल, सेल/आरआईएनएल को अधिसूचित मूल्य पर चालान निर्गत कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2017–18 तथा उसके पश्चात, एमओयू नहीं होने के कारण सेल/आरआईएनएल ने मूल्य निर्धारण तंत्र हेतु बाह्य एजेंसी नियुक्त करने का अनुरोध किया। सीसीएल ने एक पारदर्शी आयात– समता आधारित मूल्य–तंत्र के विकसित करने हेतु बाह्य एजेंसी की नियुक्ति निर्णय लिया, जिसका सक्षम अनुमोदन प्रक्रियाधीन है, और दिनांक 28/07/2018 से अंतरिम व्यवस्था के रूप में, सीसीएल ने 6500/– प्रति टन के तदर्थ मूल्य पर डब्लूएमसीसी की आपूर्ति हेतु सहमति प्रदान की है । सेल ने मूल्य–प्रणाली के निर्धारण हेतु बाह्य एजेंसी की सिफारिशों को दिनांक 28.07.2018 के बजाय 01/04/2017 से लागू करने का अनुरोध किया है। हालाँकि, सीसीएल द्वारा निर्णय लिया गया कि बाह्य एजेंसी द्वारा निर्धारित मूल्य 28/07/2018 से प्रभावी होगा एवं तदनुसार, तदर्थ मूल्य की प्रयोज्यता से पूर्व का विक्रय, त्रैमासिक संशोधन के अधिसूचित मूल्य के आधार पर माना जायेगा। उपरोक्त के मद्देनजर, दिनांक 01/04/2017 से 30/06/2018 तक की अवधि में सीसीएल द्वारा सेल/आरआईएनएल को की गई आपूर्ति के मद में प्रावधानित राशि का निर्धारण, यदि कोई हो, तो वर्तमान में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। (समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के नोट 38 में अनुच्छेद 7.17)। इस मामले से सम्बद्ध हमारे अभिमत में किसी प्रकार का संशोधन नहीं है।	
(डी)	कंपनी की महत्त्वपूर्ण अंकेक्षण नीति सं 2.24.12 के सन्दर्भ में नोट सं 38.7.15 को पढ़ा जाए, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017–18 तक क्रमिक खदान बंदीकरण योजाना व्यय के अंतर्गत खान बंदीकरण प्राप्य के मद रु. 514.15 करोड़ का व्यय प्रतिधारित आय (नोट संख्या 17) द्वारा किया है, जिसे निलम्ब लेखा, नोट 9 में दर्शाया गया है, सीएमपीडीआईएल एवं क्षेत्रो द्वारा तकनीकी मूल्यांकन एवं अनुमोदन के पश्चात निलम्ब खातों एवं अन्य जमापूँजी के अधीन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियो से डेबिट किया गया है।	यह अतिरिक्त विवरण के वित्तीय विवरणों में पर्याप्त रूप से प्रकट है (नोट –38 के संख्या 7.15 देखें)
(ई)	कथारा वाशरी में 1995–96 से पडे हुए 83795 मिलियन टन संदूषित कोयले की श्रेणी का निर्धारण लंबित है, वर्तमान में जिसका मूल्य शून्य है (सलग्नक–नोट सख्या 12)।	यह नोट –12 के अनुलग्नक में फुट नोट नं 4 पर पर्याप्त रूप से खुलासा किया गया है।

मुख्य अंकेक्षण मामले

हमारे प्रोफेशनल निर्णयानुसार, मुख्य अंकेक्षण मामलों के अंतर्गत वैसे मांमले है, जो वर्तमान अवधि के समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर

विवरणी के हमारे अंकेक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहे। हमारे अंकेक्षण में, इन मामलों पर समग्र विचार समेकित भारतीय लेखा मानक के संदर्भ में किया गया है, एवं उस प्रकार हमारी अभिमत निर्मित हुई, इनपर हम अलग अभिमत नहीं प्रदान करतें हैं। हमने निम्नलिखित मामलों का निर्धारण मुख्य अंकेक्षण मामलों के रूप में किया है,जो हमारी प्रतिवेदन में सम्मिलित है।

क्रम सं.	अंकेक्षण के प्रमुख मामले	अंकेक्षक की प्रतिक्रिया
1.	**स्ट्रिपींग गतिविधि/समायोजन** खुली खदानों में खनन के लिए,कोयले तक की पहुँचकर उसके निष्कर्षण हेतु खदान अपशिष्ट ("अधिभार") हटाया जाना आवश्यक होता है,जिसमें कोयला सीम के उपर मिट्टी और चट्टान होती है । अपशिष्ट हटाने की इस गतिविधि को 'स्ट्रिपिंग' के रूप में जाना जाता है। खुली खदानों में, कंपनी को खदान के जीवनकाल तक (तकनीकी अनुमान) इस प्रकार का व्यय करना पड़ता है । अतः, नीतिगत दृष्टिकोण में, एक मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता या उससे अधिक क्षमता वाले प्रत्येक खदान मे, खदानों को राजस्वित करने के पश्चात स्ट्रिपिंग गतिविधि आस्तियों एवं अनुपात–प्रसरण लेखा के समायोजन के साथ तकनीकी मूल्यांकन के औसत अनुपात (ओबी: कोयले) के अनुसार स्ट्रिपिंग लागत चार्ज की जाती है । तुलन पत्र की तिथि अनुसार स्ट्रिपिंग गतिविधि आस्तियों का निबल शेष एव अनुपात प्रसरण को स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एडजस्टमेंट के रूप मे गैर–चालू प्रावधान/अन्य गैर–चालू परिसम्पतियों के मद यथास्थिति दिखाया जाता है । अभिलेख के अनुसार अधिभार की सूचित मात्रा को ओबीआर अंकेक्षण हेतु अनुपात की गणना करने में प्रयोग किया जाता है यदि सूचित मात्रा और मापित मात्रा के मध्य विचलन स्वीकृत सीमा के भीतर हो । यदि, विचलन स्वीकृत सीमा से अधिक है, वहाँ मापित मात्रा को मान लिया जाता है। स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के लाभ हानि विवरणी एवं नोट 21 देखें.	**मुख्य अंकेक्षण प्रविधि** हमने निम्नलिखित मूल प्राविधि का अनुपालन किया : • स्ट्रिपिंग समायोजन कार्य के आकड़ों को लेकर वर्षपर्यंत कुल व्यय को कोयला उत्पादन एवं अधिभार के मध्य आवंटन की जाँच की। अनुपात की गणना में विचार किए गए व्यय की सटीकता एवं व्यय की पूर्णता के बारे में सुनिश्चित किया गया। • वर्ष के दौरान अनुपात प्रसरण की सही गणना निष्कर्षित ओबी की मात्रा तथा अधिभार हेतु आवंटित राशि के आधार पर की गयी है। • विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का पालन किया तथा व्ययों के तर्क हेतु विभिन्न गतिविधि सामंजस्य गणना पर विचार किए गए विवरणों का परीक्षण किया गया। • स्ट्रिपींग गतिविधि समायोजन के लिए लगाया गया लेखांकन नीति एवं प्रबंधन के निर्णय उचित पाए गए है। **निष्कर्ष** उपरोक्त प्रविधि के आधार पर, हमें कोई वास्तविक मुद्दा ज्ञात नहीं हुआ।

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के अलावा अन्य सूचनाएं तथा उस पर अंकेक्षक का प्रतिवेदन

अन्य सूचनाओं को प्रदान करने की जिम्मेदारी कंपनी के निदेशकीय मंडल की है। अन्य सूचनाओं के अंतर्गत :

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण, अनुलग्नक सहित बोर्ड की प्रतिवेदन,

प्रबंधन का उत्तर:

कोई टिप्पणी नहीं।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर

व्यावसायिक जवाबदेही प्रतिवेदन, निगमित प्रशासन तथा शेयरधारकों की सूचना, परन्तु समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी एवं हमारा अंकेक्षकीय प्रतिवेदन उक्त में सम्मिलित नहीं होती है।

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी पर हमारा अभिमत अन्य जानकारियों को कवर नहीं करता है और हम उक्त पर अश्वाषित निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के हमारे अंकेक्षण से सम्बद्ध, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारियों को पढ़ना है और, यह सुविचार करना है कि क्या समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के साथ अन्य सूचनाओं में मटेरियल असंगतता है या अंकेक्षण दौरान प्राप्त जानकारी या अन्य किसी भी प्रकार से मटेरियल अशुद्धि ज्ञात होती है।

जब हमें अन्य सूचनाएं प्रदान जातीं है और जब उन्हें पढ़कर, यदि हम यह निष्कर्ष निकलते हैं की उसमे कोई वास्तविक अशुद्धि है, तो हमें एसए 720 "अन्य सूचनाओं के अंतर्गत अंकेक्षकों की जवाबदेही" के अंतर्गत उक्त अशुद्धियों को प्रशासन–प्रभारी को सूचित करना होता है।

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के लिए प्रबंधन एवं प्रशासन–प्रभारी की जवाबदेही

कपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के सन्दर्भ में, नियंत्रक कंपनी का निदेशकीय मंडल वित्तीय विवरणियों के निर्माण एवं प्रस्तुति के लिए जवाबदेह हैं, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत अंकेक्षण मानक सहित भारत में स्वीकृत सामान्य लेखा पद्धतियों के अनुसार कपनी, इसके सहयोगीगण एवं संयुक्ततः नियंत्रित इकाइयों की समेकित वित्तीय स्थिति और समेकित नकदी प्रवाह पर सत्य एवं उचित दृष्टिकोण प्रदान करता है। उक्त समूह में सम्मिलित कंपनी, उसके सहयोगी और सयुक्ततः नियंत्रित इकाइयों से सम्बद्ध निदेशकीय मंडल आस्तियों की सुरक्षा और धांखाधडी एव अन्य अनियमितताओं की पहचान एवं रोकथाम के लिए अधिनियम के प्रावधानानुसार उचित लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव हेतु जवाबदेह हैं; समुपयुक्त अकेक्षण नीतियो का चयन और कार्यान्वयनय समुचित एवं विवेकशील निर्णय और प्राक्कलन, तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का कार्यान्वयन एवं रख–रखाव, जो लेखा अभिलेखों की सटीकता व सपूर्णता सुनिश्चित करने हेतु प्रभावकारी रूप से से कार्य कर रहे थे, समेकित भारतीय लेखा मानक विवरणी के निर्माण और प्रस्तुति हेतु सत्य व उचित दृष्टिकोण प्रदान करते है व धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न मेटेरिअल अशुद्धियों से मुक्त है, जिनकी प्रयुक्ति नियंत्रक कंपनी के निदेशकों द्वारा पूर्वोक्त समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के निर्माण की गयी है।

समेकित भारतीय लेखा वित्तीय विवरणी के निर्माण में, समूह में सम्मिलित कपनी, उसके सहयोगी और संयुक्ततः नियंत्रित इकाइयों से सम्बद्ध निदेशकीय मंडल कार्यशील संस्थाओं क्षमता के आकलन हेतु जवाबदेह हैं और यदि लागू हो तो, कार्यशील संस्थाओं के सम्बद्ध मामलो का अनावरण प्रबंधन की इच्छानुसार समूह का विलयन या जब तक

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
संचालन की समाप्ति नहीं हो जाती है, तब तक कार्यशील संस्था के आधार पर अंकेक्षण किया जाए, या कोई सार्थक विकल्प मौजूद न हो. समूह में सम्मिलित कंपनी, उसके सहयोगी और संयुक्ततः नियंत्रित इकाइयों से सम्बद्ध निदेशकीय मंडल की जिम्मेदारी है कि समूह एवं सहयोगियों एवं संयुक्ततः नियंत्रित इकाइयों की वित्तीय सूचना प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करें।	
वित्तीय विवरणी के अंकेक्षण हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी	
हमारा उद्देश्य इस बारे मे उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित भारतीय लेखा मानक के रूप में समग्र रूप से वित्तीय विवरण धोखाधडी या त्रुटि के कारण होने वाली मटेरियल अशुद्धियों से मुक्त हैं, और अंकेक्षक प्रतिवेदन जारी करें, जिसमें हमारा अभिमत भी शामिल हो । तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नही है कि लेखा मानकों के अनुसार अंकेक्षण से सदैव मटेरियल अशुद्धि का पता चलेगा, यदि हो तो। व्यक्तिगत या समग्र रूप से, अशुद्धियाँ, त्रुटी या धोखाधडी से उत्पन्न हो सकतीं है और उन्हें वास्तविक माना जा सकता है, इन समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणियो के आधार पर उक्त अशुद्धियाँ उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय में यथोचित प्रभाव डाल सकतीं है।	
लेखा मानक अनुसार अंकेक्षण के भागीदार के रूप में, हम प्रोफेशनल निर्णय लेते है तथा पूरी अंकेक्षण प्रक्रिया के दौरान प्रोफेशनल संशय से कार्य करते हैं। हम :	
● समेकित भारतीय लेखा मानक की वित्तीय विवरणियों में धोखाधडी या त्रुटि के कारण उत्पन्न मटेरियल अशुद्धियो के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन, उन जोखिमो के अध्याधीन अंकेक्षण प्रक्रियाओं का डिजाइन और कार्यान्वियन, एवं वैसे अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित मालूम हो। धोखाधडी के परिणामस्वरूप उत्पन्न मटेरियल अशुद्धियों की जानकारी नहीं होना, त्रुटि के कारण उत्पन्न अशुद्धियों से ज्यादा जोखिमपूर्ण है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर भूल, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का लंघन हो सकती है।	
● अंकेक्षण प्रक्रियाओं को डिजाइन करने हेतु प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की परिस्थितिनुकूल समझ। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस विषय पर अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए भी जवाबदेह हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियत्रण प्रणाली तथा इस प्रकार के प्रभावकारी नियंत्रण कार्यान्वयन है।	
● प्रयोग में लायी गई अंकेक्षण नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए अंकेक्षण प्राक्कलन एवं सम्बद्ध प्रकटीकरण की तार्किकता का मूल्यांकन।	

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर

- प्रबंधन द्वारा उपयोगित कार्यशील संस्था आधृत अंकेक्षण की उपयुक्तता पर निष्कर्ष एवं, प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य के आधार पर, क्या किसी घटना या वस्तुस्थिति से सम्बद्ध कोई मटेरियल अनिश्चितता विद्यमान है जो कंपनी द्वारा कार्यशील संस्था को चलने में रखने में महती संदेह उत्पन्न करता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकलें की कोई मटेरियल अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमसे यह अपेक्षित है की हम अपने अंकेक्षण से भारतीय लेखा मानक की वित्तीय विवरणियों में सम्बद्ध प्रकटीकरण की ओर ध्यान आकृष्ट करें या, यदि वैसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं,तो हम अपनी अभिमत में परिवर्तन करें। हमारे निष्कर्ष अंकेक्षण प्रतिवेदन की तारीख तक प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य के आधार पर है हालाँकि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियों के अनुसार कंपनी कार्यशील संस्था के रूप में कार्य करना समाप्त कर सकती है।

- समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी की समग्र प्रस्तुति, स्वरुप एव विषय–सूची का मूल्यांकन, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल हो, और क्या समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं की प्रस्तुति की इस प्रकार करते है जो उचित हो।

मटेरियलिटी, समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में अशुद्धि का एक परिमाण है,जो व्यक्तिगत या समग्र रूप में, समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी का किसी सुविज्ञ उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय क्षमता को प्रभावित करने में सक्षम हो । हम (i) अपने अंकेक्षण की सीमा का नियोजन एवं अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकनय तथा (ii) समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में अभिज्ञात अशुद्धियों के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं ।

अंकेक्षण के दौरान, अन्य मामलों के साथ–साथ हम अंकेक्षण की अवधि एवं महत्वपूर्ण अंकेक्षण निष्कर्ष एवं योजनाबद्ध स्कोप सहित आतंरिक नियंत्रण में अन्य किसी प्रकार की महत्वपूर्ण अपूर्णता होने पर हम प्रशासन–प्रभारी के साथ संवाद स्थापित करते है।

हम प्रशासन–प्रभारी को स्वयं की स्वतंत्रता से सम्बद्ध प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के अनुपालन पर एक वक्तव्य प्रदान करते है, तथा समस्त संबंधों एवं अन्य मामलो पर संवाद करते है, जिन्हें तार्किक आधार पर हमारी स्वतंत्रता, एवं जहाँ लागू हो, संरक्षण से संबंधित माना जा सकता है।

शासन–प्रभारी को सम्प्रेषित मामलो से, हम वर्तमान अवधि के समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के अंकेक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मामलों का निर्धारण करते है और वे प्रमुख अंकेक्षण मुद्दे हैं। जब तक विधि या विनियमन इसके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर निषेध नहीं करता है या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, जब हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी प्रतिवेदन में उक्त मुद्दे को सम्मिलित नही किया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के सम्प्रेषण से आम

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
जनता की यथोचित अपेक्षा से यह अधिक होगा और इसके विपरीत परिणाम हो सकते हैं, तब हम अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में इन मामलों का विवरण देते हैं।	
अन्य मामले	
हमने सहायक कंपनी की वित्तीय विवरणी/वित्तीय जानकारियों का अंकेक्षण नहीं किया है, जिसका वित्तीय वक्तव्य/वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2019 तक 192.14 करोड़ की कुल संपत्ति दर्शाता है, कुल राजस्व रु. 1.79 करोड़, और निवल नकदी प्रवाह 12.73 करोड़ उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए, जैसा समेकित वित्तीय विवरणी में माना गया है। इन वित्तीय वक्तव्यों/वित्तीय जानकारी का लेखा – जोखा अन्य अंकेक्षक द्वारा किया गया है जिनकी प्रतिवेदन हमें प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई है, और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत अब तक इस अनुषंगी के सम्बन्ध मे शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं और सहयोगी, तथा अधिनियम की धारा 143 की उप–धाराओं (3) और (11) के संदर्भ में हमारी प्रतिवेदन, अब तक यह उपर्युक्त सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओ और सहयोगियों से संबंधित केवल उस तरह के अन्य अंकेक्षक की प्रतिवेदन पर आधारित है।	
समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणो के बारे मे हमारी अभिमत, एवं नीचे दी गई अन्य कानूनी तथा नियामक आवश्यकताओं पर हमारी प्रतिवेदन, उपरोक्त मामलों के संबंध में सशोधित नही की गई है, जो किये गए कार्य पर हमारी निर्भरता और अन्य अंकेक्षकों की प्रतिवेदन और वित्तीय वक्तव्यों/वित्तीय जानकारी, प्रबंधन द्वारा प्रमाणित प्रतिवेदन के संबंध में है।	कोई टिप्पणी नहीं।
अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन	
अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा आवश्यक,लागू सीमा तक, हम प्रतिवेदित करते है,कि,	
1. अधिनियम की धारा 143 के सब–सेक्शन (11) के आलोक में केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनी (अंकेक्षक प्रतिवेदन) आदेश, 2016 ("आदेश"), समेकित भारतीय मानक वित्तीय विवरण पर लागू नही होते हैं जैसा की उक्त आदेश के अनुच्छेद – 2 के प्रावधान में निर्दिष्ट है।	
2 अधिनियम की धारा – 143 (5) की आवश्यकताओं के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महाअंकेक्षक द्वारा जारी दिशा निर्देशों और उप–निर्देशों के अनुसार, उपरोक्त पर हमारी टिप्पणी, समूह की वित्तीय विवरणी एव कृत करवाई अनुलग्नक–ए में वित्तीय विवरणो पर करवाई और प्रकाश डालते हैं।	
3 जैसा की अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार आवश्यक है, हम प्रतिवेदित करते है कि .	

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
(ए) हमने समस्त जानकारियों व स्पष्टीकरण की माग की है और प्राप्त किया है, जोकि हमारी जानकारी और विश्वास के सर्वोत्तम है, वित्तीय विवरण के रूप में उपरोक्त भारतीय लेखा मानक के हमारे लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक थे, इसे उपरोक्त 'मामलों की प्रमुखता' के मद सं. (ए), (बी), (सी) और (डी) के साथ पढ़ा जाए।	
(बी) हमारे अभिमत में, समेकित आईएनडी एएस वित्तीय विवरणी के निर्माण में विधिक आवश्यकतानुसार बही–खातों का अभिलेख रखा गया है जो अन्य अंकेक्षक के प्रतिवेदन में एवं इन बही–खतों के अभिलेखों के परीक्षण में अब तक दृष्टिगत हुआ है।	
(सी) अधिनियम की धारा 143(8) के तहत नियंत्रक कंपनी (शाखा अंकेक्षकों द्वारा क्षेत्रों का अंकेक्षण सहित) का अंकेक्षण हमारे द्वारा किया गया है एवं अन्य अंकेक्षकों द्वारा भारत में निगमित अनुषगी कंपनी के अंकेक्षित खातों का प्रतिवेदन हमे प्रेषित किया गया है एवं हमने उनका समुचित उपयोग इस प्रतिवेदन के निर्माण में किया है।	
(डी) समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि एवं नकदी प्रवाह विवरणी, समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के निर्माण के उद्देश्य के लिए बनाए गए बही–खतों से मेल खातें है।	
(ई) हमारे अभिमत में, वित्तीय विवरण के रूप में उपरोक्त भारतीय लेखा मानक अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते है।	
(एफ) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसरण में, निदेशकों के अयोग्य ठहराने हेतु, अधिनियम की सेक्शन 164 (2), सरकारी कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।	
(जी) समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता व इस प्रकार के नियंत्रणो के संचालन प्रभावशीलता के सम्बन्ध में "अनुलग्नक – बी" में हमारी प्रतिवेदन देखे।	
(एच) अन्य मामलो के सम्बन्ध में अंकेक्षक की प्रतिवेदन में कंपनी के नियम 11 (अंकेक्षण व अंकेक्षक) नियम, 2014 के अनुसार हमारे अभिमत मे, हमारी सर्वोत्तम जानकारी अनुसार, एवं प्रदत्त स्पष्टीकरण के अनुसार	

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
(i) कंपनी ने समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के अतिरिक्त नोट–38 के अंतर्गत लंबित मुकदमों की जानकारी दी है, और इनका प्रभाव, यदि हो तो, उक्त पर तब पड़ेगा जब उक्त पर फैसला आएगा।	
(ii) कंपनी ने पूर्वाभासी भौतिक नुकसान से बचाव हेतु, यदि हो तो, डेरीवेटिव संविदा सहित दीर्घकालिक संविदाओं पर विनियमित विधि या अंकेक्षण मानकों के तहत आवश्यक प्रावधान किए हैं।	
(iii) प्रबंधन द्वारा प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के अनुसार, किसी भी प्रकार की राशि को कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक हो।	

कृते के. सी. टाक एण्ड कं.
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स,
(फार्म पजीकरण संख्या 000216सी)

(सीए अनिल जैन)
पार्टनर
(मेम्बरशीप संख्या 079005)

स्थान : राँची
दिनांक 11 06 2019

"अनुलग्नक– ए" जो 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में कंपनी के सदस्यों हेतु स्वतंत्र अंकेक्षकीय प्रतिवेदन में "अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन" के अनुच्छेद 1 में निर्दिष्ट है, हम प्रतिवेदित करते हैं कि :

वर्ष 2018–19 के लिए मेसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के संबंध में कंपनियों के अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत निर्देशों पर रिपोर्ट।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
1. क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली द्वारा समस्त लेनदेन की प्रक्रिया के प्रसंस्करण की प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली से बाहर लेनदेन के प्रसंस्करण की सत्यनिष्ठा के साथ–साथ वित्तीय पहलुओं पर प्रभाव,यदि हो तो घोषित करें	
कंपनी के पास लेनदेन के प्रक्रिया को प्रसंस्कृत करने हेतु कोलनेट प्रणाली विद्यमान है जिसे विभिन्न वित्तीय मोड्यूलों को समाहित करने के लिए निर्मित किया गया हैं. यह वित्त,विक्रय एवं विपणन,पे–रोल,समग्री प्रबंधन, कार्मिक एवं अन्य क्षेत्रों को समाहित करता है . हालाँकि, इसका पूर्ण–रूपेण समाकलन नहीं किया गया है एवं जैसा की सूचित किया गया है की विभिन्न मोड्यूलों के मध्य डाटा के आवागमन के लिए कंपनी ईआरपी को लागू करने की प्रक्रियान्तरगत है। **वित्तीय प्रभाव, यदि हैं, तो अज्ञात हैं।**	सभी लेन–देन का हिसाब को कोल नेट प्रणाली द्वारा संशाधित किया गया।
2. क्या कंपनी के ऋण अदायगी असमर्थता के कारण किसी मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन/ऋण पर बट्ट/ऋण/ब्याज आदि कंपनी द्वारा किया गया है?	
मौजूदा ऋणों का पुनर्गठन या अधित्याग/ऋण पर बट्टा/ऋण/ब्याज आदि का किसी भी मामले में ऋणदाता द्वारा इस वर्ष या किसी अवधि के दौरान. कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता का कोई मामला है.अतः यह लागू नहीं होता है।	कोई टिप्पणी नहीं।
3. केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि का नियम एवं शर्तों के अनुसार सदुपयोग/हिसाब किया गया या नहीं? **विचलन के मामलों की सूची प्रदान करें.**	
कंपनी को सीसीडीएसी योजना के अंतर्गत रेलवे साइडिंग/पू.ग. रेलवे द्वारा निर्मित सड़क के मद में प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त हुई है. उक्त का केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार हिसाब एवं सदुपयोग किया गया।	कोई टिप्पणी नहीं।

वर्ष 2018–19 के लिए मेसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के संबंध में कंपनियों के अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत अतिरिक्त निर्देशों पर रिपोर्ट

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
1. क्या समरूप मानचित्र को ध्यान में रखते हुए कोयला स्टॉक का मापन किया गया था। क्या भौतिक स्टॉक माप प्रतिवेदन सभी मामलों में समरूप मानचित्र सहित है? वर्ष के दौरान बनाई गई नई संचय, यदि कोई हो तो क्या सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन लिया गया है?	
हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सीआईएल वार्षिक कोयले शेयर मापन के दिशा निर्देश के मुताबिक स्टॉक मापन का आकलन किया गया है, जो माप रिपोर्ट के साथ आया है और यह माप रिपोर्ट के साथ है। आगे, किसी भी नए संचय के निर्माण से पहले सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन लिया जाता है।	कोई टिप्पणी नही।
2. यदि किसी भी क्षेत्र की विलय/पुन: संरचना के समय कम्पनी ने परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन का अभ्यास किया गया था। यदि ऐसा है तो क्या संबंधित सहायक कम्पनी ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया है?	
हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने एक क्षेत्र के विलय/पुनर्गठन के समय सम्पत्ति और सम्पत्तियों का सत्यापन अभ्यास किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
3 यदि कंपनी द्वारा प्रत्येक खान के लिए अलग एस्क्रो खातो का रख–रखाव किया गया है। खाते की निधि की उपयोगिता की भी जांच करें।	
हमें दिए गए सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार, 64 खानों के लिए एस्क्रो खाता खोला गया है तथा अद्यतन तिथि तक इन एस्क्रो खातों से किसी प्रकार की राशि नहीं निकाली गई है।	कोई टिप्पणी नही।
4. यदि भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू अवैध खनन के प्रभाव को विधिवत विचार तथा गणना किया गया है।	
भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, झारखंड के कुछ जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा 13389.38 करोड़ रू. की मांग, 41 खानों में पर्यावरण मंजूरी सीमा से अधिक खनन के एवज में की गई थी। उक्त मांग के विरूद्ध, कंपनी ने भारत सरकार के कोयला मंत्रालय, माननीय कोल ट्राईब्युनल, जो कि एमएमडीआर अधिनियम के तहत न्यायिक निर्णय प्राधिकरण है, के समक्ष सशोधित याचिका दायर किया है। संशोधन प्राधिकरण ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 16.01.2018 द्वारा उपरोक्त मांग के क्रियान्वयन को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उक्त मांग को ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया है तथा वित्तीय विवरण के टिप्पणी – 38 के पारा 4 (ए) (1) में आकस्मिक देयता में सम्मिलित किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।

"अनुलग्नक–बी" जो 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में कंपनी के सदस्यों हेतु स्वतंत्र अंकेक्षकीय प्रतिवेदन में "अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन" के अनुच्छेद 3(एफ) में निर्दिष्ट है, हम प्रतिवेदित करते हैं कि :

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के सेक्शन 143 के सब सेक्शन 3 के अन्तर्गत क्लॉज (i) अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

31 मार्च, 2019 को कंपनी के समेकित वित्तीय वक्तव्यों के हमारे ऑडिट के साथ हमने 'सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड' की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है (इसके पश्चात् "नियंत्रक कंपनी" निर्दिष्ट किया गया है) और इसकी सहायक कंपनी, जो उस तिथि के अनुसार भारत में निगमित कंपनियाँ हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंटस ऑफ इंडिया ('आइसीएआइ') द्वारा आतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु निर्गत वित्तीय प्रतिवेदन में अंकेक्षण मार्गदर्शन टिप्पणी में निर्दिष्ट आंतरिक नियंत्रण अनुसार आवश्यक अवयवों पर आधृत कंपनी द्वारा प्रतिस्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मानदण्डों अनुसार कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का निर्माण एवं रख–रखाव, नियंत्रक कंपनी से संबंधित निदेशकीय बोर्ड, इसकी अनुषंगी कंपनी, जो कि भारत में निगमित है, की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का प्रारूप, कार्यान्वयन और रख–रखाव शामिल है, जो अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन, आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की पहचान एवं रोकथाम और लेखा अभिलेख की सटीकता व पूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यक वित्तीय जानकारी का ससमय निर्माण।

अंकेक्षक की जिम्मेदारी

हमारे अकेक्षण के आधार पर कंपनी की वित्तीय सूचनाओं के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अभिमत प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने अपना अंकेक्षण आईसीएआई के आतंरिक अंकेक्षण हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग ('मार्गदर्शन टिप्पणी) और अंकेक्षण मानकों के आधार पर किया है, एवं जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत माना गया है, जो आतंरिक अंकेक्षण नियत्रण की सीमा तक लागू है. दोनों आतंरिक अंकेक्षण नियंत्रण पर लागू होते हैं, तथा दोनों भारत के चार्टर्ड अकाउंटेट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए है। उन मानकों व मार्गदर्शन टिप्पणी के लिए आवश्यक है, कि हम नैतिक आवश्यकताओं एवं योजना का अनुपालन करें तथा वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियत्रण स्थापित किए जाने एवं कायम रखने तथा यदि इन नियंत्रणों को सभी भौतिक विषयों के संदर्भ में प्रभावी तरीके से संचालित किया गया, के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु अकेक्षण किया जाय।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर

हमारे लेखा परीक्षण मे वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके संचालन की प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारे लेखा परीक्षण में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, मटेरियल कमजोरी के जोखिम का आकलन और आकलन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण व मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाए, लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर करती है, जिसमे वित्तीय विवरणों के सामग्री के अशुद्ध वर्णन के जोखिम का आकलन शामिल है, जो चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो।

हमने नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में उल्लिखित उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में अन्य ऑडिटर्स द्वारा प्राप्त और ऑडिट साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणी की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उन नीतियों और प्रक्रियाओ को शामिल करना है, जो (1) अभिलेख के रख–रखाव से संबंधित है, विवरणात्मक रूप में, कंपनी की परिसंपत्तियों के सटीक एवं उचित लेन–देन और निपटान को दर्शाते हैं, (2) उचित आश्वासन देते है कि लेन–देन स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों अनुरूप वित्तीय विवरणी के निर्माण करने के लिए आवश्यक है और कंपनी प्रबंधन और निदेशकों की अनुज्ञप्ति के पश्चात कंपनी की प्राप्तियां और व्यय किये जा रहे है और (3) कंपनी की संपत्ति का अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की ससमय पहचान और रोकथाम पर उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसके कारण कंपनी के वित्तीय विवरणों पर मेटेरियल प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित परिसीमाएँ

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित परिसीमा के कारण, त्रुटी या धोखाधडी से मेटेरियल अशुद्धियाँ, मिलीभगत या नियंत्रण पर अनुचित प्रबंधकीय लंघन किया जा सकता है और इनका पता भी नहीं लगाया जा सकता. साथ ही, अंतरिक वित्तीय नियंत्रण की किसी भी भविष्यवाणी के अनुमान का मूल्यांकन का जोखिम यह है कि बदलते परिदृश्य, या नीति या प्रक्रिया के अनुपालन की दशा के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में अपकर्षण हो सकता है।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर

अभिमत :

हमारे अभिमत में, नियंत्रक कंपनी, इसकी अनुषंगी कंपनी जो भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, उनके पास, सभी मटेरियल परिप्रेक्ष्य में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आतंरिक नियंत्रण प्रणाली है एवं इन प्रकार के आतंरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2019 को प्रभावकारी रूप से कार्य कर रहे थे, जो इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय विवरण के आतंरिक वित्तीय विवरण के अंकेक्षण हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंड पर निर्मित की गयीं है।

अन्य मामले

अधिनियम के सेक्शन 143(3)(i) के अन्तर्गत अनुषंगी कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पूर्णता एवं संचालन की प्रभावकारिता से संबंधित हमारी उपरोक्त रिपोर्ट भारत में निगमित कंपनी के अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

कृते के. सी. टाक एण्ड कं.
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स,
(फार्म पंजीकरण संख्या 000216सी)

(सीए अनिल जैन)
पार्टनर
(मेम्बरशीप संख्या 079005)

स्थान : राँची
दिनांक : 11.06.2019